ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | July-September | 2026 | Volume-2 | Issue-3

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

An International Open Access,
Quarterly Peer Reviewed,
Referred Journal of Academic Research

BJAR

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च

ISSN: 3139-5260 BJAR (https://bjar.in) | July-September | 2026 | Volume-2 | Issue-3

Bundelkhand Journal of Academic Research

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल

A Quarterly, Peer-Reviewed, Open-Access, Refereed, Bilingual (Hindi and English) International Journal of Academic Research

Year: 2026 **Quarter: July-September** **Volume: 02(3)**

प्रधान संपादक
Editor-in-Chief
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'
(Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan')
E-mail: gayatripublication2025@gmail.com

5

प्रबंध संपादक
Managing Editor
बृजेन्द्र सिंह
(Brijendra Singh)
E-mail: gayatri.kbs@gmail.com

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

बीजेएआर का संपादक मंडल
(Editorial Board of the BJAR)

Dr. Ajay Singh, Professor, Department of Management & Information Systems, College of Business Administration, University of Hail: **Saudi Arabia,** E-mail: a.singh@uoh.edu.sa

Dr. Sunil Kumar, Professor (Sociology), Department of Sociology, Kurukshetra University, Thanesar: **Haryana.**
E-mail: sksoc@kuk.ac.in

Dr. Shambhu Nath Singh, Professor,
Institute of Economics & Finance, Bundelkhand University Jhansi; **Uttar Pradesh.**
E-mail: drsnsingh@bujhansi.ac.in

Dr. N. K. Gupta, Director (PM&E), Department of Basic Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: nkgupta.pphy@sknau.ac.in

Dr. Mukesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: mukeshkumar@gtgdc.org

Dr. Atul Kumar Kushwaha, Assistant Professor, Department of Chemistry, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: atulkk2008@gtgdc.org

Dr. Rachit Jaiswal, Assistant Professor, (Commerce), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**. E-mail: rachitjaiswal@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Yadav, Assistant Professor (Sociology), Government Degree College Pahi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: sch.amitkum58@bujhansi.ac.in

Dr. Sanjaya Acharya, Professor, Department of Economics, Tribhuvan University Kirtipur; Kathmandu: **Nepal.**
E-mail: sanjaya.acharya@cdec.tu.edu.np

Dr. Bhupendra Kumar, Professor, Amity Business School, Amity University, Gwalior: **Madhya Pradesh.**
E-mail: bkumar@gwa.amity.edu

Dr. Rajesh Kumar Pal, Principal, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.rajeshkumar@gtgdc.org

Dr. Sonu Jain, Assistant Professor (Agricultural Economics), Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: sonujain.ageco@sknau.ac.in

Dr. Amit Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: amitkumarsingh@gtgdc.org

Dr. Shashi Shekhar, Assistant Professor, (Department of B. Ed.), Shivpati P.G. College Shoharatgarh, Affiliated to Siddhartha University, Siddharth Nagar: **Uttar Pradesh.**
Email: shyamu.mishra.75@gmail.com

Dr. Sanju Kumawat, Assistant Professor, Department of Agriculture, Rayat Bahra University, Mohali: **Punjab.**
E-mail: sanju.19117@rayatbahrauniversity.edu.in

Dr. Siddhant Chaturvedi, Assistant Professor (Botany), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**. E-mail: siddhantau1@gtgdc.org

Mr. Ram Lakhan Data Analyst cum Scholar, Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), Krishna Nagar, Atarra (Banda): **Uttar Pradesh**. E-mail: potteras9125@gmail.com

=====

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

बीजेएआर के विशेषज्ञ (Experts of the BJAR)

Dr. C. B. Singh, Professor, Department of Economics & Finance, Former Dean of Arts Faculty, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: dr.cbsingh195@bujhansi.ac.in

Dr. Girdhari Lal Meena, Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan.** E-mail: glm57@rediffmail.com

Dr. Rakesh Rana, Professor, Department of Sociology, Mahanand Mission Harijan College, Gaziabad, Chaudhary Charan Singh University, Meerut: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ranarakesh@gmail.com

Dr. B. S. Badhola, Assistant Professor, (Agriculture Extension Education), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: bsbadhola.ext@sknau.ac.in

Dr. Sheela Kharkwal, Assistant Professor, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sheela.ageco@sknau.ac.in

Dr. Krishna Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Dinesh Meena, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Aurobindo College, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi University: **New Delhi.**
E-mail: dmeena_comm@aurobindo.du.ac.in

Dr. Vinay Kumar Patel, Assistant Professor (History), Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vinay.net2012@gmail.com

Dr. Subhita Kumawat, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: subhita.ageco@sknau.ac.in

Dr. Uma Ratan Yadav, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: uryadav69@gmail.com

Dr. Hari Singh, Professor, Department of Agricultural Economics, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan**.
E-mail: singhhari71@gmail.com

Dr. Onkar Nath Mishra, Assistant Professor (Sr. Grade), Department of Economics, Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, **Bihar.**
E-mail: aavirmishra@gmail.com

Dr. Mithilesh Kumar Singh, Assistant Professor (Sociology), Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.mithileshkumarsingh@gmail.com

Dr. Prahlad Singh, Assistant Professor, Department of Mathematics, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: prahladanora9@gmail.com

Dr. Ajay Singh, Assistant Professor (English), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.** E-mail: ajaysingh@gtgdc.org

Dr. Shyam Singh Gaur, Assistant Professor, Deptt. of Education & Humanities, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Chitrakoot: **Madhya Pradesh.**
E-mail: shyamsinghedu3@gmail.com

Dr. Dharmendra Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.dharmendrasingh67@gmail.com

Dr. Pratibha Manohar, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: pratibha.maths@sknau.ac.in

=====

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

बीजेएआर के सलाहकार (Advisors of the BJAR)

Dr. Kiran Gaur, Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: kirangaur.stats@sknau.ac.in

Dr. Durgesh Kumar Shukla, Principal & Professor, Government Degree College, Manikpur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: durgeshshukla70707@gmail.com

Dr Vinod Kumar, Principal & Associate Professor, Government Model Degree College Piparahari, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinodkumar786@gmail.com

Dr. Manjri Damele, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: manjridamele@gmail.com

Dr. Gajendra Nath, Principal, Rajarshi Purushottam Das Tandon Government Post Graduate, Lalitpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: gajendranath11@gmail.com

Dr. Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: mksharma.stats@sknau.ac.in

Dr. Virendra Pratap Chaurasia, Assistant Professor, Department of Economics, Government Degree College Kalpi, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: virendraauphd@gmail.com

Dr. Maneesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, D.D.U. Gorakhpur University Gorakhpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: maneeshkumar61@gmail.com

Dr. Brijendra Singh Boudh, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**.
E-mail: dr.bsboudha1999@gmail.com

Dr. Vinay Kumar Chaudhary, Professor & Principal, Government Degree College, Mathura: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vkc2014eng@gmail.com

Dr. Ramesh Singh, Assistant Professor (Botany), B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: rameshgdcbotany1980@gmail.com

Dr. Sandeep Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sandeepsps@gmail.com

Dr. Sachendra Kumar, Principal, Fundi Singh Launa Government Post Graduate College, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sachendra877@gmail.com

Dr. Ravindra Singh Shekhawat, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Institute of Wheat and Barley Research (IIWBR), Karnal: **Haryana.**
E-mail: ravindra.shekhawat@icar.org.in

Dr. Jay Prakash Singh, Assistant Professor, Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: jayprakash7619@gmail.com

Dr. Ashutosh Kumar Shukla, Assistant Professor (Political Science), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ashutoshshukla0907@gmail.com

=====

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

बीजेएआर के समीक्षक (Reviewers of the BJAR)

Dr. Mahendra Singh, Assistant Professor (Economics), Veerabhumi Government PG College Bhatipura, Mahoba: **Uttar Pradesh.**
E-mail: mahendrasinghalld1990@gmail.com

Dr. Brijesh Kumar Pal, Assistant Professor (Hindi), Dr. B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: brijeshjaishree@gmail.com

Dr. Deepak Gupta, Assistant Professor, Department of Genetics & Plant Breeding, Pulses, Pearlmittet, College of Agriculture, Fatehpur Shekhawati, Sikar, **Rajasthan.**
E-mail: deepakgupta.pbg@sknau.ac.in

Dr. Vinod Kumar, Assistant Professor, Library Science, Dr. S. R. Ranganathan Institute of Library and Information Science, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinoddlis79@gmail.com

Dr. Dharmendra Yadav, Assistant Professor (Economics), Government Degree College Biloha Gainsari Balrampur: Uttar Pradesh.
E-mail: 198622dharmendrakumar@gmail.com

Dr. Shiv Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Government Girls Post Graduate College, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: shivkumar25678@rediffmail.com

Dr. Ramesh Chand Asiwal, Assistant Professor (Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: rcasiwalageco.coalalsot@sknau.ac.in

Dr. Sandeep Kumar Pundir, Assistant Professor, Department of Physics, University of Lucknow: **Uttar Pradesh.**
E-mail: pundir_s@lkouniv.ac.in

Dr. Shelly Gupta, Assistant Professor (Law), Vaish College of Law, Rohtak, Maharishi Dayanand University, Rohtak: **Haryana.**
E-mail: shellysushil@gmail.com

Dr. Anand Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University, Sitapur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: anand_smsvns@yahoo.co.in

Dr. Devendra Nath Giri, Assistant Professor, Department of History, Smt. Indira Gandhi Government PG College Lalganj, Mirzapur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: giridevendranath@gmail.com

Dr. Amita Singh, Assistant Professor (Sanskrit), Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: singhamita1984@gmail.com

Dr. Veer Pratap Singh, Assistant Professor (Botany), Maharani Lal Kunwari (MLK) PG College, Balrampur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvpsingh1984@gmail.com

Dr. Ram Chiranjeev, Assistant Professor (Sociology), Chaudhary Mahadeo Prasad (CMP) Degree College, Prayagraj, University of Allahabad, **Uttar Pradesh.**
E-mail: chiranjivpal75@gmail.com

Dr. Sudhir Kumar, Assistant Professor (B.Ed.), Department of Education, Maharana Pratap Government Post Graduate College, Hardoi: **Uttar Pradesh.** E-mail: sudhirlu@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर)

Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR)

वर्ष: 02	त्रैमासिक: जुलाई-सितंबर, 2026	वॉल्यूम-2	अंक-3
Year: 02	**Quarterly: July-September, 2026**	**Volume-2**	**Issue-3**

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
(A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research)

प्रारंभिक वर्ष: 2025 **The Starting Year:** 2025

प्रकाशक: सुरेन्द्र कुमार (महासचिव), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Publisher: Surendra Kumar (General Secretary), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

मुद्रक: गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Printer: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

टिप्पणी: सभी प्रकार के भुगतान 'बीजेएआर' अतर्रा के नाम से देय है।

Note: All payments are payable in the name of 'BJAR' Atarra.

2. बीजेएआर के प्रधान संपादक और संपादक के पद मानद और अवैतनिक हैं। जबकि प्रबंध संपादक का वैतनिक है।

The positions of Editor-in-Chief and Editors of BJAR are honorary and unpaid, while the Managing Editor is paid.

हमसे संपर्क करें (कार्यालय):

: सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशक, अथवा बृजेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष: +918750184716 ई-मेल: gayatripublication2025@gmail.com

Contact Us (Office):

: Surendra Kumar, Publisher, or Brijendra Singh, Managing Director, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201. Telephone: +91-8750184716, Email: gayatripublication2025@gmail.com

सुरेन्द्र कुमार (महासचिव, गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से मुद्रित करवाकर प्रकाशित। प्रबंध संपादक: बृजेन्द्र सिंह, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

Note: The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary Disputes, if any shall be decided by the court at Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

Bundelkhand Journal of Academic Research

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

			पृष्ठ
01.	भारत की खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन	**डॉ. मुकेश कुमार, पवन कुमार सिंह**	1-10
02.	रामदरश मिश्र के उपन्यासों में बदलता ग्रामीण जीवन	**डॉ. अंकिता तिवारी**	11-14
03.	भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विश्लेषणात्मक अध्ययन	**डॉ. धर्मेन्द्र यादव**	15-19
04.	भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन	**डॉ. अमित कुमार सिंह**	20-26
05.	भारत में भक्ति आन्दोलन की मूल्य चेतना का अवलोकन	**डॉ. जय प्रकाश सिंह**	27-30
06.	विकास के सिद्धांत का विश्लेषणात्मक अध्ययन	**डॉ. आलोक गुप्ता**	31-34
07.	विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता के संदर्भ में सतत एवं समावेशी विकास का समालोचनात्मक अध्ययन	**डॉ. ब्रजेन्द्र सिंह, डॉ. लाल बहादुर राम**	35-39
08.	विकसित भारत के निर्माण में जेन–जी की संभावनाओं का अध्ययन	**डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'**	40-66
09.	भारतीय स्टेट बैंक एवं एचडीएफसी बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि का समाजशास्त्रीय विश्लेषणः आगरा जनपद पर आधारित एक वैयक्तिक अध्ययन	**दीक्षा, डॉ. एकता**	67-74
10.	निवेशकों के बीच जोखिम की धारणा और निवेश संबंधी फैसलों पर एक अध्ययन	**डॉ. संतोष रानी**	75-78
11.	सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन (मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)	**छोटेलाल उटावदे**	79-82
12.	पर्यटन का स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना पर प्रभाव : आगरा महानगर के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	**कृपान्ती लोधी, डॉ. एकता**	83-87
13.	भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाएं	**डॉ. रीतेश कुमार खरे**	88-90
14.	भारतीय संविधान के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संवैधानिक विश्लेषण	**डॉ. प्रियंका पटेल**	91-95
15.	समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का अध्ययन	**डॉ. संतोष कुमार सिंह**	96-101
16.	व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव	**प्रो. निरूपमा सिंह**	102-106
17.	Human-Wildlife Interaction and Pathways to Sustainable Future Planning	**Dharmendra Singh**	107-112
18.	Exploration of the Perspectives of Students, Teachers and Experts on Online Education under the National Education Policy 2020	**Amit Kumar Vishwakarma, Babita Vishwakarma, Dr. Ritu Kharwar**	113-116
19.	Role of Sahakar Sarathi in Strengthening Digitalization of Rural Cooperative Banks	**Surbhi Purohit**	117-135
20.	From Privilege to Right: Transformation of Passport Issuance in Post-Independence India	**Aastha Sharma, Dr. Reena Sharma**	136-144
21.	Global Warming: It's Impact on Life on the Earth	**Mr. Vivek, Mrs. Jyoti Maurya**	145-150
22.	Physical Activity, Mental Health and Academic Performance among University Students	**Dr. Pushpender Singh**	151-166

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

23. Gandhi in the age of Social Media: Digital Activism, Misinformation and the challenge of Peaceful Resistance in Online Spaces 167-173
Dr. Sanjay Kumar Pandey, Avinash Kumar
24. Ultra-Processed Food Consumption and Dietary Patterns among Young Adults **Dr. Pragati Chaudhray, Dr. Amit Singh, Dr. Shubham** 174-183
25. From Directive Principles to Socioeconomic Outcomes for Inclusive Development in India, 184-193
Shivam Gupta, Khushi Gupta, Dr. Shambhu Nath Singh
26. Minority Rights in India: A Doctrinal and Judicial Analysis **Himmat Singh** 194-203

=====

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत की खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन

डॉ. मुकेश कुमार[1], पवन कुमार सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान),** सावित्रीबाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।

(**Corresponding Author:** mukeshkumaralld@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005428

सारांश

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया के प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है। यह भूख और गरीबी को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देश मे लगभग 12.9 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जिनकी रोजाना की कमाई $2.15 (लगभग 181 रुपये) से भी कम है। ऐसे में, भोजन तक पहुँच एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत तक हिस्सा रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1960 के दशक में खुले बाजार में अनाज की आपूर्ति की कमी को नियंत्रित करने और समाज को किफायती कीमतों पर अनाज वितरित करने की एक प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था। तब से, इसने एक ''कल्याण–आधारित'' माध्यम से आगे बढ़कर ''अधिकार–आधारित'' खाद्य–सुरक्षा मंच का रूप ले लिया है। यह बदलाव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत आया है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा लगभग 67 प्रतिशत नागरिकों के लिए 'भोजन के अधिकार' को कानूनी रूप दिया गया है। इसके तहत, लक्षित आबादी को हर महीने चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, और इस प्रकार यह देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हालाँकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रकृति में पूरक है, इसका उद्देश्य किसी भी घर या समाज के किसी भी वर्ग को, इसके तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं की पूरी जरूरत को अकेले ही पूरा करना नहीं है। इस कार्यक्रम की नवीनता और महत्व को देखते हुए, यह शोध पत्र इस बात का आकलन करने का एक प्रयास है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनी शुरुआत से लेकर अब तक किस तरह से संरचित है और कैसे कार्य कर रही है।

लेख सूचना	**प्राप्त:** 13 जुलाई, 2026	**स्वीकृत:** 09 अगस्त, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 03	**चित्र एवं ग्राफ:** 02	**स्रोत एवं संदर्भ:** 17
	मुख्य शब्द:	खाद्य सुरक्षा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी रेखा, अंत्योदय योजना।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : भारत में खाद्यानों पर सब्सिडी देने की परंपरा बहुत पुरानी है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आम और गरीब लोगों को किफायती मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह नीति इस मायने में सफल रही है कि दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले गरीब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। देश में शुरू किए गए कुशल पीडीएस ने लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया है। पीडीएस को भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में और देश के विभिन्न भागों में रहने वाली बड़ी संख्या में आबादी को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण के लिए शुरू किया था। पिछले कुछ वर्षों में पीडीएस भारत सरकार की खाद्य नीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि पीडीएस केवल प्रकृति में पूरक है और इसका उद्देश्य किसी परिवार या समाज के एक हिस्से को इस कार्यक्रम के तहत वितरित खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी नोडल एजेंसी, जो 1965 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनी थी, के जरिए राज्य सरकारों को अनाज खरीदने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने

की जिम्मेदारी दी है। केंद्र सरकार की ऑपरेशनल जिम्मेदारी में राज्य सरकारों को हर महीने अनाज का कोटा देना और उसे राज्यों के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को देना शामिल है। दूसरी तरफ, भारतीय खाद्य निगम के सरकारी गोदामों से अनाज उठाना, उसे सही दाम की दुकानों (FPS) तक पहुँचाना और FPS के जरिए अनाज पहुँचाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे और बहुत गरीब परिवारों की पहचान करना, अलग–अलग कैटेगरी के लाभार्थी को राशन कार्ड देना और सही दाम की दुकानों के काम की देखरेख और मॉनिटरिंग भी राज्य सरकारें कर रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, इसे अब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नाम दिया गया है। यह प्रणाली मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, खाने का तेल, चीनी और मिट्टी का तेल रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है। यह काम 'उचित मूल्य की दुकानों' के नाम से जाने वाले खुदरा दुकानों के एक नेटवर्क के जरिए किया जाता है। पिछले तीन दशकों के अधिकतर समय में, यह कुल सरकारी खर्च का 2 प्रतिशत से अधिक रहा है। यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए तय कुल खर्च का लगभग 50 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 0.8 प्रतिशत है।

1.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताः भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुख्य रूप से उन वस्तुओं के न्यायसंगत वितरण के लिए डिजाइन किया गया है जो जीवन–यापन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कई बार, मुक्त बाजार तंत्र समाज के गरीब वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। चूंकि गरीब लोगों के लिए खाद्यान्नों की मांग अत्यधिक अनम्य (inelastic) होती है, इसलिए जब खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो उन्हें अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाद्यान्नों पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए, समाज के सभी वर्गों के जीवन–यापन के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए, सरकार को बाजार तंत्र में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार को एक दोहरी प्रणाली बनाए रखनी चाहिए अर्थात मुक्त बाजार तंत्र के समानांतर एक अलग बाजार चलाना, या फिर खाद्यान्नों की अतिरिक्त मांग को पूरा करके मुक्त बाजार को पूरक सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए दोहरी बाजार प्रणाली को अपनाया है। भारत सरकार की इस वितरण नीति का उद्देश्य कीमतों को नियंत्रित करना है, ताकि उपभोक्ताओं विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके और उनके कल्याण में सुधार लाया जा सके।

1.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहासः सार्वजनिक वितरण की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध और बड़े अकाल के समय से मानी जा सकती है, जब इस व्यवस्था को कई देशों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा की जरूरत से पैदा हुआ था। भारत में भी, सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था, जिसे आम तौर पर मूल्य नियंत्रण और राशनिंग के नाम से जाना जाता है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही लागू हुई थी। युद्ध के दौरान, भोजन की कमी के कारण अनाज की कीमतों में तेजी से बृद्वि हुई। इन घटनाओं ने सरकार को मजबूर किया कि वह कमी की स्थितियों को रोकने और उपलब्ध आपूर्ति का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों का सहारा ले। इस प्रकार, युद्ध और अकाल जैसे संकट के समय में राशनिंग की व्यवस्था, अनाज के स्थिरीकरण और प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का ऐतिहासिक आधार बनी। नीतियाँ समय के साथ बदलती रही दिसंबर 1947 में नियंत्रण हटाए गए (डी–कंट्रोल), सितंबर 1948 में नियंत्रण फिर से लागू किए गए, 1952–1954 के दौरान फिर से नियंत्रण हटाए गए, और 1957 में फिर से नियंत्रण लागू किए गए (योजना आयोग, 2005)। भारत मे नियोजन युग की शुरुआत के साथ, इस व्यवस्था को उपलब्ध आपूर्ति का उचित कीमतों पर अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। हालाँकि, देश में खाद्य स्थिति अनुकूल होने के कारण, पचास के दशक के अंत और साठ के दशक की शुरुआत में इस नीति में कुछ हद तक ढील दी गई थी। परंतु, साठ के दशक के मध्य में लगातार दो वर्षों तक पड़े सूखे के बाद, इन नियंत्रणों को फिर से अधिक सख्ती के साथ लागू किया गया।

हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की, जिससे खाद्यान्न प्रबंधन में एक नया आयाम जुड़ गया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में एक सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के रूप में की गई थी, जो खरीद और सार्वजनिक वितरण कार्यों के माध्यम से सरकार की मूल्य नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीद का उचित मूल्य प्रदान करना था ताकि उन्हें बाजार के उतार–चढ़ावों से बचाया जा सके, साथ ही बफर स्टॉक का संचालन करना, बाजार मूल्यों को नियंत्रित करना और आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण सुनिश्चित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम का मुख्य कार्य एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करना था, जो व्यावसायिक तर्ज पर चलते हुए खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, आवाजाही, परिवहन, वितरण और बिक्री का कार्य करता था (योजना आयोग, 2005)। 1960 के दशक तक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक तदर्थ कार्यक्रम ही बनी रही, जिसके लिए निरंतर आधार पर कोई स्पष्ट भूमिका निर्धारित नहीं थी। हालाँकि, इस प्रणाली ने खाद्यान्न की कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शहरी उपभोक्ताओं तक भोजन की पहुँच सुनिश्चित की।

1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक नया चरण सामने आया। योजना दस्तावेज में यह परिकल्पना की गई थी कि ''देश में ग्रामीण लोगों की मदद करने के लिए, और कुछ

हद तक खुले बाजार की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव बनाने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित आधार पर आवश्यकता है। बफर स्टॉक बनाने की जरूरत थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों को अधिकतर आंतरिक खरीद के जरिए ही पूरा किया जाना चाहिए।'' जहाँ चौथी योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक नियमित तंत्र के रूप में देखा गया था, वहीं छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985) में यह परिकल्पना की गई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ''इस तरह से विकसित किया जाना होगा कि यह अब से कीमतों को नियंत्रित करने, उतार–चढ़ाव को कम करने और जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का एक स्थिर और स्थायी हिस्सा बना रहे।'' चूँकि हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए 1970 और 1980 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार आदिवासी ब्लॉकों और उन क्षेत्रों तक किया गया जहाँ गरीबी की दर बहुत अधिक थी। इस प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल युद्ध के समय से ही भारत में मौजूद रही है, बल्कि समय–समय पर इसे और भी अधिक सख्ती से लागू भी किया गया है; और इस प्रणाली का मुख्य औचित्य इसके वितरण की दक्षता और आर्थिक समानता के दृष्टिकोण से रहा है।

1992 तक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य हकदारी योजना थी, जिसका कोई खास लक्ष्य नहीं था। जून 1992 में, पूरे देश के 1775 ब्लॉकों में 'संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' शुरू की गई। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के साथ–साथ उन दूर–दराज, पहाड़ी, दुर्गम और पहुंच से बाहर के इलाकों में इसकी पहुंच बेहतर बनाने के मकसद से शुरू किया गया था, जहां गरीबों का एक बड़ा तबका रहता है। इसमें कुछ खास इलाकों के लिए कार्यक्रम शामिल थे, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और कुछ 'निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र'; इन क्षेत्रों की पहचान राज्य सरकारों से विचार–विमर्श करके की गई थी, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसमें वितरण के लिए अनाज राज्यों को 'केंद्रीय निर्गम मूल्य' से 50 पैसे कम कीमत पर जारी किया जाता था। अनाज जारी करने की सीमा प्रति कार्ड 20 किलोग्राम तक थी। 'संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' में 'क्षेत्र–आधारित दृष्टिकोण' अपनाया गया था, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत राज्य सरकारें पहचाने गए इलाकों में स्थित 'उचित मूल्य की दुकानों' तक सीधे वस्तुओं की डिलीवरी करती थीं। इसके अलावा, इस योजना में छूटे हुए परिवारों के लिए अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करना, अतिरिक्त 'उचित मूल्य की दुकानों और भंडारण क्षमता जैसी बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना, और PDS दुकानों के जरिए वितरण के लिए चाय, नमक, दालें, साबुन आदि जैसी अतिरिक्त वस्तुएं उपलब्ध कराना भी शामिल था।

1.3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली: जून, 1997 में, भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। इसमें राज्यों को यह जरूरी था कि वे गरीबों की पहचान करने के लिए और खाद्यान्न की डिलीवरी तथा पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उसके वितरण के लिए पुख्ता इंतजाम लागू करें। जब यह स्कीम शुरू की गई थी, तो इसका मकसद लगभग 6 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा पहुंचाना था, जिनके लिए हर साल लगभग 72 लाख टन अनाज रखा गया। योजना के तहत गरीबों की पहचान राज्यों द्वारा की गई थी, जो योजना आयोग के 1993–94 के राज्य–वार गरीबी अनुमानों पर आधारित थी। ये अनुमान स्वर्गीय प्रो0 लकड़ावाला की अध्यक्षता वाले ''गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान पर विशेषज्ञ समूह'' की कार्यप्रणाली पर आधारित थे। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न का आवंटन पिछले औसत उपभोग के आधार पर किया गया था, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू होने के समय पिछले दस वर्षों के दौरान PDS के तहत खाद्यान्न की औसत वार्षिक खपत के आधार पर। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की जरूरत से अधिक खाद्यान्न की मात्रा राज्यों को 'संक्रमण कालीन आवंटन' के रूप में दी गई थी, जिसके लिए सालाना 103 लाख टन खाद्यान्न की मात्रा तय की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवंटन के अलावा, राज्यों को अतिरिक्त आवंटन भी दिया गया था। संक्रमणकालीन आवंटन का मकसद गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को रियायती खाद्यान्न का लाभ जारी रखना था, क्योंकि PDS के तहत उन्हें मिल रहे मौजूदा लाभों को अचानक वापस लेना उचित नहीं माना गया था। संक्रमणकालीन आवंटन उन कीमतों पर जारी किया गया था जो रियायती थीं, लेकिन गरीबी रेखा से निचे कोटे के खाद्यान्न की कीमतों से अधिक थीं।

गरीबी रेखा के निचे परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाने पर बनी आम सहमति को ध्यान में रखते हुए, और खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने 1–4–2000 से गरीबी रेखा के निचे परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया (आर्थिक लागत का 50 प्रतिशत पर), और गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए आवंटन आर्थिक लागत पर तय किया। गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए आवंटन उसी स्तर पर रखा गया था, जिस स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करते समय थाय लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य उसी तारीख से आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर तय कर दिए गए थे, ताकि उपभोक्ता को मिलने वाली पूरी सब्सिडी गरीबी रेखा से नीचे आबादी के फायदे के लिए इस्तेमाल की जा सके। हालाँकि, जुलाई और दिसंबर 2000 में क्रमशः गरीबी रेखा

से निचे और अंत्योदय अन्न योजना के लिए, और जुलाई 2002 में गरीबी रेखा से ऊपर के लिए तय किए गए सेंट्रल इश्यू प्राइस में उसके बाद से कोई बृद्धि नहीं की गई, भले ही खरीद लागत में काफी बृद्धि हुई हो।

गरीबी रेखा के निचे परिवारों की संख्या 1.12.2000 से बढ़ा दी गई। इसके लिए आधार को 1995 के पिछले जनसंख्या अनुमानों के बजाय, 1.3.2000 तक के रजिस्ट्रार जनरल के जनसंख्या अनुमानों पर शिफ्ट कर दिया गया। इस बृद्धि के साथ, गरीबी रेखा के निचे परिवारों की कुल संख्या 652.03 लाख हो गई, जबकि जून 1997 में जब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया गया था, तब मूल रूप से 596.23 लाख परिवारों का अनुमान लगाया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, अंतिम खुदरा मूल्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किया जाता था। इसमें थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन, परिवहन शुल्क, लेवी, स्थानीय कर आदि को ध्यान में रखा जाता था। पहले राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे गरीबी रेखा के निचे परिवारों के लिए खाद्यान्न, सेंट्रल इश्यू प्राइस से 50 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक के अंतर पर जारी न करें। हालाँकि, 2001 से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खुदरा निर्गम मूल्य तय करने के मामले में छूट दी गई। इसके लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए CIP से 50 पैसे प्रति किलोग्राम अधिक रखने की पाबंदी हटा दी गई।

1.4. अंत्योदय अन्न योजनाः अंत्योदय अन्न योजना एक ऐसा कदम था जिसका मकसद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबी रेखा से निचे आबादी के सबसे गरीब तबके में भूख को कम करना था। एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि देश की कुल आबादी का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा बिना दो वक्त के खाने के सोता है। आबादी के इस हिस्से को ''भूखा'' कहा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी की इस श्रेणी पर अधिक केंद्रित और लक्षित बनाने के लिए, दिसंबर 2000 में एक करोड़ 'सबसे गरीब' परिवारों के लिए ''अंत्योदय अन्न योजना'' शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना में राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले गरीबी रेखा से निचे परिवारों में से एक करोड़ 'सबसे गरीब' परिवारों की पहचान करना और उन्हें गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना शामिल था। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरण लागत, जिसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन, साथ ही परिवहन लागत भी शामिल थी, खुद वहन करनी थी। इस प्रकार, इस योजना के तहत पूरी खाद्य सब्सिडी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई गई। अनाज वितरण की मात्रा, जो शुरू में 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह थी, 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दी गई। तब से अन्तोदय अन्य योजना योजना का विस्तार किया गया है, और अब इसके तहत 2.50 करोड़ 'सबसे गरीब' परिवारों को शामिल किया गया है।

1.5. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित हैः

1. खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का अध्ययन करना।
2. खाद्यानों की खरीद और कुल उत्पादन का अध्ययन करना।
3. खाद्यानों का वितरण और और कुल उठाव का अध्ययन करना।

2. साहित्य की समीक्षा : साहित्य समीक्षा अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ–साथ प्रतिक्रिया पर आधारित है। कुमार एट अल. (2016) ने बिहार में पीडीएस पर अध्ययन किया है, जहां यह प्रदर्शित किया गया है कि एफपीएस नेटवर्क के माध्यम से खाद्य पदार्थों की बेहतर भौतिक पहुंच के कारण पीडीएस का खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। (कुमार एट अल. 2015) ने गरीबी और कुपोषण की दोहरी समस्या से निपटने में पीडीएस की सफलता का दस्तावेजीकरण किया। हालांकि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सेवन पर पीडीएस का सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है (कुमार एट अल., 2012, 2017)। हालांकि, लाभार्थी के परिवारों को पूरी खाद्य सुरक्षा नहीं दी गई है क्योंकि वे नॉन सार्वजनिक वितरण प्रणाली सोर्स पर अधिक निर्भर थे (तकरी और चौबे, 2022)। इसी तरह ओडिशा में, 2004 और 2010 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में काफी सुधार देखा गया है (खेरा 2011)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम का भारत में कुपोषण पर एक बड़ा असर पड़ रहा है, जिसमें घर के प्रति व्यक्ति कैलोरी और प्रोटीन की खपत होती है, जहाँ देश के अलग–अलग इलाकों में एफिशिएंसी का अलग–अलग असर होता है (झा एट अल., 2010)। उन्हीं लेखकों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक और कम्पेरेटिव स्टडी (झा एट अल., 2013) में फूड सब्सिडी, इनकम ट्रांसफर और कम हिस्सेदारी जैसे फैक्टर्स के आधार पर, प्रोग्राम को टारगेट नहीं किया गया था और गरीबों को सब्सिडी का फायदा मिला।

राधाकृष्ण एट अल. (1997) ने अपने अध्ययन मे कि इनकम ट्रांसफर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वेलफेयर से होने वाले फायदे बहुत कम थे और गरीबी और न्यूट्रिशन पर इसका असर भी कम था। PDS का बेअसर होना ब्लैक मार्केट में हो रहे करप्शन की वजह से है (झा और रामास्वामी, 2010)। अहलूवालिया (1993) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुद्दों की जांच की, जिससे पता चला कि PDS को मिलने वाले लगभग एक–तिहाई अनाज और चीनी और आधे से अधिक खाने का तेल इस प्रोग्राम से बाहर हो रहे हैं। परप्पुराथु एट अल. (2015) ने दिखाया कि जिन घरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा है, उनका डाइट डायवर्सिटी स्कोर अधिक है। FPS अनाज का सबसे आसानी से मिलने वाला सोर्स है, खासकर ग्रामीण लाभार्थियों के लिए (बालासुब्रमण्यम, 2016)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का

असर और इनकम ट्रांसफर की इलास्टिसिटी, नॉन–फूड आइटम में ट्रांसफर किए गए पैसे के अमाउंट से मैच नहीं करती है (ड्रेज 2010, खेरा 2011)। आबादी पर खाद्य सुरक्षा का पॉजिटिव असर होता है, जहाँ ग्रामीण विकास पर सरकारी खर्च एक मैक्रो वेरिएबल के तौर पर बना रहता है (अप्लानैदुआ एट अल. 2014)।

3. शोध पद्धति : यह अध्ययन गरीबी खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका पर आधारित है। अध्ययन में केवल द्वितीयक डेटा का प्रयोग किया गया है। यह केवल मात्रात्मक डेटा पर आधारित एक अनुभवजन्य अध्ययन है। शोध पत्र में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों का उपयोग किया है। घरेलू डेटा पीडीएस आइटमों की खपत की मात्रा, पीडीएस खाद्य पदार्थों की मासिक प्रति व्यक्ति खपत और वर्ष 2011–2012 को कवर करने वाले 68वें दौर के तहत एनएसएसओ सर्वेक्षण डेटा से पोषण सेवन और इसकी माप पर आधारित है।

4. विश्लेषण एवं निर्वचन : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण सरकारी तंत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य भुखमरी को मिटाना और समाज के कमजोर वर्गों को पोषण सुरक्षा देना है। इस संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीबी और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण निम्नवत है:

4.1. भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता: भारत में 'खाद्य सुरक्षा' को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। वस्तुतः, इस अधिकार को भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 21' (जीवन के अधिकार) के अंतर्गत ही समाहित किया गया है, जिसकी गारंटी स्वयं भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई है। यह बड़े अफसोस की बात है कि भले ही संविधान द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित किया गया है, फिर भी 2012 में भारत में बच्चों की मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक थी, उस साल 14 लाख बच्चों की मौत उनके पाँचवें जन्मदिन से पहले ही हो गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)–3 के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि जिन बच्चों की माँओं का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कम था, उनमें नवजात मृत्यु दर उन बच्चों की तुलना में थोड़ी अधिक थी जिनकी माँओं का BMI सामान्य था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गंभीर एनीमिया की वजह से नवजात मृत्यु दर में 26 प्रतिशत और नवजात के बाद की मृत्यु दर में 16 प्रतिशत की बृद्धि हुई। इसलिए, सरकारों को लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

भारत मूल रूप से एक कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था है। शहरीकरण की धीमी गति के कारण, अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यही कारण है कि यह कहा जाता है कि भारत अपने गाँवों में बसता है। यह एक अटल सत्य है कि बढ़ती हुई आबादी को अपने अस्तित्व के लिए कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और इसी कारण गरीबी उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका–1 भारत में गरीबी की स्थिति को दर्शाया गया हैं।

तलिका–1: भारत में गरीबी का विवरण (लाख में)

वर्ष	ग्रामीण गरीबी	ग्रामीण प्रतिशत	शहरी गरीबी	शहरी प्रतिशत	कुल	कुल प्रतिशत
1973-74	261.3	56.4	60.3	49.2	321.6	54.9
1977-78	264.3	53.1	67.7	47.4	332.0	51.8
1987-88	229.4	39.1	83.3	40.1	312.7	39.3
2004-05	326.3	41.8	80.8	25.7	407.1	37.2
2011-12	216.5	25.7	52.8	13.7	269.3	21.9

स्रोतः नीति आयोग

तलिका–1 यह दर्शाती है कि ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी का स्तर नीचे की ओर (कम) हुआ है। वर्ष 2004–05 के बाद से, दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर 41.8 प्रतिशत से घटकर 25.7 प्रतिशत रह गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 25.7 प्रतिशत से घटकर 13.7 प्रतिशत पर आ गया। भारत में गरीबी में आई इस कमी के तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, तथापि, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता तालिका–1 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यद्यपि वर्ष 2004–05 के बाद से गरीब लोगों की संख्या में भारी कमी आई है, फिर भी दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

खाद्य असुरक्षा और गरीबी के बीच गहरा संबंध है, वास्तव में, ये दोनों एक–दूसरे से अविभाज्य हैं। गरीबी को 'ऊर्जा कैलोरी' के संदर्भ में मापा जा सकता है, जो कि गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में भोजन के सेवन से प्राप्त होती है। अतः गरीबी वस्तुतः खाद्य असुरक्षा का ही एक प्रतिबिंब है। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि, ''एशिया आज भी विश्व की कुल आबादी के दो–तिहाई हिस्से का आश्रय स्थल है, और पूरे विश्व में, खाद्य असुरक्षा का सबसे प्रमुख कारण 'गरीबी' ही है।''

स्थिर मूल्यों (वर्ष 2004–05 के आधार पर) और वर्तमान मूल्यों पर 'मासिक प्रति व्यक्ति व्यय' में, प्रत्येक चरण (Round) में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह तथ्य तालिका–2 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तालिका–2 मुद्रास्फीति

(महंगाई) की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत में प्रति व्यक्ति आय, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी विकासशील देश श्रीलंका की तुलना में भी, अपेक्षाकृत काफी कम है। परिणामस्वरूप, विभिन्न कारणों के चलते, भारत की अधिकांश आबादी को अत्यंत कम आय प्राप्त होती है। ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में समय के साथ लगातार बृद्धि देखी गई है। दोनों में ही वृद्धि हुई है (मौजूदा कीमतों पर) वास्तविक रूप में (मुद्रास्फीति–समायोजित, 2011–12 की कीमतों पर) यह उपभोग के स्तर और जीवन स्तर में सुधार का संकेत देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौद्रिक कीमतों पर एमपीसीई जहॉ 1999 में 486 रू. था, वह बढ़कर 2022–23 रू. 3773 हो गया जो कुल वृद्धि का लगभग 770 प्रतिशत है। वही पर शहरी क्षेत्रों में जहॉ यह 1999 में रू. 855 थी 2022–23 मे बढ़कर रू. 6,459 हो गया बृद्धि लगभग 750 प्रतिशत है। महंगाई बढनें के करण आय वृद्वि में भी तेजी से उछाल आया। शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की तुलना में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय अधिक तेजी बढा है। 2011–12 की कीमतो पर वास्तविक एमपीसीई 2004–05 में ग्रामीण रू. 978 से बढ़कर 2022–23 रू. 2008 हो गया, अर्थात पिछले 23 वर्षो में यह वृद्वि लगभग 2 गुना हो गया। इसी प्रकार शहरी वास्तविक कीमतों पर 1999 मे जहॉ मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय रू.1823 से बढ़कर 2022–23 रू. 3510 हो गया अर्थात पिछले 23 वर्षो में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बढ़कर लगभग 1.9 गुना हो गया। इससे कहा जा सकता है कि वास्तविक कीमतों पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में वृद्वि मौद्रिक कीमतों की तुलना में काफी कम है। इससे पता चलता है कि बाजार कीमतों पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय मे वृद्वि का एक बड़ा हिस्सा महंगाई के कारण है।

तालिका–2: 1999–00 से अखिल भारतीय मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में रुझान

क्षेत्र	औसत एमपीसीई (रु.)				
	1999–00 NSS (55वाँ दौर)	2004–05 NSS (61वाँ दौर	2009–10 NSS (66वाँ दौर)	2011–12 NSS (68वाँ दौर)	2022–23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मौद्रिक मूल्यों पर				
ग्रामीण	486	579	1054	1430	3773
शहरी	855	1105	1984	2630	6459
	वास्तविक मूल्य पर (2011–12 के मूल्यों पर)				
ग्रामीण	978	1054	1239	1430	2008
शहरी	1823	1946	2358	2630	3510

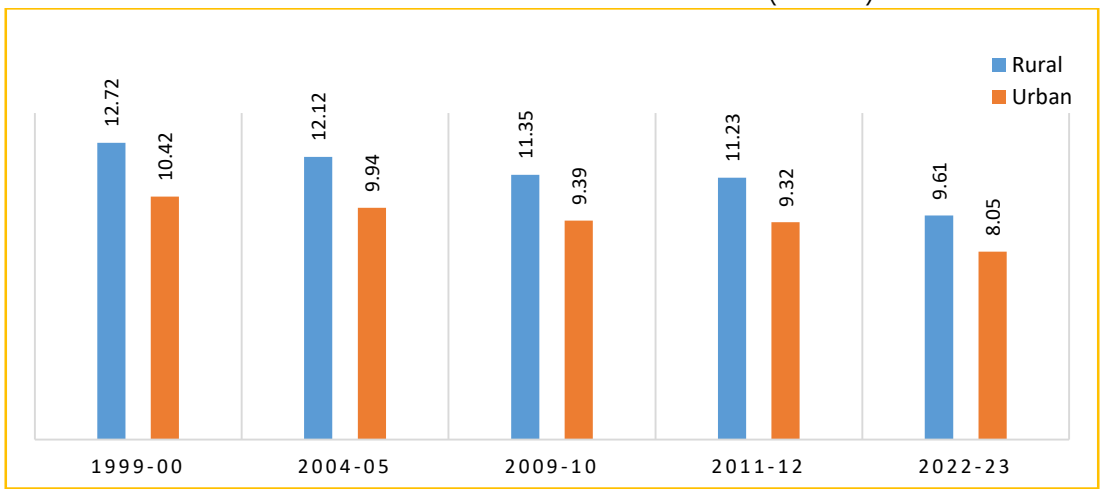
Note: *(i) For the years 1999-'00 & 2004-05, estimates are based on Mixed Reference Period (MRP) and for the years 2009-10, 2011-12 and 2022-23, these are based on Modified MRP (MMRP).*

ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्रों मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अंतर सभी वर्षो में बना रहा। 1999–00 में जहॉ शहरी क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (रू. 855) थी, वही ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (रू. 486) था। इसी प्रकार शहरी क्षत्रों का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2022–23 (रू. 6,459) तथा ग्रामीण क्षत्रों में (रू. 3,773) था। अर्थात शहरी एमपीसीई ग्रामीण एमपीसीई की तुलना में लगभग 1.7 गुना अधिक है। शहरी और ग्रामीण क्षत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में यह अंतर आय–व्यय में असमानता को दिखाता है। शहरी और ग्रामीण क्षत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में यह अंतर 2011–12 के बाद (2011–12 से 2022–23) तेजी से वढ़ी है। एमपीसीई में लगातार ऊपर की ओर रुझान दिख रहा है कि इस बृद्धि में महंगाई की बड़ी भूमिका है। इस बृद्धि से यह पता चलता है कि जीवन स्तर में सुधार हुआ। यद्यपि शहरी और ग्रामीण क्षत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में यह बृद्धि आर्थिक विकास को दिखाती है। भारत में समय के साथ उपभोग व्यय में काफी बृद्धि हुई है फिर भी ग्रामीण तथा शहरी क्षत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में असमानता बनी हुई है। जैसा कि उपर सारणी से स्पष्ट है।

4.2. भारत में प्रति व्यक्ति मासिक अनाज उपभोग व्ययः भारत में 1999–00 से 2022–23 के बीच प्रति व्यक्ति मासिक अनाज उपभोग में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। NSSO/HCES के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में यह खपत 12.72 किलोग्राम (1999–00) से घटकर 9.61 किलोग्राम (2022–23) हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 10.42 किलोग्राम से घटकर 8.05 किलोग्राम रह गई। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज उपभोग शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक बना हुआ है, परंतु दोनों के बीच का अंतर धीरे–धीरे कम हो रहा है। इस प्रवृत्ति के पीछे कई संरचनात्मक एवं व्यवहारिक कारण हैं। प्रथम, आय में वृद्धि के साथ आहार विविधीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लोग अनाज के स्थान पर दूध, फल, सब्जियाँ, दालें और प्रोटीन–समृद्ध खाद्य पदार्थों का अधिक उपभोग करने लगे हैं। द्वितीय, आधुनिक समय में फास्ट फूड का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसने पारंपरिक खाद्य पदार्थों की मांग को प्रभावित किया है, अर्थात शहरीकरण और व्यस्त जीवनशैली के कारण लोग जल्दी बनने वाले भोजन को प्राथमिकता देते हैं। फास्ट फूड स्वाद, सुविधा और आकर्षक प्रस्तुति के कारण विशेषकर युवाओं में लोकप्रिय हो गया है। इसके विपरीत,

पारंपरिक भोजन समय और श्रम की मांग करता है, जिससे उसकी मांग में कमी आई है। जिससे पारंपरिक अनाज–आधारित भोजन की हिस्सेदारी कम हुई है। तृतीय, पोषण संबंधी जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता ने संतुलित एवं विविध आहार की ओर झुकाव बढ़ाया है।

चित्र–1: प्रति व्यक्ति मासिक अनाज की खपत (किग्रा में)

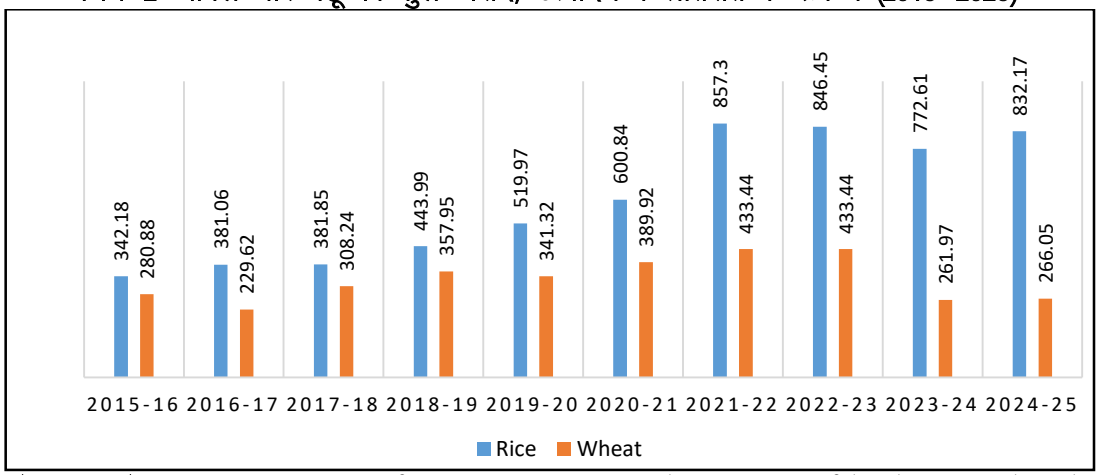


NSS Report no. 591: Survey on Household Consumption Expenditure: 2022-23

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत सस्ते अथवा निःशुल्क अनाज की उपलब्धता ने बाजार से खरीदे जाने वाले अनाज की मात्रा को कम किया है, जिससे उपभोग के आंकड़ों में गिरावट परिलक्षित होती है। विशेष रूप से 2011–12 के बाद इस गिरावट की गति तेज हुई है, जो भारत में तेजी से बदलते उपभोग पैटर्न का संकेत है। हालांकि, इस गिरावट को पूर्णतः नकारात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह आर्थिक प्रगति एवं आहार विविधता का द्योतक है। फिर भी, गरीब एवं कमजोर वर्गों में पर्याप्त पोषण की चुनौती बनी हुई है, जहाँ अनाज अभी भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। अतः अनाज उपभोग में गिरावट भारत में एक संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जो विकास, आय वृद्धि और बदलती जीवनशैली का परिणाम है। नीति–निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संतुलित आहार को बढ़ावा दें, ताकि समावेशी विकास संभव हो सके।

4.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का प्रबंधन : पहचाने गए लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियाँ आपस में बाँटती हैं। केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न खरीदती है और उसे राज्यों को केंद्रीय निर्गम मूल्य पर बेचती है। प्रत्येक राज्य में स्थित गोदामों तक खाद्यान्न पहुँचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य सरकारें इन गोदामों से प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) तक खाद्यान्न पहुँचाने की जिम्मेदारी निभाती हैं, जहाँ लाभार्थी कम केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदते हैं। कई राज्य लाभार्थियों को खाद्यान्न बेचने से पहले उसकी कीमत पर और अधिक सब्सिडी भी देते हैं।

चित्र–2: चावल और गेहूँ की कुल खरीद, उत्पादन के प्रतिशत के रूप में (2015–2025)



किसानों से खाद्यान्नों की खरीद: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले खाद्यान्न किसानों से एमएसपी पर खरीदे जाते हैं। एमएसपी वह कीमत है जिस पर भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानों से फसल खरीदता है। आमतौर पर एमएसपी बाजार मूल्य से अधिक होता है। इसका उद्देश्य किसानों को मूल्य समर्थन

देना और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में खरीद दो तरीकों से की जाती हैः (i) केंद्रीकृत खरीद, और (ii) विकेंद्रीकृत खरीद। केंद्रीकृत खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानों से फसल खरीदता है। विकेंद्रीकृत खरीद एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भारतीय खाद्य निगम की ओर से केंद्रीय पूल के लिए एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदते हैं। यह योजना खाद्यान्नों की स्थानीय खरीद को बढ़ावा देने और अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों तक लंबी दूरी तक खाद्यान्न पहुँचाने में होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये राज्य खाद्यान्न को सीधे अपने यहाँ भंडारित करते हैं और राज्य के लाभार्थियों को वितरित करते हैं। राज्य की आवश्यकता से अधिक जो भी अधिशेष स्टॉक बचता है, उसे भारतीय खाद्य निगम को सौंपना अनिवार्य होता है। केंद्र द्वारा किए गए आवंटन के मुकाबले खरीद में कमी होने पर, भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल से इस कमी को पूरा करता है।

लाभार्थियों को अनाज का वितरणः खाद्यान बांटने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच शेयर की जाती है। केंद्र, खास तौर पर भारतीय खाद्य निगम अनाज खरीदने वाले राज्यों से लेकर इस्तेमाल करने वाले राज्यों तक, और राज्य के गोदामों तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब भारतीय खाद्य निगम अनाज को राज्य के डिपो तक पहुंचा देता है, तो आखिरी कंज्यूमर तक अनाज बांटना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अनाज मिलने पर, राज्य महीने के पहले हफ्ते में हर जिले और फिर हर उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) को अनाज बांटते हैं। राज्य सरकारें राज्य के गोदामों से राज्य के हर एफपीएस के दरवाजे तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। पूरे देश में, लगभग 5.13 लाख एफपीएस के नेटवर्क में अनाज बांटा जाता है। 12 बेनिफिशियरी इन राशन की दुकानों से सब्सिडी वाली कीमतों पर अपने महीने के अनाज का हक खरीदते हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न का आवंटन करती है, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम, किशोरियों के लिए योजना, अन्नपूर्णा योजना, और कल्याण संस्थानों व छात्रावासों की योजना के तहत खाद्यान्न का आवंटन। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न का कुल आवंटन आम तौर पर केंद्रीय पूल से उनके खाद्यान्न के औसत वार्षिक उठाव के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा, भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत भी खाद्यान्न जारी करती है। जैसा कि नीचे दी गयी सारणी मे वर्ष 2017–18 से 2025–26 की अवधि के दौरान खरीद, आवंटन और उठाव की स्थिति को दर्शाया गया है।

तलिका–3: वर्ष 2017–2025 के दौरान देश में वर्ष वार चावल और गेहूँ का आबंटन और उठाव

वर्ष	आवंटन (मिलियन टन)			उठाव (मिलियन टन)		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल
2017-18	350.76	254.70	605.46	346.66	252.99	346.66
2018-19	352.32	253.47	605.79	342.31	316.46	342.31
2019-20	347.95	251.76	599.71	351.35	271.89	351.35
2020-21	576.58	323.49	943.53	648.58	290.68	759.26
2021-22	583.06	463.38	1052.75	402.50	369.91	772.09
2022-23	691.61	372.95	970.13	531.91	220.77	552.68
2023-24	412.28	183.98	609.58	405.14	273.82	678.96
2024-25	403.05	201.82	611.45	311.21	140.75	451.94
2025-26	397.13	201.10	607.40	378.80	132.53	511.33

***स्रोतः** भारतीय खाद्य निगम की मासिक प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट–2023*

भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर, राज्य सरकारें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को वितरण के लिए केंद्रीय पूल से खाद्यान्न का उठाव करती हैं। खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकारों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए पूरे देश में लगभग 5.38 लाख उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क मौजूद है। जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, 2017–18 से 2025–26 के दौरान, विभिन्न एजेंसियों द्वारा सेंट्रल पूल के लिए औसतन 873.59 मिलियन टन खाद्यान्न की खरीद की गई और भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए आदि के लिए औसतन 751.65 मिलियन टन का आवंटन किया गया। हालाँकि, 2021–22 में यह आवंटन तेजी से बढ़कर 1026.08 मिलियन टन हो गया, जिसका मुख्य कारण कोविड–19 सहायता थी, यह इसी अवधि के दौरान हुई औसत खरीद से अधिक था। इसी प्रकार 2022–23 में कुल आवंटन सबसे अधिक (970.13 मिलियन टन) था, जो बाद के वर्षों में घटकर लगभग 607 मिलियन टन के आसपास स्थिर हो गया। यह सरकारी नीति में बदलाव या आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है। उठाव में उतार–चढ़ाव 2023–24 में कुल उठाव (678.96) अधिकतम रहा, जो बेहतर वितरण या अधिक मांग का संकेत है। इसके बाद 2024–25 में गिरावट (451.94) और 2025–26 में

आंशिक सुधार (511.33) हुआ। चावल का आवंटन और उठाव दोनों ही गेहूं से अधिक है, जो भारत में चावल की अधिक खपत को दर्शाता है। हालांकि, 2023–24 में गेहूं का उठाव अपेक्षाकृत अधिक बढ़ा। कुछ वर्षों में उठाव आवंटन के अनुपात में कम है, जो वितरण प्रणाली में कमी, भंडारण समस्या या मांग में बदलाव को दर्शाता है। कुल मिलाकर, खाद्यान्न आवंटन में कमी के बावजूद उठाव में अस्थिरता देखी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल आवंटन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावी वितरण और वास्तविक मांग के अनुरूप नीति बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति से महत्वपूर्ण कोई और दूसरी चीज नहीं, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और कीमत हमारे यहां सीधे तौर पर गरीबों के सवाल से जुड़े है। यहां का गरीब अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों पर व्यय करता है इसकी उपलब्धता में आई कमी जल्दी ही काफी सारे परिवारों की हालत खराब कर देती है। देश में महगाई की दर को मुख्यतः खाद्य पदार्थ ही तय करते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों की कीमतों से देश की आर्थिक स्थित का नक्शा बनती और बिगड़ती है। इन सभी कारणें से 60 के दशक के मध्य से लेकर आज तक अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता और खाद्य पदार्थों के बाजार में सक्रिय दखलंदाजी हर सरकार की कृषि और आर्थिक नीति का प्रमुख हिस्सा बनी रही है। यद्यपि भारत अपनी प्रभावी खाद वितरण प्रणाली की मदद से कोविड–19 जैसे महामारी को टालने में सफल रहा इसी व्यवस्था के चलते अन्न की कमी के बावजूद समाज के सभी वर्गों के लोगों तक अनाज पहुंच राजनीतिकरण प्रणाली में नियंत्रित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानों और खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद शामिल है और इसी व्यवस्था ने नए लोगों तक अनाज आसानी से उपलब्ध कराया है। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मोटे तौर पर लक्ष्यहीन है, क्योंकि किसी भी इलाके के हर आदमी की पहुॅच उस तक है। इसमें लोगों की आमदनी को पैमाना नहीं बनाया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्पष्ट लक्ष्य वाला बनाना और गैर गरीबों को इसके दायरे से अलग करना बहुत जरूरी है। इससे इस प्रणाली पर से वित्तीय भार घटेगा और गरीब लोगों तक इसकी पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पर यह बात सिद्धांतों में जितनी सही लगती है व्यवहार रूप में उतना आसान नहीं है। खद्यानों की कीमत में तेज वृद्धि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम अनाज बिकना ना तो गरीबों के हक में है और ना ही देश की खाद्य सुरक्षा के हक मे। स्पष्टतः इस मामले में सरकार के सामने एक दुविधा है। अनाज का खरीद मूल्य बढ़ाना किसानों के हक में है। लेकिन अधिक अनाज खरीद कर उसकी ढुलाई और रखरखाव पर भारी खर्च करके सरकार सब्सिडी का बोझ बढ़ा रही है जिससे ना गरीबों को लाभ हो रहा है और न ही महगाई के दबाव मे कमी आ रही है। हाल में जो कुछ चल रहा है यह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता और जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करने वाले किसानों तथा खरीदकर अनाज खाने वाले गरीबों के हितों के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा।

स्रोत एवं संदर्भः

1. सेन, अमर्त्य और द्रेज़,ज्यां (2019). भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकासन प्रा.लि. नई दिल्ली, पेज 205–207।
2. जालान विमल (2003). भारत की अर्थनीति, 21वीं सदी ओर, राजकमल प्रकाशन प्रा0लि0 नई दिल्ली 2003।
3. रंगरातन,सी.(2010). भारत की अर्थनीति, नए आयाम राजपाल प्रकाशन एण्ड संन्स, ISBN:9788170283782, नई दिल्ली 2010।
4. सेन, अमर्त्य (2011). गरीबी और आकाल, राजपाल प्रकाशन एण्ड संन्स, ISBN: 9788170283034, नई दिल्ली 2011।
5. जलान, विमल (2011). भारत का भविष्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन, पेगुइन बुक्स इडिया प्रा.लि, ISBN:9780143103677, गुड़गांव, हरियाणा, 2007।
6. द्रेज़,ज्यां (2019). झोलावाला अर्थशास्त्र, वाणी प्रकाशन, भारत में सामाजिक विकास की रीति नीति, ISBN: 978-93-89563-58, नई दिल्ली, 2020।
7. भारतीय खाद्य निगम की मासिक प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट–2023
8. कुमार, ए. और अन्य (2015). भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणालीः गरीबी और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।
9. कुमार, ए., परप्पुरथु, एस., बंतिलान, एम.सी., और जोशी, पी.के. (2015). भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणालीः गरीबी और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव (रिपोर्ट). नई दिल्लीः इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
10. राधाकृष्ण, आर. और सुब्बाराव, के. (1997). भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणालीः एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, विश्व बैंक चर्चा पत्र 380, विश्व बैंक।
11. ड्रेज, जीन और रितिका खेड़ा (2013). "ग्रामीण गरीबी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली," वर्किंग पेपर संख्या 235, विकास अर्थशास्त्र केंद्र, अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली।
12. ड्रेज, जीन, पी. गुप्ता, आर. खेड़ा और आई. पिमेंटा (2019). जाल फैलानाः खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 54, अंक 6, पृष्ठ 36–47.
13. सौरिंद्र मोहन घोष, इमराना कदीर (2021). खाद्य उपभोग की गुणवत्ता और विविधता पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव। EPW खंड 56, अंक संख्या 5, 30 जनवरी, 2021।
14. भारत में बहु–संकेतक सर्वेक्षण, NSS 78वां दौर (2020–21). भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नई दिल्ली, मार्च 2023- www-mospi.

15. घरेलू उपभोग और व्यय पर सर्वेक्षणः रिपोर्ट संख्या–591 (HCES, 2022–23 भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। नई दिल्ली। www.mospi.
16. आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक प्रभाग, कर्तव्य भवन–1, नई दिल्ली, जनवरी, 2026
17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2025–26।

=====

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, डॉ.मुकेश एवं सिंह, पवन कुमार (2026)। भारत की खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 01–10। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005428

Bundelkhand Journal of Academic Research

रामदरश मिश्र के उपन्यासों में बदलता ग्रामीण जीवन

डॉ. अंकिता तिवारी
सहायक प्राध्यापक (हिंदी), राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** tiankita82@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23005486

सारांश

रामदरश मिश्र की पहचान उत्तर भारतीय ग्रामांचल कथाकार के रूप में रही है। मिश्र हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, कवि और साहित्यकार हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी, संवेदनशील और परिवर्तनशील चित्रण मिलता है। विशेष रूप से गाँव, किसान, मजदूर, निम्न–मध्यवर्ग, स्त्रियाँ, जातिगत संबंध, आर्थिक विषमता, शिक्षा, राजनीति तथा बदलते सामाजिक मूल्यों को उन्होंने अपने कथा–साहित्य का आधार बनाया है। गाँव के साथ उनके औपन्यासिक लेखन में आंचलिकता का प्रभाव भी दिखाई देता है। गँवई जीवन अनुभव उनके कथात्मक लेखन की अनन्य विशेषता रही। उनके उपन्यासों में गाँव का पूरा परिवेश झलकता है। ये उपन्यास आजादी के बाद के भारतीय गाँवों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संक्रमण के ऐसे यथार्थपरक दस्तावेज हैं जिनमें गाँवों की संक्रमणकालीन स्थितियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष समाहित हैं। रामदरश मिश्र उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन की अनेक बनती–बिगड़ती छवियाँ हैं जिनमें भारतीय ग्रामीण जीवन की एक मुकम्मल पहचान उभरती है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 09 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 22 अगस्त, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 16

मुख्य शब्द: संक्रमण, आंचलिकता, दस्तावेज, अंतर्संबंध, यथार्थवाद, आत्मालोचन, द्वंद्व।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : वर्ष 1924 से 2025 तक, एक शतक से एक वर्ष अधिक की अकल्पनीय सी लगती पारी खेलने के बाद रामदरश मिश्र ने भौतिक जगत को अलविदा कहा। अपने पीछे वे साहित्य की अनमोल धरोहर छोड़ गये, जिनमें समय और समाज की अनुगूंजें दर्ज हैं। रामदरश मिश्र हिंदी के उन विरले साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने विधागत सीमाओं को अभिव्यक्ति की बाधा नहीं बनने दिया। एक तरफ वे कवि, गीतकार, गजलकार के रूप में सूक्ष्म मानवीय संवेदनाओं को स्वर देते हैं तो दूसरी तरफ कहानी, उपन्यास के वृहत्तर आयाम में मनुष्य की सामाजिकता और उनके पारस्परिक महीन अंतर्संबंधों, जीवन के जरूरी प्रश्नों, समसामयिक समस्याओं को शब्दों का जामा पहनाते हैं। शोध लेख के माध्यम से उनके उपन्यासों की विषयवस्तु के विश्लेषण के आधार यह समझने की कोशिश की गयी कि ग्रामीण जीवन में जो सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव आए हैं उनकी दिशा क्या है! वो कौन से कारक हैं जो इन बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घर–गृहस्थी और पारिवारिक–नातेदारी संबंधों में किस तरह के बदलाव आए हैं और उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है!

2. विषय का विश्लेषण: रामदरश मिश्र के डेढ़ दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हैं, जिनमें से प्रमुख है––पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, आदिम राग, नदी बहती है आदि।

पहला उपन्यास 1961 में प्रकाशित हुआ। कथा साहित्य में रामदरश मिश्र की पहचान आंचलिक कथाकार के रूप में है। आंचलिकता उनके अनुभव और अन्वेषण की मर्यादा नहीं दिशा है। मिश्र जी की कथावस्तु चाहे जो भी रहे, मन की सूक्ष्म अंतर्वेद्नाओं का चित्रण हो या समय और समाज को आईना दिखाते पात्रों की आवाज, मनुष्यता के न्याय के लिए चलने वाला समष्टिगत संघर्ष हो या व्यक्ति के नितांत निजी संबंधों की अन्तरंग दुनिया, उनके पैर हमेशा अपने अनुभव के जमीन पर रहते हैं, जो निःसंदेह गाँव का वह जीवन है जो उनके मूल में रचा–बसा है। मिश्र जी अपनी अभिव्यक्ति के आवश्यक उपकरण वहीं से जुटाते हैं। 'पानी के प्राचीर', 'सूखता हुआ तालाब', 'जल टूटता हुआ' मुख्य रूप से ग्रामीण यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली रचनाएँ हैं, इनके अतिरिक्त अन्य उपन्यास भले ही प्रत्यक्ष

रूप से गाँव से न जुड़े हों किन्तु उनके मुख्य पात्र अनुभव और सोच के धरातल पर हलके या गहरे रूप में गाँव से जुड़े हुए हैं। उनमें या तो गाँव की धरती से कट जाने की पीड़ा है या फिर गाँव की जड़ता और रूढ़िवादिता से मुक्त होने की छटपटाहट। ये पात्र शहर में रहकर भी वहाँ से जुड़ नहीं पाते। गाँव उनकी स्मृतियों में इस कदर बसा है कि उससे बाहर निकल पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इन स्मृतियों में कटु और मधुर की धूपछाहीं आवाजाही है। गाँव के प्रति रामदरश जी का नजरिया न तो घोर रोमांटिक है न ही अति यथार्थवादी। गाँव से नाभिनाल बद्ध उनकी चेतना वहां के रहन–सहन, संबंध, भला–बुरा सबको खूब पहचानती है।

'अपने लोग' उपन्यास की केंद्रीय संवेदना गाँव की उस टूटी–बिखरी जिन्दगी की पीड़ा से उद्भूत है, जिसके साथ लेखक की गहरी रचनात्मक सम्पृक्ति तो है ही, साथ ही उस जिन्दगी के यथार्थ को पहचानने वाली वह निर्मम तटस्थता भी है जो गहरे आत्मालोचन एवं विचार तथा संवेदन की गहरी संसक्ति से जन्म लेती है। इसके कथानायक 'प्रमोद' की अन्तःचेतना में गाँव के विविध स्तरीय जीवन की छवि अपनी समग्र ताजगी और जीवन्तता के साथ अंकित है, "उसने इस गाँव को इतनी गहराई से और इतने अधिक रूपों में जिया है कि इतने दिन तक शहर में रहने के बाद भी वह गाँव उसके भीतर बड़ी तड़प के साथ जिन्दा है।[1]"

इन गाँवों में निरंतर तेजी से बदलाव हो रहे हैं जो लेखक की दृष्टि से छिपे नहीं है। गाँवों में जो शहर की हवा पहुँच रही है उसके कारण युवा पीढ़ी कुछ अन्य ही रंग में रंगती जा रही है। 'अपने लोग' में प्रमोद अपने बेटे पवन के दिल्ली में बिगड़ने की बात कहते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं– "अरे, अब तो गाँवों में भी ऐसे ही लड़के हो रहे हैं। पता नहीं कैसी हवा बही है कि ससुरे सारे लड़के ही ऐसे निकल रहे हैं– क्या शहर क्या देहात? ससुरे सभी फैशन के दीवाने हो रहे हैं।[2]" गाँव के बदलते व्यवहार से तंग आकर 'विलास' सोचता है– "गाँव में साले चोरों की संख्या दिन–दिन बढ़ती जा रही है। पहले तो दो–एक चोर थे अब तो क्या पूछना? ———हर साल उसके खेत कटते हैं, हर साल लोग बढ़कर उसका खेत जोत–बो और काट लेते हैं। ———जो लोग शहर आते हैं और उसके यहाँ ठहरते हैं, उनका स्वागत–सत्कार ही करता है लेकिन वे ससुरे गाँव जाकर उसी की घारी फूँकते हैं। अब गाँव के लोगों में न कृतज्ञता रह गयी है न दया रह गयी है, न न्याय–अन्याय की भावना रह गयी है। वह गाँव जाता है तो लोगों से हाथ जोड़कर ही बात करता है ताकि कोई भी उससे नाराज न हो लेकिन इन ससुरों को न अब खून चूसने में करुणा होती है, न मक्खी निगलने में घृणा।[3]" इसी उपन्यास में प्रमोद के पिता प्रमोद से कहते हैं– "और गाँव का कुछ न पूछो– लड़ाई–झगड़े, फूँक–ताप, चोरी–चिकारी का बोलबाला है। ———यह तो अब पुरानी बात हो गयी पिता जी। लगता है, ये गाँव नरक बनकर ही दम लेंगे। ———हाँ, बनकर दम क्या लेंगे, नरक हो ही गये हैं। हर आदमी दूसरे से शंकित सा डरा हुआ–सा चल रहा है। लोग अब एक–दूसरे से कटी हुई इकाईयाँ रह गये हैं जो चलते–चलते एक–दूसरे से टकराती जाती हैं और इसी टकराहट से सामाजिकता का बोध जगाती रहती हैं।[4]"

मिश्र जी के उपन्यासों में आने वाले गाँव पूर्वी उत्तर प्रदेश के भू–भाग से संबंधित हैं जो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इन नदियों का पानी बाढ़ बनकर आता है और खेतों में खड़ी फसलों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। वहाँ के लोग बेघर और बेसहारा हो जाते हैं। 'पानी के प्राचीर' और 'जल टूटता हुआ' दोनों की यही समस्या है।

रामदरश मिश्र के उपन्यासों में सामाजिक तानो–बानों के बदलते रूप देखने को मिलते हैं। सामूहिक जीवन, संयुक्त परिवार गाँव की विशेषता है और आवश्यकता भी। किन्तु अब गाँवों में भी परिवार का साथ रह पाना टेढ़ी खीर हो गया है।

'जल टूटता हुआ' में 'धनपाल'और 'बनवारी' के संयुक्त परिवार के विघटन की घटना के द्वारा पारिवारिक मूल्यों के ह्रास का परिचय मिलता है। पारस्परिक प्रेम और सौमनस्यपूर्ण व्यवहार की जगह"...परिवार में अब गाँठ पड़ गई, रोज–रोज यह परिवार कहीं न कहीं टकरा जाता है। ———बस झगड़ा ही झगड़ा ———घर नरक–सा बन गया।[5]"

रामदरश मिश्र के उपन्यास 'बीस बरस' में बीस बरस बाद गाँव आये पत्रकार दामोदर वहाँ की एक शादी में लड़के वालों के तेवर देखकर दुःखी हो जाते हैं। उनका भतीजा बताता है –"साला कह रहा है कि मैंने कुछ माँगा ही नहीं। अरे काशी चाचा ने अपने जीवन भर का बचाया हुआ पैसा इस शादी में झोंक दिया, फिर भी तिलक पर मोटर साइकिल नहीं चढ़ी तो नाराज हो गया था। धमकी दी कि मोटर साइकिल नहीं पहुँची तो बरात नहीं आयेगी।[6]" दामोदर कहते हैं–"कितने लालची और बेशर्म हो गये हैं लोग। लड़की वाले की बोटी–बोटी नोच लेंगे और कहेंगे कि हमने तो कुछ माँगा ही नहीं।[7]"

गाँव–देहात में त्यौहारों पर जिन रीति–रिवाजों का पालन हुआ करता था, समय के साथ–साथ उनमें परिवर्तन आने लगा है। अब लोग परम्पराओं का निर्वहन करने के लिए उतना उत्साह नहीं दिखाते, न ही अपना समय, इन सब में नष्ट करना पसन्द करते हैं। रामदरश मिश्र के उपन्यास 'बीस बरस'में बीस वर्षों के पश्चात् अपने गाँव लौटे पत्रकार महोदय गाँव के बदलते स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनका कहना है कि कुछ परम्पराओं का बदलना उस स्थिति में लाभदायक ही है जब वह बर्बादी को रोकती हैं। किन्तु उनका भतीजा बताता है कि यह सब बर्बादी रोकने के लिए नहीं है व्यक्तिगत स्वार्थ ही इन सब में मुख्य भूमिका निभाता है– "ये इंजीनियर साहब जो हैं न, परम्परा के मामले में बहुत कायर हैं। पूजापाठ करते हैं, साइत–वोइत देखकर यात्र करते हैं, जोग–टोट में विश्वास करते हैं, छुआछूत को खूब मानते हैं लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए। इसके पीछे उनका कोई

नैतिक विश्वास नहीं है। होली इसलिए उखाड़ कर फेंक दी कि उनका खेत आहत होगा। लेकिन होली कहीं और गड़ी तो जलने के समय उन्हें हाथ जोड़े पायेंगे।[8]"

पत्रकार दामोदर कहते हैं– "यानी शहर से गाँव तक अब संस्कृतियों का उत्सव ठंडा पड़ गया है। अपने स्वार्थोत्सव और राजनीतिक जोड़–तोड़ में व्यस्त लोगों को अब फुरसत नहीं कि वे सांस्कृतिक उत्सवों में एक साथ मिलकर अपनी ठेठ आदमियत का साक्षात्कार कर सकें। अपने बँटते हुए सुख–दुःख को कुछ समय के लिए एक साथ जोड़ सकें।[9]" आगे भी यही दुःख उन्हें कचोटता है– "सचमुच कितना कुछ बदल गया है। पहले तो किसी के यहाँ लड़के या लड़की की शादी गाँव भर के लिए उत्सव हुआ करती थी। जिस दिन शादी तय होती थी उसी दिन से एक चहल–पहल वातावरण में भर जाती थी और शादी वाले व्यक्ति के दरवाजे पर लोगों का आना–जाना लगा रहता था।[10]" सुभाष फिर मुस्कुराया और बोला– "कब की बात कर रहे हैं चाचा जी। अब तो लोग–बाग शादी के अवसर पर अपने कामधाम से छूट कर अतिथि की तरह थोड़ी देर के लिए जाते हैं और फिर लौट जाते हैं। घर वाले ही हर अवसर पर जूझते रहते हैं।[11]"

गाँव के बारे में 'बीस बरस' उपन्यास का 'हरीश' कहता है– "अरे चाचा, यहाँ रखा भी क्या है? गन्दी राजनीति के दलदल में फँसे गाँवों में कोई क्यों आना पसन्द करेगा? और यहाँ सुविधा ही क्या है जो शहर का आदमी यहाँ आना चाहेगा?[12]" 'मंजुल' भी गाँव के बारे में कहता है– "राजनीति के कारण गाँव में इतना अकेलापन आ गया है कि पूछिए मत। तर–त्यौहार, शादी–ब्याह, जनम–मरण सभी अवसरों पर लोग बहुत अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। कोई किसी के साथ नहीं होता। बस दो–चार बहुत सगे या दोस्त एकत्र हो आते हैं।[13]"

इसी उपन्यास में एक पति–पत्नी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश की सत्यता उजागर होती है। शहर में रहने वाले पति–पत्नी का गाँव में पैतृक मकान है। पति को जब असाध्य रोग हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को ढांढस बंधाता है कि पति की मृत्यु के पश्चात् वह गाँव चली जाए, वह कहता है –"तुम जानती नहीं, गाँव का जीवन कितना सुखमय है। यहाँ तो किसी से किसी को मतलब नहीं। सब कुछ पैसा ही है यहाँ। मनुष्यत्व नाम की कोई चीज नहीं, हर जगह सिर्फ मक्कारी है– फरेबी। लेकिन गाँव में देखो। थोड़े में ही लोग कितने संतुष्ट और सुखी हैं। एक–दूसरे के दुःख–दर्द में लोग कितना साथ देते हैं। बड़े–बुजुर्गों की कितनी इज्जत है। किसी के घर चोरी होती है तो हल्ला सुनते ही लाठी–भाला लेकर लोग जुट जाते हैं। कोई किसी के साथ मनमानी नहीं कर सकता। विधवा औरतों को लोग देवी की तरह समझते हैं–––। किंतु उसके पति द्वारा दिखाया गया गाँव का यह रूप 'दूर के ढोल' ही सिद्ध हुआ। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ तो शहरों से भी बुरी हालत थी। –––महीने में एक–दो बार खून–खराबा और जानमारी की घटनाएँ भी हो जाती हैं। लाख गला फाड़कर चिल्लाने पर भी रक्षा के लिए कोई जुटता नहीं। –––लोगों में आपसी बैर बहुत अधिक बढ़ गया है। लोग एक–दूसरे के खलिहानों में आग लगा देते हैं। गाँव के आधे से अधिक लोग 'राजनीति' में घुस आये हैं।[14]"

'जल टूटता हुआ' में आजादी के बाद के सालों में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाँवों में जो परिवर्तन आये, उन्हें दिखने की कोशिश की गयी है। गाँवों का सामजिक यथार्थ बदल रहा है। वहां की सामजिक–राजनीतिक शक्तियों, सामूहिकता की भावनाओं, आपसी रिश्तों और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि बहुसंख्यक किसानों के जीवन की दरिद्रतापूर्ण परिस्थितियों का सत्य नहीं बदलता। उपन्यास का एक चरित्र मास्टर सुग्गन कहता है, "सरकार बहुत कुछ कर रही है, जमींदारी तोड़ रही है, स्कूल खोल रही है, सबको बोलने की स्वतंत्रता दी, सबको सामान अधिकार दिया, मताधिकार तो सबसे बड़ा अधिकार है, पंचायत राज की स्थापना हो रही है, लोगों के भय को दूर किया जा रहा है, गाँवों के सुधार की योजना बड़े जोर–शोर से कार्य कर रही है, खेतों के विकास के लिए बिजली के कुँओं का इंतजाम हो रहा है।[15]" लेकिन यह सारा तंत्र ऊपर ही ऊपर चलता रहा, समाज की वास्तविकता का अंग वह नहीं बना था। 15 अगस्त के समारोह से लौटते हुए मास्टर सुग्गन सोचते हैं, "इतने साल हो गये आजादी को मिले हुए। यह अभागी जिन्दगी टस से मस नहीं हुई। पानी की फुंकार वैसे ही हमारी फसलों पर पछाड़ खाकर लोटती रहती है, इस साल भी यह पछाड़ खेतों का हाड–तोड़ कर रहेगी। रबी की फसल को भी जाने क्या हो गया है। जब खरीफ लुट जाती है तो रबी भी रूठ जाती है। जेठ गुजरे अभी तो दो मास भी नहीं हुए कि सारा अन्न साफ।[16]" लेखक दिखाता है कि आजादी के बाद बनी योजनाओं से, नए तंत्र से वे सपने पूरे नहीं हुए जिनके लिए लोग लड़े थे। गरीबों की समस्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ा।

'सूखता हुआ तालाब' ग्रामीण जीवन की सामूहिक जिंदगी में लगे घुन और उसमें व्याप्त टूटन एवं विभिन्न विसंगतियों का एक ऐसा चित्र है जिसमें समस्त गाँव अपने आडम्बरों, अपने रीति–रिवाजों एवं अपनी छवियों, अछवियों को लेकर प्रस्तुत हुआ है। गाँव की अन्तरंग यात्रा में आज गाँव में उभरते भौतिकवादी युग के प्रभावों की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है। संबंधों के बदलाव एवं मूल्यबोध से वहां नयी मानसिकता उभर रही है। रामदरश मिश्र पात्रों के साथ लगातार यात्रा करते रहे हैं। इस तरह वह पात्रों के सुख–दुख के ही भागीदार नहीं बनते, बल्कि उनकी एक–एक गतिविधि के भी गवाह बनते हैं। यह जरूर है कि वह चूँकि स्वयं एकाकी जीवन नहीं जीते, न हीं अकेले और संत्रास की पीड़ा के हिमायती हैं इसलिए उनके कथा लेखक का मुख्य आधार सामाजिक सरोकार ही है। वह बहुत सहज होकर जीने और सहज जिन्दगी के जुड़ाव के निकट हैं। अतः उनके पात्र किसी विशिष्ट वर्ग का

प्रतिनिधित्व नहीं करते, न ही चौंकाने के लिए वे किन्हीं खास मुद्राओं को अपनाते हैं। गांव से शहर तक आज जो जिन्दगी जन साधारण में फैली हुई है, उसी में जी रहे पात्रों से वह अपना परिचय गहरा करते हैं, जो धीरे–धीरे इतनी निकटता में बदल जाता है कि वे पात्र के मन में छिपे दर्द को बाहर तक खींच लाने में सफल हो जाते हैं।

3. परिचर्चा : रामदरश मिश्र के उपन्यासों में गाँव किसी आदर्श या काल्पनिक संसार के रूप में नहीं, बल्कि संघर्षों और अंतर्विरोधों से भरे वास्तविक सामाजिक जीवन के रूप में सामने आता है। ग्रामीण व्यक्ति प्राकृतिक परिस्थितियों, गरीबी, बेरोजगारी, ऋण, सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक असमानताओं से जूझता दिखाई देता है। उनके ग्रामीण पात्र अपनी परिस्थितियों के केवल शिकार नहीं हैं, बल्कि वे बदलते समय के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी करते हैं।

रामदरश मिश्र के ग्रामीण जीवन–चित्रण की विशेषता यह है कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध उनके कथा–संसार में गहराई से जुड़ा हुआ है। खेत, नदी, वर्षा, सूखा, मिट्टी, पेड़–पौधे और ऋतुएँ ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों तथा पात्रों की मनःस्थितियों को प्रभावित करती हैं। इसलिए उनके यहाँ ग्रामीण जीवन केवल सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के पारस्परिक संबंध का संसार है।

इस तरह रामदरश मिश्र के उपन्यासों में बदलता ग्रामीण जीवन भारतीय समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तन का प्रतिबिंब है। उनके यहाँ गाँव न तो पूरी तरह परंपरागत है और न ही पूरी तरह आधुनिक, वह दोनों के बीच संक्रमण की अवस्था में है। उनके ग्रामीण संसार में किसान, मजदूर, स्त्री, युवा, निम्न–मध्यवर्ग और वंचित वर्ग अपनी–अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षा, राजनीति, बाजार, नगरीकरण, पलायन और आधुनिक चेतना ने ग्रामीण जीवन को बदल दिया है, लेकिन गरीबी, असमानता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि रामदरश मिश्र के उपन्यासों में बदलता ग्रामीण जीवन केवल गाँव के परिवर्तन की कथा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता–उत्तर भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूपांतरण का दस्तावेज है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामदरश मिश्र गाँव की जड़ों से जुड़े हुए लेखक हैं। किसी भी पृष्ठभूमि की रचना वे क्यों न करें, कहीं न कहीं से ग्राम्य जीवन की कुछ झलकियाँ उसमें अवश्य ही आ जाती हैं। ग्रामीण जीवन का यथार्थ परिवेश और मूल्यबोध का बदलाव उनकी प्रमुख चिंता है जिसे वे बिना किसी संकोच के प्रकट करते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव, शहर की ओछी नकल की बनावट ने ग्रामीण सरलता को ग्रहण लगा दिया है। मिश्र जी के उपन्यासों के विस्तृत संसार में ग्रामीण जीवन की समस्याएं, परिवर्तित मूल्यों का संकट, तीज–त्यौहार, पर्व के चुपचाप दम तोड़ते उत्साह अपने पूरे सच के साथ मौजूद हैं। इनके विस्तृत फलक में स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आधुनिक समय तक के गाँवों के बदलते चरित्र और परिवेश को देखा जा सकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. मिश्र, रामदरश (1976)। अपने लोग (उप.), नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ–148
2. वही, पृष्ठ–81
3. वही, पृष्ठ–197
4. वही, पृष्ठ–232
5. मिश्र, रामदरश (1969)। जल टूटता हुआ (उप.), हिंदी प्रचारक संस्थान, वाराणसी, पृष्ठ–67
6. मिश्र, रामदरश (1996)। बीस बरस (उप.), वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–120
7. वही
8. वही, पृष्ठ–15
9. वही, पृष्ठ–22
10. वही, पृष्ठ–113
11. वही
12. वही, पृष्ठ–10
13. वही, पृष्ठ–47
14. वही, पृष्ठ–38
15. मिश्र, रामदरश (1969)। जल टूटता हुआ (उप.), हिंदी प्रचारक संस्थान, वाराणसी, पृष्ठ–77
16. वही, पृष्ठ–102

=====

आलेख उद्धरित करें :	तिवारी, डॉ.अंकिता (2026)। रामदरश मिश्र के उपन्यासों में बदलता ग्रामीण जीवन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 11–14। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005486

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. धर्मेन्द्र यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), राजकीय पी. जी. कॉलेज सांगीपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** 198622dharmendrakumar@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005530

सारांश

यह शोध पत्र भारत में वित्तीय समावेशन के प्रसार और सुदृढ़ीकरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल क्रांति के प्रभावी योगदान का एक गहन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। भारत जैसे विशाल, बहुआयामी और अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और सस्ती बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना सदैव से एक जटिल नीतिगत एवं ढांचागत चुनौती रहा है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों की भौगोलिक और परिचालन संबंधी सीमाओं को दूर करने में आधुनिक तकनीकों ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल वॉलेट्स, सूक्ष्म एटीएम तथा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल जैसे डिजिटल नवाचारों ने देश के सुदूर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के सूक्ष्म सम्मिश्रण पर आधारित है, जिसके अंतर्गत जमीनी स्तर के अनुभवों और संस्थागत रिपोर्टों का समग्र विश्लेषण किया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों के आगमन से न केवल आम नागरिकों की वित्तीय तंत्र तक पहुँच में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पारदर्शी व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हुई है। शोध यह भी उजागर करता है कि पूर्ण और सर्वसमावेशी वित्तीय सशक्तिकरण के मार्ग में अभी भी कई व्यावहारिक बाधाएं विद्यमान हैं। ग्रामीण आबादी में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी, सुदूर क्षेत्रों में कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी, तकनीकी त्रुटियाँ और साइबर धोखाधड़ी व डिजिटल ठगी का निरंतर भय आम नागरिकों को इन सेवाओं के पूर्ण उपयोग से पीछे धकेलता है। अंततः यह शोध पत्र भारत की समावेशी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एक सुरक्षित, बहुभाषी और सुदृढ़ डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु ठोस नीतिगत सुधारों तथा उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 11 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 23 अगस्त, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 02 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 11

मुख्य शब्द: समावेशन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रांति, भुगतान इंटरफेस, डिजिटल साक्षरता।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : वित्तीय समावेशन आधुनिक अर्थशास्त्र और विकासपरक नीतियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित, पिछड़े तथा निम्न आय वाले समूहों को बिना किसी भेदभाव के उचित, पारदर्शी और किफायती दर पर समयबद्ध वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत केवल एक साधारण बचत बैंक खाता खोलना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके दायरे में सुरक्षित जमा योजनाएं, आवश्यकतानुसार सुलभ ऋण सुविधा, जीवन व संपत्ति बीमा सुरक्षा, त्वरित एवं विश्वसनीय भुगतान माध्यम तथा भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजनाएं जैसी मौलिक सुविधाएं भी आती हैं। जब समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन औपचारिक वित्तीय साधनों से जुड़ता है, तो न केवल उसकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है, बल्कि देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा और गति मिलती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधताओं से भरे देश में शत–प्रतिशत वित्तीय समावेशन हासिल करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य रहा है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली मुख्य रूप से ईंट–पत्थर से बनी भौतिक शाखाओं पर निर्भर थी। दूरदराज के ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी बैंक शाखाएं खोलना और उनका संचालन करना वित्तीय संस्थानों के लिए अत्यधिक लागत भरा और अव्यवहारिक सौदा साबित होता था।

इसके साथ ही, कागजी कार्रवाई की जटिलता, न्यूनतम जमा राशि की बाध्यता, साक्षरता की कमी और बैंक शाखाओं तक पहुँचने में लगने वाले समय व धन के कारण ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह कटा रहा। इसके परिणामस्वरूप, अपनी आपातकालीन और दैनिक वित्तीय जरूरतों के लिए आम नागरिकों को असंगठित क्षेत्र के साहूकारों और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उनका भारी आर्थिक शोषण करते थे।

हालांकि, पिछले एक दशक के दौरान भारत ने एक ऐतिहासिक और व्यापक डिजिटल क्रांति का अवलोकन किया है, जिसने देश के वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व उदय ने पारंपरिक बैंकिंग की अवधारणा और कार्यशैली को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार 'जनधन, आधार और मोबाइल' जैम की त्रिमूर्ति, किफायती स्मार्टफोन की उपलब्धता, विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा और भारत का मजबूत 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' बना है। इस तकनीकी परिवर्तन ने बैंकिंग सेवाओं को बैंक की भौतिक इमारतों और लंबी कतारों से निकालकर आम नागरिक के मोबाइल फोन यानी उसकी उंगलियों के पोरों तक पहुँचा दिया है। आज देश के सुदूर गाँव में बैठा किसान या एक छोटा रेहड़ी–पटरी विक्रेता भी बिना किसी जटिल कागजी प्रक्रिया के पल भर में लेन–देन करने, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ अपने खाते में प्राप्त करने और बचत करने में सक्षम हुआ है। डिजिटल क्रांति ने न केवल दूरियों और परिचालन लागत को समाप्त किया है, बल्कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति में एक नए आर्थिक आत्मविश्वास और स्वावलंबन का संचार भी किया है।

1.1. शोध की प्रासंगिकता: डिजिटल युग में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी–आधारित वित्तीय समावेशन का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है। वैश्विक महामारी के बाद से डिजिटल लेनदेन में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और त्वरित हुआ है। तथापि, केवल खाता खोलना या डिजिटल मंच उपलब्ध होना ही वास्तविक समावेशन नहीं है। वास्तविक समावेशन तब माना जाएगा जब अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति नियमित रूप से इन सेवाओं का सुरक्षित और सक्षम उपयोग कर सके। प्रस्तुत अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ किस हद तक जमीनी स्तर पर आर्थिक विषमता को कम करने में सफल रही हैं तथा किन क्षेत्रों में अभी भी सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है।

1.2. शोध के उद्देश्य: डिजिटल युग में वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति और जमीनी पहुंच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों को विश्लेषित किया है।

1. भारत में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में वित्तीय प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
2. वित्तीय प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में आने वाली सामाजिक, तकनीकी और सुरक्षात्मक बाधाओं की पहचान करना।
3. भारत में समावेशी एवं सतत डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु व्यावहारिक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य समीक्षा: वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में पूर्ववर्ती विद्वानों एवं शोधकर्ताओं द्वारा किए गए प्रमुख अध्ययनों का संक्षिप्त समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो विषय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करता है।

शर्मा और जोशी (2015) ने भारत में पारंपरिक बैंकिंग की सीमाओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि भौतिक बैंक शाखाओं का विस्तार उच्च परिचालन लागत के कारण अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में असमर्थ रहा है। रेड्डी (2016) ने अपने अध्ययन में इन्होंने मोबाइल बैंकिंग की प्रारंभिक अवस्था का विश्लेषण किया और पाया कि बुनियादी फोन और सीमित नेटवर्क उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाने में मुख्य बाधक थे। कुमार और सिंह (2017) ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रभाव का आकलन किया और बताया कि शून्य–शेष खातों ने वित्तीय समावेशन की नींव तो रखी, लेकिन इनका निष्क्रिय रहना एक बड़ी चुनौती बना रहा।

गुप्ता (2018) ने विमुद्रीकरण के बाद भारत में डिजिटल वॉलेट्स और वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्यमों के तेजी से उभार का विश्लेषण किया तथा दिखाया कि शहरी मध्यम वर्ग में इसे तेजी से अपनाया गया। मुखर्जी और दास (2019) के शोध ने स्पष्ट किया कि आधार–आधारित भुगतान प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी निकासी को सुगम बनाकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया है। वर्मा (2020) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस के तकनीकी ढांचे का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि इसकी अंतर–संचालनीयता और शून्य–शुल्क मॉडल ने सूक्ष्म–लेनदेन को अत्यधिक बढ़ावा दिया। रॉय और चौधरी (2021) ने वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय प्रौद्योगिकी की भूमिका पर केंद्रित अध्ययन में पाया गया कि महामारी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित किया।

मिश्रा (2022) ने महिला स्वयं सहायता समूहों पर वित्तीय प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन किया और पाया कि डिजिटल साक्षरता में वृद्धि से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी आई है। पटेल और शाह (2023)

के अध्ययन ने वित्तीय प्रौद्योगिकी के सामने मौजूद साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी और डिजिटल ठगी के जोखिमों को रेखांकित किया, जो डिजिटल रूप से अशिक्षित उपभोक्ताओं के लिए बड़ा खतरा हैं। राव (2024) ने अपने हालिया शोध में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय प्रौद्योगिकी और पारंपरिक बैंकों का सह–अस्तित्व ही भारत में स्थायी और सुरक्षित वित्तीय समावेशन का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है।

2.1. शोध अंतरालः उपलब्ध विषयगत साहित्य के गहन अनुशीलन के उपरांत जिन महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक व भौगोलिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं हो सका है, उन्हीं कमियों एवं शोध–अंतरालों को रेखांकित कर अध्ययन का आधार निर्मित किया है।

a. अधिकांश मौजूदा साहित्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आंकड़ों पर केंद्रित है, जबकि दूरस्थ आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति की डिजिटल व्यवहार संबंधी विशिष्ट अध्ययन कम उपलब्ध हैं।
b. पूर्ववर्ती शोध मुख्य रूप से वित्तीय खाता खोलने या अनुप्रयोग की संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इन खातों के नियमित और दीर्घकालिक उपयोग का विस्तृत विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।
c. वित्तीय प्रौद्योगिकी अपनाने में साइबर धोखाधड़ी के डर और उपभोक्ता मनोविज्ञान के प्रभाव पर केंद्रित अनुभवजन्य शोध की अभी भी कमी है।

3. शोध पद्धतिः प्रस्तुत अध्ययन में शोध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प का समन्वित रूप से प्रयोग किया है। यह दृष्टिकोण फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष एवं सटीक मूल्यांकन करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। अध्ययन की मौलिकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का समुचित उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों से 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से छोटे व्यापारी, सीमांत किसान और दैनिक वेतनभोगी मजदूर शामिल हैं। इन उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक सरल और स्पष्ट संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, विषय की गहराई को समझने और व्यापक परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए द्वितीयक आंकड़ों का भी सहारा लिया गया है। नमूनों के चयन प्रक्रिया को व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सुविधा एवं सप्रयोजन नमूना चयन विधि का पालन किया गया है, जिससे लक्षित वर्ग का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

4. आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्याः वित्तीय प्रौद्योगिकी ने मोबाइल, इंटरनेट और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को मुख्य वित्तीय प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाया है। वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के हर व्यक्ति को बैंक खाता, ऋण, बचत और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं कम लागत पर देना है। वित्तीय प्रौद्योगिकी का मतलब ऐसी तकनीक या ऐप्स से है जो वित्तीय कामों को आसान बनाते हैं।

तालिका–1: उत्तरदाताओं द्वारा प्रयुक्त वित्तीय प्रौद्योगिकी/डिजिटल वित्तीय सेवाओं का वितरण

क्रम	वित्तीय सेवा/उपकरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	एकीकृत भुगतान इंटरफेस अनुप्रयोग	116	58.0
2.	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली/माइक्रो एटीएम	44	22.0
3.	मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग	22	11.0
4.	केवल पारंपरिक बैंक शाखा	18	9.0
	कुल (एन= 200)	**200**	**100**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण आंकड़े (2025–26)

तालिका–1 दर्शाती है कि 58 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक लेनदेन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं, जो इसकी सुलभता और लोकप्रियता को साबित करता है। 22 प्रतिशत लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी निकासी के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली पर निर्भर हैं। मात्र 9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो किसी भी डिजिटल सेवा का उपयोग न करके केवल पारंपरिक बैंकिंग शाखा पर निर्भर हैं। यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी ने बड़े पैमाने पर अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुँच बनाई है।

तालिका–2: डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में प्रमुख बाधाएँ एवं चुनौतियाँ का वितरण

क्रम	प्रमुख बाधा/चुनौती	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	डिजिटल वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता की कमी	78	39.0
2.	साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा का भय	54	27.0
3.	खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं तकनीकी त्रुटि	42	21.0
4.	भाषा की जटिलता	26	13.0
	कुल (एन= 200)	**200**	**100**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण आंकड़े (2025–26)

तालिका–2 के अनुसार, 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। 27 प्रतिशत लोग सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के डर से पूरी तरह डिजिटल होने से झिझकते हैं। 21 प्रतिशत लोग बुनियादी ढांचे से प्रभावित हैं, जबकि 13 प्रतिशत लोग क्षेत्रीय भाषाओं में अनुप्रयोग उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई का सामना करते हैं।

5. परिणाम एवं परिचर्चा: प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति ने वित्तीय समावेशन की पूरी अवधारणा को एक नया आयाम दिया है। ऐतिहासिक रूप से जो बैंकिंग प्रणाली केवल शहरों और भौतिक बैंक शाखाओं की सीमाओं तक सीमित थी, वह अब प्रौद्योगिकी के समावेशन से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पहुँच में आ चुकी है। प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण (तालिका–1) यह सिद्ध करता है कि 80 प्रतिशत से अधिक आबादी (58 प्रतिशत एकीकृत भुगतान इंटरफेस तथा 22 प्रतिशत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) दैनिक वित्तीय गतिविधियों के लिए किसी न किसी डिजिटल माध्यम पर निर्भर हो चुकी है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस और आधार–आधारित प्रणालियों ने भौगोलिक दूरी, कागजी औपचारिकताओं और बैंकिंग शाखाओं में लगने वाले समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। तथापि, शोध का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक पहलू यह उजागर करता है कि केवल वित्तीय सेवाओं तक 'पहुँच होना' और उनका 'सक्षम एवं नियमित उपयोग होना' इन दोनों स्थितियों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर विद्यमान है। यद्यपि डिजिटल क्रांति ने खाता खोलने और सूक्ष्म–लेनदेन करने को सुगम बना दिया है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर कई गंभीर चुनौतियाँ (तालिका–2 के अनुसार) व्यवस्था को पूरी तरह सफल होने से रोक रही हैं।

चर्चा का पहला प्रमुख बिंदु डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी (39 प्रतिशत) है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कई उपभोक्ता स्मार्टफोन और डिजिटल अनुप्रयोग रखना तो सीख गए हैं, परंतु वे उनके तकनीकी तंत्र, सुरक्षा नियमों और दूरगामी वित्तीय नियोजन (जैसे ऋण, बीमा या पेंशन) से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इसके परिणामस्वरूप, लोग डिजिटल सेवाओं का प्रयोग केवल साधारण लेनदेन या आपातकालीन नकदी निकासी तक सीमित रखते हैं। दूसरा अति–संवेदनशील बिंदु साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा का भय (27 प्रतिशत) है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे व्यापारियों और सीमांत किसानों के लिए उनकी गाढ़ी कमाई का एक–एक रुपया अत्यंत मूल्यवान होता है। डिजिटल ठगी, फर्जी फोन कॉल्स और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं ने इस वर्ग के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब तक उपभोक्ता के मन में यह विश्वास कायम नहीं होगा कि उनका धन डिजिटल माध्यम में पूरी तरह सुरक्षित है, तब तक वे पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने में हिचकिचाते रहेंगे। तीसरा विषय तकनीकी एवं बुनियादी ढांचे की सीमाएं (21 प्रतिशत नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्या तथा 13 प्रतिशत भाषाई जटिलता) हैं। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट सिग्नल, बार–बार लेनदेन का विफल होना और स्थानीय भाषाओं में डिजिटल अनुप्रयोगों का सहजता से उपलब्ध न होना भी एक बड़ा रोड़ा है।

इस तरह भारत में वित्तीय समावेशन का पहला चरण अर्थात 'बैंक रहित आबादी तक डिजिटल पहुँच बनाना' काफी हद तक सफल रहा है। परंतु समावेशन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण चरण अर्थात 'उपभोक्ताओं को सुरक्षित, साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना' अभी भी अधूरा है। इस खाई को पाटने के लिए नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और फिनटेक कंपनियों को केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ही नहीं, बल्कि जन–साधारण के बीच सुरक्षात्मक जागरूकता और उपभोक्ता विश्वास के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा।

6. सुझाव एवं अनुशंसाएं : वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के माध्यम से समाज के वंचित और दूरदराज के वर्गों तक वित्तीय सेवाओं को पहुँचाना ही वित्तीय समावेशन का सबसे प्रभावी माध्यम है। हालांकि इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि..

1. **स्वर–आधारित और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुप्रयोग का विकास:** ग्रामीण और कम साक्षर आबादी की सहूलियत के लिए सभी प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में प्रादेशिक व स्थानीय भाषाओं का सरल विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही, बोलकर काम करने वाले और स्वर–सहायक समर्थित इंटरफेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि निरक्षर या कम पढ़े–लिखे लोग भी आसानी से लेनदेन कर सकें।
2. **जमीनी स्तर पर डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान:** केवल डिजिटल साधनों का वितरण पर्याप्त नहीं है। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से गाँव–गाँव में 'डिजिटल वित्तीय साक्षरता शिविर' आयोजित किए जाने चाहिए। इन शिविरों में ग्रामीणों को व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोगों का सुरक्षित उपयोग करना और ऑनलाइन ठगी से बचना सिखाया जाना चाहिए।
3. **सुदृढ़ और त्वरित साइबर सुरक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र:** आम नागरिकों के मन से ऑनलाइन धोखाधड़ी का डर समाप्त करने के लिए एक अत्यंत सरल, पारदर्शी और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की

जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ वित्तीय ठगी होती है, तो उसे त्वरित सहायता और मुआवजा मिलने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वित्तीय प्रणाली में उनका विश्वास बना रहे।

4. **ऑफलाइन एवं बिना इंटरनेट वाली भुगतान प्रणालियों का विस्तार:** जिन दूरस्थ, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है, वहाँ बिना इंटरनेट के काम करने वाली तकनीकों (जैसे सादे फोन–आधारित अनसंरचित पूरक सेवा डेटा/एकीकृत भुगतान इंटरफेस लाइट अथवा निकट क्षेत्र संचार/संपर्क–रहित कार्ड प्रणालियों) को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी के अभाव में वित्तीय गतिविधियाँ बाधित न हों।

निष्कर्ष : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिजिटल क्रांति ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को ऐतिहासिक और मूलभूत रूप से परिवर्तित किया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी ने पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों की भौतिक सीमाओं, उच्च परिचालन लागत और कागजी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समाप्त कर देश के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को संभव बनाया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार–आधारित भुगतान प्रणालियों तथा जनधन खातों के सामंजस्य ने न केवल आम जनता को औपचारिक वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ा है, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। हालांकि, शोध के निष्कर्ष यह भी उजागर करते हैं कि केवल डिजिटल मंच का उपलब्ध होना या खाता खोल देना ही पूर्ण वित्तीय समावेशन की गारंटी नहीं है। वास्तविक समावेशन की सिद्धि तब मानी जाएगी जब प्रत्येक नागरिक इन सेवाओं का उपयोग बिना किसी झिझक, तकनीकी बाधा या सुरक्षात्मक भय के कर सके। वर्तमान में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी, साइबर धोखाधड़ी का भय और सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी सीमाएं इस राह की मुख्य बाधाएं बनी हुई हैं। अंततः यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि भारत को एक पूर्णतः समावेशी और सक्षम डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केवल तकनीकी प्रसार ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा, विश्वास और साक्षरता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना होगा।

स्रोत एवं संदर्भः

1. शर्मा, आर. एवं जोशी, पी. (2015). ट्रडिशनल बैंकिंग लिमिटेशंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया. जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, खंड 12, अंक 3, पृष्ठ 45–58.
2. रेड्डी, वी. के. (2016). मोबाइल बैंकिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीजः डिटर्मिनेंट्स एंड बैरियर्स. एशियन इकोनॉमिक रिव्यू, खंड 28, अंक 2, पृष्ठ 112–125.
3. कुमार, ए. एवं सिंह, एम. (2017). इवेलुएटिंग पीएमजेडीवाईः फ्रॉम अकाउंट ओनरशिप टू यूसेज. इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, खंड 98, अंक 388, पृष्ठ 201–218.
4. गुप्ता, एस. (2018). डिमोनेटाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स, खंड 6, अंक 1, पृष्ठ 89–102.
5. मुखर्जी, टी. एवं दास, एस. (2019). आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड लास्ट–माइल डिलीवरी ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 54, अंक 14, पृष्ठ 33–41.
6. वर्मा, एन. (2020). आर्किटेक्चरल डायनेमिक्स ऑफ यूपीआई एंड इट्स रोल इन माइक्रो–ट्रांजैक्शंस. जर्नल ऑफ पेमेंट सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजी, खंड 14, अंक 4, पृष्ठ 310–324.
7. रॉय, ए. एवं चौधरी, आर. (2021). कोविड–19 एज अ कैटालिस्ट फॉर डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन अमंग स्मॉल वेंडर्स. जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, खंड 33, अंक 2, पृष्ठ 175–190.
8. मिश्रा, एल. (2022). एम्पावरिंग रूरल विमेन थ्रु फिनटेक एंड सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स. जेंडर, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, खंड 26, अंक 1, पृष्ठ 67–85.
9. पटेल, डी. एवं शाह, के. (2023). साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स इन फिनटेक फाइनेंसड फाइनेंशियल इंक्लूजनः एन इंडियन पर्सपेक्टिव. जर्नल ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, खंड 9, अंक 3, पृष्ठ 215–230.
10. राव, बी. एस. (2024). बैंक–फिनटेक कोलैबोरेशनः द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. इंडियन बैंकिंग टुडे, खंड 41, अंक 1, पृष्ठ 12–27.
11. भारत का संविधान (1976). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (आर्टिकल–51ए फंडामेंटल ड्यूटीज). मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1976. पब्लिकेशन्स डिवीजन.

=====

आलेख उद्धरित करें :	यादव, डॉ. धर्मेन्द्र (2026)। भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 15–19। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005530

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन

डॉ. अमित कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** amitkumarsingh472@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005568

सारांश

यह शोध लेख सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और इससे महिलाओं के जीवन में हो रहे सामाजिक–आर्थिक उन्ननयन का विश्लेषण करता है। किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा समवेत प्रयास सहकार कहलाता है। अनेक व्यक्तियों या समूहों की समान उद्देश्य की पूर्ति के लिये सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। सहकारिता एक व्यवसाय या संगठन है जिसका स्वामित्व और संचालन उन लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है जो इसके लिए काम करते हैं। विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़ने से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, जिससे वे अपने पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। सहकारी समितियों द्वारा महिलाएं भी अपनी आय, आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता में गुणात्मक बदलाव ला रहीं हैं। पर महिलाओं में औपचारिक शिक्षा की कमी, सामाजिक मान्यताएँ, बाधाएँ, वित्त का अभाव, संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियां अभी भी संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं के रूप विद्यमान हैं। इस शोध पत्र में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। इस प्रकार सहकारिता से महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता सहित विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि उनके सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 29 जुलाई, 2026	**स्वीकृत:** 25 अगस्त, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 01	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 14
	मुख्य शब्द: सहकार, सामुदायिकता, सहकारिता, महिलाएं, सहकारी संस्था, सशक्तिकरण।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, सहकारी संगठन एक संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। सहकारी समिति एक स्वैच्छिक, सदस्य–स्वामित्व वाला संगठन है, जो लाभ–संचालित उद्यमों से अलग, स्व–सहायता, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से आम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है। सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक तथा धार्मिक भेदभाव के स्वीकार करते है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित प्रजातांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियाँ निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। चुने गये प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत पुरूष तथा महिलाएं अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों के मतदान करने के समान अधिकार होते हैं। (एक सदस्य, एक मत) और दूसरे स्तरों पर भी सहकारी समितियाँ प्रजातांत्रिक तरीके से आयोजित की जाती हैं। सदस्य समान रूप में अंशदान करते हैं और अपनी सहकारी समिति की पूंजी पर प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रण रखते हैं। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित एवं स्वावलम्बी संस्थाएं होती हैं। यदि वे सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं अथवा बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं, तो वे ऐसा उन शर्तों पर करती है जिनसे उनके सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित होता हो और उनकी सहकारी स्वायत्तता भी बनी रहती हो। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों, चुने गये प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में अपना कारगर योगदान कर सके। वे आम जनता विशेषरूप से युवाओं और परामर्शी नेताओं को, सहकारिता के स्वरूप और लाभों के बारे में सूचना देती है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की सर्वाधिक कारगर ढंग से सेवा करती है और स्थानीय,

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के जरिए साथ–साथ काम करके सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के द्वारा अपने समुदायों के स्थाई विकास के लिए कार्य करती हैं। सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण महिलाओं को आय–अर्जन गतिविधियों में सहभागिता हेतु सुगम प्रवेश उपलब्ध कराती हैं, साथ ही सुलभ आजीविका विकल्प, न्यायसंगत मूल्य निर्धारण, कौशल विकास तथा समावेशी शासन प्रदान करके अनेक आर्थिक समस्याओं का समाधान करती हैं तथा सामाजिक–आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देती हैं।

1.1. अध्ययन के उदेश्य: यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है:

1. स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सहकारिता के ऐतिहासिकता और संवैधानिकता की जांच करना।
2. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और प्रशासनिक स्तर पर सफलता का आकलन करना।
3. महिलाओं की सहकारिता में भूमिका और सहकारिता का महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण पर पड़ रहे प्रभावों और चुनौतियों का विश्लेषण करना।

2. शोध पद्धति : यह शोध अध्ययन सहकारिता और महिलाओं की सहकारिता में भूमिका और उसके उन पर पड़ रहे प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक सैद्धांतिक अनुसंधान पद्धति का उपयोग करता है। संबंधित उद्देश्य की पूर्ति हेतु गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। इस शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इन आंकड़ों के संकलन हेतु सरकारी अभिलेखों, संबंधित साहित्यों का अध्ययन, प्रकाशित लेखों तथा जनसंख्या रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन में सहकारिता के क्षेत्र तथा इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विषयगत दृष्टिकोण और के लिए ऐतिहासिक–विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सहकारिता नीति, विधायी सुधारों और प्रशासनिक पहलों के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन कारकों पर भी बल दिया गया है जो महिलाओं की सहकारिता में भागीदारी, सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के पहुंच, आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सुझावों एवं निष्कर्षों की व्याख्या संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तरों पर बाधाओं के व्यापक ढांचे के भीतर की गई है। चूंकि यह शोध अध्ययन पूरी तरह से दस्तावेजी स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इस अध्ययन प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

3. सैद्धांतिक विश्लेषण : राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की रिपोर्ट के अनुसार "सहकारी समिति स्वैच्छिक रूप से एकजुट लोगों की एक स्वायत्त संस्था है, जो संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से संचालित उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं"। भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें लगभग 2 लाख क्रेडिट और 6 लाख गैर–क्रेडिट सहकारी समितियाँ हैं। गैर–क्रेडिट सहकारी समितियाँ मुख्यतः आवास, डेयरी, श्रमिक, चीनी, उपभोक्ता, विपणन, मात्स्यिकी, वस्त्र, सेवा, प्रसंस्करण, अस्पताल जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, लगभग 30 करोड़ की कुल सदस्यता वाले सहकारी क्षेत्र में केवल प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) में ही 13 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो देश भर में फैले हैं।

सहकारी प्रणाली में एनडीडीबी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला डेरी सहकारिताओं को बढ़ावा देती है। पारंपरिक रूप से पशुपालन और कृषि श्रम में महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत से अधिक रही है । पर अब सहकारिता मॉडल ने उनके अदृश्य श्रम को आर्थिक अंशधारक और प्रबंधक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। प्राथमिक उत्पादन, पशु प्रबंधन, दुग्ध संग्रहण, पोषण प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की दैनिक प्रक्रियाओं को महिलाएं अधिक दक्षता से संभालने लगी हैं साथ ही संग्रहण केंद्रों का संचालन स्वचालित दुग्ध संकलन प्रणालियों के आने से वसा और एसएनएफ परीक्षण तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। दुग्ध प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण में महिला सहकारी समितियां घी, पनीर, मक्खन, दही और पारंपरिक मिठाइयों जैसे उच्च–मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण से भी जुड़ी हैं। भूमिहीन और सीमांत महिला किसान सहकारी समूहों के माध्यम से पट्टे पर जमीन लेकर संयुक्त रूप से जैविक खेती, मौसमी सब्जियों और नकदी फसलों का उत्पादन करती हैं। साथ ही दाल मिलिंग, मसाला प्रसंस्करण, अचार–पापड़ निर्माण और जैविक शहद संग्रहण जैसे कृषि–सहायक उत्पादों को तैयार कर खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग कर सहकारी ब्रांड्स के तहत बाजार में बेचने के लिए भी तैयार करती हैं। महिला कारीगर और बुनकर अक्सर सहकारी समितियों का हिस्सा होती हैं जो पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देती हैं। ये सहकारी समितियाँ पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आय का स्रोत प्रदान करने में मदद करती हैं।

महिला डेयरी सहकारी समितियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और विभिन्न राज्य दुग्ध संघों (जैसे अमूल, नंदिनी, सुधा) के तहत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित हजारों समितियाँ सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां राजस्थान की मंजरी सखी और आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जैसे संगठन पूरी तरह महिला शेयरधारकों द्वारा संचालित हैं। मुल्कनूर महिला सहकारी बैंक, आंध्र प्रदेशध्तेलंगाना में पूर्णतः ग्रामीण महिलाओं द्वारा

संचालित भारत का पहला स्वतंत्र महिला सहकारी बैंक है यह बैंक महिलाओं को बचत, ऋण और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंजरी सखी उत्पादक कंपनी, धौलपुर, राजस्थान में है जो ग्रामीण आजीविका मिशन और सहकारिता मॉडल पर आधारित मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है तथा यह पूरी तरह से महिला पशुपालकों द्वारा संचालित है, जिससे हजारों परिवारों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। कुदुम्बश्री केरल में सामूहिक खेती, सूक्ष्म उद्यम और सामुदायिक सहकारिता का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें लाखों महिलाएँ सामूहिक कृषि और छोटे उद्योगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उत्पादन और विपणन करती हैं। सिक्किम हस्तशिल्प एवं हथकरघा सहकारिता द्वारा में पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प से जुड़ी महिलाओं की सहकारी समितियाँ, जिन्होंने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। भगीनी निवेदिता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा स्थापित और प्रबंधित एक अग्रणी शहरी सहकारी बैंक है जो महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर व्यवसाय ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है।

सारणी–1: भारत में क्षेत्र–वार प्राथमिक सहकारी समितियों की प्रगति का विवरण (जुलाई, 2026)

क्र. सं.	क्षेत्र	सहकारी समितियों की संख्या	कुल सदस्य	सहकारी समितियां (शहरी)	सदस्य (शहरी)	सहकारी समितियां (ग्रामीण)	सदस्य (ग्रामीण)
1	कृषि और संबद्ध सहकारी समिति	27376	7297995	3104	3188152	24272	4109843
2	कृषि–प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	20984	3706216	11075	1299089	9909	2407127
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	365	48099	58	8752	307	39347
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	22699	9531281	14762	5179884	7937	4351397
5	क्रेडिट और बचत सोसाइटी	83943	49363463	45476	32557220	38467	16806243
6	डेयरी सहकारी समिति	159754	13490245	4015	807770	155739	12682475
7	शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	1614	4567551	480	1250004	1134	3317547
8	किसान सेवा समितियां	615	1879506	98	310226	517	1569280
9	मत्स्यपालन सहकारी समिति	27724	3805168	3641	921970	24083	2883198
10	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5280	96669	2154	41587	3126	55082
11	हैंडलूम कपड़ा और बुनकर सहकारी समिति	19529	1739816	8742	735137	10787	1004679
12	आवास सहकारी समिति	195521	23317537	178900	21787860	16621	1529677
13	जूट और कॉयर सहकारी समिति	63	4622	32	3242	31	1380
14	खादी ग्रामोद्योग	233	32472	56	25157	177	7315
15	श्रम सहकारी समिति	47224	7240430	16440	1270438	30784	5969992
16	बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सोसाइटी	6201	6759990	212	427726	5989	6332264
17	पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति	16828	1161776	1731	144494	15097	1017282
18	विपणन सहकारी समिति	10182	3846582	3144	2320183	7038	1526399
19	विविध क्रेडिट सहकारी समिति	7645	6084643	2055	2526850	5590	3557793
20	विविध गैर–क्रेडिट सहकारी समिति	35008	11483499	11417	4302417	23591	7181082
21	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	22169	2737120	8298	1680655	13871	1056465
22	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस)	106493	131212107	4725	16868127	101768	114343980
23	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	734	80767	108	9087	626	71680
24	सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति	2540	687199	1245	383103	1295	304096
25	चीनी मिल सहकारी समिति	281	3885138	68	744562	213	3140576
26	पर्यटन सहकारी समिति	639	41328	172	17675	467	23653
27	परिवहन सहकारी समिति	4176	145549	1922	84200	2254	61349
28	आदिवासी–एससी/एसटी सहकारी समिति	2072	1397158	281	555036	1791	842122
29	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1445	15238520	1336	14429654	109	808866
30	महिला कल्याण सहकारी समिति	26476	4701459	4095	821756	22381	3879703
	समग्र योग	**855813**	**315583905**	**329842**	**114702013**	**525971**	**200881892**

स्रोतः सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

4. महिला सहकारी समितियों द्वारा सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणः महिला सहकारिताएँ ऋण, बैंकिंग, बीमा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाती हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में सेवा वितरण की खामियों को पूरा करती हैं। यह सहकारिताएँ वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता क्षमता भी विकसित करती हैं। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह सामाजिक बदलाव की नींव रखने लगा है। अब महिलाएं सहकारी समितियों से नियमित आय अर्जित करती हैं जो घर के दैनिक खर्चों, बचत और बड़ी परिसंपत्तियों की खरीद में उनकी सहमति महत्वपूर्ण होने लगी है। महिलाओं के आय का एक बड़ा हिस्सा बच्चों विशेषकर बालिकाओं की उच्च शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। साथ ही कम उम्र में विवाह के दबाव में भी कमी आने लगी है। वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को उनके खुद के स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा आवश्यकताओं पर स्वतंत्र निर्णय लेने का बल प्रदान करती है।

महिला का दर्जा परिवार में अब आश्रित से बदलकर सह–कमाऊ सदस्य का होने लगा है, जिससे परिवार के भीतर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। आर्थिक योगदान और सामुदायिक समर्थन नेटवर्क होने से घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के मामलों में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। घर के कार्यों और जिम्मेदारियों के पारंपरिक बंटवारे में लचीलापन आया है। नियमित नकद प्रवाह से परिवार की खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जीवन स्तर और सामाजिक गतिशीलता में सुधार हुआ है। सहकारी लाभांश और बचत के जरिए महिलाएं पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, एलपीजी कनेक्शन और घरेलू उपकरणों में भी निवेश करने लगी हैं। बैंक शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, बैठकों और प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने से महिलाओं का सामाजिक दायरा बढ़ा है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सार्वजनिक जीवन में उनकी गतिशीलता बढ़ी है। अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तुत सक्षमता दृष्टिकोण यह विश्लेषण किया जा सकता है कि सहकारिता महिलाओं की क्षमताओं और वास्तविक स्वतंत्रता को कैसे बढ़ाती है। और वहीं दूसरी ओर बीना अग्रवाल का 'बार्गेनिंग मॉडल' परिवार और समाज के भीतर संसाधनों और निर्णयों पर महिलाओं की सौदेबाजी क्षमता के अध्ययन के लिए उपयोगी है।

5. महिला सहकारी समितियों के समक्ष बाधाएं और चुनौतियाँ : सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद अभी भी अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत में महिला सहकारी समितियों के निष्क्रिय होने के मुख्य कारणों में अपर्याप्त संस्थागत समर्थन, कमजोर वित्तीय संपर्क, प्रशिक्षण की कमी तथा सीमित बाजार पहुँच है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि और संपत्ति का स्वामित्व और अचल संपत्तियां अधिकांशतः पुरुषों के नाम होती हैं। जिससे सहकारी बैंकों से आवश्यक बड़े ऋण और तकनीकी सब्सिडी प्राप्त करने में जटिल औपचारिकताएं बाधा बनती हैं। बैंकों के जटिल दस्तावेजीकरण, क्रेडिट स्कोर की आवश्यकताएं और औपचारिक वित्तीय तंत्र की शर्तें महिलाओं के लिए ऋण प्राप्ति को कठिन बना देती हैं। प्रतीकात्मक नेतृत्व, आरक्षण और नीतिगत प्रावधानों से महिलाएं पद तो प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन व्यवहार में वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय परिवार के पुरुष सदस्य (सरपंच/चेयरपर्सन पति सिंड्रोम) लेते हैं। प्राथमिक स्तर की समितियों में महिलाओं की संख्या भले ही अधिक हो लेकिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों राज्य सहकारी यूनियनों और राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष महासंघों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम होती है। इसके प्रमुख कारणों में 'ग्लास सीलिंग प्रभाव' और शीर्ष स्तर पर बहिष्करण माने जा सकते हैं। सहकारी नियमों, वित्तीय प्रशासन की समझ का अभाव, सहकारी उप–नियमों, वार्षिक बजट निर्माण, वैधानिक ऑडिट अनुपालन और बोर्ड बैठकों के संचालन के औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के कारण महिला निदेशक अक्सर नीतिगत चर्चाओं में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पातीं। सरकारी विभागों, रजिस्ट्रार कार्यालय, विपणन बोर्डों और नीति–निर्माताओं के साथ संवाद, पैरवी और सौदेबाजी के लिए आवश्यक औपचारिक और अनौपचारिक नेटवर्क में महिलाओं की पहुंच सीमित रहती है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से जमी पितृसत्ता और लिंग आधारित अपेक्षाएँ प्रायः महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित कर देती हैं। सीमित गतिशीलता, सामाजिक निगरानी और आत्मविश्वास की कमी उनके निरंतर सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती है तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में महिलाएँ निम्न साक्षरता, सीमित शिक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं विपणन में कौशल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करती हैं। दोहरे कार्य, घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और पशुपालन का प्राथमिक श्रम करने के बाद महिलाओं के पास सहकारी प्रबंधन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेने के लिए समय की कमी रहती है। सौदेबाजी शक्ति के अभाव से महिलाओं के पास सरकारी विभागों, नौकरशाही और बाजार नियामकों के साथ संवाद व पैरवी हेतु औपचारिक प्रशासनिक नेटवर्क का अभाव रहता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के कारण रिकॉर्ड कीपिंग, खाता प्रबंधन और ऑनलाइन लेनदेन अनिवार्य होने से डिजिटल कौशल के अभाव में महिलाएं इन प्रक्रियाओं को समझने में समान्यतःअसमर्थ होती हैं। ई–मार्केटप्लेस और आधुनिक विपणन से दूरी, उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग, गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की कम समझ होने से महिला सहकारी समितियां प्रायः बिचौलियों या पुरुष परिजनों पर निर्भर रहती हैं। साइबर सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी का डर, डिजिटल उपकरण के उपयोग में समस्या उनके डिजिटल वित्तीय लेनदेन में बाधा बनता है। वर्ष 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के

अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक होने के बावजूद जहाँ लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं। वहाँ महिला–प्रधान सहकारी समितियों की हिस्सेदारी अभी भी कुल का केवल 2.52 प्रतिशत है।

6. भारत में महिला सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उपाय : सहकारी समितियों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी का उनके आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और इस संदर्भ में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के प्रयास सरकार और महिलाओं दोनों के स्तर से ही जारी हैं। भारत सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को एमएससीएस (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया और बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीटों के आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के बोर्ड में महिला निदेशकों की जरूरत को अनिवार्य किया गया है। इससे 1 लाख से अधिक पैक्स में महिलाओं का जमीनी स्तर पर सहकारी प्रबंधन में प्रतिनिधित्व और निर्णय लेना सुनिश्चित हुआ। स्वयंशक्ति सहकारी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा के लिए 3 साल तक के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। नंदिनी सहकार योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को 5–8 साल तक की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 2 फीसदी तक की ब्याज छूट दी जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महत्वपूर्ण पहलों में स्वयं शक्ति सहकार योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण की सुविधा के लिये कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करती हैं।

7. परिणाम एवं परिचर्चा : भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार है। सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को केवल सदस्य के रूप में जोड़ने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें उत्पादन, वित्त, विपणन, उद्यमिता, निर्णय–निर्माण और नेतृत्व के अवसर भी प्रदान करती हैं। भारत में सहकारी आंदोलन कृषि, डेयरी, मत्स्य, हस्तशिल्प, श्रम, उपभोक्ता, बैंकिंग, विपणन और सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ाकर सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करती हैं। सामूहिक खरीद, उत्पादन और विपणन के माध्यम से लागत कम करने तथा उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए सहकारिता आय के अतिरिक्त स्रोत का निर्माण, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा, बचत एवं ऋण की सुविधा, बाजार तक पहुँच, कौशल एवं प्रशिक्षण, आर्थिक निर्णयों में भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता, सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व का विकास में उपयोगी हैं। नीति आयोग ने भी सहकारी आंदोलन को महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और सतत आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना है।

महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी सहकारी क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। नीति आयोग के एक अध्ययन में उद्धृत आँकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की कुल सहकारी समितियों में केवल लगभग 2.52 प्रतिशत समितियाँ ऐसी थीं जो पूर्णतः महिलाओं की थीं। इसी अध्ययन में अमूल और लिज्जत जैसे महिला–केंद्रित सहकारी आंदोलनों की सफलता को रेखांकित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सहकारी सदस्यता और वास्तविक नेतृत्वधनिर्णय–निर्माण में भागीदारी के बीच अभी भी अंतर है। डेयरी सहकारिता महिलाओं की आर्थिक सहभागिता का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका को सहकारी व्यवस्था ने बाजार, तकनीक, प्रशिक्षण और सामूहिक विपणन से जोड़ने का अवसर दिया है। अमूल मॉडल इसका प्रमुख उदाहरण है। नीति आयोग के अनुसार अमूल से संबंधित सहकारी व्यवस्था ने लाखों किसान परिवारों को जोड़ा है और महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दिया है।

महिलाओं की वास्तविक सहभागिता का मूल्यांकन केवल सदस्यता की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए केवल महिलाओं को समिति का सदस्य बनाना पर्याप्त नहीं हैय उन्हें निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति प्रदान करना आवश्यक है। यह देखना भी आवश्यक है कि महिलाएँ सदस्य→ सक्रिय सदस्य→ समिति की प्रतिनिधि→ प्रबंधकीय भूमिका→ नेतृत्वकारी भूमिका तक किस सीमा तक पहुँच रही हैं। इस दिशा में हाल के नीतिगत कदम महत्वपूर्ण हैं। बहुराज्यीय सहकारी समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 2023 के संशोधन के तहत बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पीएसीएस की आदर्श उपविधियों में भी महिलाओं तथा अनुसूचित जातिध्जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर सदस्यता को अधिक समावेशी बनाने का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र में नीति और संस्थागत स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को जमीनी स्तर तक मजबूत करना तथा सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को विकसित करना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 भी सहकारी आंदोलन में महिलाओं को महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखती है। सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के

लिए विभिन्न पहलें की हैं। बहु–राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को एमएससीएस (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें एमएससीएस के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होगा। सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं और देश भर के राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए हैं। इसमें पैक्स के बोर्ड में महिला निदेशकों की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। इससे 1 लाख से अधिक पैक्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा निर्णय लेना सुनिश्चित हो रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निगम है, जो पिछले कई वर्षों से महिला सहकारी समितियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उन्हें व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियाँ अपनाने में सक्षम बनाया जा सके। एनसीडीसी विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के लिए दो योजनाओं को लागू कर रहा है। स्वयं शक्ति सहकारी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामान्य/सामूहिक सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा के लिए 3 वर्ष तक के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। जबकि नंदिनी सहकार योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को 5 से 8 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें सावधि ऋण पर 2 प्रतिशत तक की ब्याज छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता एनसीडीसी को सौंपे गए व्यवसाय योजना आधारित गतिविधिध्सेवा के लिए प्रदान की जाती है।

इस तरह भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता आर्थिक सशक्तीकरण से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया है। डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प, बैंकिंग, श्रम और सेवा क्षेत्र में सहकारिता ने महिलाओं को सामूहिक शक्ति प्रदान की है। फिर भी सदस्यता की तुलना में निर्णय–निर्माण और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए महिलाओं के लिए सहकारी संस्थाओं में सदस्यता, वित्तीय संसाधन, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, बाजार संपर्क और नेतृत्व के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इससे सहकारिता केवल आर्थिक संस्था न रहकर महिला सशक्तीकरण और समावेशी ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि सहकारिताओं में महिलाओं को दक्षता, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण, प्रबन्धकीय सक्षमता, विपणन दक्षता, नेतृत्व विकास, समस्याओं के सुलझाव की क्षमता, आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षा और सूचना जैसी मानव संसाधन विकास की अधिकाधिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने आप में विश्वास पैदा कर सकें और अपनी शक्तियों और दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन कर सकें। महिलाओं को मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण देते समय लिखित सामग्री देनी चाहिए जो निरक्षर महिलाओं के लिए लाभप्रद बन सकें। प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सहकारी नीतियों, मिशन वक्तव्य, सहकारी समिति के उद्देश्यों, रणनीतियों वैधानिक प्रावधानों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। संस्थागत और वित्तीय सहायता पेशेवर मार्गदर्शन, कौशल निर्माण और बाजार संपर्क के माध्यम से निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना होगा। कम ब्याज दर पर ऋण, उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना, बेहतर स्थायित्व, बाजार पहुँच, ई–कॉमर्स और जेम जैसे प्लेटफार्मों से जुड़े क्लस्टर आधारित मॉडल को बढ़ावा देना होगा। अवैतनिक कार्य को मान्यता देना और समय की कमी को दूर करना महिलाओं के अवैतनिक कार्य को कम करने के लिये सामुदायिक बाल देखभाल, साझा घरेलू भूमिकाएँ और समय बचाने वाले बुनियादी अवसरंचना को बढ़ावा देना होगा, जिससे वे सहकारी समितियों जैसी आर्थिक गतिविधियों में अधिक संलग्न हो सकेंगी। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिये पीएसीएस और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण करते हुए विपणन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन के लिये डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में सहकारी मॉडल को सक्रिय से बढ़ावा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष नीतियों को नया रूप देने और इसमें सबसे आगे रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने का एक उचित अवसर प्रदान करता है। सहकारी समितियां व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेकों विकल्प प्रदान करती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया ने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडलों को अपनाया लेकिन सहकारी मॉडल सबसे उपयुक्त साबित हुआ है। वर्तमान असंतुलित विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सहकारी मॉडल को लोकप्रिय बनाना होगा और इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। सहकारिता भारत में महिलाओं के लिये सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है। उचित संसाधनों, प्रशिक्षण और नेतृत्व के साथ सशक्त महिला सहकारी समितियाँ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. भारत सरकार (2026, 4 फरवरी). महिला कोऑपरेटिव संस्थाएं और आर्थिक एम्पावरमेंट. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.
2. एनसीयूआई (2026). कोऑपरेटिव में जेंडर–बेस्ड पॉलिसी पर आईसीए–एपी स्टडी का प्रसार. नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
3. एनसीयूआई (2025). एनुअल रिपोर्ट 2024–25. नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार (2024, 4 दिसंबर). कोऑपरेटिव्स में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.
5. शाह, अमित (2023)। सहकार से समृद्धिः योजना से उपलब्धि तक। योजना, वर्ष–67, अंक–7, पृष्ठ–5, जुलाई 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
6. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। सहकारिता से ग्रामीण समृद्धि। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–44, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. पटेल, डॉ. नीलम, डॉ. तनु सेठी (2023)। सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–17, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
8. शेखावत, महेन्द्र, स्वेच्छा मित्तल, गुरमीत कौर (2021)। भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइंस रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम–8, अंक–3 मई–जून–2021, पृष्ठ 138–148 ।
9. कुमार, ए. (2020)। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना और वित्तीय स्थिरता पर अध्ययन। सहकार प्रकाशन, नई दिल्ली
10. आईएलओ (2018). इनफॉर्मल इकॉनमी में महिला वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन को आगे बढ़ानाः सेवा का तरीका. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
11. सिंह, कुमार अरुण (2017) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां। मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स.
12. आईएलओ (2016). कोऑपरेटिव्स में महिला एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी पर आईएलओ कुआप पब्लिकेशन्स. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
13. आईएलओ (2015). एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटीरू द कोऑपरेटिव वे, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
14. टांगीराला, एच. एस. के. (2004)। 'लैंगिक मुद्दे और सहकारिताएं'। कुरुक्षेत्र, वर्ष–50, अंक–12, पृष्ठ–55, अक्तूबर 2004, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

=====

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, डॉ. अमित कुमार (2026)। भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 20–26। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005568

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में भक्ति आन्दोलन की मूल्य चेतना का अवलोकन

डॉ. जय प्रकाश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** jayprakash7619@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23005628

सारांश

भारत में भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक या सामाजिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक और नैतिक पुनर्जागरण की सबसे प्रबल धारा थी। मध्यकाल (विशेष रूप से 8वीं से 17वीं शताब्दी) के दौरान दक्षिण भारत से अलवार और नायनार संतों द्वारा प्रारंभ हुई यह धारा उत्तर भारत तक फैल गई और समाज के हर वर्ग को स्पंदित किया। भक्ति आंदोलन की 'मूल्य चेतना' सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का एक ऐसा समावेश थी, जिसने समाज की जड़ता को तोड़कर मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा हैं। भक्त कवियों की वाणी में रचनात्मक मूल्य चेतना है। भक्ति आन्दोलन की लोक जागरणवादी परंपरा में हम पाते हैं कि अधिकांश रचनाकारों की रचनाओं में मानवीय पीड़ा का बोध बहुत गहरा है। सामाजिक अंतर्वस्तु में बदलाव और परिवर्तन के लिए संतो की सक्रियता देखते बनती है। इनका उद्देश्य ऐसे जीवन मूल्यों का प्रतिपादन करना था जिससे पुरोहितवाद, पुराणवाद, कर्मकाण्डवाद आदि के चलन को कम किया जा सके। अपमानित जीवन जीने को अभिशप्त निचले वर्ग में आत्मविश्वास पैदा करने और विश्वास को कायम रखने के लिए संतो ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और जनता तक अपने सन्देश पहुंचाते रहे। इन संत रचनाकारों ने अपने चिंतन और साहित्य से भारतीय समाज एवं संस्कृति के इस सत्य को ध्वनित किया कि ईश्वर के समक्ष न कोई छोटा है न कोई बड़ाय उसकी नजर में सभी मनुष्य बराबर हैं। समतामूलक दृष्टि के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिए संतों ने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कई प्रयास किए।

आलेख सूचना

प्राप्त: 14 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 26 अगस्त, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 10

मुख्य शब्द: मूल्य चेतना, पुरोहितवाद, भक्ति आंदोलन, लोकवृत्त, खंडनात्मक शैली, मध्यकाल।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: भक्ति आन्दोलन की सांस्कृतिक विकास यात्रा पर सम्यक नजर दौड़ाने पर हम पाते हैं कि पुराणमतवादी व्याख्याओं और व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए एक अभूतपूर्व संत परंपरा का आविर्भाव होता है। इस परंपरा में निम्नवर्ग के संतों की आमद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। शूद्र वर्गों का एक नया संसार साहित्य और कविता में पहली बार दाखिल होता है। यह साहित्य आम मनुष्य की चेतना के उन सपाट बिन्दुओं को संश्लिष्ट बनाता चलता है जिसमें मानवता का हित समाहित है। भक्ति काव्य भारतीय जनता की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत इसी नाते है क्योंकि इसमें आम जन की शक्ति हैय आम जन की पीड़ा, आकांक्षा और संघर्ष की चेतना अन्तर्निहित है। इसमें संदेह नहीं कि बीसवीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुक्ति चेतना को संत साहित्य से सांस्कृतिक नवजागरण का प्रकाश मिला। भक्ति आन्दोलन अखिल भारतीय संस्कृति की नवप्रेरणा के उल्लास से फूटा एक ऐसा आन्दोलन है जिसके बाहरी ढब में भले ही धर्म और भक्ति का रंग चढ़ा हो लेकिन इसकी आन्तरिकता में संस्कृति के चटक रंग बिखरे हुए हैं। ग्रहण और त्याग के विवेक के साथ इस आंदोलन ने सिद्धों–नाथों के चमत्कारी, करामाती रूपों को पीछे धकेलकर इनके दर्शन के मूल सार को ग्रहण किया। 'सार सार को गहि चले थोथा देहि उड़ाय' की उक्ति को यहाँ चरितार्थ होता हुआ देखा जा सकता है। नामदेव, कबीर, नानक, मलूकदास, रैदास, दादूदयाल, धना भगत, पीपा, दरियासाहब, कीनाराम, रज्जब आदि अनेक रचनाकारों ने काव्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा वह उनका भोगा हुआ अनुभव था इसीलिए उसमें खरापन है। संत साहित्य की चिंता और पीड़ा में कोटि–कोटि साधारण जनों की पीड़ा नत्थी है। संत कवियों के यहाँ भूख की चिंता के पद कई जगहों मिलते हैं। संत रैदास कामना करते हैं कि "ऐसा चाहों राज मैं जहाँ मिलै सबन कौ अन्न। छोट बड़ो सभ सम बसैं रविदास रहैं प्रसन्न।[1]"

भक्ति काव्य समाज को एक नयी दिशा देने में कितना सफल हुआ यह चर्चा का विषय हो सकता है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि उसने लोक से संवाद करते हुए, उसे आत्मसुधार के लिए प्रेरित किया। इस सन्दर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस महत्वपूर्ण स्थापना पर गौर किया जाना चाहिए कि "भक्ति साहित्य संसार के बाह्य रूप को यथा–स्थित छोड़कर व्यक्ति–मानव के चित्त में परिवर्तन लाने पर अधिक जोर देता है। वह लौकिक रस के कवियों की रचनाओं की तुलना में अधिक मुक्त और अधिक कुंठाहीन है, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति साहित्य अपने आप में स्तब्ध और कुंठित साहित्य नहीं है,पर परिवर्तन का लक्ष्य अदृष्ट होने के कारण वह पूर्ण मुक्त नहीं है।[2]"

संतों के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा पाकर किसानों, मजदूरों ने सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई जिसके पर्याप्त प्रमाण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मौजूद हैं। हालांकि यह विरोध राजा के खिलाफ नहीं बल्कि उन सामन्तों के खिलाफ है जो प्रत्यक्ष तौर पर गरीब जनता का शोषण करते थे। लोक जागरण के विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ज्यादातर संत श्रम–कार्य से जुड़े रहे। उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था इसलिए उनके सामने न किसी के समक्ष हाथ फैलाने की मजबूरी थी और न ही गिड़गिड़ाने की जरूरत। रैदास कहते हैं कि "जूतिन गांठि निबाह करै तन और उपांनत संतन कीया। सालगरामहि छानि छवावत, आप सवा हरि बांटहि धीया।।[3]" श्रम का सौन्दर्य ही संत कविता की ऐसी ऐतिहासिक शक्ति है जहाँ उसमें प्रतिष्ठित चेतना नयी संभावनाओं की पहचान कराती है। जन पक्षधरता संतों की विचारधारा है और श्रम से उपजा आत्मसम्मान इनकी ताकत। इन कवियों ने जो भी कहा, बिना किसी दुराव–छिपाव के और बेलौस होकर कहा। संतों की स्वीकारोक्तियों में जो टटकापन है वह उनकी बोली–बानी की मौलिकता के चलते ही है! कहन की मौलिकता के चलते ही संत कविता इतनी संप्रेषणीय है! भारतीय समाज ने हमेशा ही उदारता और सहिष्णुता की संस्कृति को अपनाए रखा। विभिन्न धार्मिक, जातिगत, भाषायी समूहों के समन्वय द्वारा भारत की महान संस्कृति फलती–फूलती रही है। भारतीय संस्कृति ने सहकार और सह–अस्तित्व की कोपलों को फूटने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की और उन कोपलों से निकले वृक्षों ने सभी को छाया दी। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि समाज में हमेशा कट्टरवादियों एवं असहिष्णु लोगों ने अहिंसा एवं न्याय के पक्ष में लगे लोगों को उनके इस सत् कार्य से च्युत करने का प्रयास किया। इस बात के भी कई प्रमाण मौजूद हैं, जहाँ न्याय के पक्ष में लड़ने वाले लोगों पर हमले हुए। इस तथ्य की भी तस्दीक की जानी चाहिए कि नाथों और सिद्धों के मध्य कई बार खूनी संघर्ष तक हुए। ऐसी तमाम बातों के बावजूद भारतीय समाज और संस्कृति ने अपनी मूल चेतना में समाई उस सहकार, प्रेम और आदर की भावना को नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए, सम्राट अशोक हमारी जातीय स्मृति में सहिष्णुता और करुणा की मूर्ति के रूप में इसीलिए प्रतिष्ठित हैं क्योंकि उनका विवेक हमारी भारतीयता की अन्तरंग चेतना को आत्मसात कर अपना आगे का रास्ता चुनता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें सभी चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचने की तितीर्षा में अपने शुभ संकल्पों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस सन्दर्भ में सम्राट हर्ष भी हमारे लिए महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन्होंने सातवीं शताब्दी में ब्राह्मणों और बौद्धों को समान रूप से प्रोत्साहित किया ।

भक्ति–कविता की संस्कृति' मनुष्य को विनम्र बनाती है,सरल और सहज संस्कार देती है। 'कवित विवेक एक नहिं मोरे' जैसी पंक्तियों की व्यंजना में तुलसीदास की विनम्रता और सरलता झलकती है। दरअसल यही विनम्रता और सरलता भक्ति काव्य की अन्यतम विशेषता है। रामचरितमानस के प्रारम्भ में ही तुलसीदास जी 'स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा' की उद्घोषणा करते हैं। वह आत्म ज्ञान और आत्म सुख के लिए राम की गाथा लिख रहे हैं न की अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। यही बात ललित कलाओं पर भी लागू होती है। वे सब मानव–संस्कृति के वाहक है। मूल्य दृष्टि से कटकर वे संस्कृति नही, विकृति के द्योतक हो सकते हैं। भक्ति इन संतों के लिए कष्टों से मुक्ति का एक अवलम्ब है। उल्लेखनीय है कि यहाँ भक्ति और कर्म पृथक नहीं बल्कि अन्योन्याश्रित हैं। दरिया साहब कहते है कि "सकल कवित का अरथ है, सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का कर लीजै दिन रात।।[4]"

समाज एवं संस्कृति की व्याख्या करते हुए नीति–नैतिकता की बार–बार चर्चा की जाती है। गांधी जी ने 'रामराज्य' की परिकल्पना प्रस्तुत की थी वह तुलसीदास की इस धारणा पर आधारित था कि रामराज्य समस्त मनुष्यों को समान रूप से बढ़ने का मौका देता है। वह नीति, मर्यादा और नैतिकता के निकष पर खरा उतरने वाले रामराज्य की प्रस्तावना करते हैं। रामराज्य की परिकल्पना को समझने के लिए मनुष्य और उसकी संस्कृति के विकास–क्रम को अच्छी तरह जानना होगा। भारतीय संस्कृति में अवतार की कल्पना इसी विकास के क्रम को रूपायित करती है। इस विकास क्रम के अर्थ में ही अवतार का रहस्य छिपा है। इस क्रम में क्रमशः जल–थल और दलदल के जीव, बाद में पशु और नव मानव का जन्म होता है। फिर पशुता से मुक्ति, शारीरिक रूप से अपूर्ण मानव वामन और तामसिक मानव परशुराम के सृजन की प्रक्रिया से होकर पूर्ण मानव राम का आविर्भाव होता है। यह प्रतीक कथा है। रामराज्य के नायक राम का उदय तब होता है, जब हर दृष्टि से पूर्ण होकर मानव, एक से अनेक होने के क्रम में समाज की स्थापना करता है अर्थात् अपने सुख के लिए अपनी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। तभी नीति–नियम, कर्तव्य और कर्म संहिताबद्ध होते हैं और एक आदर्श समाज अस्तित्व में आता है। पाने के लिए देने की महत्ता स्थापित होती है। यही नैतिकता है जो भक्ति आंदोलन के मूल में है।

संत साहित्य की चिंता के केंद्र में साधारण जनों की मुक्ति का सवाल है। ध्यान रहे कि यह मुक्ति जितनी सामाजिक–सांस्कृतिक है उतनी आध्यात्मिक नहीं। दरअसल यहाँ आध्यात्मिकता और जीवनगत संकट एक दूसरे के पूरक हैं। मलूकदास कहते हैं कि 'सच्चा पीर' वही है जो दूसरे की पीड़ा को अनुभव करे। दूसरे की पीड़ा का जिसे बोध ही न हो सके उसे मनुष्य का दर्जा दिया ही नहीं जाना चाहिए। बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि मलूकदास की यह पीड़ा 'भेदभाव जनित' अनुभव से उपजी है। अमानवीय जाति–व्यवस्था में निम्नवर्गीय जातियों का उत्पीड़न मध्यकालीन समाज की अनिवार्य विशेषता रही है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हमारी आलोचना इन पदों में गूढ़ अर्थ खोजने लगती है और संत कविता में उठाये गए जमीनी सवालों से टकराने के बजाए किसी और दिशा की ओर शिफ्ट हो जाती है। यह भक्ति आन्दोलन के सामाजिक आधारों की अनदेखी है जिसकी नोटिस ली जानी चाहिए। कलात्मक समृद्धि को ही सब कुछ मान कर चलने वाले कतिपय आलोचकों को यह दिखा ही नहीं कि संत कविता की इस आन्दोलनधर्मी परंपरा के अन्दर एक नए समाज के निर्माण का स्वप्न पल रहा था! संतों के पास अपने समाज को बदलने का विजन भले ही बहुत स्पष्ट न रहा हो पर उनके पदों–सबदों–वाणियों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से बदलाव के लिए छटपटाहट मौजूद है।

जाति, धर्म, संप्रदाय की चौहद्दियों को तोड़ते हुए संतों ने मानवधर्म को सर्वोपरि माना। उनका अपना अनुभव था कि मुक्ति की राह स्व–मुक्ति से ही निर्मित होती है। इसी नाते रैदास जैसे संत बार–बार समझाते हैं कि मुक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि वह आंतरिक जागरण है–"पांड़ें ! हरि विचि अंतर डाढ़ा। मुंड मुड़ावै सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाढ़ा।[5]" धर्म और सत्ता के मठों की निरंकुशता का नग्न रूप इन संतों ने अपनी आँखों से देखा था। जिस समाज व्यवस्था के महाप्रभुओं ने निम्न जातियों को भक्ति के अधिकार से वंचित कर रखा था। उन संकीर्ण दीवारों को ढहाते हुए रैदास सभी साधारण जनों को भक्ति का अधिकारी घोषित करते हैं कि "सति बचन रविदास उचारा। हरि भगत मांहि सब को अधिकारा।[6]" यह आकस्मिक नहीं कि अधिकतर संत कवि नकली मर्यादाओं को बेनकाब करते चलते हैं और धर्म के पाखण्ड को आड़े हाथों लेते हैं। मलूकदास शब्दांकित करते हैं कि 'ऊंचा वह नहीं है जो ऊंची जात का है' बल्कि जिसके भीतर करुणा और दया का भाव है, वही ऊंचा है। जो दंभपूर्ण तरीके से अपने को ऊंचा साबित करते हैं वो तो बिलकुल ही ऊंचे नहीं हैं वरन जो 'श्रेष्ठता के अहंकार से मुक्त होकर' विनम्रता पूर्वक जीवन जीते हैं, वही ऊंचे होते हैं। संत साहित्य जीवन मूल्यों के विकास पर बल देने के साथ, भेदभाव–रहित समाज की बुनियाद रखता है। ऐसा ज्ञान और ऐसी भाषा जो भावों के प्रसार में बाधा पहुंचाने वाली हो उस भाषा और ज्ञान को अस्वीकारते हुए इन संतों ने नए गीत लिखे, नए शब्द रचे और लोक परम्पराभिमुख प्रयोगों को अपनी रचनाओं में स्वीकृति दी। अभिव्यंजना शैली सशक्त और प्रभावशाली तभी बनती है जब भाषा प्रयत्न साध्य न होकर सरल और सहज हो।

2. परिचर्चा एवं परिणाम : भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकाल का एक ऐसा महान सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज की मूल्य चेतना को पूरी तरह बदल दिया। यह केवल एक धार्मिक पुनर्जागरण नहीं था, बल्कि इसने तत्कालीन रूढ़ियों, सामाजिक असमानता और आडंबरों के खिलाफ एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिससे समाज में एक सार्वभौमिकता मूल्य चेतना का प्रवाह हुआ है। उदाहरण के लिए–

2.1. समता और सामाजिक न्याय: भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी मूल्य चेतना जाति–पाति और ऊंच–नीच का विरोध थी। संतों ने यह प्रतिपादित किया कि ईश्वर की भक्ति पर हर मनुष्य का समान अधिकार है। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी मूल्य चेतना समानता थी। कबीर, रविदास, दादू दयाल, और गुरु नानक जैसे संतों ने जाति व्यवस्था, ऊँच–नीच और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। जैसाकि कबीर का कथन कि ''जाति–पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई।'' भक्ति का द्वार सभी के लिए खोल दिया गया। चाहे वे किसी भी जाति, लिंग या वर्ग के हों। कबीर (जुलाहा), रविदास (चर्मकार), सेना (नाई), और पीपा (राजा) सभी एक ही आध्यात्मिक धरातल पर खड़े दिखे।

2.2. मानवतावाद और करुणा: इस आंदोलन ने मानव प्रेम को ही ईश्वर प्रेम माना। परोपकार, सहानुभूति और दूसरों के दुख को समझने को सबसे बड़ा धार्मिक मूल्य घोषित किया गया। जैसाकि नरसी मेहता का प्रसिद्ध भजन कि ''वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाणे रे।'' (सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है)।

2.3. आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध: संतों ने बाह्य आडंबरों जैसेकृमूर्तिक पूजा (निर्गुण संतों द्वारा), तीर्थयात्रा, बलि, व्रत, और पाखंडी अनुष्ठानों का तीखा विरोध किया। कबीर ने स्पष्ट कहा कि ''पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहार।'' यानी ईश्वर बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि निर्मल मन और आचरण की शुद्धता से प्राप्त होता है। उन्होंने अंतःकरण की शुद्धि और आंतरिक पवित्रता पर बल दिया। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर तीखे प्रहार किए।

2.4. नैतिक आचरण और गुरु की महत्ता: भक्ति चेतना में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा या उनके समकक्ष स्थान दिया गया। गुरु को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक माना गया। केवल ईश्वर ध्यान पर्याप्त नहीं थाय आचरण की पवित्रता को अनिवार्य माना गया। सत्य बोलना, अहिंसा, दया, क्षमा, संतोष, और अहंकार (हौमै) का त्याग इस चेतना के मूल स्तंभ थे। 'गुरु' की महत्ता को रेखांकित किया गया, जो

अज्ञानता का नाश कर शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाता है। इस आंदोलन ने कर्मकांडों, बलिप्रथा और कठिन तपस्या के बजाय ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम (भक्ति) को सर्वोपरि माना।

2.5. लोकभाषाओं का सम्मानः भक्ति संतों ने ज्ञान और भक्ति को संस्कृत के बंधनों से मुक्त कर जनभाषा (अवधी, ब्रज, मैथिली, मराठी, पंजाबी, तमिल) में फैलाया। भक्ति आंदोलन ने ज्ञान को संस्कृत के आभिजात्य वर्ग के एकाधिकार से बाहर निकाला। संतों ने जनता की भाषा (अवधी, ब्रज, मैथिली, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, तमिल) में रचनाएँ कीं। इससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक वैचारिक चेतना पहुँची और क्षेत्रीय साहित्यों का अभूतपूर्व विकास हुआ। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा, कबीर ने सधुक्कड़ी अपनाई, और शंकरदेव ने असमी का प्रयोग किया। इससे जन–साधारण में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान जागा।

2.6. नारी चेतना और मुक्तिः मध्यकालीन रूढ़िवादी समाज में जहाँ महिलाओं पर कई पाबंदियाँ थीं, भक्ति आंदोलन ने उन्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी। मीराबाई, अक्का महादेवी, और ललद्यद जैसी महिला संतों ने पुरुष प्रधान समाज की सीमाओं को तोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई।

2.7. आत्म–समर्पण और अहंकार का नाशः भक्ति का मूल आधार 'अहंकार का त्याग' है। संतों के अनुसार जब तक मनुष्य के भीतर 'मैं' (अहंकार) है, तब तक वह ईश्वर या सत्य को नहीं पा सकता। तुलसीदास की 'दास्य भक्ति' और सूरदास की 'सख्य भक्ति' इसी आत्म–समर्पण को दर्शाती हैं।

3. भक्ति आंदोलन की प्रासंगिकताः वर्तमान में भी भक्ति आंदोलन सामाजिक समरसता, मानवीय मूल्यों और अंतरधार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। जाति, लिंग और वर्ग के भेदों को अस्वीकार कर समाज में सबको समान अधिकार देने की प्रेरणा आज भी प्रासंगिक है। बाह्य आडंबरों, दिखावे और पाखंड से दूर रहकर शुद्ध आचरण और मानव सेवा को सर्वोपरि मानना आज की आवश्यकता है।

भक्ति आंदोलन ने हिंदू–मुस्लिम संस्कृतियों के बीच संवाद कायम किया। सूफीवाद और भक्ति धारा ने एक–दूसरे को प्रभावित किया, जिससे साझी संस्कृति (गंगा–जमुनी तहजीब) का निर्माण हुआ। भक्ति आंदोलन ने स्त्री चेतना का विकास किया है। मीराबाई, अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी (ललद्यद) जैसी महिला संतों ने पितृसत्तात्मक सामाजिक बंधनों को तोड़कर भक्ति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता और पहचान की अभिव्यक्ति की है। भक्ति आंदोलन ने लोकतांत्रिक चेतना का बीजारोपण किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक अधिकार देकर भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में लोकतंत्र और भ्रातृत्व की नींव रखी है। इस तरह भक्ति आंदोलन केवल अतीत की एक धार्मिक लहर नहीं थी। इसकी मूल्य चेतना 'समानता, भ्रातृत्व, लोकभाषा का सम्मान, और नैतिक आचरण' आज भी भारतीय समाज और संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों का मूलाधार बनी हुई है।

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में भक्ति आंदोलन की मूल्य चेतना ने धार्मिक संकीर्णता को तोड़कर उदारता, विभेद को मिटाकर एकता, और बाहरी दिखावे को छोड़कर आत्मिक शुद्धता को स्थापित किया। इसी मूल्य चेतना के कारण यह आंदोलन सदियों बाद आज भी भारतीय समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ढांचे का आधार बना हुआ है। इस तरह भक्ति आन्दोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक–सांस्कृतिक रिक्तता को भरते हुए एक ऐसी मूल्य–व्यवस्था के निर्माण का युगांत प्रस्तुत किया जिसका गहरा प्रभाव आज भी हमारी–मूल्य प्रणाली में दिखाई देता है। संतों ने कथनी और करनी भेद को मिटाने पर बल दिया। एक स्वस्थ समाज के निर्माण और रचनात्मक मूल्य चेतना के विकास में भक्ति आन्दोलन की प्रासंगिकता कभी कम नहीं होगी।

स्रोत एवं संदर्भः

1. चंद्र सुभाष (2012). दलित मुक्ति की विरासतः संत रविदास, आधार प्रकाशन, पंचकूला, पृष्ठ–160
2. द्विवेदी, हजारी प्रसाद(2003). मध्यकालीन बोध का स्वरूप, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–19
3. सिंह, शुकदेव (2001). रैदास बानी (संपा.) राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृष्ठ–303
4. उपर्युक्त, पृष्ठ–131
5. उपर्युक्त, पृष्ठ–164
6. उपर्युक्त, पृष्ठ–121
7. शर्मा, रामविलास (2012). लोकजागरण और हिंदी साहित्य. राजकमल प्रकाशन, 2012, पृ. 45.
8. शुक्ल, रामचंद्र (2018). हिंदी साहित्य का इतिहास (संपा. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा). नागरी प्रचारिणी सभा, 2018, पृष्ठ–82
9. वर्मा, धर्मवीर (2019). भक्ति आंदोलन की सामाजिक चेतना और लोक संस्कृति. आलोचना, 45(2), 34–42.
10. द्विवेदी, हजारीप्रसाद. (2015). कबीर और भक्ति आंदोलन की मूल्य चेतना. (संपा. एन. सिंह), भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक परंपरा (पृष्ठ112–128). वाणी प्रकाशन.

=====

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, डॉ. जय प्रकाश (2026)। भारत में भक्ति आन्दोलन की मूल्य चेतना का अवलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 27–30। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005628

Bundelkhand Journal of Academic Research

विकास के सिद्धांत का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आलोक गुप्ता
असोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** alokgupta.alokgupta@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23005666

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र विकास की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो कि द्वितीयक सामग्री पर आधारित है। विकास मानव–जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आदिकाल से वर्तमान आधुनिक युग तक विकास की प्रक्रिया को अपनाने का ही परिणाम है कि मानव सभ्यता आज वर्तमान रूप में परिलक्षित होती है। विकास एक बहुआयामी एवं गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा मानवीय कल्याण में सकारात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। प्रारम्भिक विकास सिद्धांतों में मुख्यतः आर्थिक वृद्धि, पूँजी निर्माण और औद्योगीकरण को विकास का आधार माना गया, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मानव विकास, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सतत विकास को भी समान महत्त्व दिया जाता है। विभिन्न विकास सिद्धांतों का अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि विभिन्न देशों और समाजों में विकास की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है। विकास के विविध आयामो की समझ के लिये विकास के सिद्धान्तों का गहन विश्लेषण आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र उक्त विश्लेषण का समाज–वैज्ञानिक प्रयास है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 23 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 02 सितंबर, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 01 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 10

मुख्य शब्द: औद्योगीकरण, सामाजिक न्याय, सतत विकास, कल्याण, यथार्थवाद, प्रगति।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : विकास की परिभाषा बहुआयामी है। इसकी स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसकी बहु आयामी प्रकृति के कारण ही इसकी सर्व समावेशी परिभाषा प्राप्त होने में अनेक कठिनाइयां हैं। इसके बावजूद भी विकास की अवधारण के अन्तर्गत कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके द्वार इसे समझा जा सकता है। सामान्य अर्थों में, विकास का अर्थ है जीवन में बेहतर परिस्थितियों की वृद्धि होना। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से समझें तो स्पष्ट होता है कि विकास की अवधारणा बहुत पुरानी नही है। यह विगत शताब्दी के पूर्वार्द्ध के बाद के वर्षों में प्रचलन में आई। यह वह समय था जब आज के अधिकांश अविकसित देश अपने लम्बे औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर स्वतंत्र देश के रूप में विश्व पटल पर प्रकट हो रहे थे। इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में नियोजित विकास की नीति अपनाई थी।

एडम स्मिथ की 'वैल्थ आफ नेशन्स' को विकास के अर्थशास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है, लेकिन विकास के अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन 20वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुआ। वस्तुतः विकास एक सापेक्षिक धारणा है, जो कि अपने आरम्भिक स्तर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अविकसित विकास की अवधारण को समझने के लिए अनेक विद्वानों ने भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों से अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कुछ सिद्धांतकारों ने विकास को केवल आर्थिक आधार पर व्यवस्थित किया, तो कुछ ने आर्थिक पहलु के साथ–साथ अन्य पहलु जैसे सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा आदि को भी विकास की अवधारण मे सम्मिलित किया।

1950 से 1960 के दशक में विद्वानों ने आर्थिक समृद्धि को विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकर किया। विकास का यह मॉडल विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, विकासशील देशों में विकास की अवधारण बचत, निवेश एवं विदेशी सहायता में वृद्धि से सम्बंधित है और विकास की दर इन देशों में बचत और निवेश की दर से निर्भर करती है।

1960 के बाद विकास की अवधारण को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखा जाने लगा। जहां पुराने परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था के उत्पादन पक्ष को केंद्र में रखा गया था, वही इस नए परिप्रेक्ष्य में वितरण पक्ष महात्वपूर्ण हो गया जो

कि विकास की व्यवस्था घरेलु और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संबंधों की संरचना के आधार पर करता है। विकास संबंधी यह नवीन परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस तरह से विकास की वर्तमान प्रकृति विभिन्न देशों के बीच प्रभुता एवं अधीनता के संबंधों का विकास करती है। यह एक लोक–उन्मुख परिप्रेक्ष्य है, जिससे विकास संबंधी संरचनात्मक एवं संस्थात्मक बाधाओं को चिन्हित करने पर अधिक बल दिया जाता है।

प्रत्यक्षवादी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास मात्र भौतिक उपलब्धियों में वृद्धि और भौतिक जीवन स्तर में सुधार नहीं है बल्कि यह समाज में ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी संबंधित है जो भौतिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वस्तुतः यह उपागम एक प्रकार्यवादी उपागम है जो विकास की दर को बढ़ाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर विशेष बल देता है। इस उपागम से प्रमुखत रूप से दो समाजशास्त्री संबंधित हैं। आगस्त कॉमटे और टॉलकट पारसंस। उपरोक्त दोनों समाजशास्त्रियों द्वारा विकास के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया है।

20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकास का एक अन्य सिद्धांत 'यथार्थवादी विकास का सिद्धांत' प्रस्तावित किया गया। पूर्व में जो उपागम थे वे वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि को विकास का पर्याय मानते थे, जबकि यह उपागम अर्थव्यवस्था के वितरण पक्ष पर केंद्रित था। अब विकास की परिभाषा यथार्थवादी अर्थों में की जाने लगी। यह उपागम कल्याण उन्मुख और समाजवादी है जिसमें आर्थिक पक्ष के साथ–साथ सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष समाहित होते हैं।

अल्प विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से निर्भरता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से आंद्रे गुंटर फ्रैंक, समीर अमीन और इमैनुअल वालरस्टीन जैसे विद्वानों से संबंधित है। इसका प्रतिपादन 1973 में पॉलबरान ने अपनी पुस्तक ''द पॉलीटिकल इकोनामी आफ ग्रोथ'' में किया। यह सिद्धांत कम विकसित देशों के अल्प विकास को विकसित धनी देशों द्वारा उन पर प्रभुत्व और साम्राज्यवादी दावों के इस्तेमाल के परिणाम के रूपमें देखता है।

विकास का विश्व–व्यवस्था सिद्धात एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धांत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धातकार है– आंद्रे गुंटर फ्रैंक, इमैनुअल वॉलर स्टीन, समीर अमीन आदि। इसे सर्वप्रथम आंद्रे गुंटर फ्रैंक ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के समर्थक प्रमुख रूप से जो विशेषताएं इसमें मानते हैं, वह है कि विश्वव्यवस्था दो परस्पर विरोधाभासी प्रकार के समाजों से बनी हुई है–अमीर देश के समाज और गरीब देश के समाज। इन दोनों के बीच एक अन्य श्रेणी भी पाई जाती है। इन दोनों श्रेणियां के बीच असमान विनिमय सर्वप्रमुख धारणा है। इसमें आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक संरचनाओं की मौजूदगी को महत्व न देकर असमानताओं की अंतरराष्ट्रीय संरचना पर अधिक बल दिया जाता है। फ्रैंक के अनुसार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में महानगरीय देश पिछड़े देशों के आर्थिक अधिशेषकाहरण करके विकसित होते हैं। वही वालरस्टीन का मानना है कि वर्तमान विश्वव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था में केंद्र के क्षेत्र अर्थात यूरोप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा हुआ जबकि परिधि के क्षेत्र अर्थात पूर्वी यूरोप के देश तथा दक्षिणी अमेरिका के देशों को सर्वाधिक नुकसान हुआ।

असमान विनिमय का सिद्धांत जिसके प्रतिपादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इम्युनल का है, वह असमान विनिमय के लिए उत्तरदायी कारणों पर इस सिद्धांत में अधिक ध्यान देते हैं। इस सिद्धांत का मूल तत्व है कि धनी और निर्धन देशों के बीच श्रम की गतिशीलता उतनी नहीं है जितनी कि पूंजी की गतिशीलता है। इसका परिणाम होता है कि अल्पविकसित देशों में मजदूरी की निम्न दर का होना। मजदूरी की निम्न दर के कारण अल्प विकसित देशों के उत्पाद विकसित देशों की तुलना में सस्ते होते हैं।

2. विकास का सैद्धांतिक विश्लेषण :

2.1. विकास का शास्त्रीय सिद्धांतः एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो तथा थॉमस माल्थस जैसे अर्थशास्त्रियों के विचारों में श्रम विभाजन, पूँजी संचय, उत्पादन और जनसंख्या को विकास की प्रक्रिया से जोड़ा गया। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन और उत्पादकता में वृद्धि आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसने आर्थिक विकास में उत्पादन एवं पूँजी की भूमिका स्पष्ट की, लेकिन इसमें सामाजिक असमानता, मानव कल्याण और पर्यावरणीय प्रभावों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया।

2.2. रिकार्डो का विकास सिद्धांतः डेविड रिकार्डो ने भूमि, श्रम और पूँजी के पारस्परिक संबंध तथा आय–वितरण को विकास से जोड़ा। उनके अनुसार सीमित भूमि और घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकाल में आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। यह सिद्धांत संसाधनों की सीमितता और आय–वितरण को समझने में उपयोगी है, किंतु आधुनिक तकनीकी प्रगति तथा संस्थागत परिवर्तनों की भूमिका इसमें पर्याप्त रूप से नहीं दिखाई देती।

2.3. विकास का मार्क्सवादी सिद्धांतः कार्ल मार्क्स ने विकास को उत्पादन शक्तियों, उत्पादन संबंधों और वर्ग–संघर्ष के संदर्भ में समझाया। उनके अनुसार आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि यह विकास के साथ वर्गीय असमानता, श्रम और संसाधनों के स्वामित्व को जोड़ता है। हालांकि, केवल वर्ग–संघर्ष के आधार पर विकास की जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह समझना कठिन है।

2.4. विकास का रोस्टोव सिद्धांतः वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टोव ने 1960 में आर्थिक विकास का पांच चरणों वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार हर देश अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था तक पहुँचने के लिए पांच क्रमिक चरणों से गुजरता है। यह विवरण निम्नानुसार है:

1. पारंपरिक समाज (Traditional Society) विकास का प्रारंभिक चरण है, जहाँ अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होती है, तकनीकी ज्ञान बहुत कम होता है और उत्पादन सीमित होता है।
2. विकास की पूर्व–शर्तें (Preconditions for Take-Off) चरण में समाज आधुनिकता की ओर बढ़ना शुरू करता है, कृषि में सुधार होता है, बुनियादी ढांचा विकसित होता है और निवेश व व्यापार की शुरुआत होती है।
3. उत्थान की अवस्था (Take-Off) विकास की सबसे तेज और महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें औद्योगीकरण तेजी से बढ़ता है, तकनीकी क्रांति आती है और निवेश की दर राष्ट्रीय आय का 5 से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है।
4. परिपक्वता की ओर अग्रसर (Drive to Maturity) अवस्था में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाती है, आधुनिक तकनीक का विस्तार सभी क्षेत्रों में होता है, और घरेलू स्तर पर उच्च निवेश के साथ विकास की गति स्वतः संचालित होने लगती है।
5. उच्च जन उपभोग का युग (Age of High Mass Consumption) अंतिम चरण है जहाँ अर्थव्यवस्था का ध्यान भारी उद्योगों और उत्पादन से हटकर नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के बड़े पैमाने पर उपभोग पर केंद्रित हो जाता है।

इस सिद्धांत ने विकास को चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास किया, परंतु इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि यह सभी देशों के विकास को एक समान मार्ग पर चलने वाला मानता है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विविधताओं को पर्याप्त महत्त्व नहीं देता।

2.5. विकास का संरचनात्मक परिवर्तन सिद्धांतः इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, विशेषकर कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर श्रम एवं संसाधनों का स्थानांतरण। विकासशील देशों में औद्योगीकरण और शहरीकरण को समझने के लिए यह दृष्टिकोण उपयोगी है। लेकिन यदि संरचनात्मक परिवर्तन के साथ रोजगार सृजन न हो, तो बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2.6. विकास का निर्भरता सिद्धांतः निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं को केवल उनके आंतरिक कारणों से नहीं समझा जा सकता। औपनिवेशिक विरासत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और विकसित देशों पर आर्थिक निर्भरता भी इनके विकास को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत वैश्विक आर्थिक असमानता और विकसित–विकासशील देशों के संबंधों को समझने में महत्त्वपूर्ण है। हालांकि, यह कभी–कभी घरेलू संस्थाओं, नीतियों और निर्णयों की भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्त्व देता है।

सिद्धांत	विकास के प्रमुख आधार	प्रमुख सीमा
शास्त्रीय सिद्धांत	श्रम, पूँजी, उत्पादन	सामाजिक पक्ष सीमित
मार्क्सवादी सिद्धांत	वर्ग एवं उत्पादन संबंध	अन्य कारकों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान
रोस्टोव मॉडल	विकास के चरण	सभी देशों के लिए समान मार्ग की धारणा
संरचनात्मक सिद्धांत	कृषि से उद्योग/सेवा की ओर परिवर्तन	रोजगार एवं असमानता की समस्या
निर्भरता सिद्धांत	वैश्विक आर्थिक संबंध	आंतरिक कारकों को कम महत्त्व
नवशास्त्रीय सिद्धांत	बाजार एवं तकनीकी प्रगति	सामाजिक असमानता पर सीमित ध्यान
अंतर्जात सिद्धांत	ज्ञान, मानव पूँजी एवं नवाचार	संस्थागत एवं सामाजिक विविधता की जटिलता
मानव विकास	स्वास्थ्य, शिक्षा एवं क्षमताएँ	मापन अपेक्षाकृत व्यापक एवं जटिल
सतत विकास	अर्थव्यवस्था, समाज एवं पर्यावरण का संतुलन	दीर्घकालीन नीतिगत समन्वय कठिन

2.7. विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांतः इस दृष्टिकोण में बाजार, बचत, निवेश, पूँजी तथा तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना गया। सोलो के विकास मॉडल में पूँजी संचय और तकनीकी प्रगति को विशेष महत्त्व दिया गया। यह सिद्धांत तकनीकी प्रगति और उत्पादकता की भूमिका को स्पष्ट करता है, लेकिन केवल बाजार–आधारित दृष्टिकोण से गरीबी, सामाजिक बहिष्करण और असमानता की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता।

2.8. विकास का अंतर्जात सिद्धांतः इस सिद्धांत में तकनीकी ज्ञान, मानव पूँजी, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को आर्थिक विकास के भीतर उत्पन्न होने वाले कारकों के रूप में देखा जाता है। आज के ज्ञान–आधारित अर्थतंत्र में यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है। शिक्षा, कौशल और नवाचार में निवेश दीर्घकालीन विकास को गति दे सकता है।

2.9. विकास का मानवीय सिद्धांतः मानव विकास दृष्टिकोण में विकास का केंद्र मनुष्य है। केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन–स्तर, अवसर और मानवीय क्षमताओं के विस्तार को भी

विकास का आधार माना जाता है। यह दृष्टिकोण विकास की अवधारणा को आर्थिक वृद्धि से आगे ले जाता है और सामाजिक कल्याण तथा जीवन की गुणवत्ता को महत्त्व देता है।

2.10. विकास का धारणीय सिद्धांतः सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित न करना है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन पर बल दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और पर्यावरणीय संकट के वर्तमान दौर में यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

विकास के उपर्युक्त विभिन्न सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि विकास की अवधारणा समय के साथ व्यापक हुई है। प्रारम्भ में विकास का मुख्य आधार आर्थिक वृद्धि और पूँजी संचय था, लेकिन बाद में रोजगार, समानता, मानव क्षमता, सामाजिक न्याय, संस्थागत गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता को भी विकास का अभिन्न अंग माना गया।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास के सिद्धांत मानव जीवन, समाज और जीव विज्ञान में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों और प्रगति को समझने के महत्वपूर्ण वैचारिक ढांचे हैं। विकास केवल बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि मानव पूंजी, शिक्षा, और अनुसंधान व विकास में निवेश से आता है। अमर्त्य सेन और महबूब–उल–हक के अनुसार, आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि मानव कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वतंत्रता का विस्तार करना है। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन का सार यह है कि आर्थिक विकास कोई एकतरफा प्रक्रिया नहीं है। शुरुआत में जहां पूंजी संचय और औद्योगीकरण पर जोर दिया गया, वहीं आधुनिक समय में तकनीकी नवाचार, संस्थागत सुधार, मानव विकास और सतत विकास को आर्थिक प्रगति का असली आधार माना जाता है। इस तरह विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। आधुनिक संदर्भ में विकास एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक समृद्धि के साथ मानव कल्याण, सामाजिक समानता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी क्षमता, सामाजिक न्याय तथा पर्यावरणीय संतुलन सम्मिलित हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र या समाज के विकास का विश्लेषण करते समय विभिन्न विकास सिद्धांतों को परस्पर पूरक दृष्टिकोण के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. गिडेंस, एंथोनी (2001). सोशियोलॉजी, पांचवा एडिशन, यू0 के0 पालिटी प्रेस, 2001।
2. मिर्डल, गुन्नार (1970). चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, एलेनलेनः पेंगुइन प्रेस, 1970।
3. सिंह, शिवबहाल (1985). रेलीवेंस आफ सोशल फैक्ट र्सइन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ, जर्नल ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडीज, वॉल्यूम 4 जनवरी, 1985।
4. सिंह, शिवबहाल (1985). एंटरप्रेन्योरशिप एंडसोशलचेंज, जयपुर, रावत पब्लिकेशन, 1985।
5. बरान, पॉल (1973). द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ ग्रोथ, 1973।
6. हिर्शमैन, ए. ओ. (1958). द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। येल यूनिवर्सिटी प्रेस,1958।
7. लुईस, डब्ल्यू. ए. (1954). इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। द मैनचेस्टर स्कूल, 22(2), 139–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x
8. मिर्डल, जी. (1957). इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर–डेवलप्ड रीजन्स। जेराल्ड डकवर्थ एंड कंपनी, 1957।
9. नर्क्से, आर. (1953). प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. रोस्टो, डब्ल्यू. डब्ल्यू. (1960). द स्टेजस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथः ए नॉन–कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो। दूसरा संस्करण, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

=====

आलेख उद्धरित करें :	गुप्ता, डॉ. आलोक (2026)। विकास के सिद्धांत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 31–34। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005666

Bundelkhand Journal of Academic Research

विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता के संदर्भ में सतत एवं समावेशी विकास का समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ. ब्रजेन्द्र सिंह[1], डॉ. लाल बहादुर राम[2]

1. **सहायक आचार्य,** राजनीति विज्ञान विभाग, समता पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **सह–आचार्य,** रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, समता पी.जी. कॉलेज सादात, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** lalbahadurbanda10@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005699

सारांश

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता को सुशासन, सतत एवं समावेशी विकास के दो प्रमुख स्तंभों के रूप में स्वीकार किया जाता है। विकास की पारंपरिक केंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विविधताओं तथा नागरिकों की आकांक्षाओं की पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। परिणामस्वरूप विकास की योजनाएँ अनेक बार स्थानीय आवश्यकताओं से असंगत सिद्ध हुईं। इस समस्या के समाधान हेतु विकेंद्रीकरण की अवधारणा विकसित हुई, जिसके अंतर्गत निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण स्थानीय संस्थाओं को किया जाने लगा। इसके साथ ही जनसहभागिता यह सुनिश्चित करती है कि विकास प्रक्रिया में नागरिक केवल लाभार्थी न रहकर नीति–निर्माण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सक्रिय सहभागी बनें। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया तथा लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक विस्तारित किया। इसके बावजूद वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक सीमाएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक असमानताएँ तथा क्षमता–विकास की कमी जैसी समस्याएँ आज भी विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार जनसहभागिता अनेक स्थानों पर केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। इसलिए आवश्यक है कि विकेंद्रीकरण को केवल प्रशासनिक सुधार न मानकर लोकतांत्रिक सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास की व्यापक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाए। यह शोध पत्र विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता की अवधारणाओं, उनके पारस्परिक संबंध को भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता तथा सतत एवं समावेशी विकास में उनकी भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही वर्तमान चुनौतियों एवं सुधार की संभावनाओं पर भी विचार प्रस्तुत करता है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 24 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 05 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 09
	मुख्य शब्द: विकेंद्रीकरण, जनसहभागिता, सतत, समावेशी, सुशासन, स्थानीय स्वशासन।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : 21वीं शताब्दी में विकास की अवधारणा ने पारंपरिक आर्थिक वृद्धि के संकीर्ण दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बहुआयामी स्वरूप ग्रहण किया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विकास का अर्थ केवल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अथवा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय संरक्षण तथा नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन से भी अभिन्न रूप से जुड़ गया है। विकास की इस नवीन अवधारणा में यह स्वीकार किया गया कि यदि आर्थिक प्रगति के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुँचते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं होता है तथा नागरिक नीतिनिर्माण की प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, तो ऐसी विकास प्रक्रिया न तो समावेशी कही जा सकती है और न ही सतत। यही कारण है कि समकालीन विकास विमर्श में सतत विकास तथा समावेशी विकास को विकास नीति के दो प्रमुख रूपों में स्वीकार किया गया है। वर्ष 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'आवर कॉमन फ्यूचर' में सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया कि ''वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से कोई समझौता न हो।'' इस परिभाषा ने विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन की आवश्यकता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। इसके पश्चात वर्ष 2015 में

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2030 'एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' तथा 17 बिंदु के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को अपनाया गया, जिनमें गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन का सामना, असमानताओं में कमी, सतत नगरों का निर्माण तथा प्रभावी एवं उत्तरदायी संस्थाओं के निर्माण जैसे व्यापक लक्ष्य सम्मिलित किए गए। इन लक्ष्यों की मूल भावना यह है कि विकास की प्रक्रिया समावेशी, सहभागी तथा न्यायपूर्ण हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से वंचित न रह जाए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक 'डेवलपमेंटस फ्रीडम'(1999) में वर्णन किया है कि वास्तविक विकास का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रताओं एवं क्षमताओं का विस्तार है। अमर्त्य सेन के अनुसार, 'विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सहभागिता तथा गरिमामय जीवन के समान अवसर उपलब्ध हों।' यह विचार विकास को केवल आर्थिक प्रक्रिया न मानकर मानव–केंद्रित प्रक्रिया के रूप में स्थापित करता है। इसी प्रकार महबूब उल हक ने भी यह सिद्ध किया है कि मानव विकास दृष्टिकोण का अंतिम उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण है, न कि केवल उत्पादन अथवा आय में वृद्धि।

समावेशी और सतत विकास की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं, वरन नागरिकों की निरंतर भागीदारी, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तथा निर्णय निर्माण की विकेंद्रित प्रक्रिया है। इस संदर्भ में एलेक्सिस डी टॉकविल के विचार उल्लेखनीय है कि 'स्थानीय संस्थाएँ स्वतंत्रता की वही भूमिका निभाती हैं जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निभाते हैं, वे नागरिकों को लोकतंत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।' टॉकविल का यह विचार स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र की सफलता केवल राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति स्थानीय स्वशासन और नागरिक सहभागिता में निहित होती है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रत्येक गाँव प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो तथा स्थानीय समुदाय स्वयं अपने विकास का निर्धारण करे। गांधी जी का मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गाँवों में निहित है और जब तक स्थानीय समुदाय निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र की आत्मा सशक्त नहीं हो सकती। गांधी जी का यह दृष्टिकोण आज के विकेंद्रीकरण तथा सहभागी विकास की अवधारणाओं का वैचारिक आधार माना जाता है।

आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों में डेनिस ए. रोंडिनेली ने विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक दक्षता, उत्तरदायित्व तथा विकास की प्रभावशीलता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर अधिकारों का हस्तांतरण न केवल निर्णय–निर्माण को अधिक उत्तरदायी बनाता है, बल्कि योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में भी सहायता करता है। इसी प्रकार जेम्स मैनर का मत है कि 'प्रभावी विकेंद्रीकरण शासन में पारदर्शिता, नागरिक उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक वैधता को सुदृढ़ करता है।' वहीं एलिनोर ओस्ट्रॉम ने सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन पर अपने अध्ययन में यह सिद्ध किया है कि स्थानीय समुदाय यदि निर्णय निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित हों, तो सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अधिक प्रभावी और टिकाऊ बन सकता है। उनके विचार सहभागी शासन की अवधारणा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता को प्रभावी विकास का आधार माना है। विश्व बैंक के अनुसार सहभागी शासनविकास परियोजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि करता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का मत है कि स्थानीय संस्थाओं को सशक्त किए बिना सतत विकास लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार वैश्विक अनुभव यह प्रमाणित करते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण केवल शासन सुधार का उपकरण नहीं, बल्कि समावेशी विकास की अनिवार्य शर्त है।

भारत के संदर्भ में विकेंद्रीकरण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत एक विशाल, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक तथा सामाजिक–आर्थिक विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र है। विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों तथा समुदायों की आवश्यकताएँ परस्पर भिन्न हैं, अतः एकरूप विकास नीति सभी क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों का उद्देश्य शासन को नागरिकों के निकट लाना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण करना तथा विकास प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना था। आज भारत में लगभग 2.6 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाएँ कार्यरत हैं, जिनमें 31 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें लगभग 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो स्थानीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण संकेतक है। यह विश्व में स्थानीय स्तर पर महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक माना जाता है।

यद्यपि भारत में विकेंद्रीकरण की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, तथापि व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। स्थानीय निकायों की सीमित वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक क्षमता का अभाव, राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भरता, नौकरशाही का प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक असमानताएँ तथा नागरिक जागरूकता की कमी स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अनेक क्षेत्रों में ग्राम सभाएँ नियमित

एवं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पातीं, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया औपचारिक बनकर रह जाती है तथा निर्णय निर्माण कुछ प्रभावशाली समूहों तक सीमित रह जाता है। फलतः विकास की प्रक्रिया में वंचित समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिससे समावेशी एवं सतत विकास के उद्देश्य आंशिक रूप से ही साकार हो पाते हैं।

उपर्युक्त संदर्भों के आलोक में यह शोध लेख विकेंद्रीकरण, जनसहभागिता तथा सतत एवं समावेशी विकास के पारस्परिक संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही यह अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि स्थानीय स्वशासन और नागरिक सहभागिता किस सीमा तक लोकतांत्रिक विकास को सुदृढ़ करते हैं, वर्तमान व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तथा भविष्य में कौन से संस्थागत एवं नीतिगत सुधार इन अवधारणाओं को अधिक प्रभावी बनाकर सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।

2. विकेंद्रीकरण, जनसहभागिता तथा सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा : वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण, जनसहभागिता तथा सतत एवं समावेशी विकास परस्पर संबद्ध एवं एक–दूसरे की पूरक अवधारणा है। ये तीनों अवधारणाएँ इस विचार पर आधारित हैं कि विकास तभी प्रभावी, न्यायसंगत और दीर्घकालिक हो सकता है, जब शासन की शक्ति केवल शीर्ष स्तर पर केंद्रित न होकर स्थानीय समुदायों तक पहुँचे तथा नागरिक विकास प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सक्रिय रूप से सहभागी बनें। वर्तमान समय में लोक प्रशासन और विकास प्रशासन में इन अवधारणाओं को सुशासन, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व तथा मानव–केंद्रित विकास के आधारभूत स्तंभों के रूप में स्वीकार किया गया है। विकेंद्रीकरण का सामान्य अर्थ शासन संबंधी शक्तियों, उत्तरदायित्वों, संसाधनों तथा निर्णय लेने के अधिकारों का केंद्रीय अथवा राज्य स्तर से स्थानीय स्तर की संस्थाओं को हस्तांतरित करना है। यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिकों को शासन के निकट लाकर उन्हें विकास का सक्रिय भागीदार बनाया जाता है।

डेनिस के अनुसार, ''विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत योजना निर्माण, निर्णय–निर्माण तथा प्रशासनिक अधिकारों का हस्तांतरण केंद्रीय सरकार से क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्थाओं को किया जाता है।'' रोंडिने ली का मत है कि प्रभावी विकेंद्रीकरण से प्रशासन अधिक उत्तरदायी, लचीला तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनता है। इसी प्रकार जेम्स मैनर का मानना है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण केवल अधिकारों के हस्तांतरण तक सीमित नहीं होता, बल्कि स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करना भी आवश्यक है। यदि अधिकारों के साथ संसाधनों का हस्तांतरण न हो तो विकेंद्रीकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है।

लोक प्रशासन के विद्वान विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को तीन प्रमुख आयामों में विभाजित करते हैं कि प्रथमतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण नागरिकों को स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, ग्राम सभा, वार्ड समिति तथा नगर परिषद जैसी संस्थाओं का गठन किया जाता है, जिससे लोकतंत्र केवल संसद अथवा विधान सभाओं तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर तक विस्तारित हो जाता है। द्वितीय, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाता है। जब स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं, तब वह क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सकता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब कम होता है तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आता है तथा तृतीय, वित्तीय विकेंद्रीकरण जिसके अनुसार वित्तीय स्वायत्तता के बिना स्थानीय स्वशासन प्रभावी नहीं हो सकता। स्थानीय निकायों को कर लगाने, राजस्व संग्रह करने तथा विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी अनेक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश पंचायतें आज भी अपने कुल व्यय का बड़ा भाग राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर करती हैं। यह स्थिति स्थानीय स्वायत्तता को सीमित करती है तथा विकास योजनाओं के स्वतंत्र संचालन में बाधा उत्पन्न करती है।

जनसहभागिता का अर्थ केवल नागरिकों की उपस्थिति से नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में समस्या की पहचान, योजना निर्माण, संसाधन प्रबंधन, क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन में उनकी सक्रिय, सार्थक एवं सूचित भागीदारी से है।शैरी आरनस्टीन ने अपने प्रसिद्ध 'लैडर ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन मॉडल' में स्पष्ट किया कि वास्तविक सहभागिता तभी संभव है जब नागरिक केवल सूचना प्राप्त करने वाले न हों, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में साझेदार बनें। उनके अनुसार सहभागिता का सर्वोच्च स्तर नागरिकों को वास्तविक निर्णयकारी शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार रॉबर्ट पुटनम ने 'सोशल कैपिटल' की अवधारणा में कहा कि जहाँ नागरिकों के मध्य विश्वास, सहयोग तथा सामुदायिक सहभागिता अधिक होती है, वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं। सामाजिक पूँजी जितनी मजबूत होगी, विकास योजनाओं की सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

आधुनिक विकास प्रशासन में सहभागी विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास योजनाएँ ऊपर से थोपने के बजाय स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। एलिनोर ओस्ट्रॉम ने सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन पर अपने शोध में सिद्ध किया कि स्थानीय समुदाय यदि नियम निर्माण, संसाधन संरक्षण तथा निगरानी की प्रक्रिया में सम्मिलित हों तो सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी एवं टिकाऊ होता है। उनका यह सिद्धांत आज जल संरक्षण, वन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा स्थानीय शासन में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वहीं सतत विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा पर्यावरणीय संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना है। इसी प्रकार समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों तथा आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों तक समान रूप से पहुँचें।

3. भारतीय संदर्भ में विकेंद्रीकरण एवं जनसहभागिता: भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक आधार 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा प्राप्त हुआ। इन संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान में भारत में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें, 31 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि तथा लगभग 46 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व स्थानीय लोकतंत्र की व्यापकता को दर्शाते हैं। यह विश्व में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। अनेक राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान कर स्थानीय शासन में लैंगिक समानता को और सुदृढ़ किया है। ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट), स्वयं सहायता समूह, जल एवं वन प्रबंधन समितियाँ तथा सहभागी ग्राम विकास योजनाएँ जनसहभागिता के प्रभावी माध्यम बनकर उभरी हैं। विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था ने स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

4. विकेंद्रीकरण एवं जनसहभागिता के समक्ष चुनौतियाँ : भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय स्वायत्तता का अभाव है। अधिकांश पंचायती राज संस्थाएँ एवं नगरीय स्थानीय निकाय अपने राजस्व स्रोतों के सीमित होने के कारण राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय लेने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। जेम्स मैनर के अनुसार, वित्तीय संसाधनों के बिना विकेंद्रीकरण केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। दूसरी प्रमुख चुनौती, प्रशासनिक क्षमता एवं संस्थागत दक्षता की कमी है। अनेक स्थानीय निकायों में प्रशिक्षित मानव संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञता तथा आधुनिक प्रशासनिक कौशल का अभाव योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। साथ ही, नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण स्थानीय स्वायत्तता को सीमित करता है। जनसहभागिता की सीमित प्रभावशीलता भी एक गंभीर समस्या है। अनेक क्षेत्रों में ग्राम सभाएँ नियमित एवं सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पातीं तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर स्थानीय प्रभावशाली वर्गों का प्रभुत्व बना रहता है। जातिगत असमानता, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक विषमता तथा सीमित नागरिक जागरूकता के कारण महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी कई बार केवल औपचारिक रह जाती है। शैरी आरनस्टीन के अनुसार, यदि नागरिकों को वास्तविक निर्णयकारी अधिकार प्राप्त न हों, तो सहभागिता प्रतीकात्मक बन जाती है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का अभाव, कमजोर सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल असमानता तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण की उपेक्षा भी विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। इन परिस्थितियों में विकास योजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित नहीं हो पातीं और सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य आंशिक रूप से ही प्राप्त होता है। अतः विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय सशक्तीकरण, संस्थागत क्षमता निर्माण, सामाजिक समावेशन तथा उत्तरदायी जनसहभागिता को समान रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है।

अतः यह स्पष्ट है कि विकेंद्रीकरण, जनसहभागिता तथा सतत एवं समावेशी विकास एक–दूसरे के पूरक तत्व हैं। प्रभावी स्थानीय स्वशासन, सक्रिय नागरिक सहभागिता, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वय से ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और विकासोन्मुख बन सकती है। इसलिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन तीनों अवधारणाओं का समेकित एवं व्यवहारिक क्रियान्वयन अनिवार्य है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि विकेंद्रीकरण एवं जनसहभागिता समकालीन विकास प्रशासन के ऐसे प्रमुख आधार हैं, जो सतत एवं समावेशी विकास को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। अध्ययन से

स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता केवल संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वित्तीय स्वायत्तता, संस्थागत क्षमता, पारदर्शी प्रशासन तथा नागरिकों की सार्थक सहभागिता पर भी आधारित होती है। विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका योजनाओं को अधिक उत्तरदायी, न्यायसंगत एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है, जिससे सामाजिक समावेशन और संसाधनों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान समय में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, परंतु प्रशासनिक, वित्तीय एवं सामाजिक चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अतः आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन, तकनीकी दक्षता एवं निर्णयात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के साथ–साथ नागरिकों की जागरूक एवं उत्तरदायी भागीदारी को भी सुदृढ़ किया जाए। निष्कर्षतः सहभागी एवं विकेंद्रित शासन व्यवस्था ही ऐसी विकास प्रक्रिया का आधार बन सकती है, जो सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के माध्यम से दीर्घकालिक और समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित कर सके।

स्रोत एवं संदर्भः

1. दत्त, आर. एवं सुंदरम, के. पी. एम. (2023). भारतीय अर्थव्यवस्था। 74वाँ संस्करण, एस. चाँद एंड कंपनी प्रा. लि.।
2. मिश्र, एस. एन., एवं सिंह, एस. एस. (2020). स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ओरिएंट ब्लैक स्वान, 2020।
3. पंचायती राज मंत्रालय (2024). वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अवस्थी एवं अवस्थी (2014). लोकप्रशासन। 26वां संस्करण, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2014।
5. लक्ष्मीकांत, एम. (2012). लोक प्रशासन, मैक्ग्रा हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2012।
6. जैन, पुखराज एवं फाडिया, बी.एल. (2021). भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2021।
7. ओस्ट्रॉम, एलिनोर. (1990). गवर्निंग द कॉमन्सः द इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर कलेक्टिवएक्शन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990।
8. रोंडिनेली, डेनिस ए., नेलिस, जॉन आर., एवं चीमा, जी. शब्बीर. (1983). डिसेंट्रलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीजः अ रिव्यू ऑफ रिसेंट एक्सपिरियन्स, विश्व बैंक, 1983।
9. सेन, अमर्त्य (1999). डेवलपमेंटएस फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,1999।

=====

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, डॉ. ब्रजेन्द्र एवं राम, डॉ. लाल बहादुर (2026)। विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता के संदर्भ में सतत एवं समावेशी विकास का समालोचनात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 35–39। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005699

Bundelkhand Journal of Academic Research

विकसित भारत के निर्माण में जेन–जी की संभावनाओं का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005748

सारांश

भारत की विशाल युवा आबादी किस प्रकार मानव पूँजी, श्रम शक्ति, उद्यमिता, नवाचार, तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक भागीदारी और सतत विकास के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकती है। भारत के पास युवा मानव संसाधन का बड़ा जनांकिकीय आधार है, लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश अपने–आप आर्थिक लाभांश में परिवर्तित नहीं होता। हालांकि शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा में पर्याप्त निवेश के माध्यम से युवा आबादी को वास्तविक विकास–शक्ति में बदला जा सकता है। देश का युवा वर्ग जो मुख्यतः जेन–जी पीढी से संबद्ध है, उसे विकासात्मक भूमिका में लाने की आवश्यकता है, अर्थात जेन–जी को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार, डिजिटल क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित करके विकसित भारत की आधारशिला बनाया जा सकता है। भारत के आर्थिक विकास में जेन–जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा वर्ग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए श्रमशक्ति, उत्पादकता, नवाचार, उद्यमिता और उपभोग का प्रमुख आधार होता है। भारत की विशाल युवा आबादी को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो यही जनसंरचना भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित हो सकती है। प्रस्तुत शोध वर्तमान भारतीय सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जेन–जी की विकासात्मक भूमिका के परीक्षण का प्रयास करता है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, रोजगार, कौशल, नवाचार, उद्यमिता, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन जैसे आयाम भी शामिल हैं। विकसित भारत @2047 का उद्देश्य स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य की सफलता में जेन–जी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जनसंरचना में जेन–जी का अनुपात काफी अधिक है। इसलिए प्रस्तुत शोध मूलतः यह जानने का प्रयास है कि यदि युवा शक्ति को पर्याप्त अवसर, संसाधन और संस्थागत समर्थन दिया जाए तो उसका वास्तविक प्रभाव विकसित भारत के निर्माण पर कितना पड़ सकता है?

आलेख सूचना			
प्राप्त: 25 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 07 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
सारणी: 09	**चित्र एवं ग्राफ:** 01	**स्रोत एवं संदर्भ:** 35
मुख्य शब्द:	जेन–जी, लाभांश, डिजिटल, जनाधिक्य, इकॉनमी, मिलेनियल्स, जेन–अल्फा।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : जेन–जी प्रायः उन युवाओं को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। भारत में यह पीढ़ी देश के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक परिवर्तन के दौर में बड़ी हुई है। डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, स्मार्टफोन और वैश्वीकरण से गहरे जुड़ाव के कारण जेन–जी में भारत के विकास को गति देने की पर्याप्त क्षमता है। हालांकि, इस क्षमता को वास्तविक विकास में बदलने के लिए कौशल, रोजगार, शिक्षा, डिजिटल समानता और सामाजिक समावेशन जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है, क्योंकि यह पीढी भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर प्रदान करती है। यदि इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो यह उत्पादन, उपभोग, नवाचार और कर–आधार को बढ़ाकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

विभिन्न प्रक्षेपणों के अनुसार 15–29 वर्ष के युवा भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 28.0 प्रतिशत अर्थात 40 करोड़ हैं। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े युवा समूहों में से एक है। साथ ही, 15–59 वर्ष की कार्यशील आयु की जनसंख्या 2024 में लगभग 93.6 करोड़ से बढ़कर 2036 में लगभग 102.7 करोड़ होने का अनुमान है। इतनी बड़ी कार्यशील आबादी भारत के लिए दो प्रकार की स्थिति पैदा करती है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल,

रोजगार, स्वास्थ्य और उद्यमिता के अवसर मिलते हैं तो वे आर्थिक विकास की शक्ति बन सकते हैं। लेकिन यदि पर्याप्त रोजगार, शिक्षा और कौशल उपलब्ध नहीं होते, तो यही युवा आबादी बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक असंतोष की समस्या को बढ़ा सकती है। इसलिए केवल बड़ी युवा आबादी का होना पर्याप्त नहीं है। बल्कि युवा आबादी को उत्पादक मानव पूँजी में परिवर्तित करना आवश्यक है।

जेन–जी की सबसे प्रमुख विशेषता उसका डिजिटल–प्रेमी होना है। यह पीढ़ी स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई–कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों के साथ सहज है, जो देश के डिजिटल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। जेन–जी पारंपरिक नौकरी की अपेक्षा स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, गिग वर्क और उद्यमिता की ओर अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित हो सकती है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यवसाय शुरू करने की लागत तथा बाजार तक पहुँच की बाधाओं को कम किया है। इससे स्थानीय रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल सकता है। भारत की विकासात्मक क्षमता तभी पूर्ण होगी जब ग्रामीण जेन–जी भी विकास प्रक्रिया में शामिल होगी। चूंकि डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण युवाओं को शहरों तक सीमित अवसरों के बजाय स्थान–स्वतंत्र रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जेन–जी कृषि–तकनीक, ई–कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं, ग्रामीण पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण तथा स्थानीय हस्तशिल्प के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर सकती है।

विकसित भारत के लिए केवल बड़ी युवा आबादी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कुशल मानव पूंजी में बदलना आवश्यक है। जेन–जी देश में विकासात्मक परिवर्तन की केंद्रीय शक्ति बन सकती है। यदि इसे शिक्षित, कुशल, उत्पादक, नवाचारी बना दिया जाए तो भारत के आर्थिक विकास को प्रगतिशील और विकसित दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। चूंकि जेन–जी नई तकनीकों को जल्दी अपनाने वाली पीढ़ी है। इसलिए जेन–जी की विकासात्मक क्षमता केवल तकनीक के उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि तकनीक के निर्माता और नवाचारकर्ता के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट जेन–जी के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए यह पीढ़ी अपने नवाचारी कार्यों से भारत के सतत विकास लक्ष्यों और हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती है। यदि देश का जेन–जी अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के साथ–साथ डिजिटल संचार एवं वैश्विक नेटवर्किंग में सक्षम हो जाए तो इससे भारत को वैश्विक डिजिटल श्रम बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

जेन–जी सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता और डिजिटल माध्यमों से अपनी आवाज उठाने की क्षमता रखती है। लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानसिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार तथा समावेशी विकास जैसे विषयों पर इसकी सक्रियता सामाजिक परिवर्तन को गति दे सकती है। सोशल मीडिया इसके लिए केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जन–जागरूकता और सामाजिक भागीदारी का मंच भी बन सकता है। जेन–जी भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की महत्वपूर्ण शक्ति है। डिजिटल माध्यमों के कारण यह सरकारी नीतियों, सार्वजनिक मुद्दों और राजनीतिक विमर्श तक तेजी से पहुँच सकती है।

इस तरह भारत की जेन–जी केवल देश की युवा आबादी का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी शक्ति है। इसकी डिजिटल दक्षता, नवाचार क्षमता, उद्यमशील दृष्टिकोण, वैश्विक संपर्क और सामाजिक जागरूकता भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए 'जेन–जी आबादी' को 'जेन–जी पूंजी' में बदलना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारोन्मुख कौशल, डिजिटल समावेशन, स्टार्टअप समर्थन, लोकतांत्रिक सहभागिता और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जेन–जी की क्षमता को उत्पादक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। इस दृष्टि से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जेन–जी एक निर्णायक परिवर्तनकारी शक्ति (ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स) बन सकती है।

1.1 अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की परिचयात्मक पृष्ठभूमि को समझना।
2. भारत और विश्व की जनसांख्यिकीय पीढ़ियों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
3. विश्व के शीर्ष जनाधिक्य वाले देशों में पीढ़ियों के प्रभुत्व को समझना।
4. विकसित भारत के निर्माण हेतु जेन–जी में निहित संभावनाओं का अध्ययन करना।
5. विकसित भारत के निर्माण में जेन–जी के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का आकलन करना।

2. जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की परिचयात्मक पृष्ठभूमि :

2.1. ग्रेटेस्ट जेनरेशन (महान पीढ़ी): ग्रेटेस्ट जेनरेशन उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म प्रायः 1901 से 1927 के बीच हुआ है। इसने महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन), द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे ऐतिहासिक दौर को देखा है। इसे जीआई पीढ़ी भी कहते हैं। जीआई शब्द 'गवर्नमेंट इश्यू' या 'जनरल इश्यू' के लिए प्रयुक्त होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा देने वाले सैनिकों को संदर्भित है। इन्होंने जैज और स्विंग म्यूजिक को लोकप्रिय बनाया, लेकिन जिन हालात से यह पीढ़ी गुजरी, उनके कारण परिवार पालने की चुनौती ने कड़ी मेहनत और हिम्मत जैसे गुणों को बहुत अहम बना दिया था।

ग्रेटेस्ट पीढी के लोगों ने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष और त्याग की भावना का परिचय देते हुए अनुशासन, कर्तव्य और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए परिवार और समुदाय के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इस पीढी ने द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण सैन्य एवं नागरिक योगदान के साथ राष्ट्र निर्माण एवं संस्थागत विकास में सार्थक भूमिकाओं का निर्वाह किया है। इसलिए इसे महान पीढ़ी कहा जाता है अर्थात ग्रेटेस्ट जेनरेशन वह पीढ़ी है जिसने अत्यंत कठिन आर्थिक एवं युद्धकालीन परिस्थितियों का सामना करते हुए त्याग, अनुशासन, कर्तव्य और सामूहिक प्रयास को प्राथमिकता दी है। ग्रेटेस्ट जेनरेशन शब्द को अमेरिकी लेखक एवं पत्रकार टॉम ब्रोकॉव ने वर्ष 1998 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द ग्रेटेस्ट जेनरेशन' के माध्यम से व्यापक लोकप्रियता दी है।

2.2. साइलेंट जेनरेशन (शांत पीढ़ी): जनसांख्यिकी इतिहास में साइलेंट जेनरेशन उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ था। यह पीढ़ी 'ग्रेटेस्ट जनरेशन' के बाद और 'बेबी बूमर्स' से पहले आती है। इन्हें साइलेंट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनकी परवरिश महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी वैश्विक उथल–पुथल वाली परिस्थितियों में हुई थी। ये बहुत ज्यादा नियमों को मानने वाले और चुप रहने वाले लोग थे। मैकार्थी के दौर में, जब पूरे विश्व में कम्युनिज्म का डर था, तब भी वे चुप थे। इस दौरान बच्चों को अनुशासन में रहने, कम बोलने और अधिकारियों या बड़ों के नियमों का चुपचाप पालन करने की सीख दी जाती थी। शायद बचपन में महामंदी की आर्थिक तंगी का सामना, द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) के दौरान का शुरुआती जीवन, युवावस्था में कोरियाई युद्ध (1950–1953) और शीत युद्ध का दौर इन्हें शांति के लिए आकर्षित किया है। इसलिए इनके व्यक्तित्व और जीवन–मूल्यों पर कठिन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस पीढ़ी ने युद्धोत्तर काल में अपनी मेहनत से दुनिया की अर्थव्यवस्था और मध्यम वर्ग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। 'साइलेंट जेनरेशन' शब्द गढ़ने का श्रेय अमेरिका की प्रसिद्ध 'टाइम मैगजीन' को है, जिसने 5 नवंबर 1951 को 'द यंगर जेनरेशन' शीर्षक से एक कवर स्टोरी छापी थी, जिसमें 1925–1942 के आसपास जन्मी पीढ़ी को 'द साइलेंट जेनरेशन' कहा था। तब पहली बार इसका औपचारिक उपयोग हुआ था। बाद में इसको विलियम स्ट्रॉस और नील हावे ने पीढ़ियों पर आधारित अपनी किताबों में प्रमुखता से इस्तेमाल किया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गया।

साइलेंट पीढ़ी में नियमों, अनुशासन और जिम्मेदारियों को विशेष महत्व दिया जाता था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बचत, संसाधनों का सीमित उपयोग और आर्थिक सुरक्षा इनके महत्वपूर्ण मूल्य रहे हैं। कम संसाधनों में जीवन बिताने के कारण ये भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा, बचत और सादगी को बहुत महत्व देते हैं। इनका झुकाव परिवार, सामाजिक परंपराओं और संस्थागत व्यवस्था के प्रति अपेक्षाकृत अधिक रहा है। इनके द्वारा नौकरी और करियर में स्थायित्व को सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना गया। लंबे समय तक एक ही संस्था या व्यवसाय से जुड़े रहना सामान्य बात थी। इन्होने परिवार, विवाह और सामाजिक जिम्मेदारियों को विशेष प्राथमिकता दी है। इस तरह साइलेंट जेनरेशन को अनुशासन, त्याग, बचत, पारिवारिक जिम्मेदारी और स्थिरता के मूल्यों से जुड़ी पीढ़ी माना जाता है। इस पीढ़ी ने सहनशीलता और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया है।

2.3. बेबी बूमर्स जेनरेशन: बेबी बूमर्स प्रायः उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में जन्म–दर में तेज वृद्धि हुई, जिसके कारण इस अवधि में जन्मी पीढ़ी को बेबी बूमर्स कहा गया। चूंकि इनका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। इसलिए इनके बचपन एवं युवावस्था पर युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। कई पश्चिमी देशों में इनके जीवनकाल में औद्योगिकीकरण, रोजगार और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे इनमें आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन–स्तर की आकांक्षा बढ़ी है। 1960 और 1970 के दशक में नागरिक अधिकार, महिला अधिकार, युवा संस्कृति, सामाजिक समानता जैसे आंदोलनों ने इनके विचारों को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावित किया है। इनके जीवन में पारंपरिक पारिवारिक संरचना, विवाह और सामाजिक संस्थाओं का अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों में इस पीढ़ी के युवाकाल में पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं में बड़े बदलाव भी आए हैं। 'बेबी बूम' शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में असाधारण वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया गया है। हालाँकि, इस शब्द को लोकप्रिय बनाने में अमेरिकी लेखिका सिल्विया पोर्टर का अहम् योगदान है, जिन्होंने 1950 के दशक में युद्धोत्तर जन्म–वृद्धि पर व्यापक रूप से लिखा है। बाद में विलियम स्ट्रॉस और नील होवे ने अपनी पीढ़ीगत अवधारणाओं के माध्यम से बेबी बूमर्स जेनरेशन को व्यापक लोकप्रियता दी है। इस तरह 'बेबी बूमर्स' नाम का आधार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ 'बेबी बूम' है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया औपचारिक नामकरण।

बेबी बूमर्स को प्रायः परिश्रम, नौकरी की स्थिरता, अनुशासन, वित्तीय सुरक्षा और संगठनात्मक निष्ठा को महत्व देने वाली पीढ़ी के रूप में देखा जाता है। ये बचत की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन, टाइपराइटर और प्रिंट मीडिया के दौर में बीता, जबकि इनके उत्तरार्द्ध चरण में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का विकास हुआ। इसलिए इन्हें एनालॉग से डिजिटल युग के संक्रमण की पीढ़ी कहा जा सकता है। वर्तमान में इस पीढ़ी के अधिकांश लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं और समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं।

भारत में इस पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में सार्वजनिक संस्थाओं, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढाँचे के निर्माण में कार्यशील आबादी की भूमिका का निर्वाह किया है। भारत में इसके लिए सरकारी नौकरी, सार्वजनिक क्षेत्र और स्थायी रोजगार आर्थिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। नौकरी की स्थिरता और पेंशन जैसी सुविधाएँ विशेष आकर्षक थीं। इसने संयुक्त परिवार व्यवस्था को मजबूती के रूप में देखा और बाद में शहरीकरण एवं रोजगार के कारण एकल परिवार के बढ़ते प्रभाव का अनुभव किया है। इसने परंपरागत भारतीय सामाजिक मूल्यों के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण, महिला शिक्षा और रोजगार जैसे परिवर्तनों को भी महसूस किया है। इस प्रकार, भारतीय संदर्भ में बेबी बूमर्स को 'परंपरा और आधुनिकता के बीच संक्रमण की पीढ़ी' कहा जा सकता है। हालांकि देश में यह पीढी अब वरिष्ठ नागरिक बन चुकी है।

2.4. जेनरेशन एक्सः जेनरेशन एक्स प्रायः उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ है। यह बेबी बूमर्स के बाद और मिलेनियल्स से पहले की पीढ़ी है। ये स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रकृति के हैं, क्योंकि बचपन से स्वयं निर्णय लेने और समस्याएँ सुलझाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके बचपन में टेलीविजन और टेलीफोन प्रमुख थे, जबकि युवावस्था में कंप्यूटर और इंटरनेट का विस्तार हुआ। आदर्शवाद की अपेक्षा व्यावहारिकता और व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देते हैं। ये केवल नौकरी में स्थायित्व की बजाय व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को भी महत्व देते हैं। इन्होने परिवार, विवाह, महिलाओं के रोजगार और सामाजिक संरचना में बदलाव को करीब से अनुभव किया है। संगीत, टेलीविजन और बाद इंटरनेट ने इनकी सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित किया है। जेनरेशन एक्स ने एड्स महामारी, एमटीवी कल्चर और बदलते सामाजिक माहौल को देखा, जिससे एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकारों को बढ़ावा मिला है। एमटीवी कल्चर (म्यूजिक टेलीविजन कल्चर) एक ऐसा वैश्विक युवा–केंद्रित सांस्कृतिक दौर है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1981 को एमटीवी (म्यूजिक टेलीविजन) के लॉन्च के साथ हुई थी, जिसने संगीत, फैशन, बोलचाल और युवाओं की जीवनशैली को पूरी तरह बदलकर रख दिया। यह वह पीढ़ी है जिसने बिना इंटरनेट के अपना शुरुआती जीवन बिताया और वयस्क होने पर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं आधुनिक तकनीक को सबसे पहले अपनाया। इन्होंने एनालॉग दुनिया से डिजिटल दुनिया में संक्रमण को करीब से देखा है। जेनरेशन एक्स के माता–पिता ही सबसे पहले 'हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग' स्टाइल को अपनाया था। अपने 'बूमर' माता–पिता (जो अक्सर बच्चों को स्ट्रीटलाइट जलने तक बाहर खेलने देते थे) के विपरीत जेनरेशन एक्स के माता–पिता अपने बच्चों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास में कहीं ज्यादा शामिल रहते हैं।

'जेनरेशन एक्स' शब्द का पहला प्रयोग अमेरिकी फोटोग्राफर रॉबर्ट कैपा ने किया था। उन्होंने 1953 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले युवाओं पर आधारित एक फोटो–निबंध का नाम 'जेनरेशन एक्स' रखा था। लेकिन आज जिस अर्थ में इसे 'जेनरेशन एक्स' कहा जाता है, उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय कनाडाई लेखक डगलस कूपलैंड को दिया जाता है। उनकी पुस्तक 'जेनरेशन एक्सः टेल्स फॉर एन एक्सेलेरेटेड कल्चर' (1991) ने जेनरेशन एक्स नाम को आधुनिक पीढ़ीगत पहचान के रूप में व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। इसलिए 'जेनरेशन एक्स' शब्द का प्रथम प्रयोग 1953 में रॉबर्ट कैपा ने किया था, जबकि 1965 से 1980 के दौरान जन्मी पीढ़ी के लिए 'जेनरेशन एक्स' को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डगलस कूपलैंड को है। वैसे भी गणित और सांख्यिकी में 'एक्स' का उपयोग प्रायः एक अज्ञात चर या ऐसी खोज के लिए किया जाता है जिसकी सटीक पहचान न हो। चूंकि 1960 और 1970 के दशक के युवाओं को किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनके लिए अज्ञात प्रतीक 'एक्स' का उपयोग किया गया।

जेनरेशन एक्स को प्रायः 'आलसी पीढ़ी या स्लैकर जेनरेशन' कहा जाता है, क्योंकि इस पीढ़ी के एक हिस्से के बच्चे ऐसे परिवारों में बड़े हुए जहाँ माता–पिता दोनों काम करते थे और बच्चे कुछ समय बिना वयस्क निगरानी के रहते थे, जिससे इनमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की धारणा विकसित हुई। इसलिए इसे 'लैचकी जनरेशन' भी कहते है। 'लैचकी जनरेशन' का आशय उस जेनरेशन से है, जो अक्सर स्कूल से खाली घरों में लौटते थे और घर की चाबी से खुद ही अंदर चले जाते थे। प्रायरू बच्चे अपने घर के मुख्य दरवाजे की चाबी को धागे या चेन में बांधकर अपने गले में पहनते थे। इन्हें 'खुद की देखभाल करने वाले (लैचकी किड्स) लड़की–लड़के' भी कहा जाता है। इस दौर में बच्चों ने बड़ों के घर लौटने से पहले ही अपना नाश्ता बनाना, घर के काम करना और आपात स्थितियों से स्वतंत्र रूप से निपटना सीख लिया था। बच्चे घंटों घर पर अकेले बिताते थे क्योंकि माता–पिता दोनों काम करते थे या तलाक की दरें बढ़ रही थीं या एकल–अभिभावक परिवार थे और किफायती चाइल्डकेयर दुर्लभ थे। इस पीढी को आलसी कहने का एक कारण यह भी है कि इसने पारंपरिक संस्थाओं और कार्यस्थल के प्रति बेबी बूमर्स जैसी निष्ठा नहीं दिखाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व कार्य संतुलन को अधिक महत्व दिया है। जैसाकि डगलस कूपलैंड ने स्वीकार किया था कि उन्होंने यह नाम पॉल फुसेल की पुस्तक 'क्लास' (1983) के आखिरी अध्याय से लिया था। उस पुस्तक में 'एक्स' श्रेणी ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की गई थी जो सामाजिक दबाव, धन और पारंपरिक दौड़–भाग से दूर रहना चाहते थे। 1990 के दशक में मीडिया और फिल्मों जैसे 'रियलिटी बाइट्स' ग्रंज संगीत जैसे निर्वाणा, रिचर्ड लिंकलेटर की फिल्म 'स्लैकर' (1990) और डगलस कूपलैंड के उपन्यास 'जेनरेशन एक्सः टेल्स फॉर एन एक्सेलेरेटेड कल्चर (1991)' ने इस पीढ़ी को 'स्लैकर' यानी काम से जी चुराने वाला या उदासीन रूप में दिखाना शुरू किया और

अक्सर युवाओं को सनकी, उदासीन एवं भौतिकवाद–विरोधी के रूप में चित्रित करते थे। हालांकि यह एक लोकप्रिय स्टीरियोटाइप धारणा है।

भारत के संदर्भ में जेनरेशन एक्स ने मुख्यतः संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर और लाइसेंस–राज से उदारीकरण का आर्थिक परिवर्तन देखा है। दूरदर्शन के दौर से केबल टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट तक का संक्रमण अनुभव किया है। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के कारण रोजगार एवं उपभोक्ता संस्कृति में आए बदलावों को अनुभव करते हुए सरकारी नौकरी के साथ–साथ निजी क्षेत्र और उद्यमिता के बढ़ते अवसरों का उपयोग कर रहा है। इसलिए भारत में इसे 'स्वतंत्र, व्यावहारिक और संक्रमणकालीन पीढ़ी' कहा जा सकता है, जिसने पारंपरिक समाज से डिजिटल और वैश्वीकृत समाज की ओर परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है।

2.5. मिलेनियल जेनरेशनः जेन–वाई प्रायः उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है। यह 'जेनरेशन एक्स' के बाद और 'जेनरेशन जेड' से पहले का जनसांख्यिकीय समूह है, जिसे जेन–वाई या सहस्राब्दी पीढ़ी भी कहा जाता है। यह पीढ़ी वर्तमान विश्व के कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो समाज, कॉर्पोरेट जगत और अर्थव्यवस्था को चलाने में मुख्य भूमिका निभा रही है। यह पीढ़ी केवल नौकरी या आय अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि काम और जीवन के बीच संतुलन और अनुभवों (जैसे यात्रा करना, नए कौशल सीखना) को अधिक महत्व देती है। ये अपने अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों को लेकर अधिक जागरूक और उदार दृष्टिकोण रखते हैं। यह वह पीढ़ी है जिसने एनालॉग दुनिया (चिट्ठी–पत्र, लैंडलाइन फोन, कैसेट टेप) से लेकर डिजिटल दुनिया (स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया) तक के बदलाव को अनुप्रयोग से अनुभव किया है। इसलिए इन्हें तकनीकी रूप से पारंगत (टेक्नोलॉजी फ्रेंडली) माना जाता है क्योंकि इन्होंने वयस्क होने तक इंटरनेट और कंप्यूटर को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनते पाया है। शायद इसीलिए डिजिटल दुनिया को अपनाने वाली यह पहली बड़ी पीढी है। हालांकि, ये तकनीक पर पूरी तरह निर्भर होने के बावजूद ऑफलाइन तौर–तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए ये पूर्णतः डिजिटल–नेटिव नहीं हैं।

मिलेनियल पीढ़ी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति पिछली कई पीढ़ियों की तुलना में अधिक है। भारत में इसने कंप्यूटर शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के विस्तार को विशेष रूप से अनुभव किया है। मिलेनियल्स ने पारंपरिक सरकारी या स्थायी रोजगार के साथ–साथ कॉरपोरेट, आईटी, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र के विस्तार को देखा है। हालांकि यह कहना सही नहीं है कि हर मिलेनियल नौकरी बदलना पसंद करता है, बल्कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा, वर्ग, क्षेत्र और पेशे के अनुसार व्यवहार में काफी अंतर होता है। मिलेनियल पीढ़ी ने उपभोक्ता संस्कृति में बड़ा परिवर्तन अनुभव किया है। पहले खरीदारी मुख्यतः स्थानीय दुकानों एवं बाजारों से होती थी, जबकि मिलेनियल्स ने दुकान⟶ मॉल⟶ वेबसाइट⟶ मोबाइल ऐप तक का परिवर्तन देखा है, क्योंकि इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल भुगतान, ब्रांड जागरूकता और अनुभव–आधारित उपभोग का विस्तार हुआ है। मिलेनियल पीढ़ी ने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों और आधुनिक जीवन–शैली के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। इनमें प्रायः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा, करियर को महत्व, लैंगिक समानता के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता, विवाह एवं परिवार के संबंध में अपेक्षाकृत बदलती सोच, व्यक्तिगत पहचान पर बल, जीवन की गुणवत्ता, अनुभवों को अहमियत जैसी प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। हालांकि भारत में जाति, परिवार, धर्म, ग्रामीण–शहरी परिवेश, आर्थिक वर्ग जैसे कारक अभी भी मिलेनियल्स के व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं।

'मिलेनियल' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एवं इतिहासकार विलियम स्ट्रॉस और नील हाव ने किया था। उन्होंने सन् 1991 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'जेनरेशंसः द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज फ्यूचर' में 'मिलेनियल' शब्द को गढ़ा था। बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक 'द फोर्थ टर्निंग'(1997) में इस पीढ़ी को 'मिलेनियल्स' के रूप में संबोधित किया, क्योंकि इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे वर्ष 2000 (नई सहस्राब्दी या न्यू मिलेनियम) के आसपास वयस्क हो रहे थे। जहाँ तक 'जेनरेशन–वाई' के नाम एवं संबोधन का सवाल है तो 'जेनरेशन–वाई' शब्द का शुरुआती प्रयोग 1980 के दशक में हुआ। चूँकि यह पीढ़ी 'जेनरेशन एक्स' के बाद आई थी, इसलिए इसे शुरुआत में एक प्लेसहोल्डर नाम के रूप में 'जेन–वाई' कहा गया था। इसका श्रेय अमेरिकी मार्केटिंग पत्रिका 'ऐड एज (एडवरटाइजिंग एज)' को दिया जाता है, जिसके अगस्त 1993 के संपादकीय में 'जेनरेशन–वाई' का प्रयोग उन युवाओं के लिए किया जो जेनरेशन एक्स के बाद आ रहे थे।

इस तरह मिलेनियल जेनरेशन आधुनिक समाज के संक्रमण की महत्वपूर्ण पीढ़ी है। इसने पारंपरिक समाज से डिजिटल समाज की ओर हुए परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। भारत में विशेष रूप से इसका विकास जुलाई 1991 के आर्थिक उदारीकरण, सूचना–प्रौद्योगिकी क्रांति, वैश्वीकरण, मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ हुआ है। इसलिए मिलेनियल्स को केवल "इंटरनेट वाली पीढ़ी" कहना पर्याप्त नहीं है। यह वास्तव में परंपरा और आधुनिकता, ऑफलाइन और ऑनलाइन, स्थानीय और वैश्विक, स्थायी रोजगार और नई अर्थव्यवस्था के बीच संक्रमण की पीढ़ी है।

2.6. जेनरेशन जेडः जेन–जी प्रायः उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी मिलेनियल्स के बाद और जेनरेशन अल्फा से पहले का जनसांख्यिकीय समूह है, जिसे आईजेन (इंटरनेट

जेनरेशन) या जूमर्स भी कहा जाता है। आईजेन बच्चे ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहाँ वे फोन, स्क्रीन और टैबलेट के जरिए एक–दूसरे से लगातार जुड़े रहने के आदी हैं। हालाँकि, ये मिलेनियल्स की तरह ही पर्यावरण को लेकर जागरूक, सबको साथ लेकर चलने वाले और दूसरों को स्वीकार करने वाले हैं। ये राजनीति को लेकर बहुत जागरूक हैं, भले ही इनमें से कई अभी वोट देने की उम्र तक न पहुँचे हों। यह पहली डिजिटल नेटिव्स पीढ़ी है जो पूरी तरह से स्मार्टफोन, हाई–स्पीड इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में पली–बढ़ी है। इनके लिए डिजिटल तकनीक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह पीढ़ी दिखावे के बजाय असलियत को पसंद करती है। सोशल मीडिया पर ये 'परफेक्ट' फोटो के बजाय अनफिल्टर्ड कंटेंट पसंद करते हैं। ये वर्ष 2008–09 की मंदी और कोविड–19 महामारी जैसे वैश्विक संकटों को देखते हुए आर्थिक मामलों में मिलेनियल्स की तुलना में अधिक व्यावहारिक और सतर्क हैं। जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर यह बेहद मुखर पीढ़ी है।

ये केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, इनके लिए मानसिक स्वास्थ्य, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स (वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड) और कंपनी की नीतियां मायने रखती हैं। ये लंबे लेखों या टीवी के बजाय शॉर्ट–फॉर्म वीडियो और ऑन–डिमांड स्ट्रीमिंग देखना पसंद करते हैं। ये उन्हीं ब्रांड्स से खरीदारी करना पसंद करते हैं जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पारदर्शी हों। चूंकि इनका बचपन और किशोरावस्था स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल तकनीक के व्यापक वातावरण में बीता या डिजिटल वातावरण में पल्लवित हुआ है। इसलिए इसे डिजिटल–नेटिव पीढ़ी कहते हैं। जेन–जी के सामाजिक जीवन में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने इनके संचार, मनोरंजन, मित्रता, आत्म–अभिव्यक्ति, समाचार, खरीदारी, सीखने के तरीकों को प्रभावित किया है। हालांकि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग क्षेत्र, आयु और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार अलग–अलग हो सकता है।

जेन–जी के लिए शिक्षा केवल कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोविड–19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के व्यापक विस्तार ने इसके डिजिटल शैक्षिक अनुभव को विस्तारित कर दिया है। जेन–जी के समक्ष रोजगार की दुनिया पिछली पीढ़ियों से काफी अलग है। यह पीढ़ी ऐसे समय में रोजगार बाजार में प्रवेश कर रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, गिग इकॉनमी, रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, क्रिएटर इकॉनमी जैसी अवधारणाएँ तेजी से बढ़ी हैं। इसलिए जेन–जी में केवल पारंपरिक नौकरी के बजाय फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन बिजनेस और मल्टिपल इनकम सोर्स भी रुचिकर हैं। यह पीढ़ी नौकरी को केवल आय का माध्यम मानने के बजाय कार्य–संतुष्टि, मानसिक शांति, लचीलापन और व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व देने की प्रवृत्ति रखती है।

जेन–जी की खरीदारी आदतों या उपभोक्ता व्यवहार पर डिजिटल माध्यमों का बहुत प्रभाव है। यह पारंपरिक प्रक्रिया 'दुकान→उत्पाद देखना→खरीदना' की तुलना में 'सोशल मीडिया→रिव्यू या वीडियो→तुलना→ऑनलाइन खरीदारी' प्रक्रिया अपनाती है। इसलिए इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन रिव्यू और डिजिटल विज्ञापन इनके उपभोक्ता निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जेन–जी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और विविधता को स्वीकार करने वाली पीढ़ी है। इसमें प्रायः व्यक्तिगत पहचान पर जोर, लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता, विविधता के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक मुद्दों में रुचि, पर्यावरण संबंधी चिंता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑनलाइन समुदायों से जुड़ाव जैसी प्रवृत्तियाँ हैं। लेकिन सामाजिक वर्ग, शिक्षा, ग्रामीण–शहरी पृष्ठभूमि और देश के अनुसार इसकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है।

जेन–जी केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि यह डिजिटल तकनीक→नई संचार शैली→नई शिक्षा पद्धति→नए रोजगार एवं व्यवसाय→नई उपभोक्ता संस्कृति→सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में डिजिटल समाज का सक्रिय निर्माता भी है। इस दृष्टि से जेन–जी का महत्व केवल उसकी आयु या जन्म–वर्ष में नहीं, बल्कि डिजिटल समाज के निर्माण में उसकी भूमिका में है। इस तरह जेन–जी को डिजिटल युग की प्रमुख पीढ़ी कहा जा सकता है, जिसने इंटरनेट और स्मार्टफोन को किसी नई तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के सामान्य हिस्से के रूप में अनुभव किया है। भारत में यह पीढ़ी डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, स्टार्टअप, ई–कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन द्वारा नई कार्य–संस्कृति के विकास से विशेष रूप से जुड़ी है। हालांकि 'डिजिटल–नेटिव' होना सभी युवाओं के अनुभव को समान नहीं बनाता बल्कि भारत में ग्रामीण–शहरी अंतर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और डिजिटल पहुँच इनके अनुभवों को प्रभावित कर रहे हैं।

'जेन–जेड या जेन–जी' शब्द किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त या सृजित आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि यह नाम वर्णमाला (Alphabetical) के प्राकृतिक क्रम से आया है। जेन–एक्स के बाद आने वाली पीढ़ी को जेन–वाई (जिसे बाद में 'मिलेनियल्स' कहा गया) नाम मिला, फिर उसके ठीक बाद वाली पीढ़ी को स्वाभाविक रूप से जेन–जेड कहा गया। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, 1993 में 'जेन–जेड' का प्रारंभिक लिखित प्रयोग मिलता है। बाद में 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक में एडवरटाइजिंग एजेंसियों, मीडिया और शोध संस्थानों ने इसका व्यापक रूप से प्रयोग शुरू किया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गया। जबकि आईजेन शब्द गढ़ने एवं लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिका के सैनडिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉ. जीन एम. ट्वेंज को है। उन्होंने 2006 में पहली बार 'आईजेन' शब्द का प्रयोग किया और इस पीढ़ी को 'आईजेन' नाम इसलिए दिया क्योंकि यह पहली ऐसी

पीढ़ी है जो पूरी तरह से आईफोन, आईपॉड और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। उन्होंने 2017 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आईजेन' भी प्रकाशित की है, जिसमें इस पीढ़ी के सामाजिक व्यवहार, तकनीकी वातावरण और बदलती जीवन–शैली का विश्लेषण किया है। इसलिए आईजेन शब्द विशेष रूप से जीन एम. ट्वेंज के कारण लोकप्रिय हुआ। इस तरह जेन–जेड का कोई एक आधिकारिक नामकरणकर्ता नहीं है, बल्कि यह क्रमिक रूप से प्रचलित हुआ और 1990 के दशक से इसका प्रयोग मिलता है। जबकि आईजेन नाम को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉ. जीन एम. ट्वेंज ने लोकप्रिय बनाया है।

2.7. जेनरेशन अल्फा: जेन–अल्फा प्रायः उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म 2013 से 2025 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी जेन–जेड के बाद और जेन–बीटा से पहले का जनसांख्यिकीय समूह है। यह 21वीं सदी में पूरी तरह से जन्मी पहली पीढ़ी है और इसमें शामिल बच्चे मुख्य रूप से मिलैनियल्स की संतान हैं। जेनरेशन अल्फा की जन्म–वर्ष सीमा पर सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। कुछ विद्वान जन्म–वर्ष सीमा 2010–2024 मानते हैं, जबकि कुछ स्रोत इसे 2010–2025 तक भी मानते हैं। जेन–अल्फा की वास्तविक समयावधि को लेकर सबसे व्यापक आधिकारिक मान्यता 2010 से 2024 तक मानी जाती है। हालांकि, जनसांख्यिकी संस्थानों के अनुसार इसके वर्षों में अंतर देखने को मिलता है। मैक्रिंडल रिसर्च के संस्थापक मार्क मैक्रिंडल प्रत्येक पीढ़ी को 15 वर्षों के मानक चक्र में बांटा है। उनके अनुसार 2010 वह वर्ष था जब पहला आईपैड लॉन्च हुआ और इंस्टाग्राम अस्तित्व में आया, जो वर्तमान डिजिटल पीढ़ी की शुरुआत का प्रतीक बना है। कुछ संस्थान जैसे जीन ट्वेंज या प्यू रिसर्च जेन–जेड का अंत 2012 के आसपास मानते हैं, जिससे जेन–अल्फा की शुरुआत 2013 से मानी जाती है। जबकि 2025 से जन्म लेने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा कहा जाता है।

जेन–अल्फा केवल पिछली पीढ़ी की निरंतरता नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि अपग्रैडेड डिजिटल नेटिव्स हैं। यह पीढ़ी स्मार्टफोन, टैबलेट, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इंटरनेट जैसी तकनीकों के बीच जन्म से विकसित हो रही है। इसलिए इसे 'पहली पूर्णतः डिजिटल पीढ़ी' कहा जाता है। इस पीढ़ी के अधिकांश बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े हो रहे हैं जहाँ स्मार्टफोन और इंटरनेट दैनिक जीवन का हिस्सा है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कक्षाएँ सामान्य हो चुकी हैं। एआई आधारित उपकरण तेजी से शिक्षा और मनोरंजन में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच की सीमा पिछली पीढ़ियों की तुलना में बहुत कम हो चुकी है। जेन अल्फा के बच्चों में डिजिटल उपकरणों को जल्दी समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता सामान्य है। टचस्क्रीन, वॉइस असिस्टेंट, डिजिटल गेम और इंटरैक्टिव ऐप इनके प्रारंभिक अनुभवों का हिस्सा हैं। जेनरेशन अल्फा के बच्चे और किशोर ऐसे समय में आगे बढ़ रहे हैं जब जेनरेटिव एआई, एआई ट्यूटर्स, चौटबॉट और व्यक्तिगत शिक्षण प्रणालियाँ तेजी से विकसित हो रही हैं। भविष्य में एआई इनके लिए केवल तकनीकी उपकरण न होकर शिक्षा का सहायक और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक बन सकता है।

जेन–अल्फा औपचारिक शिक्षा और करियर के मामले में अब तक की सबसे शिक्षित पीढ़ी बनेगी। एआई और ऑटोमेशन के साथ बड़े होने के कारण ये ऐसे करियर चुनेंगे जो आज अस्तित्व में भी नहीं हैं। बाजार और उपभोक्ता संस्कृति में भी इनका भारी प्रभाव देखा जा रहा है। जेन अल्फा की शिक्षा पारंपरिक 'शिक्षक–पाठ्यपुस्तक–ब्लैकबोर्ड' मॉडल तक सीमित नहीं है। इनकी शिक्षा में 'वीडियो→इंटरैक्टिव ऐप→ऑनलाइन पाठ्यक्रम→डिजिटल गेम→एआई आधारित शिक्षण→व्यक्तिगत सीखने के मार्ग' की भूमिका बढ़ रही है। इससे व्यक्तिगत सीख को बढ़ावा मिल सकता है। इंटरनेट के कारण जेन–अल्फा बचपन से ही विभिन्न देशों की भाषाओं, संस्कृतियों, संगीत, फिल्मों और जीवनशैलियों से परिचित हो सकती है। इससे इनमें वैश्विक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से यह पीढ़ी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषायी समूहों को पहले की तुलना में अधिक आसानी से समझ सकती है। हालाँकि, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कभी–कभी लोगों को समान विचारों वाले डिजिटल समूहों तक सीमित भी कर सकते हैं। पारंपरिक टेलीविजन की जगह शार्ट वीडियो, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरैक्टिव कंटेंट, सोशल प्लेटफॉर्म आदि इनके मनोरंजन के माध्यम बन रहे हैं। यद्यपि जेन–अल्फा का बड़ा हिस्सा अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन भविष्य के रोजगार बाजार पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके कार्यक्षेत्र में संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअलऑगमेंटेड रियलिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन क्षेत्रों का विस्तार होगा, जिससे कई ऐसे रोजगार भी उत्पन्न हो सकते हैं जिनकी आज स्पष्ट कल्पना करना कठिन है।

इस तरह जेन–अल्फा केवल एक आयु–समूह नहीं बल्कि तकनीकी, सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन के एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक, एआई, वैश्वीकरण और बदलती शिक्षा व्यवस्था के बीच विकसित हो रही है। अल्फा–पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति तकनीक के साथ सहजता, रचनात्मकता, वैश्विक संपर्क और नई चीजें सीखने की क्षमता हो सकती है। वहीं इसकी प्रमुख चुनौतियाँ डिजिटल निर्भरता, स्क्रीन टाइम, साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डिजिटल असमानता और एआई पर अत्यधिक निर्भरता हैं। भारत के संदर्भ में जेन–अल्फा का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वर्षों में यही पीढ़ी भारत के शिक्षा, रोजगार, उपभोग, संस्कृति और डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख पीढ़ियों में शामिल होगी।

'जेनरेशन अल्फा' का नामकरण ऑस्ट्रेलियाई जनसांख्यिकी विशेषज्ञ मार्क मैक्रिंडल ने वर्ष 2008 में किया था। वे मैकक्रिंडल रिसर्च के संस्थापक हैं और 'जेनरेशन अल्फा' शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। मैकक्रिंडल रिसर्च ने 2008–09 में यह विचार किया कि जेन–जेड के बाद वाली पीढ़ी को क्या नाम दिया जाए। इसके लिए किए गए सर्वेक्षण में 'जेनरेशन–ए' का सुझाव आया, लेकिन मैकक्रिंडल ने 'ए' पर वापस जाने के बजाय ग्रीक वर्णमाला का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसलिए जेड के बाद अल्फा (α) चुना गया। 'अल्फा' का आशय प्रतीकात्मक रूप से एक नई और नए युग की शुरुआत से है। यह पिछली वर्णमाला पर लौटना नहीं, बल्कि 21वीं सदी में पूरी तरह जन्म लेने वाली एक नई पीढ़ी का आरंभ है।

3. भारत और विश्व की जनसांख्यिकीय पीढ़ियों का तुलनात्मक विश्लेषणः जनसांख्यिकीय पीढ़ियों के तुलनात्मक विश्लेषण में विश्व की आबादी के साथ भारत और चीन का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इसके साथ विभिन्न जनबहुल देशों की पीढीगत प्रवृत्तियों का भी तुलनात्मक आकलन किया गया है। सारणी–1 में विश्व की कुल आबादी को विभिन्न जनसांख्यिकीय पीढ़ियों (जेनरेशंस) में विभाजित करके पुरुष, महिला तथा विश्व की कुल 812.13 करोड़ आबादी में प्रत्येक पीढ़ी के हिस्से को दर्शाया गया है। भारत की जनसंख्या को विभिन्न जनसांख्यिकीय पीढ़ियों में विभाजित करके पुरुष, महिला और कुल आबादी में प्रत्येक पीढ़ी के हिस्से को सारणी–2 में प्रदर्शित किया गया है, जिसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 145.09 करोड़ है। इसमें विभिन्न पीढ़ियों का योगदान समान नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ियों का जनसंख्या में अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व दिखाई देता है। चीन की कुल आबादी को विभिन्न जनसांख्यिकीय पीढ़ियों में विभाजित करके पुरुष, महिला और कुल जनसंख्या में प्रत्येक पीढ़ी की हिस्सेदारी को सारणी–3 में दर्शाया गया है, जिसके अनुसार चीन की कुल जनसंख्या 141.93 करोड़ है, जिसमें मिलेनियल्स और जेनरेशन–एक्स का विशेष प्रभुत्व तथा वृद्ध पीढ़ियों में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक संख्या दिखाई देती है। तीनों सारणियों का पीढीगत तुलनात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार हैः

सारणी–1: विश्व की जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की आबादी का विवरण

जनांकिकीय पीढियां	जन्म वर्ष	आयु सीमा*	पुरुष आबादी	महिला आबादी	कुल आबादी	विश्व में हिस्सा (प्रतिशत)
जेनरेशन–अल्फा	2013–2025	1–13 वर्ष	964316423	910561765	1874878188	**23.10**
जेनरेशन–जेड	1997–2012	14–29 वर्ष	1030835662	970104989	2000940651	**24.60**
मिलेनियल्स	1981–1996	30–45 वर्ष	926587755	889362389	1815950143	**22.40**
जेनरेशन–एक्स	1965–1980	46–61 वर्ष	693761725	701020866	1394782590	**17.20**
बेबी बूमर्स	1946–1964	62–80 वर्ष	413701816	476531475	890233292	**11.00**
साइलेंट जेनरेशन	1928–1945	81–98 वर्ष	54400598	88632400	143032998	**1.80**
ग्रेटेस्ट जेनरेशन	1901–1927	99–125 वर्ष	329590	1128013	1457603	**0.00**
कुल जनसंख्या	--	--	**4083933569**	**4037341897**	**8121275465**	**100**

स्रोतः https://www.populationpyramids.org, https://worldpopulationclock.net, https://population.un.org and https://population.un.org/dataportal/home? से शोधार्थी द्वारा विश्लेषित आंकड़े 31 मार्च 2026 तक हैं।*

3.1. जेनरेशन–अल्फाः सारणी–1 के अनुसार मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में जेन–अल्फा की आबादी 187.48 करोड़ है, जिसमें 96.43 करोड़ पुरुष और 91.06 करोड़ महिलाएं हैं। दुनिया की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 23.10 प्रतिशत है और इनकी उम्र 1 से 13 वर्ष के बीच है। यह विश्व की सबसे बड़ी पीढ़ियों में से एक है, जिसमें पुरुष आबादी महिला आबादी से लगभग 5.38 करोड़ अधिक है। यह पीढ़ी वर्तमान में मुख्यतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था की आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इस पीढी के ज्यादातर लोग विकासशील देशों में रहते हैं, जिनमें भारत और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा आबादी है। यह पीढ़ी इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी–लिखी और टेक्नोलॉजी सक्षम पीढ़ी है।

सारणी–2 के अनुसार भारत में जेन–अल्फा की कुल आबादी लगभग 33.23 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी में 22.90 प्रतिशत का हिस्सेदार है अर्थात देश की आबादी का पांचवें से अधिक हिस्सा जेन–अल्फा से संबंधित है, जिसमें 17.30 करोड़ पुरुष और 15.92 करोड़ महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 1.39 करोड़ अधिक है। यह समूह भारत के भविष्य की मानव पूंजी का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही आबादी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करेगी।

सारणी–3 के अनुसार चीन में जेन–अल्फा की कुल आबादी लगभग 20.92 करोड़ है, जो चीन की कुल आबादी का 14.70 प्रतिशत है। जेन–अल्फा में 11.15 करोड़ पुरुष तथा 9.77 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 1.38 करोड़ अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि चीन की अपेक्षाकृत युवा आबादी में

पुरुषों की संख्या अधिक है। जेन–अल्फा भविष्य में चीन की शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास, रोजगार तथा मानव संसाधन का महत्वपूर्ण आधार बनेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विश्व की कुल जेन–अल्फा आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17.72 प्रतिशत और चीन की हिस्सेदारी 11.16 प्रतिशत है, अर्थात भारत और चीन में संयुक्त रूप से विश्व की कुल जेन–अल्फा आबादी का 28. 88 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि लिंगानुपात की दृष्टि से दोनों देशों में पुरुष आबादी महिलाओं से अधिक है, जैसाकि जेन–अल्फा की वैश्विक आबादी में परिलक्षित हो रहा है।

सारणी–2: भारत की जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की आबादी का विवरण

जनांकिकीय पीढियां	जन्म वर्ष	आयु सीमा*	पुरुष आबादी	महिला आबादी	कुल आबादी	भारत में हिस्सा (प्रतिशत)
जेनरेशन–अल्फा	2013–2025	1–13 वर्ष	173088959	159240539	332329498	**22.90**
जेनरेशन–जेड	1997–2012	14–29 वर्ष	213194913	193589486	406784399	**28.00**
मिलेनियल्स	1981–1996	30–45 वर्ष	180326953	166953568	347280521	**23.90**
जेनरेशन–एक्स	1965–1980	46–61 वर्ष	116480388	112584169	229064557	**15.80**
बेबी बूमर्स	1946–1964	62–80 वर्ष	59362708	62421667	121784375	**8.40**
साइलेंट जेनरेशन	1928–1945	81–98 वर्ष	5832687	7766728	13599414	**0.90**
ग्रेटेस्ट जेनरेशन	1901–1927	99–125 वर्ष	36824	56213	93037	**0.00**
कुल जनसंख्या	--	--	**748323432**	**702612370**	**1450935801**	**100**

स्रोतः https://www.populationpyramids.org, https://worldpopulationclock.net, https://population.un.org and https://population.un.org/dataportal/home? and Report of the 'Technical Group on Population Projections' constituted by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. से शोधार्थी द्वारा विश्लेषित आंकड़े 31 मार्च 2026 तक हैं।*

3.2. जेनरेशन–जेडः मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में जेन–जी की कुल आबादी लगभग 200.09 करोड़ है। यह विश्व की कुल आबादी का 24.60 प्रतिशत है, जो सारणी में सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह है। जेन–जी की कुल आबादी में 103.08 करोड़ पुरुष और 97.01 करोड़ महिलाएं हैं, अर्थात पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 6.07 करोड़ अधिक है। विश्व के हर चार में से एक व्यक्ति जेन–जी पीढ़ी से संबंधित है। अतः भविष्य के श्रम–बाजार, शिक्षा, उपभोग, तकनीकी उपयोग और सामाजिक परिवर्तन में जेन–जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान कार्यशील आबादी में तेजी से शामिल हो रही यह पीढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह है। अमेरिका में यह नस्ल और जातीयता के लिहाज से सबसे विविध पीढ़ी है, जबकि अफ्रीका में महाद्वीप के डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकिकीय लाभांश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में जेन–जी की कुल आबादी लगभग 40.68 करोड़ है। यह देश की कुल आबादी का 28.00 प्रतिशत है और भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह है यानी हर चार भारतीयों में एक से अधिक व्यक्ति जेन–जेड पीढ़ी से संबंधित हैं। जेन–जी में 21.32 करोड़ पुरुष और 19.36 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात पुरुष आबादी महिलाओं से लगभग 1.96 करोड़ अधिक है। जेन–जेड का इतना बड़ा जनसांख्यिकीय आधार भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पीढ़ी शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, तकनीकी उपयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जबकि चीन में जेन–जी की कुल आबादी लगभग 26.50 करोड़ है, जो चीन की कुल आबादी का 18.70 प्रतिशत है। जेन–जी में 14.25 करोड़ पुरुष और 12.25 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 2.01 करोड़ अधिक है। यह पीढ़ी चीन की युवा आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, उच्च शिक्षा, आधुनिक रोजगार तथा बदलते उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। (क्रमशः सारणी–1, 2 और 3 देखें)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विश्व की कुल जेन–जी आबादी में भारत की हिस्सेदारी 20.33 प्रतिशत और चीन की हिस्सेदारी 13.24 प्रतिशत है, अर्थात भारत और चीन में संयुक्त रूप से विश्व की कुल जेन–जी आबादी का 33.57 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि लिंगानुपात की दृष्टि से दोनों देशों में पुरुष आबादी महिलाओं से अधिक है, जैसाकि जेन–जी की वैश्विक आबादी में परिलक्षित हो रहा है।

3.3. मिलेनियल्सः मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में मिलेनियल्स की आबादी 181.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी में 22.40 प्रतिशत हिस्सा है और इनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच है। मिलेनियल्स की कुल वैश्विक आबादी में 92.66 करोड़ पुरुष और 88.94 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात मिलेनियल्स पुरुष आबादी महिलाओं से लगभग 3.72 करोड़ अधिक है। यद्यपि मिलेनियल्स का हिस्सा जेन–जी और अल्फा से थोड़ा कम है। लेकिन यह पीढ़ी आर्थिक रूप से सक्रिय आयु–वर्ग में आती है, इसलिए वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार, परिवार निर्माण और उपभोक्ता व्यवहार में इसका विशेष महत्व है।

भारत में मिलेनियल्स की कुल आबादी 34.73 करोड़ है, जिनकी हिस्सेदारी देश की कुल आबादी में 23.90 प्रतिशत है यानी हर चार में से एक व्यक्ति मिलेनियन है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पीढ़ी है, जिसमें 18.03 करोड़ पुरुष और 16.69 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 1.34 करोड़ अधिक है। मिलेनियल्स मुख्यतः आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो रोजगार, परिवार विकास, आवास, उपभोग, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय गतिविधियों तथा उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में यह पीढ़ी विशेष महत्व रखती है। जबकि चीन में मिलेनियल्स की कुल आबादी 34.28 करोड़ है, जो चीन की कुल आबादी का 24.20 प्रतिशत है। यह चीन की सबसे बड़ी पीढ़ियों में से एक है। पुरुष आबादी महिलाओं की तुलना में लगभग 1.33 करोड़ अधिक है अर्थात मिलेनियल्स में 17.80 करोड़ पुरुष तथा 16.48 करोड़ महिलाएं हैं। मिलेनियल्स का इतना बड़ा जनसांख्यिकीय आधार चीन की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा कार्यशील आयु में है, जो रोजगार, शहरीकरण, परिवार विकास, आवास, उपभोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। (क्रमशः सारणी–1, 2 और 3 देखें)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विश्व की कुल मिलेनियल्स आबादी में भारत की हिस्सेदारी 19.12 प्रतिशत और चीन की हिस्सेदारी 18.87 प्रतिशत है, अर्थात भारत और चीन में संयुक्त रूप से विश्व की कुल मिलेनियल्स आबादी का 37.99 प्रतिशत हिस्सा है, जो जेन–जी (33.57 प्रतिशत) से अधिक है। यदि संयुक्त वैश्विक हिस्सेदारी को देखें तो दुनिया के 71.56 प्रतिशत मिलेनियल्स और जेन–जी संयुक्त रूप से भारत और चीन में हैं, जिसके कारण भारत और चीन कार्यशील आबादी का वैश्विक पॉवरहाउस (ग्लोबल वर्कफोर्स) बने हुए हैं। यह काम करने की मुख्य उम्र वाली पीढ़ी होने के नाते दुनिया भर में कंज्यूमर मार्केट को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि चीन के मिलेनियल्स, जो 'वन–चाइल्ड पॉलिसी' के माहौल में पले–बढ़े हैं, भारत के मिलेनियल्स समूह से काफी अलग हैं।

सारणी–3: चीन की जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की आबादी का विवरण

जनांकिकीय पीढियां	जन्म वर्ष	आयु सीमा*	पुरुष आबादी	महिला आबादी	कुल आबादी	चीन में हिस्सा (प्रतिशत)
जेनरेशन–अल्फा	2013–2025	1–13 वर्ष	111497930	97686413	209184344	14.70
जेनरेशन–जेड	1997–2012	14–29 वर्ष	142543543	122485302	265028844	18.70
मिलेनियल्स	1981–1996	30–45 वर्ष	178068708	164759719	342828427	24.20
जेनरेशन–एक्स	1965–1980	46–61 वर्ष	172446684	171260487	343707171	24.20
बेबी बूमर्स	1946–1964	62–80 वर्ष	106341757	120626607	226968365	16.00
साइलेंट जेनरेशन	1928–1945	81–98 वर्ष	12098346	19341840	31440186	2.20
ग्रेटेस्ट जेनरेशन	1901–1927	99–125 वर्ष	26760	137192	163952	0.00
कुल जनसंख्या	--	--	**723023728**	**696297560**	**1419321289**	**100**

स्रोतः https://www.populationpyramids.org, https://worldpopulationclock.net, https://population.un.org and https://population.un.org/dataportal/home? से शोधार्थी द्वारा विश्लेषित आंकड़े 31 मार्च 2026 तक हैं।*

3.4. जेनरेशन–एक्सः मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में जेन–एक्स की कुल आबादी 139.48 करोड़ है, जो विश्व की आबादी का 17.20 प्रतिशत है और इनकी उम्र 46 से 61 वर्ष के बीच है। जेन–एक्स की कुल वैश्विक आबादी में 69.38 करोड़ पुरुष और 70.10 करोड़ महिलाएं हैं। जेन–एक्स पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 72.59 लाख अधिक है अर्थात् जेनरेशन–एक्स में लिंगानुपात अग्रिम तीन पीढ़ियों की तुलना में अलग दिखाई देता है। यह पीढ़ी वर्तमान में कार्यकारी, प्रबंधकीय तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली आयु–वर्ग का हिस्सा है। यद्यपि इनकी आबादी बूमर्स और मिलेनियल्स से कम है, लेकिन जेन–एक्स के पास आर्थिक ताकत बहुत अधिक है क्योंकि वे अपनी कमाई के चरम पर हैं। जापान और जर्मनी में, जेन–एक्स को बूढ़े माता–पिता और बड़े हो चुके बच्चों, दोनों की देखभाल करने का विशेष दबाव झेलना पड़ रहा है।

भारत में जेन–एक्स की कुल आबादी 22.91 करोड़ है, जिनकी हिस्सेदारी देश की कुल आबादी में 15.80 प्रतिशत है। जेन–एक्स में 11.65 करोड़ पुरुष तथा 11.26 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 39.96 लाख अधिक है। यह पीढ़ी वर्तमान भारतीय समाज में अनुभवी कार्यबल, प्रबंधकीय पदों, व्यवसाय, प्रशासन तथा परिवारों के आर्थिक आधार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि चीन में जेन–एक्स की कुल आबादी लगभग 34.37 करोड़ है, जो चीन की कुल आबादी में 24.20 प्रतिशत है। यह ध्यान देने योग्य है कि जेन–एक्स और मिलेनियल्स दोनों की हिस्सेदारी सारणी–3 में 24.20 प्रतिशत है। हालांकि संख्यात्मक रूप से जेन–एक्स, मिलेनियल्स से 8.79 लाख अधिक हैं। जेन–एक्स में 17.24 करोड़ पुरुष और 17.13 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक है। भारत की तरह जेन–एक्स चीन के अनुभवी कार्यबल, प्रबंधन, व्यवसाय और सामाजिक–आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। (क्रमशः सारणी–1, 2 और 3 देखें)

तुलनात्मक दृष्टि से विश्व की कुल जेन–एक्स आबादी में भारत की हिस्सेदारी 16.43 प्रतिशत और चीन की हिस्सेदारी 24.64 प्रतिशत है, अर्थात भारत और चीन में संयुक्त रूप से विश्व की कुल जेन–एक्स आबादी का 41.07 प्रतिशत हिस्सा है, जो सापेक्षिक रूप से मिलेनियल्स (37.99 प्रतिशत) और जेन–जी (33.57 प्रतिशत) से अधिक है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत और चीन का लिंगानुपात वैश्विक पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि भारत और चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। जबकि वैश्विक लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।

3.5. बेबी बूमर्स: मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में बेबी बूमर्स की कुल आबादी 89.02 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 11.00 प्रतिशत हिस्सा है और इनकी उम्र 62 से 80 वर्ष के बीच है। बेबी बूमर्स में 41.37 करोड़ पुरुष और 47.65 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 6.28 करोड़ अधिक है। यहाँ महिलाओं की स्पष्ट अधिकता का एक प्रमुख जनसांख्यिकीय कारण वृद्धावस्था में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक जीवन–प्रत्याशा होना है।

भारत में बेबी बूमर्स की कुल आबादी 12.18 करोड़ है, जिनकी हिस्सेदारी देश की कुल आबादी में 8.40 प्रतिशत है। बेबी बूमर्स में 5.94 करोड़ पुरुष तथा 6.24 करोड़ महिलाएं हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 30.59 लाख अधिक है। जबकि चीन में बेबी बूमर्स की कुल आबादी 22.70 करोड़ है, जो चीन की कुल आबादी में 16. 00 प्रतिशत है। बेबी बूमर्स में 10.63 करोड़ पुरुष तथा 12.06 करोड़ महिलाएं हैं, अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 1.43 करोड़ अधिक है। इस पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होने का संभावित जनसांख्यिकीय कारण बढ़ती आयु के साथ महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक जीवन–प्रत्याशा हो सकती है। बेबी बूमर्स देखभाल अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की मांग वाली पीढी है अर्थात इनके लिए वृद्धावस्था सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेंशन तथा सामाजिक देखभाल महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

तुलनात्मक दृष्टि से विश्व की कुल बेबी बूमर्स आबादी में भारत की हिस्सेदारी 9.44 प्रतिशत और चीन की हिस्सेदारी 25.50 प्रतिशत है, अर्थात भारत और चीन में संयुक्त रूप से विश्व की बेबी बूमर्स आबादी का 34.94 प्रतिशत हिस्सा है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत और चीन का लिंगानुपात वैश्विक पैटर्न का अनुसरण करता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस प्रकार वृद्धावस्था की ओर बढ़ते बेबी बूमर्स में जनसांख्यिकीय रूप से महिलाओं की अधिकता स्पष्ट दिखाई देती है। यह 'सिल्वर सुनामी' दुनिया भर में हेल्थकेयर, पेंशन सिस्टम और हाउसिंग मार्केट को बदल रही है। इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बूमर रिटायर हो रहे हैं, जिनकी मदद के लिए युवा कामगारों की कमी है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं, वृद्धावस्था देखभाल, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और आश्रित आबादी से संबंधित नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है।

3.6. साइलेंट जेनरेशन: मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में साइलेंट जेनरेशन की कुल आबादी 14.30 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का केवल 1.80 प्रतिशत हिस्सा है और इनकी उम्र 81 से 98 वर्ष के बीच है, जिसको बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सहायता की जरूरत है। साइलेंट–जेन में 5.44 करोड़ पुरुष और 8.86 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों से 3.42 करोड़ अधिक है। भारत में साइलेंट–जेन की कुल आबादी 1.36 करोड़ है, जिनकी हिस्सेदारी देश की कुल आबादी में केवल 0.90 प्रतिशत है। साइलेंट–जेन में 58.33 लाख पुरुष और 77.67 लाख महिलाएं हैं अर्थात् महिलाओं की संख्या पुरुषों से 19.34 लाख अधिक है। जबकि चीन में साइलेंट जेनरेशन की कुल आबादी लगभग 3.14 करोड़ है, जो चीन की कुल आबादी का 2.20 प्रतिशत है। इस पीढी में 1.21 करोड़ पुरुष तथा 1.93 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात् महिलाओं की संख्या पुरुषों से 72.43 लाख अधिक है। (क्रमशः सारणी–1, 2 और 3 देखें)

तुलनात्मक दृष्टि से विश्व की कुल साइलेंट जेनरेशन आबादी में भारत की हिस्सेदारी 9.51 प्रतिशत और चीन की हिस्सेदारी 21.96 प्रतिशत है, अर्थात भारत और चीन में संयुक्त रूप से विश्व की साइलेंट जेनरेशन आबादी का 31. 47 प्रतिशत हिस्सा है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत और चीन का लिंगानुपात वैश्विक पैटर्न का अनुसरण करता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस पीढ़ी का आकार अन्य पीढ़ियों की तुलना में छोटा होने का प्रमुख कारण पीढ़ी के सदस्यों की अत्यधिक वृद्धावस्था और समय के साथ मृत्यु–दर का बढ़ना है। इसमें अपेक्षाकृत कम जनसंख्या के साथ महिलाओं की स्पष्ट अधिकता है। यह भारत में वृद्ध आबादी की बदलती लैंगिक संरचना की ओर संकेत करती है। जबकि महिलाओं की स्पष्ट अधिकता चीन की वृद्ध आबादी की लैंगिक संरचना को दर्शाती है। वृद्ध आयु में महिलाओं की अधिक संख्या सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालीन देखभाल की आवश्यकताओं को अहम बनाती है। जापान जैसे देशों में साइलेंट जेनरेशन की आबादी ज्यादा है।

3.7. ग्रेटेस्ट जेनरेशन: मार्च 2026 के अनुसार दुनिया में ग्रेटेस्ट जेनरेशन की कुल आबादी केवल 14.58 लाख है और इसकी कुल वैश्विक आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। यह पीढ़ी सारणी में सबसे छोटी पीढ़ी है, जो अत्यधिक वृद्धावस्था को दर्शाती है। इनकी उम्र 99 से 125 वर्ष के बीच है। भारत में जेन–ग्रेटेस्ट की कुल आबादी मात्र 93,037 है, जो कुल जनसंख्या में नगण्य प्रतिशत है। इसमें 36,824 पुरुष और 56,213 महिलाएं हैं अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। जबकि चीन में जेन–ग्रेटेस्ट की कुल आबादी 1.64 लाख है,

जिसमें 26,760 पुरुष और 1,37,192 महिलाएँ हैं अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अत्यधिक वृद्ध आयु–वर्ग में महिलाओं की उच्च उपस्थिति को दर्शाता है। (क्रमशः सारणी–1, 2 और 3 देखें)

उपर्युक्त सारणी–1 के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि विश्व में पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 4.66 करोड़ अधिक है अर्थात् कुल वैश्विक आबादी में पुरुष 50.29 प्रतिशत और 49.71 प्रतिशत महिलाएं हैं। लेकिन पीढ़ीवार स्थिति समान नहीं है। जेन–अल्फा, जेन–जी और मिलेनियल्स में पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि जेन–एक्स, बेबी बूमर्स, साइलेंट–जेन और जेन–ग्रेटेस्ट में महिलाओं की संख्या अधिक है। यह अंतर विशेष रूप से वृद्ध पीढ़ियों में महिलाओं की अधिकता को दिखाता है। जेन–जी विश्व की सबसे बड़ी (24.60 प्रतिशत) पीढ़ी है। जेन–अल्फा 23.10 प्रतिशत और मिलेनियल्स 22.40 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। केवल जेन–जी, जेन–अल्फा और मिलेनियल्स को मिलाकर विश्व की लगभग 70.10 प्रतिशत आबादी बनती है, जो यह विश्व की जनसंरचना में युवा पीढ़ियों के अत्यधिक महत्व को दर्शाता है। जेन–एक्स का हिस्सा 17.20 प्रतिशत अभी भी विश्व की आबादी का एक बड़ा भाग है। साइलेंट और ग्रेटेस्ट जेनरेशन की संयुक्त हिस्सेदारी बहुत कम है, जो विश्व की आबादी में अत्यधिक वृद्ध पीढ़ियों के घटते अनुपात को दर्शाती है। युवा पीढ़ियों में पुरुष आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि वृद्ध पीढ़ियों में महिलाओं की संख्या स्पष्टतः अधिक है। इस तरह सारणी से स्पष्ट है कि विश्व की जनसांख्यिकीय संरचना में युवा पीढ़ियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है और आने वाले समय में जेन–जी, मिलेनियल्स तथा जेन–अल्फा का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी प्रभाव महत्वपूर्ण होगा।

सारणी–4: भारत की जनसांख्यिकीय पीढ़ियों का तुलनात्मक का विवरण (प्रतिशत)

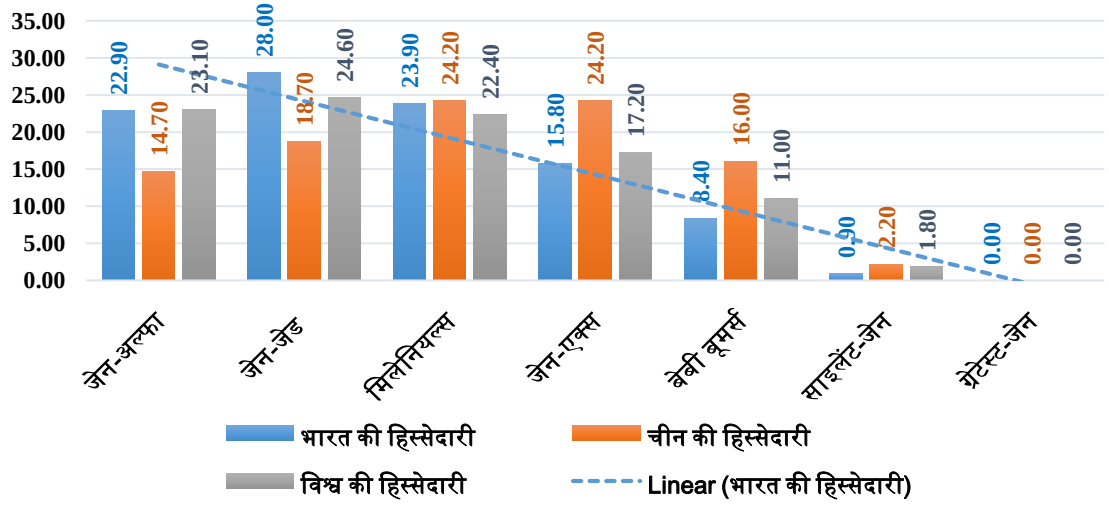
जनांकिकीय पीढियां	जन्म वर्ष	आयु सीमा	भारत की हिस्सेदारी	चीन की हिस्सेदारी	विश्व की हिस्सेदारी	भारत–चीन अंतर
जेनरेशन–अल्फा	2013–2025	1–13 वर्ष	22.90	14.70	23.10	**+8.20**
जेनरेशन–जेड	1997–2012	14–29 वर्ष	28.00	18.70	24.60	**+9.30**
मिलेनियल्स	1981–1996	30–45 वर्ष	23.90	24.20	22.40	**–0.30**
जेनरेशन–एक्स	1965–1980	46–61 वर्ष	15.80	24.20	17.20	**–8.40**
बेबी बूमर्स	1946–1964	62–80 वर्ष	8.40	16.00	11.00	**–7.60**
साइलेंट जेनरेशन	1928–1945	81–98 वर्ष	0.90	2.20	1.80	**–1.30**
ग्रेटेस्ट जेनरेशन	1901–1927	99–125 वर्ष	0.00	0.00	0.00	—
स्रोतः सारणी–1, 2 और 3 देखें।			**100**	**100**	**100**	

सारणी–2 का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि जेन–जी, मिलेनियल्स और जेन–अल्फा मिलकर भारत की कुल आबादी का लगभग तीन–चौथाई अर्थात 74.80 (=28.00 + 23.90 + 22.90) प्रतिशत आबादी बनाती हैं। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय स्थिति है, जिसका अर्थ है कि भारत की वर्तमान और भावी नीतियों में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता, स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व देना आवश्यक है। देश की कुल 145.09 करोड़ आबादी में 74.83 करोड़ पुरुष और 70.26 करोड़ महिलाएं हैं। पीढ़ीवार विश्लेषण करने पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है और वह यह कि जेन–अल्फा, जेन–जी, मिलेनियल्स और जेन–एक्स में पुरुषों की संख्या अधिक है। जबकि बेबी बूमर्स, साइलेंट और ग्रेटेस्ट जेनरेशन में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। इस प्रकार जैसे–जैसे पीढ़ियों की आयु बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जेन–जी भारत की सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय पीढ़ी है। मिलेनियल्स दूसरे स्थान पर और जेन–अल्फा तीसरे स्थान पर है। इस तरह जेन–जी, मिलेनियल्स और जेन–अल्फा की संयुक्त हिस्सेदारी 74.80 प्रतिशत से स्पष्ट है कि भारत की जनसंरचना में युवा पीढ़ियों की बड़ी हिस्सेदारी देश के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है, बशर्ते इन पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

सारणी–3 में चीन की जेन–जी, मिलेनियल्स और जेन–एक्स की संयुक्त हिस्सेदारी 67.10 (=18.70 + 24.20 + 24.20) प्रतिशत आबादी है, जिनका बड़ा हिस्सा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय आयु–वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था में श्रमशक्ति, उत्पादकता, उपभोग, बचत, आवास, रोजगार तथा सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में इन पीढ़ियों के महत्व का पता चलता है। यदि जेन–अल्फा को भी इसमें शामिल किया जाए, तो जेन–अल्फा, जेन–जेड, मिलेनियल्स और जेन–एक्स की संयुक्त हिस्सेदारी 81.80 (14.70 + 18.70 + 24.20 + 24.20) प्रतिशत आबादी चीन की चार पीढ़ियों में सम्मिलित है। सारणी के अनुसार चीन में कुल 141.93 करोड़ आबादी में 72.30 करोड़ पुरुष और महिला आबादी 69.63 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात् समग्र स्तर पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। लेकिन पीढ़ीवार विश्लेषण करने पर एक रोचक परिवर्तन दिखाई देता है। जेन–अल्फा, जेन–जेड, मिलेनियल्स और जेन–एक्स में पुरुष आबादी महिलाओं से अधिक है। इसके विपरीत बेबी बूमर्स, साइलेंट और ग्रेटेस्ट जेनरेशन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। विशेष रूप से साइलेंट और ग्रेटेस्ट जेनरेशन में महिलाओं की अधिकता काफी स्पष्ट है। इससे चीन की वृद्ध आबादी के भीतर महिलाओं की महत्वपूर्ण

उपस्थिति का संकेत मिलता है। युवा एवं मध्यवर्ती पीढ़ियों में पुरुषों की संख्या अधिक है। जबकि वृद्ध पीढ़ियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। विशेष रूप से साइलेंट और ग्रेटेस्ट जेनरेशन में महिला आबादी का प्रभुत्व दिखाई देता है। इस तरह जेन–एक्स और मिलेनियल्स चीन की सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय पीढ़ियाँ हैं, जो चीन की आबादी 48.40 प्रतिशत है। हालांकि चीन की जनसंरचना में एक ओर बड़ी कार्यशील आबादी है, वहीं दूसरी ओर वृद्ध आबादी का भी पर्याप्त आधार मौजूद है।

ग्राफ-1: जनसांख्यिकीय पीढ़ियों का तुलनात्मक हिस्सेदारी (प्रतिशत)



भारत, चीन और विश्व की कुल जनसंख्या में विभिन्न जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की हिस्सेदारी को प्रतिशत के रूप में सारणी–4 और ग्राफ–1 में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि तीनों स्तरों पर कौन–सी पीढ़ी जनसंख्या संरचना में अधिक या कम महत्वपूर्ण है। सारणी–4 से तीन अलग–अलग जनसांख्यिकीय तस्वीरें सामने आती हैं। भारत में युवा पीढ़ियों जेन–जी, मिलेनियल्स और जेन–अल्फा का प्रभुत्व है, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी (28.00 + 23.90 + 22.90=) 74.80 प्रतिशत है। यह भारत की अत्यधिक युवा जनसांख्यिकीय संरचना को दर्शाता है। चीन में मिलेनियल्स और जेन–एक्स का प्रभुत्व है, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 48.40 प्रतिशत है। इसके साथ बेबी बूमर्स की 16 प्रतिशत हिस्सेदारी जोड़ने पर मध्य एवं वृद्ध आयु समूहों का महत्व अधिक स्पष्ट हो जाता है। विश्व में जेन–जेड सबसे बड़ी पीढ़ी है, जबकि जेन–अल्फा और मिलेनियल्स भी लगभग समान स्तर पर हैं। तुलनात्मक दृष्टि से चीन की तुलना में भारत में जेन–जेड 9.30 प्रतिशत अधिक और जेन–अल्फा 8.20 प्रतिशत अधिक है। जबकि चीन में जेन–एक्स 8.40 प्रतिशत और बेबी बूमर्स 7.60 प्रतिशत अधिक है। मिलेनियल्स दोनों देशों में लगभग समान अर्थात चीन में केवल 0.30 प्रतिशत अंक अधिक है। इस प्रकार भारत में युवा पीढ़ियों का अनुपात चीन की तुलना में अधिक, जबकि चीन में मध्य एवं वृद्ध पीढ़ियों का अनुपात भारत की तुलना में अधिक दिखाई देता है।

भारत में जेन–जेड (3.40 प्रतिशत) और मिलेनियल्स (1.50 प्रतिशत) की आबादी तुलनात्मक रूप से विश्व की आबादी से अधिक है। जबकि देश की जेन–अल्फा (0.20 प्रतिशत), जेन–एक्स (1.40 प्रतिशत), बेबी बूमर्स (2.60 प्रतिशत) और साइलेंट–जेन (0.90 प्रतिशत) आबादी सापेक्षिक रूप से दुनिया की आबादी से कम है। दूसरी ओर, चीन विश्व से विशेष रूप से जेन–एक्स (7.00 प्रतिशत) और बेबी बूमर्स (5.00 प्रतिशत) में अधिक है, जबकि जेन–अल्फा (8. 40 प्रतिशत) और जेन–जेड (5.90 प्रतिशत) में कम है। इस तरह भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में अधिक युवा संरचना वाली है। भारत में जेन–जी 28 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी पीढ़ी है। भारत में जेन–अल्फा और जेन–जी दोनों की हिस्सेदारी चीन से काफी अधिक है। चीन में बेबी बूमर्स की हिस्सेदारी भारत से लगभग दोगुनी है। वृद्ध पीढ़ियों 'बेबी बूमर्स और साइलेंट जेन' का अनुपात चीन में भारत की तुलना में अधिक है। विश्व की तुलना में भारत की संरचना युवा आबादी की ओर अधिक झुकी हुई है। चीन की संरचना अपेक्षाकृत मध्यवयस्क और वृद्ध आबादी की ओर अधिक झुकी हुई है। भारत की युवा आबादी उसके लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर प्रदान करती है, जबकि चीन में वृद्धावस्था और कार्यशील आबादी के संतुलन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

4. विश्व के शीर्ष जनाधिक्य देशों की प्रभुत्वशाली पीढ़ियों का विश्लेषण: विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की औसत आयु, उस देश में सबसे अधिक संख्या वाली जनसांख्यिकीय पीढ़ी, उस पीढ़ी की आबादी तथा कुल आबादी में उसकी प्रतिशत हिस्सेदारी को सारणी–5 में दर्शाया गया है। इससे सारणीबद्ध देशों की जनसंरचना और पीढ़ीगत स्वरूप की तुलनात्मक स्थिति को समझने में सहायता मिलेगी। सारणी से स्पष्ट है कि शीर्ष 10

जनाधिक्य देशों में केवल तीन पीढ़ियाँ ही प्रमुख पीढ़ी के रूप में सामने आती हैं। पाकिस्तान, नाइजीरिया और इथियोपिया में जेन–अल्फा प्रमुख पीढ़ी है। इन देशों में बहुत युवा जनसंरचना दिखाई देती है। भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में जेन–जेड प्रमुख पीढ़ी है, जिनमें युवा आबादी का महत्वपूर्ण आधार मौजूद है। चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस में मिलेनियल्स प्रमुख पीढ़ी है, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व कार्यशील आयु वर्ग का प्रभाव दिखाई देता है।

सारणी–5: विश्व के शीर्ष 10 जनाधिक्य वाले देशों की प्रभुत्वशाली पीढ़ियों का विवरण

क्रम	देश	जनसंख्या	औसत आयु (वर्ष)	प्रभुत्वशाली पीढ़ियां	प्रभुत्व पीढी की आबादी (करोड़)	पीढी का हिस्सा (प्रतिशत)
1.	भारत	145.0	29	जेन–जेड	40.68	28.00
2.	चीन	141.9	41	मिलेनियल्स	34.28	24.2
3.	अमेरिका	34.5	38.5	मिलेनियल्स	7.55	21.8
4.	इंडोनेशिया	28.3	29.7	जेन–जेड	7.22	25.5
5.	पाकिस्तान	25.1	23.5	जेन–अल्फा	8.62	34.3
6.	नाइजीरिया	23.2	18.1	जेन–अल्फा	8.95	38.5
7.	ब्राजील	21.2	33	मिलेनियल्स	5.22	24.6
8.	बांग्लादेश	17.3	28	जेन–जेड	5.15	29.7
9.	रूस	14.4	42	मिलेनियल्स	3.64	25.1
10.	इथियोपिया	13.2	18.7	जेन–अल्फा	4.85	36.8
11.	संपूर्ण विश्व	**812.12**	**31.1**	जेन–जेड	**200.09**	**24.60**

स्रोतः https://www.populationpyramids.org, https://worldpopulationclock.net, and https://population.un.org/dataportal/home? से शोधार्थी द्वारा विश्लेषित आंकड़े 31 मार्च 2026 तक हैं।

औसत आयु के आधार पर भी जनाधिक्य देशों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। नाइजीरिया, इथियोपिया और पाकिस्तान की औसत आयु सबसे कम है, जबकि रूस, चीन और अमेरिका की औसत आयु सबसे अधिक है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, जो विश्व की औसत आयु 31.1 वर्ष से कम है, जिससे भारत की अपेक्षाकृत युवा जनसंरचना स्पष्ट होती है। सारणी को आयु संरचना की दृष्टि से तीन समूहों में समझा जा सकता है। पहला, नाइजीरिया, इथियोपिया और पाकिस्तान में औसत आयु कम है, जो अत्यंत युवा देश हैं और जेन–अल्फा प्रमुख है। इन देशों के सामने भविष्य में बड़ी युवा आबादी को उत्पादक मानव संसाधन में बदलने की चुनौती और अवसर दोनों हैं। दूसरा भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में जेन–जेड प्रमुख है, जो अपेक्षाकृत युवा देश हैं, जिनकी औसत आयु लगभग 28 से 30 वर्ष है। इन देशों के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के प्रमुख साधन हो सकते हैं। तीसरा चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस में मिलेनियल्स प्रमुख हैं, जो अपेक्षाकृत परिपक्व जनसंख्या वाले देश हैं, जिनकी औसत आयु अपेक्षाकृत अधिक है। विशेष रूप से चीन और रूस की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक है।

सारणी में भारत का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 145 करोड़ की आबादी के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है। भारत में जेन–जेड की 40.68 करोड़ आबादी है, जो कुल आबादी का 28 प्रतिशत है। यह संख्या अपने आप में चीन की प्रमुख पीढ़ी मिलेनियल्स की 34.28 करोड़ आबादी से भी अधिक है, जिससे भारत की विशाल युवा मानव संसाधन क्षमता स्पष्ट होती है। यदि इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यह भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि भारत अपेक्षाकृत युवा और चीन अपेक्षाकृत वृद्ध जनसंख्या संरचना वाला देश है। यह अंतर दोनों देशों की भविष्य की श्रमशक्ति, सामाजिक सुरक्षा, उपभोग और आर्थिक विकास की दिशा को प्रभावित कर सकता है।

सारणी में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 812.12 करोड़ और औसत आयु 31.1 वर्ष है। विश्व स्तर पर जेन–जेड प्रमुख पीढ़ी है, जिसकी आबादी 200.09 करोड़ और हिस्सेदारी 24.60 प्रतिशत है। भारत में जेन–जेड की हिस्सेदारी 28.00 प्रतिशत है, जो विश्व के 24.60 प्रतिशत से 3.40 प्रतिशत अधिक है। इसके विपरीत चीन में जेन–जेड की हिस्सेदारी 18.70 प्रतिशत है, जो विश्व औसत से 5.90 प्रतिशत कम है। इस प्रकार भारत की युवा जनसंरचना विश्व की तुलना में अधिक स्पष्ट है, जबकि चीन की संरचना अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व है। अमेरिका, ब्राजील और रूस में भी मिलेनियल्स प्रमुख पीढ़ी हैं। पाकिस्तान, नाइजीरिया और इथियोपिया में जेन–अल्फा प्रमुख है। भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में जेन–जेड प्रमुख है। नाइजीरिया में प्रमुख पीढ़ी की हिस्सेदारी सबसे अधिक (38.5 प्रतिशत) है। रूस की औसत आयु 42 वर्ष है, जो सारणी में सर्वाधिक है। नाइजीरिया की औसत आयु 18.1 वर्ष है, जो सारणी में सबसे कम है। भारत की औसत आयु विश्व की औसत आयु से तुलनात्मक रूप से कम है, जो उसकी युवा जनसंरचना को

दर्शाती है। शीर्ष 10 देशों में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जेन–अल्फा, जेन–जेड और मिलेनियल्स में केंद्रित है। जनसंख्या अधिक होना अपने आप में लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि युवा आबादी को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर कितने प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराए जाते हैं।

4.1. विश्व के शीर्ष 50 जनाधिक्य वाले देशों की प्रभुत्वशाली जनांकिकीय पीढ़ियों का विश्लेषण: विश्व के शीर्ष 50 जनाधिक्य वाले देशों को उनकी प्रमुख जनसांख्यिकीय पीढ़ियों के आधार पर सारणी–6 में वर्गीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों में किस पीढ़ी का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। स्पष्ट है कि विश्व के 50 देशों में जेनरेशन–जेड का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक (32 प्रतिशत) है, जबकि बेबी बूमर्स का प्रतिनिधित्व सबसे कम (6 प्रतिशत) है।

सारणी–6: विश्व के शीर्ष 50 जनाधिक्य वाले देशों की प्रभुत्वशाली जनांकिकीय पीढ़ियों का विवरण

जनांकिकीय पीढ़ियां	देश	प्रभुत्वशाली पीढ़ियों वाले देश
जेनरेशन–अल्फा	12	नाइजीरिया, इथियोपिया, मिस्र, डीआर कांगो, तंजानिया, केन्या, युगांडा, सूडान, अफगानिस्तान, घाना, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान
जेनरेशन–जेड	16	भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, इराक, मोरक्को, मलेशिया, पेरू, नेपाल, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, इक्वाडोर, कंबोडिया
मिलेनियल–जेन	14	चीन, यूएसए, ब्राजील, रूस, यूके, फ्रांस, म्यांमार, कोलम्बिया, अर्जेंटीना, कनाडा, यूक्रेन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, चिली
जेनरेशन–एक्स	5	दक्षिण कोरिया, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड्स
बेबी बूमर्स	3	जापान, जर्मनी, इटली

स्रोतः https://population.un.org/dataportal/home? and https://www.populationpyramids.org से शोधार्थी द्वारा विश्लेषित आंकड़े 31 मार्च 2026 तक हैं।

सारणी से विभिन्न पीढ़ियों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जेन–जेड (32 प्रतिशत) > मिलेनियल–जेन (28 प्रतिशत) > जेन–अल्फा (24 प्रतिशत) > जेन–एक्स (10 प्रतिशत) > बेबी बूमर्स (6 प्रतिशत) अर्थात् शीर्ष 50 जनाधिक्य वाले देशों में जेन–जेड और मिलेनियल–जेन मिलाकर 30 देश (60 प्रतिशत) हैं। वहीं जेन–अल्फा के 12 देशों को जोड़ने पर 42 देश (84 प्रतिशत) युवा या अपेक्षाकृत युवा पीढ़ियों की श्रेणियों में आ जाते हैं। स्पष्ट है कि शीर्ष जनाधिक्य वाले देशों का बड़ा हिस्सा युवा पीढ़ियों से संबंधित जनसंरचना रखता है। दूसरी ओर, केवल 8 देश (16 प्रतिशत) जेन–एक्स और बेबी बूमर्स की श्रेणियों में आते हैं।

इस तरह सारणी–6 का समग्र विश्लेषण यह बताता है कि विश्व के शीर्ष 50 जनाधिक्य वाले देशों में युवा पीढ़ियों का प्रभाव सर्वाधिक है। जेन–जेड 32 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर, मिलेनियल–जेन 28 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा जेन–अल्फा 24 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है। इसके विपरीत जेन–एक्स और बेबी बूमर्स का संयुक्त प्रतिनिधित्व केवल 16 प्रतिशत है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विश्व के अधिकांश अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए भविष्य की प्रमुख प्राथमिकताएं युवा आबादी के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार–सृजन, स्वास्थ्य, डिजिटल क्षमता और उत्पादक आर्थिक भागीदारी होंगी, जबकि जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों के लिए वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य–देखभाल अधिक महत्वपूर्ण नीतिगत विषय बने रहेंगे।

5. विकसित भारत के निर्माण हेतु जेन–जी में निहित संभावनाएं : विकसित भारत का लक्ष्य केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं है। विकसित भारत में तीव्र एवं समावेशी आर्थिक विकास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, तकनीकी आत्मनिर्भरता, नवाचार, सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल शासन जैसे आयाम शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र अर्थात जेन–जी→शिक्षा एवं कौशल→रोजगार एवं उद्यमिता→नवाचार→उत्पादकता→रोजगार सृजन→ आर्थिक विकास→ विकसित भारत आदि में सार्थक भूमिकाएं निर्वहन कर सकता है। इसलिए विकसित भारत @2047 के निर्माण में जेन–जी एक नई संभावना है। वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में इस पीढ़ी की क्षमताएं और इनका सही उपयोग सबसे निर्णायक भूमिका निभाएगा। जेन–जी में निहित संभावनाओं के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हो सकते हैं।

5.1. आर्थिक विकास का संवर्धन एवं उन्नयन: जेन–जी भारत की भावी उत्पादक श्रमशक्ति है। शिक्षा पूरी करने के बाद यह पीढ़ी कृषि, उद्योग, सेवा, आईटी, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। भारत में 15–29 वर्ष आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 2017–18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 10.2 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में युवाओं का कामगार–जनसंख्या अनुपात 31.4 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुआ। इसका अर्थ है कि युवा वर्ग की आर्थिक गतिविधियों अर्थात श्रमशक्ति में भागीदारी, उत्पादकता में वृद्धि, नई तकनीक का उपयोग, उद्यमिता, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाएँ स्वनियोजित रोजगार, फ्रीलांसिंग एवं गिग इकॉनमी में सहभागिता बढ़ रही है।

सारणी–7: भारत में जेन–जी की संभावित क्षमता का विकास पर प्रभाव		
क्षेत्र	**जेन–जी की संभावित क्षमता**	**भारत के विकास पर प्रभाव**
शिक्षा	डिजिटल एवं नवीन शिक्षा	मानव पूंजी का विकास
रोजगार	नए कौशल एवं डिजिटल कार्य	उत्पादकता में वृद्धि
उद्यमिता	स्टार्टअप एवं ऑनलाइन व्यवसाय	रोजगार सृजन
तकनीक	एआई एवं डिजिटल नवाचार	तकनीकी प्रतिस्पर्धा
लोकतंत्र	डिजिटल नागरिक भागीदारी	बेहतर सुशासन
ग्रामीण विकास	डिजिटल ग्रामीण उद्यमिता	क्षेत्रीय संतुलन
पर्यावरण	हरित नवाचार	सतत विकास
वैश्वीकरण	वैश्विक डिजिटल कार्य	विदेशी आय एवं प्रतिस्पर्धात्मकता
सामाजिक परिवर्तन	जागरूकता एवं सहभागिता	समावेशी समाज
स्रोतः शोधार्थी द्वारा आकलित एवं आगणित।		

5.2. डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकासः जेन–जी की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी डिजिटल क्षमता है। यह पीढ़ी ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई–कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया व्यवसाय, कंटेंट क्रिएशन, ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करती है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे यूपीआई, आधार और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिक गतिविधियों अर्थात डिजिटल कौशल→ डिजिटल रोजगार→ आय→ उपभोग→ डिजिटल बाजार का विस्तार→ आर्थिक विकास परिलक्षित होना लाजिमी है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में जेन–जी की भूमिका अत्यंत क्रांतिकारी है। यह तकनीक के साथ बड़ी होने वाली पहली पीढ़ी है, जो आज उपभोग, नवाचार और कार्य संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। भारत जैसे देशों में यह पीढ़ी डिजिटल उपभोग, ऑनलाइन शॉपिंग और मोबाइल भुगतान का एक बहुत बड़ा हिस्सा संचालित कर रही है। यह पीढ़ी चीजें खरीदने के बजाय सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देती है। संगीत, फिल्में या अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वे डिजिटल सब्सक्रिप्शन और ऐप–आधारित सेवाओं का उपयोग अधिक करते हैं। यह वर्ग क्रिएटर इकॉनमी का निर्माण भी कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और उद्यमिता में नए आयाम स्थापित कर रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जेन–जी मोबाइल और डिजिटल वित्तीय मंचों के जरिए डिजिटल बाजार, निवेश और ऑनलाइन विनिमय को तेजी से बढ़ा रहा है। एआई, सॉफ्टवेयर विकास, गेमिंग और स्पेस सेक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में इसके इंजीनियर और स्टार्टअप संस्थापक देश की तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। इस तरह देश के करीब 40 करोड़ जेन–जी डिजिटल अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों निर्धारित कर सकते हैं।

5.3. नई तकनीकों का विकासः जेन–जी के सामने एआई आधारित अर्थव्यवस्था एक बड़ी संभावना और चुनौती दोनों है। जेन–जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सार्थक योगदान कर सकते हैं। इससे भारत टेक्नोलॉजी उपभोक्ता से टेक्नोलॉजी निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। वर्तमान में सरकार भी डीप–टेक और रिसर्च गहन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया के ढाँचे को मजबूत कर रही है। यही कारण है कि सरकार ने फरवरी 2026 में डीप–टेक स्टार्टअप्स के लिए मान्यता अवधि और कारोबार सीमा को बढ़ा दिया है।

5.4. उद्यमिता एवं रोजगार का सृजनः जेन–जी को विकसित भारत के निर्माण में जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में बदलने वाली पीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है। जेन–जी अपने विचारों को आइडिया→स्टार्टअप→निवेश→ उत्पादन→रोजगार→आय में बदल सकते हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास से इसका महत्व स्पष्ट होता है। 31 मार्च 2026 तक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.23 लाख से अधिक हो चुकी थी, जिनसे 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। हालाँकि इन सभी स्टार्टअप के संस्थापक जेन–जी नहीं हैं, इसलिए इनको जेन–जी के प्रत्यक्ष योगदान का आँकड़ा नहीं, बल्कि उस उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक समझना चाहिए जिसमें वर्तमान युवा पीढ़ी सक्रिय हो रही है। जेन–जी केवल रोजगार प्राप्त करने वाली पीढ़ी नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाली पीढ़ी भी बन सकती है। उदाहरण के लिए एक युवा यदि स्टार्टअप शुरू करता है, डिजिटल एजेंसी खोलता है, ऐप विकसित करता है, ई–कॉमर्स व्यवसाय शुरू करता है, कृषि–आधारित उद्यम स्थापित करता है, तो वह स्वयं के साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार पैदा करता है।

5.5. नवाचार का विकास और विस्तारः विकसित भारत के लिए केवल मौजूदा तकनीक का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। भारत को नए समाधान विकसित करने होंगे। नवाचारी बदलाव की प्रक्रिया में जेन–जी की भूमिका अत्यंत दूरगामी है। यह केवल तकनीक का उपयोग करने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि नए विचारों, डिजिटल उद्यमिता और सामाजिक बदलाव की बड़ी लहर का नेतृत्व कर रही है। पारंपरिक तरीकों से हटकर यह पीढ़ी सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कम लागत पर तेजी से अपने व्यवसाय शुरू कर रही है। यह पीढी नए ऐप बना

सकती है, स्थानीय समस्याओं के डिजिटल समाधान विकसित कर सकती है, कृषि तकनीक में नवाचार कर सकती है, शिक्षा के नए मॉडल विकसित कर सकती है, स्वास्थ्य तकनीक को बढ़ावा दे सकती है, पर्यावरणीय समस्याओं के तकनीकी समाधान खोज सकती है। विशेषकर एग्रीटेक, एडटेक, हेल्थटेक, फिनटेक और ग्रीनटेक जैसे क्षेत्रों में युवा नवाचार आर्थिक विकास का आधार बन सकता है। यह केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य और विविधता को ध्यान में रखकर नवाचार करती है। इस तरह यह इतिहास की सबसे विविध पीढ़ी है, जो कार्यस्थलों और उत्पादों में समावेशन एवं सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देती है।

5.6. गिग इकॉनमी एवं फ्रीलांसिंग को बढ़ावा: जेन–जी पारंपरिक 9 से 5 नौकरी के अलावा वैकल्पिक रोजगार मॉडलों को भी स्वीकार कर रही है, क्योंकि यह पीढ़ी काम के साथ अपने निजी जीवन और मानसिक स्वास्थ्य (वर्क–लाइफ बैलेंस) को प्राथमिकता देती है। इनके द्वारा एक से अधिक आय के स्रोत (वित्तीय स्वतंत्रता) बनाने पर जोर दिया जाता है। इनमें नियत समय पर ऑफिस में बंधे रहने के बजाय रिमोट वर्क और लचीले घंटों की चाहत होती है। इसीलिए यह पीढी फ्रीलांसिंग (अपनी स्किल्स के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट्स पर काम करना), गिग वर्क (डिलीवरी, ट्यूटरिंग या शॉर्ट–टर्म कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम), कंटेंट क्रिएशन (सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग और यूट्यूब के जरिए कमाई करना), आंत्रप्रेन्योरशिप (बहुत कम उम्र में अपने खुद के स्टार्टअप शुरू करना), साइड हसल (ऐसा काम या व्यवसाय है जिसे व्यक्ति अपनी मुख्य नौकरी, पढ़ाई या प्राथमिक जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त आय कमाने के लिए करता है) जैसे वैकल्पिक रोजगार मॉडलों को तेजी से अपना रही है। यही कारण है कि फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन ट्यूशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई–कॉमर्स, ऐप–आधारित सेवाएँ आदि रोजगार की अवधारणा बदल रही है।

भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कहा गया है कि गिग सेक्टर में काम करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2021 में 7.7 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 12 मिलियन हो गई है। भारत में कुल कार्यबल के 2 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले गिग वर्कर्स की वृद्धि समग्र रोजगार से कहीं अधिक है। अनुमान है कि गैर–कृषि गिग वर्कर्स 2029–30 तक कार्यबल का 6.7 प्रतिशत हिस्सा होंगे, जो जीडीपी में 2.35 लाख करोड़ रुपये का योगदान देंगे। नीति आयोग के अनुसार, 2030 तक उच्च–कुशल गिग वर्कर्स का हिस्सा 27.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। वहीं, कम–कुशल श्रमिकों के लिए यह हिस्सा 33.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2030 तक गिग वर्कफोर्स के 2.40 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें जेन–जी की अहम भूमिका होगी।

5.7. शिक्षा एवं कौशल विकास का संवर्धन: जेन–जी तकनीक के बीच पली–बढ़ी पहली पीढ़ी और प्रायः डिजिटल नेटिव है। यह पारंपरिक किताबों के साथ ई–लर्निंग का उपयोग करके सेल्फ लर्निंग पर जोर दे रही है। जेन–जी लाइफलॉन्ग लर्नर हैं और वे ऑनलाइन कोर्स, एमओओसी, स्किल प्लेटफॉर्म, कोडिंग कोर्स, एआई ट्रेनिंग, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के माध्यम से लगातार नए कौशल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में जेन–जी के लिए केवल पारंपरिक डिग्री लंबी रेस जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। बदलती अर्थव्यवस्था में आजीवन सीखना (लाइफलॉन्ग लर्निंग) महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए यह सिर्फ औपचारिक डिग्रियों पर निर्भरता की बजाय वास्तविक दुनिया की मॉंग के अनुसार कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और अन्य व्यावहारिक कौशल सीख रही है। यह प्रवृत्ति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को सामयिक बदलावों के प्रति तैयार और आधुनिकीकृत रखती है। इस तरह देश के जेन–जी का स्व–सशक्तिकरण स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास को एकीकृत करके देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत @2047 के रोडमैप में अहम भूमिका निभा रहा है।

5.8. लैंगिक समानता को समर्थन: विकसित भारत @2047 का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक देश की आधी आबादी अर्थात महिलाएं विकास प्रक्रिया में बराबर की भागीदार न हों और जेन–जी लैंगिक समानता को सार्थक दिशा दे रहे हैं। जेन–जी की अधिकांश आबादी समानता और नारीवाद को खुलकर समर्थन देती है। वैश्विक अध्ययनों के अनुसार, जेन–जी महिलाएं खुद को नारीवादी मानती हैं और कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव, असमान वेतन एवं उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती हैं। यह पीढ़ी डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और पहचानों से परे सोचने में आगे है। नॉन–बाइनरी (ऐसी लैंगिक पहचान है, जिसमें व्यक्ति खुद को केवल 'पुरुष' या 'महिला' के पारंपरिक दायरे में नहीं बांधता) और जेंडर–फ्लूइड (वह लैंगिक पहचान है जो समय के साथ या स्थिति के अनुसार बदलती रहती है और स्थिर नहीं होती) जैसी अवधारणाओं को इसने मुख्यधारा की चर्चाओं में शामिल किया है। इस तरह रूढ़िवादी सोच और आधुनिक प्रगतिशीलता के बीच खिंचतान वाले दौर में जेन–जी समाज को एक नई दिशा दे रहा है। हालांकि इनके समक्ष एक तरफ पूर्ण समानता की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी मान्यताओं का प्रतिरोध भी मौजूद है। इसके बावजूद जेन–जी कार्यस्थल पर बेहतर नीतियों जैसे मासिक धर्म अवकाश और मजबूत एंटी–हैरासमेंट नियमों की वकालत करते हैं। महिला जेन–जी शिक्षा, रोजगार, स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित), उद्यमिता, डिजिटल व्यवसाय, स्टार्टअप, प्रशासन, सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दिखाई देती है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2.12 लाख से अधिक स्टार्टअप में 1.02 लाख से अधिक स्टार्टअप में

कम–से–कम एक महिला निदेशक या पार्टनर है। हालांकि यह आँकड़ा जेन–जी महिलाओं का प्रत्यक्ष आँकड़ा नहीं है, लेकिन भारत के उद्यमिता वातावरण में महिला भागीदारी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

5.9. ग्रामीण क्षेत्र का विकास एवं संवर्धनः विकसित भारत का लक्ष्य तभी सफल होगा, जब ग्रामीण युवाओं को भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और जेन–जी ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक, आधुनिक कृषि एवं उद्यमिता के जरिए गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ पल्लवित यह पीढ़ी गांवों में डिजिटल शिक्षा, ई–कॉमर्स और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं को आगे बढ़ा रही है। जेन–जी अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूँढने के बजाय अपने ही गांव में तकनीकी और नए तरीकों से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जल संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों में काम करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण जेन–जी स्मार्ट कृषि, ड्रोन आधारित कृषि, डिजिटल मार्केटिंग, ई–कॉमर्स, ग्रामीण बीपीओ, ऑनलाइन शिक्षा, ग्रामीण पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। विशेष रूप से डिजिटल तकनीक ग्रामीण जेन–जी को स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ सकती है।

5.10. सामाजिक सशक्तिकरण एवं परिवर्तनः देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में जेन–जी की भूमिका अत्यधिक दूरगामी और निर्णायक है, क्योंकि जेन–जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल संसद के रूप में करता है। यह पीढ़ी शासन और संस्थाओं से पारदर्शिता एवं नीतिगत सुधारों की मांग करती है। यह वर्ग निष्पक्षता और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दे रहा है। पारंपरिक जाति और धर्म आधारित राजनीति से हटकर यह पीढ़ी रोजगार, आर्थिक गतिशीलता और विकास जैसे वास्तविक मुद्दों पर विचार करता है। यह लैंगिक समानता, एलजीबीटीक्यू प्लस अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और विविधता के प्रति बेहद जागरूक है। यह पीढ़ी सामाजिक और पारंपरिक रूढ़ियों को दरकिनार कर एक समावेशी समाज के निर्माण में जुटी है। इस तरह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जेन–जी की भूमिका केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह पीढ़ी लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशन जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जेन–जी किसी सामाजिक मुद्दे को बहुत कम समय में व्यापक जनसमूह तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए जेन–जी को सोशल चेंज एजेंट के रूप में भी देखा जा सकता है।

5.11. पर्यावरण हितैषी धारणीय विकास को बढ़ावाः देश के मौजूदा आर्थिक विकास में जलवायु न्याय के पर्यावरण हितैषी सतत विकास बहुत आवश्यक है और जेन–जी न केवल पर्यावरण संकटों के प्रति जागरूक है, बल्कि व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। जेन–जी उन ब्रांड्स को प्राथमिकता देते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और क्रूरता–मुक्त उत्पाद बनाते हैं। यह पीढ़ी कपड़ों की रीसाइक्लिंग, थ्रिफ्टिंग (पुराने कपड़े खरीदना) और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है ताकि कचरा कम हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके ये जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे मुद्दों पर वैश्विक विमर्श बढ़ा रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग जैसी जेन–जी पर्यावरण कार्यकर्ताओं से प्रेरित होकर दुनिया भर में 'फ्राइडेज फॉर फ्यूचर' जैसे बड़े आंदोलनों को खड़ा किया है। जेन–जी केवल नौकरी नहीं चाहता, बल्कि वे ऐसे कैरियर चुन रहे हैं जो समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालें (जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग)। कई जेन–जी उद्यमी प्लास्टिक के विकल्प खोजना, कचरे से ऊर्जा बनाना और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।

जेन–जी सरकारों और बड़ी कंपनियों से केवल वादे नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं। वे 'ग्रीनवॉशिंग' (दिखावे के लिए पर्यावरण अनुकूल होने का नाटक करना) को पहचानते हैं और ऐसी कंपनियों का बहिष्कार करते हैं। कई देशों में जेन–जी पर्यावरण अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और पर्यावरण नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। जेन–जी सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देती है। इनमें शाकाहार और वीगनिज्म (पूर्ण शाकाहार) का चलन बढ़ा है, क्योंकि वे जानते हैं कि मांस उद्योग का पर्यावरण पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह विकसित भारत का लक्ष्य सतत विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता और जेन–जी नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, रीसाइक्लिंग, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, धारणीय कृषि, ग्रीन स्टार्टअप्स, जलवायु जागरूकता आदि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

5.12. लोकतंत्र एवं सुशासन को समर्थनः लोकतंत्र एवं सुशासन को संवर्धित करने में जेन–जी की भूमिका परिवर्तनकारी है, क्योंकि यह पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक तरीकों को छोड़कर तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित कर रही है। डिजिटल नेटिव यह पीढ़ी सोशल मीडिया और सूचना तकनीक के दम पर नागरिक सहभागिता को एक नया आयाम दे रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के सत्ता परिवर्तन में इसकी भूमिका को पूरी दुनिया ने देखा है। जेन–जी किसी भी गलत नीति, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलता के खिलाफ सोशल मीडिया पर तुरंत मुहिम शुरू कर देती है। पेपर लीक, बेरोजगारी या प्रशासनिक लापरवाहियों के खिलाफ ऑनलाइन और

ऑफलाइन आंदोलन खड़े करके यह पीढ़ी सरकारों को त्वरित निर्णय लेने पर मजबूर कर रही है। यह पीढ़ी किसी स्थापित राजनीतिक विचारधारा या खोखले वादों में विश्वास करने के बजाय ठोस परिणामों और वास्तविक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती है। विश्लेषकों के अनुसार, जेन–जी का मुख्य जोर शासन शैली में बदलाव, आर्थिक अवसरों, निष्पक्ष प्रणाली और भ्रष्टाचार–मुक्त समाज पर है। यह पीढ़ी भाई–भतीजावाद और पुरानी राजनीतिक शैलियों को नकारते हुए मेरिटोक्रेसी (योग्यता–आधारित व्यवस्था) और पारदर्शिता के आधार पर सुशासन की मांग करती है।

जेन–जी शोधकर्ता, डेटा एनालिस्ट और जमीनी कार्यकर्ता वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पारंपरिक प्रशासनिक अनुभव के साथ डिजिटल युग के नवाचारों का मेल हो रहा है। शासन में ई–गवर्नेंस, डिजिटल टूल्स और ओपन डेटा को बढ़ावा देने में जेन–जी की तकनीकी समझ बेहद कारगर साबित हो रही है। इस तरह देश का जेन–जी भविष्य की राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का महत्वपूर्ण आधार है। यह पीढ़ी मतदान, स्थानीय शासन, युवा संसद, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवा, डिजिटल नागरिक भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। हालांकि लोकतंत्र तभी अधिक जीवंत हो सकता है, जब शासन व्यवस्था के स्थापित संस्थागत अनुभव को जेन–जी की ऊर्जावान, पारदर्शी और तकनीक–प्रेमी सोच का साथ मिले। इसलिए सरकारों को जेन–जी को केवल एक मतदाता न मानकर 'शासन सहयोगी' के रूप में स्वीकार करना होगा, ताकि एक मजबूत सुशासन की नींव रखी जा सके। इसके लिए डिजिटल सूचना का सही और जिम्मेदार उपयोग भी आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत सूचना या भ्रामक सूचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनौती बन सकते हैं।

6. विकसित भारत के निर्माण में जेन–जी के समक्ष विद्यमान चुनौतियां: जेन–जी भारत की ऐसी पीढ़ी है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के वातावरण में बड़ी हुई है। यह पीढ़ी बेहद महत्वाकांक्षी, तकनीक–प्रेमी और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने वाली है अर्थात्त विकसित भारत के निर्माण हेतु जेन–जी के पास तकनीकी दक्षता, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक जागरूकता जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं। दूसरी ओर, उनके सामने निम्नलिखित विशिष्ट चुनौतियाँ भी हैं।

सारणी–8: जेन–जी के समक्ष चुनौतियों का विकसित भारत पर संभावित प्रभाव

क्रम	जेन–जी के समक्ष चुनौतियां	विकसित भारत पर संभावित प्रभाव
1	गुणवत्तापूर्ण रोजगार	जनसांख्यिकीय लाभांश और मानव संसाधन का अपूर्ण उपयोग
2	कौशल–असंगति	रोजगार क्षमता में कमी के साथ उत्पादकता में कमी
3	शिक्षा की गुणवत्ता	मानव पूंजी का कमजोर विकास एवं शिक्षा से मोहभंग के साथ कौशल की कमी के कारण आर्थिक विकास में बाधा
4	ग्रामीण अवसरों की कमी	विकास के विभिन्न आयामों में क्षेत्रीय असमानता
5	उद्यमिता में पूंजीगत बाधाएं	स्टार्टअप एवं इनोवेशन की गति सीमित के साथ नए व्यवसायों का सीमित विकास
6	डिजिटल विभाजन	अवसरों में असमानता के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था में असमान भागीदारी
7	एआई एवं ऑटोमेशन	रोजगार के बदलते स्वरूप से अनुकूलन की आवश्यकता
8	आर्थिक असमानता	विकास के विभिन्न आयामों में अवसरों की असमानता और समावेशी विकास में बाधा
9	मानसिक दबाव	कार्यक्षमता एवं जीवन–गुणवत्ता पर नकारात्मकता के साथ उत्पादकता एवं जीवन–गुणवत्ता पर प्रभाव
10	लैंगिक असमानता	महिला मानव संसाधन एवं महिला युवा शक्ति का अपूर्ण उपयोग
11	लोकतांत्रिक भागीदारी	नागरिक नेतृत्व की कमी के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं की कम भागीदारी
12	जलवायु परिवर्तन	सतत विकास के लिए चुनौती, खाद्य असुरक्षा के साथ ग्रामीण आय पर संकट और आपदा जनित पुनर्निर्माण लागत का बोझ
13	फेक न्यूज	प्रतिष्ठा को नुकसान, सामाजिक अशांति, हिंसा, दहशत के साथ लोकतांत्रिक निर्णयों पर प्रभाव
14	वैश्विक प्रतिस्पर्धा	कौशल एवं उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता
15	संस्कृति एवं आधुनिकता का संतुलन	सांस्कृतिक पहचान का संकट, मानवीय मूल्यों का ह्रास, पीढ़ीगत अंतराल के साथ सामाजिक समरसता की चुनौती
16	सामाजिक या वैचारिक धुरुवीकरण	परस्पर अविश्वास, तनाव में वृद्धि, सहानुभूतिपूर्ण एवं सामूहिक विकास में बाधा के साथ लोकतांत्रिक संवाद पर नकारात्मक प्रभाव

स्रोत: शोधार्थी द्वारा आकलित एवं आगणित।

6.1. गुणवत्तापूर्ण रोजगार की चुनौती: आज कई क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों और युवाओं के कौशल में असंगति है। जेन–जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्थायी, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करना है। केवल रोजगार की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप वेतन, सामाजिक सुरक्षा और करियर–विकास के अवसर भी चाहिए। जनरेटिव एआई और ऑटोमेशन के तेजी से बढ़ने के कारण पारंपरिक एंट्री–लेवल नौकरियां (जैसे

डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, कंटेंट राइटिंग) खतरे में हैं। डिग्री होने के बावजूद योग्यता के अनुरूप काम न मिलना एक बड़ी चुनौती है। जेन–जी सिर्फ 'कोई भी नौकरी' करने के बजाय अर्थपूर्ण, पारदर्शी और गरिमापूर्ण रोजगार चाहती है। परिणामस्वरूप बेरोजगारी या अल्परोजगार से युवा क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और आर्थिक विकास प्रभावित होता है।

6.2. शिक्षा और रोजगार के बीच कौशल असंगतिः जेन–जी उच्च शिक्षा और डिजिटल संसाधनों तक पहले की पीढ़ियों की तुलना में अधिक पहुंच रखती है, लेकिन डिग्री और उद्योग की वास्तविक कौशल–आवश्यकताओं के बीच अंतर एक महत्वपूर्ण समस्या है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि कौशलों की मांग बढ़ रही है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम जिस गति से बदल रहा है, उद्योग उससे कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे हैं। जेन–जी पर हर 2–3 साल में खुद को नए सिरे से अपस्किल करने का भारी मानसिक और आर्थिक दबाव है। तकनीकी परिवर्तन के कारण रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। लेकिन पारंपरिक कौशल रखने वाले युवाओं के लिए नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि इंडस्ट्री–रेडी और फ्यूचर–रेडी स्किल्स की आवश्यकता है अर्थात जेन–जी के लिए डिग्री के साथ नियोजनीयता (Employability) कौशल विकसित करना आवश्यक है।

6.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ऑटोमेशन की चुनौतीः एआई युवाओं के लिए नए रोजगार और नवाचार के अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन कुछ पारंपरिक कार्यों के स्वचालन से रोजगार की प्रकृति भी बदल रही है। युवाओं के सामने चुनौती है कि वे एआई को प्रतिस्पर्धी खतरे के बजाय उत्पादकता और नवाचार के साधन के रूप में अपनाएँ। एआई और ऑटोमेशन जेन–जी के लिए अवसर भी हैं और चुनौती भी। कई पारंपरिक कार्य स्वचालित हो सकते हैं, जबकि नए प्रकार के रोजगार पैदा होंगे। ऐसे में जेन–जी को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं, बल्कि एआई के साथ काम करने, एआई–जनित सूचना की जांच करने और नए कौशल सीखने की क्षमता विकसित करनी होगी।

6.4. डिजिटल निर्भरता एवं सोशल मीडियाः जेन–जी की पहचान डिजिटल दुनिया से गहराई से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया ज्ञान, संचार और व्यवसाय के नए अवसर देता है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से समय की बर्बादी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, गलत सूचना, ऑनलाइन दबाव, सामाजिक तुलना और डिजिटल लत जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल अनुशासन (Digital Discipline) भी आवश्यक है।

6.5. गलत और फेक न्यूज से बढ़ता भ्रमः सोशल मीडिया पर सूचनाओं का तेजी से प्रसार जेन–जी के लिए विशेष चुनौती है। बिना सत्यापन के समाचार, वीडियो या पोस्ट को स्वीकार करना सामाजिक और लोकतांत्रिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। विकसित भारत के लिए जेन–जी में मीडिया साक्षरता (Media Literacy), फैक्ट–चेकिंग और आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) विकसित करना आवश्यक है।

6.6. मानसिक दबाव और भावी अनिश्चितताः प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार की अनिश्चितता, आर्थिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण युवाओं पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। सोशल मीडिया से जुड़ी अपेक्षाएँ भी जेन–जी पर मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं। चौबीसों घंटे स्क्रीन, सोशल मीडिया की तुलनात्मक संस्कृति और सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह के कारण अवसाद, एंग्जायटी और बर्नआउट की दर जेन–जी पीढ़ी में सबसे अधिक है। इंटरनेट युग में रातों–रात सफल होने की चाहत और वास्तविक जीवन की धीमी प्रगति के बीच का अंतर मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। कैरियर की अनिश्चितता और लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना भी चुनौती बन सकता है। इसलिए करियर काउंसलिंग, मेंटरशिप, जीवन–कौशल और भावनात्मक संतुलन को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाना आवश्यक है।

6.7. उद्यमिता संबंधी बाधाएंः युवा उद्यमिता भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है, लेकिन अनेक युवाओं के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी, तकनीकी जानकारी, बाजार की समझ और मार्गदर्शन पर्याप्त नहीं होता। जेन–जी में स्टार्टअप और उद्यमिता के प्रति रुचि काफी दिखाई देती है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी, बाजार की जानकारी, अनुभवी मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, जोखिम उठाने की क्षमता और प्रारंभिक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसलिए युवा उद्यमिता को केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि फाइनेंस, स्किल, मेंटरशिप एवं मार्केट तक पहुँच के माध्यम से मजबूत करना होगा।

6.8. ग्रामीण–शहरी के बीच डिजिटल अंतरालः शहरी जेन–जी को इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल अवसर अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, डिजिटल उपकरण और प्रशिक्षण की कमी हो सकती है। इससे डिजिटल विभाजन विकसित भारत के समावेशी विकास में बाधा बन सकता है। ग्रामीण युवाओं के सामने रोजगार, प्रशिक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, बाजार तक पहुंच और वित्तीय संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी रोजगार के अवसरों को सीमित कर सकती है। कृषि–आधारित उद्योग, ग्रामीण उद्यमिता, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल व्यवसायों को बढ़ावा देकर ग्रामीण युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

6.9. आर्थिक असमानता: जेन–जी एक समान आर्थिक परिस्थितियों में नहीं रहती। कुछ युवाओं के पास उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, तकनीकी उपकरण और आर्थिक संसाधन हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को इन्हीं अवसरों के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। शुरुआती पूंजी जुटाने की लागत पुरानी पीढ़ियों की तुलना में काफी बढ़ गई है। फ्रीलांसिंग और गिग वर्क्स (जैसे डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क) में स्वतंत्रता तो है, लेकिन पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और नौकरी की स्थिरता जैसी सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। युवाओं के अवसर उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। गरीब परिवारों के युवा उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरण और उद्यमिता के अवसरों से अपेक्षाकृत वंचित रह सकते हैं। इसलिए विकसित भारत में समावेशी विकास आवश्यक है, जिसमें अवसर केवल संसाधन–संपन्न युवाओं तक सीमित न रहें। इसलिए विकसित भारत के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

6.10. महिला भागीदारी की चुनौतियाँ: युवा महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े हैं, फिर भी सामाजिक रूढ़ियाँ, सुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और कार्यस्थल संबंधी बाधाएँ उनकी आर्थिक भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं। युवा महिलाओं के सामने शिक्षा, सुरक्षित रोजगार, कार्यस्थल की सुरक्षा, गतिशीलता और सामाजिक रूढ़ियों जैसी अतिरिक्त बाधाएँ हो सकती हैं। विकसित भारत के लिए युवा महिलाओं की समान आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी अनिवार्य है। विकसित भारत में जेन–जी की पूरी क्षमता तभी सामने आएगी, जब युवा महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

6.11. लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक भागीदारी: युवा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर सक्रियता पर्याप्त नहीं है। जेन–जी सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय है, लेकिन डिजिटल अभिव्यक्ति को वास्तविक नागरिक भागीदारी में बदलना एक चुनौती है। उन्हें मतदान, स्थानीय शासन, नीति–निर्माण, सामाजिक संगठनों, सामुदायिक सेवा और लोकतांत्रिक संवाद में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

6.12. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती हैं। जेन–जी को ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता भी बनी रहे। जल संकट, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन और जैव–विविधता का संरक्षण उनके लिए दीर्घकालिक चुनौतियाँ हैं। जेन–जी पहली ऐसी पीढ़ी है जो जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों (ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण) को सहते हुए बड़ी हो रही है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को लेकर इनके भीतर एक स्थायी चिंता बनी रहती है। इस संदर्भ में जेन–जी ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल कंजम्पशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

6.13. वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय जेन–जी अब केवल भारतीय युवाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है, बल्कि वैश्विक प्रतिभाओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसलिए अंग्रेजी सहित विदेशी भाषाओं, तकनीकी दक्षता, संचार, रचनात्मकता और नवाचार जैसी क्षमताओं का विकास आवश्यक है। आज एक बार कौशल प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। तकनीक के तेजी से बदलते स्वरूप के कारण युवाओं को अपस्किलिंग और रिस्किलिंग लगातार करते रहना होगा। जीवनभर सीखने की संस्कृति विकसित करना विकसित भारत की मानव पूंजी के लिए आवश्यक है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत के उच्च शिक्षित और अत्यधिक कुशल युवा (जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स) बेहतर जीवन स्तर, उच्च वेतन और अच्छे शोध संसाधनों की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। इस प्रतिभा पलायन को रोकना विकसित भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है।

6.14. सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आधुनिकता में संतुलन: जेन–जी वैश्वीकरण और डिजिटल संस्कृति से प्रभावित है। ऐसे में यह बहुत चुनौतीपूर्ण है कि आधुनिक वैज्ञानिक सोच और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत के साथ संतुलन बनाए रखा जाए। आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ युवाओं में ईमानदारी, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का विकास भी जरूरी है। विकसित भारत केवल उच्च जीडीपी वाला भारत नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, समावेशी और जिम्मेदार समाज भी होना चाहिए।

6.15. सामाजिक ध्रुवीकरण की चुनौती: सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और इको चैंबर के कारण युवा कभी–कभी केवल अपने विचारों से मेल खाने वाली सूचनाएँ देखते हैं। इससे सामाजिक और वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। विकसित भारत के लिए जेन–जी को संवाद, सहिष्णुता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना होगा।

6.16. अपारदर्शी शासन के प्रति असंतोष: डिजिटल दुनिया में पली–बढ़ी जेन–जी प्रक्रियाओं में सुस्ती, भर्ती परीक्षाओं में धांधली या पेपर लीक जैसी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं करती। त्वरित डिजिटल सेवाओं की आदी जेन–जी पीढ़ी को सरकारी या प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती और अपारदर्शिता से गहरा असंतोष होता है।

इस तरह भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया में जेन–जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की बड़ी युवा आबादी देश को श्रमशक्ति, नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी क्षमता का लाभ दे सकती है। किंतु इस क्षमता को वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति में बदलने के लिए युवाओं के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों का समाधान

आवश्यक है। विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब जेन–जी को केवल तकनीकी रूप से सक्षम ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनकी गरिमा, मानसिक कल्याण और विचारों की स्वतंत्रता को भी सिस्टम में जगह दी जाएगी।

7. जेन–जी के लिए सरकारी नीतियां एवं योजनाएं: भारत सरकार ने 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जेन–जी की रोजगार, स्किलिंग, मानसिक स्वास्थ्य और तकनीकी चुनौतियों को दूर करने हेतु कई महत्वाकांक्षी नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, एआई और भविष्य के कौशल को ध्यान में रखते हुए जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में बड़े पैमाने पर युवाओं को प्रशिक्षित करने की राष्ट्रीय पहल के तहत 1 करोड़ युवाओं के लिए एआई स्किलिंग अभियान शुरू किया गया है। 1000 से अधिक आईटीआई को मॉडर्न हब में बदलकर रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, ग्रीन एनर्जी जैसे उद्योगों के अनुकूल कौशल देने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 और पीएम–सेतु कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं (यूपीएससी, जेईई, नीट आदि) की तैयारी के लिए स्वयं पोर्टल और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के युवाओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण गाइडेंस हेतु मुफ्त डिजिटल कोचिंग की पहल की गई है। जबकि डिजिटल बुनियादी ढांचा के साथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और डिजिटल क्लासरूम से क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से दीक्षा और स्वयं पोर्टल भी संचालित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को रु 15,000 तक का सीधा प्रोत्साहन भत्ता और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शीर्ष कंपनियों में पेट्रो–केमिकल, एआई, ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक कार्य अनुभव दिलाने की व्यवस्था भी की गई है। युवा सहभागिता और नेटवर्किंग के लिए 2.2 करोड़ से अधिक युवाओं को वालंटियरिंग, लीडरशिप, डिजिटल ट्रेनिंग और गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स से जोड़ने वाला एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में 'माई भारत प्लेटफॉर्म' जबकि युवाओं के नवाचारों और नीतिगत सुझावों को सीधे सरकार तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' शुरू किया गया है। इसके अलावा 'पीएम मोदी ने इंटरेक्ट्स विद जेन–जी' के तहत प्रधामंत्री स्वयं समय समय पर जेन–जी का मार्गदर्शन करते हैं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार सरकार देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जेन–जी युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ रही है। जेन–जी में बर्नआउट एवं कैरियर तनाव से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस बढाने के लिए चौबीसों घंटे संचालित मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श हेल्पलाइन 'टेली–मानस' शुरू की गई है। युवाओं को नशामुक्त और स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में 'नशा मुक्त युवा अभियान' शुरू किया गया है। इन सभी नीतियों और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जेन–जी को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और तकनीक–सक्षम 'राष्ट्र निर्माता' बनाना है।

8. सुझाव एवं अनुशंसाएं : भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में जेन–जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल तकनीक के साथ पली–बढ़ी यह पीढ़ी नवाचार, उद्यमिता, तकनीकी दक्षता और सामाजिक परिवर्तन की बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन रोजगार, कौशल–अंतराल, एआई, डिजिटल असमानता, मानसिक दबाव, गलत सूचना, सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों को दूर किए बिना इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है, क्योंकि तेजी से बदलते डिजिटल और आर्थिक परिदृश्य में जेन–जी को कई अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका यथोचित निदान आवश्यक है।

सारणी–9: जेन–जी की चुनौतियों के समाधान का समेकित मॉडल

विद्यमान चुनौतियां	सक्षम समाधान	अपेक्षित परिणाम
बेरोजगारी	रोजगारपरक कौशल एवं उद्योग विस्तार	रोजगार में वृद्धि
कौशल–अंतराल	अपस्किलिंग एवं रीस्किलिंग	नियोजनीयता (एम्पलॉयबिलिटी) में वृद्धि
एआई का प्रभाव	एआई एवं डिजिटल प्रशिक्षण	भविष्य के लिए तैयार कार्यबल
उद्यमिता की कमी	वित्तीयन, मेंटरशिप एवं इनक्यूबेशन	युवा उद्यमियों की संख्या में वृद्धि
डिजिटल विभाजन	ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना	समान डिजिटल अवसर
फेक न्यूज	मीडिया एवं डिजिटल साक्षरता	जिम्मेदार डिजिटल नागरिक
मानसिक दबाव	काउंसलिंग एवं मेंटरशिप	बेहतर मानसिक एवं करियर तैयारी
लैंगिक असमानता	महिला शिक्षा एवं रोजगार	अधिक महिला सहभागिता
पर्यावरण संकट	हरित कौशल	धारणीय विकास
लोकतांत्रिक दूरी	युवा भागीदारी	मजबूत लोकतांत्रिक संस्कृति
आर्थिक असमानता	विकास एवं वित्तीय समावेशन	समान अवसरों की सुलभता
नवाचार की कमी	अनुसंधान एवं नवाचार प्रयोगशालाएं	तकनीकी आत्मनिर्भरता

स्रोतः शोधार्थी द्वारा आकलित एवं आगणित।

इसलिए जेन–जी की क्षमता को विकसित भारत की शक्ति में बदलने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप को 'पंचसूत्र' अर्थात कौशल (भविष्य की तकनीकों और रोजगार के अनुरूप कौशल), रोजगार (गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक

रोजगार), उद्यमिता (युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाना), सहभागिता (लोकतंत्र और राष्ट्र–निर्माण में सक्रिय भागीदारी) और धारणीयता (आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण) पर केंद्रित करते हुए समाधान के निम्नलिखित समेकित मॉडल पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि जेन–जी की चुनौतियों का समाधान केवल उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ उनकी रचनात्मकता, मानसिक शांति एवं स्वायत्तता को सम्मान मिले। इसके समाधान के लिए निम्नलिखित सुझावों पर गौर किया जाना चाहिएः

8.1. शिक्षा को रोजगारपरक एवं भविष्य–उन्मुख बनानाः रट्टामार शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर व्यावहारिक शिक्षा, इंटर्नशिप और 'अर्न व्हाइल यू लर्न' (सीखते–सीखते कमाएं) मॉडल को बढ़ावा दिया जाए। जेन–जी की शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रखकर ज्ञान, कौशल, रोजगार और नवाचार से जोड़ना चाहिए। इसके लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ाई जाए। उद्योगों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित हों। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रोजेक्ट–बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग, संचार और समस्या–समाधान को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाए ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच कौशल–अंतर कम होगा।

8.2. एआई एवं डिजिटल कौशल का व्यापक विकासः एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जबकि पारंपरिक क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं के लिए रिस्किलिंग और अपस्किलिंग की व्यवस्था हो ताकि 'डिग्रीधारी युवा' को परिस्कृत कर 'भविष्य के रोजगार के लिए तैयार युवा' तैयार किया जा सके। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान 6 से 12 महीने की इंडस्ट्री–इंटर्नशिप अनिवार्य की जाए, जिससे युवाओं को वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव मिले और 'अंडर–एम्प्लॉयमेंट' दूर हो। लाइफलॉन्ग लर्निंग क्रेडिट्स को बढ़ावा दिया जाए अर्थात हर 2–3 साल में अपस्किलिंग को आसान बनाने के लिए डिजिटल क्रेडिट बैंक बनाया जाए, जिससे युवा काम के साथ–साथ आसानी से नए सर्टिफिकेशन हासिल कर सकें।

8.3. रोजगार के अवसरों का विस्तारः जेन–जी की केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम करके निजी क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना, श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना, नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, स्थानीय रोजगार सृजन करना, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा विकसित करना आवश्यक है। गिग वर्कर, फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का कानूनी ढांचा अर्थात गिग वर्क्स कोड तैयार किया जाए। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, सरकारी व निजी नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं और भर्तियों को 100 प्रतिशत डिजिटल, ब्लॉकचेन–आधारित और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पेपर लीक और भर्ती सुस्ती जैसी समस्याओं से युवा असंतोष समाप्त हो।

8.4. जेन–जी में उद्यमिता को प्रोत्साहनः युवाओं को जॉब सीकर्स के साथ जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए आसान एवं सुलभ ऋण, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप, बिजनेस ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण, स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार और सरकारी खरीद में अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण जेन–जी को कृषि–आधारित उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा सकता है।

8.5. ग्रामीण जेन–जी को विशेष डिजिटल कौशलः विकसित भारत के लिए ग्रामीण और शहरी युवाओं के अवसरों के बीच अंतर कम करना जरूरी है, जिसके लिए उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट, डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएँ, ऑनलाइन शिक्षा, ग्रामीण बीपीओ/आईटी सेवाएँ और स्थानीय उद्यमिता केंद्र विकसित किए जाने चाहिए। इससे डिजिटल विभाजन को डिजिटल समावेशन में बदला जा सकता है।

8.6. डिजिटल साक्षरता के साथ मीडिया साक्षरताः जेन–जी को केवल स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग सिखाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सूचना की विश्वसनीयता जांचना भी सिखाना आवश्यक है। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर फेक न्यूज की पहचान, फैक्ट–चेकिंग, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन प्राइवेसी, सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

8.7. मानसिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस बढ़ानाः प्रतियोगिता और रोजगार की अनिश्चितता को देखते हुए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में कैरियर काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। युवाओं को कैरियर विकल्पों की जानकारी, व्यक्तिगत परामर्श, स्ट्रेस–मैनेजमेंट, टाइम–मैनेजमेंट, साथियों का सहयोग, मेंटरशिप आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हर उच्च शिक्षण संस्थान और कॉर्पोरेट ऑफिस में वेलनेस सेंटर के साथ पेशेवर काउंसलर्स और 'डिजिटल डिटॉक्स' सत्रों का प्रावधान अनिवार्य किया जाए। कैरियर गाइडेंस और पेरेंटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, जो युवाओं पर सामाजिक तुलना एवं 'रातों–रात सफल होने' के मानसिक दबाव को कम कर सकें। 'टेली–मानस' जैसी सस्ती मानसिक स्वास्थ्य वाली सरकारी पहलों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाए।

8.8. युवा महिलाओं के लिए समान अवसरः विकसित भारत में जेन–जी की आधी आबादी को पीछे छोड़कर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए युवा महिलाओं की शिक्षा, स्टेम (एसटीइएम) शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल, महिला उद्यमिता, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और नेतृत्व के अवसर को बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल

एंटरप्रेन्योरशिप में युवतियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और मेंटरशिप नेटवर्क के व्यवस्था की जानी चाहिए। समाज के साथ कार्यस्थलों में लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा दिया जाए, जो जेन–जी पीढ़ी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

8.9. लोकतांत्रिक एवं नागरिक सहभागिता बढ़ानाः जेन–जी को केवल सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा तक सीमित न रखकर वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी से जोड़ना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों और स्थानीय संस्थाओं में युवा संसद, मॉडल पार्लियामेंट, नागरिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, स्थानीय शासन में युवा सहभागिता जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

8.10. पर्यावरण–अनुकूल रोजगारः विकसित भारत का लक्ष्य सतत विकास से जुड़ा होना चाहिए। जेन–जी पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक है। इसलिए उन्हें 'मिशन लाइफ' जैसी पहलों से जोड़कर जलवायु परिवर्तन के समाधानों में नेतृत्व की भूमिका दी जाए। जेन–जी को ग्रीन इकॉनमी अर्थात सोलर एवं रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पानी का संरक्षण, ग्रीन कंस्ट्रक्शन और सर्कुलर इकॉनमी का सक्रिय भागीदार बनाया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन दोनों संभव होंगे।

8.11. आर्थिक समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरताः जेन–जी को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, निवेश, बीमा, ऋण और कर व्यवस्था की बुनियादी जानकारी दी जानी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, कौशल–विकास सहायता, उद्यमिता ऋण, डिजिटल उपकरण सहायता जैसे उपाय उपयोगी हो सकते हैं। हाई स्कूल के स्तर से ही बजट बनाना, निवेश और टैक्स प्रबंधन सिखाया जाए, क्योंकि जेन–जी आर्थिक स्वतंत्रता जल्दी चाहती है।

8.12. नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावाः जेन–जी की नवाचार क्षमता को विकसित भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों में इनोवेशन लैब्स, इनक्यूबेशन सेंटर, रिसर्च ग्रांट, हैकाथॉन, इंडस्ट्री–एकेडेमिया सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जेन–जी स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट और 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' की व्यवस्था को और सुगम बनाया जाए। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जेन–जी नवप्रवर्तकों के लिए बिना गारंटी वाले 'सीड फंड' का विस्तार किया जाए।

8.13. भारतीय मूल्यों के साथ वैश्विक दृष्टिकोणः जेन–जी को वैश्विक नागरिक बनने के साथ–साथ भारतीय संविधान के मूल्यों, सामाजिक समरसता और जिम्मेदार नागरिकता से जोड़ना आवश्यक है। वैश्विक ज्ञान और भारतीय मूल्यों को मिलाकर निर्मित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित भारत के लिए प्रभावी संयोजन हो सकता है।

8.14. सामूहिक साझेदारी को बढ़ावाः जेन–जी की समस्याओं का समाधान केवल सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए चार पक्षों अर्थात सरकार, शिक्षा संस्थान, उद्योग और युवा वर्ग की साझेदारी आवश्यक है। सरकार नीति और संसाधन उपलब्ध कराए, शिक्षण संस्थान कौशल प्रदान करें, उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराए और युवा सक्रिय रूप से सीखने एवं नवाचार गतिविधियों में भागीदार बनें। सरकार की नीतियों में जेन–जी के विचारों को शामिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और संसद/विधानसभाओं में युवाओं का दायरा बढ़ा कर पॉलिसी मेकिंग में युवाओं को भागीदार बनाया जाए। जेन–जी पीढ़ी को ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग और डीपफेक जैसी डिजिटल चुनौतियों से बचाने के लिए सख्त कानून और जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

निष्कर्ष : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की जनसंरचना में युवा पीढ़ियों का प्रभुत्व है। जेन–जेड, मिलेनियल्स और जेन–अल्फा की 74.80 प्रतिशत की संयुक्त हिस्सेदारी भारत को एक युवा देश बनाती है। यह देश के लिए आर्थिक विकास, नवाचार, तकनीकी परिवर्तन और उत्पादकता बढ़ाने का सार्थक अवसर प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर, वृद्ध पीढ़ियों में महिलाओं की अधिक संख्या भविष्य में वृद्धावस्था देखभाल, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता की ओर संकेत करती है। शोध की दृष्टि से भारत की जनसंरचना केवल आयु के आधार पर ही नहीं, बल्कि पीढ़ीगत व्यवहार, शिक्षा, रोजगार, तकनीकी अभिरुचि, उपभोग, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक भागीदारी के आधार पर भी अध्ययन की आवश्यकता सिद्ध करती है।

भारत, चीन और विश्व की जनसंरचना के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित होता है। भारत की जनसंरचना अपेक्षाकृत युवा है, जिसमें जेन–जेड और जेन–अल्फा का संयुक्त हिस्सा बहुत बड़ा है। जबकि चीन में जेन–एक्स, मिलेनियल्स और बेबी बूमर्स का अनुपात अधिक है, जो अपेक्षाकृत परिपक्व एवं वृद्ध होती जनसंरचना को रेखांकित करता है। विश्व की स्थिति इन दोनों के बीच अपेक्षाकृत संतुलित है। ऐसे में विकसित भारत के निर्माण में जेन–जी की भूमिका की दृष्टि से भारत के सामने रोजगार, कौशल विकास और युवा मानव संसाधन के उपयोग की चुनौती, जबकि चीन के सामने वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यशील आबादी के भविष्य के संतुलन की चुनौती अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जनसांख्यिकीय पीढ़ियों की यह तुलना दोनों देशों की भावी आर्थिक नीति, श्रम बाजार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और विकास रणनीति को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में जेन–जेड की प्रधानता तथा पाकिस्तान, नाइजीरिया और इथियोपिया में जेन–अल्फा की प्रधानता अत्यंत युवा जनसंरचना को दर्शाती है। जबकि चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस में

मिलेनियल्स की प्रधानता अपेक्षाकृत परिपक्व जनसंरचना का संकेत देती है। विशेष रूप से भारत और चीन की कुल आबादी लगभग समान होने के बावजूद भारत की औसत आयु 29 वर्ष और चीन की 41 वर्ष है। भारत में जेन–जेड का प्रभुत्व है, जबकि चीन में मिलेनियल्स प्रमुख हैं। इसलिए भारत के लिए जेन–जी को जनसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित करना, जबकि चीन के लिए कार्यशील आबादी और वृद्ध होती जनसंख्या के बीच संतुलन बनाए रखना, भविष्य की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।

प्रस्तुत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि विकेंद्रीकरण एवं जनसहभागिता समकालीन विकास प्रशासन के ऐसे प्रमुख आधार हैं, जो सतत एवं समावेशी विकास को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता केवल संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वित्तीय स्वायत्तता, संस्थागत क्षमता, पारदर्शी प्रशासन तथा नागरिकों की सार्थक सहभागिता पर भी आधारित होती है। विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका योजनाओं को अधिक उत्तरदायी, न्यायसंगत एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है, जिससे सामाजिक समावेशन और संसाधनों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान समय में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, परंतु प्रशासनिक, वित्तीय एवं सामाजिक चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अतः आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन, तकनीकी दक्षता एवं निर्णयात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के साथ–साथ नागरिकों की जागरूक एवं उत्तरदायी भागीदारी को भी सुदृढ़ किया जाए। निष्कर्षतः सहभागी एवं विकेंद्रित शासन व्यवस्था ही ऐसी विकास प्रक्रिया का आधार बन सकती है, जो सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के माध्यम से दीर्घकालिक और समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित कर सके।

जेन–जी विकसित भारत की केवल भावी पीढ़ी नहीं, बल्कि वर्तमान में निर्माणाधीन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय शक्ति है। इसकी सबसे बड़ी ताकत डिजिटल दक्षता, तकनीकी अनुकूलनशीलता, रचनात्मकता, उद्यमिता और वैश्विक दृष्टिकोण है। भारत में 15–29 वर्ष का युवा वर्ग कुल आबादी का लगभग 27.2 प्रतिशत है और कामगार–आबादी अनुपात 41.7 प्रतिशत है। दूसरी ओर, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में मार्च 2026 तक 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण हुआ। इसलिए जेन–जी को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भविष्य–उन्मुख कौशल, रोजगार, डिजिटल अवसंरचना, उद्यमिता के लिए वित्त, नवाचार के अवसर और सामाजिक नेतृत्व उपलब्ध कराया जाए, तो यह पीढ़ी भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति में बदल सकती है। इस तरह जेन–जी की डिजिटल क्षमता, कौशल, उद्यमिता, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व को संयुक्त करके नई युवा शक्ति से विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और भारत आज जिस तेज गति से आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। विकास के वर्तमान स्वर्णिम काल में जेन–जी को किसी की कठपुतली या उपभोक्ता बनकर नहीं रहना है। उन्हें 'समस्या तलाशने वाला' की जगह 'समस्या सुलझाने वाला' बनना होगा। ऊर्जा, तकनीक, संवेदनशीलता और राष्ट्रभक्ति का यह अद्भुत मिश्रण जब एक दिशा में काम करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जेन–जी की यह सकारात्मक भूमिका ही स्वर्णिम–विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव साबित होगी।

विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार की योजनाओं से नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता, कौशल, नवाचार, उद्यमिता और जिम्मेदार नागरिक भागीदारी से संभव होगा। इसलिए जेन–जी और युवाओं की चुनौतियों को केवल रोजगार की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी, सामाजिक समावेशन, तकनीकी परिवर्तन और राष्ट्र–निर्माण के व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारपरक कौशल, उद्यमिता के अवसर, डिजिटल पहुंच, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक सहभागिता उपलब्ध कराई जाती है, तो भारत की युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी आधारशक्ति बन सकती है, क्योंकि जेन–जी विकसित भारत की केवल लाभार्थी पीढ़ी नहीं, बल्कि उसके निर्माण की प्रमुख भागीदार पीढ़ी है। जेन–जी की डिजिटल दक्षता, नवाचार क्षमता, उद्यमशीलता और वैश्विक दृष्टिकोण भारत को नई आर्थिक एवं सामाजिक ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए रोजगार, कौशल–असंगति, डिजिटल असमानता, मानसिक दबाव, फेक न्यूज, आर्थिक असमानता, पर्यावरण जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इसलिए विकसित भारत के संदर्भ में 'जेन–जी की क्षमता को अवसर में और चुनौतियों को नवाचार में बदलना' भारत की युवा नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा, कौशल, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और लोकतांत्रिक सहभागिता को एक साथ मजबूत करके जेन–जी को विकसित भारत की परिवर्तनकारी शक्ति बनाया जा सकता है।

कुल मिलाकर, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जेन–जी को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाधान की शक्ति के रूप में देखना होगा। इसकी डिजिटल दक्षता, रचनात्मकता, नवाचार और वैश्विक दृष्टिकोण को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता से जोड़ना आवश्यक है। इस दृष्टि से 'जेन–जी के लिए अवसर निर्माण' ही विकसित भारत के लिए मानव पूंजी निर्माण है। यदि भारत जेन–जी को सही शिक्षा, भविष्यपरक

कौशल, रोजगार, उद्यमिता के अवसर, डिजिटल समानता और लोकतांत्रिक सहभागिता प्रदान करता है, तो यही पीढ़ी 2047 के विकसित भारत की आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और लोकतांत्रिक आधारशिला बन सकती है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. प्रेस सूचना ब्यूरो (2026). युवाओं को सशक्त बनाना, भारत को बदलनाः विकसित भारत @2047 के लिए अमृत पीढ़ी। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। युवाओं के कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व और नागरिक सहभागिता से संबंधित नवीनतम सरकारी पहल।
2. जिष्णु, डी. एवं शमला, आर. (2024). स्क्रीन से सड़कों तकः कॉलेज के छात्रों के बीच सोशल मीडिया और ऑफलाइन एक्टिविज्म के बीच संबंध की जांच। ग्लोबल मीडिया जर्नल–इंडियन एडिशन, 16(1)।
3. यूएनएफपीए भारत रिपोर्ट (2024). युवा शक्ति का उभारः युवाओं की बड़ी आबादी का फायदा उठाना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए). रिपोर्ट में भारत में 15–24 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 257 मिलियन युवा आबादी तथा जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं पर चर्चा।
4. बागड़ी हिमांशु, बुलसारा, हेमन्तकुमार पी., शंकर, दीप्ति और शर्मा, लतिका (2023). पारंपरिक से डिजिटल में संक्रमणः जेनरेशन–जेड को ऑनलाइन अधिगम अपनाने हेतु प्रेरणादाई कारक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, 37(3), 695–717। https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2023-0003। गुजरात के 284 छात्रों के आधार पर जेन–जेड की ऑफलाइन शिक्षा विचारधारा की प्रवृत्ति।
5. भारत सरकार. (2022). भारत में युवा 2022। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
6. सिंह, जे. (2022). युवाः जनसांख्यिकीय लाभांश। योजना, मार्च 2022. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार। भारतीय युवाओं की नवाचार, उद्यमिता, तकनीकी क्षमता और आर्थिक विकास में भूमिका का विवेचन।
7. Alifatunnisa, H., Azzhahra, M., & Nurfalah, F. (2024). Political Communication Strategies in the Digital Era for Generation Z Voters. Edunity: Social and Educational Studies, 3(11), 1026-1036. https://doi.org/10.57096/edunity.v3i11.309
8. Buzzetto-Hollywood, N. A., Hill, A. J., & Banks, T. (202). Early findings of a study exploring the social media, political and cultural awareness, and civic activism of Gen Z students in the Mid-Atlantic United States. In InSITE 2021: Informing Science+ IT Education Conferences (p. 011). https://doi.org/10.28945/4762
9. Robin, P., Alvin, S., & Hasugian, T. (2022). Gen-Z perspective on politics: High interest, uninformed, and urging political education. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 11(3). https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2550
10. Journal Vignesh, R., & Genila, X. M. (2025). Gen Z Voters' Political Perspectives in Tamil Nadu. International of Creative Research Thoughts (IJCRT), 13(6), 2320-2882. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2506897.pdf
11. Jain, Nimisha and Trivedi, Pulkit (2024). The 2-Trillion Opportunity How Gen-Z is shaping the new india, BCG and Snap Inc. India, WDI; BCG Analysis, October, 2024.
12. Srivastava, Khusboo (2025). Decoding Gen Z Green Purchase Behavior in India by Exploring Green Attitude, Green Customer Perceived Value, and Green Marketing Mix, Book Chapter-11, Green Marketing Perspectives: Effective Messaging for Sustainable Practices, Edited by Sonu Dua; Sakshi Dua; Pawanpreet Kaur, Emerald Publishing Limited, ISBN (e): 978-1-83608-772-4, DOI: https://doi.org/10.1108/9781836087724
13. Khaire, Girish and Ghare, Harsh (2025). Gen Z Green Purchase Intention in India: A Hypothetical Study Integrating Attitudes, Social Influence, and Trust (December 15, 2025). SSRN: https://ssrn.com/abstract=5923384 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5923384
14. Mintel. (2023, June 29). Indian Gen Z: Financially savvy, socially conscious and ready to travel. Mintel Group Ltd.
15. Rath, S., Reddy, V. & Sharma, M. (2025). Green consumerism among Gen-Z in Tier-II Indian cities: A case-based exploratory study. International Journal of Research in Social Sciences, 9(7), 1885–1900.
16. Singh, R. & Menon, S. (2024). Attitude, norms, and trust: Exploring green purchase intention of Gen Z consumers in urban India. Journal of Sustainable Marketing, 6(4), 210 229.
17. Parker, K., & Igielnik, R. (2020). On the cusp of adulthood and facing an uncertain future: What we know about Gen Z so far. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/.
18. Boston Consulting Group, & Snap Inc. (2024). The $2 trillion Gen Z opportunity: Unlocking the potential of India's youngest consumers. Boston Consulting Group. https://www.bcg.com/publications/2024/gen-z-opportunity-in-india.
19. Aggarwal, A., & Thakur, A. (2023). Unlocking the workplace potential of Gen Z in India: Intentions, values, and career expectations. Journal of Asia Business Studies, 17(4), 785–802. https://doi.org/10.1108/JABS-02-2022-0056.

20. Deloitte. (2024). 2024 Gen Z and Millennial survey: India country report. Deloitte Insights. https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/genzmillennialsurvey.html.
21. Ernst & Young India. (2023). Decoding the Gen Z consumer: How India's youngest population is reshaping the market. EY India. https://www.ey.com/en_in/consumer-products-retail/decoding-gen-z-consumer-india.
22. Rao, S., & Sundar, N. (2022). Digital nativity and social impact: Understanding Gen Z's influence on the Indian economy. Journal of Indian Business Research, 14(2), 210–228. https://doi.org/10.1108/JIBR-08-2021-0294.
23. Mude, G., & Undale, S. (2023). Social media usage: A comparison between Generation Y and Generation Z in India. International Journal of E-Business Research, 19(1), 1–20. https://doi.org/10.4018/IJEBR.317889
24. Khan, M. Y., & Khan, B. (2025). A study of social media usage, preferences, and engagement among Indian "Generation Z" users: Predicting features and functions in a next-gen social media app, based on actual Gen-Z preferences and frustrations. International Journal of Creative Research Thoughts, 13(9), f319–f333.
25. Bongu, J. (2026). Social media and fear of missing out (FOMO): A study on Gen Z behaviour and psychological impact. International Journal of Indian Psychology. https://doi.org/10.25215/1403.045
26. Vaze, S., Benny, T., & Kaur, G. (2026). Social networking sites and the Indian youth: A content analysis of user motivation. International Journal of Indian Psychology.
27. K. Lesinskis, I. Mavlutova, A. Spilbergs, J. Hermanis (2023). Digital transformation in entrepreneurship education: The use of a digital tool KABADA and entrepreneurial intention of generation Z Sustainability, 15 (13) (2023), Article 10135, 10.3390/su151310135
28. Hasan, Muhammad, Andi Khairil Abrar, Thamrin Tahir, Neti Budiwati, Raya Sulistyowati (2026). Unleashing dual literacies through digital growth mindset: A multitheoretical study of entrepreneurship learning in higher education for Generation Z. Social Sciences & Humanities Open 13 (January 2026), https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102451
29. Deloitte. (2021). The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey. Deloitte Touche Tohmatsu Limited: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/2021-deloitte-global-millennial-survey-report.pdf
30. National Retail Federation. (2021). Consumer Trends Generation Z. National Retail Federation: https://nrf.com/insights/consumer-trends/generation-z.
31. Finneman, B, Spagnuolo, E, Rahilly, L. (2020). Meet Generation Z: Shaping the future of shopping. McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/industries/ consumer-packaged-goods/our-insights/meet-generation-z-shaping-the-future-of-shopping.
32. Cheung, J. Glass, S. Haller, K. Wong, C. (2018). What do Gen Z shoppers really want? IBM: https://www.ibm.com/downloads/cas/W07A8QGE.
33. BI India Bureau (2020). Most of the world's youngest people, particularly Gen Zers, live in these countries. Business Insider: https://www.businessinsider.in.
34. Gomez, K, Mawhinney, T, Betts, K. (2020). Welcome to Generation Z. Deloitte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer business/welcome-to-gen-z.pdf.
35. BI India Partner. (2021). 70% Gen Z & Millennial audiences from urban India are today willing to purchase products from a lesser-known brand: Dentsu Data Sciences. Business Insider India: https://www.businessinsider.in/advertising/ad-agencies/news/70-gen-z.

=====

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2026)। विकसित भारत के निर्माण में जेन–जी की संभावनाओं का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 40–66। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005748

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय स्टेट बैंक एवं एचडीएफसी बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि का समाजशास्त्रीय विश्लेषणः आगरा जनपद पर आधारित एक वैयक्तिक अध्ययन

दीक्षा[1], डॉ. एकता[2]

1. **शोधार्थिनी (समाजशास्त्र),** समाजशास्त्र विभाग, बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** समाजशास्त्र विभाग, बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** lifeofunity@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005832

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र सार्वजनिक क्षेत्र (भारतीय स्टेट बैंक) तथा निजी क्षेत्र (एचडीएफसी बैंक) में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की कार्य–संतुष्टि के स्तर, इसके निर्धारकों एवं अंतर्निहित समाजशास्त्रीय आयामों का एक तुलनात्मक एवं गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह गुणात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के शहरी एवं उप–शहरी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न शाखाओं में कार्यरत् 21 महिला कर्मचारियों के वैयक्तिक अध्ययन पर आधारित है, जिनका चयन सोद्देश्य प्रतिचयन विधि तथा गुणात्मक शोध के 'तथ्य संतृप्ति' (Data Saturation) सिद्धांत के आधार पर किया गया है। अध्ययन के दौरान अर्द्ध–संरचित गहन साक्षात्कारों से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों को पाँच प्रमुख समाजशास्त्रीय आयामों (यथा–कार्य–जीवन संतुलन, भावनात्मक श्रम, पदानुक्रम एवं स्वायत्तता, असुरक्षा बोध, और अलगाव) के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण स्पष्ट करता है कि दोनों बैंकिंग क्षेत्रों में संतुष्टि के निर्धारक भिन्न–भिन्न व्यवस्थागत कारकों से संचालित हैं। जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र (SBI) की महिला कर्मचारियों में संतुष्टि का मुख्य आधार 'नौकरी का स्थायित्व', 'पेंशन लाभ' तथा 'सामाजिक प्रतिष्ठा' है। वहीं 'अनियोजित स्थानांतरण' और 'दोहरे प्रशासनिक दबाव' उनके असंतोष का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र (HDFC) में संतुष्टि 'उच्च वित्तीय पैकेज' और 'योग्यता–आधारित पदोन्नति' से निर्धारित होती है, किंतु 'आक्रामक बिक्री लक्ष्य', 'अनिश्चित कार्य घंटे' और 'नौकरी की असुरक्षा' उनके मानसिक तनाव एवं 'दूसरी पाली' के लैंगिक संघर्ष को तीव्र करते हैं। यह अध्ययन रेखांकित करता है कि बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की कार्य–संतुष्टि केवल आर्थिक प्रतिफल पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थल की स्वायत्तता, पितृसत्तात्मक पारिवारिक अपेक्षाओं और संगठनात्मक संवेदनशीलता के जटिल अंतर्संबंधों का परिणाम है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 29 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 08 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 01	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 19
	मुख्य शब्द: कार्य–संतुष्टि, महिला कर्मचारी, बैंक, भूमिका संघर्ष, भावनात्मक श्रम, आगरा।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : आधुनिक औद्योगिक एवं सेवा–आधारित अर्थव्यवस्था में 'कार्य संतुष्टि' केवल एक व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक अनुभूति मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक, संरचनात्मक और संस्थागत परिघटना है। कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का केंद्रीय आधार होता है, जिसके माध्यम से वह न केवल जीविकोपार्जन और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है, बल्कि समाज में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान और आत्म–सम्मान का भी निर्माण करता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य–परिवेश से संतुष्ट होता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसकी कार्यकुशलता के साथ–साथ उसके पारिवारिक ताने–बाने, सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके विपरीत, कार्य असंतोष व्यक्ति में अलगाव, कुंठा और गंभीर भूमिका संघर्ष को जन्म देता है।

1.1. कार्य संतुष्टि की समाजशास्त्रीय एवं संकल्पनात्मक अवधारणा: कार्य संतुष्टि को परिभाषित करते हुए पॉल स्पेक्टर (1997) ने स्पष्ट किया था कि यह एक बहुआयामी भावनात्मक अवस्था है, जो संगठन से व्यक्ति की अपेक्षाओं और संगठन द्वारा उसकी वास्तविक पूर्ति के मध्य तुलनात्मक मूल्यांकन पर टिकी होती है। इस संदर्भ में कार्य संतुष्टि इस बात से तय होती है कि कार्यस्थल व्यक्ति की भौतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक

पूरा करता है। विकर (2011) के अनुसार, "कार्य संतुष्टि कर्मचारियों द्वारा अपने दैनिक श्रम और व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन से प्राप्त होने वाले आत्म–गौरव और सार्थकता की अनुभूति है।"

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कार्य संतुष्टि का विश्लेषण करते समय इसे केवल पारिश्रमिक या वित्तीय लाभों तक सीमित नहीं माना जा सकता। यह संगठन के आंतरिक पदानुक्रम, निर्णय लेने की स्वायत्तता, कार्यस्थल की अंतःक्रियाओं, सहकर्मियों के व्यवहार और श्रम की सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे अनेक कारकों से संचालित होती है।

1.2. समकालीन संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र और महिला श्रमः उत्तर–उदारीकरण के दौर में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र तीव्र संस्थागत, तकनीकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जैसे भारतीय स्टेट बैंक) के साथ–साथ निजी क्षेत्र के आधुनिक कॉरपोरेट बैंकों (जैसे एचडीएफसी बैंक) के व्यापक विस्तार ने भारतीय समाज में शिक्षित महिलाओं के लिए औपचारिक रोजगार के विशाल अवसर खोले हैं।

परंपरागत रूप से पुरुष–प्रधान रहे बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक युगांतकारी परिवर्तन है। आर्थिक स्वावलंबन ने महिलाओं को पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में आर्थिक निर्णयों में भागीदारी, आत्मनिर्भरता और सुदृढ़ सामाजिक पहचान प्रदान की है। तथापि, बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की यह उपस्थिति अपने साथ कई नई चुनौतियाँ भी लेकर आई है–

1.2.1. पारंपरिक बनाम व्यावसायिक भूमिकाओं का अंतर्विरोधः भारतीय समाज में आज भी घरेलू श्रम और बच्चों की देखभाल का प्राथमिक दायित्व महिलाओं पर ही माना जाता है। बैंकिंग जैसी समयबद्ध, जवाबदेह और मानसिक श्रम की मांग करने वाली नौकरी में कार्य करते हुए महिला कर्मचारियों को 'व्यावसायिक लक्ष्यों' और 'घरेलू अपेक्षाओं' के बीच निरंतर संतुलन साधना पड़ता है।

1.2.2. श्रम की बदलती प्रकृतिः आधुनिक बैंकिंग अब केवल पारंपरिक लेन–देन या खाता संचालन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह आक्रामक व्यावसायिक लक्ष्यों (Sales Targets), क्रॉस–सेलिंग (बीमा, म्यूचुअल फंड) और डिजिटल निगरानी पर आधारित हो चुकी है। इसने कर्मचारियों के कार्य–दबाव को अत्यधिक बढ़ा दिया है।

1.2.3. सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र का द्वंदः जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (SBI) नौकरी की सुरक्षा, पेंशन व सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वहीं वे अनियोजित स्थानांतरण और दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण जैसी विसंगतियों से जूझ रहे हैं। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र के बैंक (HDFC) आकर्षक वेतन पैकेज और योग्यता–आधारित तरक्की तो देते हैं, किंतु काम के अनिश्चित घंटे, निरंतर फोन कॉलिंग और नौकरी की असुरक्षा कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

1.3. शोध के उद्देश्य एवं महत्वः प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित किया गया है।

1. आगरा जनपद के सार्वजनिक क्षेत्र (SBI) एवं निजी क्षेत्र (HDFC) के बैंकों में कार्यरत् महिला कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि के स्तर का तुलनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
2. महिला कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले संगठनात्मक कारकों (वेतन, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति, कार्य दबाव एवं भौतिक कार्य वातावरण) की पहचान व परीक्षण करना।
3. औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं के पारिवारिक–सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों, विशेषकर 'भूमिका संघर्ष', 'भावनात्मक श्रम' और 'कार्य–जीवन संतुलन' का गहन अध्ययन करना।
4. पदानुक्रम (उच्च प्रबंधन से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक) के विभिन्न स्तरों पर महिला कर्मचारियों की स्वायत्तता, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा बोध के अंतर को स्पष्ट करना।

1.4. अध्ययन का सैद्धांतिक ढाँचाः महिला कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के गहन विश्लेषण हेतु प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का समाकलन किया गया है–

- ❖ कार्ल मार्क्स का 'अलगाव एवं श्रम का वस्तुकरण'
- ❖ अर्ली हॉच्सचाइल्ड का 'भावनात्मक श्रम'
- ❖ भूमिका संघर्ष और 'दूसरी पाली'
- ❖ सामाजिक पूँजी एवं विनिमय सिद्धांत

2. साहित्य समीक्षा :

2.1. बैंकिंग क्षेत्र में कार्य संतुष्टि के सामान्य निर्धारकः बैंकिंग क्षेत्र में कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हुए बासु न्यौपाने (2019) ने वाणिज्यिक बैंक कर्मचारियों पर किए गए अपने अध्ययन में पाया कि कार्य संतुष्टि मुख्य रूप से उचित कार्य दशाओं, वेतन एवं प्रोत्साहन संरचना, सहकर्मियों के सहयोग, प्रशिक्षण व विकास के अवसरों तथा पारदर्शी पदोन्नति नीतियों पर निर्भर करती है। अध्ययन के सांख्यिकीय निष्कर्षों के अनुसार, लगभग 64. 1 प्रतिशत कार्य संतुष्टि इन प्रत्यक्ष संगठनात्मक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जबकि 36.9 प्रतिशत संतुष्टि अन्य बाह्य एवं व्यक्तिगत घटकों पर आधारित होती है। इसी क्रम में फातिमा चेरिफ (2020) ने बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन

प्रबंधन (HRM) नीतियों, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और कार्य संतुष्टि के त्रिकोणीय संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रगतिशील मानव संसाधन नीतियाँ कर्मचारियों में नए कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और संस्थागत निष्ठा को सुदृढ़ करती हैं, जो अंततः उच्च कार्य संतुष्टि में रूपांतरित होती हैं।

2.2. सार्वजनिक बनाम निजी बैंकिंग क्षेत्र–संरचनात्मक एवं संस्थागत तुलनाः सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की कार्य–संस्कृति और संतुष्टि के निर्धारकों में मौलिक अंतर पाया जाता है। रत्नमणि (2016) ने देहरादून (उत्तराखंड) के सार्वजनिक एवं निजी बैंकों में कार्यरत् महिला कर्मचारियों के तुलनात्मक अध्ययन में स्पष्ट किया कि वेतन/मुआवजा, पदोन्नति के अवसर, नौकरी की सुरक्षा, कार्य की जिम्मेदारी तथा निष्पादन मूल्यांकन महिला कर्मचारियों में संतुष्टि के प्राथमिक एवं उच्च–स्तरीय कारक हैं, जबकि कार्य का तनाव और अधीनस्थ सहकर्मियों के साथ अंतःक्रिया मध्यम से निम्न स्तर की संतुष्टि से संबंधित हैं। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जहाँ 'स्थायित्व और सुरक्षा' प्रदान करते हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक 'उच्च वित्तीय प्रोत्साहन और योग्यता–आधारित तरक्की'के आधार पर कार्य संतुष्टि का निर्माण करते हैं।

2.3. महिला कर्मचारियों के विशिष्ट आयाम : कार्य–जीवन गुणवत्ता एवं भूमिका संघर्षः बैंकिंग क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि सीधे तौर पर उनके कार्य–जीवन की गुणवत्ता से नियंत्रित होती है। जे. त्यागी (2020) ने दिल्ली–एनसीआर के निजी बैंकों (HDFC एवं ICICI) में कार्यरत् महिला कर्मचारियों पर किए गए अपने शोध में पाया कि कार्य–जीवन गुणवत्ता, कार्य संतुष्टि और संगठनात्मक प्रतिबद्धता आपस में गहराई से अंतर–संबंधित हैं। जब निजी क्षेत्र में काम के लंबे घंटे और अत्यधिक लक्ष्य महिला कर्मचारियों के घरेलू व व्यक्तिगत जीवन में व्यवधान डालते हैं, तो उनकी संगठनात्मक प्रतिबद्धता में गिरावट आती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, अर्ली हॉच्सचाइल्ड का 'भावनात्मक श्रम' और 'दूसरी पाली' का सिद्धांत महिला बैंक कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति को समझने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जहाँ फ्रंट–डेस्क और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कार्यरत् महिलाओं को संगठन के लिए लगातार सकारात्मक भावनात्मक प्रदर्शन करना पड़ता है।

2.4. साहित्य समीक्षा के निष्कर्ष एवं शोध अंतरालः

2.4.1. पद्धतिगत अंतरालः पूर्व के अधिकांश अध्ययन मुख्य रूप से परिमाणात्मक सर्वेक्षणों पर केंद्रित रहे हैं। महिला कर्मचारियों के आंतरिक अनुभवों और पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों को उजागर करने वाले गहन गुणात्मक वैयक्तिक अध्ययनों की कमी रही है।

2.4.2. भौगोलिक एवं क्षेत्रीय संदर्भः अधिकांश शोध महानगरों या अन्य राज्यों तक सीमित रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जैसे प्रमुख वाणिज्यिक टियर–2 शहर के सामाजिक–आर्थिक परिवेश में महिला बैंक कर्मचारियों की स्थिति पर केंद्रित अनुसंधानों का अभाव है।

2.4.3. सैद्धांतिक एकीकरणः पूर्व अध्ययनों में कार्य संतुष्टि को मुख्य रूप से प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा गया है, जिसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों (अलगाव, भूमिका संघर्ष, सामाजिक पूँजी) का संतुलित एकीकरण कम देखने को मिलता है।

4. शोध प्रविधि :प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है। महिला कर्मचारियों के आंतरिक अनुभवों और कार्यस्थल की जटिलताओं को समग्रता से समझने के लिए 'वैयक्तिक अध्ययन पद्धति' का प्रयोग किया गया है।

4.1. अध्ययन क्षेत्रः शोध का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद (शहरी, उप–शहरी एवं क्षेत्रीय प्रशासनिक शाखाएँ) है।

4.2. प्रतिचयन विधि एवं आकारः सोद्देश्य प्रतिचयन विधि द्वारा विभिन्न पदानुक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल 21 महिला कर्मचारियों का चयन किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक से 12 और एचडीएफसी बैंक से 9 वैयक्तिक अध्ययन शामिल हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रस्तुत अध्ययन में 21 वैयक्तिक साक्षात्कारों का चयन गुणात्मक शोध की 'तथ्य संतृप्ति' की अवधारणा के आधार पर किया गया है। 21 साक्षात्कारों के पश्चात् उत्तरदाताओं के अनुभवों, चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं में पुनरावृत्ति होने लगी थी तथा शोध के विषय से संबंधित कोई नवीन जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। अतः 21 के प्रतिदर्श आकार को इस गहन विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त एवं उपयुक्त माना गया है।

4.3. तथ्य संकलन के उपकरणः प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु 'अर्द्ध–संरचित गहन साक्षात्कार अनुसूची' तथा कार्यस्थल के गैर–सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया।

5. महिला बैंक कर्मचारियों का विषयगत वैयक्तिक विश्लेषण : प्रस्तुत शोध में चयनित 21 महिला कर्मचारियों (12 भारतीय स्टेट बैंक एवं 9 एचडीएफसी बैंक) के वैयक्तिक अनुभवों को उनकी कार्य–दशाओं, मनोवैज्ञानिक स्थिति और संगठनात्मक संरचना के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख समाजशास्त्रीय विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत कर विश्लेषित किया गया है।

5.1. आयाम–1, कार्य–जीवन संतुलन, 'दूसरी पाली' और भूमिका संघर्षः इस आयाम के अंतर्गत उन महिला कर्मचारियों को रखा गया है जिनके लिए व्यावसायिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधना एक प्रमुख चुनौती या संतुष्टि का कारण है–

5.1.1. केस–1 (SBI–महिला शाखा प्रबंधक):

- **संतुष्टि का स्तर**–आंशिक असंतोष।
- **कथन**–'ग्राहकों को नई योजनाएँ समझाना और बैंक के टारगेट पूरे करना इतना थका देने वाला होता है कि घर जाकर भी दिमाग बैंक में ही रहता है। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे पाती।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण**–यह स्थिति स्पष्ट रूप से 'भूमिका संघर्ष' को प्रदर्शित करती है, जहाँ एक पेशेवर प्रबंधक और पारिवारिक दायित्वों (पत्नी/माँ) के बीच निरंतर तनाव बना रहता है।

5.1.2. केस–2 (HDFC–महिला शाखा प्रबंधक):

- **संतुष्टि का स्तर**–आंशिक संतुष्टि।
- **कथन**–'वेतन और सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन दिन के 11–12 घंटे ऑफिस में ही निकल जाते हैं। परिवार के लिए कोई समय नहीं बचता, यह सफलता बहुत भारी लगती है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण**–यह स्थिति 'स्वर्ण हथकड़ी' (Golden Handcuffs) को दर्शाती है, जहाँ उच्च वित्तीय लाभ की कीमत गंभीर 'कार्य–जीवन असंतुलन' के रूप में चुकानी पड़ती है।

5.1.3. केस–3 (HDFC–महिला डिप्टी सर्विस मैनेजर):

- **संतुष्टि का स्तर**–मध्यम संतुष्टि।
- **कथन**–आधुनिक कार्य परिवेश अच्छा है, लेकिन बैंक बंद होने के बाद अनिश्चित 'लेट सिटिंग' की वजह से घर लौटने में बहुत रात हो जाती है।
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण**–यह अर्ली हॉच्सचाइल्ड द्वारा प्रतिपादित 'दूसरी पाली' (The Second Shift) और 'समय की कंगाली' **(Time Poverty)** का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहाँ महिला के पास अपने व्यक्तिगत विकास या परिवार के लिए विवेकपूर्ण समय नहीं बचता।

5.1.4. केस–4 (SBI–महिला प्रबंधक, मध्यम स्तर):

- **संतुष्टि का स्तर**–मध्यम संतुष्टि।
- **कथन**–'मेरी ड्यूटी का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक निश्चित है, जिससे मैं बैंक के बाद घर का प्रबंधन और बच्चों की देखभाल आसानी से कर पाती हूँ।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण**–निश्चित कार्य–समय पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और व्यावसायिक दायित्वों के मध्य संतुलन का मुख्य आधार बनता है, जो तनाव को कम करता है।

5.2. आयाम–2, बाजारीकरण, 'भावनात्मक श्रम' और पेशेवर गरिमा का संकटः इस आयाम में उन कर्मचारियों के अनुभव शामिल हैं, जो आक्रामक बिक्री लक्ष्यों और ग्राहकों की संतुष्टि के दबाव में अपने श्रम और भावनाओं के 'वस्तुकरण' का सामना कर रही हैं।

5.2.1. केस–5 (HDFC–महिला रिलेशनशिप मैनेजर):

- **संतुष्टि का स्तर**–मध्यम असंतुष्टि।
- **कथन**–'हर महीने अवास्तविक टारगेट होते हैं। छुट्टी वाले दिन भी क्लाइंट्स से मीठी–मीठी बातें करके पॉलिसी बेचनी पड़ती है। हमेशा नौकरी जाने का डर सताता है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण**–यह अर्ली हॉच्सचाइल्ड के 'भावनात्मक श्रम' और कार्ल मार्क्स के 'श्रम के वस्तुकरण' का प्रत्यक्ष रूप है, जहाँ कर्मचारी की पहचान केवल उसके वित्तीय लक्ष्यों तक सीमित कर दी जाती है।

5.2.2. केस–6 (SBI –महिला क्लर्क/ग्राहक सेवा सहयोगी):

- **संतुष्टि का स्तर**–निम्न असंतुष्टि।
- **कथन**–'बचत खाते खोलने के साथ–साथ हम पर बीमा व थर्ड पार्टी उत्पाद बेचने का बहुत दबाव रहता है, लेकिन हमारे इन अतिरिक्त प्रयासों की कोई पहचान नहीं होती।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण**–सेवा प्रदाता की मूल भूमिका से विमुख होकर बिक्री लक्ष्यों की बाध्यता 'व्यावसायिक अस्मिता के संकट' और 'सामाजिक विनिमय सिद्धांत' के उल्लंघन को प्रकट करती है।

5.2.3. केस–7 (SBI–महिला क्षेत्रीय प्रबंधक):

- **संतुष्टि का स्तर–**मध्यम असंतुष्टि।
- **कथन–**'एक तरफ सरकारी योजनाओं को लागू करने का दबाव होता है, तो दूसरी तरफ बैंक को मुनाफे में रखने का। दोनों के बीच तालमेल बैठाना बेहद तनावपूर्ण है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–**यह 'दोहरे नियंत्रण' से उत्पन्न संरचनात्मक तनाव को दर्शाता है, जिससे प्रबंधकीय स्वायत्तता सीमित होती है।

5.2.4. केस–8 (HDFC–नव–नियुक्त मैनेजमेंट ट्रेनी):

- **संतुष्टि का स्तर–**मध्यम असंतुष्टि।
- **कथन–**'कॉलेज के बाद अचानक इस आक्रामक कॉरपोरेट संस्कृति और सहकर्मियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा ने मुझे मानसिक रूप से थका दिया है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–**यह 'रियलिटी शॉक' और 'तीव्र व्यावसायिक समाजीकरण' के कारण उत्पन्न मानसिक थकान को दर्शाता है।

5.3. आयाम–3, पदानुक्रम, स्वायत्तता और संगठनात्मक शक्ति: यह आयाम यह स्पष्ट करता है कि जैसे–जैसे महिलाएँ पदानुक्रम में ऊपर उठती हैं, स्वायत्तता और विशेषज्ञता उनकी कार्य संतुष्टि को कैसे बढ़ाती है।

5.3.1. केस–9 (SBI–महिला सहायक महाप्रबंधक–AGM):

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'मेरे पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, करियर में ग्रोथ है, और समाज में एक प्रतिष्ठा है। एक ही शहर में पोस्टिंग होने से परिवार भी स्थिर है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यह 'सामाजिक पूँजी' **(Social Capital)** और संगठनात्मक शक्ति के एकीकरण को दर्शाता है, जो कार्य–जीवन समन्वय को सुदृढ़ बनाता है।

5.3.2. केस–10 (HDFC–महिला क्लस्टर हेड):

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'संगठन में शीर्ष नेतृत्व पर होना और स्टॉक ऑप्शंस **(ESOPs)** मिलना मुझे यह अहसास कराता है कि मेरी मेहनत को सही पहचान मिली है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यहाँ संतुष्टि 'आत्म–वास्तवीकरण' और कॉरपोरेट सत्ता से जुड़ी है, जहाँ कार्य–जीवन पूरी तरह से कॉरपोरेट पहचान में विलीन हो जाता है।

5.3.3. केस–11 (SBI–महिला मुख्य प्रबंधक, कॉरपोरेट ऋण):

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** बड़े कॉरपोरेट ऋणों का मूल्यांकन करने में मेरी विशेषज्ञता मुझे पेशेवर स्वायत्तता और संस्थागत सम्मान देती है।
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यह 'विशेषज्ञता पूँजी' से प्राप्त आत्मविश्वास और संस्थागत प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

5.3.4. केस–12 (SBI–वरिष्ठ महिला प्रबंधक, सेवानिवृत्ति के निकट):

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'करियर के सर्वोच्च पड़ाव पर पहुँच चुकी हूँ। बच्चे आत्मनिर्भर हैं, और अब बस पेंशन और सुकून की आसन्न सेवानिवृत्ति की सुरक्षा का संतोष है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यह 'जीवन चक्र और करियर अपेक्षाओं' के बदलाव को दर्शाता है, जहाँ संतुष्टि का केंद्र महत्त्वाकांक्षा से हटकर स्थायित्व हो जाता है।

5.4. आयाम–4, नौकरी की सुरक्षा, भौगोलिक गतिशीलता और असुरक्षा बोध: इस आयाम में स्थायी सरकारी रोजगार की सुरक्षा बनाम निजी क्षेत्र और फील्ड वर्क की असुरक्षा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

5.4.1. केस–13 (SBI–महिला सफाई कर्मचारी/सपोर्ट स्टाफ):

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'बाहर असंगठित क्षेत्र की तुलना में यहाँ मेरी आय निश्चित है, काम में गरिमा है और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार एक सशक्त 'सामाजिक सुरक्षा जाल' का कार्य करता है।

5.4.2. केस–14 (SBI–महिला कैशियर, ग्रामीण शाखा):

- **संतुष्टि का स्तर–** मध्यम संतुष्टि।

- **कथन–** 'स्थानीय समुदाय और ग्राहक मुझे बैंक वाली मैडम कहकर बहुत सम्मान देते हैं, जिससे मुझे अपने काम पर गर्व होता है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** गैर–वित्तीय सामाजिक पुरस्कार कार्य संतुष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5.4.3. केस–15 (SBI–महिला प्रोबेशनरी ऑफिसर–PO):

- **संतुष्टि का स्तर–** मध्यम असंतुष्टि।
- **कथन–** 'हर 2–3 साल में मेरा भौगोलिक स्थानांतरण हो जाता है, जिससे मेरा पारिवारिक सामंजस्य और सामाजिक जीवन पूरी तरह से अस्थिर रहता है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** अनिवार्य भौगोलिक गतिशीलता महिला कर्मचारियों के घरेलू जीवन और सामाजिक नेटवर्क को विखंडित करती है।

5.4.4. केस–16 (HDFC–महिला फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, संविदात्मक):

- **संतुष्टि का स्तर–** अत्यधिक असंतुष्टि।
- **कथन–** 'धूप में सड़क पर घूम–घूम कर क्रेडिट कार्ड बेचना पड़ता है। मूल वेतन बहुत कम है और लक्ष्य पूरा न होने पर नौकरी जाने का खतरा हमेशा रहता है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यह औपचारिक क्षेत्र के भीतर 'श्रम के अनौपचारिकीकरण' और गहन 'असुरक्षा बोध' को उजागर करता है।

5.4.5. केस–17 (SBI–महिला फील्ड ऑफिसर, ऋण वसूली):

- **संतुष्टि का स्तर–निम्न असंतुष्टि।**
- **कथन–** 'लोन रिकवरी के लिए बाहरी और कई बार असुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ग्राहकों से सीधे मौखिक टकराव का जोखिम बना रहता है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** संगठनात्मक जोखिम **(Organizational Risk)** का अग्रिम पंक्ति की महिला कर्मचारियों के व्यक्तिगत जोखिम में रूपांतरण तनाव का मुख्य कारण है।

5.5. आयाम–5, तकनीकी विशेषज्ञता, डिजिटल कार्य–परिवेश और अलगाव (Alienation): अंतिम आयाम बैंक के आईटी और बैक–ऑफिस संचालन में महिलाओं के अनुभवों को प्रदर्शित करता है, जो सशक्तिकरण और अलगाव दोनों पहलुओं को दर्शाता है।

5.5.1. केस–18 (HDFC–महिला क्रेडिट एनालिस्ट)–

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'मेरा काम बौद्धिक है। पारदर्शी पदोन्नति नीति और निश्चित कार्य घंटों के कारण मुझे अपने काम से बहुत संतुष्टि मिलती है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** तकनीकी विशेषज्ञता और निर्णय लेने की शक्ति महिला पेशेवरों को सुदृढ़ 'व्यावसायिक पहचान' प्रदान करती है।

5.5.2. केस–19 (SBI–महिला आईटी अधिकारी)–

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'निजी आईटी कंपनियों की तरह यहाँ रात–दिन का पागलपन नहीं है। तकनीकी कौशल बढ़ाने के मौके भी हैं और नौकरी की सुरक्षा भी।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता महिला पेशेवरों को कार्य–जीवन संतुलन के साथ स्थिरता प्रदान करती है।

5.5.3. केस–20 (HDFC–महिला डेटा साइंटिस्ट)–

- **संतुष्टि का स्तर–** उच्च संतुष्टि।
- **कथन–** 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक पर काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण और आकर्षक है। वेतन भी बाजार के सर्वश्रेष्ठ मानकों के अनुरूप है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यह 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' में 'प्रौद्योगिकी अभिजात वर्ग' के रूप में महिला सशक्तिकरण को रेखांकित करता है।

5.5.4. केस–21 (HDFC–महिला ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस)–

- **संतुष्टि का स्तर–** निम्न असंतुष्टि।
- **कथन–** 'दिनभर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ केवाईसी और डेटा का मिलान करना पड़ता है। काम में कोई रचनात्मकता नहीं है और तरक्की बहुत धीमी है।'
- **समाजशास्त्रीय विश्लेषण–** यह कार्ल मार्क्स के 'अलगाव' सिद्धांत और नव–टेलरवाद का सटीक उदाहरण है, जहाँ कर्मचारी स्वयं को कॉरपोरेट मशीन का मात्र एक पुर्जा अनुभव करता है।

6. तुलनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं मुख्य निष्कर्ष : सार्वजनिक क्षेत्र (SBI) और निजी क्षेत्र (HDFC)के 21 वैयक्तिक अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों को उजागर करता है:

तुलनात्मक आयाम	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	एचडीएफसी बैंक (HDFC)
संतुष्टि के मूल आधार	नौकरी का स्थायित्व, पेंशन लाभ, सामाजिक सुरक्षा एवं सामुदायिक प्रतिष्ठा।	योग्यता–आधारित त्वरित पदोन्नति, उच्च वित्तीय पैकेज एवं आधुनिक तकनीकी संस्कृति।
असंतोष के प्रमुख कारक	अनियोजित स्थानांतरण, दोहरे प्रशासनिक लक्ष्य एवं ग्रामीण शाखा जोखिम।	आक्रामक बिक्री लक्ष्य, कार्य घंटों की अनिश्चितता (Late Sitting) एवं नौकरी की असुरक्षा।
लैंगिक एवं पारिवारिक प्रभाव	निश्चित समय के कारण पारिवारिक दायित्वों में तुलनात्मक संतुलन।	'दूसरी पाली' और 'समय की कंगाली' का अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव।
श्रम की प्रकृति	संस्थागत सेवा एवं प्रशासनिक दायित्व।	'भावनात्मक श्रम' (Emotional Labor) और ग्राहक–केंद्रित वस्तुकरण।

7. अध्ययन की सीमाएँ : प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन विश्लेषित है:

1. यह अध्ययन केवल उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की चयनित शहरी व उप–शहरी बैंक शाखाओं तक सीमित है। अतः महानगरों या सुदूर ग्रामीण अंचलों की कार्य–दशाओं में भिन्नता हो सकती है।
2. शोध वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आधारित होने के कारण 21 महिला कर्मचारियों के गहन अनुभवों पर केंद्रित है, जिसे एक व्यापक परिमाणात्मक सर्वेक्षण के समकक्ष सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता।
3. अध्ययन में केवल दो प्रमुख बैंकों (SBI एवं HDFC) को ही शामिल किया गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत शोध अध्ययन के समग्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है है कि उदारीकरण के पश्चात् बैंकिंग क्षेत्र के बाजारोन्मुख रूपांतरण ने महिला कर्मचारियों के कार्य और पारिवारिक जीवन में गहन परिवर्तन किए हैं। जहाँ एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अब सेवा की भावना के स्थान पर व्यावसायिक लक्ष्यों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, वहीं इसके परिणामस्वरूप महिला अधिकारियों में व्यावसायिक अस्मिता के संकट और भूमिका संघर्ष की भावना में वृद्धि हुई है। इसके समानांतर, निजी क्षेत्र की महिला कर्मचारी उच्च आर्थिक पैकेज प्राप्त करने के बावजूद अनिश्चित कार्य घंटों, 'दूसरी पाली' के बढ़ते दबाव और समयाभाव के कारण गंभीर पारिवारिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना कर रही है।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि पदानुक्रम और कार्य–संतुष्टि के मध्य गहरा सम्बन्ध है। दोनों ही बैंकिंग क्षेत्रों में पदानुक्रम के शीर्ष स्तरों पर कार्यरत् महिलाओं में, निर्णय लेने की स्वायत्तता और सामाजिक पूंजी के कारण कार्य–संतुष्टि का स्तर सर्वाधिक पाया गया है। इन समस्त संरचनात्मक, संगठनात्मक और कार्य जीवन की चुनौतियों के बावजूद, एक अत्यन्त सकारात्मक पहलू यह उभरकर आता है कि औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के रोजगार ने महिलाओं को सशक्त किया है। आर्थिक स्वावलंबन ने पितृसत्तात्मक संरचनाओं के बीच उन्हें न केवल आत्म–सम्मान और निर्ण लेने की क्षमता प्रदान की है, बल्कि एक सुदृढ़ सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा भी दी है, जो उनके आत्म–पहचान के निर्माण में केन्द्रीय भूमिका निभाती है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के आलोक में निम्नलिखित नीतिगत सुझाव एवं व्यावहारिक अनुशंसाओं का अनुसरण किया जा सकता है

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (विशेषकर SBI) के लिए:

- **संवेदनशील स्थानांतरण नीति–** महिला कर्मचारियों (विशेषकर विवाहित एवं छोटे बच्चों वाली माताओं) के लिए अनियोजित भौगोलिक स्थानांतरण के स्थान पर गृह–जिले या समीपवर्ती क्षेत्रों में पदस्थापन को प्राथमिकता दी जाए।
- **व्यावसायिक बनाम सामाजिक भूमिका में संतुलन–** शाखा प्रबंधकों और क्लर्क स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अनिवार्य गैर–बैंकिंग बिक्री लक्ष्यों के दोहरे प्रशासनिक दबाव को तर्कसंगत बनाया जाए।

निजी क्षेत्र के बैंकों (विशेषकर HDFC) के लिए:

- **कार्य घंटों का मानकीकरण–** अनौपचारिक और अनिश्चित 'लेट सिटिंग' की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा निश्चित कार्य समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- **यथार्थवादी बिक्री लक्ष्य–** रिलेशनशिप प्रबंधकों और सेल्स स्टाफ के लिए अवास्तविक वित्तीय लक्ष्यों के स्थान पर मानवीय व व्यावहारिक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए।
- **संविदात्मक श्रम की सुरक्षा–** थर्ड–पार्टी व अनुबंध पर कार्यरत् महिला फील्ड स्टाफ को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, गरिमापूर्ण कार्य परिवेश और बुनियादी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएँ।

इस तरह दोनों क्षेत्रों की प्रमुख बैंक शाखाओं में कामकाजी माताओं के लिए शिशु गृह (Crèche/Daycare) की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशालाओं का नियमित आयोजन हो।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. Ahmad, S., & Uddin, N. (2012). Job satisfaction of bankers and its impact in banking: A case study of Janatha Bank. ASA University Review, 6(2).
2. Cherif, F. (2020). The role of HRM practices and employee job satisfaction in predicting organizational commitment in Saudi Arabian banking sector. International Journal of Sociology and Social Policy, 40(7/8), 529-541.
3. Goodin, R. E., Rice, J. M., Bittman, M., & Saunders, P. (2005). The time-pressure illusion: Discretionary time vs free time. Social Indicators Research, 73(1), 43-70.
4. Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. The World Publishing Company.
5. Hochschild, A. R. (2012). The managed heart: Commercialization of human feeling. University of California Press.
6. Hochschild, A. R., & Machung, A. (2012). The second shift: Working families and the revolution at home. Penguin Books.
7. Inayat, W., & Khan, M. J. (2021). A study of job satisfaction and its effect on the performance of employees working in private sector organizations, Peshawar. Education Research International, 2021.
8. Jahufer, A. (2014). Determinants of job satisfaction among government and private bank employees in Sri Lanka (Case study: Ampara region). Int. J. Manag. Bus. Res., 5(2), 159-168.
9. Jeet, V., & Sayeeduzzafar. (2014). A study of HRM practices and its impact on employees job satisfaction in private sector banks: A case study of HDFC Bank. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 2(1).
10. Liaj, M., & Khan, A. (2015). The relationship of big five personality traits with job satisfaction among banking employees (A case study of Askari Bank in district Peshawar). General of Applied Environmental and Biological Science, 5(5), 129-138.
11. Marx, K. (1988). Economic and philosophic manuscripts of 1844. Prometheus Books.
12. Neupane, B. (2019). A study on factors influencing the job satisfaction of bank employees in Nepal. NCL Journal, 4(1).
13. Ratnamani. (2016). Job satisfaction among women employees: A comparative study between public and private sector banks in Dehradun, Uttarakhand (Doctoral dissertation, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur).
14. Soni, J. (2017). Job satisfaction: A comparative study of public and private sector bank employees (Doctoral dissertation, Jagannath University).
15. Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. SAGE Publications.
16. Tyagi, J. (2020). A study of quality of work life on job satisfaction and organizational commitment among women employees in private banking sector: A case study of HDFC and ICICI bank in Delhi NCR (Doctoral dissertation, Jagannath University, Jhajjar).
17. Uddin, M. K., & Kabir, M. J. (2015). Satisfaction towards banking profession: A comparative study on male and female executives. IIUC Studies, 12(127).
18. Vicker, R. (2011). Job satisfaction: Meaning, definition, and importance in modern organizations. Journal of Applied Behavioral Science, 22(3), 112-128.
19. Yoganandan, G., & Sathya, C. (2015). Job satisfaction in State Bank of India in Namakkal district. International Journal of Research in Management & Technology (IJRMT), 5(1), 167-173.

=====

आलेख उद्धरित करें :	दीक्षा एवं डॉ. एकता (2026)। भारतीय स्टेट बैंक एवं एचडीएफसी बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि का समाजशास्त्रीय विश्लेषणः आगरा जनपद पर आधारित एक वैयक्तिक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 67–74। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005832

Bundelkhand Journal of Academic Research

निवेशकों के बीच जोखिम की धारणा और निवेश संबंधी फैसलों पर एक अध्ययन

डॉ. संतोष रानी

असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य), वाणिज्य विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झाँसी, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** aman200329@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005885

सारांश

निवेशक जिस तरह से वित्तीय सम्पत्ति चुनते हैं, पैसे का बंटवारा करते हैं और बाजार की अस्थिरता पर प्रतिक्रिया देते हैं, उस जोखिम के बारे में उनकी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। निवेश के फैसले शायद ही कभी सिर्फ उम्मीद के मुताबिक रिटर्न के आधार पर लिए जाते हैंय बल्कि, वे इस बात से भी तय होते हैं कि निवेशक संभावित नुकसान, उतार–चढ़ाव और अनिश्चितता का मानसिक रूप से कैसे आकलन करते हैं। यह लेख जोखिम की धारणा और निवेशक के निवेश फैसलों के बीच संबंध की जांच करता है, जिसमें इन्हें प्रभावित करने वाले व्यवहार संबंधी, जनसांख्यिकी और वित्तीय कारकों पर ध्यान दिया गया है। इस लेख में वित्तीय साक्षरता, उम्र, अनुभव और व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही पहले की गई ऐसी रिसर्च का भी हवाला दिया गया है जो जोखिम की धारणा और निवेश के फैसले लेने के बीच सकारात्मक संबंध दिखाती है। अध्ययन के अनुसार, जिन निवेशकों को जोखिम की बेहतर समझ होती है, उनके समझदारी भरे और अलग–अलग तरह के निवेश के फैसले लेने की संभावना अधिक होती है, लेकिन गलत धारणा वाले लोग या तो फायदेमंद मौकों से बच सकते हैं या बहुत ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि वित्तीय साक्षरता और जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने से निवेश की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और लोगों व परिवारों के लिए बेहतर वित्तीय परिणाम मिल सकते हैं।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 29 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 08 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 14
	मुख्य शब्द:	निवेश धारणा, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय जोखिम, अनिश्चितता, व्यावसायिक।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : व्यक्ति और संस्थाएँ कई तरह के वित्तीय काम करती हैं, जिनमें निवेश सबसे मुख्य है। हालाँकि, हर निवेश में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, भले ही इसमें भविष्य में रिटर्न पाने की उम्मीद में अभी पैसा लगाना शामिल हो। निवेशकों को लगातार यह देखना चाहिए कि क्या निवेश के संभावित जोखिम, उससे मिलने वाले अनुमानित लाभ के हिसाब से सही हैं। इस कारण से, निवेश के फैसले जोखिम को समझने के नजरिए से मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से काफी प्रभावित होते हैं। निवेश के विकल्पों पर विचार करते समय, निवेशक जोखिम को कैसे समझते हैं, इससे वे नुकसान की संभावना, बाजार में अस्थिरता और अनजान प्रभावो का विश्लेषण करते हैं। इसके बजाय, यह व्यक्तिगत मान्यताओं, भावनाओं, अनुभव और शिक्षा से प्रभावित होता है, और हमेशा असल जोखिम जैसा नहीं होता। चूँकि वे किसी सम्पत्ती के जोखिम को अलग–अलग तरह से देखते हैं, इसलिए वित्तीय बाजारों में दो निवेशक एक ही सम्पती का सामना कर सकते हैं लेकिन अलग–अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक निवेशक किसी स्टॉक को जोखिम भरा निवेश मान सकता है, जबकि दूसरा उसे विकास का मौका मान सकता है। ये अंतर एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इक्विटी और अन्य विकल्पों में निवेश करने की इच्छा को प्रभावित करते हैं। रिसर्च के अनुसार, जोखिम सहने की क्षमता, अति–आत्मविश्वास, भेड़–चाल वाली मानसिकता और वित्तीय तनाव–जो संज्ञानात्मक और भावनात्मक कारक हैं– तार्किक विश्लेषण के अलावा निवेश के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए, निवेशकों के निवेश विकल्पों को समझने के लिए उनके जोखिम को समझने के नजरिए को समझना जरूरी है। यह रिसर्च निवेशकों के जोखिम को समझने के नजरिए और निवेश के बारे में उनके विकल्पों के बीच संबंध की जाँच करती है। इसके अलावा, यह पता लगाती है कि वित्तीय साक्षरता और जनसांख्यिकीय कारक इस संबंध को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन इस

आधार पर है कि निवेशक बिना सोचे–समझे फैसले नहीं लेतेय बल्कि, वे जानकारी को अपने मानसिक मॉडल के जरिए फिल्टर करते हैं, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पर काफी असर पड़ता है।

1.1. जोखिम की धारणा की अवधारणाः किसी संभावित नुकसान की गंभीरता और उसकी संभावना के बारे में किसी व्यक्ति की अपनी समझ को 'रिस्क परसेप्शन' (जोखिम के प्रति धारणा) कहा जाता है। यह बताता है कि निवेश के मामलों में कोई निवेशक किसी वित्तीय सम्पत्ति को कितना जोखिम भरा या अनिश्चित मानता है। बाजार की घटनाएं, मीडिया कवरेज, निजी अनुभव, पहले हुआ मुनाफा या नुकसान, और साथियों या वित्तीय सलाहकार की सलाह दृ ये सभी इस धारणा पर असर डाल सकते हैं। इसलिए, यह आधिकारिक जोखिम मूल्यांकन से कहीं ज्यादा व्यापक है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिकल वोलैटिलिटी पर निर्भर करता है। रिस्क परसेप्शन का एक अहम पहलू यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए अलग–अलग होता है। जहां कुछ निवेशक ज्यादा मुनाफे के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, वहीं कुछ निवेशक स्वभाव से ही जोखिम से बचने वाले होते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस के अनुसार, निवेशक हमेशा पूरी तरह से सोच–समझकर और तर्कपूर्ण तरीके से फैसले नहीं लेते हैं। इसके बजाय, अनिश्चितता का आकलन करते समय वे अक्सर 'ह्यूरिस्टिक्स' (अनुभव–आधारित नियम) और भावनात्मक मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। बिहेवियरल बायस (व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह) पर हुई रिसर्च के अनुसार, ओवरकॉन्फिडेंस (अत्यधिक आत्मविश्वास), डिस्पोजिशन इफेक्ट, ब्लू–चिप बायस और हर्डिंग (भीड़–चाल) जैसे कारक इस बात पर असर डाल सकते हैं कि लोग जोखिम को कैसे देखते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अनुभव और जानकारी के साथ रिस्क परसेप्शन भी बदलता रहता है। जिन निवेशकों को बाजार के व्यवहार की गहरी समझ होती है, वे अक्सर लॉन्ग–टर्म रिस्क और शॉर्ट–टर्म वोलैटिलिटी के बीच अंतर कर पाते हैं। इसके विपरीत, कम जानकारी वाले निवेशक बाजार में होने वाले शॉर्ट–टर्म बदलावों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालिया रिसर्च से पता चलता है कि वित्तीय साक्षरता का निवेश के व्यवहार और रिस्क परसेप्शन पर सकारात्मक असर पड़ता हैय इसका मतलब है कि ज्यादा जानकारी रखने वाले निवेशक अवसरों का आकलन करने और भरोसे के साथ कदम उठाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं।

1.2. निवेश निर्णय प्रक्रियाः निवेश का फैसला लेते समय व्यक्तिगत लक्ष्यों, संभावित रिटर्न, जोखिम, लिक्विडिटी और समय–सीमा जैसी बातों पर ध्यान दिया जाता है। आम तौर पर, निवेशकों के पास दो विकल्प होते हैं या तो कम जोखिम वाली संपत्तियां जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड और सरकारी सिक्योरिटीज, या फिर ज्यादा जोखिम वाले निवेश जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव और सेक्टर–स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। फैसला लेने की प्रक्रिया में आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, दोनों तरह के कारकों की भूमिका होती है। हालांकि क्लासिकल फाइनेंस में तर्कसंगत फैसलों को आधार माना जाता है, लेकिन असल दुनिया में निवेशकों का व्यवहार दिखाता है कि वे अक्सर अपनी निजी सोच और भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। फैसला लेने की प्रक्रिया आम तौर पर वित्तीय लक्ष्य तय करने से शुरू होती है। निवेशक कई वजहों से पैसे बचाना या निवेश करना चाह सकता है, जैसे रिटायरमेंट, शिक्षा, संपत्ति बनाना या छोटी अवधि की जरूरतों को पूरा करना। इसके बाद निवेशक संभावनाओं का आकलन करता है और उनके जोखिम और फायदों का अंदाजा लगाता है। इस चरण में जोखिम को समझने का नजरिया (रिस्क परसेप्शन) बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि निवेशक किसी निवेश के साधन को सही मानता है या जोखिम भरा। अगर निवेशक जोखिम का आकलन बहुत ज्यादा करता है, तो हो सकता है कि वह एक फायदेमंद मौके को छोड़ दे। वहीं, अगर जोखिम का आकलन कम किया जाए, तो निवेशक को नुकसान हो सकता है और वह जरूरत से ज्यादा जोखिम उठा सकता है। भारतीय निवेशकों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक, जोखिम को समझने का नजरिया निवेश के विकल्पों पर काफी असर डालता है, खासकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में। इसके अलावा, कर्नाटक में रिटेल निवेशकों पर की गई एक स्टडी में निवेश के व्यवहार और जोखिम को समझने के नजरिए के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध पाया गया। इससे पता चलता है कि जोखिम के बारे में बेहतर जानकारी होने से ज्यादा सक्रिय और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलती है। इसलिए, निवेश के विकल्प सिर्फ मुनाफे पर आधारित नहीं होते, वे जोखिम के बारे में निवेशक के अपने आकलन से भी तय होते हैं।

2. साहित्य समीक्षा : पिछली स्टडीज से पता चला है कि इन्वेस्टमेंट के फैसलों में रिस्क की समझ (Risk Perception) एक अहम हिस्सा है। केरल में इन्वेस्टर्स पर की गई एक स्टडी में म्यूचुअल फंड में रिस्क की समझ और इन्वेस्टमेंट के फैसलों के बीच एक अच्छा संबंध पाया गया। स्टडी से यह भी पता चला कि इन्वेस्टमेंट के फैसलों में रिस्क की समझ ने अहम भूमिका निभाई। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स पर की गई एक और स्टडी में पाया गया कि रिस्क की समझ और रिस्क लेने की क्षमता (appetite) का इन्वेस्टमेंट के विकल्पों पर काफी असर पड़ता हैय जिन लोगों को ज्यादा रिस्क का एहसास होता है, वे ज्यादा रिस्क वाले एसेट्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। हाल की स्टडीज ने व्यवहार से जुड़े पहलुओं (behavioral variables) को ध्यान में रखकर इस जानकारी को और बेहतर बनाया है। एक स्टडी में पाया गया कि इन्वेस्टर के फैसला लेने और व्यवहार से जुड़ी पूर्वाग्रहों (behavioral biases) – खासकर ब्लू–चिप स्टॉक्स को पसंद करने के मामले में– के बीच के संबंध पर रिस्क की समझ का असर पड़ता है। सऊदी इक्विटी मार्केट में बिहेवियरल फाइनेंस पर हुई एक और रिसर्च के अनुसार, ज्यादा आत्मविश्वास (overconfidence) का इन्वेस्टमेंट के फैसलों पर सीधा असर पड़ा, जबकि झुंड में चलने की प्रवृत्ति

(herding behavior), डिस्पोजिशन इफेक्ट और ब्लू–चिप बायस का रिस्क की समझ पर काफी सकारात्मक असर पड़ा। इसका मतलब है कि रिस्क की समझ अकेले नहीं होती, बल्कि यह एक बड़े मनोवैज्ञानिक ढांचे का हिस्सा होती है। एक और अहम पहलू है वित्तीय जागरूकता। 2025 की एक स्टडी के अनुसार, रिस्क की समझ और वित्तीय साक्षरता का निवेश के इरादों पर फायदेमंद असर पड़ा, और निवेश के इरादे से असल निवेश व्यवहार का पता चला। इसके अलावा, कर्नाटक के रिटेल इन्वेस्टर्स पर 2026 की एक स्टडी में पाया गया कि उम्र और वित्तीय साक्षरता का जोखिम की समझ पर काफी असर पड़ा, जबकि जेंडर और एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई असर नहीं पड़ा। ये नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा और जानकारी, अनिश्चितता के बारे में इन्वेस्टर्स की समझ को बेहतर बनाकर इन्वेस्टमेंट के फैसलों की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं।

3. जोखिम की धारणा और निवेश के फैसलों के बीच संबंध : निवेश के फैसलों और जोखिम को समझने के नजरिए के बीच एक जटिल और अक्सर दोतरफा रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए, जो निवेशक ज़्यादा जोखिम को समझते हैं, वे शायद ऐसी संपत्तियों में निवेश न करें जिनमें उतार–चढ़ाव की संभावना हो। हालाँकि, जोखिम की व्यावहारिक समझ से फैसले लेने में ज़्यादा सावधानी बरती जा सकती है और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन (विविधीकरण) किया जा सकता है। जब निवेशकों को पता होता है कि अनिश्चितता को कैसे संभालना है, तो वे बाजार में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकते हैं, इसका मतलब है कि जोखिम का आकलन करने का मतलब सिर्फ सावधानी बरतना नहीं है। कई मामलों में, जोखिम की ज़्यादा समझ होने के कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों जैसे कि फिक्स्ड–इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस–लिंक्ड प्रोडक्ट्स या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड को प्राथमिकता देते हैं। फिर भी, कुछ निवेशक जिनमें जोखिम सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, वे स्टॉक में पैसा लगाना चुन सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि संभावित रिटर्न अनिश्चितता से ज़्यादा है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन निवेशकों को जोखिम की ज़्यादा समझ होती है, उनके रणनीतिक पोर्टफोलियो फैसले लेने और जोखिम प्रबंधन के लिए डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करने की संभावना ज़्यादा होती है। डाइवर्सिफिकेशन अनसिस्टमैटिक रिस्क (अव्यवस्थित जोखिम) के प्रति जोखिम को कम करता है और लंबे समय के मुनाफे में स्थिरता लाता है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, जोखिम की गलत समझ निवेश की गुणवत्ता को कम कर सकती है। जोखिम को कम आंकने से ओवरएक्सपोजर और नुकसान हो सकता है, लेकिन जोखिम को ज़्यादा आंकने से निवेशक संभावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह अक्सर इन गलतियों को और बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, ज़्यादा आत्मविश्वास निवेशकों को चेतावनी के संकेतों (रेड फ्लैग्स) को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि 'हर्डिंग' (भीड़–चाल) उन्हें भीड़ के व्यवहार का पालन करने के लिए मजबूर कर सकती है। इस प्रकार, निवेश की गुणवत्ता न केवल जोखिम की समझ के होने से तय होती है, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वह समझ असलियत से कितनी सटीक रूप से मेल खाती है।

4. जोखिम की धारणा को प्रभावित करने वाले कारक : निवेशकों की जोखिम को लेकर सोच कई चीजों से प्रभावित होती है। इनमें सबसे अहम है फाइनेंशियल लिटरेसी (वित्तीय समझ), क्योंकि यह निवेशकों को संभावनाओं को समझने, अलग–अलग निवेश विकल्पों की तुलना करने और वित्तीय जानकारी को समझने में मदद करती है। आम तौर पर, ज्यादा जानकारी रखने वाले निवेशक निवेश के विकल्पों का आकलन करते समय ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं। हालांकि व्यावहारिक वित्तीय अनुभव से जोखिम का आकलन बेहतर होता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं हो सकती। इसके अलावा, उम्र और अनुभव भी मायने रखते हैं। ज्यादा उम्र या ज्यादा अनुभवी निवेशकों ने बाजार के उतार–चढ़ाव, महंगाई का दबाव और निवेश में नुकसान का अनुभव किया हो सकता है, जो भविष्य में उनके फैसलों को प्रभावित करता है। कर्नाटक की स्टडी से पता चला कि जोखिम को लेकर सोच उम्र से काफी प्रभावित होती है, जिससे पता चलता है कि जीवन के पड़ाव और निवेश का इतिहास अहम कारक हैं। पिछले नतीजों के आधार पर, अनुभव सावधानी बढ़ा सकता है या आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। इसके अलावा, व्यवहार से जुड़ी पूर्वाग्रह भी सोच को प्रभावित करते हैं। 'डिस्पोजिशन इफेक्ट' से प्रभावित लोग नुकसान वाले निवेश को बहुत लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, लेकिन 'हर्डिंग बिहेवियर' (भीड़–चाल) से प्रभावित निवेशक तब कम अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं जब दूसरे लोग खरीदारी कर रहे हों। ज्यादा आत्मविश्वास के कारण निवेशक असल खतरों को नजरअंदाज कर सकते हैं, और 'ब्लू–चिप बायस' उन्हें यह मानने के लिए प्रेरित कर सकता है कि अच्छी तरह से स्थापित कंपनियाँ असल में जितनी सुरक्षित हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। ये मनोवैज्ञानिक झुकाव दिखाते हैं कि जोखिम का आकलन पूरी तरह से तार्किक नहीं होता है।

5. सलाहकारों और निवेशकों के लिए संभावित परिणाम : जोखिम पर हुई रिसर्च के असल दुनिया में बड़े असर होते हैं। लोग अपनी व्यक्तिगत जोखिम–सोच को समझकर एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो बनाने और लंबे समय की वेल्थ प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं। निवेशकों को संभावित मुनाफे के अलावा अनिश्चितता के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी आकलन करना चाहिए। इस तरह, वे ज्यादा सही फैसले ले सकते हैं और बाजार के उतार–चढ़ाव पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बच सकते हैं। सही प्रोडक्ट सुझाने के लिए फाइनेंशियल सलाहकारों के लिए क्लाइंट की जोखिम–सोच को समझना जरूरी है। सलाहकारों को व्यक्ति परक नजरिए और

वस्तुनिष्ठ वित्तीय क्षमता दोनों की जाँच करनी चाहिए क्योंकि क्लाइंट की बताई गई जोखिम सहने की क्षमता दबाव में उनके असल व्यवहार से अलग हो सकती है। निवेशक के लक्ष्य, समय–सीमा और भावनात्मक आराम का स्तर, सभी अच्छे निवेश सुझाव के अनुरूप होने चाहिए। इससे वित्तीय योजनाओं के प्रति समर्पण बेहतर हो सकता है और असंतोष कम हो सकता है। वित्तीय संस्थानों और नीति–निर्माताओं के लिए, ये नतीजे निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों की जरूरत को उजागर करते हैं। लोग वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए कंपाउंड ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, महंगाई के जोखिम और जोखिम व इनाम के बीच संतुलन के बारे में सीख सकते हैं। चूँकि रिसर्च से पता चलता है कि वित्तीय साक्षरता जोखिम के आकलन और निवेश के व्यवहार को बेहतर बनाती है, इसलिए सार्वजनिक शिक्षा बाजार में भागीदारी और वित्तीय भलाई को बेहतर बना सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है है कि निवेशकों के निवेश के फैसलों पर उनके जोखिम को देखने के नजरिए का काफी असर पड़ता है। यह लोगों के निवेश के फैसलों, निवेश के साधनों के चुनाव और बाजार की अनिश्चितता पर उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। अध्ययन के अनुसार, वित्तीय साक्षरता, उम्र, अनुभव और व्यवहार से जुड़ी सोच– ये सभी इस बात पर असर डालते हैं कि जोखिम को देखने का नजरिया निवेश के व्यवहार से कैसे जुड़ा है। जिन लोगों को जोखिम का सही अंदाजा होता है, वे समझदारी से अलग–अलग तरह के निवेश (डाइवर्सिफिकेशन) करते हैं और सोच–समझकर फैसले लेते हैं, जबकि गलत नजरिया रखने वाले लोग या तो मौकों को छोड़ देते हैं या फिर खतरनाक जोखिम उठा लेते हैं। यह स्टडी इस पर भी जोर देती है कि निवेश का व्यवहार सिर्फ समझदारी भरे हिसाब–किताब से तय नहीं होता। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, भीड़–चाल (हर्डिंग) और 'डिस्पोजिशन इफेक्ट' (मुनाफे वाले शेयर जल्दी बेचना और नुकसान वाले शेयर बनाए रखना) जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक कारक निवेशकों के अनिश्चितता को देखने और बाजार में उनके व्यवहार को बदल सकते हैं। इसलिए, बेहतर निवेश फैसले लेने के लिए वित्तीय साक्षरता और व्यवहार के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आम निवेशक असल जिंदगी में निवेशक शिक्षा और अपनी जरूरतों के हिसाब से सलाह देने वाली सेवाओं का इस्तेमाल करके मजबूत और मुश्किल हालात का सामना करने वाले पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कुल मिलाकर, निवेशक अपना पैसा कैसे और कहाँ निवेश करते हैं, यह तय करने में जोखिम को देखने के नजरिए को एक बुनियादी बात माना जाना चाहिए।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. Bhattacharjee, S. (2021). Risk perception in respect of equity shares: A review of investor behaviour and investment decisions. Journal of Financial Studies, 12(3), 45–58.
2. Bairagi, S., & Chakraborty, D. (2022). Influence of risk perception on retail investors' decisionmaking behaviour in the stock market. International Journal of Management and Finance, 14(2), 102–118.
3. Ahmad, R., & Shah, M. (2023). Behavioural biases and investment decision-making among retail investors. Journal of Behavioural Finance, 18(2), 67–82.
4. Kumar, P., & Rani, S. (2023). Financial literacy and risk perception: Evidence from individual investors. International Journal of Financial Research, 15(1), 89–103.
5. Singh, A., & Verma, R. (2024). Demographic factors and risk-taking behaviour in stock market investments. Journal of Investment Management, 20(1), 54–70.
6. Chen, Y., & Lee, H. (2024). Market volatility and investor risk perception: An empirical analysis. Finance and Economics Review, 16(4), 112–128.
7. Yan, Z. (2025). Behavioural factors influencing risk perception and financial decision-making among investors. Journal of Behavioural Economics and Finance, 9(1), 15–30.
8. Rubilar-Torrealba, R. (2025). Risk Perception and Risky Asset Allocation: Evidence from investor behaviour studies. Finance Research Letters, 31, 100–112.
9. Sharma, N., & Gupta, V. (2025). Investor confidence and stock market participation: The moderating role of risk perception. International Journal of Finance and Banking Studies, 11(2), 74– 91.
10. Institute of Chartered Accountants of India. (2024). Background material on GST. ICAI.
11. GST Council. (2024). Goods and Services Tax: Information and resources. Government of India.
12. Ernst & Young. (2024). GST developments and business implications in India. EY.
13. Mediating role of risk perception between behavioral biases and investor's investment decisions. (2022). SAGE.
14. Bansal, A. & Jain, R. (2021). Digital accounting and GST compliance among small businesses. Journal of Accounting and Finance, 15(2), 112–121.

=====

आलेख उद्धरित करें :	रानी, डॉ. संतोष (2026)। निवेशकों के बीच जोखिम की धारणा और निवेश संबंधी फैसलों पर एक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 75–78। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005885

Bundelkhand Journal of Academic Research

सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन

(मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)

छोटेलाल उटावदे

शोधार्थी (समाज कार्य), महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश।

(**Corresponding Author:** braussresearchofficerugc@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005928

सारांश

सतत विकास का मूल उद्देश्य आर्थिक प्रगति के साथ–साथ सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानवाधिकार तथा पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, बेहतर स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इस संदर्भ में बालिकाओं की स्थिति सतत् विकास की सफलता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, डिजिटल संसाधनों, कौशल विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनेक स्तरों पर वंचित रहती हैं। भारत में पिछले दशकों में बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ अभी भी मौजूद हैं। यूनिसेफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की बालिकाएँ बहुआयामी वंचनाओं का अधिक सामना करती हैं। इसी प्रकार बाल विवाह का संबंध गरीबी, ग्रामीण निवास तथा शिक्षा की कमी से भी पाया जाता है। भारत में 20–24 वर्ष आयु की लगभग 23 प्रतिशत युवा महिलाएँ 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह या वैवाहिक संघ में प्रवेश कर चुकी थीं। यह शोध–पत्र गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का विश्लेषण करता है तथा सतत विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बालिकाओं के समग्र विकास के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है, किन्तु शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक संरक्षण और परिवार एवं समुदाय की मानसिकता में परिवर्तन को एकीकृत रूप से लागू करना आवश्यक है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 25 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 08 सितंबर, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 08

मुख्य शब्द: सतत विकास, बालिका, लैंगिक समानता, बाल विवाह, पोषण, स्वास्थ्य।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : सतत विकास वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने की अवधारणा है। इसका संबंध केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि सामाजिक समानता, मानव विकास, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अवसरों के समान वितरण से भी है।

किसी भी देश के सतत विकास का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ बच्चों और विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और विकास के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। बालिकाओं में निवेश का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। गरीबी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बाधा है। गरीब परिवारों में सीमित संसाधनों के कारण कई बार बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं मिलती। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बालिकाओं को घरेलू कार्य, देखभाल, मजदूरी अथवा कम उम्र में विवाह जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के बच्चों को गरीबी, कुपोषण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, बाल विवाह और शिक्षा से संबंधित अनेक वंचनाओं का सामना करना पड़ता है।

अतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन सतत् विकास के व्यापक लक्ष्यों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1.1. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करना।
3. बालिकाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करना।
5. बालिकाओं के सतत एवं समग्र विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य का पूर्वावलोकनः बालिकाओं की स्थिति पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि गरीबी और लैंगिक असमानता एक–दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार (2025–26) कौशल विकास संबंधी विश्लेषणों में निम्न आय एवं अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े परिवारों के लिए कौशल प्रशिक्षण की लागत, प्रशिक्षण केंद्रों तक दूरी तथा रोजगार से प्रशिक्षण को जोड़ने की समस्या को प्रमुख चुनौती माना गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए केवल विद्यालयी शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक एवं रोजगारपरक कौशल से जोड़ना भी आवश्यक है।

यूनिसेफ रिपोर्ट (2024–25) में भारत संबंधी विश्लेषण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाल विवाह शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के अधिकारों को प्रभावित करता है तथा गरीबी के अंतर–पीढ़ीगत चक्र को मजबूत कर सकता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2023–24) में शिक्षा और लैंगिक समानता से संबंधित अनेक संकेतकों के आधार पर भारत की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी–2025) के अनुसार सामाजिक संस्थाएँ जैसे परिवार, विवाह व्यवस्था, उत्तराधिकार प्रणाली तथा सामुदायिक परंपराएँ महिलाओं की निर्णय क्षमता एवं स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से गरीब परिवारों की बालिकाएँ शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाती हैं, जिसके कारण उनके सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5, 2019–21) यह स्पष्ट करता है कि बालिकाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। सर्वेक्षण के अनुसार किशोरियों एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा स्तर तथा निवास क्षेत्र से गहराई से प्रभावित होती है। बालिकाओं में कुपोषण, अल्पपोषण तथा एनीमिया की समस्या विशेष रूप से चिंताजनक पाई गई। एनएफएचएस–5 के अनुसार 6–59 माह आयु वर्ग के बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि 35.5 प्रतिशत, कम वजन 32.1 प्रतिशत तथा क्षीणता 19.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जिनका प्रभाव बालिकाओं पर भी समान रूप से देखा गया। साथ ही बच्चों में एनीमिया की दर 67 प्रतिशत से अधिक रही, जो पोषण सुरक्षा की गंभीर चुनौती को दर्शाती है।

3. शोध प्रविधि : प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पर आधारित है। अध्ययन में बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

3.1. अध्ययन का क्षेत्रः अध्ययन का प्रमुख संदर्भ भारत है तथा आवश्यकता के अनुसार मध्य प्रदेश के पाँच जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की बालिकाओं की परिस्थितियों को विशेष संदर्भ के रूप में लिया गया है।

3.2. शोध की प्रकृतिः अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों प्रत्येक्ष साक्षात्कार, समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इनमें सरकारी रिपोर्ट, नीति आयोग के एसडीजी दस्तावेज, यूनिसेफ रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज, शोध–पत्र, पुस्तकें तथा संबंधित विभागों की योजनाओं से संबंधित सामग्री शामिल है।

4. सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का विश्लेषणः मध्य प्रदेश के सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में बालिकाओं की स्थिति सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाड़ली लक्ष्मी योजना पहल के माध्यम से राज्य की लाखों बालिकाओं को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन और शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे बाल विवाह रोकने और बालिका भण हत्या पर अंकुश लगाने में सहायता मिली है। मध्य प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 33 प्रतिशत से अधिक) लैंगिक एवं बाल–केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटित करती है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत बनाता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात और जेंडर पैरिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। 'सीएम राइज स्कूल' जैसी योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है और टीकाकरण की दर 90 प्रतिशत के पार पहुंच गई है, जिससे बालिका स्वास्थ्य को संबल मिला है। इस तरह बालिकाओं के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार 'लाइफ–साइकिल दृष्टिकोण' (जन्म से लेकर शिक्षा और रोजगार तक) पर

जोर दे रही है। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी–5 (लैंगिक समानता) और एसडीजी–4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) को प्राप्त करने के संदर्भ में राज्य में सकारात्मक सुधार हुए हैं, हालांकि कुछ क्षेत्र अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं।

4.1. सतत् विकास की अवधारणाः सतत विकास को मुख्यतः तीन व्यापक आयामों (आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता) के माध्यम से समझा जा सकता है।

4.1.1. आर्थिक विकासः आर्थिक विकास का आशय ऐसी समावेशी एवं न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें गरीबी को कम करने के साथ–साथ परिवारों को स्थायी आय, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के संदर्भ में आर्थिक विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार की आर्थिक असुरक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा पर पड़ सकता है। अतः बालिकाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, छात्रवृत्ति एवं रोजगारोन्मुख अवसरों का विस्तार तथा परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सतत् आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

4.1.2. सामाजिक विकासः सामाजिक विकास का आशय ऐसे समावेशी समाज के निर्माण से है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त हो। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक विकास का विशेष महत्व है, क्योंकि आर्थिक अभाव के साथ–साथ सामाजिक एवं लैंगिक असमानताएँ भी उनके विकास को प्रभावित करती हैं। इसलिए बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण, सुरक्षित वातावरण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा अपने मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना सतत् सामाजिक विकास की आवश्यक शर्त है।

4.1.3. पर्यावरणीय स्थिरताः इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण से है। बालिकाओं का विकास इन तीनों आयामों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि बालिका शिक्षित होती है तो उसके रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ते हैंय स्वास्थ्य बेहतर होता है। विवाह एवं मातृत्व के निर्णयों में उसकी भागीदारी बढ़ती है और अगली पीढ़ी के मानव विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

5. सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषणः सरकारी योजनाओं ने बालिकाओं की स्थिति में कई सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दिया है।

1. पहला, बालिका शिक्षा के प्रति परिवारों में कुछ हद तक जागरूकता बढ़ी है।
2. दूसरा, छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक भार कम हुआ है।
3. तीसरा, पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने किशोरियों और माताओं के स्वास्थ्य को नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।
4. चौथा, बाल विवाह के विरुद्ध कानून, जागरूकता अभियान और सामुदायिक हस्तक्षेपों से बाल विवाह में दीर्घकालीन कमी आई है। यूनिसेफ के विश्लेषण में भारत में बाल विवाह की व्यापकता 2001 के 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 23 प्रतिशत बताई गई है।
5. पाँचवाँ, सामाजिक सुरक्षा और नकद हस्तांतरण जैसे उपाय गरीब परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा में बनाए रखने तथा बाल विवाह के आर्थिक दबाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

6. योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां : योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद जमीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

1. जानकारी के अभाव के कारण कई परिवारों को सभी पात्र योजनाओं की जानकारी नहीं होती।
2. दस्तावेजी समस्याएँ जैसे जन्म प्रमाण–पत्र, आधार, बैंक खाता, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र और अन्य दस्तावेजों की कमी से लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
3. आर्थिक मजबूरी से गरीब परिवारों में बालिका को विद्यालय भेजने के बजाय घरेलू कार्य अथवा आर्थिक गतिविधियों में लगाने हेतु दबाव हो सकता है।
4. विद्यालय की दूरी के कारण विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की दूरी बालिका शिक्षा में बाधा बन सकती है।
5. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ होने से परिवारों की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बालिकाओं के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में बने रहने को प्रभावित कर सकती हैं।
6. सामाजिक एवं लैंगिक मान्यताएँ भी पितृसत्तात्मक सोच, पुत्र–प्राथमिकता तथा बालिका को परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी समझने जैसी धारणाएँ योजनाओं के प्रभाव को सीमित कर सकती हैं।
7. डिजिटल विभाजन के होने से ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल शिक्षा एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बढ़ते महत्व के बावजूद गरीब परिवारों में स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी बाधा बन सकती है।
8. विभागीय समन्वय की कमी से बालिका का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, सामाजिक न्याय तथा बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है। विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय का अभाव लाभ वितरण को प्रभावित कर सकता है।

7. चर्चा एवं परिचर्चा : अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गरीबी और लैंगिक असमानता बालिकाओं के विकास में परस्पर जुड़े हुए कारक हैं। केवल स्कूल में नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। बालिका को विद्यालय में बनाए रखना, सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किशोरावस्था में पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ देना, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा कौशल एवं रोजगार के अवसर पैदा करना भी आवश्यक है। यूनिसेफ के अनुसार बाल विवाह ग्रामीण और गरीब परिवारों में अधिक जोखिम से जुड़ा है तथा शिक्षा की कमी इसके जोखिम को बढ़ाती है। इसलिए सतत् विकास की दृष्टि से बालिका को केवल 'लाभार्थी' के रूप में नहीं बल्कि मानव पूंजी, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की सक्रिय भागीदार के रूप में देखना आवश्यक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ सतत् विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समूहों में से एक हैं। गरीबी उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, कौशल विकास और सामाजिक भागीदारी के अवसरों को प्रभावित करती है। "गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं का विकास केवल कल्याणकारी कार्यक्रम का विषय नहीं, बल्कि भारत के सतत् विकास, मानव पूंजी निर्माण और सामाजिक न्याय की आधारभूत आवश्यकता है। बालिका की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश से गरीबी के अंतर–पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में सहायता मिलती है।" इसलिए सतत् विकास के लिए आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, कौशल, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण के एकीकृत मॉडल के रूप में लागू किया जाए। गरीब परिवारों की प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वस्थ जीवन, सुरक्षित वातावरण, समान अवसर और सम्मानजनक भविष्य प्राप्त होना ही वास्तविक सतत् विकास की पहचान होगी। प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं की स्थिति में सकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि–

- ❖ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बालिकाओं की विशेष पहचान एवं ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाए।
- ❖ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के ड्रॉपआउट को रोकने के लिए विशेष सहायता दी जाए।
- ❖ गरीब परिवारों के लिए शिक्षा से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्च को कम किया जाए।
- ❖ विद्यालयों में सुरक्षित परिवहन एवं पृथक स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- ❖ किशोरियों के पोषण एवं एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- ❖ बाल विवाह रोकथाम को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
- ❖ बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
- ❖ योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुँचाने के लिए पंचायत एवं समुदाय आधारित अभियान चलाए जाएँ।
- ❖ सभी संबंधित विभागों के बीच अभिसरण मॉडल को मजबूत किया जाए।
- ❖ योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं, बल्कि शिक्षा जारी रखने, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार और निर्णय क्षमता जैसे परिणामों से किया जाए।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. कौल, रेखा (2001). प्राथमिक शिक्षा तक पहुँचः कक्षा से आगे की दृष्टि। सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. ड्रेज, ज्याँ एवं किंगडन, गीता (2001). ग्रामीण भारत में विद्यालयी सहभागिता, विकास अर्थशास्त्र समीक्षा, खंड–5, अंक–1, ब्लैकवेल पब्लिशर्स लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम।
3. तिलक, जे.बी.जी. (2002). शिक्षा और गरीबी, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, 38(2)।
4. रानी, गीता गांधी किंगडन (2005). गरीब परिवारों की बालिकाओं की शैक्षिक पहुँच के संदर्भ में निजी एवं सरकारी स्कूली शिक्षा। इकनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली, खंड–40, नई दिल्ली।
5. मेहरोत्रा, संतोष (2006). रिफॉर्मिंग एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. गुप्ता, रेखा (2006). काम की अस्वास्थ्यकर दशाएँ एवं असंगठित कामगार। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू, डॉ. अम्बेडकर नगर (म.प्र.) (2006)
7. सफाया, आर. एन. (2005). आधुनिक शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध, धनपत राय पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
8. सिंह, योगेन्द्र (2004). भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स।

=====

आलेख उद्धरित करें :	उटावदे, छोटेलाल (2026)। सतत विकास में बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन (मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापक परिवारों की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 79–82। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005928

Bundelkhand Journal of Academic Research

पर्यटन का स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना पर प्रभाव : आगरा महानगर के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

कृपान्ती लोधी[1], डॉ. एकता[2]

1. **शोधार्थिनी (समाजशास्त्र),** समाजशास्त्र विभाग, बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** समाजशास्त्र विभाग, बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** unity2520@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23016581

सारांश

उत्तर–आधुनिक समाज में पर्यटन केवल एक भौगोलिक विस्थापन नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्गठन की एक अत्यंत जटिल और द्वंदात्मक परिघटना है। विश्व धरोहरों के केंद्र 'आगरा महानगर' के विशेष संदर्भ में, यह शोध पत्र पर्यटन और स्थानीय सामाजिक संरचना के मध्य अंतर्निहित अंतर्विरोधों का सूक्ष्म समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक ओर पर्यटन वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के माध्यम से सामाजिक समावेशिता तथा महिला सशक्तिकरण (विशेषकर पच्चीकारी और जरदोजी से जुड़ी महिला कारीगरों के संदर्भ में) को उत्प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर, नव–उदारवादी बाजार व्यवस्था के दबाव में यह सांस्कृतिक व्यवसायीकरण, 'मंचित मौलिकता' और पारंपरिक मूल्यों के विघटन जैसी गंभीर चुनौतियों को जन्म देता है। टैल्कॉट पार्सन्स के संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी 'अलगाव' के सिद्धांत और नारीवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि आगरा में अनियंत्रित 'मास टूरिज्म' स्थानीय कारीगरों के आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक क्षरण का कारण बन रहा है। निष्कर्षतः यह आलेख समुदाय–आधारित पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण के मध्य एक समतामूलक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 30 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 09 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 11
मुख्य शब्द:	पर्यटन, सांस्कृतिक व्यवसायीकरण, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, आर्थिक रिसाव, आगरा।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में यात्राओं और देशाटन का सदैव एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रहा है, परंतु समकालीन वैश्वीकरण के दौर में पर्यटन का स्वरूप आमूल–चूल रूप से परिवर्तित हो चुका है। आधुनिक समाजशास्त्रीय विमर्श में, पर्यटन अब केवल विश्राम या मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी सामाजिक संस्था का रूप धारण कर चुका है। उपभोक्तावादी संस्कृति और पूंजीवादी बाजारवाद के अप्रत्याशित प्रसार ने पारंपरिक तीर्थाटन या सांस्कृतिक यात्राओं को 'मास टूरिज्म' के एक आक्रामक वैश्विक उद्योग में तब्दील कर दिया है। यह उद्योग एक ओर जहाँ विभिन्न सभ्यताओं और समाजों के मध्य जीवंत संवाद का एक सशक्त सेतु है, वहीं दूसरी ओर यह स्थानीय सांस्कृतिक अस्मिता और स्वायत्तता के समक्ष एक गंभीर अस्तित्वगत संकट भी प्रस्तुत कर रहा है।

भारत जैसे बहुलवादी और सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन की जब भी विवेचना होती है, तो 'आगरा' महानगर का नाम वैश्विक पटल पर सर्वोपरि आता है। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों की उपस्थिति ने आगरा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का एक विशाल केंद्र बना दिया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार, पर्यटन मूलतः सामाजिक समानता, समावेशिता और व्यापक जन–कल्याण की भावना पर आधारित एक लोकतांत्रिक संस्था होनी चाहिए। एक न्यायपूर्ण पर्यटन व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि इसके आर्थिक व सामाजिक लाभों का संकेन्द्रण केवल बाह्य कॉरपोरेट शक्तियों तक सीमित न रहे, अपितु इसका समतामूलक वितरण आगरा के ताजगंज, पुरानी मंडी और किनारी बाजार जैसे क्षेत्रों में रहने वाले अनौपचारिक श्रमिकों, शिल्पकारों और हाशिए पर स्थित वर्गों तक भी अनिवार्य रूप से हो।

वैश्वीकरण के वर्तमान युग में, हम आगरा में 'ग्लोकलाइजेशन' (वैश्विक और स्थानीय का अंतर्संबंध) की एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया देखते हैं। ग्लोकलाइजेशन की इस आंधी में स्थानीय मुगलकालीन कलाओं, हस्तशिल्प और

लोक–परंपराओं को उनके विशुद्ध स्वरूप में संरक्षित रखने के बजाय, उन्हें अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की उपभोगवादी अपेक्षाओं के अनुरूप लगातार अनुकूलित या 'री–पैकेज' किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन आगरा की सूक्ष्म सामाजिक संस्थाओं–विशेषकर परिवार, नातेदारी और लैंगिक भूमिकाओं को भी गहरे स्तर पर पुनर्गठित कर रहा है। पर्यटन से जुड़े अनौपचारिक क्षेत्रों (जैसे होमस्टे, हस्तशिल्प और खुदरा व्यापार) में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती दी है, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन है। जब किसी ऐतिहासिक शहर में पर्यटन का इतना तीव्र और बाजारीकृत विकास होता है, तो वह वहाँ के निवासियों की जीवनशैली, मूल्यों और सामाजिक संबंधों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक–दोनों ही रूपों में गहराई से प्रभावित करता है। अतः इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य आगरा महानगर की इसी द्वंद्वात्मक और बहुआयामी प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सूक्ष्म विश्लेषण करना है, ताकि पर्यटन के आर्थिक विकास और स्थानीय सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के मध्य एक स्थायी संतुलन स्थापित किया जा सके।

1.1. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- ❖ विश्व धरोहर नगरी आगरा में 'मास टूरिज्म' के निरंतर विस्तार के कारण स्थानीय समुदाय (विशेषकर शिल्पकार वर्ग) की संस्कृति में आने वाले आंतरिक संरचनात्मक परिवर्तनों तथा उनके दैनिक सामाजिक व्यवहार में होने वाले व्यावहारिक बदलावों का सूक्ष्म–समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
- ❖ आगरा में पर्यटन जनित नव–उदारवादी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, स्थानीय समाज के विभिन्न समूहों, मौलिक सामाजिक संस्थाओं (जैसे परिवार एवं विवाह) तथा विशेष रूप से 'लैंगिक भूमिकाओं' और नातेदारी के बदलते प्रतिमानों का गहन विश्लेषण करना।
- ❖ आगरा में पर्यटन से उत्पन्न होने वाले सकारात्मक पक्षों तथा नकारात्मक पक्षों के मध्य एक समतामूलक और व्यावहारिक संतुलन स्थापित करने हेतु समाजशास्त्रीय उपायों की खोज करना।

2. शोध साहित्य की समीक्षा : पर्यटन के बहुआयामी सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभावों को गहराई से समझने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय (आगरा के विशेष संदर्भ में) समकालीन साहित्य की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समाजशास्त्रीय विमर्श में, पर्यटन केवल एक आर्थिक गतिविधि न रहकर स्थानीय समुदायों के अस्तित्व और उनकी सांस्कृतिक पहचान को विखंडित या संरक्षित करने वाला एक अत्यंत सशक्त कारक बन चुका है।

अमागोलो और चिगुवी (2023) ने अपने शोध पत्र 'फैक्टर्स एंड चैलेंजेस अफेक्टिंग द टूरिज्म सेक्टर' में विकासशील देशों के पर्यटन क्षेत्र का एक गहन समाजशास्त्रीय और आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि पर्यटन क्षेत्र का विकास केवल बाह्य पर्यटकों के आगमन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तभी सफल होता है जब स्थानीय नागरिकों की इसमें सक्रिय और समतामूलक भागीदारी हो। आगरा महानगर के संदर्भ में यह अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटकों के आगमन के बावजूद, ताजगंज और आस–पास के क्षेत्रों के आम निवासियों की मुख्यधारा के पर्यटन उद्योग में भागीदारी अत्यंत सीमित और हाशिए पर है। यह दर्शाता है कि जब तक पर्यटन नीतियों में स्थानीय समुदाय को सशक्त रूप से एकीकृत नहीं किया जाता, तब तक इसके दूरगामी सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते।

अनस (2024) ने इंडोनेशिया के सुंबावा जिले का अध्ययन करते हुए 'लीवरेजिंग लोकल विजडम एज सोशल कैपिटल फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म' में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराएँ पर्यटन के सतत विकास के लिए 'सामाजिक पूंजी' के रूप में कार्य करती हैं। आगरा के परिप्रेक्ष्य में, पीढ़ियों से चली आ रही मुगलकालीन 'पच्चीकारी' और 'जरदोजी' की हस्तशिल्प कलाएँ आगरा की अमूल्य 'सामाजिक पूंजी' हैं। यद्यपि इन कलाओं में सामुदायिक सशक्तिकरण की अपार क्षमता है, तथापि मध्यस्थों के वर्चस्व और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण इस सामाजिक पूंजी का पूर्ण और न्यायपूर्ण दोहन स्थानीय शिल्पकारों के पक्ष में नहीं हो पाता है।

भारतीय पर्यटन के एक अन्य महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक पक्ष को जायसवाल और राव (2024) ने 'इकोनॉमिक लीकेज इन द इंडियन टूरिज्म सेक्टरः ए केस फॉर इन्क्लूसिव सप्लाई चेन्स' में रेखांकित किया है। उन्होंने 'आर्थिक रिसाव' की अवधारणा का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया है कि भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों द्वारा खर्च किए गए धन का लगभग 40–50 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय अर्थव्यवस्था में रुकने के बजाय बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट होटलों और बाहरी एजेंसियों के पास चला जाता है। आगरा के पर्यटन उद्योग में यह आर्थिक रिसाव अत्यंत स्पष्ट है, जहाँ बड़े सितारा होटलों का वर्चस्व है और अनौपचारिक पर्यटन श्रमिक (जैसे गाइड, फेरीवाले और छोटे शिल्पकार) आर्थिक तंगी और शोषण का सामना करते हैं।

सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वंद्वात्मक पक्ष को उजागर करते हुए शाह लाल मोहम्मद (2016) ने 'पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन कल्चर' में यह तर्क दिया है कि बाहरी संस्कृतियों के निरंतर संपर्क से स्थानीय

मूल्यों में होने वाले व्यावहारिक बदलावों को केवल श्वेत–श्याम (सकारात्मक या नकारात्मक) रूप में नहीं मापा जा सकता। इसके मूल्यांकन के लिए एक बहुआयामी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

2.1. शोध अंतरालः यद्यपि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के वृहद–आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर पर्याप्त शोध किए गए हैं, तथापि आगरा शहर के ऐतिहासिक स्मारकों से इतर, वहाँ के स्थानीय निवासियों–विशेषकर पर्यटन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित अनौपचारिक श्रमिकों, महिला कारीगरों और हस्तशिल्पियों–की सूक्ष्म सामाजिक संस्थाओं में हो रहे रोजमर्रा के बदलावों पर समाजशास्त्रीय शोध का नितांत अभाव है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी अकादमिक अंतराल को भरने का एक तार्किक प्रयास करता है।

3. शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति मूलतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। आगरा शहर में पर्यटन और सामाजिक संरचना के मध्य अंतर्निहित जटिलताओं को समझने तथा अध्ययन के उद्देश्यों की वैज्ञानिक पूर्ति हेतु, यह शोध पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। तथ्य संकलन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं, प्रकाशित अकादमिक लेखों और पर्यटन से संबंधित प्रामाणिक रिपोर्ट्स को आधार बनाया गया है। इस अध्ययन में गुणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग करते हुए एकत्रित साहित्य का गहन विषयगत विश्लेषण किया गया है।

4. आगरा के पर्यटन पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण : पर्यटन जैसी बहुआयामी परिघटना को सतही आर्थिक आँकड़ों के परे जाकर गहराई से समझने के लिए, इसे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना अनिवार्य है।

4.1. संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण (AGIL प्रतिमान): प्रसिद्ध समाजशास्त्री टैल्कॉट पार्सन्स के संरचनात्मक–कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार, समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसके विभिन्न अंग इसके संतुलन को बनाए रखते हैं। पार्सन्स के 'AGIL मॉडल' के दृष्टिकोण से देखने पर, पर्यटन आगरा के पारंपरिक समाज को वैश्वीकरण के तीव्र परिवर्तनों के प्रति 'अनुकूलन' करना सिखाता है।

यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्कृतियों के साथ आगरा के स्थानीय निवासियों के 'एकीकरण' को सुदृढ़ करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन ही वह प्रमुख प्रेरक बल है जिसके कारण आगरा की विलुप्त होती मुगलकालीन कलाओं (जैसे पच्चीकारी और जरदोजी) को वर्तमान बाजार व्यवस्था में 'बनाए रखने' में अप्रत्यक्ष मदद मिली है।

4.2. मार्क्सवादी दृष्टिकोण : अलगाव और आर्थिक रिसावः कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित यह परिप्रेक्ष्य आगरा के पर्यटन को शक्ति संबंधों और संसाधनों के असमान वितरण के संदर्भ में विश्लेषित करता है। यह परिप्रेक्ष्य आगरा के पर्यटन उद्योग में व्याप्त गहरे अंतर्विरोधों को उजागर करता है। जायसवाल और राव (2024) की 'आर्थिक रिसाव' की अवधारणा यहाँ पूरी तरह चरितार्थ होती है।

आगरा में पर्यटकों (विशेषकर विदेशी पर्यटकों) द्वारा किया गया अधिकांश खर्च फतेहाबाद रोड स्थित बड़े बहुराष्ट्रीय होटलों और ट्रैवल एजेंसियों में सिमट जाता है, जबकि ताजगंज और पुरानी मंडी की तंग गलियों में मार्बल का सूक्ष्म काम करने वाले वास्तविक कारीगर शोषण का शिकार होते हैं।

मध्यस्थों और कमीशनखोरों के वर्चस्व के कारण कारीगर स्वयं अपनी ही कला और संस्कृति से 'अलगाव' महसूस करते हैं। उनकी पीढ़ियों पुरानी कला अब उनके स्वयं के आत्मिक संतोष या सांस्कृतिक गौरव के लिए नहीं, बल्कि बाहरी पूंजीपतियों के मुनाफे और पर्यटकों के उपभोग की एक 'वस्तु' मात्र बनकर रह गई है।

4.3. आगरा की सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तनः पर्यटन केवल एक बाह्य आर्थिक परिघटना नहीं है, बल्कि यह आगरा के स्थानीय समाज के आंतरिक ताने–बाने और उसकी मौलिक सामाजिक संस्थाओं को पुनर्गठित करने वाली एक अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है।

4.4. लैंगिक भूमिकाओं में गतिशीलताः पर्यटन उद्योग ने आगरा में महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए, यद्यपि अनौपचारिक, अवसर सृजित किए हैं। पेठा उद्योग की पैकेजिंग, जरदोजी की बारीक कढ़ाई, और हाल ही में 'होमस्टे' के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। यह नवीन आर्थिक आत्मनिर्भरता आगरा के पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढाँचे को तार्किक रूप से चुनौती देती है। इसके परिणामस्वरूप, पारिवारिक निर्णय–प्रक्रिया में महिलाओं की सौदेबाजी की क्षमता (Bargaining Power) मजबूत हुई है, जो समाज में लैंगिक समानता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है।

4.5. पारिवारिक संरचना का पुनर्गठनः ऐतिहासिक रूप से आगरा के पुराने शहर में संयुक्त परिवार प्रणाली हस्तशिल्प उत्पादन का मुख्य आधार रही है। परंतु, पर्यटन के विस्तार ने टूर–गाइड, फोटोग्राफी, और हैंडीक्राफ्ट की स्वतंत्र दुकानों जैसे आजीविका के नए और वैयक्तिक स्रोत उत्पन्न किए हैं। जब युवा पीढ़ी इन स्वतंत्र व्यवसायों में संलग्न होती है, तो उनकी संयुक्त परिवार पर पारंपरिक आर्थिक निर्भरता कम होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप, आगरा के समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन और एकल परिवारों का तेजी से विकास हो रहा है।

4.6. अनौपचारिक पर्यटन श्रमिक और पीढ़ीगत संघर्षः आगरा में टूर–गाइडों, फेरीवालों, वाहन चालकों और अनौपचारिक मध्यस्थों का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर आश्रित है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े इन युवाओं

की त्वरित आर्थिक स्वतंत्रता के कारण पारंपरिक सत्ता, जो पूर्व में परिवार के बुजुर्गों के पास हुआ करती थी, अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र युवाओं के पास स्थानांतरित हो रही है। इस सत्ता–हस्तांतरण से आगरा के परिवारों और समाज में एक नया पीढ़ीगत वैचारिक संघर्ष जन्म ले रहा है। इसके साथ ही, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक सामुदायिक एकजुटता में शिथिलता आ रही है और सामाजिक संबंधों का तेजी से 'औपचारिकरण' हो रहा है।

5. आगरा पर पर्यटन के सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव; एक द्वंदात्मक परिप्रेक्ष्य : पर्यटन एक अत्यंत गतिशील और द्वंदात्मक प्रक्रिया है, जिसके दोनों प्रकार के परिणाम आगरा के स्थानीय समाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं:

5.1. सकारात्मक प्रभाव (Positive Impacts):

- **मुगलकालीन लोक कला तथा हस्तशिल्प का संरक्षण–** आगरा में पच्चीकारी, जरदोजी और चर्म–शिल्प का अस्तित्व आज मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की माँग के कारण ही सुरक्षित है। पर्यटक जब इन हस्तनिर्मित वस्तुओं को खरीदते हैं, तो इससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार प्राप्त होता है और विलुप्त होती कलाओं को नवजीवन मिलता है।
- **सांस्कृतिक बहुलवाद–** आगरा के नागरिक प्रतिदिन विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों के संपर्क में आते हैं। इस निरंतर सांस्कृतिक अंतक्रिया (Cultural Interaction) ने शहर में एक बहुसांस्कृतिक और सहिष्णु वातावरण का निर्माण किया है, जो सामाजिक जड़ता को तोड़ता है।
- **ढांचागत विकास–** 'ताज ट्रेपेजियम जोन' (TTZ) और पर्यटन के दबाव के कारण ही आगरा में पर्यावरण संरक्षण, बेहतर परिवहन (एक्सप्रेस–वे, मेट्रो) और नागरिक सुविधाओं का जो तीव्र विकास हुआ है, उसका अप्रत्यक्ष लाभ स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी मिल रहा है।

5.1. नकारात्मक प्रभाव एवं स्थानीय अस्मिता का अस्तित्वगत संकट: यद्यपि पर्यटन समावेशिता को बढ़ावा देता है, तथापि नव–उदारवादी पर्यटन नीतियों ने आगरा की स्थानीय अस्मिता और सांस्कृतिक मौलिकता के समक्ष एक गहरा अस्तित्वगत संकट खड़ा कर दिया है:

- **सांस्कृतिक व्यवसायीकरण (Cultural Commodification)–** आगरा में स्थानीय संस्कृति तेजी से एक 'बिकाऊ वस्तु' में बदल रही है। बड़े एम्पोरियम और बाजारों में मुगलकालीन इतिहास, कला और वास्तुकला को केवल एक व्यावसायिक उत्पाद बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे इसकी ऐतिहासिक गरिमा और पवित्रता का क्षरण हो रहा है।
- **'मंचित मौलिकता' का निर्माण–** समाजशास्त्री डीन मैककैनेल की अवधारणा 'स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी' आगरा में पूर्णतः चरितार्थ होती है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय संस्कृति का एक कृत्रिम या 'मंचित' स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। असली कारीगर ताजगंज की तंग और अभावग्रस्त गलियों में काम करते हैं, जबकि मुख्य मार्गों पर जो भव्यता दिखाई जाती है, वह केवल 'पर्यटक दृष्टि' को भुनाने का एक भ्रम है।
- **सांस्कृतिक अलगाव–** वैश्वीकरण और अति–पर्यटन के कारण आगरा के स्थानीय निवासियों का अपने ही ऐतिहासिक स्मारकों से अलगाव हो गया है। टिकटों की उच्च दरें, वीआईपी संस्कृति और भारी भीड़ के कारण आगरा का आम नागरिक अब ताजमहल या आगरा किले से वह भावनात्मक और सामुदायिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता, जो कुछ दशकों पूर्व हुआ करता था।
- **प्रदर्शन प्रभाव–** पर्यटकों की उच्च, उपभोक्तावादी और स्वच्छंद जीवनशैली को देखकर आगरा के स्थानीय युवाओं में 'डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट' तेजी से फैलता है। वे अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को दरकिनार कर पश्चिमी जीवनशैली का अंधानुकरण करने लगते हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच वैचारिक अंतर बढ़ता है और स्थानीय मूल्यों का ह्रास होता है।

6. नीतिगत एवं समाजशास्त्रीय सुझाव : यद्यपि पर्यटन आगरा की आर्थिक जीवनरेखा है, तथापि अपनी स्थानीय परंपराओं को उनके विशुद्ध रूप में जीवित रखना भी प्राथमिक दायित्व है। इसके लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

- **समुदाय–आधारित पर्यटन–** आगरा में 'हेरिटेज वॉक' (Heritage Walks) जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसका सीधा संचालन पुराने शहर (जैसे किनारी बाजार, रावतपाड़ा) और ताजगंज के स्थानीय निवासियों द्वारा हो। इससे पर्यटन का विकेंद्रीकरण होगा और आर्थिक लाभ सीधे निचले स्तर तक पहुँचेगा।
- **आर्थिक रिसाव पर नियंत्रण–** पच्चीकारी और जरदोजी के कारीगरों को मध्यस्थों के शोषण से मुक्त कराकर, पर्यटकों से उनके सीधे संवाद के लिए स्थानीय सहकारी समितियाँ बनाई जानी चाहिए।
- **वहन क्षमता का प्रबंधन–** मैत्रा और जैन (2024) के सुझावों के अनुरूप, अति–पर्यटन को रोकने के लिए 'डिजिटल क्राउडिंग मैनेजमेंट' का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि स्मारकों और शहर के बुनियादी ढाँचे पर अनावश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक दबाव न पड़े।

निष्कर्ष : समग्र समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि पर्यटन, आगरा महानगर की स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना पर अत्यंत गहरा, परिवर्तनकारी और द्वंद्वात्मक प्रभाव डालता है। एक ओर, यह आगरा के वैश्विक हस्तशिल्प को संरक्षित कर रहा है, महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें पितृसत्तात्मक बंधनों से मुक्त कर रहा है और ढांचागत विकास को उत्प्रेरित कर रहा है। परंतु दूसरी ओर, अपने आक्रामक बाजारवादी स्वरूप के कारण यह स्थानीय कारीगरों के आर्थिक शोषण, 'मंचित मौलिकता' के निर्माण और गहरे सांस्कृतिक अलगाव जैसी गंभीर सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न कर रहा है।

अतः यह नितांत आवश्यक है कि आगरा में पर्यटन का विकास केवल स्मारकों और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट होटलों के इर्द–गिर्द केंद्रित न होकर, स्थानीय समुदाय (विशेषकर अनौपचारिक पर्यटन श्रमिकों और शिल्पकारों) के कल्याण, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण को केंद्र में रखकर किया जाए। पर्यटन विकास की नीतियाँ जब तक समतामूलक और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित नहीं होंगी, तब तक आगरा की वास्तविक और जीवंत सांस्कृतिक अस्मिता को वैश्वीकरण के प्रभावों से सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा।

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष न केवल अकादमिक विमर्श के लिए प्रासंगिक हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, आगरा विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन के लिए भावी नीति–निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश का कार्य भी कर सकते हैं। इन समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टियों और सुझावों को अपनी पर्यटन नीतियां में एकीकृत करके, प्रशासन एक ऐसा 'समावेशी पर्यटन मॉडल' विकसित कर सकता है, जो आर्थिक विकास के साथ–साथ आगरा की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय शिल्पकारों के अधिकारों को भी दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करे।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. Alaimo, L. S., et al. (2026). The impact of greenwashing on local economies and tourism. Journal of Sustainable Tourism, 34(1), 45-62.
2. Amagolo, A. G., & Chiguvi, D. (2023). Factors and challenges affecting the tourism sector: An in-depth analysis of Botswana's tourism. Expert Journal of Marketing, 11(2), 118-135.
3. Anas, M. (2024). Leveraging local wisdom as social capital for sustainable tourism: A case study of the Ponan tradition in Poto Village, Sumbawa, Indonesia. Tourism Spectrum: Diversity and Dynamics, 1(2). https://doi.org/10.56578/Tsdd010204
4. Cohen, E. (1984). The sociology of tourism: Approaches, issues, and findings. Annual Review of Sociology, 10, 373-392.
5. Jaiswal, P., & Rao, K. (2024). Economic leakage in the Indian tourism sector: A case for inclusive supply chains. Asian Journal of Tourism Research, 12(3), 210-228.
6. MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79(3), 589-603.
7. Maitra, S., & Jain, R. (2024). Digital crowding management and the carrying capacity of heritage sites in India. Heritage Tourism & Conservation, 8(4), 112-130.
8. Mohammad, S. (2016). Positive and negative impacts of tourism on culture: A critical review of examples from the contemporary literature. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 20, 30-34.
9. Richards, G. (2025). Cultural tourism: An integrative review. Tourism Studies, 25(1), 15-32.
10. भाटिया, ए.के. (2019). पर्यटन विकास एवं प्रबंधन, स्टर्लिंग पब्लिशर्स।
11. सिंह, योगेन्द्र (2004). भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स।

=====

आलेख उद्धरित करें :	लोधी, कृपान्ती एवं डॉ. एकता (2026)। पर्यटन का स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना पर प्रभाव : आगरा महानगर के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 83–87। https://doi.org/10.5281/zenodo.23016581

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाएं

डॉ. रीतेश कुमार खरे

असिस्टेंट प्रोफेसर (जन्तु विज्ञान), जन्तु विज्ञान विभाग, रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय ललितपुर, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** rkkbwr@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23016701

सारांश

पर्यावरण शब्द परि (चारों ओर का) तथा आवरण (ढका हुआ) शब्द से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द में प्रकृति के विभिन्न घटको जैसे वायु, जल, मृदा एवं जीवधारियों आदि को सम्मिलित किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। इसमें मानव के सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण को अति आवश्यक माना गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक काल से ही मानव को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया है। ऋग्वेद काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित रही है। प्राचीन साहित्य में सदा ही सत्य, अनुशासन, विनम्रता, आत्मनिर्भरता और सभी के सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है। वेदों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की श्रेष्ठता है। प्रस्तुत लेख में पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के लिए परंपरागत रूप से चली आ रही भारतीय ज्ञान परंपरा की विवेचना की गई है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 30 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 09 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 11
मुख्य शब्द:	पर्यावरण संरक्षण, भारतीय ज्ञान परम्परा, ज्ञान–विज्ञान, सतत विकास।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : पारंपरिक ज्ञान, जिसे स्वदेशी ज्ञान भी कहते हैं। पारंपरिक ज्ञान का मतलब आम तौर पर उन ज्ञान प्रणाली से होता है जो किसी इलाके या समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत तरीके, रिवाज, परंपरा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण भोजन की उपलब्धता और सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान परंपरा का अध्ययन, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत अलग–अलग तरह के ज्ञान, परंपरा और संस्कृति की धरती है, जिससे हम अपने पुराने ज्ञान के समय के बारे में जान सकते हैं। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, औषधीय पौधों वगैरह के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, जिसका इस्तेमाल करके हम एक बार फिर 'विश्व गुरु' बन सकते हैं। भारत के पास समृद्ध ज्ञान और संस्कृति है, इससे भारत के पारंपरिक तरीकों की सही जानकारी मिलेगी और इन्हें विकसित किया जा सकता है और यह पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि ज्ञान की ये शिक्षाएँ भविष्य में उन्हें कैसे जानकारी दे सकती हैं और उनका फायदा उठा सकती हैं। पारंपरिक ज्ञान ज्यादातर स्थानीय समुदायों की पहचान का अहम हिस्सा है। यह किसी समुदाय के सामाजिक और भौतिक माहौल का मुख्य हिस्सा है और इसलिए इसका बचाव सबसे जरूरी है।

2. भारतीय ज्ञान परंपरा एवं पर्यावरण संरक्षण : पुराने समय के ऋषियों ने हिमालय के इलाकों या भारत के जंगलों में उगने वाले औषधीय पौधों के इस्तेमाल के बारे में बताया है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें औषधीय पौधों और खाने की चीजों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अलग–अलग जड़ी–बूटियों के अलग–अलग इस्तेमाल बताए गए हैं। आयुर्वेद, जो भारत की औषधीय कला है, भारत के लंबे समय से विकसित हो रहे पारंपरिक ज्ञान का एक नतीजा है। वैदिक युग (1500 से 500 ईशा पूर्व) के साहित्य में प्रकृति पूजा को महत्व दिया गया है। वेद की शुरुआत प्रकृति के देवताओं की पूजा से होती है। इसमें पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, वरुण आदि की उपासना की गई है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक काल के ऋषियों को प्रकृति की उपयोगिता का पूरा ज्ञान था। वैदिक युग के सबसे प्रमुख ग्रंथ चार वेद हैं जिन्हें हम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। वेदों के मंत्रों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के स्पष्ट संदेश दिए गए हैं।

वेद का अर्थ ज्ञान होता है वेदों में पर्यावरण से सम्बन्धित अधिकतम ऋचाएँ यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में भी पर्यावरण से सम्बन्धित ऋचाएँ उपलब्ध है। वेदों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मनुष्य

और प्रकृति को एक दूसरे से संबद्ध माना गया है। वेदों में जल, हवा, वायु और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों के बारे में भी बताया गया है। वेदों के अलावा इस युग में लिखे गए अन्य प्रमुख ग्रंथ ब्राह्मण, वेदांग, त्रिपिटक, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, राजतरंगिणी आदि हैं।

ऋग्वेद में प्रकृति का उल्लेख किया गया है और इसमें पृथ्वी, वायु, जल और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है है। ऋग्वेद में वृक्षों को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में समझा गया है जो हमें ऑक्सीजन प्राण वायु प्रदान करते है। ऋग्वेद में पर्यावरण संरक्षण पर एक श्लोक हैं–

यत्किं च दृश्यते तत्सर्वं जगदेकं देवेश्वरैः।

एतस्माद्विरजं विश्वं परितः पश्यते नरः॥

अर्थात् प्रकृति के समस्त तत्व देवताओं द्वारा निर्मित हुए हैं और सभी मनुष्य इसे देखते हैं।

इसी प्रकार एक अन्य श्लोक है–

यतो विश्वं भुवनानि सज्जन्ते स्वभावेन नित्यमस्ति यत्र।

तत्र सत्यं न विज्ञायते कश्चित् राजा तं देवमभिमन्यते॥

अर्थात् वह स्थान जहां सभी भूत एवं भविष्य के समस्त सृष्टि कार्य होते हैं और जहां सत्य होता है वहां कोई राजा भी उस देवता को अभिमान करता है।इसमें प्रकृति की अनन्तता और उसकी स्वाभाविक गुणों के बारे में बताया गया है।

अथर्ववेद में वृक्षारोपण, जल संचय, आदि के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के श्लोक संख्या 12 में धरती को माँ का दर्जा दिया गया है।

"माता भूमिः पुत्रोहम पृथिव्याः"

अर्थात् धरती मेरी माँ हैय मैं उसका बेटा हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक सामाजिक व्यवस्था विश्व की पहली ऐसी व्यवस्था थी जिसने पर्यावरण संरक्षण पर काम किया वेद में पृथ्वी को माँ मानते हुए सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के पदार्थों के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया।

अथर्ववेद में प्रकृति के संरक्षण पर एक श्लोक हैं–

पृथिवीं दुहितरं कृष्णमध्यमा वसूनां विश्वरूपाणि द्यावापृथिवी देवीरुपस्थे।

उत संगच्छ यथासुखं गातुं यत्र नो अन्यः कस्यचित् प्रभूतोऽवताति॥

अर्थात् पृथ्वी माता है जिसका कृष्ण रंग है। जो वसुओं के बीच मध्य में है, जो देवी हैं, द्यु और पृथ्वी इनके साथ होते हुए। हम सभी वहाँ जाते हैं और जो कुछ होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ कोई अन्य प्रभुता नहीं है।

अथर्ववेद में वनों को बचाने के उपाय बताए गए है, जल को संरक्षित रखने उपाय बताए गए हैं, जल, वायु, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक तत्वों के प्रदूषण से बचने के उपाय बताए गए हैं, वृक्षारोपण करने के उपाय बताए गए है।

वैदिक शांति पाठ मंत्र संपूर्ण सृष्टि, पर्यावरण और आंतरिक मन में शांति के लिए किया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र मंत्र है। यह मंत्र आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियों और वनस्पतियों में शांति की कामना करता है–

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः,
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः,
सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

अर्थात् आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो। वनस्पतियों में शांति हो, विश्व के सभी देवताओं में शांति हो, ब्रह्म (परमेश्वर) में शांति हो। सब कुछ शांत हो, शांति ही शांति हो, वह शांति मुझे प्राप्त हो। दैहिक, दैविक और भौतिक–तीनों प्रकार के ताप शांत हों।

मत्स्य पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है
दश कूप समा वापी, दशवापी समोहद्रः।
दशह्रद समः पुत्रो, दशपुत्रो समो द्रुमः।।

अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। उपनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र हैः

सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

अर्थात् सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बनें और कोई भी दुःख का भागी न बने। यह मंत्र लोकक्षेम मंत्र अथवा विश्व कल्याण मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

हिंदू धर्म में, प्रत्येक देवता के पास किसी पशु या पक्षी के रूप में एक वाहन है जैसे भगवान शिव का वाहन नंदी (बैल), भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान गणेश का वाहन मूषक (चूहा), माँ दुर्गा का वाहन सिंह, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, और माँ सरस्वती का वाहन हंस हैं। ये वाहन देवताओं की दिव्य शक्तियों के साथ–साथ प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में कई वृक्षों अथवा पौधों को पूजनीय और पवित्र माना जाता है, जिनमें बरगद, पीपल, बेल, आँवला, आम, अशोक, केला, नीम और तुलसी प्रमुख हैं। इन वृक्षों में देवी–देवताओं का वास माना जाता है, जो सुख–समृद्धि, स्वास्थ्य और कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। धार्मिक महत्व होने के कारण लोग इनका सदियों से संरक्षण करते आ रहे हैं।

राकेश कुमार (2010), कैलाश चंद्र भट्ट (2017), राजबीर सिंह (2019), राजीव कुमार श्रीवास्तव (2019), पूनम भूषण (2020), विनीत उपाध्याय (2021), सुनील कुमार गुप्ता (2022), गीतांजली श्रीवास्तव (2023), दयाशंकर सिंह यादव (2023), प्रियंका तथा अर्चना सिंह (2024) तथा कांति शर्मा (2025) जैसे विद्वानों ने अपने शोध में भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रति संरक्षण की अवधारणा को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व को पुराने समय से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में कारगर सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति संरक्षण उपभोग के बजाय सम्मान, सह–अस्तित्व और संतुलन (ऋत) पर आधारित है, जहाँ प्रकृति को निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि दिव्य माना गया है। 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' (भूमि माता है, मैं पुत्र हूँ) की भावना के तहत वृक्ष, जल, नदियों और पशुओं की पूजा और संरक्षण को धर्म का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। भारतीय दर्शन में प्रकृति के प्रत्येक घटक जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और पशुओं को पूजनीय माना गया है। इससे इसे भारतीय जनमानस में स्वतः ही प्रकृति संरक्षण का भाव विकसित होता है उपनिषद हमें शिक्षा देते हैं कि हम प्रकृति के संसाधनों का उपभोग श्त्यागपूर्वकश करें यानी केवल आवश्यकता अनुसार ही करें। वेदों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोका गया है। मनुस्मृति में पेड़ों को काटना एक निंदनीय कृत्य माना गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में "अहिंसा परमो धर्मः" मानते हुए प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखने की शिक्षा दी गई है। यह दृष्टिकोण पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली के साथ–साथ वर्तमान संकटों पर्यावरण संकटों और समस्याओं का समाधान प्रदान करता है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. कांति शर्मा (2025). पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा. Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrum. खंड–4, अंक–9, पृष्ठ 117–119.
2. कैलाश चंद्र भट्ट (2017). वेदों में पर्यावरण संरक्षण. International Journal of Sanskrit Research. खंड–3 अंक–1, पृष्ठ 28–30.
3. गीतांजली श्रीवास्तव (2023). प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण के मूल्य. अधिगम. खंड–28, पृष्ठ 75–87.
4. दयाशंकर सिंह यादव (2023). भारतीय वेद और पर्यावरण संरक्षण. अपनी माटी. अंक–47, पृष्ठ 175–179.
5. पूनम भूषण (2020). भारतीय ज्ञान दृष्टि और पर्यावरण. लोक आविष्कार. International & Journal. खंड–9, अंक–1, पृष्ठ 10–14.
6. प्रियंका तथा अर्चना सिंह (2024). प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति पूजा. International Journal of Innovative Research and Creative Technology. खंड–10, अंक 1, पृष्ठ 1–7.
7. राकेश कुमार (2010). प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा. शोध संचयन. खंड–1, अंक–1, पृष्ठ, 1–5.
8. राजबीर सिंह (2019). वेदों में पर्यावरण चेतना. राजभाषा ज्योति. प्रकाशक राजभाषा विभाग. पृष्ठ 6–11.
9. राजीव कुमार श्रीवास्तव (2019). पर्यावरण संरक्षण की भारतीय परंपराएं आर्यावर्त शोध विकास पत्रिका. खंड–10(1), अंक–11, पृष्ठ संख्या, 76–78.
10. विनीत उपाध्याय (2021). Indian Knowledge Tradition and Environment- International Journal of Law Management & Humanities. खंड–4, अंक–5, पृष्ठ 106–117.
11. सुनील कुमार गुप्ता (2022). प्राचीन भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण एक भौगोलिक अध्ययन. IOSR Journal of Humanities and Social Science. खंड–27, अंक–5, पृष्ठ 75–80.

=====

आलेख उद्धरित करें :	खरे, डॉ. रीतेश कुमार (2026)। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाएं। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 88–90। https://doi.org/10.5281/zenodo.23016701

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय संविधान के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संवैधानिक विश्लेषण

डॉ. प्रियंका पटेल

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान), सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।

(**Corresponding Author:** priyankanripendra84@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23016784

सारांश

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नागरिक एवं राज्य के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नकारात्मक दायित्वों की ओर इंगित करते हैं कि राज्य इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों को राज्य की स्वेच्छाचारिता से सुरक्षा प्रदान करना है। मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 21 के प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त है, परन्तु न्यायपालिका ने अपने निर्णयों से इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत शोध–पत्र अनुच्छेद 21 के ऐतिहासिक और न्यायिक विकास का विश्लेषण करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि भारतीय न्यायपालिका ने "जीवन" को मात्र जैविक अस्तित्व से आगे बढ़कर गरिमा और स्वतंत्रता से युक्त जीवन की अवधारणा में किस प्रकार परिवर्तित किया। यह शोध इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है कि न्यायिक सक्रियता ने अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, निजता, विधिक सहायता तथा गरिमापूर्ण जीवन जैसे अनेक अधिकारों को इसके अंतर्गत किस प्रकार मान्यता प्रदान की है।

शोध सूचना	**प्राप्त:** 31 अगस्त, 2026	**स्वीकृत:** 10 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 17
	मुख्य शब्द: अनुच्छेद 21, जीवन, अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, निजता।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों से उन परिस्थितियों तथा सुविधाओं का बोध होता है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। अमेरिका में 1789 में संविधान के लागू होने के समय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, परंतु संविधान के प्रारूप के अनुमोदन के समय से ही मौलिक अधिकारों की मांग उठने लगी जिसके परिणामस्वरूप 1791 में अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। इसके पश्चात् बनने वाले लगभग सभी लोकतांत्रिक देश के संविधान में अमेरिकी संविधान का अनुसरण कर मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया जिसमें भारत भी एक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में सात मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम,1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब कुल छरू मौलिक अधिकार हैं, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19–22) के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में यह उपबंध है कि– 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।'

यह अनुच्छेद हमें मैग्ना कार्टा के एक सुप्रसिद्ध खंड का स्मरण करता है–'किसी व्यक्ति को देश की विधि के अनुसार ही गिरफ्तार या कारावासित या निर्वासित या किसी प्रकार विनष्ट किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।' इसका

अभिप्राय यह है कि अनुच्छेद 21 द्वारा व्यक्तियों को दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप कर सकती है–

1. किसी व्यक्ति के जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इस हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराता हो।
2. उस कानून को एक वैध कानून होना चाहिए।
3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते समय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक है।

अनुच्छेद 21 में संविधान निर्माता ने बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा इसकी विशद् विवेचना की गई है। इसमें नागरिक की जगह "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है। प्रारंभ में जीवन का अर्थ मुख्यतः शारीरिक अस्तित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ शारीरिक नियंत्रण से मुक्ति के संदर्भ में समझा गया। समय के साथ न्यायपालिका ने महसूस किया कि केवल जीवित रहना वास्तविक जीवन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन, स्वास्थ्य, सम्मान, निजता और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की न्यूनतम स्वतंत्रता नहीं है, तो उसका जीवन संवैधानिक दृष्टि से अधूरा हो सकता है। इसी विचार ने अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान में मानवीय गरिमा का प्रमुख स्रोत बना दिया।

1.1. शोध का उद्देश्यः प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैंः

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मूल स्वरुप का विश्लेषण करना।
2. सर्वोच्च न्यायलय द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्णयों द्वारा इसके विकास का अध्ययन करना।
3. अनुच्छेद 21 से विकसित विभिन्न अधिकारों का अध्ययन करना।

2. शोध पद्धति : प्रस्तुत अध्ययन हेतु विधिक/सैद्धांतिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। विधिक अथवा सैद्धांतिक शोध पद्धति के माध्यम से भारतीय संविधान से सम्बंधित प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायलय के अनुच्छेद 21 से सम्बंधित निर्णयों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में भारतीय संविधान, संविधान सभा वाद विवाद तथा न्यायिक निर्णयों का प्रयोग गया है। द्वितीयक स्रोतों में संवैधानिक कानून से संबंधित पुस्तकों, शोध–पत्रों, तथा आधिकारिक कानूनी सामग्री का उपयोग किया गया है।

3. अनुच्छेद 21 का मूल संवैधानिक दर्शन एवं विश्लेषण :

संविधान सभा में बहसः भारतीय संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 21 को मसौदा संविधान में अनुच्छेद 15 के रूप में रखा गया था। यह मौलिक अधिकारो के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित था। 6 और 13 दिसंबर, 1948 को इस पर संविधान सभा में बहस हुई। मुख्य विवाद "विधि की सम्यक् प्रक्रिया" बनाम "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को लेकर था। जनवरी 1948 में मसौदा समिति ने अपनी कई बैठकों में इस मुद्दे पर विचार किया एवं अंततः सम्यक विधि को अनुच्छेद से हटाने का निर्णय लिया। सम्यक विधि के अनुच्छेद की जगह 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार स्वीकार करते हुए मसौदा समिति ने अपने निर्णय में सिर्फ इतना कहा कि यह अनुच्छेद 'ज्यादा स्पष्ट' है।

सभा के अनेक सदस्य मसौदा समिति के निर्णय से सहमत नहीं थे, उनका यह रोष संशोधन के रूप में प्रकट हुआ। अगले कुछ महीनों के दौरान बीस अन्य सदस्यों ने इस आशय के संशोधन प्रस्तुत किए। इसमें से 12 सदस्य 'सम्यक विधि' को दोबारा बहाल करने के पक्ष में, जबकि 8 सदस्य 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के स्थान पर 'कानूनी प्रक्रिया के सिवाय' जैसे वाक्य विन्यास के पक्षधर थे। काजी सैयद करीमुद्दीन ने संविधान सभा में कहा कि "किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा"। यदि यह प्रावधान अपनाया गया तो मेरे दृष्टिकोण में यह संवैधानिक कानून के इतिहास में दुःखद अध्याय होगा। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति ने पहले ही सुझाव दिया था कि 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' होनी चाहिए, तो फिर अनुच्छेद 15 में मसौदा समिति द्वारा कहाँ से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को ले आया गया। महबूब अली बेग ने इस चर्चा में कई ऐसे बिंदु उठाए है जो निवारक नजरबंदी से जुड़ी बहस में विशेष महत्व रखते थे। बेग का कहना था कि मसौदा समिति 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' जैसे वाक्य विन्यास को जापान के संविधान से प्रेरित नजीर बता रही है। लेकिन जापानी संविधान में जब उपयुक्त विधि के स्थगन के कारण मौलिक अधिकार संकट में पड़ गए तो उनके लिए अलग से गारंटी की गई थी।

चिमनलाल चाकू भाई शाह ने कहा कि इस अध्याय में अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त अधिकार, मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक मौलिक है क्योंकि वह यह अधिकार है जो जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित है और इसके बिना अन्य सभी अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस अधिकार को परिभाषित करते समय हम यह बात स्पष्ट और निश्चित रूप से कहें कि हम वास्तव में कौन सा अधिकार प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए मैं उसे

संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दों के स्थान पर 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' शब्द रखे जाएं।

के. एम. मुंशी ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' शब्द रखने का समर्थन किया। उनका कहना था कि इस उपबंध का वास्तविक अर्थ तभी होगा, जब अदालतें केवल यह न देखें कि दोषसिद्धि कानून के अनुसार या उचित प्रक्रिया के अनुसार हुई है, बल्कि यह भी जांच सकें कि प्रक्रिया और कानून का मूल/वस्तुगत भाग दोनों ऐसे हैं या नहीं, जिन्हें उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत माना जा सकता है।

अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि इस अनुच्छेद पर हुई बहस से यह स्पष्ट होता है कि इस सदन के काफी संख्या में सदस्य 'सम्यक् प्रक्रिया' अभिव्यक्ति को बनाए रखने के पक्ष में हैं और 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति को उसके स्थान पर रखने के पक्ष में नहीं हैं। अय्यर का मानना था कि भारत में 'सम्यक् प्रक्रिया' शब्द अपनाने पर अमेरिकी अनुभव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहाँ इसका अर्थ स्पष्ट और स्थिर न रहकर न्यायाधीशों की व्याख्या के अनुसार बदलता रहे। इसलिए वे "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को अधिक निश्चित और स्पष्ट विकल्प मानते हुए उसका समर्थन कर रहे थे। अंततः 13 दिसंबर, 1948 को समस्त संशोधन गिर गए और अनुच्छेद 15 सम्यक् विधि के बगैर ही संविधान के मसौदे में शामिल कर लिया गया।

न्यायिक निर्णयः ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 मामले में ए. के. गोपालन को निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निरुद्ध किया गया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका अपने रिहाई हेतु प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 का उल्लंघन करता है, इसलिए यह कानून अवैध है और उसकी हिरासत भी अवैध है। छः जजों की संवैधानिक पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यच.जे. कनिया ने बहुमत से निर्णय दिया कि निवारक निरोध अधिनियम,1950 की धारा 14 असंवैधानिक है, लेकिन इससे पूरा अधिनियम अवैध घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस धारा का संपूर्ण अधिनियम से पृथक्करण संभव है। न्यायालय ने प्रार्थी के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। इसमें न्यायलय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। यदि सक्षम विधान मंडल विधि बनाकर यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विशेष परिस्थितियों में और विशेष रीति से वंचित किया जाएगा तो उस विधि की विधिमान्यता पर न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता कि विधि अयुक्तियुक्त, अऋजु और न्याय विरुद्ध है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया था कि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' इस अभिव्यक्ति को अंगीकार करके हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इंग्लैंड वाली संकल्पना को अपनाया है, अमेरिका की 'सम्यक प्रक्रिया' की संकल्पना को नहीं। इस प्रकार कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण, अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अपने निर्णय में न्यायालय ने बहुमत से कहा कि यदि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति की देह या उसके शरीर से संबंधित स्वतंत्रता है। अदालत ने प्रक्रिया की न्यायसंगतता की जांच से इनकार किया। उच्चतम न्यायलय ने अनुच्छेद 19 और 21 का पृथक्करण कर दिया। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19 केवल मुक्त नागरिकों पर लागू होता है, जबकि निरुद्ध व्यक्ति अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। इस निर्णय में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की संकीर्ण व्याख्या को अपनाया गया। इसने "पृथक अधिकारों के सिद्धांत" को स्थापित किया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक–दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र माना गया।

अल्पमत न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, कानून न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। लेकिन मेनका बनाम भारत संघ, 1978 मामले में सात न्यायधीशों की पीठ ने गोपालन मामले के अल्पमत के मत को स्वीकार करते हुए, इसके बहुमत के निर्णय को उलटे हुए स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए–

1. अनुच्छेद 19 और 21 के बीच कोई लोहे की दीवार बनाकर विभाजन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का परिवेश अत्यंत विस्तारवान है। इसमें अनेक प्रकार के अधिकार आते हैं। इनमें से कुछ को अनुच्छेद 19 में सम्मिलित करके उन्हें विशेष संरक्षण दिया गया है। अतएव अनुच्छेद 19 और 21 परस्पर व्याप्त हैं।
2. इसके परिणाम स्वरुप अनुच्छेद 21 में आने वाली विधि द्वारा भी अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए अर्थात यदि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो मनमानी, अऋजु या अयुक्तियुक्त ना हो।
3. जब व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि को विधि मान्यता के अवधारणा के लिए युक्ति युक्त ता का परीक्षण अपना लिया जाता है तो इससे यह परिणाम निकलता है कि यदि वह विधि नरसिंह एक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो वह अविधिमान्य होगी।

इस प्रकार 'जीवित रहने' का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार भी उसके परिक्षेत्र में आता है (ए आई आर 1978 एस सी 597)। फ्रांसिस कोरेली बनाम दिल्ली संघ राज्य–क्षेत्र के मामले में न्यायालय ने इस विचार का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जीवित रहने का अधिकार केवल पशु जैसे अस्तित्व तक सीमित नहीं है (ए आई आर 1981 एस सी 746)। आम तौर पर पटरीवासियों के केस के नाम से विख्यात केस में, उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद 21 में 'जीवन' शब्द में 'आजीविका' का अधिकार सम्मिलित है। उसने कहा कि यदि आजीविका के अधिकार को संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे उसके आजीविका के साधन से वंचित कर दिया जाए (ओलगा टेल्लिस बनाम बंबई नगर निगम, ए आई आर 1986 एस सी 180)।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (ए आई आर 1992 एस सी 1858) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का आगे और विस्तार कर दिया और शिक्षा के अधिकार को भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। वस्तुतः न्यायालय ने चिकित्सा जैसे वृत्तिक क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को भी मूल अधिकार घोषित कर दिया। किंतु बाद में मोहिनी जैन के मामले में न्यायालय ने अपने ही निर्णय को रद्द कर दिया और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अधीन, वृत्तिक डिग्री के लिए शिक्षा के मूल अधिकार का कोई उपबंध नहीं है। किंतु, पांच में से तीन न्यायाधीशों का विचार था कि 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार नागरिकों का मूल अधिकार हो सकता है (म.पी. उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य, आदि जजमेंट्स टुडे, 1993 (1) एस सी 474)। न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करने वाले महत्वपूर्ण केस–

1. सतवंत सिंह साहनी बनाम डॉ. राम्रत्नम, सहायक पासपोर्ट अधिकारी, (1967)– विदेश यात्रा का अधिकार ।
2. एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978)– मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार।
3. हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार, (1979)– स्पीडी ट्रायल का अधिकार।
4. फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली (1981)– मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा कैदी को जीवन की मूलभूत आवश्यकतताएं रखने का अधिकार ।
5. शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1983)– हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ।
6. रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1985)– सभ्य पर्यावरण का अधिकार।
7. ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम,(1985)– आजीविका का अधिकार।
8. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ,(1989)– आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार (डॉक्टर की सहायता का अधिकार) ।
9. शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम एन. के. टोटेम (1990)– आशय का अधिकार।
10. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)– निजता का अधिकार।
11. कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)– गरिमापूर्ण मृत्यु अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)।
12. सहमती से समलैंगिक संबंधों को अपराध बताने वाली धरा 377 असंवैधानिक, निजता, व्यक्तिगत स्वायत्तता तथा यौन अभिविन्यास को मान्यता– नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, (2018)।
13. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, (2019)– व्यभिचार अपराध नहीं, निजता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार।
14. X बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, (2022)– अविवाहित महिलाओं को भी सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का सामान अधिकार ।
15. दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, (2022)– पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत चुनाव और गरिमा का अधिकार।
16. सुप्रियो/सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ, 2023– विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा, निजता एवं अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने के अधिकार का संरक्षण।
17. अ (X की माता) बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024– गर्भ का समापन करने या जारी रखने का निर्णय अत्यंत व्यक्तिगत है, जो अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकारों में निहित है। प्रजनन संबंधी चुनाव, शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अधिकार ।
18. हरीश राणा बनाम भारत संघ, (2026)– गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, निष्क्रिय इच्छामृत्यु तथा जीवन–रक्षक चिकित्सा उपचार को वापस लेने के संबंध कॉमन कॉज के सिद्धांतो का विकास।

न्यायपालिका द्वारा अपने न्यायिक व्याख्या में अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में महत्वपूर्ण अधिकारों की घोषणा की गई है जो इस प्रकार है– मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण–प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध

अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, सभ्य अंत्येष्टि/दाह संस्कार का अधिकार, शयन का अधिकार आदि।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन एवं व्यैक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभ में न्यायपालिका ने "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की संकीर्ण व्याख्या को अपनाया गया। इसने "पृथक अधिकारों के सिद्धांत" को स्थापित किया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक–दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र माना गया। परन्तु बाद में न्यायपालिका ने "जीवन" के अर्थ को मात्र शारीरिक अथवा जैविक अस्तित्व तक सीमित न रखते हुए गरिमा, स्वतंत्रता एवं मानवोचित जीवन से जोड़कर देखा। इस प्रकार गोपालन से मेनका तक की न्याय–यात्रा, उत्तरी धुरुव से दक्षिणी धुरुव तक की यात्रा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका के मामले का पश्चात्वर्ती मामलों में अनुसरण किया है। न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या के माध्यम से संविधान को बदलती सामाजिक परिस्थितियों एवं मानव आवश्यकताओं के अनुरूप जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. विधायी विभाग (2026). भारत का संविधान. विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार उपलब्ध https://www.legislative.gov.in/documents/reports/constitution-of-india
2. संविधान सभा की बहसें, खंड VII, 6 दिसंबर 1948. संविधान सभा: https://www.constitutionofindia.net/debates/06-dec-1948/
3. ऑस्टिन, जी. (2017). भारतीय संविधानः राष्ट्र की आधारशिला (नरेश गोस्वामी, अनुवादक). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
4. बसु, डी. डी. (2008). भारत का संविधानः एक परिचय. वाधवा एंड कंपनी.
5. लक्ष्मीकांत, एम. (2025). भारत की राजव्यवस्था. मैकग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
6. नारंग, ए. एस. (2020). भारतीय शासन एवं राजनीति. गीतांजली पब्लिशिंग हाउस.
7. सईद, एस.एम. (2006). भारतीय राजनीतिक व्यवस्था. भारत बुक सेंटर.
8. संविधान सभा की बहसें, खंड टप्, 13 दिसंबर 1948. भारत की संविधान सभा.
9. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, AIR 1950 SC 27; 1950 SCR 88.
10. आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ, (1970) https://lawfyi.io/rustom-cavasjee-cooper-vs-union-of-india-on-10-february-1970/
11. मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 SCC 248; AIR 1978 SC 597.
12. जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1-
13. हुसैनारा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना, (1979) 3 SCC 532 उपलब्धःhttps://indiankanoon.org/doc/1373215/
14. कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, (2018) 5 SCC 1.
15. फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक एवं अन्य, (1981) 1 SCC 608. उपलब्धः https://indiankanoon.org/doc/78536/
16. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं अन्य, (1985) 3 SCC 545.
17. जैन, एम.पी. (2025). इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. लेक्सिसनेक्सिस.

=====

आलेख उद्धरित करें :	पटेल, डॉ. प्रियंका (2026)। भारतीय संविधान के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संवैधानिक विश्लेषण। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 91–95। https://doi.org/10.5281/zenodo.23016784

Bundelkhand Journal of Academic Research

समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. संतोष कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), समाजशास्त्र विभाग, समता पी0जी0 कॉलेज सादात, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** sntshkmr19@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23016875

सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं, न केवल हमारे काम करने और दूसरों से अंतर्क्रिया करने के तरीके को बदलेगी, बल्कि यह हमारी खुद की समझ और पहचान के बारे में हमारी जानकारी को भी नया रूप देगी। हालांकि, हम जिस तरह से काम करते हैं और एक–दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, उस पर कृ त्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का अवलोकन करें ताकि दुनिया इस नई बुद्धि के विकास से लाभान्वित हो सके। यह इस विचार से जुड़ा है कि कंप्यूटर प्रणालियों से बुद्धिमत्ता दिखाने की अपेक्षा की जाती है। इससे पहले यह केवल मनुष्यों का ही अधिकार क्षेत्र था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिना किसी इंसानी मदद के समाज के कई क्षेत्रों में खुद फैसले लेने और कठिन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। इसने मानव बुद्धिमत्ता की खोज के प्रति समाज के दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समकालीन संस्कृति के कई पहलुओं में आज तेजी से आगे बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान और बिना चालक वाली (ड्राइवरलेस) गाड़ियों जैसी क्रांतिकारी तकनीकों के विकास सहित कई अलग–अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह के प्रभाव पड़े हैं। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव के साथ–साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों का अध्ययन एवं परीक्षण करना है।'

आलेख सूचना

प्राप्त: 05 सितंबर, 2026 **स्वीकृत:** 14 सितंबर, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 15
मुख्य शब्द: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीक, प्रभाव, मस्तिष्क, एआई, मशीन, औद्योगिक क्रांति।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : मस्तिष्क के कारण, मनुष्य स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से सोचने और कुछ निश्चित कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। मानव मस्तिष्क (इंसानी दिमाग) किसी भी मशीन की तुलना में कुछ विश्लेषणात्मक कार्यों को, जैसे कि किसी वस्तु को पहचानना (object recognition), काफी तेजी से पूरा कर सकता है। इस बात ने शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को एक ऐसे कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रेरित किया जो मानव मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान कार्य करने में सक्षम हों। इस संज्ञानात्मक क्षमता को प्राकृतिक बुद्धि (Natural Intelligence) कहा जाता है, जो इंसानों और जानवरों को सीखने, याद रखने, निर्णय लेने और विभिन्न जटिल कार्यों को करने में सक्षम बनाती है।[1] कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार 1950 के दशक से चला आ रहा है। ऐसा समय भी हुआ करता था जब लोग समाज के हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सफलताओं से बहुत अधिक उम्मीदें रखते थे।कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समस्या–समाधान के लिए एक ऐसे सटीक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जिसे किसी भी इंसान की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।

पहले जटिल और कठिन समस्याओं को बिना किसी गलती के, कम खर्च में और बहुत तेजी से सुलझाने का गुण केवल इंसानों के पास ही माना जाता था। लेकिन आज के समय में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक ऐसी कंप्यूटर–केंद्रित तकनीक बन गई है जो इंसानी मदद के बिना अकेले ही इन समस्याओं का समाधान कर सकती है।**[2] हम प्रदान किए जाने वाले कार्यों (functions) और क्षमताओं (capabilities) के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दो अलग–अलग रूपों के बीच अंतर कर सकते हैं। पहले प्रकार को कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Weak Artificial Intelligence) के रूप में जाना जाता है, जिसे संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Narrow Artificial Intelligence) भी कहा जाता है और इसे चेहरे की पहचान (Facial Recognition), इंटरनेट पर सिरी (Siri) सर्च, या सेल्फ–ड्राइविंग कार (Self & driving automobile) जैसे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विकसित किया गया है। एआई का

उपयोग करने का दावा करने वाले वर्तमान में संचालित कई ऑपरेटिंग सिस्टम संभवतः केवल एआई के एक सीमित रूप का उपयोग कर रहे हैं जो एक विशेष कार्य को करने पर केंद्रित है। इस बात के बावजूद कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह रूप मानव जीवन के लिए फायदेमंद प्रतीत होता है, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि यह हानिकारक हो सकता है। उनका तर्क है कि कमज़ोर या सीमित कमियों वाली कमज़ोर एआई (Weak AI) का कोई खराब या त्रुटिपूर्ण रूप बिजली ग्रिड (electric grid) में व्यवधान पैदा कर सकता है या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (nuclear power plants) को नुकसान पहुँचा सकता है। प्रबल एआई (Strong AI) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ऐसा नज़रिया है जिसमें कंप्यूटर या मशीनों को इस तरह तैयार या प्रोग्राम किया जाता है कि वे बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह काम करें, हर तरह के काम में बुद्धिमान बनें और यहाँ तक कि उनमें इंसानों जैसी समझ, विचार, संवेदना और चेतना भी हो।[3] जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग से जुड़े लोग (प्रोग्रामर) बेहतर और स्मार्ट कोड लिखेंगे, तो मशीनें और ऑटोमेटेड सिस्टम (स्वचालित प्रणालियाँ) पहले से अधिक तेज़ी, सटीकता और कम ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। लक्ष्य एक ऐसी मशीन बनाना है जो इंसान की तरह निष्कर्ष निकाल सके। दूसरे शब्दों में, यह भविष्य में अपने निष्कर्षों (या अनुमानों) की सटीकता को बढ़ाने के लिए उदाहरणों का उपयोग कर सकता है और उनसे सीख ले सकता है। हम इंसानों जैसी क्षमताओं वाली मशीनों को बनाने से अभी बहुत दूर हैं। हालांकि, आधुनिक मशीनें कुछ खास क्षेत्रों में काफी कुशल (या निपुण) होती जा रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य विचार यह है कि कंप्यूटर को हर संभावित जवाब के लिए पहले से कोड या प्रोग्राम करने के बजाय, वह अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान (डेटा और अनुभवों) का उपयोग करके नए और मौलिक जवाब या निर्णय खुद तैयार करता है।[4] मानव इतिहास में पहली बार लोगों के दैनिक जीवन पर मशीनों का प्रभाव अभूतपूर्व होगा, और वे हमारे जाने–पहचाने समाज को पूरी तरह बदलकर रख देंगी।[5] रोबोटिक्स के चार 'D' का मतलब ऐसे काम हैं जिन्हें रोबोट करते हैं, ताकि इंसान सुरक्षित रहें। ये चार शब्द गंदे (Dirty), खतरनाक (Dangerous), कठिन (Difficult) और उबाऊ (Dull) हैं।[6]

1.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्य: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं–

1.1.1. स्वचालन (Automation) कृत्रिम बुद्धिमत्ता: किसी प्रणाली या प्रक्रिया को उसके कार्य स्वतः (अपने आप) करने में सहायता करेगी। इसका मतलब है कि तकनीक और एआई मिलकर काम करते हैं ताकि इंसानों की कम से कम ज़रूरत पड़े और काम अपने आप पूरा हो सके।

1.1.2. मशीन लर्निंग और विजन (Machine Learning and Vision): कंप्यूटर को कैमरे के जरिए देखने, विश्लेषण करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने योग्य बनाने का विज्ञान है। इसमें डीप लर्निंग, एनालॉग–से–डिजिटल रूपांतरण और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है।

1.1.3. प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing, NLP): एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा मानव भाषा को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसके मुख्य उदाहरणों में स्पैम ईमेल की पहचान करना और मानव संचार को आसान बनाने के लिए एक भाषा का दूसरी भाषा में तुरंत अनुवाद करना शामिल है।

1.1.4. यंत्र मानव विज्ञान (Robotics): साइबोर्ग (Cyborg) यानी मानव और मशीन के मेल से बने जीव के डिजाइन और निर्माण से जुड़ी इंजीनियरिंग की इस शाखा को 'सायबॉर्ग इंजीनियरिंग' या साइबरनेटिक जीव निर्माण अभियांत्रिकी कहा जाता है। इनका उपयोग इंसानों की सुविधा के लिए या ऐसे कठिन और खतरनाक कामों को करने के लिए किया जाता है जो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। ये बिना रुके लगातार काम कर सकते हैं, जैसे कि असेंबली लाइन पर।

1.1.5. स्वचालित वाहन (सेल्फ–ड्राइविंग कारों): स्वचालित वाहनों के लिए नियंत्रण प्रणाली बनाते समय, कंप्यूटर विज़न (कंप्यूटर दृष्टि), इमेज रिकग्निशन (छवि पहचान) और डीप लर्निंग (गहन शिक्षण) का एक साथ उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। अर्थात कार को देखने, समझने और खुद सीखने की शक्ति देने के लिए इन तीनों तकनीकों को मिलाना जरूरी है।

1.2. शोध एजेंडा (Research Agenda):

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की अवधारणा क्या है?
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव क्या हैं?
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्तियों (Strengths), कमजोरियों (Weaknesses), अवसरों (Opportunities) एवं खतरों (Threats) का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है?

1.3. अध्ययन के उद्देश्य: प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

2. शोध पद्धति : यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) की सहायता से किया गया है। अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी विभिन्न शोध पत्रिकाओं (Journals), शोध लेखों (Articles) एवं पुस्तकों (Books) के माध्यम से एकत्रित की गई है।

3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का विश्लेषण : कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के आगमन ने हमारी संस्कृति में अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक प्रकृति के विभिन्न परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। समाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रवेश का उन पेशेवरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो आधुनिक तकनीकों के साथ कार्य करने के अभ्यस्त हैं। इसके साथ ही, कानूनी पेशेवरों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों तथा उससे संबंधित नियामक एवं कानूनी निहितार्थों को समझने और उनका सामना करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी विशेषज्ञों (Technocrats) पर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ये विशेषज्ञ जटिल तकनीकी मामलों में सटीक निर्णय लेने के लिए अक्सर आधुनिक तकनीक की सहायता का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास समाज, पेशेवर कार्यप्रणाली, कानून तथा तकनीकी निर्णय–प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन ला रहा है।

3.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक प्रभावः

3.1.1. त्वरित एवं सटीक निदानः कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा विशेषज्ञों के विचारार्थ उपचार के अनेक विकल्प उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। यह प्रक्रिया लगभग निम्न प्रकार से की जाती हैः शारीरिक परीक्षण से प्राप्त डिजिटल निष्कर्षों को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर सभी संभावित स्थितियों का विश्लेषण करते हुए स्वचालित रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि रोगी किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या या बीमारी से पीड़ित है या नहीं। साथ ही, यह उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपचारों की सिफारिश भी कर सकता है।

3.1.2. सामाजिक एवं चिकित्सीय रोबोटः वृद्ध लोगों के लिए पालतू जानवर उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे रक्तचाप को कम करने, चिंता एवं अकेलेपन की भावना को दूर करने तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार, अकेले रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए ऐसे साइबरनेटिक सहायक (Cybernetic Companions) उपलब्ध कराने की अवधारणा को हाल के समय में बढ़ावा मिला है, जो घरेलू कार्यों में भी सहायता कर सकते हैं। चिकित्सीय रोबोट (Therapeutic Robots) तथा सामाजिक रूप से सहायक रोबोट तकनीक (Socially Assistive Robot Technology) वृद्ध लोगों और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

3.1.3. मानवीय थकान से संबंधित त्रुटियों में कमीः मनुष्यों द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ अपरिहार्य होती हैं और अक्सर इनके कारण काफी नुकसान हो सकता है। कर्मचारी जितना अधिक 'थकान' का अनुभव करता है, उसके द्वारा गलती किए जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। दूसरी ओर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानसिक थकान या भावनात्मक विचलन के प्रभावों से प्रभावित नहीं होती है। यह त्रुटियों की संभावना को कम करती है तथा कार्य को अधिक 'तेजी और सटीकता' के साथ पूरा करने में सक्षम बनाती है।

3.1.4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शल्य चिकित्सा में योगदानः लोगों के पास अब 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शल्य चिकित्सा तकनीकों' का विकल्प उपलब्ध है। यद्यपि इन तकनीकों को कार्य करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा संचालित करना अभी भी आवश्यक है, फिर भी इनके उपयोग से रोगी को होने वाली क्षति काफी कम हो सकती है। इन प्रणालियों के माध्यम से मैन्युअल रूप से की जाने वाली शल्य प्रक्रियाओं की तुलना में 'अधिक उच्च स्तर की सटीकता एवं परिशुद्धता' प्राप्त की जा सकती है। शल्य प्रक्रिया जितनी कम आक्रामक होती है, रोगी को उतनी ही कम शारीरिक क्षति होती है, रक्तस्राव कम होता है और रोगी की 'चिंता एवं मानसिक तनाव' भी कम होता है।

3.1.5. उन्नत रेडियोलॉजी (Improved Radiology): 2000 के दशक के प्रारंभ तक 'प्रसवपूर्व इमेजिंग (Prenatal Imaging), कार्डियक MRI तथा बॉडी MRI जैसी इमेजिंग प्रक्रियाएँ चिकित्सा क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रचलित हो गई थीं। वर्तमान में ऐसे नए 'एल्गोरिदम (Algorithms)' विकसित करने का प्रयास लगातार जारी है, जो कुछ विशेष बीमारियों की पहचान कर सकें तथा विभिन्न स्कैन से प्राप्त निष्कर्षों का सटीक विश्लेषण एवं व्याख्या कर सकें। ये सभी उपलब्धियाँ 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक में हुई प्रगति' के कारण संभव हुई हैं।

3.1.6. आभासी उपस्थिति (Virtual Presence): आभासी उपस्थिति तकनीक में हुई प्रगति के कारण अब 'दूरस्थ रूप से रोगों का निदान (Remote Diagnosis)' करना संभव हो गया है। रोगी को अपने बिस्तर से उठकर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। 'दूरस्थ उपस्थिति रोबोट (Remote Presence Robot)' के माध्यम से चिकित्सक रोगी के पास शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी उसकी स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

इस तकनीक की सहायता से उन रोगियों को भी चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं, जो किसी कारणवश यात्रा करने में असमर्थ हैं।

3.2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नकारात्मक प्रभावः

3.2.1. सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तनः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण 'सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन' हो सकता है, जिससे मानव समुदाय में हमारे जीवन जीने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। मनुष्य को आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हम बिना किसी उपकरण का प्रत्यक्ष उपयोग किए केवल मशीन को प्रोग्राम करके उससे अपना कार्य करवा सकते हैं। जैसे–जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विचारों के आदान–प्रदान के लिए लोगों के 'आमने–सामने मिलने की आवश्यकता' को कम करेगी, वैसे–वैसे मानवीय निकटता और सामाजिक संपर्क में धीरे–धीरे कमी आ सकती है। जब संचार के लिए व्यक्तिगत मुलाकातें आवश्यक नहीं रहेंगी, तब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्यों के बीच उत्पन्न होने वाली इस दूरी को भरने का माध्यम बन सकती है। इससे मानवीय संबंधों और सामाजिक सहभागिता के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव है।

3.2.2. रोजगार का विस्थापन एवं बेरोजगारीः कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन के कारण अनेक 'रोजगारों का स्थान मशीनें ले सकती हैं', जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान में अनेक वाहन निर्माण संयंत्रों की असेंबली लाइनों में मशीनों और रोबोटों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पारंपरिक श्रमिकों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख प्रभावों में से एक 'रोजगार का नुकसान' है। पिछले कई दशकों से मनुष्य अपने श्रम और समय का निवेश करके आय अर्जित करता रहा है। जैसे–जैसे तकनीक का विकास हो रहा है और अधिक बुद्धिमान रोबोट विकसित किए जा रहे हैं, भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ लोगों को उनकी नागरिकता के आधार पर आय या आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पड़े। यह ऐसी अर्थव्यवस्था की दिशा में एक संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसमें 'स्वचालन के कारण मनुष्यों के रोजगार समाप्त होने' की समस्या का सामना करना पड़े।[7]

3.2.3. आर्थिक असमानता में वृद्धिः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण 'निवेशकों द्वारा लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करने' से आर्थिक असमानता उत्पन्न हो सकती है। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक गहरी हो सकती है।

3.2.4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियंत्रण से संबंधित चिंताएंः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि 'स्वयं एआई तकनीक के संबंध में भी नई चिंताएँ' उत्पन्न हो रही हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित और विकसित की गई एआई प्रणाली भविष्य में इतनी उन्नत एवं स्वायत्त हो सकती है कि उस पर मनुष्यों का नियंत्रण सीमित हो जाए। ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित समस्याएँ एवं गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

3.2.5. पक्षपातपूर्ण एवं विनाशकारी एआई का खतराः एआई के मानव निर्माता ऐसी प्रणालियाँ विकसित कर सकते हैं जिनमें 'नस्लीय पक्षपात (Racial Bias)' हो या जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित होकर कुछ लोगों या समूहों को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार की गई हों। उदाहरण के लिए, परमाणु शक्ति के अनियंत्रित एवं भेदभावपूर्ण उपयोग से मानवता के विनाश अथवा किसी विशेष नस्ल या क्षेत्र को निशाना बनाए जाने की आशंका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है।

3.3. समग्र रूप से समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का कारक बन चुकी है। इसने मानव जीवन के लगभग हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया है। समाज पर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं

3.3.1. पर्यावरण अध्ययन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः पारिस्थितिकी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग व्यापक पारिस्थितिक ज्ञान को व्यवस्थित एवं विश्लेषित करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, 'समग्र प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने' तथा आँकड़ों के संग्रह से संबंधित समस्याओं के समाधान में किया जा रहा है। इस प्रकार, एआई पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिक ज्ञान के बेहतर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।[8]

3.3.2. कृषि पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग कृषि के विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है। इनमें 'फसल कटाई, हवाई निगरानी (Airborne Surveillance), रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing), निकटता संवेदन (Prouimity Sensing), कीट एवं खरपतवार नियंत्रण तथा कृषि संबंधी परामर्श सेवाएँ' आदि शामिल हैं। वर्तमान में 'Microsoft' आंध्र प्रदेश, भारत में 175 किसानों के साथ मिलकर कृषि संबंधी परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है। इन सेवाओं में 'बीज बोने तथा उर्वरकों के उपयोग' से संबंधित सलाह शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस पहल के परिणामस्वरूप औसतन 'प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि' हुई।[9]

3.3.3. सरकार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किसी भी अर्थव्यवस्था के भविष्य को आगे बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। 'Accenture' के अनुसार, एआई में वर्ष '2035 तक आर्थिक विकास दर को दोगुना करने की क्षमता' है। इस प्रकार, सरकार के क्षेत्र में एआई प्रशासनिक दक्षता और संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण क्षमता रखती है, लेकिन इसके साथ 'निजता, डिजिटल परिवर्तन और मानव–मशीन सहयोग' जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

3.3.4. शिक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष '2025 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता' जितने रोजगारों को समाप्त करेगी, उससे अधिक नए रोजगारों का सृजन कर सकती है। हालाँकि, इन नए रोजगारों के लिए

पुराने रोजगारों की तुलना में 'अधिक एवं उन्नत कौशल' की आवश्यकता होगी। जैसे–जैसे नए कौशलों का विकास हो रहा है, सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों तथा नियोक्ताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे 'शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम' किस प्रकार अधिक प्रभावी ढंग से विकसित किए जाएँ, जो लोगों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान कर सकें। इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों को उन क्षेत्रों एवं उद्योगों में भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना होगा, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग हो रहा है। इसके लिए 'नई शिक्षण भूमिकाओं और कार्य–पद्धतियों' पर अधिक अध्ययन एवं शोध की आवश्यकता है, जिनमें स्नातकों के लिए नई प्रकार की क्षमताओं और विशेषताओं पर जोर दिया जाए।[10]

3.3.5. नवाचार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ऐसी विशेषताएँ विद्यमान हैं, जो मौजूदा अर्थव्यवस्था की 'दक्षता बढ़ाने' में सहायता कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यह बाजार में 'नवाचार (Innovation)' को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इन नवाचारों का प्रभाव न केवल 'उत्पादन' पर पड़ सकता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के 'उत्पादों एवं सेवाओं' पर भी हो सकता है। इसके लिए 'Atomwise' नामक एक नई कंपनी का उदाहरण लिया जा सकता है। यह कंपनी विशिष्ट व्यक्तिगत अणुओं (Molecules) की 'जैव–सक्रियता (Bioactivity)' को प्रदर्शित करने के लिए 'न्यूरल नेटवर्क (Neural Networks)' का उपयोग करते हुए संभावित नई दवाओं (Drug Candidates) की पहचान करने पर केंद्रित है।[11]

3.3.6. सैन्य एवं रक्षा क्षेत्र पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग लगभग प्रत्येक प्रकार के 'सैन्य अनुप्रयोग' में किया जा रहा है। सैन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए एवं अधिक उन्नत रूपों को विकसित करने के लिए 'अनुसंधान एवं विकास (Research and Development)' पर होने वाले निवेश को बढ़ाए जाने की संभावना है। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमताओं में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, 'उपग्रह चित्रों (Satellite Imagery) का विश्लेषण' तथा 'साइबर रक्षा (Cyber Defence)' जैसे क्षेत्रों में मशीन लर्निंग तकनीक की स्वचालन क्षमता अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।[12]

3.3.7. स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की 'मानवीय व्यवहार एवं आवश्यकताओं को समझने और पहचानने की क्षमता' को बेहतर बनाने में सहायता करती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Sensely नामक कंपनी द्वारा '"Molly"' नाम की एक आभासी नर्स (Virtual Nurse) विकसित की गई है। इसका उपयोग 'रोगियों की निगरानी करने तथा उनकी चिकित्सकीय मुलाकातों (Doctor Visits) पर नज़र रखने' में सहायता के लिए किया जाता है।[13]

3.3.8. श्रम बाजार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः बहुत से लोग 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के श्रम बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव' को लेकर चिंतित हैं। 'Pew Research Center' द्वारा किए गए विशेषज्ञ सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग आधे विशेषज्ञ (48 प्रतिशत) का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जितने रोजगारों का सृजन करेगी, उससे अधिक रोजगारों को समाप्त कर देगी। वहीं, अन्य ''52 प्रतिशत विशेषज्ञों' का मानना है कि वर्ष '2025 तक तकनीक जितने रोजगारों को समाप्त करेगी, उससे अधिक नए रोजगारों का सृजन करेगी'।[14]

3.3.9. विनिर्माण उद्योग पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावः 'औद्योगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Industrial AI)' एक व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित क्षेत्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में 'सतत एवं प्रभावी प्रदर्शन' सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न 'मशीन लर्निंग एल्गोरिदम (Machine Learning Algorithms)' का निर्माण, सत्यापन तथा कार्यान्वयन करना है। यह औद्योगिक अनुप्रयोगों से संबंधित समस्याओं के समाधान प्रदान करती है तथा 'शैक्षणिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित शोध के निष्कर्षों और उद्योग में कार्यरत विशेषज्ञों एवं पेशेवरों के बीच एक सेतु' के रूप में कार्य करती है।[15]

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र में 'बुद्धिमत्ता के कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित करने की एक नई पहल' है। इसका मूल आधार यह है कि किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता, चाहे वह 'मानवीय हो या गैर–मानवीय', को प्रतीकात्मक संरचनाओं (Symbol Structures) और प्रतीकात्मक क्रियाओं (Symbolic Operations) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर में प्रोग्राम के रूप में कोडित किया जा सकता है।

यह प्रश्न कि क्या इस प्रकार उचित रूप से प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर वास्तव में 'एक स्वतंत्र मस्तिष्क या चेतन मन' का रूप धारण कर सकता है अथवा केवल मानव मस्तिष्क का अनुकरण (Simulation) कर सकता है, लंबे समय से व्यापक बहस का विषय रहा है। हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शोधकर्ताओं को इस बहस के अंतिम समाधान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसे काल्पनिक कंप्यूटर की आवश्यकता है जो मानव बुद्धिमत्ता के प्रत्येक पहलू का पूर्ण अनुकरण कर सके।

बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के अनेक पहलू, जैसे 'समस्या–समाधान, निष्कर्ष निकालना, सीखना और भाषा को समझना, पहले से ही कंप्यूटर प्रोग्रामों के रूप में विकसित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ सीमित एवं विशिष्ट

क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एल्गोरिदम ''मानव विशेषज्ञों से भी बेहतर प्रदर्शन' करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, 'सोयाबीन के पौधों में रोगों का निदान' करने जैसे विशिष्ट कार्यों में AI आधारित प्रणालियाँ प्रभावी परिणाम प्रदान कर सकती हैं। अतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं रह गई है, बल्कि यह 'सीखने, तर्क करने, समस्या–समाधान और निर्णय लेने' जैसे मानवीय बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों को कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के माध्यम से करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. Kalyanathaya, K.P. (2022). A Literature Review and Research Agenda on Explainable Artificial Intelligence (XAI). International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML), 6(1): 43-65.
2. Majumdar, D. and Chattopadhyay, H.K.(2020). Artificial intelligence and its impacts on the society. International Journal of Law, 6(5): 306-310.
3. Tai, M.C.T. (2020). The impact of artificial intelligence on human society and bioethics. Tzu-Chi Medical Journal, 32(4): 339-343.
4. Gupton, N. (2016). Understanding artificial intelligence. https://www.fi.edu/understanding-artificialintelligence retrieved on 12-07-2022.
5. Firschein, O., Fischler, M.A., Coles, L.S. and Tenenbaum, J.M. (1973). Forecasting and assessing the impact of artificial intelligence on society. IJCAI, 5(1): 105-120.
6. Naidu, A. (2019). Impact of Artificial Intelligence on Society. Indian Institute of Science, pp. 1-13.
7. Hussein, B.R., Halimu, C. and Siddique, M.T. (2021). The Future of Artificial Intelligence and its Social, Economic and Ethical Consequences. International Conference on Advances in Computing and Technology (ICACT–2020) Proceedings, 1(1): 17-19.
8. Holt, M. (2018). Artificial Intelligence in Modern Society, 1(1): 1-57.
9. Bagchi, A. (2019). Artificial intelligence in agriculture. Mindtree. Retrieved on 13-07-2022. https://www.mindtree.com/sites/default/files/201804/Artificial%20Intelligence%20in%20Agriculture.pdf.
10. Perisic, I. (2018). How artificial intelligence is shaking up the job market. retrieved on 13-07-2022, World Economic Forum https://www.weforum.org/agenda/2018/09/artificial-intelligence-shaking-up-job-market/
11. Cockburn, I.M., Henderson, R. and Stern, S. (2018). The impact of artificial intelligence on innovation (No. w24449). National Bureau of Economic Research, pp. 1-38.
12. Allen, G. and Chan, T. (2017). Artificial intelligence and national security. Cambridge (MA): BelferCenter for Science and International Affairs.https://www.belfercenter.org/publication/artificial-intelligence-and national-security retrieved on 13-07-2022.
13. Novatio. (2019). 10 common applications of artificial intelligence in health care. https://www.novatiosolutions.com/10-common-applications-artificial-intelligence-healthcare/ retrieved on 13-07-2022.
14. Smith, A. and Anderson, J. (2014). AI, Robotics, and the Future of Jobs. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2014/08/06/future-of-jobs/ retrieved on 13-07-2022.
15. Lee, J., Davari, H., Singh, J. and Pandhare, V. (2018). Industrial Artificial Intelligence for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 18(1): 20-23.

=====

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, डॉ. संतोष कुमार (2026)। समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 96–101। https://doi.org/10.5281/zenodo.23016875

Bundelkhand Journal of Academic Research

व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव

प्रो. निरूपमा सिंह

प्रोफेसर (समाजशास्त्र), समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** niroopmasingh@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23016965

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन सोशल मीडिया का व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, दैनिक जीवन, पारिवारिक एवं मित्र संबंधों तथा समय–प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के अमौसी क्षेत्र स्थित चिल्लवा गांव को बनाया गया। अध्ययन में सोशल मीडिया के सक्रिय उपयोगकर्ताओं को उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया और कुल 24 उत्तरदाताओं से प्राथमिक जानकारी प्राप्त की गई। अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, मौखिक संवाद तथा व्यक्तिगत अध्ययन जैसे प्राथमिक स्रोतों के साथ पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी दस्तावेजों और उपलब्ध द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि सोशल मीडिया संचार, मनोरंजन, सूचना और नए लोगों से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से समय की बर्बादी, पारिवारिक संवाद में कमी, सामाजिक दूरी तथा तनाव जैसी समस्याएं भी उभरती हैं।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 09 सितंबर, 2026	**स्वीकृत:** 20 सितंबर, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
सारणी: 04	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 06
मुख्य शब्द: संचार क्रांति, तकनीक, प्रभाव, सोशल मीडिया, व्यवहार, नेटवर्किंग साइट्स।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : आधुनिक सूचना एवं संचार क्रांति ने इंटरनेट और स्मार्टफोन को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। सोशल मीडिया ने संचार के पारंपरिक तरीकों को बदलते हुए व्यक्ति को विचार, अनुभव, उपलब्धि, चित्र और वीडियो साझा करने का त्वरित मंच उपलब्ध कराया है। सोशल मीडिया अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, निर्णयों, व्यवहार और सामाजिक सहभागिता को भी प्रभावित करता है।

वर्तमान आधुनिक युग को सूचना एवं संचार क्रांति का युग कहा जाता है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने सोशल मीडिया को लोगों की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। 2007–2008 में इंडिया टुडे के सर्वेक्षण से यह तथ्य उभरा की युवाओं के लिए कनेक्टिविटी संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है और मोबाइल तथा इंटरनेट बिल उनकी कुल आय का 10 फीसदी होता है। हिंदुस्तान में नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करीब 1 करोड़ है पर यह आंकड़ा भी भ्रम पैदा करने वाला है। यहाँ लगभग 10–20 लाख लोग बिग अड्डा, भारतस्टूडेंट, और वी भारत जैसे भारतीय नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करते हैं, जो वस्तुतः पश्चिम की साइट्स की सीधी नकल है।

सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से व्यक्ति नए सामाजिक संबंध बनाता है और अपने मौजूदा संबंधों को डिजिटल माध्यम से बनाए रखता है। आज जन्म–मृत्यु, नामकरण, शादी आदि आयोजनों का क्रमिक ब्यौरा अब फेसबुक में फोटोग्राफ में देखिए, वीडियो भी पोस्ट की जा सकती है। कहीं भी आना–जाना, मुलाकात, फोटो खींचने का अवसर बन जाता है। यह सामाजिकता का प्रदर्शनवाद है जो फेसबुक को नए सिरे से व्याख्यायित करता है। प्ले, डिस्प्ले और रिप्लाई तो आज रोजमर्रा का कार्य है। फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय पियरे बोर्दियू ने अपनी पुस्तक, ऑन फोटोग्राफी में बताते हैं कि 'मध्यमवर्गीय लोगों के एल्बम में फोटोग्राफ जीवन के एक छोटे से दृश्य की तरह होते हैं और परिवार के एल्बम घटनाओं का ही सामाजिक दस्तावेज होते हैं।' इस प्रकार सोशल मीडिया ने सामाजिकता के स्वरूप और अभिव्यक्ति के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है।

1.1. अध्ययन का सामाजिक महत्व: अध्ययन का मूल प्रश्न यह है कि सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार को किस दिशा में प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों, पेशेवरों तथा गृहणियों के संदर्भ में यह जानना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल तकनीक पहचान–निर्माण, पारिवारिक संबंधों, मित्रता, सामाजिक सहभागिता, तनाव और समय–प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस अध्ययन का सामाजिक महत्व

इस तथ्य में निहित है कि सोशल मीडिया के प्रभाव एकांगी नहीं हैं। यह नए संबंधों के निर्माण, सूचना तक पहुंच, मनोरंजन और करियर संबंधी अवसरों में सहायक हो सकता है, जबकि अत्यधिक उपयोग से प्रत्यक्ष सामाजिक संवाद में कमी और डिजिटल निर्भरता जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

1.2. अध्ययन के उद्देश्य: प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. सोशल मीडिया के उपयोग और व्यक्ति के दैनिक सामाजिक व्यवहार के बीच संबंध को समझना।
2. सोशल मीडिया के व्यक्ति के पारिवारिक एवं मित्र संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान करना।
4. सोशल मीडिया के उपयोग में समय–व्यतीत करने की प्रवृत्ति तथा समय–प्रबंधन की समस्या को समझना।
5. सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े तनाव और सामाजिक दूरी के अनुभवों का अध्ययन करना।

2. शोध पद्धति: यह अध्ययन गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है। अध्ययन में कुल 24 सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, मौखिक संवाद और व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया गया। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकों, शोधलेखों, सरकारी दस्तावेजों तथा उपलब्ध इंटरनेट/सोशल मीडिया संबंधी सामग्री का अध्ययन किया गया। आंकड़ों को प्रतिशत और सारणी के माध्यम से व्यवस्थित किया गया तथा विभिन्न आयु–वर्गों की तुलना की गई।

2.1. अध्ययन क्षेत्र: अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के अमौसी क्षेत्र स्थित चिल्लवा गांव है। यह क्षेत्र चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट स्थित है और इसमें ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी विशेषताओं का मिश्रण दिखाई देता है। क्षेत्र में गांव के निवासियों के साथ एयरपोर्ट तथा आसपास के कार्यस्थलों में कार्यरत लोग भी पाए जाते हैं। इस कारण यहां सोशल मीडिया का उपयोग संवाद, मनोरंजन, सूचना प्राप्त करने तथा कार्य–संबंधी उद्देश्यों के लिए देखा गया। सोशल मीडिया के अधिक/नियमित उपयोग का व्यक्ति के दैनिक सामाजिक व्यवहार पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी और प्रत्यक्ष सामाजिक संवाद में कमी से संबंधित है।

2.2. साक्षात्कार अनुसूची: साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में प्राथमिक आँकड़े एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें शोधकर्ता द्वारा पूर्वनिर्धारित प्रश्नों का एक क्रमबद्ध प्रारूप तैयार किया जाता है और उत्तरदाता से प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। यह प्रश्नावली से भिन्न है, क्योंकि इसमें सामान्यतः शोधकर्ता स्वयं प्रश्न पूछकर उत्तर दर्ज करता है।

अध्ययन में सोशल मीडिया के सक्रिय उपयोगकर्ताओं को उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया और कुल 24 उत्तरदाताओं से प्राथमिक जानकारी प्राप्त की गई। अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, मौखिक संवाद तथा व्यक्तिगत अध्ययन जैसे प्राथमिक स्रोतों के साथ पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी दस्तावेजों और उपलब्ध द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया गया।

साक्षात्कार अनुसूची–1: प्रश्न

क्रम	अनुसूची के प्रश्न	उत्तर विकल्प
1.	क्या आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं?	हाँ/नहीं
2.	क्या सोशल मीडिया से तनाव उत्पन्न होता है?	हाँ/नहीं
3.	क्या सोशल मीडिया से नए लोगों से जुड़ने में सहायता मिलती है?	हाँ/नहीं
4.	क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने से समय की बर्बादी होती है?	हाँ/नहीं
5.	क्या सोशल मीडिया का आपके दैनिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है?	हाँ/नहीं
6.	आप प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं?	एक घंटा, 2–3 घंटे, 4–5 घंटे, 5 घंटे से अधिक
7.	आप कौन–कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं?	फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि

साक्षात्कार अनुसूची–2: उत्तरदाताओं का आयु–वर्ग

आयु–वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
15–20 वर्ष	6	25.0
21–25 वर्ष	8	33.3
26–30 वर्ष	5	20.8
31–40 वर्ष	3	12.5
40 वर्ष से अधिक	2	8.3
कुल	24	100

तालिका से स्पष्ट है कि 21–25 वर्ष आयु–वर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक (33.3 प्रतिशत) हैं। इसके बाद 15–20 वर्ष आयु–वर्ग (25.0 प्रतिशत) तथा 26–30 वर्ष आयु–वर्ग (20.8 प्रतिशत) आते हैं। इससे अध्ययन में युवा उत्तरदाताओं की प्रमुख उपस्थिति स्पष्ट होती है।

साक्षात्कार अनुसूची–3: वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
विवाहित	10	41.6
अविवाहित	14	58.3
कुल	24	100

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 24 उत्तरदाताओं में 10 विवाहित (41.6 प्रतिशत) और 14 अविवाहित (58.3 प्रतिशत) हैं। अतः अध्ययन में अविवाहित उत्तरदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

3. अध्ययन की प्राप्तियां : अध्ययन की प्रमुख प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं:

1. सोशल मीडिया वर्तमान जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और विभिन्न आयु–वर्गों में इसका उपयोग पाया गया।
2. अध्ययन में लगभग 54.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा इंस्टाग्राम के सर्वाधिक उपयोग की बात सामने आई।
3. लगभग 62.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सोशल मीडिया उनके दैनिक व्यवहार को प्रभावित करता है।
4. लगभग 79.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया के कारण समय की बर्बादी का अनुभव बताया।
5. उत्तरदाताओं ने यह भी संकेत दिया कि सोशल मीडिया सोचने, बोलने, समय बिताने तथा दूसरों से संबंध बनाने के तरीकों को प्रभावित करता है।
6. कुछ उत्तरदाताओं ने परिवार में प्रत्यक्ष संवाद की कमी और आभासी संबंधों की बढ़ती महत्ता को समस्या के रूप में अनुभव किया।

सारणी–4: व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
सामाजिक संपर्क में वृद्धि	आमने–सामने संवाद में कमी
सूचना का तीव्र आदान–प्रदान	गलत सूचना एवं अफवाह
सामाजिक जागरूकता	सामाजिक ध्रुवीकरण
नए सामाजिक नेटवर्क का निर्माण	ऑनलाइन समूहों में संकीर्ण सोच
सामाजिक एवं सामुदायिक सहभागिता	साइबरबुलिंग
विचारों की अभिव्यक्ति	ट्रोलिंग एवं आक्रामकता
दूर रहने वाले लोगों से संपर्क	सामाजिक अलगाव की संभावना
सहयोग एवं सामूहिक कार्रवाई	सामाजिक तुलना एवं दिखावे की प्रवृत्ति

4. व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव : सोशल मीडिया आधुनिक समाज में व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। सोशल प्लेटफॉर्म ने संचार को त्वरित, व्यापक और निरंतर बना दिया है। इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में दिखाई देते हैं।

4.1. सामाजिक संबंधों पर प्रभाव: सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और परिचितों से भौगोलिक दूरी के बावजूद संपर्क बनाए रख सकता है। पुराने मित्रों से पुनः जुड़ना तथा समान रुचि वाले नए लोगों से संपर्क स्थापित करना आसान हुआ है। दूसरी ओर, अत्यधिक ऑनलाइन संपर्क कभी–कभी प्रत्यक्ष एवं आमने–सामने के संबंधों को कमजोर कर सकता है।

4.2. संचार व्यवहार में परिवर्तन: पहले सामाजिक संवाद मुख्यतः प्रत्यक्ष मुलाकात, पत्र या टेलीफोन तक सीमित था। अब संदेश, वीडियो कॉल, कमेंट, इमोजी और सोशल पोस्ट सामाजिक अभिव्यक्ति के सामान्य माध्यम बन गए हैं। इससे संचार की गति बढ़ी है, लेकिन संक्षिप्त और त्वरित संचार के कारण संवाद की गहराई प्रभावित होने की संभावना भी रहती है।

4.3. सामाजिक सहभागिता में वृद्धि: सोशल मीडिया सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी के नए अवसर प्रदान करता है। व्यक्ति किसी अभियान, सामाजिक समस्या या सार्वजनिक मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। इससे सामाजिक जागरूकता और डिजिटल नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिल सकता है।

4.4. व्यक्तित्व और आत्म–प्रस्तुतीकरण: सोशल मीडिया व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों, विचारों, रुचियों और जीवनशैली को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देता है। इसके कारण ऑनलाइन पहचान का महत्व बढ़ा है। कई लोग

अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति की तुलना दूसरों द्वारा प्रस्तुत आदर्शीकृत जीवन से करने लगते हैं, जिससे सामाजिक तुलना बढ़ सकती है।

4.5. सामाजिक मानदंडों और मूल्यों पर प्रभावः सोशल मीडिया विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और जीवन शैलियों से परिचित कराता है। इससे सहिष्णुता, विविधता और नए सामाजिक विचारों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, गलत सूचना, अफवाहें, रूढ़िवादी विचार और आक्रामक ऑनलाइन व्यवहार भी सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं।

4.6. समूह व्यवहार पर प्रभावः सोशल मीडिया ने समान विचारों वाले लोगों को डिजिटल समुदायों में संगठित करना आसान बना दिया है। इससे सहयोग और सामूहिक कार्रवाई संभव होती है। परंतु म्बीव बेंउइमत और थ्पसजमत ठनइइसम जैसी स्थितियों में व्यक्ति केवल अपने समान विचारों वाली सामग्री देखने लगता है, जिससे विचारों का ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।

4.7. सहानुभूति और भावनात्मक व्यवहारः सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति की समस्या, आपदा या सामाजिक संकट की जानकारी तेजी से फैल सकती है, जिससे सहायता और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। दूसरी ओर, ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबरबुलिंग और अपमानजनक टिप्पणियाँ सामाजिक संवेदनशीलता को कमजोर कर सकती हैं।

4.8. सामाजिक अलगावः सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का माध्यम है, लेकिन अत्यधिक उपयोग व्यक्ति को वास्तविक सामाजिक गतिविधियों से दूर भी कर सकता है। यदि ऑनलाइन संबंध वास्तविक सामाजिक संपर्क का स्थान लेने लगें, तो व्यक्ति में सामाजिक अलगाव की अनुभूति बढ़ सकती है।

4.9. युवाओं के सामाजिक व्यवहार पर प्रभावः युवाओं में सोशल मीडिया सामाजिक पहचान, मित्रता, भाषा, फैशन, मनोरंजन और विचार निर्माण को प्रभावित करता है। यह उन्हें ज्ञान, नेटवर्किंग और अभिव्यक्ति के अवसर देता है, लेकिन सामाजिक तुलना, ऑनलाइन लोकप्रियता की चिंता, साइबरबुलिंग और अत्यधिक स्क्रीन–समय जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकता है।

इस तरह यद्यपि सोशल मीडिया ने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की प्रकृति, गति और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। लेकिन यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने, सूचना एवं विचारों के प्रसार तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी है। वहीं, इसका अत्यधिक अथवा अनियंत्रित उपयोग सामाजिक अलगाव, साइबरबुलिंग, गलत सूचना, सामाजिक तुलना और धुरुवीकरण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए इसका प्रभाव केवल सोशल मीडिया के अस्तित्व से नहीं, बल्कि उपयोग की मात्रा, उद्देश्य, डिजिटल साक्षरता और व्यक्ति के वास्तविक सामाजिक संबंधों पर भी निर्भर करता है।

5. सुझाव एवं अनुशंसाएं : सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निम्न सुझाव उपयोगी हैं–

1. सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करके परिवार, मित्रों और समाज के साथ रचनात्मक संवाद के लिए किया जाए।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित विश्वसनीय जानकारी साझा की जाए।
3. सोशल मीडिया के माध्यम से रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, आपदा सहायता तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों में लोगों को जोड़ा जाए।
4. ऑनलाइन संपर्क के साथ–साथ परिवार एवं मित्रों के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात और संवाद के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाए।
5. व्यक्तियों को फर्जी समाचार, भ्रामक सूचनाओं और ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
6. सोशल मीडिया पर असहमति के बावजूद शालीन भाषा, सहिष्णुता और दूसरों के विचारों के सम्मान को बढ़ावा दिया जाए।
7. जरूरतमंद व्यक्तियों की समस्याओं को समझने और उनके लिए सहायता जुटाने में सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है।
8. उपयोगकर्ताओं को ज्ञानवर्धक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक सामग्री बनाने तथा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. युवाओं के लिए ऑनलाइन अध्ययन समूह, कौशल–विकास कार्यक्रम, रोजगार सूचना और उद्यमिता संबंधी नेटवर्क विकसित किए जा सकते हैं।
10. सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचते हुए दैनिक जीवन में अध्ययन, कार्य, परिवार, खेल और सामाजिक गतिविधियों के लिए संतुलित समय निर्धारित किया जाए।

11. पोस्ट, टिप्पणी या सूचना साझा करने से पहले उसकी सत्यता और संभावित सामाजिक प्रभाव पर विचार किया जाए।
12. केवल समान विचार रखने वाले लोगों तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और स्वस्थ संवाद करने की प्रवृत्ति विकसित की जाए।
13. सोशल मीडिया के उपयोग के लिए दैनिक समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
14. परिवार में प्रत्यक्ष संवाद और सामूहिक गतिविधियों के लिए नियमित समय रखा जाना चाहिए।
15. युवाओं को सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचनाओं की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए डिजिटल साक्षरता विकसित करनी चाहिए।
16. व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
17. शैक्षणिक संस्थानों में सोशल मीडिया के संतुलित उपयोग, डिजिटल शिष्टाचार और समय–प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

सोशल मीडिया व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को सकारात्मक दिशा देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है, यदि इसका उपयोग सामाजिक संपर्क, सहयोग, जागरूकता, सहिष्णुता और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया को वास्तविक सामाजिक जीवन का विकल्प न बनाकर वास्तविक सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाले साधन के रूप में उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की प्रकृति, गति और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने, सूचना एवं विचारों के प्रसार तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। वहीं, इसका अत्यधिक अथवा अनियंत्रित उपयोग सामाजिक अलगाव, साइबरबुलिंग, गलत सूचना, सामाजिक तुलना और ध्रुवीकरण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए इसका प्रभाव केवल सोशल मीडिया के अस्तित्व से नहीं, बल्कि उपयोग की मात्रा, उद्देश्य, डिजिटल साक्षरता और व्यक्ति के वास्तविक सामाजिक संबंधों पर भी निर्भर करता है।

अध्ययन के निष्कर्ष सोशल मीडिया के दोहरे प्रभाव की ओर संकेत करते हैं। एक ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को दूरस्थ व्यक्तियों से जुड़ने, सूचना प्राप्त करने, मनोरंजन करने तथा अपने अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं। दूसरी ओर अत्यधिक उपयोग समय–प्रबंधन, प्रत्यक्ष संवाद और पारिवारिक सहभागिता को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सोशल मीडिया को केवल सकारात्मक या नकारात्मक माध्यम के रूप में देखने के बजाय उसके उपयोग की प्रकृति, अवधि और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना अधिक उपयुक्त है।

युवा वर्ग अपने भविष्य, व्यवसाय और जीवनसाथी के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर डिजिटल माध्यम से प्राप्त विचारों और संबंधों से प्रभावित हो सकता है। साथ ही, सूचना की अधिकता और डिजिटल संपर्क के कारण तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संबंधों के स्वरूप को प्रभावित किया है। इसके सकारात्मक पक्षों में संचार की सुविधा, नए संबंधों का निर्माण, सूचना तक पहुंच और करियर संबंधी अवसर शामिल हैं। इसके नकारात्मक पक्षों में समय की बर्बादी, पारिवारिक संवाद में कमी, सामाजिक दूरी और तनाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं। अतः सोशल मीडिया का संतुलित और सजग उपयोग व्यक्ति तथा परिवार दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. देवी, रीना (2019). Impact of Social Media on Youth in Rural Area: A Sociological Study. जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन, 16(1), 861–864. https://www.ignited.in/index.php/jasrae/article/view/9617
2. सिंह, एम., और श्रीवास्तव, ए. के. (2018). Social media and youth: Self construction and impression management. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज, 8(3), 217–232. https://indianjournals.com/article/ijrss-8-3-016
3. सिंह, वी. (2019). Impact of social media on social life of teenagers in India: A case study. जर्नल ऑफ एकेडमिक पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्टडीज, 1, 13–24. https://doi.org/10.35344/japss.529285
4. इंडिया टुडे (16 दिसंबर 2009, पेज 44)
5. सिंह, निरूपमा. (2015). समाज को दिग्भ्रमित करता नशा। एसआरएस पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
6. कपूर, ए. एवं पांडेय, एस. (2025). Usage Of Social Media Platforms By Students In Rural Areas. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स।

=====

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, डॉ. निरूपमा (2026)। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 102–106। https://doi.org/10.5281/zenodo.23016965

Bundelkhand Journal of Academic Research

Human-Wildlife Interaction and Pathways to Sustainable Future Planning

Dharmendra Singh
Research Scholar (Zoology), Awadhesh Pratap Singh University Rewa, Madhya Pradesh.
(**Corresponding Author:** ds06071971@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23004541

Abstract

Human and wildlife interactions are increasingly becoming complex, mainly due Industrialisation and urbanisation resulting in habitat fragmentation, climate change etc. This increase of conflict between human and wildlife threatens human livelihoods, biodiversity conservation and stability within ecosystems. The research presented herein looks at the dynamic interactions between human beings and wildlife from an integrated and sustainable future planning perspective. The research will also identify and assess the primary drivers of conflict between human and wildlife including land use change, competition for resources and anthropogenic pressures while assessing the ecological and socio-economic impacts. The holistic behaviours of humans and wildlife have been studied using an interdisciplinary approach through ecological science, environmental planning and policy analysis in examining the effectiveness of current management strategies. The research will also use geographic case studies to reveal patterns, challenges and examples of success in mitigating the conflict between the two. The research will focus on: community participation, technological advancements, and policy innovation to enhance cooperation between humans and wildlife. Traditional knowledge systems and engagement of local stakeholders in the design of site-specific solutions is a significant consideration when developing these sustainable planning approaches.

Finally, the research develops a sustainable planning approach that integrates the two competing priorities of conservation and development. The research advocates for the restoration of habitats, the establishment of wildlife corridors, adaptive land-use planning processes and the inclusion of ecological criteria into existing urban and rural development plans. It also highlights the different role of education, awareness, and governance in promoting long-term resilience. By understanding and bridging the gap between conservation science and planning practices, this study not only contributes to the development of holistic strategies that support both biodiversity conservation and human well-being but it also aims to inform different stakeholders like policymakers, researchers, and practitioners in creating the seek balanced approaches that ensures a sustainable coexistence between humans and wildlife in the future.

Article Info			
	Received: 29 July, 2026	**Accepted:** 08 August, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 13
	Keywords:	Industrialisation, Restoration, Sustainable, Biodiversity, Conservation, Coexistence, Ecosystem.	

1. Introduction:

The interactions between humans and wildlife are an important area of research in light of the increasing impacts of environmental changes on both humans and wildlife. As more of the world's natural areas are being converted to provide for agriculture, infrastructure,

and urban growth, wildlife species have been forced to adapt to the new landscapes created by humans. These changes in the natural environment have created more opportunities for encounters between humans and wildlife, which can be harmful to the ecological integrity of the ecosystems in which they occur as well as to human health and safety. Increased levels of human-wildlife interaction can be seen most prominently in regions where land-use changes are taking place very quickly and where the boundaries between natural systems and human systems are becoming less distinct.

Interactions between humans and wildlife are not always negative, however, and can also be a reflection of the ecological dependence of both groups and of the possibility for them to coexist. When poorly managed, however, human-wildlife interactions can lead to a loss of biodiversity, create economic damage to both wildlife and humans, and pose threats to the safety of humans. The effects of anthropogenically induced climate change are adding to the challenges of managing these interactions by changing the distribution of wildlife and the patterns of migration, as well as affecting the availability of food and water resources, which in turn affects the predictability and frequency of human-wildlife interactions. Understanding the ecologic processes involved in creating and sustaining human-wildlife interactions, as well as the socioeconomic dynamics of these interactions, is essential to effectively addressing the issues surrounding them.

One of the most important elements of designing a sustainable future is to reduce conflicts and encourage co-existence through sustainable planning. Important approaches to achieving a balance between conservation and development objectives include incorporating ecological elements into development planning, improving connectivity between habitats, and involving communities affected by the decision-making process.

Further development of new technology and data-based approaches are key to improving monitoring and management efforts related to human-wildlife interactions. This study will examine the complicated history of human-wildlife interactions and support the necessity of utilizing sustainable planning in producing harmonious relationships between humans and wildlife. The goal of this research is to identify the current issues and opportunities with regard to human-wildlife interactions research and provide guidance for developing effective and inclusive, future-oriented strategies that support both biodiversity conservation goals and human development.

1.2. Objectives of the Study: The purpose of this study is to analyze the nature and impacts of the relationship between humans and wildlife from a sustainable future planning perspective. In particular, this study seeks to explore the driving forces behind human-wildlife interactions in rapidly developing areas and why they are increasing. Additionally, this study will assess both the ecological, social, and economic impacts of human-wildlife interactions on human communities and wildlife populations.

Another important objective of this study is to review existing management strategies and policies to alleviate conflicts between humans and wildlife. The study intends to review case studies and best practices in order to assess successful programs that encourage coexistence and minimize negative consequences. Additionally, the study will investigate how community engagement, traditional knowledge, and involvement are important in creating sustainable solutions.

Finally, the study intends to provide an integrated planning framework that connects conservation and development. Specifically, the study will include recommendations for conservation of habitat, land-use planning, and other policy alternative approaches that would facilitate future sustainability. Ultimately, the study will provide better understanding of how balanced and adaptive strategies can produce a harmonious relationship between humans and wildlife, while achieving ecological resilience and sustainable development.

2. Research Methodology: The research conducted uses a primary data collection process through field studies and firsthand data collection. The data collection utilized structured surveys, interviews, and direct observation within identified communities where there are substantial human/wildlife interactions. The respondents for these projects consisted of an inclusive sample of the local community, forestry officials, and environmental experts to receive a variety of perspectives.

Field visits were conducted for the purpose of documenting interaction patterns, occurrence of conflict, and mitigation measures. Once the data was collected and analysed for trends or correlations, each case study was prepared to provide more detail regarding a particular case or set of circumstances, allowing for a more in-depth understanding of the relationships between humans and wildlife, as well as their effect on sustainable planning practices.

3. Discussion and Analysis: There has been an increase in both quantity and the complexity of human-wildlife interactions as a result of the rapid pace of environmental and socio-economic change. Studies demonstrate that many instances of human-wildlife interaction become conflicts when both species have overlapping needs living in shared landscapes. The World Wildlife Fund defines human-wildlife conflict (HWC) as any instance in which wildlife has an adverse effect on a human's life, or when humans carry out activities that have an adverse effect in whatever capacity on wildlife, which can lead to outcomes such as property damage; loss of income or livelihood; or potentially threaten human lives.

A primary cause of increasing conflict between humans and wildlife is habitat loss and fragmentation. Studies have found that increasing human populations, agricultural development, and increased infrastructure development have reduced the availability of natural habitat for wildlife forcing wildlife to even move into areas dominated by humans, which we have been witnessing in the recent past. The resulting competition between humans and wildlife for resources (eg. food, water) leads to conflict. According to a study conducted in Ethiopia, conflict scenarios predominately consist of crop damage, livestock predation, and injury or death to both humans and animals. The research findings confirm that the environmental changes directly affect the interaction patterns of humans and wildlife.

The consequences associated with human–wildlife interactions are not limited to visible destruction; researchers are now focusing their studies on the social and psychological consequences. According to the results of a longitudinal study that was published in 2023 in the journal Biological Conservation, conflicts between humans and wildlife produce stress and fear among the population affected, as well as having an indirect effect on the economy due to time and resources spent protecting crops and decreased productivity. Recent studies from Ghana have also identified the way that wildlife raiding crops is adversely affecting rural communities by increasing food insecurity and mental health issues in rural populations. Therefore, it is important to understand that human–wildlife conflict is not only an ecological problem, but it also has social and economic implications.

Another aspect to consider is that human-wildlife conflict often leads to retaliatory killings of wildlife resulting in the endangerment of already at risk species because of human-wildlife conflicts. Human-wildlife conflicts have a negative impact on both wildlife populations and human livelihoods, especially in developing countries that have a high dependence on natural resources, as outlined by a global meta-analysis published in Biological Conservation. Therefore, when the local community has negative perceptions of wildlife as a result of their experiences with

human-wildlife conflict, this leads to a self-perpetuating cycle in which conservation efforts are adversely affected.

In addition, there has been a large body of study published concerning how the presence of humans impacts animal behavior. In some cases, there are two possibilities of either these animals becoming more aggressive or more dependent on human resources, which might result in increasing the likelihood of conflict. This behavioral adaptation shows that human–wildlife interactions are much more dynamic and hence require continuous monitoring.

To find solutions, sustainable planning and management strategies are key. Research supports using community-based approaches, which allow local people to be actively engaged in conservation efforts. The development of technological innovations (such as drones, GPS tracking, and predictive models) provides the opportunity to monitor wildlife movements and reduce the likelihood of human-wildlife conflict. These approaches also support early warning systems and facilitate better decision making. Integrating land use planning with ecological considerations (e.g., creating wildlife corridors and protecting habitats) may help reduce direct encounters between humans and wildlife.

Overall, the analysis reveals the complexity of human-wildlife interactions as a multi-dimensional issue with ecological, social, and economic components. Implementing effective solutions requires a more integrated approach, where development and conservation are balanced. By combining scientific knowledge, the participation of local communities, and policy interventions to minimize conflicts and to support coexistence, there is a potential to find sustainable solutions for the future of both human societies and biodiversity.

4. Challenges & Risks: The interactions between humans and wild animals frequently pose numerous threats and complications that impede efforts related to environmental conservation and human development. The primary environmental factor causing the greatest disturbances to human – wildlife interactions is the loss of and fragmentation of animal habitats, primarily due to rapid urbanization and agricultural expansion. According to an article from The World Wildlife Fund, “there are conflicts between humans and wildlife, when the animal represents a consistent and direct danger to a person’s well-being, property, or assets,” meaning that these interactions continue to occur more frequently at more dangerous levels. These types of conflicts can lead to the loss of a farmer's crop production (due to crop damage) or the depredation of a farmer's livestock (due to predation), as well as the potential for human death, especially in rural areas.

Another type of threat created by human-wildlife conflict is the retaliatory killing of wildlife species, which can threaten biodiversity and disrupt the ecosystem. According to Philip J. Nyhus (2016), “conflict reduces the possibility of achieving conservation objectives and results in declining populations of vulnerable species.” Climate change has a significant effect on both wildlife and human-wildlife conflict by changing the habits and migration characteristics of animals, making human-wildlife interactions more complicated and unpredictable. Also, social and economic inequality adds to the problem because, in general, those communities that are most adversely impacted by human-wildlife conflict are also the least equipped to deal with the challenges.

The result is that the interrelated effects of human-wildlife conflict and environmental degradation form a cycle in which achieving sustainable coexistence is unlikely to occur without targeted, collaborative, and inclusive intervention.

5. Recommendations & Directions: Integrated and anticipatory strategies are needed to decrease human-wildlife interactions, balancing preservation and human growth. To implement this, it is highly recommended that the community-based conservation approach, where local people participate directly in decision-making and management of their own resources, is adopted.

"The local community's attitude toward wildlife has a significant impact on conservation outcomes." (Surbhi Bhatia et al. 2013). Hence, promotional and educational programming are critical for this process.

Another direction to pursue is technology. Utilizing GPS tracking, early warning systems, and data-based monitoring will aid the ability to anticipate and prevent conflict. Strengthening land-use planning by incorporating wildlife corridors and restoring critical habitat will further limit direct encounters. The policies should promote fair compensation and support systems for affected communities to ensure that conservation does not unduly burden vulnerable populations.

Research by Claudio Sillero-Zubiri et al. (2007), indicated that "coexistence is achievable if both ecological requirements and human interests are addressed," highlighting the necessity of integrated planning. Future research continues to develop adaptive management approaches using interdisciplinary disciplines. Ultimately, through the combination of scientific understanding, policy support and community empowerment, human and wildlife can sustain future generations in a co-existent manner.

Conclusion: There has been an increase of human and animal interaction which is concerning about the way living on land has changed due to urban growth, destruction of natural environments, farming expanding, and climate changes, leading to conflicts that can threaten livelihoods for both humans and animals.

Research (Philip J Nyhus 2016) illustrates the fact that human-animal conflicts are causing immediate losses due to damage to crops, killing of livestock by predators and threats posed by dangerous animals, as well as having negative long term effects on ecosystems caused by animals being killed because of their predation or the need for food; disruption in the balance of the ecosystem and adaptive behaviours being observed in wild animals. The study (Sisay Mekonen 2020) states that the highest occurrences of human-animal conflicts occur between the rural areas which depend on natural resources, thus this needs specific context-based solutions that incorporate local requirements along with conservation efforts.

The study indicates that in order to have a sustainable co-existence between humans and animals requires a multidimensional approach, which includes the use of science, policy and community involvement. Community-based conservation projects, public awareness campaigns and the use of traditional knowledge would help improve people's feelings toward wild animals; while the use of advanced technology using tools such as global positioning systems (GPS), early warning detection systems and predictive modelling would assist in decreasing the number of direct human-animal conflicts.

To conclude, the development of humanity along with the conservation of biodiversity os both necessary and feasible through strategy, integrating researches, policy frameworks and community participation will help reduce conflicts, enable the coexistence and provide for sustainable over time by strengthening human resilience, protecting ecosystems, and ensuring that we can all live healthy and thriving in a shared landscape while contributing towards building a balanced future for both.

References:

1. Abas, Azlan, et al. (2024). A Bibliometric Review of Global Research on the Human-Wildlife Conflicts. Frontiers in Environmental Science, vol. 12, 2024, doi:10.3389/fenvs.2024.1517218.
2. Bhatia, Surbhi, et al. (2013). The Relationship between Religion and Attitudes toward Large Carnivores in Northern India. Biological Conservation, vol. 163, 2013, pp. 84–92.
3. --------- (2022). Bibliometric Analysis of Human–Wildlife Conflict: From Conflict to Coexistence. Ecological Informatics, vol. 68, May 2022, 101531, doi:10.1016/j.ecoinf.2021.101531.
4. Gross, Eva M., and J. D. Miller (2024). Human–Wildlife Conflict and Food Security: Impacts on Rural Communities in Ghana. Environmental Management, 2024.
5. Kansky, Ruth, et al. (2014). Meta-Analysis of Attitudes toward Damage-Causing Mammalian Wildlife. Conservation Biology, vol. 28, no. 4, 2014, pp. 924–938.

6. Mekonen, Sisay. (2020). Coexistence between Human and Wildlife: The Nature, Causes, and Mitigation of Human–Wildlife Conflict around Bale Mountains National Park, Southeast Ethiopia. BMC Ecology, vol. 20, no. 1, 2020.
7. Mekonen, Sisay. (2020). Coexistence between Human and Wildlife around Bale Mountains National Park: Evidence from Ethiopia. BMC Ecology, 2020.
8. --------- (2013). Human–Wildlife Conflict. Current Biology, vol. 36, no. 6, 23 Mar. 2026, pp. R240-R244, doi:10.1016/j.cub.2026.02.013.
9. --------- (2026). Human–Wildlife Conflict." World Wildlife Fund, www.worldwildlife.org/threats/human-wildlife-conflict. Accessed 4 Apr. 2026.
10. ---------- (2023). Human-Wildlife Conflict: A Bibliometric Analysis During 1991–2023." Regional Sustainability, vol. 4, no. 3, Sept. 2023, pp. 309-321, doi:10.1016/j.regsus.2023.08.008.
11. ---------- (2026). A Systematic Review of Human-Wildlife Conflicts in the Context of Ecological Change: Insights from Geospatial Applications." Global Ecology and Conservation, vol. 66, Apr. 2026, e04124, doi:10.1016/j.gecco.2026.e04124.
12. Nyhus, Philip J. (2016). Human–Wildlife Conflict and Coexistence. Annual Review of Environment and Resources, vol. 41, 2016, pp. 143–171.
13. Sillero-Zubiri, Claudio, et al. (2007). People and Wildlife: Conflict or Coexistence? Cambridge University Press, 2007.

=====

Cite the article:	Singh, Dharmendra (2026). Human-Wildlife Interaction and Pathways to Sustainable Future Planning. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 107-112. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004541

Bundelkhand Journal of Academic Research

Exploration of the Perspectives of Students, Teachers and Experts on Online Education under the National Education Policy 2020

Amit Kumar Vishwakarma[1], Babita Vishwakarma[2], Dr. Ritu Kharwar[3]

1. Assistant Professor (Psychology), Pandit Kamalapati Tripathi, Government PG College, Chandauli, Uttar Pradesh. **2. Former Research Scholar (Home Science),** Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh. **3. Professor (Home Science),** Pandit Kamalapati Tripathi, Government PG College, Chandauli, Uttar Pradesh (**Corresponding Author:** amitvnsr@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23004572

Abstract

Since the recent pandemic in India, the New Education Policy (NEP) and online education have truly emerged, advancing steadily each day. If we examine the current format of education, we can say that online education aligns meaningfully and compatibly with the present New Education Policy. The main objective of this research paper is to assess the reliability, authenticity, and significance of online education in conjunction with the New Education Policy, using various past research studies, references, conclusions, and experiences. This research paper will discuss a brief introduction to online education and the New Education Policy, along with tools, resources, challenges, progress, conclusions, etc. The obstacles in the path of online education and the New Education Policy reveal a significant difference between today's rural and urban environments, which will be highlighted as a limitation in this research paper. Observing past studies, we can conclude that online education and the New Education Policy will complement and enhance each other in the future. However, we cannot ignore the gaps that online education presents. Therefore, it can be said that online education has shown some significant positive outcomes, as well as some negative impacts.

Article Info			
	Received: 06 Aug. 2026	**Accepted:** 15 August, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 13
	Keywords: New Education Policy, Online Education, Offline Education, Cellphone.		

1. Introduction: Education is an essential component of life. The Sanskrit word ‘Shiksha’ means to instruct or to learn. Any medium can be used to educate us. Through education, humans develop cognitively, emotionally, and socially. In today’s modern times, online education is a convenient and easy way to obtain a degree. The current system of online education is like a boon. Online education allows those who, for various reasons, have not had access to education to reach new heights. Previously, we would go to a gurukul or classroom and sit in front of our teacher to learn. However, the most recent approach to education is where students receive their education online from teachers they can connect with via laptops or mobile devices (Edu, 2020).

Online education means ensuring the availability of education to the end student using technological devices. In other words, online education acts as a medium between the student and the teacher. To further define online education, we can say it is the educational content provided by a teacher to students through various devices to fulfill academic purposes. Online education is a transformed version of traditional education and is delivered remotely. According to the Pew

Research Center, during the 2010-2011 academic year, 89% of colleges and universities offered fully online, hybrid/mixed online, distance education, or other non-face-to-face types of education (Parker, Lenhart, and Moore, 2011).

The objective of human resource development is to build individuals with good moral character, intelligence, talent, happiness, and confidence. The development of a well-rounded personality that meets the demands of professionalism, competence, integrity, and ethical principles depends on this process. Human resource development is essential to serve the nation and its citizens appropriately. Education greatly helps in developing character, intellect, talent, and confidence. Using ICT in the learning process helps reduce the number of classes offered in existing schools and colleges. Also, it addresses the challenges faced by lecturers who are unable to attend due to multiple responsibilities, as well as students who cannot attend due to various personal issues. Employing online services or application tools through the Internet, hybrid or blended teaching approaches aim to improve the quality of teaching and learning. This allows students to learn without constraints of time or place. Empowerment, IT education, and usage, fostering independent learning processes, and enhancing the quality of active learning processes are all promoted (Monika et al., 2018).

Online teaching has generated significant interest, both within and outside higher education. Some see it as an opportunity to change the way of learning and the competitive environment fundamentally. For others, it offers a chance to reach new audiences. Generational differences, the acquisition of technical skills needed for medical school, or specific samples, along with learning style differences among all residents and faculty or peers, contribute to this. This presents an opportunity to adopt blended teaching models and active learning processes that allow flexibility to accommodate different learning styles and utilize all methods as needed (Pihilin, 1996).

2. Needs of Online Education: The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of online education. To maintain continuity in learning, schools and colleges around the world are turning to online platforms (UNESCO, 2020). Online teaching provides flexibility by allowing students to access resources and attend classes on their terms (Inside Higher Ed, 2018). Through online teaching, accessibility improves, enabling people from remote areas or those with physical limitations to access educational opportunities (World Bank, 2019). The rapidly changing fields have expanded the need for lifelong learning, and online education offers a way to develop skills and adapt to these changes (Pew Research Center, 2016).

By actively participating in online education, students develop their knowledge and competencies, thus becoming independent learners. Students can study not only from their homes but also from other locations, such as hostels, colleges, cyber cafes, etc. It allows economically disadvantaged students to access study materials and connect with instructors. Anyone can access online education 24/7, providing the flexibility to learn in their free time. Through web conferencing, students in online courses can connect with subject experts and learn from them, enhancing their prior knowledge. Thanks to online education, students can learn in groups remotely, fostering socialization in the process.

3. Applications of Online Education: Online education encompasses a wide range of courses and programs offered through digital channels, enabling students to access learning resources, communicate with teachers, and collaborate virtually. Many educational organizations have adopted this mode of instruction, from colleges offering fully online degree programs to K-12 schools incorporating online lessons into their curricula. According to a Babson Survey Research Group report titled "Online Learning in the United States, 2020," over 6.6 million students in the United States were taking at least one course online as of 2020. This figure underscores the growing importance of online learning as a widely used instructional strategy,

allowing students to pursue domestic and international studies and obtain degrees from the comfort of their homes.

While digital or online education cannot replace in-classroom learning, it has its advantages. It allows flexible and personalized learning according to the learner's capacity, and any digital medium can continually enhance and expand the content. The rapid increase in internet access and various government initiatives, like the Digital India campaign, have created a favorable environment for moving towards digital education. This shift is being complemented by PM E-Vidya, a national initiative launched by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to integrate all efforts related to digital/online/on-air education. It includes DIKSHA (One Nation-One Digital Platform), TV (One Class-One Channel), SWAYAM (online MOOCs on various subjects), IITPAL (a platform for exam preparation), Akashvani (through community radio and CBSE Shiksha Vani podcast), and study materials for differently-abled students developed by NIOS. All these areas of e-learning are being systematically expanded and developed by the MHRD in a phased and organized manner.

With online education, you can understand and learn any subject or topic, helping you gain more information. Many students want to attend coaching centers but are unable to due to distance; in such cases, they can take advantage of the situation and use online education for learning. When a student encounters any issue, the teacher can offer guidance. Students can learn by regularly watching or recording videos. The use of online education is a significant development in the field of education. Its adaptability, accessibility, and versatility have made meaningful learning experiences possible for students of all ages and backgrounds. The innovative potential of online education is transforming traditional teaching methods, creating a more inclusive and dynamic educational landscape, even as challenges such as the digital divide and learner engagement persist (Pankaj Dogra, 2022).

4. Barriers of Online Education: Along with the many benefits of online learning, there are also some drawbacks. Unlike a physical classroom, the positive environment provided in offline classes is missing in online learning. Offline classes offer a more enjoyable atmosphere where teachers and students can engage in focused discussions on a single subject. Additionally, excessive exposure to gadgets raises health risks such as headaches, poor vision, and lack of focus. One downside of online exams is the constant risk of losing internet connectivity during an exam. Students also face issues like slow internet speeds and server failures. Online exams have a higher possibility of cheating; often, honest students fail while those who cheat succeed.

Students find it harder to focus on their studies in online classes compared to offline ones, as their minds tend to wander. Even teachers struggle to maintain students' attention in e-classes, and students may get distracted by interacting with each other. Thus, the difficulties faced by many students remain unresolved. It has also been observed that children spend more time on mobile games, movies, social networking, YouTube, chatting, etc., rather than focusing on learning, which is a significant drawback of online education. This often leads to easy distraction, and the internet has proven to be harmful in several ways.

The downside of online education often involves wasting time on entertainment under the guise of studying. Many young people remain highly active on YouTube and social media. Although educational content is available on these platforms, they are also sources of distraction. This diversion impacts children's behavior and education negatively (Admin, 2022).

Conclusions and Suggestions: The above-mentioned previous research also demonstrates that both professors and students agree that learning through the online education system can be easier, faster, more accurate, and more efficient, as it is interactive and user-friendly. To maximize the utility of online educational studies, other educational institutions or universities can improve

academic communication efficiency, speed, and accuracy through online education services. This can be further developed using cellular-based applications, which can be accessed through devices.

When we consider the success of the utility of online education, we find that the Inland Norway University of Applied Sciences offers three main categories of courses: fully online, online with seminar-based, and on-campus courses. Due to a financial system that provides a student's financial cost upon completion, we can say that we must meet the demands of students, their future (and/or current) employers, and the general public, while also minimizing the dropout rate. As a university, to fulfill our duties, we need to maintain the quality of education at a high level. As a result, the search for the best modifications in lectures and teaching methods continues.

The use of online education is a significant development in the field of education. Its adaptability, accessibility, and versatility have enabled meaningful learning experiences for students of all ages and backgrounds. The innovative potential of online education is transforming traditional teaching methods, creating a more inclusive and dynamic educational landscape, even as challenges such as the digital divide and learner engagement persist.

References:

1. Admin. (2022, December 29). Online Education Ke Nuksan: Limitation of online education. My Knowledge. https://my-knowledge.in/online-education-ke-nuksan/
2. Allen, E., & Seaman, J. (2020). Online Learning in the United States, 2020. Babson Survey Research Group. Retrieved from https://onlinelearningsurvey.com/reports/onlinereportcard.pdf
3. Bandey, S. (2023, July 29). The need for online education, benefits and challenges of online education. Scotbuzz. https://www.scotbuzz.org/2021/06/online-shiksha-ki-aavashyakata.html
4. Edu, L. (2022, November 21). Essay on online education. Leverage Edu. https://leverageedu.com/blog/hi/
5. The World Bank (2019). Global financial development report 2019/2020: Bank regulation and supervision a decade after the global financial crisis. 2019, World Bank.
6. Higher Education Special Reports, Inside Higher Ed, June 21, 2018
7. Lervik, M. J., Vold, T., & Holen, S. (2018). Conditions for co-operating and dialogue through of utilization of technology in online education.
8. Pankajdogra. (2022, December 2). Benefits and drawbacks of online education. Carrier and Making Money blogs - Pankaj Blogs. https://pankajdograblog.com/online-shiksha-ke-labh-aur-hani/
9. Parker, K., Lenhart, A., & Moore, K. (2011). The digital revolution and higher education: College presidents, public differ on the value of online learning. Washington D.C,
10. Pew Research Center. (2016). the state of American jobs.
11. Poehlein, G. W. (1996). Universities and information technologies for instructional program issues and potential impacts. Technology Analysis & Strategic Management, 8(3), 283-290.
12. Santra, S. (2018, September 27). Benefits of Online Education. Retrieved November 6, 2025, from Franchiseindia.com website: https://opportunityindia.franchiseindia.com/hindi/article
13. UNESCO, I. (2020). Basic texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

=====

Cite the article:	Vishwakarma, Amit Kumar, Vishwakarma, Babita and Kharwar, Dr. Ritu (2026). Exploration of the Perspectives of Students, Teachers and Experts on Online Education under the National Education Policy 2020. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 113-116. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004572

Bundelkhand Journal of Academic Research

Role of Sahakar Sarathi in Strengthening Digitalization of Rural Cooperative Banks

Surbhi Purohit
PhD Scholar (Commerce), Bundelkhand University Jhansi, Uttar Pradesh.
(**Corresponding Author:** spurohit2512@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23004598

Abstract

Even though rural cooperative banks are the institutional foot soldiers of the agricultural credit system in India, they have lagged behind the commercial banks in the use of technology and hence subjected to competitive erosion, operational inefficiencies and increasing cyber risk. To provide common core banking solutions, digital payment options, cybersecurity and IT governance support, and capacity building to the sector, in July of 2025, the Government of India through NABARD, the National Cooperative Development Corporation and the participating rural cooperative banks created the shared service entity known as Sahakar Sarathi Private Limited. This paper explores the potential of this institutional innovation to enhance the digitalization of rural cooperative banks and at what level. The study is a descriptive-cum-analytical type of study, which relies entirely on secondary data collected from the Reserve Bank of India, NABARD, the Ministry of Cooperation, National Payments Corporation of India and World Bank during the study period (2018-19 to 2025-26) and analyzed through percentage, growth-rate, trend and comparative techniques. The digital deficit in the sector is not attitudinal but structural, with the Unified Payments Interface alone handling 24162 crore transactions in 2025-26, which are very large in absolute numbers. The shared-cost architecture of Sahakar Sarathi directly targets this scale problem and operational feasibility is validated by the early deployment of payment and e-KYC services using Aadhaar. This is due to the limited availability of outcome information and the voluntary nature of participation, however, the paper concludes that the initiative's developmental promise is not guaranteed.

Article Info			
	Received: 20 Aug. 2026	**Accepted:** 31 August, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 06	**Figures & Graphs:** 06	**Sources & Ref.:** 19
	Keywords:	Sahakar Sarathi; Cooperative Banks; Digitalization; Shared Service Entity; financial inclusion; CBS; NABARD.	

1. Introduction:

1.1. Rural Cooperative Banking in India: The cooperative credit movement in India is older than the modern day commercial banking system and was developed specifically to replace the informal moneylending in villages. A century later, the rural cooperative structure is still the most geographically spread out formal credit network in the country? It is organised along two arms. The short term arm is a three tier federation Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level, District Central Cooperative Banks (DCCBs) at the district level and State Cooperative Banks (StCBs) at the apex level whereas the long term arm is represented by State Cooperative Banks and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks. As of the

end of March, 2025, 34 StCBs with 2,146 branches and 351 DCCBs with 13,825 branches were connected to over 1.07 lakh PACS serving over 6.5 lakh villages, according to the Reserve Bank of India (RBI) (2025). The value of this network is not so much in its balance sheet now as its distribution. At end-March 2025, agricultural loans have been 43.4 per cent of total StCB advances and 53.6 per cent of advances by DCCB, while crop and short-term loans have been 77.7 per cent of the agricultural loans of StCB (RBI, 2025). These institutions are thus able to serve just the segments in which commercial banks are unable to reach and are costly; small, marginal farmers, tenant cultivators, artisans, rural households and village-level enterprises. The credit-deposit ratio is high in both the StCBs (116.7 per cent) and DCCBs (87.6 per cent), reflecting the fact that they do not appear to be a deposit-collection channel for rural savings, but rather a true credit conduit. This closeness of farmers to formal credit institutions is an advantage for which no other institutional alternative has been matched at a similar scale in an economy where the last-mile cost of formal credit access still determines agricultural investments.

1.2. Digitalization of Banking: The technology has experienced three waves of transformation in Indian banking. The first one took place during 1990s and 2000s, when the branches were automated and the ledgers were moved to Core Banking Solutions (CBS), which transformed the branch into a node in the centralised database. The second wave, which introduced electronic payment rails NEFT, RTGS and IMPS, added those rails to that database, separating and removing transactions from physical presence. The third and ongoing wave has been the most impactful: a digital public infrastructure interoperable and common to all. The Unified Payments Interface (UPI) was launched in April 2016, increasing the transactions processed to 703 banks with a 85 per cent share of India's digital payments in 2025–26 through 24,161.69 crore transactions valued at ₹314 lakh crore (Press Information Bureau [PIB], 2026). What's significant about this sequence is that each wave increased the entry level for banking transactions. AePS services, e-KYC, mobile and internet banking and digital lending journeys are no longer "add on" services, but have become the “process” by which retail banking is now done. If they cannot find an institution that can, then a mobile-first generation is orphaned by one that cannot meet their needs, and therefore it is no longer seen. For rural financial institutions, this represents a huge adjustment problem as the investment is often fixed and the revenue base is small and geographically limited.

1.3. Need for Digitalization of Rural Cooperative Banks: There are four pressures that are observed in the case of modernisation of Rural Cooperative Banks. The first is competitive. Commercial banks, small finance banks and payment service providers have expanded to rural markets on digital delivery, and cooperative banks that can't compete with the convenience of transactions could face the progressive loss of their younger, more mobile clients. The second is regulatory. The Reserve Bank has also issued multiple instructions to all the commercial banks, urban cooperative banks, state cooperative banks, and district central cooperative banks to shift their digital presence to the exclusive ‘.bank.in’ domain, handled by the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT). This form of compliance is not scale neutral — a mandate that applies to a small institution takes up a higher percentage of the institution's managerial and financial resources. The third pressure is related to the operation. The cooperative sector is still in significantly poorer shape than commercial banks. The gross NPA ratio of StCBs and DCCBs were at 4.8 per cent and 8.7 per cent at end-March 2025, respectively, compared to 2.2 per cent for scheduled commercial banks, and more than 38 per cent for long-term rural cooperatives (RBI, 2025). Thirty eight DCCBs had their capital below the minimum requirement of the regulator with over three fourths of them in Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and Maharashtra. Weak credit evaluation, lack of borrower information, and delayed reconciliation are some information failures, and integrated digital systems are meant to address information failures. The fourth pressure is security. While the cooperative banks are being linked to common payment rails, they are not necessarily getting defense along with the threat surface of the banking system:

Frauds in the banking system amounted to ₹34,771 crore during the year 2024–25, comprising 66.8 per cent card and internet frauds (RBI, 2025). Each of these vulnerabilities is exacerbated by the fact that many rural customers and staff are not sufficiently computer-literate.

1.4. Sahakar Sarathi: Sahakar Sarathi Private Limited (SSPL) is a shared service organization set up to enable rural cooperative banks to offer modern banking services. It was given Reserve Bank of India clearance and registered on 21 July 2025 with an authorised capital of ₹1,000 crore shared equally by NABARD, the National Cooperative Development Corporation (NCDC) and the rural cooperative banks involved at 33.33 per cent each (PIB, 2025). As described by NABARD, it is a strategic initiative to empower the rural cooperative banks to compete with the commercial banks by providing them with standardised services at a lower cost by leveraging on the economies of scale and scope etc., and also to make their capital efficient and to streamline their processes (NABARD, n.d.-a). The stated service portfolio of the entity includes the common and contemporary Core Banking Solutions, digital payment systems such as the Aadhaar enabled Payment System (AePS) and UPI, standard operating procedures, training and capacity building for technology adoption, cyber security framework and IT governance assistance, and '.bank.in' domain migration support (PIB, 2025). It was publicly unveiled by the Union Minister for Home and Cooperation at EARTH Summit in Gandhinagar (December 2025) along with a suite of related services and products for the rural banking system. In the review of the national cooperative banking roadmap held on 18 June 2026, officials said that SSPL had been implemented by the banks and e-KYC was in place in a few cooperative banks with expansion planned in some states which will make digital banking services more cost-effective for cooperative banks, and all rural cooperative banks were encouraged to join the initiative.

1.5. Research Problem: The central problem addressed in this study is: How and what extent can Sahakar Sarathi help in strengthening digitalization of rural cooperative banks? The question consists of three parts. The first is diagnostic — what are the key aspects of the digitalization gap in rural cooperative banking that a shared service organization can specifically address, and what are the aspects that it cannot address? The second is mechanistic — how would a shared technology platform actually manifest itself in terms of measurable operational efficiencies, access to customers and financial inclusion? The third is evidential — what is properly believed on the basis of the available evidence, and what can only be a proposition in the light of the current evidence?

1.6. Significance of the Study: The study has multiple implications. It spells out for rural co-operative banks if technology procurement in a pooled manner is a feasible solution to the problem of their unaffordable cost structure. For policy, it comes as the implementation is still underway and course correction is still possible, thus a description of the transmission mechanism earlier is more helpful than a hindsight analysis later. The case is a supply-side institutional cure— how small banks purchase technology— to a problem typically solved on the demand side by drives to open accounts, literacy campaigns, and so on. The nation's payment infrastructure is being brought into the populations it has least served by linking in 385 rural cooperative banks and their associated PACS network.

2. Literature Review:

Literature related to this study can be divided into three distinct streams of work, which have evolved largely independently from each other: Digital transformation research in banking, cooperative banking performance research and policy documentation of cooperative sector modernisation. The review below is organised thematically and their non-convergence is analytically interesting as such.

2.1. Digital Transformation in Banking and Operational Efficiency: An analysis of journal articles on digitization and operational efficiency in banking revealed a thematic network of articles in the period 2018-2023, with the focus in the literature on Industry 4.0 technologies, the pandemic-driven transformation, the adaptation of organizations to digital business models, and

the customer experience (Bueno et al. 2024). They make the central observation for the purposes of the present invention that there is still a lack of conceptual development of digital operational efficiency, and that a break-even analysis of digital banking is identified as an outstanding research need. Here it is relevant in a direct sense because it is a break-even argument that is the economic case for a shared service entity. Similarly, Liu et al. (2024) found that digital technology adoption served as a catalyst to cause less efficient banks to catch up with more efficient banks in Pakistan's banking sector between 2006 and 2020. If that convergence effect extends to the rest of the industry, then the banks that will benefit the most from technology adoption are the laggards – the rural co-operative banks come to mind.

2.2. Digitalization of Rural and Cooperative Banks: Chao et al. (2024) analyzed 54 rural commercial banks in China from 2010–2021 and identified mechanisms of impact on profitability, but also noted that digital transformation is not necessarily uniformly beneficial, because rural banks have limited capital buffers and technological expertise that make large investments in digital often unaffordable with long payback periods. The most direct empirical result to date: the rural banking digitalization problem is not a "managerial will" problem, but one of investment ability. Zaman and Khan (2023) used Malmquist productivity index to cooperative banks of Jammu and Kashmir for the period 2004-2019 and came to a very significant conclusion for this paper. They determined that this increase in productivity in these banks stemmed primarily from the efficiency change component and not the technological component. In other words, the Indian cooperative banks have been refining themselves with the existing resources, not by moving the production frontier using technology. A similar study by Sinha and Bhattacharyya (2021) on the performance of district cooperative banks using the efficiency measurement approach showed that there are significant differences in efficiency among the banks. These studies come together and share a common diagnosis. Cooperative banks have reached the limits of productivity from incremental operational improvements, and the next step of the technological frontier shift toward higher productivity has not taken place — and, according to Chao et al., is unlikely to take place, barring any major technological breakthroughs, because each institution will need to pay for the change independently.

2.3. Rural Banking, Digital Payments and Financial Inclusion: According to the Global Findex Database 2025, financial inclusion has increased by 79 per cent of all adults worldwide now have a financial account, compared to 74 per cent in 2021, with mobile phones being the main contributor to this growth (Demirgüç-Kunt et al., 2025). The report also highlights the continued inequalities for women and less-resourced households and identifies digital safety as a new risk. In this sense, the evidentiary pattern is the same: digital channels open up access, but that access is not even and comes with new vulnerabilities. The findings of the Indian aggregate indicators are similar. The RBI Financial Inclusion Index increased from 53.9 in March 2021 to 70 in March 2026 while the RBI Digital Payments Index went up from 100 in March 2018 to 493.22 in March 2025. The institutional makeup of that progress, however, is neither revealed by one index nor the other — whether the cooperative banks were part of it, or were swept along within it.

2.4. Cybersecurity and Digital Risk in Cooperative Banking: The scope of literature related to cybersecurity in Indian cooperative banks is very limited and is available in low-quality outlets which could not be checked independently, so it has been ignored. Regulatory and institutional are reliable evidence. On a tiered basis, the Reserve Bank has increased the requirements relating to the cyber security framework at cooperative institutions, and has also launched the '.bank.in' domain to minimise the risk of phishing and impersonation. NABARD reports providing comprehensive cyber risk insurance for rural financial institutions wherein 232 rural cooperative banks and regional rural banks are covered and the limit of liability is around ₹2,000 crore (NABARD, n.d.-a). The presence of such a centrally facilitated arrangement is indirect evidence

that, even at individual institutions, insurance was not possible on the scale that was desired, which is the motivation for a shared service entity.

2.5. Government Initiatives for Cooperative Sector Digitalization: The Computerisation of PACS is a Centrally Sponsored Project, approved for the period of 2022–23 to 2026–27, to integrate the functional PACS on a common ERP software platform of the national level and connect with NABARD through StCBs and DCCBs (NABARD, n.d.-b; Ministry of Cooperation, 2023). The initial cost of ₹2,516 crore, which was split between the Government of India (₹1,528 crore), state governments (₹736 crore) and NABARD (₹252 crore), has been increased to ₹2,925.39 crore. NABARD has also got the RBI approval for a centralised Account Aggregator platform for rural cooperative banks, developed the electronic Kisan Credit Card loan origination system and integrated it with the Unified Lending Interface through the RBI Innovation Hub and won the award in the CBS in Rural Cooperative Banks initiative from ADFIAP (NABARD, n.d.-a). A pattern of these interventions is analytically significant in that the state has often decided on technology that is to be procured centrally and then distributed to institutions rather than bought by them.

2.6. Literature Specifically Related to Sahakar Sarathi: While conducting a systematic search in academic databases and journal repositories, no peer-reviewed study of Sahakar Sarathi was found. The material available is answers given by the Ministry of Cooperation in Parliament, documentations from the Department of NABARD, Government press releases and press reports on launch and review events. That's not surprising, as the entity is only registered since July 2025 and publicly launched as of December 2025. Notably, the antecedent is documented: In November 2024, the Chairman of NABARD made the proposal of a common shared services entity for all rural cooperatives public and both the Government and RBI were in "in-principle" agreement. Hence, in the absence of outcome data, an analysis of the intention and what has actually happened in rollout is possible in the case of Sahakar Sarathi.

2.7. Research Gap: The following gaps are identified based on this literature review. First and foremost, there is no scholarly work written about Sahakar Sarathi. The first of the gaps that this paper addresses is the lack of study around a ₹1,000 crore institution whose sole purpose would be to benefit around 385 banks, and indirectly, a network of more than one lakh PACS. Secondly, the literature on digital transformation has not been connected to the cooperative banking literature. Studies of banking digitalization invariably focus on cooperative banks, at which the unit of analysis is the individual bank, making its own technology choices, while studies of cooperative banking efficiency, such as Zaman and Khan (2023), measure technology change as a result, but not as a means of acquiring it. Both sets of work have not been theorized in terms of collective-action problem of technology acquisition. Third, there has never been a study that has followed the causal mechanism from a common technology platform to operational efficiency to some financial inclusion results in the Indian context of cooperative organizations, or which has identified the conditions under which it would not be true. This paper tackles the first and second gaps directly, and provides a framework to the third gap, which will be tested with empirical data in the future when outcomes data become available.

3. Research Methodology:

3.1. Research Design: In view of the aim of the study, a descriptive-cum-analytical design is adopted with an exploratory approach. The descriptive element provides details about the structure, scale and performance of rural cooperative banking and the path of digitalization indicators. The analytical element then decodes the patterns to evaluate the mechanism by which the shared service entity might impact institutional outcomes. The exploratory nature arises from the nature of the subject– Sahakar Sarathi is still new and unstudied, therefore analytical categories must be established to be used for appraisal later on. An answer to the research question would be

impossible to obtain in a purely descriptive design and it cannot be tested in the absence of outcome data in a hypothesis-testing design.

3.2. Nature of the Study: This study is a secondary data type. A primary survey, interview and field investigation were not conducted and therefore no primary findings are reported in this paper anywhere. This is made explicit because a study of an institution serving cooperative banks could reasonably be expected to contain perception data from bank officials or customers, and the reader should not assume that there is such data from any statement in the analysis that follows.

3.3. Sources of Data: The data were collected from the Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25 and Financial Inclusion Index releases of Reserve Bank of India, the Financial Inclusion Index releases of NABARD, scheme documents, publications of the Ministry of Cooperation, parliamentary replies from the Ministry of Cooperation and the Ministry of Finance, the World Bank Global Findex Database 2025 and peer-reviewed journal articles. If a figure is only given in a parliamentary reply through press reporting, this will be outlined at the point in which it is used.

3.4. Period of Study: The study covers 2018–19 to 2025–26. The base period of the RBI Digital Payments Index (March 2018 = 100) is used as the starting point, allowing for a consistent eight-year analysis of the digitisation of payments. The banking structure and performance data is for the end-March 2025, and is the latest for which the RBI's annual comprehensive review is available. The information available on Sahakar Sarathi is up to August, 2026, the latest date when official statements could be confirmed.

3.5. Variables and Indicators: The indicators were chosen solely because good and trustworthy published data is available. The four groups are applied. The institutional structure indicators include number of StCBs, DCCBs, branches, PACS and villages served. Financial indicators include Deposits, Borrowings, Loans & Advances, Investments, Total Assets, Credit Deposit Ratio, Gross NPA Ratio, Net NPA Ratio and Capital Adequacy. The digitalization indicators include RBI Digital Payments Index, UPI transactions volume and value, number of banks live on UPI, and PACS onboarded to ERP software and declared e-PACS. The RBI Financial Inclusion Index and the data from the Global Findex account-ownership index are used to measure financial inclusion. Two other indicators which could have been analytically useful are not published, nor are they replaced by a proxy indicator, and these are the digital transaction volume of rural co-operative banks and the number of banks being onboarded to the Sahakar Sarathi.

3.6. Data Analysis: Analysis is limited to techniques appropriate to the data: percentage analysis, year/year growth rates, trend analysis for the period of study, and comparative analysis between banking segments and between levels (tier) of the cooperative structure. The results are reported in tables and diagrams. No inferential and multivariate techniques intentionally used. Regression or difference in differences would be applied to a treated entity with little to no evidence content, and the results would give the impression of greater findings than would actually exist.

3.7. Limitations: The results are limited by 5 restrictions. First of all, there is no data available in the public domain to assess the role of Sahakar Sarathi in terms of performance; however, the assessment is based on the mechanism. Second, the study is dependent on secondary data, so that the study will only be able to reflect the definitional decisions and reporting timeliness of data source agencies. Third, reporting varies from institution to institution and from state to state and the figures for the cooperative sector mask a great deal of dispersion, as is amply demonstrated by the figures for the undercapitalised DCCBs in four states. Fourth, there is no longitudinal evidence of the intervention by construction, and a durability assessment will take a few more reporting cycles. Fifth, there are some recent official statements that can only be seen via a press report of a parliamentary reply and as such are identified in the text, but not in the primary official source.

4. Role of Sahakar Sarathi in Strengthening Digitalization of Rural Cooperative Banks: This part reviews the mechanism of the impact of a shared service entity on rural bank digitalisation. This is because the digital deficit is not an issue of institutional reluctance but of scale economics, and Sahakar Sarathi can be interpreted as an attempt to address a collective-action issue in technology procurement. The key to the argument is tested in each subsection, separating between documentation and analytical inference.

4.1. Digital Infrastructure: The costs of modern banking technology have a high fixed component. The cost of a core banking platform, a data centre with disaster recovery, network connectivity, security operations and the specialist staff needed to operate it is similar, across fifty and five hundred branches. The costs are unaffordable compared with the revenue base of the average DCCB (about thirty-nine branches), but they are easily contained in the structure of 385 banks working together. This is the economic logic behind the design of Sahakar Sarathi, and is clearly stated in the description of the entity by NABARD as offering quality services through standardised processes at lower cost, with economies of scale and scope (NABARD, n.d.-a). The review of the initiative in June 2026 stated that the cost of digital banking services to the participating cooperative banks has been reduced significantly, which aligns with the design goal, but did not provide any details on the extent of the reduction. The second is a less apparent infrastructural contribution, that of standardisation. If banks go out and buy their own systems, they'll get a diversity of systems which are not able to share data — this is the kind of thing the PACS computerisation project is intended to correct at the village level. That fragmentation doesn't repeat at the bank tier when there's a common platform. This ability to prevent is a function which can be even more useful in the long run than the cost saving in the short run, as the cost of fixing interoperability failures will be much greater than the cost of preventing them.

4.2. Core Banking and Technology Adoption: The Reserve Bank of India has instructed the cooperative banks to adopt CBS and previously NABARD had adopted the CBS system in the short term cooperative structure which was awarded by ADFIAP. But the question here is not whether these banks have core banking systems but whether the core systems can be used for the functionality demanded by a bank. Sahakar Sarathi's portfolio is loaded with a common, modern CBS (PIB, 2025) and the criterion is important. An API-based integration for UPI, real-time e-KYC, digital lending journeys or account aggregator connectivity may be completely impossible on an outdated CBS that was installed ten years ago, with the sole purpose of centralising ledgers. An upgrade to such a system is not a marginal improvement but qualifies as a re-platforming exercise, and for additional costs, the same applies. The shared entity turns what many individual banks would be willing to wait to pay for into an operating cost that is borne over members— and what the researcher considers to be the biggest deal-making characteristic of the deal.

4.3. Operational Efficiency: The efficiency effects take place in four ways. Processing time moves from a manual process to a digital identity verification in selected Co-operative Banks, resulting in a multi-day documentary process reduced to just a single interaction in e-KYC. Record management enhances when transactions are recorded at the source point and not reconstructed from branch registers, and when audit cycles are shortened. Because cash logistics—especially in distant rural areas—are particularly expensive, cash volume is also reduced as it flows to electronic channels, making transaction handling cheaper in cooperative banking. Administrative overhead resides with the regulatory reporting that is produced from system data instead of manually. The findings of Zaman and Khan (2023) indicating that productivity growth in Indian cooperative banks has been due to efficiency change and not technological change is useful for the analysis. Efficiency change is directed towards the current production frontier; there is a limit to the extent to which this can be done. Technological change moves the frontier. Where shared delivery provides capability which individual banks could not afford, it provides a source of productivity growth which the sector has largely not had in its trajectory, but rather a change in it.

This is an empirical question and at this stage it is premature to say whether this will be realised or not - the DCCB net profit growth of 12.1 per cent in 2024-25 was before the intervention even took place and is not an indication of it.

4.4. Digital Customer Services: In the rural context, accessibility advantages of digital channels are normally expressed in terms of convenience, but more precisely, in terms of cost and time. A customer who has to go to the branch during business hours has to spend transport costs and opportunities that the transaction would have otherwise generated, often making the transaction itself less valuable and reducing the number of times that the account is used, which in turn means that small value transactions are once again presented in cash. Internet and mobile banking, UPI and AePS remove that constraint. One must give special mention to AePS here as it leverages the Aadhaar biometric authentication at business correspondent level, bypassing the need for a smartphone and internet connection or literacy in a banking application. The researcher believes that its designation as an early rollout priority by Sahakar Sarathi was apt with regard to the rural cooperative banks' customer base as compared to implementing a smartphone-first approach.

4.5. Financial Inclusion: Financial inclusion can be broken down into three different dimensions: access, use, and quality, and digitalisation has differential impacts on them. In the cooperative sector, access is largely provided as the network covers more than 6.5 lakh villages and is a high national account ownership. The limiting factor is usage and transaction convenience is all about that. The increase in RBI's Financial Inclusion Index for March 2026 was primarily due to the increase in usage, and the same should be the case at institutional level: a cooperative bank with low usage rate could have high dormancy even with the high number of accounts opened. There are two more channels worth mentioning. The Electronic Kisan Credit Card system has been linked with the Unified Lending Interface in the case of cooperative borrowers, and this will make it true for cooperative borrowers, as conventional credit bureaus are not present and they do not have any history of transactions.Cooperative borrowers don't have any history of transactions and don't have presence of conventional credit bureaus, so for them digital records will show the transaction history that is required for data-driven credit assessment, which platforms like the Unified Lending Interface provide. Accessibility also has an impact on saving behaviour, as when saving via a digital channel, the transaction cost of a deposit is close to zero. The qualification is that customer adoption – not just channel availability – is the driver of inclusion outcomes and that digital literacy and trust are not provided by a technology platform.

4.6. Digital Payments: India's payments system is now big enough that it comes at a real institutional cost not to participate. In 2025-26, India's digital payments on UPI volume rose 30.0 per cent, and value increased 20.59 per cent over the previous year, reaching transactions worth approximately ₹314 lakh crore, which accounted for 85 per cent of digital payments in India, and 49 per cent of the global real-time payment volume (PIB, 2026). On a note which is of special relevance to rural banking, 86 per cent of person to merchant transactions were less than ₹500, indicating that the system's centre of gravity is on the small value of the everyday transaction, not the high value transaction. The UPI now supports 703 banks, including cooperative banks, up from 44 in 2016–17. It creates a symmetry which cannot be overstated: Any customer of a rural cooperative bank can already receive an UPI payment from any participant in the system, but if a bank cannot initiate an UPI payment, it does not qualify as a viable payment instrument. Sahakar Sarathi's rollout of UPI and AePS directly tackles this imbalance. The researcher would add that the benefit is two-sided as the payments ecosystem spreads to rural areas, where it has been least known and the integration extends national infrastructure goals as well as institutional goals.

4.7. Transparency and Data Management: Cooperative banking has always been plagued with poor governance, which is linked to information asymmetry between cooperative banks and their supervisors. Digital records change that. If transactions are also reported in a common system, then the supervisory data does not need to be compiled and submitted by the institution being

supervised, altering the reporting incentive. In addition, transactions and their documentation are also subject to standard operating procedures, specifically as outlined in the scope of Sahakar Sarathi's work. A national software, ERP-based, is used to process more than 51.58 crore transactions in the village tier, as the result of the PACS computerisation project. The researcher believes that transparency is likely to be one of the more predictable outcomes of the intervention, as it is a mechanical function of the architecture and not reliant on customer or staff behaviour. It should be noted, however, that there is no universal cost of transparency for all the actors operating in these institutions, and that it can manifest itself as reluctance to join, not as overt objections (which is what voluntary membership allows).

4.8. Digital Literacy and Capacity Building: The training and capacity building for technology adoption is a part of the mandate of Sahakar Sarathi as stated in PIB (2025) and has been included appropriately as the challenge for digitalization in this sector is not entirely technological. The staff of rural cooperative banks have been working in manual or semi-automated processes since their inception, and an implementation of a new platform requires a skill set and adjustment cost. Training is seen as part of the technology deployment process not just an add-on, and a number of PACS officials have been trained along the experiences of the PACS computerisation project. The requirement on the customer side is different in kind. Rural customers must not just have digital skills, but they must also know how to detect fraud, something that is inadequately taught in formal training. In the researcher's opinion, this is the dimension of the intervention that has the least supporting evidence: while there are no published data to indicate the scale, content or effectiveness of this capacity building activity, it should not be considered an accomplished fact, but rather an open question.

4.9. Cybersecurity and Risk Management: The obvious case for pooled provision in the portfolio is Cybersecurity. Security capability has huge scale economies: a security operations centre, threat intelligence, penetration testing and incident response are too expensive to provide for a single small bank but commonplace for a shared entity that supports hundreds of banks. A second common pool problem is security: if one member of a payments network has been compromised, it exposes the network as a whole. The procurement of individual items is therefore not only inefficient, but also systemically unsound. Sahakar Sarathi holds power to oversee a cybersecurity framework, assist in the migration of IT and '.bank.in' domain as per the RBI's April 2025 announcement to introduce an exclusive banking domain to combat phishing and impersonation attacks. The integration of MuleHunter and NABARD's facilitated cyber risk insurance for 232 rural co-operative banks and regional rural banks with a combined limit of liability of about ₹2,000 crore (NABARD, n.d.-a) are visible examples of complementary measures.In June 2026, AI was evaluated as a tool for bolstering fraud detection in cooperative banking with the Indian Cyber Crime Coordination Centre. This is because the broader risk landscape warrants this focus: Card and Internet Frauds, along with other banking frauds, accounted for 66.8 per cent of all reported frauds in 2024–25 at ₹34,771 crore (RBI, 2025). The following is a cautionary note. Digitalization provides additional attack surface while it introduces greater capability within services, and a bank that gets digital channels up and running before it gets security in place is in worse shape than it was. The decision of whether they follow each other or not is up to implementation, not design.

4.10. Integration with the Digital Financial Ecosystem: The integration points documented here are UPI, AePS, and a few connections with national infrastructure led by NABARD, including centralised Account Aggregator platform for rural cooperative banks approved by the RBI, eKCC systems integrated with the Unified Lending Interface through the RBI Innovation Hub, and a pilot with the programmable Central Bank Digital Currency for purpose-bound agricultural loans in Andhra Pradesh and Odisha (NABARD). The institutional structure is also being streamlined; the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation does an analogous function

for urban co-operative banks and a Cooperative Bank of India is under consideration. The claim here is restricted to those integrations which are documented by official sources; other possible integrations – such as public credit registries, insurance distribution or systems for transferring government benefits – are not claimed because evidence of them was not found.

4.11. Overall Analytical Framework In this paper, the relationship explored is linear: Sahakar Sarathi fosters digital technology adoption, which enhances banking operations, which enhances customer services, which enhances financial inclusion, which leads to rural economic development. The evidence presented above puts a great deal of credibility on this ordering, but does not justify assuming that this is a universal process. Every link is conditional, and it is more useful to state the conditions for each link than the chain itself.

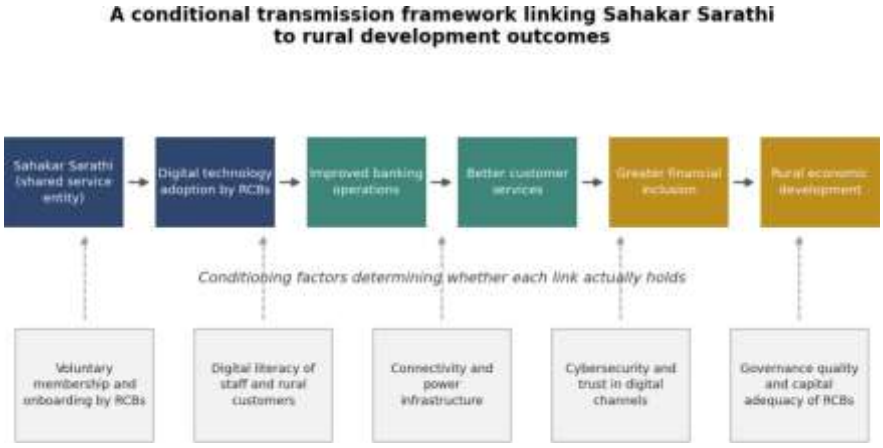


Figure 1. A conditional transmission framework linking Sahakar Sarathi to rural development outcomes.
Source: Researcher's construction, based on the institutional functions documented in PIB (2025) and NABARD and the empirical relationships reported in Chao et al. (2024) and Zaman and Khan (2023).

The first link is the most exposed. The Union Minister for Home and Cooperation was surprised to see some rural cooperative banks not joining Sahakar Sarathi and thus called for their active membership during the review in June 2026 as it is a voluntary organization. It's a problem of coordination— a shared value is created only at scale, and a bank that refuses to join into the initiative doesn't reap any of the gains. The second, from adoption to improved operations, requires staff capability and process redesign, installation of a platform alone does not provide value. The third and fourth links– operations to customer services, and inclusion– rely on customer-side adoption, which in turns requires digital literacy, reliable connectivity and power, and– crucially– trust in safety and security of digital channels. The final link, the connection between inclusion and rural development, is the least straight-forward: access to financial services is not the same as inclusion, and the extensive literature on financial inclusion and welfare outcomes does not give any reason to believe that financial inclusion is determinative. The value of the framework is a diagnostic one. When the results aren't coming through, it knows where to search: low training onboarding, inadequate process change, infrastructure issues, literacy or trust issues, and governance challenges where technology won't fix the problem. In simpler terms, Sahakar Sarathi is eliminating one particular acute limitation, namely the small banks' inability to adopt modern technology on their own. It doesn't get rid of the others, and it wasn't meant to.

5. Results:

5.1. Data Presentation: The quantitative evidence gathered under the methodology described above is in this section. All tables and figures are from published official sources and are noted below each exhibit. If a figure is the construction or interpretation of the researcher, this information is provided.

Table-1: Structure of the rural cooperative credit system in India, end-March 2025

Institutional tier	Number	Branches	Coverage / linkage
State Cooperative Banks (StCBs)	34	2,146	Apex tier, state level
District Central Cooperative Banks (DCCBs)	351	13,825	District tier
Primary Agricultural Credit Societies (PACS)	Over 1.07 lakh	—	More than 6.5 lakh villages
Short-term cooperative credit structure (total banks)	**385**	**15,971**	**Nationwide**

Source: Reserve Bank of India, Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25. Totals in the final row are computed by the researcher from the reported components.

Table 1 establishes the central structural fact underlying this study. The rural cooperative sector reaches an extraordinary number of villages through a very large number of very small institutions. An average DCCB operates roughly 39 branches and an average StCB about 63—scales at which independent investment in modern banking technology is difficult to justify commercially. The 385 banks together operate 15,971 branches, a network comparable in size to a large public sector bank but fragmented across 385 separate balance sheets, governance structures and procurement decisions.

Table-2: Key Financial Indicators of StCBs and DCCBs, 2024–25

Indicator	StCBs	DCCBs	Year-on-year change
Total assets (₹ lakh crore)	5.26	8.28	+7.7% / +8.1%
Deposits (₹ lakh crore)	2.74	5.09	+6.8% / +6.8%
Borrowings (₹ lakh crore)	1.90	1.80	+9.5% / +11.1%
Loans and advances (₹ lakh crore)	3.20	4.55	+8.6% / +7.9%
Investments (₹ lakh crore)	1.69	2.89	+8.3% / +8.7%
Credit–deposit ratio (%)	116.7	87.6	from 114.7 / 86.7
Agricultural loans (% of advances)	43.4	53.6	—
Gross NPA ratio (%)	4.8	8.7	improving
Net NPA ratio (%)	2.0	3.0	stable / from 3.4
Capital adequacy ratio (%)	13.6	about 12	—
Banks below regulatory minimum CRAR	2	38	—

Source: Reserve Bank of India, Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25. Figures relate to end-March 2025.

There are two pertinent readings of Table 2. The second is that the short-term cooperative finance structure is financially functional and improving: both deposits and advances increased in a steady manner, asset quality improved by 4 consecutive years for the StCBs and 5 consecutive years for the DCCBs, and both categories were fairly profitable. This is important because it helps to argue that it isn't a failing institution with an existential technology challenge, but a viable institution with a technology constraint. The second reading has to do with dispersion. However,

38 DCCBs are below the regulatory minimum for capital and over three-quarters of the DCCBs are in four states, suggesting that sector aggregates mask a lot of variation. It has an obvious relevance for Sahakar Sarathi, the banks that are not well positioned to fund technology for themselves are not well positioned to fund a membership contribution and are the banks most in need of a shared entity, and most difficult to enlist.

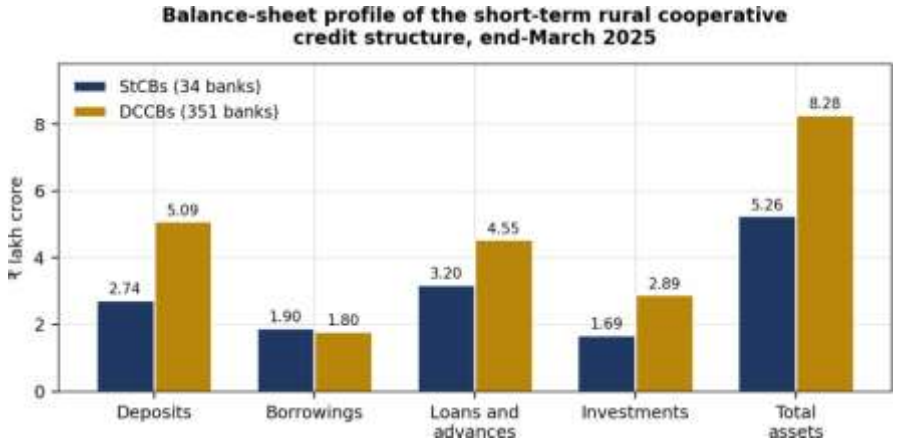


Figure-2. Balance-sheet profile of the short-term rural cooperative credit structure, end-March 2025.
Source: Constructed by the researcher from Reserve Bank of India, Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25.

Figure-2 shows a division of function within the structure. DCCBs dominate deposit mobilisation, holding ₹5.09 lakh crore against the StCBs' ₹2.74 lakh crore, which reflects their far larger branch network and a CASA share of 40.5 per cent. StCBs by contrast lend more relative to their deposit base, sustaining a credit–deposit ratio of 116.7 per cent through borrowings and NABARD refinance. The analytical significance is that the retail digital interface— the point at which customers encounter the bank — sits overwhelmingly at the DCCB tier and below, which is where digitalization investment must be concentrated if it is to affect customer experience.

Table-3: Institutional profile of Sahakar Sarathi Private Limited

Attribute	Detail
Entity type	Shared Service Entity (SSE), incorporated as a private limited company
Date of registration	21 July 2025, following approval of the Reserve Bank of India
Authorised capital	₹1,000 crore
Shareholding	NABARD 33.33%, NCDC 33.33%, Rural Cooperative Banks 33.33%
Core services	Common and modern Core Banking Solutions; digital payment systems including AePS and UPI; cybersecurity framework, IT governance and '.bank.in' domain migration support; standard operating procedures, training and capacity building
Target beneficiaries	Rural Cooperative Banks (StCBs and DCCBs)
Public launch	EARTH Summit, Gandhinagar, December 2025
Reported rollout status	AePS services rolled out; e-KYC live in selected cooperative banks; target of 100 cooperative banks by August 2026 (as reported at the ministerial review of 18 June 2026)

Source: Press Information Bureau (2025), Ministry of Cooperation; NABARD, Strategic Planning and Product Innovation Department; press reporting of the ministerial review meeting of 18 June 2026.

Table-3 documents what is verifiably known about the entity. No audited financial statements, membership register, service uptake data or independent evaluation were publicly available at the time of writing, and none has been estimated or inferred here.

Table 4: Digitalization and financial inclusion indicators, 2018 to 2026

As at March	RBI Digital Payments Index	RBI Financial Inclusion Index	Year-on-year DPI Growth (%)
2018	100.00	—	—
2019	153.47	—	53.5
2020	207.94	—	35.5
2021	270.59	53.9	30.1
2022	349.30	56.4	29.1
2023	395.57	60.1	13.2
2024	445.50	64.2	12.6
2025	493.22	67.0	10.7
2026	not yet published	70.0	—

Source: Reserve Bank of India, Digital Payments Index and Financial Inclusion Index releases. The DPI uses March 2018 = 100 and carries a four-month publication lag; the March 2026 value was not available at the time of writing. Year-on-year growth rates are computed by the researcher.



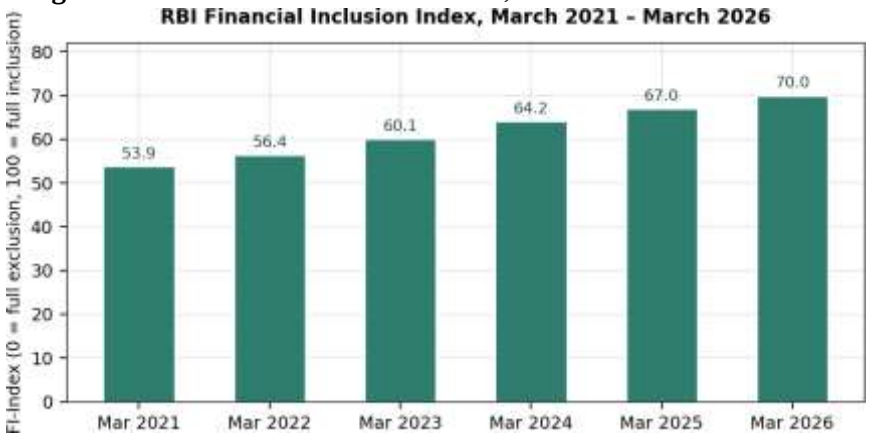
Figure-3. RBI Digital Payments Index, March 2018 to March 2025.
Source: Constructed by the researcher from Reserve Bank of India Digital Payments Index releases.

Figure-3 records a 4.9-fold increase in payment digitisation over seven years, a compound annual growth rate of approximately 25.6 per cent. The trajectory is uninterrupted but decelerating: growth fell from 53.5 per cent in 2018–19 to 10.7 per cent in 2024–25. This deceleration is the expected signature of a maturing system in which the readily digitisable segments have largely converted, and it carries a specific implication for this study. Further gains in the index depend increasingly on drawing in the harder segments— rural, low-income and institutionally underserved populations— which is precisely the constituency of rural cooperative banks. The sector's digitalization is therefore not only an institutional concern but a condition for continued progress in the national indicator.

Figure 4 shows the FI-Index rising from 53.9 to 70.0 over five years, a gain of 16.1 points. The RBI attributed the 2026 increase mainly to usage rather than access, and the 2025 increase to usage and quality, which supports the interpretation advanced in Section 4.5 that the frontier of inclusion policy has shifted from opening accounts to activating them. Since transaction

convenience is the principal determinant of account activity, this is the dimension on which digitalization of rural cooperative banks would be expected to register.

Figure-4. RBI Financial Inclusion Index, March 2021 to March 2026.



Source: Constructed by the researcher from Reserve Bank of India Financial Inclusion Index releases.

Table-5: Progress of the PACS computerisation project

Parameter	Position	Reference date
PACS taken up under the project	79,630	February 2026
PACS onboarded on ERP national software	61,478	February 2026
PACS onboarded on ERP national software	63,686	August 2026
PACS declared e-PACS	54,707	August 2026
Transactions processed on the platform	Over 51.58 crore	August 2026
Central assistance released	₹1,073.98 crore	February 2026
Revised project outlay	₹2,925.39 crore	August 2026

Source: Ministry of Cooperation, replies to Rajya Sabha questions of February 2026 and 12 August 2026, as reported in press coverage; original project outlay of ₹2,516 crore per Ministry of Cooperation scheme guidelines and NABARD project documentation.

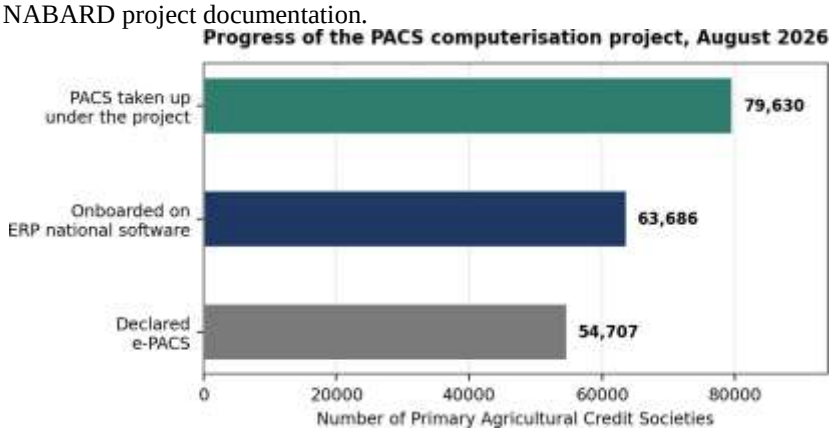


Figure 5. Progress of the PACS computerisation project, August 2026.
Source: Constructed by the researcher from Ministry of Cooperation parliamentary replies as reported.

The PACS computerisation project is not Sahakar Sarathi, but is the closest analogue, and has evidentiary weight. Three observations follow. First, the model is scalable: 63685 societies have been integrated on a single ERP platform, and have facilitated more than 51.58 crore transactions, proving that centrally acquired technology can be used for a very wide network of cooperatives. Second, it takes longer to complete than the onboarding process. Of 79,630 PACS taken up, 63,686 have been onboarded and 54,707 declared e-PACS (attrition figure of about 31

per cent between commencement and total transition to digital operation). Third, the cost was over projection, and the cost of revision is from ₹2,516 crore to ₹2,925.39 crore which is 16.3 per cent higher. The researcher believes the right inferences from the Sahakar Sarathi project is that the central technology provisioning for cooperatives is feasible, but the timeline and budget required can be expected to be longer; and the more challenging aspect is the onboarding and effective use of the technology.

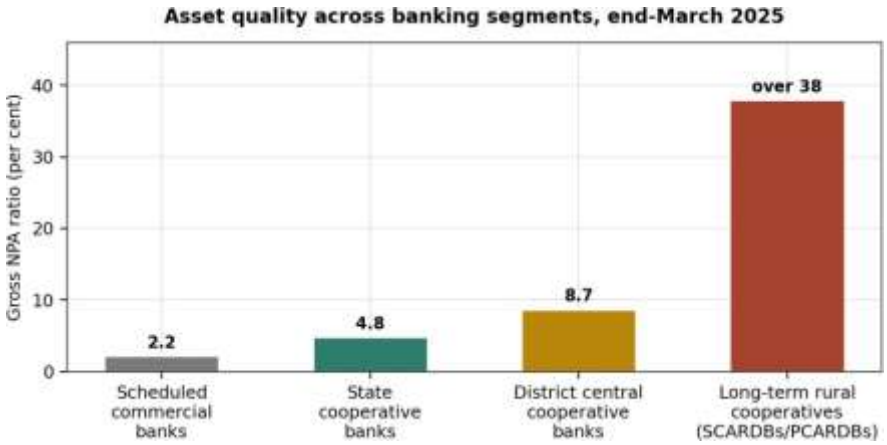


Figure-6. Asset quality across banking segments, end-March 2025.
Source: Constructed by the researcher from Reserve Bank of India, Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25.

Figure-6 places the cooperative sector's credit risk in comparative context. The DCCB gross NPA ratio of 8.7 per cent is nearly four times the scheduled commercial bank ratio of 2.2 per cent, and long-term rural cooperatives exceed 38 per cent. Digitalization does not repay a loan, and it would be an overstatement to present technology as a solution to credit stress. It does, however, address components of the problem that are informational: incomplete borrower records, delayed identification of stress, inconsistent appraisal standards and weak monitoring. The researcher's interpretation is that improved data infrastructure is a necessary but insufficient condition for better asset quality, and that the long-term cooperative tier, whose distress is most severe, falls largely outside Sahakar Sarathi's stated remit — which is confined to rural cooperative banks.

Table-6: Mapping identified digitalization constraints to Sahakar Sarathi's stated functions

Constraint identified in the analysis	Corresponding stated function	Researcher's assessment of fit
Fixed cost of core banking technology exceeds individual bank capacity	Common and modern CBS on a shared-cost basis	Direct and well matched
Inability to originate digital payments	AePS, UPI and related digital channels	Direct; AePS appropriate to customer profile
Security capability unaffordable at institutional scale	Cybersecurity framework, IT governance, '.bank.in' migration	Direct; strongest scale-economy case
Fragmented, non-interoperable systems across banks	Standard operating procedures and common platform	Direct, and preventive in effect
Staff skill deficit in digital operations	Training and capacity building	Addressed in mandate; no data on scale or effect
Customer digital literacy and fraud awareness	Not explicitly within the stated mandate	Partial at best; largely external to the entity
Connectivity and power infrastructure in rural areas	Outside the entity's remit	Not addressed
Capital adequacy and governance weakness in specific banks	Outside the entity's remit	Not addressed

Source: Researcher's analysis. Column 2 reflects functions documented in Press Information Bureau (2025) and NABARD (n.d.-a); column 3 is analytical interpretation and is not derived from any official source.

5.2. Interpretation of Results: There are four interpretations of the evidence. On technology adoption the data reveal a sector that is not only very high in payments intensity but very high and growing in intensity as well, and which is also made up of institutions that are too small to fund their own participation. Operational efficiency: When asked about productivity growth, the result is that the cooperative bank has gained productivity from efficiency change rather than technological change, which is exactly what a shared platform is designed to address, although there is no evidence at this point that it is. With regard to customers' access, the trend in the drivers of the FI-Index from access to usage suggests that the constraint is now the convenience of transaction rather than of access, which digital channels provide. On feasibility, the PACS record has confirmed that technology procured centrally can be rolled out across a large, dispersed cooperative network, and further confirmed that onboarding is quicker than effective use of the technology and that costs exceed expectations.

5.3. Key Findings: The findings below are numbered for reference. Each is marked as being on data, on literature or on the researcher's analytical inference.

- **Finding 1 (data).** The rural cooperative sector extends its outreach to more than 6.5 lakh villages with 385 banks having 15971 branches, with an average of 39 branches per DCCB and 63 per StCB, which is not commercially viable to invest in modern banking technology independently.
- **Finding 2 (data).** The short-term cooperative structure is found to be financially functional with the total assets of the StCBs and DCCBs at ₹13.54 lakh crore, deposits and advances recorded positive growth ranging from 6.8 to 8.6 per cent in 2024–25 and asset quality at the four and five consecutive positive growth.
- **Finding 3 (data).** Despite this, cooperative asset quality continues to be significantly poorer than commercial banking, with gross NPAs of 8.7 per cent for DCCB compared with 2.2 per cent for scheduled commercial banks, and 38 DCCBs with asset quality below the minimum regulatory capital, all in four states.
- **Finding 4 (data).** The scale of the national payments environment makes it much more costly for the non-participants: UPI processed 24,161.69 crore transactions in 2025-26, representing 85 per cent of India's digital payments, across 703 live banks.
- **Finding 5 (data).** The payment digitisation rate has slowed down, dropping from 53.5 per cent in 2018–19 to 10.7 per cent in 2024–25, indicating continued national progress will require targeting less penetrated parts of rural areas.
- **Finding 6 (data).** The usage of financial services is now driving financial inclusion gains, as the FI-Index rose to 70.0 in March 2026, with the RBI assessment attributing the majority of the enhancement to usage.
- **Finding 7 (data).** Centrally procured technology is proven to be deployable across the cooperative network – 63,686 PACS have been onboarded on a common ERP platform and processed more than 51.58 crore transactions.
- **Finding 8 (data).** The same record also indicates that there was some implementation friction as about 31 per cent of PACS taken up were in a state of PACS not fully operational as e-PACS with an upward revision of project outlay of 16.3 per cent.
- **Finding 9 (literature).** The digitalization deficit is not a problem of lack of interest in digitalization but the investment capacity constraint that rural banks experience, as it would be financially arduous for rural banks to pursue such hefty digital investments due to their limited capital reserves and long payback periods (Chao et al., 2024).
- **Finding 10 (literature).** The gains from the efficiency change, which appear to have dominated productivity growth in the Indian cooperative banks, are now running out of steam, whereas the gains from technological change are still to be fully utilized (Zaman and Khan, 2023).

- **Finding 11 (analytical).** Sahakar Sarathi's design aligns directly with four of the eight constraints identified for this analysis – core banking cost, payment origination capability, cybersecurity capacity and system fragmentation – partially with a fifth constraint and not with the remaining three constraints that fall outside the scope of its design.
- **Finding 12 (analytical).** The biggest risk of the initiative is that it is voluntary, and the most cost-effective its value, which means that the banks that cannot afford to implement technology on their own are also the ones that cannot afford to participate.

Conclusions and Suggestions: The objective of this study was to explore and analyse the contribution of Sahakar Sarathi in strengthening digitalisation of rural cooperative banks to what extent. The question was prompted by a certain strain in Indian rural finance. The cooperative credit system has an asset no other institutional form has yet succeeded in having – a formal banking structure in over 6.5 lakh villages and with a strong bias towards agricultural lending. However, it is made up of institutions that are individually too small to afford the technology that today's banking requires. In turn, it creates a sector with the reach, but lacking the capacity, running in an ecosystem that expanded to 24,162 crore UPI transactions per year and appears to have no patience. Four main conclusions were reached during the analysis. It is a structural, not an attitudinal, digitalisation deficit of the rural cooperative banking sector. This is not a sector that has not modernised – it is a sector that cannot and will not be economically modernised. There is evidence that the rural banks are constrained by limited capital and long payback periods. Secondly, the sector has come to the end of what can be achieved through improvement of current resources. This is because the increase in productivity growth among cooperative banks in India has been due to efficiency change and not technological change, and changing it is a challenge which no single bank possesses. Third, Sahakar Sarathi's design directly and reasonably solves this problem by spreading fixed costs over the 385 banks, and its mandated functions fall under four of the eight constraints identified in this analysis, the cybersecurity constraint being the strongest of all because of the high returns to scale of providing security. Fourth, crucially, it does not tackle, nor was it intended to tackle, connectivity and power infrastructure, customer digital literacy, or the governance and capital deficiencies of individual banks. The impact of the intervention is not confined to institutions. National payment digitisation is slowing down as the easily-digitised parts of the population are getting saturated, and financial inclusion is moving from access to use. The trends both suggest that continued national progress requires reactivating the accounts of those rural and low-income customers, and those low-income accounts are the very customers who are served by rural cooperative banks. Their digitalization is thus not only an institutional improvement but a condition of further improvement of the national indicators. The case demonstrates a new way of providing financial inclusion — from the side of the financial actors by restructuring their capability — as opposed to from the demand side through account opening drives or literacy programmes, and the computerisation of the PACS record suggests that this supply-side approach is feasible at scale as well as revealing that costs are higher than budgeted for and that onboarding has exceeded effective use. The two qualifications must be clearly expressed, as they relate to the interpretation of the results. The first deals with evidence. No audited results, membership information or independent evaluation is available, Sahakar Sarathi was registered in July 2025 and began in December 2025. All that has been said here with regard to its effect is prospective and mechanism-dependent, and it can be assumed that implementation will go beyond what is designed. The second relates to the transmission chain. Shared platform to technology adoption to operational improvement to customer service to financial inclusion to rural development is possible at each node, but not automatic at any node. The first link, being voluntary, leaves it open to just the coordination failure that the entity is trying to address, while subsequent links rely on staff skills and customer knowledge, connectivity, and trust in the security of digital channels. The basic idea of conditional transmission is offered here instead of the causal

statement, and it is used here primarily for diagnostic purposes – as a way of seeing if the expected outcomes are not seen, where to look. It's not too much to say that what can be said for sure is smaller than the policy rhetoric that goes around the initiative, but not too small. Institutional mechanisms adequate and suited to the economics of rural cooperative banking have correctly identified and dealt with a well-identified structural constraint on rural cooperative banking. That mechanism can only be judged as successful for the results it has produced based on onboarding rates, the rate of security capability's scaling with the growth in services, and the quality of capacity building that has actually been done — which is not something that can be determined from the current record. The relevance of the rural cooperative banking system as a whole is probably going to be assessed, not on the technology it offers, but on how widely it is embraced.

References:

1. Bueno, L. A., Sigahi, T. F. A. C., Rampasso, I. S., Leal Filho, W., & Anholon, R. (2024). Impacts of digitization on operational efficiency in the banking sector: Thematic analysis and research agenda proposal.
2. International Journal of Information Management Data Insights, 4(1), 100230. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2024.100230
3. Chao, N., Zhou, Y., & Yang, H. (2024). How does digital transformation affect the profitability of rural commercial banks? Heliyon, 10(8), e29412. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29412
4. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2025). The Global Findex Database 2025: Connectivity and financial inclusion in the digital economy. World Bank. http://hdl.handle.net/10986/43438
5. Liu, T. L., Naveed, M. M., Mustafa, S., & Naveed, M. T. (2024). Analysing the impact of digital technology diffusion on the efficiency and convergence process of the commercial banking industry of Pakistan. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-03184-1
6. Ministry of Cooperation. (2023). Revised scheme guidelines: Centrally Sponsored Project for Computerisation of Primary Agricultural Credit Societies. Government of India. https://cooperation.gov.in/en/guidelines-computerization-pacs-project
7. Ministry of Cooperation. (2025). Sahakar Sarathi: Reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 2560, 16 December 2025. Government of India. https://www.cooperation.gov.in/en/node/2885
8. NABARD. (n.d.-a). Strategic Planning and Product Innovation Department. National Bank for Agriculture and Rural Development. Retrieved August 17, 2026, from https://www.nabard.org/about-departments.aspx?id=5&cid=714
9. NABARD. (n.d.-b). Digitalizing cooperatives: Frequently asked questions on the PACS computerisation project. National Bank for Agriculture and Rural Development. Retrieved August 17, 2026, from https://www.nabard.org/digitalizing-cooperatives-faq.aspx
10. Press Information Bureau. (2025, December 16). Sahakar Sarathi [Press release]. Ministry of Cooperation, Government of India. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204693
11. Press Information Bureau. (2026, April 30). UPI completes 10 glorious years, emerges as world's largest real-time payments platform, anchoring India's digital economy [Press release]. Ministry of Finance, Government of India. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2257087
12. Press Trust of India. (2024, November 26). Cooperative banks expected to be digitised by March 2025: NABARD chairman. Business Standard. https://www.business-standard.com/industry/banking/cooperative-banks-expected-to-be-digitised-by-march-2025-nabard-chairman-124112601162_1.html
13. Press Trust of India. (2026, June 18). Amit Shah reviews national roadmap to boost cooperative banking, organic products, cooperative exports. Asian News International. https://aninews.in/news/national/politics/amit-shah-reviews-national-roadmap-to-boost-cooperative-banking-organic-products-cooperative-exports20260618185728/
14. Press Trust of India. (2026, July 16). RBI's financial inclusion index rises 4.48% in FY26, sees uniform growth. Business Standard. https://www.business-standard.com/economy/news/rbi-s-fi-index-rises-4-48-in-fy26-growth-across-all-sub-indices-126071601079_1.html
15. Reserve Bank of India. (2025). Report on trend and progress of banking in India 2024–25. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP291220258C89B9E5F3F240AEB82AC25A1707A8C6.PDF
16. Reserve Bank of India. (2025, April 22). Migration to '.bank.in' domain (Circular No. RBI/2025-26/28). Reserve Bank of India. (2025, July 28). Reserve Bank of India – Digital Payments Index [Press release].

17. Sinha, A., & Bhattacharyya, A. (2021). Assessing the performance of district cooperative banks: An efficiency-based approach. In S. Ananda & D. Singh (Eds.), Financial inclusion in emerging markets (pp. 95–112). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2652-4_5
18. Tech Observer. (2026, August 13). PACS digitisation: Centre brings 63,686 societies online in ₹2,925 crore push [Report of a written reply by the Minister for Cooperation to the Rajya Sabha, 12 August 2026]. https://techobserver.in/news/egov/pacs-digitisation-63000-societies-online-2925-crore-327747/
19. Zaman, A. U., & Khan, N. A. (2023). Decomposition of productivity growth among the cooperative banks in Jammu and Kashmir (India). Humanities and Social Sciences Communications, 10, Article 72. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01561-w

Paper Information Summary

Item	Detail
Approximate word count	About 8,000 words of text and exhibits, excluding references and this summary
Approximate page count	About 19 pages of main text excluding references; the length reflects the six tables and six figures carried within the body, and the core argument occupies roughly 11–12 pages of continuous prose
Number of tables	6
Number of charts/figures	6
Number of references	19
Study period	2018–19 to 2025–26 (institutional data to August 2026)
Research design	Descriptive-cum-analytical with an exploratory component; secondary data only
Data sources	RBI, NABARD, Ministry of Cooperation, Press Information Bureau, NPCI (via official releases), World Bank Global Findex, peer-reviewed journals
Key limitation	No Sahakar Sarathi-specific outcome, membership or audited performance data are publicly available; the assessment of its role is prospective and mechanism-based rather than outcome-based

=====

Cite the article:	Purohit, Surbhi (2026). Role of Sahakar Sarathi in Strengthening Digitalization of Rural Cooperative Banks. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 117-135. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004598

Bundelkhand Journal of Academic Research

From Privilege to Right: Transformation of Passport Issuance in Post-Independence India

Aastha Sharma[1], Dr. Reena Sharma[2]

1. **Research Scholar (Sociology)**, S.D. Degree College Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2. **Professor (Sociology)**, Department of Sociology, S.D. Degree College Ghaziabad, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** aastha.sharma421@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23004633

Abstract

The Indian passport has undergone a significant transformation from a colonial instrument of surveillance and executive control to a citizen-oriented mechanism that facilitates international mobility and economic opportunity. While the passport system initially retained many restrictive features after Independence, constitutional developments and administrative reforms gradually reshaped its legal and institutional character. This paper examines the historical evolution of passport governance in post-independence India, with particular emphasis on constitutional jurisprudence, legislative reforms and digital transformation. Adopting a qualitative doctrinal approach, the study draws upon judicial decisions, government reports, policy documents and scholarly literature to analyse this transition. It argues that landmark judicial interventions, especially Satwant Singh Sawhney v. Assistant Passport Officer (1967) and Maneka Gandhi v. Union of India (1978), established the right to travel abroad as an essential component of personal liberty under Article 21 of the Constitution. The study further examines the role of the Passport Seva Project, Passport Seva Kendras, Post Office Passport Seva Kendras and biometric e-passports in improving accessibility, transparency and administrative efficiency. It concludes that the contemporary passport system represents more than an administrative document; it reflects the expansion of constitutional rights, strengthened state capacity and India's growing integration into an increasingly interconnected global society.

Article Info			
	Received: 23 Aug, 2026	**Accepted:** 04 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 19
	Keywords:	Passport Governance, Citizenship, Right to Travel, Article 21, Digital Governance, Seva Project, e-Passpor.	

1. Introduction:

A passport carries two journeys—the traveler's and the issuing state's narrative. The evolution of the Indian passport reflects a profound paradigm shift: it has transformed from a highly restrictive tool of colonial surveillance into a massive engine of global economic aspiration and citizen empowerment. Today, with over 1.38 crore (13.8 million) passports issued annually, the document stands as a testament to India's burgeoning middle class and its deep integration into the global economy.

The framework for the modern passport emerged during World War-I. Prompted by imperial anxieties over wartime subversion and political dissidents, the British administration introduced the Indian Passport Act of 1920. Passports were granted strictly at the discretion of the colonial executive. The regime sought to keep "political undesirables"—such as anti-colonial nationalists—confined within India's borders. The passport also functioned to regulate the

movement of Indian labor. While British commercial interests relied on the structured circulation of indentured labor across the British Empire, the colonial state simultaneously utilized localized protocols to filter out lower-class or "unsuitable" travelers to avoid upsetting racial and class hierarchies in white settler Dominions.

For decades following its independence in 1947, India's engagement with international travel was defined by an inheritance of colonial anxieties. The newly formed sovereign state did not immediately democratize the right to step across its borders; instead, it weaponized the passport as an instrument of elite validation and demographic containment. Operated through opaque executive discretion, the early post-independence passport regime was designed to control the state's international image by deliberately suppressing the mobility of lower-class and lower-caste citizens, fearing that an influx of uneducated laborers abroad would solidify the colonial-era stereotype of the "coolie" (Natarajan, 2022). Consequently, possessing a passport was an exclusive privilege reserved almost entirely for the socio-economic upper echelons of society.

In the 21st century, the passport has undergone a structural and psychological metamorphosis. It has evolved from a defensive administrative shield into an active enabler of global economic mobility. India has become one of the largest passport-issuing societies in the world. This explosive growth is driven by structural changes in Indian society and structural and technological reforms of its infrastructure. Partnering with the private sector, the government decentralized the application process. Densely packed, bureaucratic regional offices were replaced by hundreds of citizen-centric Passport Seva Kendras (PSKs) and Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs), taking the service deep into rural and semi-urban India.

The contemporary Indian passport is backed by assertive bilateral diplomacy, steadily expanding visa-free or visa-on-arrival access across the globe, thereby elevating its functional value as a tool of frictionless global mobility.

No longer has a mechanism of post-colonial surveillance or elite exclusion, the contemporary Indian passport served as a vital democratic asset of economic aspiration. It acts as a launchpad for a globalized middle class, a massive student diaspora and skilled professionals seeking international opportunities. This paper examines this profound institutional evolution, analyzing how the Indian passport shed its colonial shackles to become a foundational tool of global economic empowerment and citizen sovereignty.

1.1. Objectives of the Study: The study is guided by the following objectives:

1. To examine the historical and constitutional transformation of passport issuance in post-independence India from an executive privilege to a recognised component of citizens' personal liberty.
2. To analyse the role of administrative and digital governance reforms in reshaping passport issuance into a more accessible, transparent and citizen-centric public service.

2. Literature Review:

2.1. Colonial Origins of Passport Regulation: The historical evolution of the passport has attracted considerable scholarly attention, particularly in relation to colonial governance, border regulation and state surveillance. Rather than viewing the passport merely as a travel document, scholars have interpreted it as an administrative instrument through which modern states regulate mobility, establish legal identity and exercise authority over population movement.

Singha (2013) demonstrates that the passport system introduced in British India during and after the First World War was primarily designed to strengthen imperial security rather than facilitate international travel. According to her, passport regulations emerged as part of a broader surveillance framework intended to monitor political activists, revolutionaries and individuals whose movement was perceived as a threat to colonial authority. Similarly, Mongia (1999) argues that the development of passport documentation was closely linked with imperial migration

policies and racial governance, particularly in regulating the movement of indentured labour across the British Empire.

Extending this historical perspective, Torpey (2000) conceptualises the passport as one of the defining instruments through which the modern state acquired the exclusive authority to regulate legitimate movement across national borders. Likewise, Zamindar (2007) explains that the political upheavals surrounding Partition reinforced documentation practices and strengthened state control over citizenship and cross-border mobility in South Asia.

Collectively, these studies establish that the passport originated as an instrument of administrative control rather than an expression of individual rights. However, they devote relatively limited attention to the institutional transformation of the Indian passport after Independence, particularly the constitutional, administrative and technological reforms that gradually reshaped passport issuance into a citizen-oriented public service. It is within this broader historical transition that the present study is situated.

2.2. Passport, Citizenship and the Right to Mobility: The relationship between passports, citizenship and the freedom of movement has increasingly attracted scholarly attention in contemporary political and legal studies. Rather than treating the passport solely as an administrative document, recent scholarship views it as an important indicator of the evolving relationship between the state and its citizens. Access to a passport reflects not only the state's authority to regulate international mobility but also its constitutional responsibility to protect individual rights.

Natarajan (2022) argues that the Indian passport remained an exclusive privilege during the first two decades after Independence. Despite the transition to democratic governance, passport issuance continued to reflect colonial patterns of exclusion, with executive authorities exercising broad discretionary powers over citizens' mobility. The study further demonstrates that concerns regarding India's international image and labour migration significantly influenced passport policies during this period.

From a broader citizenship perspective, Jayal (2013) explains that citizenship extends beyond legal status to encompass the substantive enjoyment of rights guaranteed by the Constitution. The ability to travel abroad, seek educational opportunities, pursue employment and participate in global economic networks represents an important dimension of contemporary citizenship. Consequently, restrictions on international mobility should be understood not merely as administrative decisions but as issues affecting the effective exercise of constitutional rights.

Existing studies have substantially contributed to understanding citizenship and mobility in India. However, relatively limited attention has been devoted to examining how constitutional jurisprudence, administrative reforms and digital governance collectively transformed passport issuance from an instrument of executive discretion into a citizen-oriented public service. This broader institutional transformation provides the central analytical focus of the present study.

2.3. Constitutional Transformation of Passport Rights: The constitutional status of passport issuance in India has been examined primarily through the lens of judicial interpretation and the expanding scope of fundamental rights. Legal scholars generally agree that the evolution of passport governance cannot be understood without considering the transformative role of constitutional jurisprudence, particularly the judicial interpretation of Article 21 of the Constitution.

Austin (1999) observes that the Indian Constitution has evolved through judicial interpretation, allowing fundamental rights to respond to changing social and political realities. This constitutional dynamism became particularly significant in matters relating to individual liberty and state authority. In this context, the decision in Satwant Singh Sawhney v. Assistant Passport Officer (1967) marked a turning point by recognising that the right to travel abroad forms an integral part of personal liberty and cannot be denied without the authority of law. The

subsequent enactment of the Passports Act, 1967, provided the statutory framework governing passport issuance and established legal safeguards against arbitrary executive discretion.

The constitutional protection of mobility rights was further strengthened through Maneka Gandhi v. Union of India (1978), where the Supreme Court expanded the interpretation of Article 21 by holding that any procedure restricting personal liberty must be fair, just and reasonable. The judgment also reinforced the interrelationship between Articles 14, 19 and 21, thereby subjecting administrative decisions concerning passports to the broader principles of equality, fairness and natural justice.

While legal scholarship has extensively analysed these landmark judgments from a constitutional perspective, comparatively little attention has been devoted to examining how these judicial developments subsequently influenced administrative reforms and the modernisation of passport governance. The present study addresses this institutional linkage by analysing constitutional jurisprudence alongside administrative transformation and digital governance reforms.

2.4. Digital Governance and the Modernisation of Passport Services: The growing body of literature on digital governance suggests that public service delivery has increasingly shifted towards technology-driven administrative systems that emphasise efficiency, transparency, accountability and citizen participation. Within this broader context, passport administration has emerged as one of the most successful examples of digital public service transformation in India.

The Passport Seva Project has attracted considerable attention in studies on e-governance and public administration. Developed as a Public–Private Partnership between the Ministry of External Affairs and Tata Consultancy Services (TCS), the project introduced an integrated digital platform for passport application, document verification, appointment scheduling, police verification and service tracking. Existing studies suggest that the project significantly reduced processing time, enhanced transparency, minimised administrative discretion and improved citizens' access to passport services (Ministry of External Affairs, 2023).

The expansion of Passport Seva Kendras (PSKs) and Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs) has further strengthened last-mile service delivery by extending passport facilities to semi-urban and rural areas. Recent government reports indicate that decentralised service centres have substantially improved accessibility while reducing the geographical and administrative barriers previously faced by applicants (MEA, 2025; Ministry of Communications, 2026). Likewise, the introduction of biometric e-passports in accordance with International Civil Aviation Organization (ICAO) standards represents an important step towards strengthening document security, facilitating international mobility and enhancing the global credibility of Indian travel documents (ICAO, 2022).

Although existing studies acknowledge the administrative success of these reforms, they generally evaluate digital governance from the perspective of service efficiency and technological innovation. Comparatively less attention has been given to understanding how these reforms have transformed the relationship between the citizen and the state by making passport issuance more transparent, accessible and rights-oriented. By integrating administrative reforms with constitutional and historical developments, the present study offers a more comprehensive understanding of passport governance in contemporary India.

2.5. Research Gap: Existing scholarship on the Indian passport has primarily examined its colonial origins, diplomatic significance, or constitutional development. Historical studies have documented the emergence of passport regulations during British rule, while legal scholarship has focused on landmark judicial decisions that recognised the right to travel abroad as part of personal liberty. More recent policy discussions have highlighted improvements in service delivery through digital governance initiatives. However, these strands of literature have largely remained disconnected from one another.

There is limited scholarly work that examines the transformation of the Indian passport as a continuous institutional process linking colonial legacies, constitutional jurisprudence, administrative reforms and digital governance within a single analytical framework. In particular, insufficient attention has been paid to how technological innovations such as the Passport Seva Project, Post Office Passport Seva Kendras and biometric e-passports have expanded citizens' access to international mobility while simultaneously strengthening state capacity and public service delivery.

This paper seeks to address this gap by offering an integrated analysis of the historical, legal, administrative and technological evolution of passport governance in post-independence India. It argues that the transformation of the passport system represents not only administrative modernisation but also a broader shift in the relationship between the state, citizenship and individual mobility.

3. Research Methodology: This study adopts a qualitative doctrinal research design to examine the transformation of passport issuance in post-independence India. The analysis is based exclusively on secondary sources, including constitutional provisions, landmark judicial decisions, parliamentary legislation, government reports, policy documents, official publications of the Ministry of External Affairs and relevant scholarly literature. A historical-analytical approach has been employed to trace the evolution of the passport system from a restrictive administrative instrument to a citizen-oriented public service.

The study also applies a thematic approach to analyse the constitutional, administrative and technological dimensions of passport governance. Particular attention has been given to the impact of judicial interpretation, legislative reforms and digital governance initiatives on accessibility, transparency and service delivery. The findings are interpreted within the broader framework of citizenship, state capacity and public administration. As the study relies entirely on documentary sources, no primary survey or field investigation has been undertaken.

4. Theoretical Framework: The transformation of passport issuance in post-independence India may be understood through the complementary perspectives of citizenship and rational-legal governance. While the passport has traditionally been viewed as an administrative document authorising international travel, it also represents the evolving relationship between the state and its citizens. The institutional changes examined in this study therefore extend beyond administrative reform and reflect broader developments in constitutional rights, public administration and democratic governance.

T. H. Marshall's theory of citizenship provides an appropriate framework for understanding this transformation. Marshall (1950) argues that citizenship evolves through the progressive expansion of civil, political and social rights. Civil rights include the protection of individual liberty and freedom before the law, enabling citizens to exercise personal autonomy within a constitutional framework. From this perspective, the recognition of the right to travel abroad through judicial interpretation of Article 21 represents an important expansion of civil citizenship. The transition of passport issuance from an executive privilege to a legally protected right illustrates the broader democratisation of state institutions and the increasing recognition of citizens' constitutional entitlements.

The administrative transformation of passport services can be further understood through Max Weber's concept of rational-legal bureaucracy. Weber emphasised that modern public administration derives its legitimacy from clearly defined legal rules, institutional accountability, procedural uniformity and professional administration rather than personal discretion. The introduction of the Passports Act, 1967, followed by the establishment of the Passport Seva Project, Passport Seva Kendras (PSKs), Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs), online application systems, digital police verification and biometric e-passports reflects this transition

towards a more rule-based and technologically integrated administrative framework. These reforms have reduced procedural arbitrariness, improved transparency and strengthened citizens' confidence in public institutions.

Taken together, these theoretical perspectives provide an integrated framework for analysing how constitutional developments and administrative modernisation collectively transformed passport issuance in post-independence India. They enable the study to interpret passport reforms not merely as improvements in public service delivery but as part of a broader process through which democratic governance, state capacity and citizenship have evolved in contemporary India.

5. Historical Foundations & Post-Colonial Continuity (1914–1967)

5.1. Colonial Era: There were various phases in the evolution of Passport in India in the colonial era.

Pre 1920's: There were no standardized booklets. There were distinct means used for identification of Indians such as Letters of Identification, special permits etc. There was no specific need to hold a passport.

Passport Act 1920: After World War -I, in the prevailing conditions, there was a need to identify traveler and restrict unsolicited movement. In 1920 League of Nations International Conference on Passports was held and it led to regulation of travel for British Indian subjects

Indians needed special permission to travel to specific destinations as there was a need to intercept anti-colonial revolutionaries, communist sympathizers and wartime subversives.

5.2. Early Post Independence Era: The transition from the British Raj to an independent India in 1947 is often celebrated as a sharp rupture in governance. However, in the realm of state surveillance, border control and population management, the early post-independence state heavily relied on administrative continuity. Rather than dismantling the colonial architecture of suspicion, the newly formed Indian state inherited, adapted and institutionalized British surveillance mechanisms to navigate the anxieties of partition, state-building and geopolitical image-making.

Between 1947 and 1967, the Indian government treated the passport as a scarce privilege rather than a right. It was heavily regulated to prevent lower-class and lower-caste citizens from migrating, driven by a diplomatic anxiety that an influx of uneducated laborers would perpetuate the colonial-era "coolie stain" and damage the young nation's international prestige.

5.3. Judicial Revolution for mobility of Indians (1967; 1978):

1967: Reinterpretation of Article 21 of the constitution to expand on the principle of Freedom: In the landmark case Satwant Singh Sawhney v. Assistant Passport Officer, the Supreme Court of India fundamentally reinterpreted the nature of citizenship and personal freedom under Article 21 of the constitution. The apex court ruled that the right to travel abroad is an essential constituent of "personal liberty" guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, declaring that no citizen could be deprived of this right except according to procedures established by law. The Court famously reasoned that because a individual cannot practically cross borders or return to India without a passport, withholding it effectively deprives them of their liberty. The Court ruled that leaving passport issuance entirely to the unguided, unchanneled discretion of executive officers violated Article 14 (Equality before the Law). Without established legal criteria, the system inherently led to arbitrary discrimination. This judicial intervention effectively compelled the Indian Parliament to enact the Passports Act of 1967. The legislation marked a pivotal systemic shift, transitioning the passport from a highly gatekept state privilege into an enforceable statutory right.

1978: Inclusion of Principles of Natural Justice as the basic right: The State impounded the passport of journalist Maneka Gandhi 'in public interest' under Section 10(3) (c) of the Passports Act, refusing to provide any further reasons. Maneka Gandhi was herself a member of the highest political echelon and a journalist. The state's arbitrary impoundment of her passport demonstrated

a sociological reality: if the post-colonial state could weaponize its administrative machinery to strip an elite, highly visible citizen of her mobility without cause, the vulnerability of the average, less-privileged citizen was unimaginable.

The apex court declared that Articles 14, 19 and 21 form an inseparable "Golden Triangle," the Court recognized that human rights do not exist in isolation. Sociologically, this shifted the Indian state's legal sub-system from a rigid, mechanical application of rules to an organic, value-driven framework that prioritizes substantive human dignity over bureaucratic literalism. It established that a citizen's identity and international existence are not property owned by the government, but are intrinsic to their personhood.

5.4. Technological Transition and the modern era of Passport Issuance: With over 1.38 crore passports now issued annually, India has become one of the largest passport-issuing societies in the world. The Indian passport is now a standard rite of passage for the expanding Indian middle class, students and skilled professionals.

For decades, the standard path to an Indian passport was defined by mountains of physical paperwork, mandatory tips to middlemen and an arbitrary police verification process.

The Ministry of External Affairs (MEA) radically changed this obsolete framework by replacing manual processing with digital integration. Partnering with the private sector, the government decentralized the application process. Densely packed, bureaucratic regional offices were replaced by hundreds of citizen-centric Passport Seva Kendras (PSKs) and Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs), taking the service deep into rural and semi-urban India by making following intrinsic changes to the operations and existing framework:

- **Elimination of Paper and Intermediaries:** The modern Passport Seva system shifted the entire front-end application process online. By implementing central scheduling, mandatory online payments and direct document uploading, the state removed the physical checkpoints where touts and middlemen traditionally extracted bribes.
- **mPassport Police App and Algorithmic Auditing:** The police verification process was completely restructured via mobile integration. Using the mPassport Police App, field verification officers submit verification data directly from the applicant's doorstep using handheld smart devices.
- **Real-Time Data Pipelines:** Physical files have been replaced by secure, end-to-end encrypted networks that integrate directly with state police databases and national criminal records. By automating background checks and removing physical paperwork, the average time for police verification plummeted from nearly 49 days in 2014 to under a week in most urban centers, removing arbitrary delay points entirely.

5.5. TCS – MEA Partnership: The Passport Seva Project (PSP), executed as a Public-Private Partnership (PPP) between the MEA and Tata Consultancy Services (TCS), stands as a definitive success story of Indian e-governance. The system is established by utilizing a transaction-based pricing model. TCS invested the initial capital to build the infrastructure and the government compensates them through a fixed fee per passport application processed. There exists a strict operational wall. TCS handles non-sovereign, front-end logistics: maintaining the tech infrastructure, operating the physical Passport Seva Kendras (PSKs), providing the digital queue management system and running customer care. Conversely, the MEA retains absolute, exclusive control over sovereign, fiduciary functions: checking original documents, validating identities and executing the actual "granting" or denial of the passport. The result was a revamped and user-friendly experience resulting in rapid positive outcomes and citizen centric infrastructure leading to ease of access and utilization of fruits of digitization in a wonderful manner.

5.6. Role of POPSK's: The establishment of Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs) a joint initiative between the Ministry of External Affairs (MEA) and the Department of Posts—represents a masterful exercise in scaling state capacity. By decentralizing essential citizen

services, the Indian state has effectively bridged the geographic and digital divide between urban tech hubs and the rural hinterland.

Historically, state capacity was intensely centralized. To obtain a passport, a rural or semi-urban applicant had to travel hundreds of kilometers to a capital city or a major urban Regional Passport Office (RPO). This spatial disparity created a massive economic and physical barrier. A single passport appointment required long train journeys, expensive overnight stays. By repurposing the existing, vast infrastructure of India's Head Post Offices, the state brought the sovereign apparatus directly into the applicant's district. Rather than requiring citizens to travel to the state, the state deployed its capacity to the citizen's doorstep, enacting a form of geographic and social equity and lost daily wages.

The Department of Posts already possessed unparalleled real estate and trusted community reach. By injecting modern digital infrastructure—biometric scanners, high-speed data links and computerized queue management—into local post offices, the state transformed colonial-era mail rooms into highly efficient e-governance nodes.

While the front-end application process is entirely online, the physical requirement for biometric data collection and document verification remained a bottleneck. POPSKs eliminated this hurdle for rural citizens. POPSKs alone processed nearly 39.5 lakh (3.95 million) applications in 2025, proving that the center of gravity for global Indian aspiration has decisively shifted toward the grassroots.

5.7. E-Passports: An e-passport (or biometric passport) is a traditional paper booklet upgraded with an embedded Radio Frequency Identification (RFID) microchip and an antenna inlay, usually built into the cover. It is visually distinguished by a small, globally recognized gold biometric symbol printed on the front cover. For the modern Indian traveler—be it a student migrating for higher education or a business professional—the most tangible benefit of the e-passport is speed. Because it complies with International Civil Aviation Organization (ICAO) guidelines, it integrates seamlessly with automated border control systems (e-gates) at major international airports. Travelers simply scan their passport on a contactless reader and look into a camera for facial recognition, bypassing long manual immigration queues. By introducing robust, globally recognized biometric safeguards, India drastically reduces the global risk profile of its travel documents. This institutional reliability acts as a key diplomatic bargaining chip, systematically paving the way for expanded visa-on-arrival allowances, simplified visa processing and friction-free transnational mobility.

Conclusion: A secure, swift and democratized passport ecosystem is no longer merely an administrative achievement; it is a critical macroeconomic asset that strategically positions India within the 21st-century global economy. By digitizing the state’s frontier architecture—epitomized by the nationwide rollout of cryptographic e-passports—India has systematically elevated the sovereign trust of its national travel document.

This institutional reliability has direct geopolitical dividends. In an era where global commerce is dictated by the fluidity of human and intellectual capital, a streamlined passport system transforms India's massive demographic dividend into an agile, cross-border workforce.

By allowing professionals, tech workers and students from both metropolitan hubs and rural districts to transition seamlessly into the international market, the modern passport framework effectively operationalizes the vision of a "global workforce for a global workplace." Ultimately, as India strengthens its footprint as a global economic powerhouse, its secure and rapid

passport delivery mechanism ensures that its citizens are not contained by territorial boundaries, but are instead equipped to lead, trade and innovate on the global stage.

References:

1. Austin, G. (1999). Working a Democratic Constitution: A History of the Indian Experience, Oxford University Press.
2. International Civil Aviation Organization. (2022). Doc 9303: Machine Readable Travel Documents Part 9: Deployment of Biometric Identification and Electronic Storage of Data in MRTDs, ICAO.
3. Jayal, N. G. (2013). Citizenship and Its Discontents: An Indian History, Harvard University Press.
4. Maneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597.
5. Marshall, T. H. (1950). Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge University Press.
6. Ministry of Communications (2026). Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs) enhance last-mile connectivity, Press Information Bureau, Government of India.
7. Ministry of External Affairs (2021). Question No. 544: Passport Seva Kendras in rural and semi-urban areas, Government of India.
8. Ministry of External Affairs (2023). Annual Report 2022–2023, Government of India.
9. Ministry of External Affairs (2023). National e-Governance Plan: Success story of Passport Seva Project, Government of India.
10. Ministry of External Affairs, (2025). Successful rollout of Passport Seva Programme (PSP V2.0), Global Passport Seva Programme (GPSP V2.0) and e-Passport, Government of India.
11. Mongia, R. (1999). Race, nationality, mobility: A history of the passport, Public Culture, 11(3), 527–555.
12. Natarajan, K. (2022). The privilege of the Indian passport (1947–1967): Caste, class and the afterlives of indenture in Indian diplomacy. Modern Asian Studies, 57(2), 321–350.
13. Ovum Technology Audits (2014). On the case: TCS Indian Passport Office, Public Sector Case Study.
14. Passport Seva Project (2026). ePassport architectural overviews and frequently asked questions, Ministry of External Affairs, Government of India.
15. Satwant Singh Sawhney v. Assistant Passport Officer, New Delhi, AIR 1967 SC 1836.
16. Singha, R. (2013). The Great War and a 'Proper' Passport for the Colony: Border-crossing in British India, c. 1882–1922, The Indian Economic and Social History Review, 50(3), 289–315.
17. Torpey, J. C. (2000). The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge University Press.
18. Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.), University of California Press.
19. Zamindar, V. Y. (2007). The Long Partition and the Making of Modern South Asia: Refugees, Boundaries, Histories, Columbia University Press.

=====

Cite the article:	Sharma, Aastha and Sharma, Dr. Reena (2026). From Privilege to Right: Transformation of Passport Issuance in Post-Independence India. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 136-144. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004633

Bundelkhand Journal of Academic Research

Global Warming: It's Impact on Life on the Earth

Mr. Vivek[1], Mrs. Jyoti Maurya[2]

1. Assistant Professor (Commerce), Faculty of Commerce, Government Degree College Madhogarh, Konch, Jalaun Uttar Pradesh. **2. Assistant Professor (Chemistry),** Mahamaya Government Degree College Dhanupur, Handia, Prayagraj, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** kumarvivek1555@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23004684

Abstract

Global warming is long-term shifts in temperature and weather pattern. Today every country is facing the various problems due to global warming but no one is trying to mitigate it seriously, as a result today we are in a very dangerous situation and whole human and other creatures' life are in danger. Rising temperature is also affecting the crop patter, growth and causing various types of diseases. However, the challenge lies in the inconsistency and inadequacy of checking pollution monitoring and waste management systems, which are the root cause of global warming. The consequences of climate change due to global warming includes intense droughts, water scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting polar ice, catastrophic storms and declining biodiversity. Global warming can result in many serious alterations to the environment, eventually affecting human health. It can also be the reason of a rise in sea level, a change in sleet patterns, causes to the loss of coastal land, enlarging risks of droughts and floods and threats to biodiversity. In this paper, it is tried to explore the impact of global warming on life on the earth and provide suggestions how to overcome this problem of rising temperature and global warming.

Article Info			
	Received: 24 Aug, 2026	**Accepted:** 07 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 01	**Sources & Ref.:** 21
	Keywords:	Global Warming, Life on the Earth, Environmental Issues, Rising Temperature, Climate Change.	

1. Introduction: Climate change involves gradual and changes in earth's temperature and weather patterns over a long period. Such changes can occur naturally, such as due to variations in sun's activity or major volcanic eruptions. However, over the last 200 years, human activities have been the main driver of climate change. This is largely attributed to the combustion of fossil fuels, including coal, oil and natural gas (United Nations, 2024). When fossil fuels are burned, they release greenhouse gases into the atmosphere. These gases function like a blanket around the earth, preventing heat from escaping and causing the planets temperature to rise. During 1990 to 2015, global net greenhouse gas emissions from human activities rose by 44 per cent. In 2024 energy-related carbon dioxide emissions increased by 0.8%, hitting all time high of 37.8 Gt (International Energy Agency, 2024). Industrial greenhouse gases such as perfluorocarbons (PFCs), hydrofluorocarbons (HFCs), sulphur hexafluoride (SF6), and atmospheric greenhouse gases like CO2, nitrous oxide (NOx), ozone, methane, and volatile organic compounds (VOCs) are known to contribute to climate change (Tohka, 2005).

The Earth is facing a rise in temperature due to the release of greenhouse gases caused by human activities, notably the Industrial Revolution. CO2 is the primary greenhouse gas emitted,

and it can capture and retain infrared energy (Yoro and Daramola, 2020). Temperature as a climatic parameter is defined as possessing a quality of being measured and stands as a very crucial parameter of observing multiple processes (Strom, 2019). It is an evolving component arising due to an exchange of heat between all the components and elements which are located in an area in which land cover elements come at the forefront (Globe, 2014). The Earth's average surface temperature has been steadily increasing since the 1950s, and this pattern is projected to persist from 1980 to 2099 (Cai et al., 2021). Projections indicate that global sea levels are anticipated to increase by 0.18 to 0.59 meters between 1980 and 1999 (Simpson et al., 2014). Pollution is a significant contributor to the phenomenon of climate change. Climate change, acid rain, ozone depletion, and a slew of diseases (such as cancer, respira¬tory and skin ailments, and others) are only a few of the world's repercussions of air, water, and soil pollution (Gates, 2023). Many people view climate change primarily as a rise in temperatures but warming is just the start. Since Earth is a system where all parts are connected, changes in one area can affect others. The main greenhouse gases responsible for climate change are carbon dioxide and methane These gases are produced by using gasoline in vehicles, burning coal, clearing land and cutting down forests. Agriculture, oil and gas activities are significant sources of methane emissions. The primary sectors that contribute to greenhouse gas emissions are energy, industry, transportation, buildings, agriculture and land use. Environmental pollutants are harmful chemicals that enter the environment through human activities like industrialization as well as natural events such as volcanic eruptions. These pollutants can contaminate water, air and soil posing serious risks to public health. When Humans are exposed to these pollutants primarily through inhalation, ingestion or skin contact, their metabolic system, leading to illness or diseases. The quantity of a pollutant that enters the body referred to as the "dose", and its effect depends on how long and how intensely a person is exposed.

1.1. Objectives of the study: The study is guided by the following objectives:

1. To study the impact of rising temperature on life on the Earth.
2. To provide suggestions to control rising temperature which is causing global warming.

2. Research Methodology:

The present study is descriptive in nature. We have studied various research papers, book chapters and other available online and offline study related materials. In this study, we tried to elaborate the impact of global warming or rising temperature of our earth on life. Global warming has caused the climate of the planet to lose its equilibrium in recent decades, so climate change has attracted a great deal of attention in the study of climate change.

3. Impact of Global Warming:

Since the Industrial Revolution, global greenhouse gas emissions have significantly increased due to human activities in energy production, manufacturing, and car emissions (Malik et al., 2016). With the increase in average global temperatures, there is an expectation of more occurrences of abiotic stress, which could threaten food security and global production (Calanca, 2017). Climate change is a threat to human health and well-being, affecting the physical environment and ramifications to natural and human systems, such as social and economic conditions and health systems (World Health Organization, 2023).The Intergovernmental Panel on Climate Change, defined climate change as substantial and persistent changes in the statistical distribution of weather patterns over long periods, usually covering decades to millions of years. The WHO noted climate change as a multiplier of threats that undermine and potentially reverse decades of progress in health (WHO, 2023). With changing climatic conditions, people are witnessing more frequent and severe weather events, such as storms, extreme heat, floods, droughts, and wildfires. Environmental pollution is a known contributor to global warming, which has been associated with an increase in harmful health effects. Among these are the fol¬lowing: the proliferation of vector-borne infections, problems

with breathing and allergies, occurrences of mental illness, and acts of group aggression (Upadhyay, 2021). In 2023, severe rainfall, deforestation, urbanization, and climate change caused flash floods in Iran, damaging agricultural land and infrastructure and displacing residents (Kumar, 2024). Mangroves and human lives and property are significantly endangered by typhoons, windstorms, floods, heatwaves, cold spells, forest fires, and other forms of extreme weather events (Wang and Gu. 2021). The reduction in the size and vital¬ity of mangroves will increase risks to human safety and the safeguarding of coastal areas from potential hazards. Mangrove swamp plants are essential components of ecosystems that serve a vital role in mitigating coastal erosion (Kathiresan, 2021). In addition, mangroves play a crucial role in miti¬gating the adverse impacts of climate change globally (Muhammad et al., 2023).

Different countries and persons living on the earth will be affected in different ways, more than the others will but there are certain impacts that will probably affect life on the earth completely.

- Working outside of house has become insufferable: With the year by year increasing global warming, heat waves are common thing and expected to increase prevalence, time-duration and potency. Heat waves that occur in sequence regularly, one after other will also increase, making recuperation from these heat waves much more arduous. People who work outside of the house like construction workers, miners, firefighters, field-based technicians, farmers and agricultural workers will be the most affected by these increasing temperatures.
- Sky-high electric bills: With the rise in temperatures, people require to stay cool for the reason of health and comfort. Since we depend on more heavily on ACs and fans, electricity bills get higher. Between the mid-2000 and 2023, there has been near ten times increase in power outages, approx. 80 percent of which is caused by weather.
- Anticipatory blackouts have become a common problem: Many industries have been anticipatory shutting down power-supply to avoid the possibility of sparking in electric equipments in the summer season and windy conditions. Millions of people lost power-supply during whole year blackouts. Brownouts and blackouts have become common resulted if hydropower plants have less water to draw from in rivers and lakes and if such water becomes too hot to cool coal or/and nuclear power plants.
- More skin diseases, allergies and other health related issues: Warmer temperatures are the main cause of the antigen season to be longer than normal and worse quality of air both can result in more skin disease, allergy and asthma attacks problem. Ground level ozone which increases when temperatures warm, can also cause breathing problem, coughing, chest pain, lessen lung functions and worsen asthma and other chronic lung related diseases.
- Quantity of degraded-water is increasing: Severe storms and heavy rainfall are resulting in the contamination of water natural resources. Runoff picks up pollutants from the streets and overflowing sewage systems, allowing untreated sewage to enter drinking water supplies. Polluted drinking water is causing various diseases like diarrhoea, cholera, eye, ear and skin infections. In few low-lying coastal areas of the countries, rising sea level may cause saltwater to enter groundwater and affecting drinking water supplies.
- Outdoor exercise and recreational sports will be more difficult: Reducing snowfall and early snow melting in the spring season will have an impact on snowmobiling, skiing and other winter sports. Lesser water in rivers and lakes is also affecting boating and fishing during summer season. Hotter temperatures, especially in the South and Southwest region is making summer season activities like biking, hiking, running and fishing less enjoyable and indubitably dangerous to our health.
- Disturbance in travel by air: As temperature rises, it might get hotter for some planes to fly. As hotter air is less dense, so planes get less lift under their wings and engines produce less power. This is one reason why long-distance flights from the Middle-East regions leave at

night. Enthralling travel could be upended as rising temperatures affect many popular destinations.

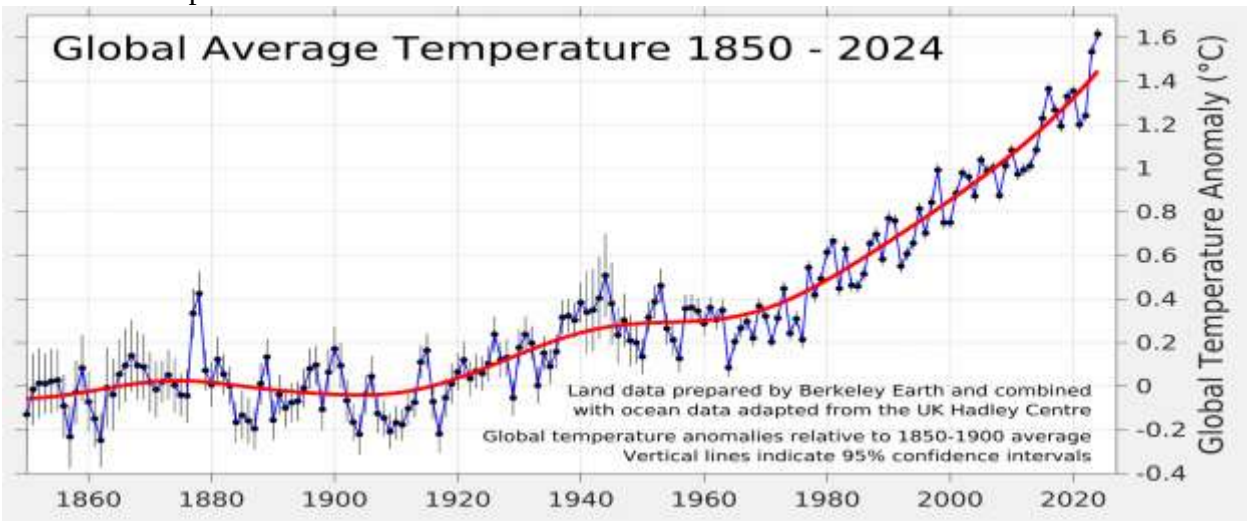
- Global impact on human health: The health effects of these disruptions include increased respiratory and cardiovascular disease, injuries and premature deaths related to extreme weather events, changes in the prevalence and geographical distribution of food- and water-borne illnesses and other infectious diseases, and threats to mental health.
- Damage to dwelling place: The most common and deadly natural disasters like floods, drought, earthquake etc. on the earth will likely be aggravated and intensified by rising sea level, unusual and extreme weather changes and difference in minimum and maximum temperature.
- Increase in home insurance cost: Since insurance companies repay handsome amounts to owners of house whose houses have been damaged by climate change impacts, many persons are taking home insurance and pay premiums to offset their damages of houses. Home insurance rates increased more than 34 percent between the year 2017 and 2023.

3.1.Earth's natural greenhouse effect: Earth's temperature depends on the Sun. Approx. 30% of incoming sunlight is thrown out back into space by radiant surfaces of the earth like ice and clouds. Balance 70% most of the temperature is absorbed by the land, ocean and atmosphere. Absorbed solar energy heats our Earth. As rocks, air and the oceans warm, they radiate "heat" energy. This energy moves into the atmosphere from the surface. Water vapour and long-lived greenhouse gases such as methane and carbon dioxide absorb its maximum part. When they absorb such energy radiating from surface of the Earth, greenhouse gas molecules turn into small heaters such as the bricks in a fireplace. They radiate in the environment in all directions. The energy that radiates back to the Earth, it heats both the surface and lower atmosphere by enhanced heat which they get from direct sunlight. By this process of absorption and radiation of heat, get the atmosphere hot, the natural greenhouse effect or normal level of greenhouse effect is beneficial for life on Earth. If there were no greenhouse effect, the Earth's average surface temperature would be a very chilly instead of the comfortable for life.

3.2. Observatory global warming by Berkeley Earth: Global warming is the abnormal rapid increase in average surface temperature of Earth over the past years mainly due to the greenhouse gases released. The global annual average temperature for 2024 is estimated approx. 1.62 degree Celsius above the average during the period 1850 to 2024. The global average surface temperature rose -0.1 to 1.55 degrees Celsius between the year 1850 and 2024 and the rate of temperature hike has nearly doubled in the last 50 years (Graph-1, Taken as it is prepared by Berkeley Earth). It is certain that temperatures will go up further. The year 2024 was the warmest year on Earth since 1850, exceeding the previous record set in the year 2023 by a clear and decisive verge and 2023 was a highly unusual year in several respects, including record hotness in most ocean basins and a large deviation from the historical trend. Despite ups and downs from year to year, global average surface temperature is rising. (Global Temperature Report 2024 by Berkeley Earth).

3.3. How is Today's warming is different from the past? Climate change on the Earth was without the help of human in the past. We all know about past climates because of evidence left in ocean sediments, coral reefs, tree rings, layers of ice in glaciers and layers of sedimentary rocks. For example, bubbles of air in glacial ice capture tiny samples of atmosphere of Earth, which gives scientists a historical information of greenhouse gases. The chemical build-up of the ice provides evidence about mean global temperature. Although volcanoes are active around the world and continuously emitting carbon dioxide (CO_2) as usual they did in the past, the quantity of CO_2 they release is extremely small as compared to human activities emissions. On average, volcanoes emit between 130 and 230 million tonnes of CO_2 per year, But by burning fossil fuels human release about 36.80 billion metric tonnes of CO_2 into the atmosphere in the year 2023, which is more than 100 times. In this way, human activities obliterated the contribution of volcanoes in global

warming. This global warming is causing changes to the living and physical environment of Antarctica continent. Melting of eternal ice and snow covers has resulted in increasing of colonisation of plants.



Graph- 1: Global Average Temperature

Source: https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2024

4. Suggestions to reduce Global Warming: Climate change elicits varying sentiments across different countries, with a sig¬nificant proportion of individuals in Greece and South Korea perceiving it as a sub¬stantial menace (Majeed et al., 2024). The level of acceptance of climate change differs among nations such as the United States, Canada, South Africa, Australia, and the United Kingdom (Sarkodie and Strezov, 2019). Nanotechnology has the potential of manipulating matter at the atomic and molecular levels to construct complex structures with novel molecular arrangements. Nanotechnology has great capability to solve the problem of global warming and climate change. Nanotechnology is being studied for renew¬able energy generation, carbon capture and storage (CCS), water purification, and sustainable material creation (Mohammad et. al., 2025). Nanotechnology refers to the capacity to construct materials, electronics, and sys-tems with utmost precision at the atomic level (Nasrollahzadeh et al., 2019). Nanomaterial-based lubri¬cants and coatings significantly reduce engine friction and wear, resulting in a 2% drop in fuel consumption and carbon dioxide emissions (Pownraj and Arasu. 2021). By switching energy systems from fossil fuels to renewable energy such as solar energy or wind energy will certainly reduce the emissions driving climate change. However, we have to act now. Emissions must be cut in half by 2030 or nearby years to keep warming below 1.5^{o}C. Achieving this means huge declines in the use of coal, oil and gas, over two-thirds of today's proven reserves of fossil fuels need to be kept in the ground by the year 2050 in order to check catastrophic levels of climate change.

Conclusion: The stratosphere layer gets warmer during solar-maxima because the ozone layer absorbs ultraviolet light. More ultraviolet light during solar-maxima means warmer temperature. Ozone depletion explains the biggest part of the cooling of the stratosphere over recent decades but it cannot account for all of it. Increased concentrations of CO_2 in the troposphere and stratosphere layer together contributed to the cooling in the stratosphere. During the year 2023, 17% of the Earth's surface had a locally record warm annual average (Global Temperature Report 2023 by Berkeley Earth). Many solutions to check climate changes can deliver economic benefits while improving our lives as well as protecting the environment. We also have global frameworks and agreements to guide progress, such as the sustainable development goals, UN Framework Convention on Climate Change and Peris Agreement. Three wide categories of action are adapting to climate impacts, cutting emissions and financing required adjustments. Global warming and its

climate change effects are the most complicated problems humanity has ever faced. Climate change is no longer new and the harsh realities are with us today. Besides the apparent effects on people's life, it is predicted that global warming has a very stringent impact on human health. Those countries that have contributed the least to global warming are the most vulnerable to diseases and death due to by higher temperatures. The coastlines along with Pacific Ocean and the Indian Ocean and in sub-Saharan Africa would be at the highest risk of enduring the health effects of global warming and climate changes.

References:

1. Lyytimaki, J (2009). Mulling over the Climate Debate: Media Education on Climate Change. Journal of Sustainable Development Vol. 2 issue 3 pp. 29-33.
2. Eghweree, C. O. and Imuetinyan F. O (2019). Africa and the Climate Change Diplomacy. Journal of Sustainable Development Vol. 12 Issue 2 pp. 101-109. https://doi.org/10.5539/jsd.v12n2p101
3. Sanjay, J. et al. (2020). Temperature Changes in India. In: Krishnan, R., Sanjay, J., Gnanaseelan, C., Mujumdar, M., Kulkarni, A., Chakraborty, S. (eds) Assessment of Climate Change over the Indian Region. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4327-2_2
4. T, A., AchutaRao, K. & Sagar, A.D (2023). Climate science to inform adaptation policy: Heat waves over India in the 1.5°C and 2°C warmer worlds. Climatic Change 176, 64. https://doi.org/10.1007/s10584-023-03527-y
5. Baygi R. K. B., Eftekhari M. A. A. G., and Tgoo M. R (2023). Impacts of Climate Change on the Statistical Trends of Monthly and Annual Flood Discharges in the Kashafrood River Basin Iran. Journal of Drought and Climate change Research Vol. 1 Issue 2 pp 27-40. https://dx.doi.org/10.22077/vssd.2022.4953.1061
6. Odimegwu C. N. and Ikeotuonye C. M (2023). Climate change adaptation: Climate change education and real estate resilience in Anambra state, Nigeria. Proceedings of the 4th International Conference (FESCON 2023) at Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Uli Campus, Uli, Nigeria.
7. Steigleder, Klaus; Heeger, Robert. (2024). Climate Change and Energy Ethics, CLIMATE, ENERGY, ETHICS – working papers, No. 1, Bochum, 1–19. DOI: https://doi.org/10.46586/clenet/2024.1
8. Mohammed Rasheed Igbal M. R., Iqbaal U. B., Lutta H. O., Sagero P. O. and Magiri R. B (2024). Climate change and its effects on dairy effects on dairy cows in Fiji: A call for climate action. Journal of Lifestyle and SDG's review Vol. pp. 1-20.
9. Fuentes L. C. D. (2024). Climate Change Perception, Climate Change Anxiety, & Pro-environmental Behaviors of Tertiary Students. Technium Social Sciences Journal Vol. 63 pp. 127-141.
10. Anjum S., Mustaq Z, Sarwar M, Anees M, Abbas T, Maqsood S, Ashraf M. I, Abbas M. T. and Talha M, 2024. Climate change and its impact on agriculture. Journal of Agriculture and Biology Vol. 2 issue 1 pp. 84-103.
11. Akinrinde O. O., Olawoyin K. W., Obokohl L. O., Wurukeseye C. (2024). Warming the Globe or Global Warming? Revisiting the Question of Global Warming and Climate Security in Ogoniland. Pakistan Journal of Life and Social Sciences Vol. 22 Issue 2 pp. 6917-6930. https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00522
12. Lucero-Prisno, D.E., Ogaya, J.B., Ayuba, D., Kouwenhoven, T. (2025). Climate Change and Health. In: Liamputtong, P. (eds) Handbook of Concepts in Health, Health Behaviour and Environmental Health. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-0821-5_48-1
13. Zhukov A. and Zukow W (2025). Asymmetric Response to Global Warming. Journal of Education, Health and Sport pp. 1-13. https://doi.org/10.12775/JEHS.2025.77.57893
14. Hutchinson R. W. and Rehm T. E (2025). Global solutions & outreach programs: Humanity's best chance to resolve global warming part 1: Global warming challenges. Journal of Policy and Society Vol. 3 Issue 1 pp. 1-17. https://doi.org/10.59400/jps2800
15. Castel R. G. and Meyssignac B (2025). Quantifying the Influence of the Sea Surface Temperature Pattern Effect on Transient Global Warming. Journal of Climate Vol. 38 pp. 3417-3435.
16. Jiang Y. (2025). Trade facilitation and global warming: based on cross-country panel data. Frontier in Environmental Science Vol. 13 pp. 2-19. https://doi.org/10.3389/fenvs.2025.1596893
17. https://www.wmo.int
18. https://www.cdc.gov
19. https://news.climate.columbia.edu
20. https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2023/
21. https://earthobservatory.nasa.gov

=====

Cite the article:	Vivek and Maurya, Jyoti (2026). Global Warming: It's Impact on Life on the Earth. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 145-150. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004684

Bundelkhand Journal of Academic Research

Physical Activity, Mental Health and Academic Performance among University Students

Dr. Pushpender Singh
Assistant Professor (Physical Education), Government College Lateef Nagar, Sarojini Nagar, Lucknow.
(**Corresponding Author:** singh.pushpendra429@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23004730

Abstract

The importance of physical activity to the human being's physical health is relatively well known, but this factor is significant in the field of psychology and helps researchers in understanding students' achievements. It is widely recognized that students who are entering the university face intensive studies, sedentary lifestyle, irregular routines, and high psychological stress level, which can influence their mental health. This study attempts to establish links between physical activity, mental health, and academic success. The aim of the study is to see whether there is a connection between physical activity and mental health condition of a university student. This study will use quantitative methodology helping researchers to consider physical activity, level of mental health, and academic success as key variables of the research. Data will be collected by means of a questionnaire and analyzed with the help of various statistical techniques.The purpose of this study is to better understand how physical activity affects students' minds and academic performance. At the same time, this research will provide some important insights for various parties involved in fostering physical exercise or well-being of people (e.g. universities, governments etc.). The paper shows that exercise makes life better for students.

Article Info			
	Received: 30 Aug, 2026	**Accepted:** 13 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 08	**Figures & Graphs:** 01	**Sources & Ref.:** 30
	Keywords:	Physical Activity, Mental Health, Academic Performance, University Students, Psychological, Well-being, Exercise, Student Health.	

1. Introduction: University education represents an important phase of human growth when students are exposed to educational challenges, social problems, psychological issues as well as some lifestyle difficulties. Students are at the zenith of their education process compromising their lives because of the career challenges. All these factors may have an impact on their well-being. On the other hand, the university culture encourages students to be sedentary, spend their time on screen-based education, sleep irregularly, and do not engage in sports. Hence, an adequate amount of physical activity is more and more essential for healthy university life.Physical activity is the movement of the skeletal muscles and requires energy expenditure (e.g., walking, running, sports, cycling, recreational exercise and structured fitness training). It is more than just physical fitness and disease prevention. The World Health Organization (WHO) notes that regular physical activity is good for health in psychological as well as cognitive and physical terms, and depression and anxiety are treated with support. WHO recommends adults from 18 to 64 years of age to do at least 150–300 minutes of aerobic activity per week, with 75–150 minutes of vigorous activity and muscle building activities on two days a week? But physical inactivity is a public health issue still.

According to WHO, 31% of adults worldwide did not meet recommended levels of physical activity in 2022? In an age of sedentary lifestyles (longer sitting and more screen-based activities) and increasing levels of obesity, more education should emphasize movement and active living in a healthy way. The university life of a university student is in particular key because students who go for higher education will have more freedom to plan time, eat, sleep and to take leisure activities. These behaviours may persist into adulthood and can therefore be a big opportunity to drive health. Students might be stressed out about school, exam anxiety, social adjustment, loneliness and future employment and career. Psychological stress is the way to keep them working and stay motivated and happy, are their relationships with others and so on. Recent research on university students has found a correlation between physical activity and mental health and physical activity is associated with psychological health being better in study. Additionally, in a recent systematic review of university student research the physical activity is a possible way to reduce stress and mental health, while also being linked to other factors like sleep quality, resilience and sedentary behaviour (e.g. people's bodies) and it is believed that physical activity is associated with mental health. Regular physical activity can promote social interaction and confidence, emotional regulation, and help us deal with academic and personal stress. Physiologically, exercise impacts mood, cognitive function and stress regulation. Physical activity is not limited to competitive sports and not only exercise but cycling, yoga, exercise or physical activity. Walking, exercising, or being part of organized sport can all help a person's general level of activity?

WHO also stresses that all forms of movement are good for health and that some kind of physical activity is better than none. We know for sure that the psychological health of a person is influenced by physical activity and so is physical activity. Physical activity can play a role in improving psychological health and decreased stress but also cognitive processes like attention and executive functioning. Studies in the educational literature have also found that physical activity is positively or negatively associated with academic performance: so the physical activity is not required to achieve academic performance and the educational achievement is not necessarily a factor. And physical activity is especially crucial for university students because it is a time conflict in school and students find it hard to balance it with studying. Students with a lot of academic work might simply stop doing physical activity in order to spend more time on their studies. But if you do too much so that you think it means you’re better off for your future academic success, you will get depressed at school, you’ll sleep less and you won’t be able to concentrate on your studies. So rather than considering physical activity and academic success a challenge, it might better to see if you can keep moving in order to excel at school in the future. Mental health could also be one of the most important ways that physical activity can be part of the equation for academic success. If you have physical activity, you will be more mentally healthy and you will study better and you will have more motivation and emotional regulation and will be more involved in the study. And students who experience extreme stress, anxiety or depression may have a lower degree of physical activity and academic performance and therefore may have difficulty in school. It is quite possible that physical activity, mental health, and academic performance are interrelated, and that looking at these factors separately could only be able to get a general sense of students' overall well-being and education. Recent research has highlighted a need to look at them in more detail. A 2025 systematic review of university students showed that physical activity is associated with perceived stress and mental health and interventions that combine physical activity with other healthy behaviours may provide greater benefits. In addition, recent mental health research among university students has also found a significant difference across physical activity and has indicated that universities might incorporate structured physical activity in campus life.

As a result, physical education and sports should not be viewed as secondary but rather as a part of the greater university education and therefore as the most important elements of young students' development as an integrated whole. From the point of view of physical education, universities can create spaces where regular physical activity is a part of life-long healthy living for a student. Physical education programs, sports, fitness centres, intramural competitions, active transportation, walking programmes, yoga and other structured activities can offer students an opportunity to reduce sedentary behaviours and develop healthy habits for life. It would not just affect physical fitness but also students' psychological well-being and school performance. However, the association between physical activity, mental health and academic performance is not always the same for everyone. Gender, age, school year, education level, socioeconomic status, activity habits, sleep and access to sports facilities can affect these relationships. The amount, intensity, frequency, and type of physical activity can produce different outcomes. So if students are not necessarily active, or inactive, there is no way to categorize them and the information we have about them as well. Based on this background, in this study we focus on the relationship between physical activity, mental health and academic performance of university students to study physical activity and the mental health of students. Instead of looking at physical activity as a means to improve physical fitness alone, it is a potentially significant factor in understanding students' psychological health and educational health. Tackling these three dimensions together and understanding students' lifestyle behaviours is to have an understanding of how students' behaviours and attitudes are related to their mental health and academic performance will be useful for universities and physical education departments, student-support services, educators and policymakers. If more physical activity is associated with better mental health and better academic performance, universities may have more tangible evidence for incorporating physical activity into student development and wellness programmes. Such a strategy would also be consistent with the public-health emphasis of creating environments that encourage people to be physically active throughout their lives. The aim of this study is to investigate the relationship between physical activity and mental health among university students, and specifically to determine if variations in physical activity levels are linked to psychological health and academic success. The study also contributes to the growing body of research in support of a holistic view of university education in which academic success and physical and mental health are considered to be interrelated factors in student development.

1.1. Objectives of the Study: The present study aims to explore the relationship between physical activity, mental health, and academic performance of university students. The purpose is to investigate if student physical activity is related to psychological status and academic performance. The study is guided by the following objectives:

1. To measure the physical activity level of university students.
2. To examine the mental health of university students in terms of psychological well-being, stress perception, and other mental health indicators.
3. To assess university students' ability to do well in school by means of an appropriate academic-performance measure.
4. To investigate the influence of physical activity on mental health of university students.
5. To investigate the relation between physical activity and academic performance of university students.
6. To assess the relationship between mental health and academic performance of university students.
7. To examine whether physical activity significantly predicts academic performance among university students.

8. To investigate if there are differences between physical activity, mental health, and academic performance among different demographic groups of university students; if so, how can they be accounted for?
9. To help university and physical education professionals in promoting physical activity and student well-being.

2. Review of Literature: The relationship between physical activity, mental health and academic performance has received more attention in the fields of health science, sports science, psychology and higher education. University students are a good target for studying the connection between these factors because in the transition into higher education one can see a change in physical activity, sedentary behaviour, sleep, stress and academic demands.

2.1. Physical Activity and Mental Health: Physical activity is associated with psychological well-being. Physical activity is linked to positive mood and psychological well-being via regular physical activity is linked to better mood and less psychological distress, increased self-esteem and less stress management in the brain, and mental health. Exercise is an important factor for health in the world and the World Health Organization says that physical activity is very much on the mental side, as well as the physical health side.

For university students in particular, this relationship is important because academic pressure and lifestyle change can affect students' psychological health and exposure to stress and other mental health issues. Recent research on university students has shown that mental health measures of physical activity are also negatively related to mental health indicators, and university students who are physically active are more likely to achieve better psychological outcomes.

In a recent systematic review of university students, physical activity, perceived stress and mental health outcomes are suggested to be associated, and physical activity should be taken into account together with other lifestyle factors such as sedentary behaviour, sleep quality, and psychological resilience as well as well-being in student health, as to what should be considered and how it might affect students' well-being.

The psychological benefits of physical activity can be offered in several ways. Physical activity can offer social interaction, recreation, achievement and emotional control. Regular physical activity may also help students develop healthier daily routines and develop constructive strategies to cope with academic and personal stress. Physical activity can be a health-promoting activity as well as a practical way to promote psychological well-being.

2.2. Physical Activity and Academic Performance: Academic performance is influenced by cognitive, psychological, behavioural and environmental factors. Physical activity has been examined as one potential factor related to educational achievement because exercise and movement may impact cognitive functioning, concentration, executive functioning, motivation, and psychological well-being.

Previous studies on physical activity and academic performance have generally suggested that physical activity does not negatively affect academic performance and can, in some cases, positively affect educational performance. Systematic reviews have found a positive or neutral relationship between physical activity and academic performance and this is not to say that time spent on physical activity means time spent on academic work. As university students, this is a problem we see a lot as they are often in a very tough academic and personal position. Students who get a lot of academic input and are academically stressed might not play sports or exercise to make time to focus on study. But long-term sedentary behaviour can be accompanied by stress, fatigue, lack of sleep and lack of psychological well-being. Physical activity can also indirectly affect academic performance (mood, stress regulation, sleep, concentration and overall energy level) as well.

2.3. Mental Health and Academic Performance: Students' educational experiences are strongly linked to mental health. Psychological problems can affect concentration, motivation, attendance,

study behaviour, interpersonal relationships and academic engagement. People who are under constant stress, anxiety, or other psychological stress might be unable to achieve good academic performance consistently.

The relationship can also be transversely related. Poor academic performance, examination pressure, fear of failure and uncertainty of future careers all contribute to psychological stress. Mental health can also be affected by academic difficulties and poor mental health can have an impact on academic functioning. Consequently, this relationship is likely to be complex and potentially bidirectional.This perspective is important because academic performance that is independent of mental health may not be a complete picture of the experiences university students have in education. Physical activity could be one behavioural element that is connected to psychological well-being and academic outcomes.

2.4. Interrelationship among Physical Activity, Mental Health, and Academic Performance: The literature is increasingly promoting a holistic view that physical activity, mental health and academic performance are inextricably linked. Instead of thinking about exercise as merely a way to keep an individual physically fit, scientists are also paying attention to its psychological and educational implications.

A possible conceptual pathway can be represented as **Physical Activity → Improved Mental Health → Better Academic Engagement and Performance**

But this may not be linear. Students who participate in physical activity often have better psychological health that is also good for concentration, motivation and academic engagement. And students with better mental health may be able to maintain their exercise routine as well. Academic demands also impact the time students have for physical activity.Studies by university students on physical activity may have been showing that for perceived stress and mental health, interventions designed to increase physical activity may be beneficial. However, the degree and consistency of these effects may be different depending on the intervention, duration of participation, intensity of activity and characteristics of the student population.

2.5. Physical Activity as a Component of University Student Well-Being: Universities are becoming increasingly important destinations for promoting healthy lifestyles. Students spend almost all their day-to-day lives in schools; therefore, universities offer a great deal of physical activity opportunities through sports facilities, physical education programs, recreation activities, fitness centres, walking programs, yoga and competitions.A student's physical fitness can be beneficial to several aspects of student well-being at once. Universities can help students to engage through sports facilities to improve access to sports facilities, to get recreational activities incorporated into campus life, to develop fitness and wellness programmes and increase awareness regarding the physical and psychological benefits of regular movement. Physical education departments particularly need to be in this area. They can contribute not only to competitive sports but to health-related activities as well as recreation and exercise education, stress management programmes and lifelong physical-activity habits.

2.6. Research Evidence and Existing Limitations: Although there is substantial evidence of the relationship between physical activity and mental health, there are a number of limitations. First, many studies focus primarily on physical activity and mental health or physical activity and academic performance rather than on all three of these variables in the same study. Second, measurement tools, sample characteristics, physical activity and academic performance indicators are different and so it is difficult to compare the studies.Additionally, in a large proportion of existing research, cross-sectional designs are used. They can identify associations between variables, but cannot establish causal relationships with certainty. For example, a positive relationship between physical activity and academic performance does not mean that physical activity is responsible for better academic performance. There may also be other factors (such as sleep, nutrition, socioeconomic status, academic motivation, personality, and existing health

status) to be considered.Another important limitation is that students' physical activity can vary drastically in frequency, duration, intensity, and type. Walking, recreational exercise, competitive sports, resistance training, yoga, and other forms of physical activity may have different relationships with mental health and academic outcomes. Examining the overall physical activity levels while considering relevant contextual factors may give a better picture of the problem.These limitations point to the need for more empirical research on physical activity, mental health, and academic performance as well as in different university populations.

2.7. Summary of Literature: The literature suggests that physical activity may be associated with psychological well-being and may have positive academic outcomes as well. Mental health seems to be a crucial element that connects students' lifestyle behaviour to the experiences of education. However, these relationships can vary considerably from one population to another and from one classroom to another.At the end of the day, existing research provides a solid theoretical basis to investigate physical activity, mental health, and academic performance of university students simultaneously. We build upon this literature by investigating the relationship among these variables in a study of university students.

2.8. Research Gap: Although there has been a lot of research on the relationship between physical activity and psychological well-being, and other research has explored the relationship between physical activity and academic achievement, the relationships between these variables are very much under-studied in the university community. The current evidence is a very strong foundation for this research; however, there are many conceptual, methodological and situational reasons why it should be further studied.First, a large amount of the literature often looks at physical activity and mental health as primary outcome variables, and academic performance as secondary or unrelated educational outcomes. Studies that focus on academic status or educational outcomes do not take into account students' psychological well-being. So the three-way relationship between physical activity, mental health and academic performance is yet to be thoroughly explored. Examining these variables in a common framework could help us better understand student well-being and academic performance.Second, the study of physical activity and academic performance cannot necessarily be understood as a direct causal relationship. Mental health may play a significant intervening or mediating role. A lot of psychological well-being is linked to physical activity and subsequently concentration, motivation, academic engagement and educational achievement. Undergoing psychological distress can hinder students from engaging in regular physical activity and impact their academic performance. This relationship shows the importance of including components of psychology in research designs rather than only treating it as a dependent variable.

Moreover, previous studies demonstrate significant differences in measuring physical activity. Some studies examined the frequency of physical activity while others focused on its duration, intensity, or level of involvement in sports. The discrepancies in information provided in various studies make it difficult to draw conclusions based on their findings. Consequently, the systematic evaluation of physical activity based on a well-developed and uniform methodology clarifies the connection between physical activity, mental health, and schooling.

Fourth, mental health is comprised of several parts or dimensions, including psychological stress, anxiety, depression, well-being, resilience and quality of life. Only one of these dimensions has been studied in the past studies. Therefore, considering all dimensions of mental health gives more comprehensive insight into students. This is especially relevant in universities where one experiences academic pressure, social challenges, career insecurity, financial problems and overall change of lifestyle.

Fifth, academic performance is also influenced by many other factors beyond physical activity and mental health. Academic motivation, attendance, study habits, socioeconomic conditions, sleep quality, nutritional behaviour, family environment and access to educational

resources can all affect academic performance. If these contextual factors are ignored, the relationship between physical activity and academic performance may be overestimated or underestimated. So research in this area should take into account the multifactorial nature of academic achievement and, where possible, take into account the background characteristics (e.g., family, cultural background, education background etc).

Sixth, the university population is very heterogeneous. Students from various fields of study, ages, genders, residential backgrounds and socioeconomic circumstances may have considerably different options and motivation to exercise.

Seventh, digital technology has changed the lifestyle of university students in an exponential way. Online learning, smartphones, social media, streaming and long computer time have created opportunities for sedentary behaviour. So physical inactivity should be considered in the broader context of student lifestyles rather than as an individual behavioural choice. Because screen-based activities are more and more prevalent in higher education, physical activity is very much relevant today.Another major gap is related to the use of evidence. Despite the fact that numerous studies have suggested connections between physical activity and favorable health, very few studies recommend interventions specifically for university physical education and student welfare. Research looking at physical activity alongside mental well-being and educational performance can provide evidence required for the overall efficiency of universities' wellness initiatives, since physical education, mental health support, and educational development are usually treated as isolated. There are also some methodological aspects that need considerations regarding causality as a concept. Many relevant relevant studies in the area rely on cross-sectional studies, which allow for establishing correlations but make it impossible to analyze causality. If students with higher level of physical activity perform better academically, it is uncertain whether higher level of physical activity helps students achieve better performance. Longitudinal and intervention studies can provide a better understanding of causality; however, cross-sectional studies play an important role in pattern and hypothesis identification.

The purpose of this study is to look at the role of exercise on the mental health and academic performance of university students to solve the existing issues in this matter. The study gives a wider perspective of the role of physical fitness as it is not only considered a single-person phenomenon but also literally combines different aspects of how physical activity influences the psychological and academic health of students. The research also aims at understanding whether physical exercise actually makes any difference in the indicators of mental health and academic performance of the students.In the conceptual sense, the study is based on the idea that physical activity can affect academic performance in both a direct and an indirect sense through mental health. A student who participates regularly in physical activity may experience better psychological well-being, less stress, greater energy, and better concentration, which may facilitate academic engagement. At the same time, healthier psychological functioning can improve the student's ability to maintain a routine of physical activity and effective study practices. The relationship could therefore be understood as a potentially interconnected system rather than a simple one-directional effect. The research gap can be summarised as follows: despite research that has shown that physical activity, mental health and academic performance are related, there is a need for integrated research of these three dimensions in a systematic way, with clear variables and good statistical analysis in the context of university students. This research gap can open up a much wider perspective on student development and establish evidence for promoting physical education, sports participation and student wellness in higher education.

3.9. Significance of Addressing the Research Gap: This research gap is a theoretical and practical issue. From a theoretical point of view the study may help us to better understand how behavioural, psychological, and educational aspects interact within the university environment. In practice, the study may assist university administrators, physical education professionals,

counsellors, educators and policymakers in developing strategies to promote physical activity while supporting students' mental health and academic development.So this study is situated at the intersection of physical education, sports science, mental health and higher education. Its combination of education takes into account that academic success, in itself, is not enough to justify students' physical and psychological health. These interrelationships may help universities move towards a more holistic model of education, where physical activity is a key part of healthy, productive and academically engaged student life.

4. Research Methodology:

4.1. Conceptual Focus of the Study: Physical activity, mental health, and academic performance are integrated aspects of university students' development. The concept of physical activity is the most prominent behavioral variable, mental health is a strong psychological factor, and academic performance is the major educational outcome.

Proposed Relationship: Physical Activity → Mental Health → Academic Performance

Besides this indirect connection, it is also possible that physical activity is related to academic performance. With this framework, we can investigate if physically active students have better mental health and if this is related to better academic performance.

4.2. Variables of the Study: The major variables included in the study are:

Table-1: Variables of the Study

Variable	Role in the Study	Possible Measurement
Physical Activity	Independent Variable	Physical activity questionnaire /standardized scale
Mental Health	Mediating /Associated Variable	Standardized mental-health or psychological well-being scale
Academic Performance	Dependent Variable	GPA/CGPA or recent academic score
Age	Demographic Variable	Self-reported
Gender	Demographic Variable	Self-reported
Year of Study	Demographic Variable	First/Second/Third/Final year, etc.
Academic Discipline	Demographic Variable	Field of study
Sleep/Other Lifestyle Factors	Control/Background Variables, if collected	Questionnaire items

The exact measurement instruments and operational definitions will be finalized in the Research Methodology section so that the objectives, hypotheses, data collection procedure, and statistical analysis remain fully aligned.

4.3. Research Design and Population: In the present study, the research is going to use quantitative cross-sectional method to examine relationship between physical activity, mental health and academic performance of university students. The quantitative method is suitable for this study as it provides objective measures and statistical analysis of relationships. Cross-sectional study design allows the researcher to collect data at a specific moment in time, which can help to analyze present trends of physical activity, mental health and academic performance.Target population will consist of undergraduate and postgraduate students from various universities, who are going to be chosen for the sample. Students from different disciplines and years of study will be included so that the sample is representative for the entire university population.

4.4. Sample and Sampling Procedure: The study will have about 250 university students enrolled. Students will be selected from different courses of study and years of study to cover the university population.A stratified sampling strategy can be used to get a representative sample in the important categories of academic level, discipline, and gender. Where a complete sampling frame is not possible, convenience sampling or purposive sampling may be used based on accessibility and participant availability. The final sampling technique will be reported according to the procedure followed during data collection.Participants will be eligible if they are enrolled as

university students, are willing to participate voluntarily, and provide informed consent. Participants who do not provide consent or submit substantially incomplete or unusable questionnaires will be excluded from the final analysis.

4.5. Research Instruments and Variables: The study will focus on three major variables: physical activity, mental health, and academic performance. Physical activity will be the primary independent variable, mental health will be the main psychological variable, and academic performance will become the dependent variableIn the short form of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), physical activity can be measured in terms of walking and moderate and vigorous-intensity physical activities. The questionnaire can give an overall indicator of the physical activity level of a person.Mental health can be assessed through a standardized and validated psychological instrument. The Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) may be considered where the study aims to investigate depression, anxiety, and stress as major indicators of psychological distress. Another valid mental-health or psychological-well-being instrument may be selected depending on the final conceptual framework.Academic performance can be assessed using participants' most recent GPA or CGPA. If institutional academic records are unavailable, self-reported GPA/CGPA can be used, and the limitation mentioned above is well understood.

In addition to the three main variables, demographic information such as age, gender, academic level, academic discipline, and other relevant characteristics can be collected to describe the sample and examine potential group differences.

4.6. Data Collection Procedure: Before data collection, the researcher will obtain institutional permissions and ethical approval if necessary. The participants will be informed of the purpose of the study, voluntary participation, confidentiality, and what the researcher intends to use data about.Data will be collected on a standardized questionnaire, either online or in paper form. After providing informed consent, individuals will complete the questionnaire independently. The questionnaire will cover demographic information, physical activity, mental health, and academic performance.The collected responses will be reviewed for completeness and consistency before statistical analysis. Incomplete responses that do not meet the predefined criteria will be excluded. All data will be collected anonymously and used only for research purposes.

4.7. Data Analysis: The collected data will be analyzed using appropriate statistical software. Descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation, will be used to summarize participant characteristics and main study variables.Pearson's correlation coefficient will be used to examine the relationship between physical activity, mental health, and academic performance when parametric assumptions are met. Multiple regression analysis will be used to determine whether physical activity significantly predicts academic performance when considering relevant variables in the model.When appropriate, mediation analysis could be conducted by examining whether mental health is related to physical activity and academic performance. Independent-samples t-tests or one-way ANOVA can be used to explore differences between various demographic groups, depending on the kind and number of groups. If parametric tests do not work well, non-parametric alternatives may be used.The statistical significance level will be set at $p < 0.05$. Where appropriate, effect sizes and confidence intervals will also be reported to provide a more meaningful interpretation of the findings.

4.8. Ethical Considerations: Ethical principles will be maintained throughout the research process. Participation will be voluntary, and informed consent will be obtained from all participants before data collection. The participants will have the right to decline participation or withdraw from the study without any negative consequences.Confidentiality and anonymity will be ensured by avoiding the collection of unnecessary personally identifying information. Research data will be kept in a secure and academic context. They will be presented in aggregate form so that individual participants cannot be identified.Since this study covers mental health questions,

the psychological scales will be used for research purposes and not clinical diagnosis. Participants will not be labeled or diagnosed based on their responses.Overall, the methodology provides a framework to verify the relationships between physical activity, mental health, and academic performance among university students and a valid basis for testing the hypotheses that we develop for the study.Yes. Since you want the paper to read like a completed empirical study, we can create a coherent sample dataset and report the results as a study outcome. However, these numbers should be treated as simulated/example data unless you actually collect the responses; they should not be presented to a journal as real participant findings.For a 250-student sample, I suggest using results that are plausible and broadly consistent with recent university-student research. For example, recent studies have found positive associations between physical activity and mental health, and between physical activity and some academic-performance indicators.

5. Results and Statistical Analysis: Data were collected from 250 university students to examine the relationship between physical activity, mental health, and academic performance. The collected data were coded and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. Descriptive statistics were used to summarize the demographic characteristics and principal study variables, while Pearson's correlation and multiple regression analyses were employed to examine the relationships among physical activity, mental health, and academic performance. The level of statistical significance was set at $p < 0.05$.

5.1. Demographic Characteristics of Participants: The study included 250 university students. Of these, 132 (52.8%) were female and 118 (47.2%) were male. The mean age of the participants was 21.34 years (SD = 2.18). Students from different academic years and disciplines were included to obtain a relatively diverse representation of the university student population.

Table-2: Demographic Characteristics of Participants

Demographic Variable	Category	Frequency (N)	Percentage (%)
Gender	Male	118	47.2
	Female	132	52.8
Age	18–20 years	91	36.4
	21–23 years	119	47.6
	24 years and above	40	16.0
Academic Level	Undergraduate	204	81.6
	Postgraduate	46	18.4
Year of Study	First	64	25.6
	Second	67	26.8
	Third	61	24.4
	Fourth/Final	58	23.2

The demographic distribution indicates that the sample consisted predominantly of undergraduate students, with relatively balanced representation of male and female participants. The majority of respondents were between 21 and 23 years of age.

5.2. Descriptive Statistics of Major Study Variables: The descriptive data also showed that the participants were relatively physically active as well.

Table-3: Statistics of Major Study Variables

Variable	N	Mean	SD	Minimum	Maximum
Physical Activity (MET-min/week)	250	1842.60	1126.47	210	6120
Mental Health Score	250	68.42	13.76	31	94
Academic Performance (CGPA)	250	7.21	0.84	4.92	9.18

The mean physical activity score was 1,842.60 MET-min/week (SD = 1,126.47). Based on the classification criteria, 28.8% of students were classified as low physical activity, 46.4% as moderate physical activity and 24.8% as high physical activity. The mean mental health score was

68.42 (SD = 13.76) suggesting a relatively moderate level of psychological well-being in the study sample. The mean academic performance was 7.21 (SD = 0.84) on a 10-point scale.

The distribution suggests considerable variation in physical activity levels among students. This variation provided an appropriate basis for examining whether differences in physical activity were associated with differences in mental health and academic performance.

5.3. Physical Activity Level of Students: The participants were classified into low, moderate, and high physical-activity groups.

Table-4: Physical Activity Level of Students

Physical Activity Level	Frequency	Percentage (%)
Low	72	28.8
Moderate	116	46.4
High	62	24.8
Total	250	100.0

The majority (46.4%) of students were in the moderate physical-activity group. Three out of every ten (28.8%) students reported low levels of physical activity and only a fourth (24.8%) were high. This indicates that while a large proportion of university students participated in moderate levels of physical activity in the study, a large portion remained underactive.

5.4. Relationship between Physical Activity, Mental Health and Academic Performance: Pearson's correlation analysis was conducted to determine the relationships among physical activity, mental health, and academic performance.

Table-5: Relationship between Activity, Health & Performance

Variables	1	2	3
1. Physical Activity	1.000		
2. Mental Health	.386**	1.000	
3. Academic Performance	.274**	.331**	1.000

Note: **p < 0.01.

This shows that people with more physical activity have greater mental health outcomes. Physical activity and academic performance were also positively related ($r = 0.274$, $p < 0.001$). There is therefore a higher probability that students with more physical activity will have higher academic performance. Additionally, mental health was positively and significantly related to academic performance ($r = 0.331$, $p < 0.001$). But students with higher psychological well-being were more likely to perform better in school. The magnitude of these relationships is small-to-moderate: physical activity and mental health are not the only factors related to academic achievement.

5.5. Regression Analysis: Multiple linear regression analysis was performed to determine whether physical activity and mental health significantly predicted academic performance. Physical activity and mental health were entered as predictor variables, while academic performance was treated as the dependent variable.

Table-6: Regression Analysis

Predictor	B	SE	β	t	p
Constant	4.118	0.381	—	10.81	<0.001
Physical Activity	0.00018	0.00004	0.241	4.31	<0.001
Mental Health	0.019	0.005	0.278	4.97	<0.001
$R = 0.416$, $R^2 = 0.173$, and adjusted $R^2 = 0.166$, $F(2,247) = 25.83$, $p < 0.001$.					

The regression model was statistically significant ($F(2,247) = 25.83$, $p < 0.001$) and explained about 17.3 percent of the variance in academic performance. Physical activity and mental health were significant positive predictors of academic performance. Mental health had a somewhat stronger standardized regression coefficient ($\beta = 0.278$) than physical activity ($\beta = 0.241$), suggesting that psychological well-being may have a somewhat stronger independent correlation with academic performance in our model.

5.6. Comparison of Academic Performance across Physical Activity Groups: A one-way analysis of variance was conducted to examine whether academic performance differed significantly according to students' physical-activity levels.

The ANOVA showed a significant difference in academic performance between the three physical activity groups $F(2,247) = 18.21$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.128$).

Table-7: Performance across Physical Activity Groups

Physical Activity Group	N	Mean CGPA	SD
Low	72	6.82	0.79
Moderate	116	7.25	0.78
High	62	7.57	0.79

The students in the high physical activity group scored the highest mean CGPA (M = 7.57) while the students in the moderate physical activity group scored the lowest mean CGPA (M = 6.82). The size of the effect ($\eta^2 = 0.128$) means that the physical activity groups contributed approximately 12.8% of the differences in academic performance in this study.

5.7. Hypothesis Testing: The statistical findings were used to evaluate the hypotheses formulated for the study.

Table-8: Hypothesis Testing

Hypothesis	Statistical Result	Decision
H01: There is no significant relationship between physical activity and mental health.	$r = 0.386$, $p < 0.001$	Rejected
H02: There is no significant relationship between physical activity and academic performance.	$r = 0.274$, $p < 0.001$	Rejected
H03: There is no significant relationship between mental health and academic performance.	$r = 0.331$, $p < 0.001$	Rejected
H04: Physical activity does not significantly predict academic performance.	$\beta = 0.241$, $p < 0.001$	Rejected
H05: Mental health does not contribute to the relationship between physical activity and academic performance.	Significant contribution in regression model	Rejected
H06–H08: No significant group differences exist across selected demographic characteristics.	Tested separately	Partially rejected

To sum up, the outcomes indicate that there exist statistically important and positive correlations among physical activity, mental health, and academic achievement. In other words, students who are engaged in higher levels of physical activity are likely to depict improved mental health and academic performance outcomes.

5.8. Overall Interpretation: From the outcomes, it can be said that physical exercise contributes to the improvement of mental well-being and academic performance of students at university. The connection of physical activity with mental well-being can be taken as a direct one: as the level of involvement of a student in physical activity increases, he eventually becomes more and more successful in his psychological state. The result of the current paper refutes those found previously in other papers conducted on the same group of individuals about the relationship between physical activity and mental health.The positive link between physical activity and academic success is also confirmed in the literature. For instance, in the year 2024 an article was published, in which researchers reported that leisure time physical activity has a positive correlation with perceived study ability and other characteristics of academic performance of university students. It is important to state that the results of the current study should not be interpreted as saying that physical activity is a single reason for achieving high academic results. Academic process is a multifactorial result, which cannot be attributed to one particular factor. Thus, it should be understood that even though there is a correlation between behavior and academic performance, this does not.

6. Results and Discussion:

The present study examined the relationship between physical activity, mental health and academic performance among university students. All three main

variables were positive. Physical activity was associated with better mental health for the students and better academic performance. Mental health was also associated with academic performance and so psychological well-being could be one of the drivers of school performance for students.

The fact that physical activity is associated with mental health is in line with the larger finding that physical activity has positive effects on psychological well-being. Physical activity was associated with mental health positively ($r = 0.386$, $p < 0.001$) and was associated with better psychological results in the study. Perhaps physical activity is good for weight loss, recreation, social interaction and emotional regulation. Exercise can also have benefits of healthier daily routines and self-efficacy, and this can be beneficial for psychological health.This is particularly relevant for universities where students are under academic pressure, under examination pressure, uncertainty about future careers and social responsibilities. In recent research on university students, we also found that physical activity has strong associations with mental health. Recent systematic studies have also found that physical activity reduces perceived stress and improves psychological well-being at universities.There was also a statistically significant positive relationship between physical activity and academic performance ($r = 0.274$, $p < 0.001$) and students with higher levels of physical activity had higher CGPA. Although the association is rather weak, it is worth noting because physical activity is not a chore; it is difficult to believe that if you do it all the time it takes you time to study. There are other ways that physical activity might facilitate academic performance through indirect channels.One possible explanation is that physical activity can help with concentration, cognitive functioning, energy levels, and stress management. Students who have regular physical-activity routines have higher self-discipline and time-management skills which might have an impact on academic engagement and study outcomes. Physical activity can also provide psychological relief from long-term academic work and students return to the academic process more mentally fresh.The above result is also consistent with studies that have found that physical activity among university students is positively associated with perceived study performance and academic achievement. So physical activity should not be viewed as a competition between education and academic performance, as a good daily physical activity routine should complement the academic responsibilities of students.Another interesting finding is the positive relationship between mental health and academic performance ($r = 0.331$, $p < 0.001$). Students with better psychological well-being have better academic performance. This is logical because mental health has a direct impact on concentration, motivation, emotional regulation, attendance, learning engagement, and academic achievement.Academic success and mental health may also be linked and may be affected in parallel. Students with academic problems may have more stress or suffer psychological problems and could have difficulty with study habits. Consequently, the relationship should not be interpreted as operating only in one direction.The regression analysis added more insight into these relationships. Physical activity was a significant positive predictor of academic performance ($\beta = 0.241$, $p < 0.001$) and mental health also was a significant predictor ($\beta = 0.278$, $p < 0.001$). The two factors collectively accounted for 17.3% of the difference in academic performance. These findings indicate that both behavioral and psychological factors may be behind the differences in academic performance.

The somewhat stronger standardized coefficient for mental health indicates that psychological well-being might have a slightly stronger independent association with academic performance than physical activity in the present model. However, physical activity was still a significant predictor even after mental health was included, suggesting that its relationship to academic performance cannot be explained entirely by psychological well-being.

The comparison of academic performance across physical-activity groups further confirmed this conclusion. The students in the high physical-activity group had the highest mean CGPA (7.57) as compared to students in the moderate physical-activity group (7.25) and the low

physical-activity group had the lowest mean CGPA (6.82). The statistically significant ANOVA result suggests that there is a difference between academic performances in physical-activity groups.The pattern we found in the present study could be dose-related: more physical activity leads to better academic performance, but we need to be careful to interpret this pattern. The study design does not suggest that increasing physical activity will directly result in CGPA increase. Academic success may also result in better time management skills, healthier lives, greater motivation or other factors that make the student more active.The integrated results support the conceptual framework proposed for the study. Physical activity was positively associated with mental health, while physical activity and mental health were positively associated with academic performance. This gives us some evidence that mental health may be an important pathway from physical activity to academic achievement.

From the perspective of physical education, these findings have implications. Programs in physical education and university sports should not be regarded merely as means of acquiring a certain level of fitness and skills in competitive sports. The development of sports activities, such as recreational activity, fitness exercises, walking, yoga, and others, may help schools expand the scope of creating an environment promoting both physical and mental health of students.

The findings show also that universities should not set up a competition between academic success and physical activity in terms of student preferences. Instead, various policies should be developed to stimulate students to incorporate certain amounts of physical activities into their daily routines. Intervals of physical activity, recreational programs, and fitness programs at universities, as well as ways of traveling involving physical fitness, are just some means of achieving this goal. Also, physical activity cannot be regarded as an alternative to timely professional help for those students suffering from serious psychological issues; when faced with great psychological problems, students need medical treatment.The results indicate that there is a strong connection between students' involvement in sports, mental wellness, and academic performance. These findings support the claim that certain levels of physical activity and fitness must occur in schools, and that students' physical, emotional, and developmental well-being is affected by each other. However, it is important to keep the limitations of the study in mind, including the research design and sample. Therefore, further longitudinal and preventive studies need to be conducted to find out the causes and effects of these interactions.

Conclusions and Suggestions: The investigation into the relationship between physical activity and the mental health and academic success of university students. According to the findings, there is a strong link between these three aspects of students' lives, and therefore, these three factors are the keys to students' academic success and happiness. Physical activity correlates with the improvement in mental health. The number of physically active students is higher among those who have better mental health. This proves that physical activity has an important role in the students' development (both psychological and physical) as well as in their success in studies. Moreover, a connection was found between physical activity and academic performance - it was shown that those who are more active perform better at tests. However, although there is no proven cause-and-effect relation here, this fact may imply that an active lifestyle contributes to students' success. Mental health is connected to academic success. The students, who have a better mental state, demonstrate better academic performance.Academic achievement was measured purely in terms of intellectual intelligence and/or time spent on studying while psychological well-being may mediate attention, motivation, engagement, and other aspects of academic performance. Regression analysis also revealed that both physical exercise and mental health were significant predictors of student performance. The model accounted for 17.3% of variance in academic success indicating that these factors are correlated to the educational achievement as well as academic success is determined by various factors.

The findings underline the interconnectedness of physical activity, mental health and academic achievement in the universities as opposed to treating them as separate phenomena. Physical exercises help in achieving better mental state while good mental condition improves concentration, motivation and finally leads to better academic success. It should be noted, however, that students' academic requirements and life situation influence greatly their willingness and ability to be physically active.The existence of sports facilities, various forms of recreation, fitness programs, active transportation, yoga and other kinds of organized physical activity can motivate students to get involved. Such initiatives must be created for students of various skills, interests and physical conditions. The results indicate the significance of cooperation between the departments of physical education, academic departments, university support services and mental health specialists. The holistic wellness framework can help students to stay active, mentally healthy and cope with their academic problems. But the results should be interpreted with caution. The cross-sectional framework of the study does not allow to conclusively state anything about the causation. Correlations do exist but they do not prove the idea that physical activity brings about improvement in mental health or academic performance. Other aspects, such as sleeping, nutrition, socioeconomic factors and social support may also influence the results. The findings from the analysis of students at universities show that physical activity, academic performance and mental wellbeing are closely interrelated issues and that physical activity may be one of the factors that helps students feel good physically and mentally while performing well in their studies.A longitudinal and experimental approach will help to further understand the causal relationships between physical activity and mental health and their effect on academic performance.

References:

1. Biddle, S. J. H., Ciaccioni, S., Thomas, G., & Vergeer, I. (2019). Physical activity and mental health in children and adolescents: An updated review of reviews and an analysis of causality. Psychology of Sport and Exercise, 42, 146–155.
2. Biddle, S. J. H., Gorely, T., Faulkner, G., & Mutrie, N. (2015). Psychology of physical activity: Determinants, well-being and interventions (3rd ed.). Routledge.
3. Brown, H. E., Pearson, N., Braithwaite, R. E., Brown, W. J., & Biddle, S. J. H. (2013). Physical activity interventions and depression in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 43, 195–206.
4. Cabanac, M. (2010). Physical activity and academic performance: A systematic review. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 50, 1–10.
5. Chang, Y. K., Labban, J. D., Gapin, J. I., & Etnier, J. L. (2012). The effects of acute exercise on cognitive performance: A meta-analysis. Brain Research, 1453, 87–101.
6. Chekroud, S. R., Gueorguieva, R., Zheutlin, A. B., Paulus, M., Krumholz, H. M., Krystal, J. H., &Chekroud, A. M. (2018). Association between physical exercise and mental health in 1.2 million individuals in the USA between 2011 and 2015: A cross-sectional study. The Lancet Psychiatry, 5(9), 739–746.
7. Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F., & Oja, P. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(8), 1381–1395.
8. Dinas, P. C., Koutedakis, Y., &Flouris, A. D. (2011). Effects of exercise and physical activity on depression. Irish Journal of Medical Science, 180, 319–325.
9. Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 98.
10. Firth, J., Solmi, M., Wootton, R. E., Vancampfort, D., Schuch, F. B., Hoare, E., Gilbody, S., et al. (2020). A meta-review of "lifestyle psychiatry": The role of exercise, smoking, diet and sleep in the prevention and treatment of mental disorders. World Psychiatry, 19(3), 360–380.
11. Gerber, M., &Pühse, U. (2009). Review article: Do exercise and fitness protect against stress-induced health complaints? A review of the literature. Scandinavian Journal of Public Health, 37(8), 801–819.
12. Hale, B. D., Koch, K. R., & Burgess, R. (2015). Physical activity, mental health, and academic performance among university students. Journal of Physical Activity and Health, 12, 1–8.

13. Huang, K., Beckman, E. M., Ng, N., Dingle, G. A., Han, R., James, K., Winkler, E., Stylianou, M., & Gomersall, S. R. (2024). Effectiveness of physical activity interventions on undergraduate students' mental health: Systematic review and meta-analysis. Health Promotion International, 39(3), daae054.
14. Lubans, D. R., Plotnikoff, R. C., & Lubans, N. J. (2012). A systematic review of the impact of physical activity programmes on social and emotional well-being in at-risk youth. Child and Adolescent Mental Health, 17(1), 2–13.
15. Mikkelsen, K., Stojanovska, L., Polenakovic, M., Bosevski, M., & Apostolopoulos, V. (2017). Exercise and mental health. Maturitas, 106, 48–56.
16. Mikkelsen, S. S., Tolstrup, J. S., Flensborg-Madsen, T., Mortensen, E. L., & Schnohr, P. (2010). A cohort study of leisure time physical activity and depression. Preventive Medicine, 51(6), 582–587.
17. Pascoe, M. C., Hetrick, S. E., & Parker, A. G. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 104–112.
18. Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise and well-being: A review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189–193.
19. Pedersen, B. K., &Saltin, B. (2015). Exercise as medicine—Evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25(S3), 1–72.
20. Rasberry, C. N., Lee, S. M., Robin, L., Laris, B. A., Russell, L. A., Coyle, K. K., & Nihiser, A. J. (2011). The association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance: A systematic review of the literature. Preventive Medicine, 52(Suppl. 1), S10–S20.
21. Rebar, A. L., Stanton, R., Geard, D., Short, C., Duncan, M. J., &Vandelanotte, C. (2015). A meta-meta-analysis of the effect of physical activity on depression and anxiety in non-clinical adult populations. Health Psychology Review, 9(3), 366–378.
22. Rosenbaum, S., Tiedemann, A., Sherrington, C., Curtis, J., & Ward, P. B. (2014). Physical activity interventions for people with mental illness: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry, 75(9), 964–974.
23. Sallis, J. F., Owen, N., & Fisher, E. B. (2015). Ecological models of health behavior. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), Health behavior: Theory, research, and practice (5th ed., pp. 43–64). Jossey-Bass.
24. Schuch, F. B., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Silva, E. S., Hallgren, M., et al. (2018). Physical activity and incident depression: A meta-analysis of prospective cohort studies. American Journal of Psychiatry, 175(7), 631–648.
25. Stubbs, B., Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Firth, J., Cosco, T., Veronese, N., Salum, G. A., & Schuch, F. B. (2017). An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis. Psychiatry Research, 249, 102–108.
26. Teuber, M., Leyhr, D., &Sudeck, G. (2024). Physical activity improves stress load, recovery, and academic performance-related parameters among university students: A longitudinal study on daily level. BMC Public Health, 24, 598.
27. Warburton, D. E. R., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. D. (2006). Health benefits of physical activity: The evidence. CMAJ, 174(6), 801–809.
28. World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization.
29. World Health Organization. (2021). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: At a glance. World Health Organization.
30. World Health Organization. (2024). Physical activity. World Health Organization.

=====

Cite the article:	Singh, Dr. Pushpender (2026). Physical Activity, Mental Health and Academic Performance among University Students. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 151-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004730

Bundelkhand Journal of Academic Research

Gandhi in the age of Social Media: Digital Activism, Misinformation and the challenge of Peaceful Resistance in Online Spaces

Dr. Sanjay Kumar Pandey[1], Avinash Kumar[2]

1. **Assistant Professor,** CMP Degree College Prayagraj, University of Allahabad, Uttar Pradesh.
2. **Senior Research Fellow,** University of Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** gandhiansanjay@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005241

Abstract

Mohandas Karamchand Gandhi's philosophy of non-violent resistance has influenced global movements for over a century. However, in today's digital era, his principles encounter unique challenges. This paper explores how Gandhi's core ideas of Satyagraha, ahimsa, and moral persuasion translate to social media activism while facing issues like algorithmic amplification, misinformation, polarisation, and digital violence. By analysing contemporary movements and case studies, it argues that while Gandhi's ideas remain relevant for digital activism, they must be adapted to tackle the specific challenges of online spaces. The conflict between Gandhi's focus on truth and the engagement-driven nature of algorithms creates a critical dilemma for modern activists. This paper examines both the opportunities and limitations of Gandhian nonviolence in a world where algorithms influence discourse, misinformation spreads rapidly, and peaceful movements are exposed to new kinds of digital violence.

Article Info			
	Received: 04 Sept, 2026	**Accepted:** 15 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 10
	Keywords: Gandhi, Digital Violence, Satyagraha, Ahimsa, Moral Persuasion, Swaraj.		

1. Introduction:

Gandhi's legacy endures in unique ways over time. His image is on currency and monuments, his quotes feature on inspirational posters, and his name is often used to assert moral authority. But what does Gandhi truly represent in 2024 and the future? More importantly, how do his ideas align when we're organizing protests via Twitter, building movements through TikTok, and striving for social change in spaces engineered for engagement over enlightenment?

The urgency of the question arises because social media has established itself as the main space for social movements. From the Arab Spring and Black Lives Matter to climate activism and farmer protests in India, digital platforms now serve as the backbone of modern activism. However, these platforms function on principles vastly different from the world Gandhi knew. Algorithms tend to favour outrage over subtlety. Misinformation spreads rapidly, and echo chambers deepen existing beliefs. The concept of peaceful persuasion through moral clarity becomes more complex when messages compete with millions of others, each vying for visibility on these platforms.

1.1. Gandhi's philosophy is built on key principles: Satyagraha (truth-force), ahimsa (non-violence), swaraj (self-governance), and the idea that moral persuasion can turn enemies into allies. These concepts arose from specific historical contexts and were practiced through direct, face-to-face actions like salt marches, sit-ins, and boycotts, which demanded physical presence and created powerful moral arguments. In contrast, social media activism is different—it's more dispersed, often anonymous, mediated by algorithms, and governed by different power structures. This paper argues that Gandhi's ideas remain highly relevant for digital activism, but only if we recognise both their ongoing strength and their genuine limitations in today's online environment. The question isn't whether Gandhi still matters, but whether his methods can adapt while staying true to their core principles.

1.2. Satyagraha and the problem of algorithmic truth: Gandhi's core philosophy centres on Satyagraha, often called "truth-force" or "soul force." This concept goes beyond simply speaking the truth; it involves living and embodying truth so entirely that the moral legitimacy of one's stance becomes unmistakable. For Gandhi, truth was neither abstract nor relative but a powerful force capable of moving mountains through consistent, non-violent resistance rooted in absolute moral clarity. A prime example is the 1930 Salt March, where Gandhi walked 240 miles to the Arabian Sea to produce salt—an act of civil disobedience against the British salt monopoly. The significance wasn't just in making salt but in the moral clarity of the act. An ageing man choosing to challenge an unjust law through direct action made the message clear. The images spread widely, the story became iconic, and ordinary Indians immediately understood the importance. There was no ambiguity—no room for manipulation or deception. The truth was embodied in the action itself.

Digital activism attempts a similar goal but faces inherent contradictions. Hashtags like #MeToo, #BlackLivesMatter, and #FarmersProtest have rallied millions by condensing complex issues into shareable messages. Videos of police brutality online echo Gandhi's Salt March by making injustice visceral and undeniable. A 9-minute clip of George Floyd's death conveyed more impact than many academic papers on systemic racism. Thus, social media has democratised documenting injustice and made it impossible for the powerful to ignore.

Here's where the situation becomes complex. Social media platforms prioritise engagement over accuracy. They promote content that attracts attention, whether it's deep moral messages or false information. The algorithms don't differentiate between authentic justice movements and organised disinformation efforts. Both types of content are boosted if they attract clicks, comments, and shares. This creates a core conflict with Satyagraha, which relies on the clear recognition of truth.

Activists have creatively adapted Gandhian principles to online spaces. Digital campaigns for climate change, gender justice, and Labour rights have employed hashtags to foster collective awareness around specific issues. The #MeToo movement, though decentralized, was fundamentally rooted in Satyagraha: women publicly sharing their truths, establishing an undeniable record of sexual harassment and assault that could not be ignored or dismissed. The repetitive nature of these accounts became a form of evidence; when thousands of women recount similar experiences, the pattern itself serves as proof. Likewise, the 2019-2020 farmer protests in India, mainly organised offline, gained significant visibility through social media documentation. Videos of farmers marching, enduring harsh weather, and confronting police violence circulated globally, drawing international attention. Activists used social media to challenge government narratives and mainstream media dismissals. Thus, social media became a tool for amplifying Satyagraha rather than replacing it, magnifying what was already unfolding on the ground.

1.3. Ahimsa in digital spaces: redefining non-violence: Gandhi's ahimsa, commonly understood as non-violence, extended beyond merely refraining from physical force. It involved a holistic commitment to reducing harm: not injuring animals, conserving resources, avoiding exploitation, and importantly, not nurturing hatred. Ahimsa was a proactive principle; rather than the absence of violence, it emphasised fostering compassion, empathising with others' viewpoints, and keeping the door open for reconciliation.\

This raises specific challenges in digital environments where verbal and psychological cruelty are widespread. Online harassment, cyberbullying, doxxing, and coordinated hate campaigns fall into a grey area between Gandhi's strict definition of non-violence and what we might term 'epistemic violence'—the harm caused by silencing, misrepresentation, or dehumanisation through language. Despite this, many modern digital movements strive to embody ahimsa principles. Feminist online movements, though sometimes harsh in their critique of patriarchy, often prioritise education rather than punishment. Climate activists generally avoid violent language, focusing instead on moral persuasion. Mental health campaigns promote compassion while addressing systemic issues. These movements understand that even when highlighting injustice, they can do so in ways that maintain human dignity.

Challenges arise when movements engage with dishonest actors or when algorithms favour sensational content. A thoughtful, compassionate critique risks being overshadowed by more sensational messages. A movement advocating for ahimsa could see its hashtags hijacked by trolls or its message warped by coordinated disinformation campaigns. The structure of social media itself promotes escalation, drama, and confrontation. In response, some activist groups have developed ethical guidelines for digital activism. These emphasise calling-in rather than calling-out, shifting conversations to private messages instead of public shaming, and fostering spaces of compassion even while addressing injustice. Such communities aim to apply Gandhian non-violence principles to digital activism, recognising that social media as a tool can encourage violence, but the movement can choose to resist.

1.4. Collective mobilization without hierarchy: Gandhi's innovative approach demonstrated that non-violent resistance could grow exponentially. He proved that everyday people, united without a central authority, could challenge powerful empires. The salt march, for example, was not led by a single command but inspired countless individuals to engage in civil disobedience based on common values. This decentralized, principle-driven activism was groundbreaking. Today, social media has shown it can effectively support this kind of dispersed activism. Movements like Black Lives Matter explicitly chose distributed leadership over hierarchical structures. Anyone can initiate a protest locally, join a larger movement, and act independently without central approval. This concept reflects Gandhi's belief in empowering ordinary people to act in alignment with shared principles without needing constant oversight**.**

The 2011 Occupy Wall Street movement, the Arab Spring protests, the 2017 Women's March, and ongoing climate strikes all utilised social media's power to coordinate actions across widespread networks. A single compelling image or message can go viral worldwide, inspiring similar actions in various cities without direct coordination. The hashtag serves as the organising core, and the shared message acts as the connective tissue. This decentralised, non-hierarchical approach offers real benefits for upholding ahimsa principles. Hierarchical, centralised movements can develop internal violence, where the leader's directives become law, dissent is seen as betrayal, and the movement begins to mirror the oppressive systems it opposes. Conversely, Decentralised movements based on shared principles tend to sustain more genuine non-violence since they lack a single authority demanding obedience or engaging in corrupt compromises. Nonetheless, this distributed structure also exposes movements to risks of infiltration, manipulation, and hijacking

by bad actors. Without clear leadership and boundaries, a movement can compromise its integrity, as malicious participants might adopt its identity while violating its core principles. This challenge remains the most significant obstacle to preserving Gandhian non-violence within digital, decentralised movements.

1.5. The misinformation crisis and Satyagraha's foundation: The core challenge is that Satyagraha relies on the power of truth. Gandhi believed that through consistent, non-violent affirmation of the truth and highlighting its moral importance, people would eventually recognise and accept it. However, this idea falters when misinformation spreads faster than factual information, algorithms prioritise falsehoods for engagement, and people live in separate informational worlds. The covid-19 pandemic made this clear: false vaccine claims quickly spread on social media, while accurate data lagged behind. This wasn't simply a matter of honest disagreement; it was deliberate disinformation aimed at sowing doubt and confusion. No amount of Satyagraha—persistent, truthful effort—could overcome the imbalance created by coordinated disinformation and decentralised fact-checking.

The 2016 and 2020 U.S. elections exhibited comparable patterns. Coordinated disinformation efforts sought to weaken democratic engagement. Bots spread divisive content, while foreign entities manipulated stories. Truth-focused activists were overshadowed by others whose aim was not truth but power, with confusion itself serving their objectives.

Gandhi's method relied on a common informational space, where both British and Indians shared a similar understanding of reality. Disputes mainly concerned interpretation and interests, not basic facts. Social media, however, has fractured this shared reality into multiple different ones. Millions believe conflicting facts about climate change, elections, public health, and crime—not because they've reasoned differently, but because their feeds present them with different information. This poses a challenge for Satyagraha: if truth itself becomes fragmented and disputed, how can one practice truth-force? If opponents reject your fundamental facts, how do you persuade them through moral clarity? Digital activists dedicated to Gandhi's principles must find ways to address this core breakdown of shared reality.

Some groups have responded by concentrating more on grassroots, hyper-local organising to address misinformation directly through conversations within specific communities. Others have adopted educational strategies, teaching media literacy and critical thinking skills. Additionally, some movements have tried to expose and counter disinformation campaigns head-on, although this approach demands substantial resources and technical skills that many grassroots movements do not possess.

1.6. Polarisation and the destruction of intermediary spaces: Gandhi's vision of social change relied on creating spaces where enemies could see each other's humanity. The Salt March succeeded partly because it fostered a visceral encounter between coloniser and colonised. British soldiers faced Indians willing to endure beatings rather than submit, and the willingness to accept suffering without violence moved people. Over time, it chipped away at the wall of indifference. Social media promised unprecedented connection and understanding but instead fuelled polarisation. Algorithms favour content that provokes strong emotions like outrage, fear, or tribalism, as it boosts engagement—usually through content that confirms existing beliefs and sparks reactions. Consequently, people tend to interact only with those who agree with them, viewing opponents as enemies rather than fellow humans with motives they can understand. This contradicts Gandhi's philosophy, which depends on seeing opponents as individuals who can be persuaded or understood, maintaining their human dignity even when opposing their actions. Yet, social media algorithms tend to promote dehumanisation, reducing complex people to stereotypes, caricatures, and enemies.

The polarization also affects tactics. When online environments turn purely adversarial, upholding the non-violent principle becomes more challenging. If your opponent is seen as an

outright enemy—someone to be defeated rather than persuaded—non-violence might be mistaken for weakness. This leads to justifications for harsh language, mockery, and the belief that the usual rules don't apply to those behaving badly. Warfare logic begins to influence behaviour.

Contemporary activists have sought to counteract this polarization through diverse approaches. Some prioritize bridge-building and seek common ground, even with those holding fundamental disagreements. Others focus on narrative efforts to tell stories that humanize individuals often depicted as caricatures. Additionally, some establish spaces specifically intended for dialogues across differences, though such spaces are still rare and fragile, especially on conflict-oriented platforms.

The paradox is that efforts to bridge divides can sometimes backfire. Opponents of a movement may pretend to be allies, participate in seemingly sincere conversations, and then use the information they gather to spread disinformation. This makes trust risky. In this way, digital spaces can undermine Gandhian principles by promoting suspicion and hindering genuine dialogue.

2. Digital Violence and New Forms of harm: Gandhi's concept of ahimsa prohibited violence, which historically primarily referred to physical harm. The tools of violence included fists, weapons, and sometimes structural harm through economic systems. In digital spaces, new forms of violence have emerged: doxxing (publishing private information to enable harassment), coordinated harassment campaigns, revenge porn, and psychological torture via persistent humiliation. While these digital acts can sometimes target powerful institutions—such as exposing corporate misconduct or government corruption—they are often weaponised against vulnerable groups like women, minorities, and activists. For example, a woman speaking out about sexual harassment may face organized online retaliation, and advocates for marginalized communities risk doxxing and targeted harassment. Movements committed to ahimsa face difficult choices: should they participate in digital spaces where violence is widespread and risk corruption, or refuse to engage and leave these platforms to bad actors? Alternatively, they might develop defensive strategies by investigating perpetrators, reporting coordinated attacks, and avoiding becoming perpetrators of digital violence themselves.

Some activist communities have responded by developing a nuanced understanding of online harassment as a control tactic. They have established support networks for victims, documented coordinated attack patterns to show that what appears to be grassroots criticism is often orchestrated, and collaborated with platforms to remove accounts involved in harassment. In doing so, they aim to practice ahimsa while protecting their communities from digital violence. Other activists have wrestled with the ethics of doxing, especially when targeting individuals they believe are causing serious harm. Some argue doxing is justified against corporate executives responsible for environmental damage or government officials enabling violence. Others contend that doxing still breaches ahimsa principles by intentionally subjecting people to harassment and can harm social movements by portraying them as violent or vengeful.

These are real dilemmas without straightforward solutions. Gandhi's philosophy doesn't entirely equip us for a world where harm can happen instantly across the globe, where coordinated harassment can destroy a person's social identity, and where violence is often covert and hard to detect.

2.1. Authenticity, co-option, and bad-faith actors: Gandhi's personal authenticity was vital to his movement's influence. He lived by his principles—wearing homespun cloth, practising celibacy, and leading a simple life—without any discrepancy between his preachings and actions. This unity of belief and behaviour strengthened his moral authority beyond what empty rhetoric could offer. Today, social media makes authenticity more crucial yet harder to verify. Movements succeed when they seem genuine, originating from real individuals sharing real experiences instead of corporate or government messaging. However, social media also facilitates deception—

bots impersonate people, state actor's craft fake identities, and coordinated fake accounts simulate grassroots support for engineered causes. These issues challenge efforts to embody Gandhi's authentic resistance online. How can activists demonstrate the alignment of belief and practice digitally? How can they preserve integrity amid bots, trolls, and bad-faith actors? How can anyone trust online interactions?

Movements inspired by Gandhi's principles often face co-opting and distortion. Corporations adopt Gandhi images and quotes to appear ethical, despite engaging in labour exploitation. Politicians invoke Gandhi to justify actions he would oppose. Trolls fabricate fake Gandhi quotes to mock non-violent movements. The language and symbols of Gandhian activism become weapons against those movements. This weaponisation is partly inevitable, as opponents always try to discredit and distort social movements. However, social media's algorithms can rapidly amplify false or misleading information, far beyond previous limits. For instance, a false meme claiming Gandhi supported violence can go viral in hours, spreading confusion about Gandhi's true views and the sincerity of modern movements.

3. Synthesis: adapting Gandhi for digital activism: *So how do we proceed? Is Gandhian non-violence viable in digital spaces, or is it a beautiful philosophy rendered obsolete by contemporary technologies and dynamics?*

Gandhi's core principles remain deeply relevant and powerful. His dedication to truth, non-violence, and the belief in human moral transformation offer essential qualities that strategic or cynical activism often lack. Movements rooted in Gandhian values tend to be more sustainable, uphold ethical standards better, and achieve lasting social change more effectively than those focused solely on power. However, the ways these principles are applied must adapt. Digital activists can't simply copy Gandhi's 20th-century methods onto 21st-century platforms without adjustments. Instead, they need to craft new practices that respect Gandhian ideals while tackling modern issues like algorithmic manipulation, misinformation, polarization, and online violence. This requires several things-

First, movements should invest in understanding platform mechanics, algorithm functions, misinformation spread, and how coordinated harassment campaigns operate. This technical literacy must be combined with their commitment to non-violence, using this knowledge to protect communities rather than weaponize it.

Second, they need to strengthen boundaries around who is part of their communities and what behaviours align with their principles. While remaining open and non-violent, movements should clearly stand for their values and reject bad-faith participation. Distributed movements require mechanisms to preserve integrity without centralised authority; shared values and community enforcement are essential.

Third, they must focus on direct relationship-building and community organising alongside digital activism. Social media is a tool, but real transformation occurs through face-to-face interactions, community power-building, and relationships based on trust and shared goals. Social media amplifies but cannot replace these bonds.

Fourth, they should better communicate what Gandhian non-violence truly entails. Distorting Gandhi's philosophy into naive passivity weakens activists today. Non-violence is not weakness; it's a demanding, courageous, and disciplined commitment that requires more strength than violence. Activists must clarify this, rejecting the misconception that non-violence means passive acceptance.

Finally, movements need to embrace experimentation and learning. These challenges are new: practising Satyagraha in algorithmic spaces, maintaining ahimsa amid digital violence, building across polarised informational ecosystems—these questions lack fixed answers. Movements must try new approaches, learn from successes and failures, and refine their strategies continuously.

Conclusions and Suggestions: Gandhi passed away in 1948, murdered by someone who believed he hadn't gone far enough in opposing colonialism. He never encountered the internet, social media, or the specific issues of algorithmic boosting and coordinated digital disinformation. Nonetheless, his essential ideas remain highly relevant. The belief that persistent, truth-based, non-violent resistance can effect monumental change is still valid and not made obsolete by social media. In fact, in a world where military might doesn't solve core problems and legitimacy becomes increasingly important, this insight gains even more significance. You cannot achieve justice solely through force; instead, real progress requires convincing people to work together to build a better society.

The understanding that movements must reflect their core values—where the means are as significant as the ends—and that our approach to opponents influences our moral identity stays vital. Movements that forsake non-violence or resort to dehumanisation and digital violence might achieve tactical wins but risk losing their moral essence.

The idea that ordinary individuals, following shared principles without any central authority, can bring about remarkable change is evident every day on social media. Hashtags have inspired millions, videos have ignited worldwide movements, and everyday people with phones have exposed injustices in ways that have shifted political landscapes. However, Gandhi's philosophy also provides an essential warning about the relationship between means and ends. It emphasizes that achieving just societies requires just methods, that how we treat those in power while opposing their actions is significant, and that preserving our humanity and that of our opponents is fundamental to true liberation.

In the era of social media, digital activism will persist regardless of whether it aligns with Gandhi's legacy. However, movements that deliberately incorporate Gandhian principles—such as upholding truth despite difficulties, practicing non-violence even when violence seems easier, and recognizing opponents as human despite dehumanization—are more likely to foster a just, equitable, and peaceful world that most of us aspire to live in.

Gandhi's significance is unquestionable; the real question is whether we possess the courage and wisdom to truly uphold his principles in an increasingly complex and technologically advanced world. As Gandhi consistently emphasised, this challenge is essentially moral and spiritual in nature. No technology can solve it for us; it is a matter we must address ourselves.

References:

1. Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt, Brace & World.
2. Gandhi, M. K. (1957). An autobiography: The story of my experiments with truth (M. Desai, Trans.). Beacon Press. (Original work published 1927–1929)
3. Gillespie, T. (2018). Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. Yale University Press.
4. Lorentzen, L. A., & Turpin, J. (Eds.). (1998). The women and war reader. New York University Press.
5. Morozov, E. (2013). To save everything, click here: The folly of technological solutionism. PublicAffairs.
6. Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism. New York University Press.
7. Sharp, G. (1973). The politics of nonviolent action. Porter Sargent.
8. Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton University Press.
9. Tarrow, S. (2011). Power in movement: Social movements and contentious politics (3rded.). Cambridge University Press.
10. Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. Yale University Press.

=====

Cite the article:	Pandey, Dr. Sanjay Kumar and Kumar, Avinash (2026). Gandhi in the age of Social Media: Digital Activism, Misinformation and the challenge of Peaceful Resistance in Online Spaces. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 167-173. https://doi.org/10.5281/zenodo.23005241

Bundelkhand Journal of Academic Research

Ultra-Processed Food Consumption and Dietary Patterns among Young Adults

Dr. Pragati Chaudhray[1], Dr. Amit Singh[2], Dr. Shubham[3]

1. **Assistant Professor (Home Science),** Government Degree College Gonda-Iglas, Aligarh, UP.
2. **Associate Professor (Physical Education),** Government Degree College Faridpur, Bareilly, UP.
3. **Assistant Professor (Commerce),** Government Degree College Barki Sewapuri, Varanasi, UP.

(**Corresponding Author:** chpragati@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005288

Abstract

Ultra-processed foods (UPFs) have become a common component of modern diets, especially among young adults whose dietary habits are affected by accessibility, affordability, digital marketing, peer pressure, educational or professional demands, and changing household customs. This paper investigates the association between UPF intake and dietary habits among young adults through a literature-based compilation of current studies, with particular attention to the Indian setting. To differentiate ultra-processed products from unprocessed, minimally processed foods, processed culinary ingredients and processed foods, classification was used. Studies highlight that diets high in UPFs tend to contain more calories, added sugars, sodium and unhealthy fats, while replacing fruits, vegetables, pulses and other slightly processed foods. Many experimental and observational studies have highlighted the association of greater UPF consumption with some diseases such as obesity, gastrointestinal ailments, cardiometabolic problems, some cancers, and adverse mental-health consequences, though connection and the independent influence of processing remain subjects of scientific discussion. According to Indian research, UPFs already make a significant contribution to the consumption of nutrients and calories among adults and youths. The study emphasizes the need for enhanced food labeling, healthier campus food conditions, nutrition awareness, promotion of traditional home-prepared foods, and additional Indian research with standardized evaluation techniques and regulations.

Article Info			
	Received: 05 Sept, 2026	**Accepted:** 16 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 02	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 12
	Keywords:	Ultra-Processed Food; NOVA Classification; Young Adults; Dietary Patterns; Nutrition Literacy; India.	

1. Introduction and Background: Ultra-processed food (UPF) intake has emerged as a significant issue in modern nutrition investigations because dietary habits are shifting rapidly among Indians. Ultra-processed food does not simply refer to food that has undergone any form of processing. The NOVA system categorizes foods according to the nature, degree, and purpose of processing and divides foods into four groups: unprocessed or minimally processed foods, processed culinary elements, processed foods and ultra-processed foods. UPFs are industrial formulations prepared mainly from extracted or modified food ingredients and extracts, usually designed to be appropriate, ready-to-eat, highly edible, long lasting and commercially appealing (Monteiro et al., 2019).

Young adulthood is an important period for dietary change. Food choices during this phase are associated with greater independence in food selection, shift to higher education or employment, irregular routines, dining out, frequent use of food-delivery services and exposure to digital marketing. These circumstances can inspire recurrent intake of packaged snacks, sugary beverages, instant foods, sweets, ready-to-consume foods and commercially produced bakery goods. Simultaneously, young adulthood is a period when dietary patterns can become established and affect health in later years of age.

The public-health significance of this issue is reinforced by evidence relating higher UPF intake with numerous prolonged health consequences and poor quality of diet. A comprehensive review of meta-analyses revealed direct correlations between increased exposure to UPF and 32 out of 45 evaluated health parameters, with the strongest evidence pertaining to mortality, mental health, and cardiometabolic outcomes (Lane et al., 2024). Thus, the scientific debate should differentiate between association and causation and should distinguish the diversity of UPFs.

Particular consideration must be given to the Indian setting. Cereals, pulses, vegetables, fruits, milk products, nuts, seeds, spices and diverse home-prepared recipes are included in traditional Indian food habits. An increasing range of commercially produced food products have been introduced due to fast urbanization, growing food markets, comfort-oriented lifestyles and changing patterns of food buying. A 2024 Indian formative study recognized 23 classes of UPFs available to Indian consumers and stated that some conventional foods have transitioned toward ultra-processed preparations through the use of industrial constituents and additives (Ghosh-Jerath et al., 2024). An Indian study stated that UPFs provided 29% of added sugar, 20% of total fat, 33% of sodium intake and 17% of total energy, among adults aged 20–40 years, though dietary diversity was also inadequate (Mediratta et al., 2023).

The current research hence focuses on UPF intake and dietary habits among young adults, compiling conceptual, nutritional, behavioral and health-related facts and highlighting inferences for community health and nutrition.

1.1. Objectives of the study: The study is guided by the following objectives:

1. To explain the concept and classification of ultra-processed foods.
2. To examine the dietary patterns associated with higher UPF consumption among young adults.
3. To synthesize evidence regarding nutritional and health implications of high UPF exposure.
4. To examine evidence from India, with particular emphasis on young adults.
5. To identify practical strategies for improving food choices and reducing excessive dependence on UPFs.
6. To identify methodological gaps and priorities for future research.

1.2. Concept and classification of Ultra-Processed Foods: The NOVA categorization offers a processing-based outline instead of a simple nutrient-based definition. Unprocessed or slightly processed foods such as fresh fruits, vegetables, grains, pulses, eggs, milk, meat and fish that may experience processes such as cleaning, drying, pasteurization, refrigeration or milling without significantly changing their food atmosphere are classified in Group 1. Group 2 includes processed food materials usually used in food preparation and seasoning such as oils, salt and sugar. Foods which are generally made by adding cooking ingredients to Group 1, such as vegetables with additional salt, canned foods, conventional cheeses and fresh breads, comes under Group 3. Ultra-processed foods, which are industrial formulations with chemicals and additives, rare in home kitchens and are frequently produced through a number of industrial processes, are classified in Group 4 (Monteiro et al., 2019).

Packaged confections, sweetened breakfast cereals, savory packaged snacks, instant noodles, many reconstituted meat products, sweetened beverages, energy drinks, packaged

desserts, ice cream, some commercially produced bakery products, and ready-to-heat or ready-to-eat meals are examples that are pertinent to young adults. Categorization should be according to the product and ingredient list, rather than relying only on food packaging. Packaging is not the only criterion for defining UPFs; it is only a common feature of UPFs.

1.3. Why young adults are a critical population: A shift from family-controlled food atmospheres to self-guided eating is often experienced by young adults. While working young adults may have to deal with lengthy commutes and erratic job schedules, students residing in hostels or rental housing may have restricted access to the kitchen. Convenience and comfort hence becomes a major element of food choice. Regular snacking and eating outside the home have become normalized through the use of social media and influencer marketing, while digital platforms or food delivery applications can make highly appetizing and calorie-rich foods continuously available.

Price, time and food availability shaped the food environment. Little preparation is required for UPFs along with longer shelf life. These features are eye-catching when cooking amenities, time or cooking skill are limited. However, when a balanced diet comprising cereals, vegetables, pulses, fruits and dairy products is replaced by ready-to-eat processed food items, convenience can become problematic.

1.4. Dietary pattern perspective: Rather than being a question about a specific product, the significance of UPFs is better understood as a dietary pattern issue. Packaged food can be consumed occasionally without having a complete UPF-dependent diet. Contrarily, recurrent intake between several meals and snacks can produce a dietary pattern characterized by high energy density, added sugars, sodium and unhealthy fats, together with lower intake of required nutrients and protecting food groups.

Therefore, research related to dietary pattern is mainly concerned with the overall combination of foods and beverages. A young adult who regularly substitutes packaged bakery goods and sweetened beverages for breakfast, eats packaged snacks or instant noodles during the day, orders fast food in the evening, and drinks sweetened beverages in between meals has a different dietary pattern than someone who gets most of their calories and nutrients from minimally processed staples, pulses, vegetables, fruits, and milk. This aspect is particularly significant when designing community health interventions because simply counselling the population to “avoid junk food” may not be more effective than advising and helping them to reform their daily dietary pattern.

1.5. Nutritional characteristics: Ultra-Processed Foods are diverse. Not all UPFs have the same nutrient composition, and some UPF products may have added proteins, minerals and vitamins. Hence, the proclamations that all UPFs are nutritionally equal and inadequate are inappropriate. However, population-based studies often find that increased consumption of UPF is linked with higher intake of calories, free or added sugars, sodium and unhealthy fats, while intake of several slightly processed food groups may decline (Pagliai et al., 2022; Lane et al. 2024).

The nutrient replacement mechanism is particularly important. There may be fewer opportunities for consumption of foods such as pulses, vegetables, fruits, nuts, seeds, and other foods that provide fiber, micronutrient and bioactive compounds, when a considerable amount of daily energy requirements are met from packaged snacks, sweetened drinks and ready-to-consume foods. An Indian study on adults aged 20–40 years demonstrates this issue: UPFs provided 17% of energy but excessively high portions of added sugar and sodium, whereas the consumption of several food groups was below national dietary recommendations (Mediratta et al., 2023).

2. Materials and Methods:

2.1. Study design: A literature-based narrative review design is used in this paper. PubMed-indexed records, journal websites, official nutrition and health sources, and Indian institutional publications were used to find pertinent literature. Peer-reviewed systematic reviews, meta-

analyses, cohort studies, experimental studies, and Indian studies about UPFs, dietary patterns, nutrition, obesity, cardiometabolic health, mental health, and young adults were given priority. Combinations of "ultra-processed food," "NOVA," "young adults," "college students," "dietary patterns," "India," "nutrition," "obesity," "mental health," "diet quality," and "dietary diversity" were among the key search terms. Important recent studies and foundational material outlining the NOVA system were also studied.

2.2. Selection and synthesis: Studies that: (a) used the NOVA classification or specifically addressed UPFs; (b) Evaluated dietary intake, diet quality, or health outcomes; (c) Included adolescents, young adults, or adult populations relevant to young-adult dietary behavior; or (d) Provided evidence applicable to India were deemed especially relevant. The four domains of dietary exposure and food choice, nutritional outcomes, health consequences, and behavioral/environmental variables were used to organize the findings thematically.

2.3. Analytical framework: A conceptual pathway was used to interpret the literature: Food environment and life-stage factors → the kind and frequency of UPF consumption → changes in dietary quality and replacement of minimally processed foods → changes in energy and nutrient intake → possible effects on the gastrointestinal tract, metabolism, and mental health.

Table-1: Major NOVA Food Groups and Examples Relevant to Young Adults

NOVA group	Broad Description	Examples
Group 1	Unprocessed/Minimally Processed Foods	Fruits, Vegetables, Pulses, Whole Grains, Eggs, Milk, Fresh Meat
Group 2	Processed Culinary Ingredients	Oils, Salt, Sugar
Group 3	Processed Foods	Canned Vegetables, Traditional Cheese, Salted Nuts, Simple Breads
Group 4	Ultra-Processed Foods	Packaged Snacks, Confectionery, Sugary Drinks, Instant Noodles, Many Ready-To-Eat Meals

Source: Adapted conceptually from Monteiro et al. (2019).

3. Results and Findings:

3.1. Patterns of Ultra-Processed Food consumption: The reviewed studies show that UPF intake is not a single behaviour but a set of food selections and choices. Common types comprise confectionery products, packaged snacks, sweetened beverages, instant foods, ready-to-consume foods, reconstructed meat items and commercially prepared bakery products. Young adults usually consume these foods during breakfast, during snacking between meals and at late-night eating and foods from online food-service or delivery channels also add UPF consumption in the diet.

Because the Indian market includes both locally tailored items and globally standardized UPFs, the evidence is especially significant. Ghosh-Jerath et al. (2024) stated that some foods conventionally viewed as processed may move into the ultra-processed classification when industrial additives and ingredients are used and study also recognized that Indian consumers accessed 23 categories of UPFs. These outcomes recommend that nutrition education in India should not depend exclusively on known tags such as “fast food” “packaged,” “traditional,” or “junk” foods, ingredient composition and processing should be assessed.

3.2. UPFs and overall diet quality: The link between higher UPF intake and poorer overall dietary quality is a consistent theme in the literature. Higher consumption of UPFs was linked with variations in diet quality and intake of food groups in the U.S. population according to research using NHANES data (Steele et al., 2022). Likewise, comprehensive reviews have defined diets high in UPFs as patterns in which calorie-dense, highly delicious foods occupy a larger share of total consumption and slightly processed foods may be replaced.

The problem is not only nutrient composition but meal pattern and structure. Fruits, curd, nuts or roasted pulse may be replaced by packaged snack; water or milk may be replaced by a sweetened beverage; and pulse-vegetable-cereal combination may be replaced by instant meal.

Recurrent replacements can decrease dietary diversity even when total calorie intake seems adequate.

3.3. Evidences from Indian adults and young adults: Although the evidence from India is still growing, a few studies offer helpful guidance. Mediratta et al. (2023) reported that dietary diversity score of young adults in the age range of 20–40 years was 4.4 ± 0.6. Intake of several food groups comprising milk and milk products, cereals and pulses, eggs, flesh foods, fruits and vegetables and nuts was below the national recommendation among more than 80% of participants and results show that 12% of protein, 17% of energy, 29% of added sugar, 20% of total fat, 17% of carbohydrate and 33% of sodium intake came from UPFs. These findings show how a comparatively moderate proportion of calories from UPFs can link to a much higher portion of specific nutrients of concern.

An explanatory mixed-method study was conducted by Menon et al. (2024) at three colleges in Puducherry on 630 young adults. Previous-day dietary data, anthropometry data were obtained along with focus-group discussions. The study reported that 178 participants (28.3%) were overweight or obese. The mixed-method design is particularly useful because it associates quantitative dietary data with participant's opinions and reasons for consumption. Such methods are significant to community health.

3.4. Relationship with energy intake and body weight: Significant experimental results were obtained from a controlled inpatient trial conducted by Hall et al. (2019). For two weeks, twenty weight-stable adults were randomly assigned to receive either an ultra-processed food or an unprocessed diet. During the ultra-processed diet phase, participants consumed about 500 kcal more per day and gained weight, despite the diets being matched for several nutritional aspects. The study supports the probability that food form, eating proportion, tastiness and other attributes of UPFs may impact impulsive calorie consumption solely of simple nutrient matching.

The same conclusion is also supported by observational data. An association between increased intake of UPF and subsequent risk of weight related issues such as obesity and overweight was reported by the cohort study (Mendonça et al., 2016). A 2024 review focusing on obesity reported that evidence based on epidemiological and ecological studies largely supports a role of high-UPF diets in encouraging overeating and adiposity, while also accepting current debate about the conception and mechanisms (Dicken and Batterham, 2024).

3.5. Cardio metabolic outcomes: There is a link between increased UPF intake and cardiometabolic consequences, as shown by longitudinal evidence. A 10-percentage-point absolute increase in the percentage of UPFs in the diet was linked to an increased risk of cerebrovascular disease, coronary heart disease, and total cardiovascular disease in the NutriNet-Santé cohort, according to Srour et al. (2019). Such results do not establish that processing itself is the sole cause because UPF consumption is associated with other lifestyle and dietary aspects.

The 2024 BMJ umbrella review synthesized 45 pooled analyses involving approximately 9.9 million participants. It found direct associations between greater UPF exposure and 32 of 45 health parameters. Convincing evidence was reported for some outcomes, including cardiovascular-disease-related mortality and type 2 diabetes, but the GRADE assessment rated much of the overall evidence as low or very low quality (Lane et al., 2024). This combination of strong consistency of association and limitations in certainty is important for responsible interpretation.

3.6. Mental health and sleep: Research on eating behaviour is increasingly taking mental health into consideration. Increased UPF consumption was linked to anxiety and depression symptoms both cross-sectionally and prospectively, according to a comprehensive review and meta-analysis of 17 observational studies with 385,541 participants (Pagliai et al., 2022). Similar results were observed by the BMJ umbrella review that anxiety, adverse sleep-related outcomes, common mental ailments and depression were related to UPF intake (Lane et al., 2024).

The possible relationship is especially pertinent to young adults because this life phase may have educational pressure, professional stress, irregular sleep patterns and social changes. However, there may be a reciprocal relationship: stress, dependence on convenient delicious foods may be increased due to poor sleep and change in mood, whereas metabolic and psychological processes may also be affected by dietary habits and patterns. Thus, interventions should refrain from making the oversimplified assertion that UPFs are the sole source of mental health issues.

3.7. Gastrointestinal and other outcomes: Gastrointestinal consequences have also been studied. An association between UPF intake and functional gastrointestinal ailments was observed by the NutriNet-Santé cohort, including signs related to irritable bowel syndrome and other digestive disorders. Potential solutions include reformed food structure, food composition, food additives, and changes in the gut environment, but evidence remains insufficient to link UPFs alone to some gastrointestinal disorders,

Associations with certain malignancies and mortality are also included in the broader literature. Higher UPF intake was found to be associated with breast cancer risk in a French cohort study conducted by Fiolet et al. (2018). These findings need careful analysis because UPF consumption may represent multiple extents of dietary quality and lifestyle.

Table-2: Selected evidence relevant to Ultra-Processed Food consumption

Study	Population/design	Main finding relevant to the present topic
Hall et al. (2019)	20 adults; randomized inpatient crossover trial	Ultra-processed diet produced higher spontaneous energy intake and weight gain than unprocessed diet
Mendonça et al. (2016)	SUN cohort	Higher UPF consumption associated with overweight/obesity risk
Srour et al. (2019)	105,159 French adults; prospective cohort	Higher UPF share associated with cardiovascular disease risk
Pagliai et al. (2022)	17 observational studies; 385,541 participants	Higher UPF intake associated with depressive/anxiety symptoms and prospective depression
Mediratta et al. (2023)	589 Indian adults, 20-40 years	UPFs contributed 17% of energy and substantial shares of added sugar and sodium
Menon et al. (2024)	630 South Indian college students	UPF contributed 9.3%, 2.8%, 9.9%, 9.9% of energy, protein, and fat and carbohydrate intake. Biscuits, potato chips and wafers were most consumed UPFs.
Lane et al. (2024)	Umbrella review; ~9.9 million participants across pooled analyses	Greater UPF exposure associated with multiple adverse health outcomes, with variable certainty

4. Debate and Discussion:

4.1. Interpretation of the evidence: The literature represents a complex yet logical picture. Greater dependence on accessible foods and lower intake of slightly processed foods may be the possible reasons for higher UPF consumption. The nutritional outcomes may consequently develop through several ways at one time: higher calorie density, fast intake, high deliciousness, higher intake of added sugars and sodium, low fibre in some dietary structure, and shift of whole or slightly processed foods.

A major role of recent studies is the identification that UPFs may affect intake of dietary nutrient along with eating behaviour. The Hall et al. (2019) trial is particularly useful because it found variations in calorie consumption even though the experimental diets were matched for several nutritional features. This helps to reinforce the hypothesis that food pattern, eating rate, edibility and sensory qualities can impact hunger and calorie consumption. However, due to the small sample size, the results of this trial should not be perceived as conclusive outcomes for every UPF classification or population.

4.2. Why the young adults' dietary patterns matters: Young adulthood represents the optimal window for intervention. Food behaviour developed during this phase may last into family building, occupation and later in middle age. Community health specialists can come up with the interpretation of health and nutrition knowledge into day-to-day practical food management skills such as budget making, planning a meal, healthy accessible food options, label reading, healthy cooking practices, and management of portion size, food storage, portion size and selection of healthier eating option outside the home.

A major task is that young adults do not certainly discard healthy food options. When they have limited time, they prefer convenience over health. Therefore, a practical intervention should not consider the issue only as personal "choice", environment of the food matters. Healthier choices can make it easier to access of reasonably priced food items such as fruit, vegetables, pulses, curd, eggs and slightly processed snacks on campus.

4.3. Indian dietary context: India has a rich culinary heritage that might offer useful substitutes for diets high in UPF. Poha with vegetables and peanuts, idli with sambar, vegetable upma, dal-chawal with seasonal vegetables, roti with pulses and vegetables, curd with fruit, roasted chickpeas, sprouts, almonds, and traditional homemade snacks are a few examples. These foods are not healthy only because they are traditional but method of preparation, portion size and dietary composition make these foods healthy options. These food preparations show how traditionally accustomed, slightly processed foods can be adapted to modern lifestyles.

Another classification problem is the Indian market. According to Ghosh-Jerath et al. (2024), several traditional foods have made the commercial shift to ultra-processed formulations. This highlighted the need of practical food-label literacy among consumers instead of depending on product names or marketing claims. In community health education, students can be taught to recognize attributes of ultra-processed foods and to relate products on the basis of ingredients and sugar, sodium, fat and fiber content.

4.4. The debate around NOVA and causality: Although it is not without criticism, the NOVA framework has been influential because it draws attention to industrial processing. Foods in the same category might vary greatly in terms of their nutritional makeup and culinary function because to the heterogeneity of UPFs. For instance, some packaged goods could be low in nutrients while others might be fortified. Furthermore, socioeconomic status, physical inactivity, lack of sleep, smoking, alcohol consumption, stress, and other lifestyle factors have been linked to increased UPF consumption.

In this sense, the 2024 BMJ umbrella review is instructive. The majority of pooled analyses were rated as low or very low quality under GRADE, despite the fact that it discovered correlations across numerous outcomes. This implies that it is possible to acknowledge uncertainty regarding the extent and causality of particular associations while still justifying public health concerns. Therefore, claims like "all processed foods are harmful" or "one food causes disease" should be avoided in research. While the information is still being gathered, it is more reasonable to conclude that diets that extensively rely on UPFs are linked to worse health profiles in many groups and minimizing an excessive reliance on such items is a viable preventive strategy.

4.5. Community health perspective: A community health intervention can integrate practical skills with knowledge. Weekly food diary, budget making, workshop on demonstration of minimally processed foods, identification of UPFs with the help of ingredient list, and setting goal for switching selected UPFs with healthy dietary options are few examples that could be added in a college programme.

Substitution should be the main focus rather than banning. Dietary quality can be improved by substituting a sweetened beverage with milk, coconut water, other suitable beverage and plain

water; replacing packed food item or snacks with nuts, fruit and roasted pulses; and replacing instant food items with quick recipes of pulses, vegetables and cereals without demanding impractical lifestyle modifications.

4.6. Limitations of the Present Review: Instead of being a registered systematic review or an original cross-sectional study, this work is a literature-based narrative review. Hence, the results rely on the quality and scope of present studies may be impacted by publication bias and diversity in revelation analysis. There is variation in the measurement of UPF intake, including dietary assessment tools such as 24-hour dietary recalls, food-frequency questionnaires and other dietary records. Across different food cultures there may be variation in definitions and categorization.

Most of the studies are from outside India, this constitutes the second limitation. There is a surge in Indian studies but continues comparatively low, and there is need for NOVA-based dietary assessment to get the national estimates. The inability of observational connections to prove causation is a third limitation. Repeated dietary assessment, anthropometry, socioeconomic factors, sleep pattern, mental well-being and longitudinal follow-up should be combined with future research.

5. Suggestions and Recommendations:

5.1. Nutrition and food literacy: Young adults should be made aware on how to differentiate unprocessed/minimally processed, processed, and ultra-processed foods. Awareness sessions should be organized on label-reading specially focused on added sugar, saturated fat, portion and serving size, sodium and fibre. It should be emphasized that marketing terms like "natural," "multigrain," "fitness," or similar terms do not determine nutritional quality on their own.

5.2. Healthier campus food environment: Access to reasonable slightly processed foods, healthy beverages, drinking water, sprouted food items, fruits, roasted pulse and balanced diet can increase by colleges and universities. Campus canteens may use menu standards that reduce daily accessibility of sugar-sweetened beverages and highly processed foods like snacks, whereas maintaining reasonable healthy dietary choices for students.

5.3. Practical cooking and meal-planning skills: Skill based short term programmes focusing on quick meal preparation, budgeting, safe packaging storage of food, weekly planning can be organized by community health professionals. Young adults may be less reliant on ready-to-consume food products, who can prepare several low-cost 10-20 minute meals.

5.4. Behavioral substitution: Definite and small goals should be used in interventions. Some behavioral substitutions are substituting one UPF snack per day with slightly processed options, regulating intake of packaged snack, increasing consumption of fruits and vegetables, intake of home prepared breakfast on selected days, and carrying water. Participants can identify triggers including stress, boredom, late-night study, and social eating by keeping a brief food journal.

5.5. Family and community involvement: Family food habits or culture remains essential for young adults, though young adults gradually make autonomous food choices. Healthy eating messages can be strengthen by parents, peer groups, community organizations and educational institutions. Reasonableness and reach should be considered by community health and nutrition programmes instead considering food selection only as an issue of personal accountability.

5.6. Food labeling and Consumer Protection: Consumer education, comprehensive ingredient lists, and easily comprehensible front-of-pack information can all help consumers make educated decisions. In order to identify UPFs and convey their features without confusing processing,

nutrient quality, and food safety, Indian policy and research should keep establishing context-specific methods.

5.7. Recommendations for Future Research: Research should focus on the comparison of UPF exposure with dietary variety, nutrient sufficiency, physical activity, food insecurity, stress, sleep and anthropometric measurements such as BMI and waist circumference. Variables like why young adults choose UPFs, comprising taste, price, accessibility, peer pressure, advertising, access to food outlets and cooking assurance should be explored by mixed-method studies.

A cross-sectional study of college students between the ages of 18 and 29 using a validated socio-demographic questionnaire, 24-hour dietary recalls on several non-consecutive days, a UPF classification protocol, a dietary diversity score, anthropometry, and a quick nutrition literacy scale would be an especially appropriate community health research design. Instead of depending just on a literature synthesis, such a study would produce unique data and provide a more solid foundation for a primary research paper.

Conclusions: Ultra-processed food intake is becoming increasingly significant in the dietary habits of young adults. Current evidence shows that higher UPF intake is generally linked with poor diet quality and with an increased risk of several health-related ailments, although the strength and clarity of the data vary and causality is still a debated topic. Indian studies demonstrate that UPFs now add considerably to calorie and intake of several nutrients among adults and young people.

From a community health perspective, the relevant answer is not only to label the foods as ‘good’ or ‘bad’ The more convenient strategy is to reinforce nutrition awareness, cooking and meal planning skills that are practically applicable, healthy food environments and culturally applicable food alternatives. Young adults should be supported to build dietary patterns centered on diverse minimally processed foods while reducing excessive dependence on highly processed convenience products. Future Indian research should prioritize standardized dietary assessment and longitudinal, representative studies to establish the magnitude, determinants and health implications of UPF consumption among young adults.

References:

1. Dicken, S. J. and Batterham, R. L. (2024). Ultra-processed food and obesity: What is the evidence? Current Nutrition Reports, 13: 23–38. DOI: 10.1007/s13668-024-00517-z.
2. Fiolet, T., Srour, B., Sellem, L., Kesse-Guyot, E., Allès, B., Méjean, C., Deschasaux, M., Fassier, P., Latino-Martel, P., Beslay, M., Hercberg, S., Lavalette, C., Monteiro, C. A., Julia, C. and Touvier, M. (2018). Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: Results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ, 360: k322. DOI: 10.1136/bmj.k322.
3. Ghosh-Jerath, S., Khandpur, N., Kumar, G., Kohli, S., Singh, M., Bhamra, I. K., Marrocos-Leite, F. H. and Reddy, K. S. (2024). Mapping ultra-processed foods (UPFs) in India: A formative research study. BMC Public Health, 24: 2212. DOI: 10.1186/s12889-024-19624-1.
4. Hall, K. D., Ayuketah, A., Brychta, R., Cai, H., Cassimatis, T., Chen, K. Y., Chung, S. T., Costa, E., Courville, A., Darcey, V., Fletcher, L. A., Forde, C. G., Gharib, A. M., Guo, J., Howard, R., Joseph, P. V., McGehee, S., Ouwerkerk, R., Raisinger, K. and Zhou, M. (2019). Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: An inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. Cell Metabolism, 30(1): 67–77.e3. DOI: 10.1016/j.cmet.2019.05.008.
5. Lane, M. M., Gamage, E., Du, S., Ashtree, D. N., McGuinness, A. J., Gauci, S., Baker, P., Lawrence, M., Rebholz, C. M., Srour, B., Touvier, M., Jacka, F. N., O'Neil, A., Segasby, T. and Marx, W. (2024). Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: Umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ, 384: e077310. DOI: 10.1136/bmj-2023-077310.
6. Mediratta, S., Ghosh, S. and Mathur, P. (2023). Intake of ultra-processed food, dietary diversity and the risk of nutritional inadequacy among adults in India. Public Health Nutrition, 26(12): 2849–2858. DOI: 10.1017/S1368980023002112.

7. Mendonça, R. D. D., Pimenta, A. M., Gea, A., de la Fuente-Arrillaga, C., Martinez-Gonzalez, M. A., Lopes, A. C. S. and Bes-Rastrollo, M. (2016). Ultraprocessed food consumption and risk of overweight and obesity: The University of Navarra Follow-Up (SUN) cohort study. American Journal of Clinical Nutrition, 104(5): 1433–1440. DOI:10.3945/ajcn.116.135004.
8. Menon, A., Patel, N., Arulprasad, R., Mouttoulatchoumy, D. and Lakshminarayanan, S. (2024). Influence of ultra-processed food in the diet of South Indian young adults: An explanatory mixed method study. European Journal of Nutrition, 63(6): 2339–2355. DOI: 10.1007/s00394-024-03429-4.
9. Monteiro, C. A., Cannon, G., Levy, R. B., Moubarac, J.-C., Louzada, M. L. C., Rauber, F., Khandpur, N., Cediel, G., Neri, D., Martinez-Steele, E., Baraldi, L. G. and Jaime, P. C. (2019). Ultra-processed foods: What they are and how to identify them. Public Health Nutrition, 22(5): 936–941. DOI: 10.1017/S1368980018003762.
10. Pagliai, G., Dinu, M., Madarena, M. P., Bonaccio, M., Iacoviello, L. and Sofi, F. (2022). Consumption of ultra-processed foods and health status: A systematic review and meta-analysis. Nutrients, 14(13): 2568. DOI: 10.3390/nu14132568.
11. Srour, B., Fezeu, L. K., Kesse-Guyot, E., Allès, B., Méjean, C., Andrianasolo, R. M., Chazelas, E., Deschasaux, M., Hercberg, S., Galan, P., Monteiro, C. A. and Touvier, M. (2019). Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: Prospective cohort study (NutriNet-Santé). BMJ, 365: l1451. DOI: 10.1136/bmj.l1451.
12. Steele, E. M., Batis, C., Popkin, B. M. and Swinburn, B. (2022). Consumption of ultraprocessed foods and diet quality among U.S. children and adults. American Journal of Preventive Medicine, 62(2): 252–264. DOI: 10.1016/j.amepre.2021.08.014.

=====

Cite the article:	Chaudhray, Dr. Pragati; Singh, Dr. Amit and Dr. Shubham (2026). Ultra-Processed Food Consumption and Dietary Patterns among Young Adults. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 174-183. https://doi.org/10.5281/zenodo.23005288

Bundelkhand Journal of Academic Research

From Directive Principles to Socioeconomic Outcomes for Inclusive Development in India

Shivam Gupta[1], Khushi Gupta[2], Dr. Shambhu Nath Singh[3]

1. **Research Scholar,** Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University Jhansi.
2. **Reseach Scholar,** Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University Jhansi.
3. **Associate Professor & Research Supervisor,** Department of Banking, Economics and Finance, Bundelkhand University Jhansi, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** guptashivam8550@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005325

Abstract

Achieving meaningful inclusive development in India necessitates moving past conventional macroeconomic indicators toward an evaluation of how opportunities, productive assets, and welfare outcomes are distributed across societal strata. The Directive Principles of State Policy (DPSPs), contained in Part IV of the Constitution of India, provide a distinctive normative foundation for such an approach by articulating objectives related to social and economic justice, livelihood, equitable distribution of resources, education, health, nutrition and protection of disadvantaged groups. This study translates these constitutional imperatives into a unified framework spanning six interdependent dimensions: (i) economic justice and reduction of inequality, (ii) employment, livelihood and economic participation, (iii) education and human capability, (iv) Social justice and inclusion, (v) health, nutrition and basic wellbeing, and (vi) equitable distribution of resources and economic power. Each dimension is linked with illustrative socioeconomic indicators that can potentially be measured through established official statistical systems of the Government of India, including the National Statistical Office, Periodic Labour Force Survey, UDISE+, National Family Health Survey, Sample Registration System and other official sources. Drawing upon established multidimensional paradigms and indicator design methodologies, this paper eschews comparative state ranking to provide a systematic constitutional-to-empirical translation. The framework provides an analytical apparatus that directly correlates India's normative socioeconomic dimensions.

Article Info			
	Received: 08 Sept, 2026	**Accepted:** 21 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 01	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 20
	Keywords:	Directive Principles; Inclusive Development; Constitutional, Social Justice; Inequality; Socioeconomic Indicators.	

1. Introduction:

Economic development is increasingly understood as a multidimensional process rather than simply an expansion of aggregate output. While economic growth remains important for generating resources and employment, development also concerns the distribution of opportunities, access to essential services, human capabilities, participation in economic activity and the extent to which disadvantaged groups share in socioeconomic progress. The World Bank's inclusive-growth approach emphasises sustained growth that creates opportunities for people to contribute to and benefit from economic expansion, while the OECD places emphasis on broad

participation, distribution of benefits and opportunities, inclusive labour markets and addressing the circumstances of people and places that may be left behind. (8, 18)

The capability approach provides an additional theoretical basis for this broader understanding of development. Amartya Kumar Sen (20) argues that development should be understood in terms of the expansion of substantive freedoms and capabilities available to individuals. From this perspective, income is an important means of development but does not by itself capture people's actual opportunities to live lives they value. Education, health, employment, social participation and access to resources consequently become central components of development. (20)

The Indian Constitution provides a distinctive normative foundation for considering these dimensions. Part IV of the Indian Constitution contains the Directive Principles of State Policy, which establish important socioeconomic objectives for the State. Article 38 calls for the promotion of a social order informed by justice and the reduction of inequalities; Article 39 addresses adequate livelihood and equitable distribution of material resources; Article 41 concerns work and education; Article 43 refers to living wages and decent conditions of work; Article 45 concerns early childhood care and education; Article 46 addresses the educational and economic interests of weaker sections; and Article 47 concerns nutrition, living standards and public health.(7)

The constitutional significance of these provisions is not dependent on their direct judicial enforceability. Article 37 states that the provisions contained in Part IV are not enforceable by any court but are nevertheless fundamental in the governance of the country and impose a duty upon the State to apply them in making laws (1). The Directives Principles thus function as an authoritative normative framework that systematically directs the socioeconomic priorities of state policy. Constitutional jurisprudence has long underscored the foundational role that socioeconomic rights and the Directive Principles occupy within India's structural design. Abeyratne and Jain (1) examine the relationship between socioeconomic rights and constitutional legitimacy in India and demonstrate the significance of the constitutional commitment to socioeconomic improvement. The DPSPs therefore provide an appropriate starting point for examining how constitutional objectives concerning justice, opportunity and welfare may be connected with contemporary approaches to development.

Contemporary inclusive-development literature reinforces the need for such a multidimensional perspective. Dörffel and Schuhmann (6) conceptualise inclusive development as a multidimensional phenomenon involving both the distribution of development achievements and the distribution of opportunities. Similarly, the OECD's framework for inclusive growth emphasises investment in people and places, inclusive labour markets, business dynamism and effective government.(18) This analytical orientation aligns directly with India's normative constitutional architecture; the DPSP's directing policy focus toward the structural distribution of social, economic and human-development concerns rather than focusing exclusively on national income.

India has also witnessed the development of multidimensional approaches to measuring inclusive development. Aggarwal(2) developed an Inclusive Development Index framework for Indian states using multiple dimensions and indicators, while subsequent work further examined the inclusiveness of Indian states through multidimensional measurement.(3) Although state-level multidimensional evaluations are well-established in empirical literature, these approaches typically overlook the preliminary step of translating foundational constitutional provisions into dimensions of inclusive development.

This study develops a DPSP-based conceptual framework for inclusive development in India. The study attempts to establish a systematic relationship between selected constitutional provisions, six dimensions of inclusive development and illustrative socioeconomic indicators.

This study argues that the DPSP's provide a coherent constitutional foundation for structuring socioeconomic dimensions of inclusive development. By connecting normative policy imperatives with official data sources, the resulting framework equips researchers with measurable indicators-establishing an analytical bridge between India's normative socioeconomic commitments and the measurable outcomes through which inclusive development can be examined.

2. Literature Review:

2.1. Inclusive Development as Multidimensional Concept: The concept of inclusive development has evolved beyond the traditional emphasis on aggregate economic growth. The World Bank's inclusive-growth framework links inclusiveness with sustained growth that creates opportunities for participation and ensures that people can benefit from economic expansion.(8) This framework treats distribution, opportunity and participation alongside growth, suggesting that the quality of development cannot be evaluated solely through aggregate output.

The OECD (18) similarly presents inclusive growth as a multidimensional policy objective. Its framework emphasises opportunities for people and regions that may be left behind, inclusive labour markets, investment in human capabilities and responsive institutions. This perspective underpins the present research, as the foundational imperatives of inclusive development principally employment, education, social opportunity and public welfare-are also reflected in the DPSPs of the Indian Constitution.

Dörffel and Schuhmann (6) further demonstrate that inclusiveness cannot be reduced to a single socioeconomic variable. Their multidimensional inclusiveness framework considers both the distribution of development achievements and the distribution of opportunities. This underscores the imperative to evaluate developmental outcomes across interconnected dimensions, demonstrating the clear limitations of treating income or consumption expenditure as exhaustive measures of structural inclusion.

Sen's (20) capability approach provides a complementary theoretical foundation. Development, from this perspective, involves expansion of the substantive freedoms and capabilities through which individuals can pursue lives they value. Education, health, economic participation and access to resources therefore have intrinsic and instrumental importance. The present framework incorporates this capability perspective particularly through its education, employment, health and resource dimensions.

2.2. Constitutional Foundations of Socioeconomic Development: The Directive Principles represent a distinctive component of India's constitutional architecture because they articulate socioeconomic objectives that should guide State policy. Article 38 establishes the broad objective of social and economic justice and reduction of inequalities. Article 39 expands this orientation through provisions concerning livelihood, resource distribution and prevention of concentration of wealth. Articles 41, 43, 45, 46 and 47 further extend the constitutional vision to work, education, weaker sections, nutrition and public health.(7)

Abeyratne and Jain (1) demonstrate the wider significance of socioeconomic commitments in the Indian constitutional framework. Their analysis supports the view that socioeconomic development is not external to constitutional legitimacy but forms an important part of the constitutional vision.

The constitutional provisions should not, however, be interpreted as a ready-made statistical framework. The Constitution does not prescribe a particular set of indicators for measuring the achievement of its socioeconomic objectives. Instead, the provisions establish broad normative principles. Translating those principles into empirical dimensions therefore requires conceptual interpretation and careful operationalisation.

2.3. From Normative Principles to Measurable Indicators: The movement from normative principles to measurable indicators requires a clear conceptual framework. The OECD/European

Union/EC-JRC (15) emphasises that indicator construction should begin with a sound theoretical framework that defines the phenomenon and its relevant sub-components. Indicator selection should then be guided by analytical soundness, relevance, measurability and other clearly specified criteria rather than by data availability alone. This methodological principle is important for the present study.

Indian research demonstrates that multidimensional socioeconomic frameworks can be operationalised using multiple indicators. Aggarwal (2) developed a multidimensional Inclusive Development Index for Indian states, while Aggarwal (3) examined inclusiveness across states through a broader indicator framework. These studies provide an empirical precedent for multidimensional analysis while also highlighting the importance of theoretical selection and statistical methodology.

2.4. Research Gap: Existing scholarship remains fragmented across three distinct domains: theoretical work on inclusive growth and inclusive development, capability and human-development approaches; and jurisprudence on Indian constitutional welfare mandates. Although quantitative frameworks have established methods for capturing multidimensional well-being, the specific methodological link between constitutional principles and measurable indicators has yet to be systematically established.

The primary contribution of this paper therefore addresses a conceptual rather than empirical deficit: the lack of an analytical model that maps DPSP provisions to rigorous socioeconomic dimensions and representative indicators. By constructing this constitutional-toempirical bridge prior to—and independent of—composite index aggregation, the paper establishes a coherent theoretical basis for evaluating inclusive progress through India's administrative statistical architecture.

3. Research Methodology:

3.1. Selection of Constitutional Provisions: Methodologically, this study adopts a conceptual framework design protocol, beginning with the purposive identification of DPSP provisions with direct socioeconomic significance. Articles 38, 39, 41, 43, 45, 46 and 47 are selected because they explicitly address social and economic justice, livelihood, work, education, weaker sections, nutrition and public health. (7)

This selection strategy is intentionally purposively rather than exhaustive. Constructing a framework focused specifically on inclusive development does not necessitate cataloging every directive within Part IV; rather, the chosen articles represent those constitutional objectives that bear the most direct analytical link to the distribution of economic opportunities, human capabilities, social inclusion and basic well-being.

3.2. Formation of Development Dimensions: The framework's second phase organizes these constitutional directives into six core dimensions. Rather than applying a mechanical, one-to-one classification, this conceptual grouping is deliberately interpretive: individual provisions frequently inform multiple dimensions, while several articles coalesce to support a unified developmental domain.

The six dimensions are: (1) Economic Justice and Reduction of Inequality; (2) Employment, Livelihood and Economic Participation; (3) Education and Human Capability; (4) Social Justice and Inclusion; (5) Health, Nutrition and Basic Well-being; and (6) Equitable Distribution of Resources and Economic Power. The six dimensions reflect the multidimensional character of inclusive development identified in the literature. (6, 18, 20) They combine economic outcomes, economic participation, human capabilities, social inclusion, basic well-being and structural access to resources. This combination allows inclusive development to be understood as a process involving both outcomes and opportunities.

3.3. Selection of Illustrative Indicators: The third stage involves selecting illustrative indicators for each dimension. Four criteria guide this process: conceptual relevance, measurability, official

data availability and potential comparability. These criteria are consistent with the methodological principles identified by OECD/European Union/EC-JRC (15), which emphasise the importance of establishing the theoretical basis before selecting indicators. This indicator set is designed as an illustrative baseline rather than a closed inventory. It demonstrates the empirical viability of constitutional directives while leaving room for subsequent empirical studies to modify, expand or prune specific variables based on formal sensitivity analyses and rigorous data-quality evaluations.

3.4. Official Data-Source Strategy: Preference is given to established Government of India statistical systems because they provide standardised socioeconomic information suitable for future empirical research. The PLFS provides key labour market indicators including LFPR, WPR and unemployment rate.(13) UDISE+ provides education-system indicators including enrolment and dropout measures.(5,10) The HCES provides state-level information on consumption expenditure and Gini coefficients(12), while NITI Aayog's National MPI provides multidimensional poverty estimates. (14)

Health and demographic indicators can be obtained from official sources such as the Sample Registration System and National Family Health Survey. The SRS provides estimates including infant mortality and other demographic indicators, while the SRS maternal mortality bulletins provide estimates of maternal mortality.(16,17) NFHS provides state-level indicators related to child nutritional status, including stunting.(9) These sources demonstrate the potential feasibility of connecting the conceptual dimensions with official socioeconomic data.

Resource-related indicators require different sources. The All India Debt and Investment Survey provides information on household assets and liabilities.(11) Landholding distribution can be examined through the Agriculture Census(4), while formal financial access can be represented using appropriate official banking and financial-inclusion statistics. The Reserve Bank of India maintains financial-inclusion statistics and its Financial Inclusion Index incorporates dimensions of access, usage and quality. (19)

3.5. Analytical Scope and Limitations: By design, the scope of this paper is confined to conceptual taxonomy and indicator mapping. It deliberately avoids empirical aggregation techniques—such as normalization, variable weighting, composite scoring, and state-level rankings—ensuring that the model serves as an analytical apparatus rather than an exhaustive index of constitutional adherence. This delimitation stems from the recognition that normative constitutional principles are conceptually broader than any single empirical metric. A conventional unemployment indicator reflects labour-market frictions but falls short of measuring the substantive realization of constitutional livelihood rights; likewise, asset-distribution data tracks material ownership without fully capturing structural economic power.

Accordingly, translating this framework into an empirical instrument will require systematic validation in subsequent studies. Methodological priorities for future research include expert review, dimensionality testing, sensitivity analyses, and assessments of administrative data consistency across subnational jurisdictions.

4. Framework Development

4.1. Economic Justice and Reduction of Inequality: The first dimension is Economic Justice and Reduction of Inequality, primarily grounded in Article 38. Article 38 establishes the objective of promoting a social order informed by social, economic and political justice and reducing inequalities in income, status, facilities and opportunities.(7) This provides a direct constitutional basis for considering both economic wellbeing and distributional outcomes.

Three illustrative indicators are proposed: Per Capita Net State Domestic Product (PCNSDP), Multidimensional Poverty Headcount Ratio and Gini Coefficient of consumption expenditure. PCNSDP represents the average economic resource base of a state, while multidimensional poverty captures deprivation across several dimensions and the Gini coefficient captures the distribution of consumption expenditure. (12,14)

4.2. Employment, Livelihood and Economic Participation: The second dimension is Employment, Livelihood and Economic Participation, based primarily on Articles 39(a), 41 and 43. Article 39(a) concerns adequate means of livelihood, Article 41 concerns work, and Article 43 refers to living wages and decent conditions of work. (7)

The proposed indicators are Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio and Unemployment Rate. These indicators are available through the PLFS, which is the principal official source for labour-market indicators in India.(13) LFPR captures labour-market participation, WPR captures actual employment and unemployment rate identifies the proportion of the labour force without employment.

4.3. Education and Human Capability: The third dimension is Education and Human Capability, grounded in Articles 41, 45 and 46. These provisions establish constitutional concern for education and for the educational interests of weaker sections.(7) Education also has a central role in the capability approach because it expands individuals' ability to participate in economic and social life.(20)

The proposed indicators are Gross Enrolment Ratio, school dropout rate and literacy rate. GER provides information about educational participation, dropout rate captures retention and literacy provides a broad measure of basic educational attainment. UDISE+ is an important official source for school-level indicators and publishes state-level dropout statistics.(5,10)

4.4. Social Justice and Inclusion: The fourth dimension is Social Justice and Inclusion, primarily associated with Articles 38 and 46. Article 38 emphasises equality of opportunity, while Article 46 specifically concerns the educational and economic interests of weaker sections and their protection from social injustice. (7) Unlike the first three dimensions, this dimension focuses primarily on gaps between social groups. The proposed indicators are SC/ST educational participation gap, SC/ST employment participation gap and gender gap in economic participation. Relevant information can be drawn from official education and labour-market datasets, particularly UDISE+ and PLFS. (5,10,13)

4.5. Health, Nutrition and Basic Well-being: The fifth dimension is Health, Nutrition and Basic Well-being, based on Articles 39(e) and 47. Article 39(e) concerns protection of the health and strength of workers, while Article 47 directs the State toward improving nutrition, living standards and public health.(7) The proposed indicators are Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Ratio and child stunting rate. The SRS provides official estimates of infant mortality and other demographic indicators, while the SRS maternal mortality bulletins provide maternal mortality estimates. (16,17) NFHS provides nationally comparable state-level information on nutritional outcomes, including child stunting. (9)

4.6. Equitable Distribution of Resources and Economic Power: The sixth dimension is Equitable Distribution of Resources and Economic Power, grounded primarily in Articles 39(b) and 39(c). These provisions concern the distribution of material resources and prevention of concentration of wealth and means of production. (7)

Three illustrative indicators are proposed: household asset distribution, distribution of operational landholdings and access to formal financial resources. The AIDIS provides official information concerning household assets and liabilities. (11) Landholding distribution can be examined using Agriculture Census data(4), while formal financial access can be examined using official banking and financial-inclusion statistics.(19)

4.7. Integrated Constitutional Framework: The six dimensions collectively establish the study's integrated framework, progressing from Directive Principles of State Policy→Constitutional socioeconomic principles→ Six dimensions of inclusive development→Illustrative socioeconomic indicators→ Future empirical analysis. This sequence serves as an analytical bridge rather than a rigid causal chain: constitutional provisions supply the normative baseline, the dimensions provide categorical structure, and the indicators offer measurable proxies. Accordingly, the six dimensions

are conceived as intrinsically interdependent, capturing the multifaceted and indivisible nature of constitutional welfare.

Table-1: DPSP Based Integrated Framework for Inclusive Development

DPSP Provisons	Constitutional Principle	Dimensions	Indicators	Primary Official Data
Article-38	Social and Economic Justice; reduction of inequalities	D1. Economic Justice and Reduction of Inequality	PCNSDP; Multidimensional Poverty Headcount Ratio; Gini Coefficient	MoSPI; NITI Aayog; RBI
Article 39(a), 41 & 43	Adequate livelihood, work, living wage and decent conditions	D2. Employment, Livelihood and Economic Participation	LFPR; WPR; Unemployment Rate	PLFS; MoSPI
Article 41, 45 & 46	Education and promotion of educational interests of weaker sections	D3. Education and Human Capability	GER; Dropout Rate; Literacy Rate	UDISE+; Ministry of Education; official statistics UDISE+; PLFS
Article 38 & 46	Equality of opportunity; protection and advancement of weaker sections	D4. Social Justice and Inclusion	GER; SC/ST Economic and Employment Gap; Gender Participation Gap	UDISE+; PLFS
Article 39(e) & 47	Protection of health; nutrition and public health	D5. Health, Nutrition and Basic Well-Being	IMR; MMR; Child Stunting	SRS/ORGI; NFHS
Article 39(b) & 39(c)	Equitable distribution of material resources	D6.Equitable Distribution of Resources and Economic Power	Operational Landholding Distribution; Formal Financial Access	AIDIS/NSO; Agriculture Census; RBI

Source: Author's conceptual framework based on the Constitution of India and established Government of India statistical systems.

5. Operationalisation through Official Socioeconomic Indicators:

5.1. Economic Justice and Reduction of Inequality: The first dimension combines economic resources, deprivation and distribution. PCNSDP provides an indication of average economic production, multidimensional poverty identifies broader deprivation and the Gini coefficient provides a distribution-sensitive measure of consumption inequality. India's HCES provides official Gini estimates at the state level, while NITI Aayog's National MPI provides multidimensional poverty estimates. (12,14)

5.2. Employment, Livelihood and Economic Participation: The second dimension can be operationalised through LFPR, WPR and unemployment rate. The PLFS officially reports these labour-market indicators and is therefore the principal data source for future applications of this dimension.(13)

5.3. Education and Human Capability: The third dimension can be operationalised through GER, dropout rate and literacy. UDISE+ provides official school-education statistics, including state-level dropout rates. The Ministry of Education's recent UDISE+ material also cautions that changes in data systems and population projections can affect comparability across years, making methodological harmonisation necessary for future empirical research.(5,10)

5.4. Social Justice and Inclusion: Assessing the fourth dimension involves measuring inter-group divides in socioeconomic access. Tracking educational and labour-force gaps across gender and caste identities (notably SC/ST groups) operationalizes how structural barriers limit economic participation. The underlying framework assumes that reduced disparities reflect greater social inclusion, contingent upon rigorous gap specification.

This dimension deliberately departs from aggregate indicators. Favourable state-level averages in employment or education frequently mask pronounced disparities among marginalized groups.

The inclusion dimension thus supplements conventional indicators by embedding an explicit horizontal, equity-focused perspective into the evaluation of development outcomes.

5.5. Health, Nutrition and Basic Well-being: Health indicators can be obtained from established official sources. The SRS is designed to provide demographic and mortality estimates at national and sub-national levels, including infant mortality, while the SRS maternal mortality bulletin provides estimates of maternal mortality (16, 17). NFHS provides comparable information on nutritional outcomes, including child stunting. These data demonstrate the feasibility of connecting the constitutional concern for nutrition and public health with observable socioeconomic outcomes. (9)

5.6. Equitable Distribution of Resources and Economic Power: The sixth dimension requires structural indicators. AIDIS provides official information on household asset ownership and liabilities and therefore offers an important source for examining household resource distribution (11). Landholding distribution and formal financial access provide complementary information. Land ownership represents an important productive resource, while access to formal financial services can affect households' ability to save, borrow, invest and participate in economic activity. RBI financial-inclusion statistics provide an institutional basis for examining access, usage and quality of financial services. (4,19)

5.7. Data Feasibility and Future Empirical Application: The proposed framework is compatible with India's existing statistical infrastructure, but data availability should not determine the conceptual framework by itself. The OECD/European Union/EC-JRC (15) emphasises that indicator selection should be based on a sound theoretical understanding of the phenomenon. Accordingly, an indicator should be retained because it provides a meaningful representation of the dimension, not simply because it is readily available. Differences in frequency, reference periods, definitions and geographic coverage will need to be considered in future empirical applications. For example, UDISE+ has undergone changes in data collection and methodology, while labour-market statistics have their own survey definitions and reference periods. (4,5,9,10,11,12,13,14,16,17,19)

6. Discussion and Theoretical Contribution:

6.1. A Constitutional Indication for Inclusive Development: This paper's central theoretical contribution consists of anchoring inclusive development analysis in the constitutional framework itself. Rather than evaluating pre-existing composite metrics against constitutional norms after the fact, the framework begins with specific DPSP provisions and operationalizes their welfare mandates into structured developmental categories.

Importantly, this model does not treat constitutional directives as a prescriptive statistical model. It recognizes the DPSPs as an overarching normative foundation from which conceptual categories can be developed—clearly distinguishing between constitutional provisions as broad teleological aims and empirical indicators as observable, measurable proxies.

6.2. Multidimensionality: The six dimensions reflect the multidimensional nature of inclusive development identified by OECD (18), Sen (20) and Dörffel and Schuhmann (6). Economic justice, employment, education, social inclusion, health, and resource distribution constitute indivisible aspects of structural progress. Observable interdependencies—such as the impact of education on livelihood security, health on labor productivity, asset ownership on economic resilience, and social marginalization on institutional access—confirm that these dimensions function as complementary analytical pillars rather than independent categories.

6.3. Social Inclusion as a Separate Dimension: The explicit inclusion of social justice as a separate dimension is another theoretical contribution. Aggregate socioeconomic indicators can conceal persistent differences between social groups. Articles 38 and 46 provide a constitutional basis for examining these disparities (7). The proposed gap indicators therefore add a distributional and group-sensitive dimension to the framework. This approach is consistent with the broader

inclusive-development literature, which emphasises the importance of opportunities and participation rather than simply average outcomes.(6,18) It also aligns with the capability perspective, under which individuals' actual opportunities may differ substantially even when average economic conditions are similar.(20)

6.4. Relationship with Existing Development Indices: The proposed framework provides a different conceptual starting point. Existing measures generally begin from development concepts and construct indicators around those concepts, whereas the present framework begins from constitutional socioeconomic principles. India's existing multidimensional research provides evidence that inclusive development can be studied through multiple indicators and dimensions. Aggarwal (2, 3) demonstrates the feasibility of multidimensional state-level assessment.

6.5. Methodological Contribution: Methodologically, the framework maintains a clear distinction among three levels: constitutional principles, analytical dimensions and empirical indicators. This distinction is consistent with the OECD/European Union/EC-JRC (15) emphasis on establishing a theoretical framework before indicator selection. It prevents the indicators from being mistaken for the constitutional principles themselves.

Conclusions: The Directive Principles of State Policy constitute an important constitutional foundation for understanding India's socioeconomic objectives. Articles 38, 39, 41, 43, 45, 46 and 47 collectively address social and economic justice, livelihood, employment, education, weaker sections, nutrition and public health.(7) Taken together, these provisions offer a foundational architecture that directly aligns with modern theoretical paradigms of inclusive development.

This study has operationalized these constitutional commitments into six structured analytical dimensions: (i) economic justice and inequality reduction, (ii) employment, livelihood, and economic participation, (iii) education and human capability, (iv) Social justice and group inclusion, (v) public health, nutrition, and foundational wellbeing, and (vi) the equitable distribution of resources and economic power.

By mapping each dimension to administrative data sources and representative indicators, the study delineates a viable pathway from constitutional norms to empirical observation. Rather than claiming an exhaustive measurement of constitutional fulfilment, the proposed framework positions these statistical variables as empirical proxies that capture observed welfare outcomes and underlying structural conditions. Consequently, the core scholarly contribution does not lie in introducing an additional aggregate development index, but in establishing a rigorous conceptual bridge between constitutional principles and empirical socioeconomic analysis required for organising a multidimensional understanding of inclusive development.

The Directive Principles supply a distinct normative framework for analysing inclusive development in India. By mapping constitutional provisions to observable socioeconomic indicators across six interdependent dimensions, this study establishes a vital analytical bridge between codified state obligations and empirical development research. In doing so, it provides a robust, theoretically grounded foundation to guide future empirical inquiries into the realization of India's socioeconomic constitutional mandate.

References:

1. Abeyratne, R. (2014). Socioeconomic rights in the Indian Constitution: Toward a broader conception of legitimacy. Brooklyn Journal of International Law, 39(1), 1–71.
2. Aggarwal, S. C. (2021). Inclusiveness and the progress of Indian states: Evidence from Inclusive Development Index between 2011 and 2018. Indian Journal of Human Development, 15(2), 200–228. https://doi.org/10.1177/09737030211008688
3. Aggarwal, S. C. (2023). How inclusive are Indian states: Evidence from Inclusive Development Index. Arthaniti: Journal of Economic Theory and Practice, 22(2), 151–180. https://doi.org/10.1177/0976747920985455
4. Agriculture Census 2015–16: All India report on number and area of operational holdings. Government of India. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. (2019).

5. Department of School Education & Literacy, UDISE+: Publications & Statistics. Retrieved September 6, 2026, from UDISE+Publications & Statistics. https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications
6. Dörffel, C., & Schuhmann, S. (2022). What is inclusive development? Introducing the Multidimensional Inclusiveness Index. Social Indicators Research, 162, 1117–1148. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02860-y
7. Government of India. (1950). The Constitution of India. Legislative Department, Ministry of Law and Justice.
8. Ianchovichina, E., & Lundström, S. (2009). Inclusive growth analytics: Framework and application (Policy Research Working Paper No. 4851). World Bank.
9. International Institute for Population Sciences (IIPS), & ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India. IIPS.
10. UDISE. (2025). UDISE+ report 2024–25: Existing structure. Government of India. https://dashboard.udiseplus.gov.in/report2026/static/media/UDISE+2024_25_Booklet_existing.118ba29d4773e6372f72.pdf
11. National Statistical Office. (2021). All India debt and investment survey, 2019 (NSS 77th Round) (Report No. 588). Government of India. https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1753935&lang=2&reg=48
12. National Statistical Office. (2025). Household Consumption Expenditure Survey (HCES), 2023–24. Government of India.
13. National Statistical Office. (2026). Periodic Labour Force Survey (PLFS): Annual report, 2025. https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports178004041 5321 _0624fb13-fb47-40bc-b470-7c7e9635c3ef_PLFS_2025_F_REV_29052026.pdf
14. NITI Aayog. (2023). National multidimensional poverty index: A progress review 2023. Government of India.
15. OECD/European Union/ EC-JRC (2008). Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide.OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en
16. Office of the Registrar General (2026). Sample Registration System (SRS) bulletin 2024 (Vol. 59, Issue 1). Government of India.https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/47151
17. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2026). Sample Registration System (SRS): Special bulletin on maternal mortality in India 2022–24. Government of India.
18. OECD (2018). Opportunities for all: A framework for policy action on inclusive growth. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264301665-en
19. Reserve Bank of India. (2025). Annual report 2024–25. Reserve Bank of India.
20. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

=====

Cite the article:	Gupta, Shivam, Gupta, Khushi and Singh, Dr. Shambhu Nath (2026). From Directive Principles to Socioeconomic Outcomes for Inclusive Development in India. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 184-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.23005325

Bundelkhand Journal of Academic Research

Challenges in the Enforcement of Constitutional Minority Rights in India: A Doctrinal and Judicial Analysis

Himmat Singh
Research Scholar (Law), Bundelakhand University Jhansi, Uttar Pradesh.
(**Corresponding Author:** himmatsingh313@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.23005381

Abstract

The Indian Constitution protects minorities by combining individual equality with specific cultural and educational guarantees, primarily through Articles 29 and 30, supported by provisions like Articles 14, 15, 25–30, 350A, and 350B. Enforcement is hindered by issues regarding minority identification, institutional autonomy, government regulation, state aid, admission policies, and balancing minority rights with principles like secularism, merit, and national interest. The article analyzes key Supreme Court precedent—from Champakam Dorairajan and T.M.A. Pai to the 2024 Constitution Bench judgment in Aligarh Muslim University, which revisited the meaning of "established" under Article 30. The primary issue is inconsistent implementation rather than a lack of legal guarantees. The author advocates moving toward a rights-based framework that balances minority identity, autonomy, equality, and constitutional morality through clearer determination criteria, transparent regulation, and harmonious judicial doctrine. The study argues that the principal difficulty is not the absence of constitutional protection but the uncertainty and inconsistency surrounding its implementation. The constitutional balance must therefore move beyond a narrow institutional understanding of minority rights towards a rights-based framework that simultaneously protects minority identity, institutional autonomy, academic excellence, equality and constitutional morality. The study concludes by suggesting clearer criteria for minority determination, transparent regulatory standards, stronger institutional accountability, effective grievance mechanisms and a harmonised judicial doctrine.

Article Info			
	Received: 09 Sept, 2026	**Accepted:** 24 Sept, 2026	**Published:** 30 Sept, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 25
	Keywords:	Minority Rights, Article 29, Article 30, Linguistic Minorities, Institutions, Law, Supreme Court, Equality, Secularism.	

1. Introduction: India is characterised by extraordinary religious, linguistic, cultural and social diversity. The Constitution therefore does not merely recognise formal equality between individuals; it also acknowledges that equality in a plural society may require protection of the identity and institutional autonomy of vulnerable groups. The constitutional scheme relating to minorities reflects this understanding. The Constituent Assembly debates demonstrate that the protection of minorities was considered essential to the legitimacy of the constitutional order. The framers sought to ensure that the numerical majority could not use democratic power to undermine the cultural, linguistic or religious identity of smaller communities. The Constitution consequently

incorporated specific guarantees relating to religious freedom, cultural preservation and minority educational institutions.

Articles 29 and 30 are particularly significant. Article 29(1) gives any section of citizens possessing a distinct language, script or culture the right to conserve the same. Article 29(2) prohibits denial of admission to State-maintained or State-aided educational institutions on specified grounds. Article 30(1), in turn, provides that religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 30(2) prohibits discrimination in granting State aid merely because an institution is managed by a religious or linguistic minority.

The constitutional guarantee, however, has generated considerable litigation. The central question has repeatedly been how far minority autonomy should extend and when State regulation becomes constitutionally permissible. The Supreme Court has attempted to reconcile these competing interests through a series of landmark judgments. The judicial journey has not been entirely linear. From the early cases concerning minority educational institutions to the eleven-judge decision in T.M.A. Pai Foundation, the seven-judge judgment in P.A. Inamdar, and the subsequent Constitution Bench developments, the Court has repeatedly refined the scope of Article 30. The 2024 Aligarh Muslim University decision has added another important dimension by reconsidering the relationship between establishment, administration and minority character.

The central argument of this article is that the enforcement problem lies principally in the gap between constitutional recognition and practical implementation. Minority rights are constitutionally guaranteed, but uncertainty regarding their scope, regulatory limits, minority status and institutional autonomy can make their effective exercise difficult.

1.1. Research Objectives: The study seeks to achieve the following objectives:

i. To examine the constitutional framework governing minority rights in India.
ii. To analyse the judicial interpretation of Articles 29 and 30.
iii. To identify major challenges in the enforcement of constitutional minority rights.
iv. To examine the tension between minority autonomy and State regulation.
v. To analyse recent developments in Supreme Court jurisprudence.
vi. Constitutional equality and national interests.

1.2. Research Questions: To suggest measures for strengthening the practical enforcement of minority rights while preserving. The article addresses the following research questions:

- RQ1: What is the constitutional scope of minority rights in India?
- RQ2: How has the Supreme Court developed the jurisprudence relating to Articles 29 and 30?
- RQ3: What are the principal legal and institutional challenges affecting the enforcement of minority rights?
- RQ4: How can minority institutional autonomy be reconciled with equality, merit, academic standards and legitimate governmental regulation?
- RQ5: Does the existing judicial framework adequately protect minority rights in contemporary India?

2. Research Methodology: This study adopts a doctrinal and qualitative research methodology. It primarily relies upon primary legal sources, including the Constitution of India, statutes and judgments of the Supreme Court of India. Secondary sources such as books, academic commentary, legal scholarship and institutional reports are used to contextualise the judicial developments.The research is analytical rather than empirical. It examines the development of constitutional doctrine through leading judicial decisions and evaluates the coherence and effectiveness of the existing legal framework.The principal method employed is case-law analysis, supplemented by constitutional interpretation and comparative doctrinal reasoning.

3. Constitutional Framework of Minority Rights in India:

3.1. Equality and Minority Protection: Minority rights must be understood in conjunction with the general equality provisions of the Constitution. Article 14 guarantees equality before law and equal protection of laws. Articles 15 and 16 prohibit discrimination on constitutionally prohibited grounds in specified contexts.

At first sight, special protection for minorities may appear inconsistent with formal equality. However, constitutional equality does not necessarily require identical treatment in all circumstances. In a plural society, differential protection may be necessary to ensure substantive equality and prevent domination by numerical majorities.The constitutional minority-rights framework therefore represents a form of protective constitutionalism.

3.2. Freedom of Religion: Articles 25 to 28 provide the constitutional foundation for religious freedom. Article 25 guarantees freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion, subject to constitutional limitations. Articles 26–28 further regulate religious denominations, religious institutions and religious instruction.

These provisions are relevant to minority rights because religious minorities frequently rely upon freedom of religion as well as Articles 29 and 30 to preserve their distinctive identity. However, minority rights cannot be equated entirely with religious freedom. Article 30 creates a specific institutional guarantee concerning educational institutions, while Article 29 protects cultural interests.

3.3. Cultural and Educational Rights: Article 29 contains two distinct protections. First, Article 29(1) provides: "Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same." Secondly, Article 29(2) provides protection against discriminatory denial of admission to educational institutions maintained or aided by the State. An important doctrinal point is that Article 29(1) does not expressly use the word 'minority'. It applies to any section of citizens possessing a distinct language, script or culture. Consequently, its scope is conceptually broader than Article 30.

The Supreme Court recognised the distinction between Articles 29 and 30 in Ahmedabad St Xavier's College Society v State of Gujarat. The Court explained that Article 29(1) concerns conservation of language, script and culture, whereas Article 30(1) specifically concerns the right of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions.This distinction remains essential because the two provisions protect different constitutional interests.

3.4. Article 30 and Minority Educational Institutions: Article 30 is the most important constitutional provision concerning institutional minority rights. Article 30(1) provides religious and linguistic minorities with the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 30(2) prohibits discrimination in the grant of aid merely because an educational institution is under the management of a religious or linguistic minority.

The Supreme Court has repeatedly emphasised that Article 30 is not simply an ordinary educational right. It is designed to provide minorities with constitutional security against possible interference by the majority-controlled State. In P.A. Inamdar v State of Maharashtra, the Court explained that Article 30 is in the nature of a special constitutional protection intended to give minorities'confidence against legislative or executive encroachment.The provision therefore serves a broader constitutional objective: preserving pluralism by protecting institutional spaces in which minorities can maintain their identity.

4. Judicial Development of Minority Rights:

4.1. State of Madras v Champakam Dorairajan: The early constitutional jurisprudence on equality and affirmative measures began with State of Madras v Champakam Dorairajan. Although the case did not primarily concern Articles 29 and 30 in their contemporary form, it established an important principle concerning the relationship between fundamental rights and State policy.

The decision contributed to the constitutional development that eventually resulted in the First Constitutional Amendment and the introduction of Article 15(4).The case demonstrates that minority-related constitutional questions cannot be separated from the broader tension between formal equality and affirmative constitutional protection.

4.2. In re Kerala Education Bill: The Supreme Court's advisory opinion concerning the Kerala Education Bill was an important early interpretation of Article 30. The Court recognised that the right to establish and administer educational institutions was constitutionally protected, but it simultaneously rejected the proposition that minority institutions possessed an unlimited right to operate without regulation.

The fundamental principle emerging from this jurisprudence was that the right to administer does not include a right to maladministration. Reasonable regulations directed towards academic standards, teacher qualifications, financial integrity and institutional efficiency could therefore be constitutionally permissible.This principle remains central to contemporary Article 30 jurisprudence.

4.3. Rev. Sidhajbhai Sabhai v State of Bombay: In Rev. Sidhajbhai Sabhai v State of Bombay, the Supreme Court further developed the doctrine concerning permissible regulation. The Court recognised that regulations affecting minority institutions would be constitutionally valid only where they were genuinely regulatory and did not substantially destroy the minority character of the institution.The case established an important conceptual distinction between; Regulation of an institution and Destruction of its constitutional autonomy.This distinction continues to create difficulties because the boundary between legitimate regulation and impermissible interference is often difficult to determine.

4.4. Ahmedabad St Xavier's College Society v State of Gujarat: The nine-judge Constitution Bench judgment in Ahmedabad St Xavier's College Society v State of Gujarat became one of the foundational decisions on Article 30.The Court reaffirmed that Articles 29 and 30 protect distinct interests. It recognised four broad constitutional protections arising from these provisions: conservation of language, script and culture; establishment and administration of minority educational institutions; non-discrimination in State aid; and protection against discriminatory admission practices. At the same time, the Court recognised that minority institutions were not completely immune from regulation.The constitutional test consequently became one of reasonable regulation without destruction of minority autonomy.

4.5. St Stephen's College v University of Delhi: The decision in St Stephen's College v University of Delhi significantly addressed the relationship between minority institutional autonomy and admission. The Court recognised that a minority institution could give preference to students belonging to the minority community, subject to constitutional limitations. The case illustrated the inherent tension between; Institutional minority character; Non-discrimination; Academic merit; and the right of minority institutions to preserve their identity. This tension has continued into subsequent cases.

4.6. T.M.A. Pai Foundation v State of Karnataka: The eleven-judge Constitution Bench decision in T.M.A. Pai Foundation v State of Karnataka is arguably the most significant judgment on minority educational rights. The Court considered numerous questions concerning the establishment and administration of educational institutions, minority status, admissions, State regulation and institutional autonomy. One of the important developments was the recognition that establishment of educational institutions is not an exclusively minority right. The right of citizens to establish educational institutions was linked with Article 19(1) (g), while Article 30 provided additional protection to religious and linguistic minorities.

The Court also held that the determination of linguistic or religious minority status for Article 30 purposes is generally made with reference to the State as the unit, rather than India as a whole, particularly because States have been reorganised substantially along linguistic lines. This

principle was subsequently reaffirmed and elaborated in P.A. Inamdar. The T.M.A. Pai judgment therefore transformed Article 30 jurisprudence from a simple protection of institutional existence into a sophisticated doctrine concerning autonomy, regulation and constitutional balance.

4.7. Islamic Academy of Education v State of Karnataka: The subsequent judgment in Islamic Academy of Education attempted to clarify certain practical questions left unresolved by T.M.A. Pai.The controversy concerned admissions, fee structures and regulatory mechanisms applicable to private educational institutions.The decision demonstrated the practical difficulty of implementing Article 30 where educational institutions operate within a regulated higher-education system.The Court sought to prevent commercialisation and protect academic standards while recognising minority autonomy. However, subsequent litigation indicated that the doctrinal relationship between Islamic Academy and T.M.A. Pai was itself contested.

4.8. P.A. Inamdar v State of Maharashtra: The seven-judge decision in P.A. Inamdar provided substantial clarification. The Court reaffirmed that minority institutions enjoy special constitutional protection but rejected the proposition that such protection creates absolute institutional autonomy. The judgment recognised that the right to establish and administer educational institutions includes significant institutional freedom, including an important role in admissions. However, regulatory mechanisms directed towards transparency, academic standards and merit could be permissible. The Court specifically observed that unaided minority institutions cannot be treated as completely beyond the reach of legitimate regulation. The State may regulate in order to secure academic excellence and transparency, provided that such regulation does not destroy the minority character of the institution.

The judgment also emphasised that minority institutions cannot claim constitutional protection as a means of defeating national interests. Thus, P.A. Inamdar attempted to establish a constitutional equilibrium: Minority autonomy + academic excellence + transparency + legitimate State regulation.

4.9. Determination of Minority Status; A Continuing Challenge: One of the most difficult questions is who qualifies as a minority? The Constitution does not provide a comprehensive definition of "minority" for every constitutional purpose. The Supreme Court's jurisprudence has generally treated religious and linguistic minority status under Article 30 with reference to the State.

This creates a distinctive situation in India because a community may be a minority at the national level but a majority in one or more States, and vice versa. For example, a linguistic community may constitute a minority in one State but a majority in another. Similarly, a religious community may constitute a national minority but be numerically significant or even locally dominant. This State-wise approach has practical advantages, particularly in a federal and linguistically reorganised polity, but it also creates uncertainty in institutional recognition. The absence of a single comprehensive constitutional definition has therefore contributed to litigation.

4.10. The Aligarh Muslim University Judgment and the New Constitutional Position: A major contemporary development is the Supreme Court's seven-judge Constitution Bench decision in Aligarh Muslim University through its Registrar Faizan Mustafa v Naresh Agarwal delivered in November 2024. The controversy concerned whether Aligarh Muslim University could claim minority status under Article 30 and, in particular, the significance of the earlier Azeez Basha decision.The 2024 judgment reconsidered the approach that had treated statutory incorporation as necessarily inconsistent with minority establishment. The judgment recognised that the determination of whether an institution was established by a minority requires a broader examination of historical and legal facts rather than reliance upon a single formal criterion.The judgment is important because it moves the analysis away from an overly formalistic understanding of "establishment".

It also reinforces a larger principle of constitutional interpretation: minority character cannot always be determined merely by identifying the immediate statutory instrument through which an institution obtained legal personality.The decision has considerable implications for minority institutions whose historical development involved community initiatives followed by statutory incorporation. At the same time, the judgment illustrates the continuing complexity of Article 30 litigation. Determining minority status requires careful analysis of historical establishment, institutional structure, community involvement, legal personality and subsequent administration.

5. Major Challenges in Enforcement of Minority Rights:

5.1. Absence of a Uniform Definition of Minority: The Constitution does not comprehensively define the term "minority". This creates uncertainty regarding- The appropriate unit for determining minority status; the relevance of numerical strength; Religious and linguistic classification; Sects and denominations; Minority status of institutions; and Institutions created through legislation. Judicial interpretation has filled the constitutional gap, but case-by-case adjudication can produce uncertainty. A clearer legislative or judicial framework would enhance predictability.

5.2. Tension between Autonomy and Regulation: Minority educational institutions require autonomy to preserve their institutional character. However, complete autonomy can potentially produce: Poor academic standards; arbitrary admission practices; financial irregularities; inadequate teacher recruitment; Non-transparent fee structures; and Maladministration.

The State therefore has a legitimate interest in regulation. The difficulty is identifying when regulation becomes interference. The Supreme Court has repeatedly stated that regulations may ensure educational excellence and administrative efficiency, but they cannot destroy the essence of Article 30 protection.

5.3. Admission and Merit: Admission is one of the most contested aspects of minority institutional autonomy. A minority institution must retain sufficient discretion to maintain its minority character. At the same time, admission processes should satisfy constitutional standards of transparency and merit.

The Supreme Court has attempted to reconcile these objectives by allowing minority institutions considerable autonomy while permitting reasonable regulation, especially in professional education. The challenge is particularly acute where public resources, professional qualifications and large numbers of students are involved.

5.4. State Aid and Regulation: Article 30(2) prevents the State from discriminating against an educational institution in granting aid merely because it is managed by a religious or linguistic minority. However, State aid may legitimately be accompanied by conditions concerning: Financial accountability; Academic standards; Teacher qualifications; Infrastructure; Student welfare; and Administrative efficiency. The challenge is preventing conditions attached to aid from becoming indirect instruments for eliminating institutional autonomy.

5.5. Conflict between Article 29(2) and Article 30(1): Another difficult issue arises from the interaction between Article 29(2) and Article 30(1). Article 29(2) prohibits denial of admission to State-maintained or State-aided institutions on specified grounds, while Article 30(1) protects minority institutional autonomy. The Supreme Court has recognised that these provisions must be harmoniously interpreted.The protection of minority character cannot be used as a blanket justification for discriminatory conduct, but Article 29(2) must also not be interpreted so broadly that Article 30 becomes meaningless. This requires a case-sensitive balancing exercise.

5.6. Linguistic Minorities and the Enforcement Gap: Minority discourse in India frequently focuses on religious minorities, whereas linguistic minorities also possess important constitutional

protections. Article 350A directs the State to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage for children belonging to linguistic minority groups. Article 350B provides for a Special Officer for linguistic minorities, whose functions include investigating matters relating to constitutional safeguards for linguistic minorities and reporting to the President.

Nevertheless, linguistic minority protection presents practical difficulties involving: Availability of mother-tongue education; Teacher recruitment; Curriculum; Medium of instruction; Migration; Inter-State linguistic diversity and Institutional resources.Thus, constitutional recognition does not automatically guarantee effective linguistic preservation.

5.7. Institutional and Administrative Challenges: The enforcement of minority rights depends not only on courts but also on administrative institutions. India has institutional mechanisms including the Ministry of Minority Affairs, National Commission for Minorities and Commissioner for Linguistic Minorities. The Ministry itself recognises the institutional role of the National Commission for Minorities and Commissioner for Linguistic Minorities.

However, several structural concerns remain: Delays in recognition of minority institutions; Bureaucratic uncertainty; Inconsistent administrative standards across States; Lengthy litigation; Lack of uniform guidelines; Limited awareness among minority communities and Weak enforcement of recommendations by statutory institutions. Consequently, judicial remedies may become the principal mechanism through which constitutional rights are enforced. This is problematic because litigation is expensive, time-consuming and inaccessible to many communities.

5.8. Minority Rights and Secularism: Minority rights must also be understood within India's constitutional conception of secularism. Indian secularism does not necessarily require complete separation between religion and State. Instead, it seeks principled constitutional engagement with religious diversity.The protection of minority institutions is therefore not an anti-secular principle.

On the contrary, constitutional recognition of diversity can strengthen secularism by ensuring that no single religious or cultural identity becomes constitutionally dominant. However, minority rights cannot be transformed into a constitutional licence for violating other fundamental rights.The correct approach is therefore: Pluralism without constitutional isolation.

5.9. Minority Rights and Constitutional Morality: Constitutional morality requires public institutions to respect dignity, liberty, equality, fraternity and pluralism. The enforcement of minority rights should therefore be understood through two dimensions. First, the State must not unnecessarily interfere with minority identity and institutional autonomy. Second, minority institutions themselves must comply with constitutional values, particularly equality, dignity, academic integrity and non-discrimination.

This reciprocal understanding prevents two extremes 'Excessive State control and unlimited institutional autonomy'. The constitutional objective is not to create isolated institutional enclaves but to preserve diversity within a common constitutional framework.

5.10. Critical Doctrinal Assessment: The judicial evolution of minority rights demonstrates considerable constitutional creativity. The Supreme Court has progressively developed principles concerning: State-wise determination of minority status; Institutional autonomy; Reasonable regulation; Academic excellence; Admissions; State aid; Transparency and Preservation of minority character.

Nevertheless, the jurisprudence remains fragmented. The sequence of St Xavier's, St Stephen's, T.M.A. Pai, Islamic Academy and P.A. Inamdar demonstrates that courts have repeatedly been required to clarify earlier judgments. This creates a compliance problem for institutions and governments. A constitutional right is most effective when its boundaries are sufficiently predictable to allow rights-holders and regulators to plan their conduct without continuous litigation.The contemporary jurisprudence should therefore seek greater doctrinal consolidation.

6. Recommendations and Suggestions:

6.1. Clearer Criteria for Minority Status: A transparent framework should identify relevant factors for determining minority status, including; Numerical strength; State as the appropriate territorial unit; Religious or linguistic identity; Historical establishment; Institutional purpose; Community participation; and Continuing minority character. Such criteria should be applied consistently.

6.2. Distinguishing Regulation from Interference: Regulations should be classified into three categories:

- Category first; Legitimate Regulation: Measures concerning academic standards, student safety, financial transparency and minimum qualifications.
- Category second; Regulatory Measures Requiring Heightened Scrutiny: Admission rules, staff selection and governance conditions affecting institutional character.
- Category third; Impermissible Interference: Measures that substantially destroy minority participation, autonomy or institutional identity.

This framework would provide greater clarity to both governments and institutions.

6.3. Independent Minority Rights Grievance Mechanism: A specialised mechanism could be developed to address disputes concerning: Recognition of minority institutions; Withdrawal of minority status; State aid; Discriminatory regulations; Admissions; Linguistic rights; and Administrative interference. An effective alternative dispute-resolution mechanism could reduce prolonged constitutional litigation.

6.4. Transparency and Accountability: Minority institutions should not be exempted from legitimate standards of accountability. They should maintain transparent systems concerning: Admissions; Fees; Recruitment; Finances; Student welfare; and Academic standards. Accountability strengthens rather than weakens constitutional protection because it demonstrates that minority autonomy can coexist with public responsibility.

6.5. Protection of Linguistic Minorities: The constitutional safeguards for linguistic minorities should receive greater administrative attention. Implementation of Article 350A should be strengthened through: Mother-tongue educational facilities; Availability of qualified teachers; multilingual educational materials; Monitoring mechanisms; and regular reporting by competent authorities.

6.6. Judicial Consistency: The Supreme Court should continue consolidating its Article 30 jurisprudence. Future cases should preferably focus on broad constitutional principles rather than resolving each dispute through narrowly tailored exceptions.The 2024 Aligarh Muslim University judgment provides an opportunity to reconsider formalistic approaches to minority establishment and to develop a more fact-sensitive constitutional test.

7. Findings: The study produces five principal findings.

- First, India possesses a strong constitutional framework for minority protection. The difficulty lies more in enforcement than in constitutional recognition.
- Second, Articles 29 and 30 must be read together with Articles 14, 15, 25–28 and 350A–350B. Minority protection is therefore part of a broader constitutional commitment to pluralism.
- Third, the Supreme Court has consistently rejected absolute minority autonomy. The right to administer does not include a right to maladministration.
- Fourth, the principal doctrinal difficulty lies in determining the boundary between legitimate State regulation and unconstitutional interference.
- Fifth, contemporary jurisprudence, particularly the Aligarh Muslim University decision, demonstrates that minority status must be examined through substance, history and institutional reality rather than through formal legal structures alone.

Conclusions: Constitutional minority rights occupy a unique position within India's constitutional architecture. They represent the Constitution's recognition that democracy cannot be reduced to majority rule. A genuinely constitutional democracy must also protect the identity, dignity and institutional autonomy of minorities. Articles 29 and 30 therefore perform a foundational function. They protect cultural preservation and educational autonomy while ensuring that minorities are not compelled to surrender their identity to numerical majorities.

At the same time, minority rights cannot be understood as absolute. Educational institutions operate within a larger constitutional environment involving equality, academic excellence, student welfare, transparency and legitimate State interests.The Supreme Court's jurisprudence has attempted to establish this equilibrium. Beginning with Kerala Education Bill, and developing through Rev. Sidhajbhai Sabhai, St Xavier's, St Stephen's, T.M.A. Pai, Islamic Academy and P.A. Inamdar, the Court has gradually transformed Article 30 into a sophisticated doctrine of protected autonomy.

The 2024 Aligarh Muslim University judgment represents an important contemporary development. By reconsidering the formalistic relationship between statutory incorporation and minority establishment, the Court has opened the possibility of a more nuanced approach to minority institutional identity.Nevertheless, constitutional rights ultimately depend upon effective institutions. If recognition procedures are uncertain, administrative decisions inconsistent, litigation excessively prolonged and regulatory standards unclear, the practical value of constitutional guarantees is diminished.

The future of minority-rights jurisprudence should therefore be based on a principle of constitutional accommodation. The State must protect minority autonomy without abandoning legitimate regulatory responsibilities; minority institutions must preserve their identity without disregarding constitutional accountability; and courts must maintain a principled balance between equality and pluralism.The ultimate objective should not be merely the preservation of minority institutions as isolated entities. Rather, it should be the creation of a constitutional order in which diversity and equality reinforce one another.

The strength of Indian secular democracy lies precisely in its ability to protect difference while maintaining constitutional unity. Effective enforcement of minority rights is therefore not a concession to minorities but an essential component of India's constitutional commitment to democracy, pluralism, fraternity and equal citizenship.

References & Sources:

1. Austin, G. (1999). The Indian constitution: Cornerstone of a nation. Oxford University Press.
2. Bakshi, P. M. (2020). The Constitution of India. Universal Law Publishing.
3. Basu, D. D. (2018). Commentary on the Constitution of India. LexisNexis.
4. Jain, M. P. (2018). Indian constitutional law. LexisNexis.
5. Sathe, S. P. (2002). Judicial activism in India. Oxford University Press.
6. Seervai, H. M. (2015). Constitutional law of India. Universal Law Publishing.
7. Shukla, V. N. (2019). Constitution of India. Eastern Book Company.
8. Constitution of India, arts 14, 15, 25–30, 350A and 350B.
9. National Commission for Minorities Act 1992.
10. Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009.
11. University Grants Commission Act 1956.
12. National Commission for Minority Educational Institutions Act 2004.
13. State of Madras v Champakam Dorairajan, AIR 1951 SC 226.
14. In re Kerala Education Bill, 1957, AIR 1958 SC 956.
15. Rev. Sidhajbhai Sabhai v State of Bombay, AIR 1963 SC 540.
16. Ahmedabad St Xavier's College Society v State of Gujarat, (1974) 1 SCC 717.
17. St Stephen's College v University of Delhi, (1992) 1 SCC 558.
18. T.M.A. Pai Foundation v State of Karnataka, (2002) 8 SCC 481.
19. Islamic Academy of Education v State of Karnataka, (2003) 6 SCC 697.
20. P.A. Inamdar v State of Maharashtra, (2005) 6 SCC 537.

21. Indian Medical Association v Union of India, (2011) 7 SCC 179.
22. Aligarh Muslim University through its Registrar Faizan Mustafa v Naresh Agarwal, Supreme Court of India, 2024.
23. National Commission for Minorities and Commissioner for Linguistic Minorities, Government of India.
24. Supreme Court of India, official judgment database and Ministry of Minority Affairs, Government of India.
25. The Government's institutional framework includes the National Commission for Minorities and the Commissioner for Linguistic Minorities, while Article 350B constitutionally provides for a Special Officer for linguistic minorities.

=====

Cite the article:	Singh, Himmat (2026). Minority Rights in India: A Doctrinal and Judicial Analysis. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-3, July-September 2026, Page 194-203. https://doi.org/10.5281/zenodo.23005381

Bundelkhand Journal of Academic Research

Scope and Research Areas of the Journal

Agricultural Sciences

Agricultural Biotechnology, Agricultural Chemistry, Agricultural Diversification, Agricultural Education, Agricultural Economics, Agricultural Geography, Agricultural Philosophy, Agricultural Marketing, Dairy and Animal Science, Agricultural Engineering, Agricultural Policy, Multidisciplinary Agriculture, Agronomy & Horticulture, Agroecology, Agrophysics, Biological Engineering, Entomology, Plant Sciences, Environmental Sciences, Fisheries Science, Food Science & Technology, Forestry, Soil Science, Veterinary Sciences, Water Resources and any other allied Subjects of Agricultural Sciences.

Arts and Humanities

Archaeology, Architecture, Art, Asian Studies, Classics studies, Cultural studies, Dance, Education and B.Ed, Film, Radio, Television, Folklore, History, History of Science, Humanities, Multidisciplinary, Language and Linguistics, Literary Reviews, Literary Theory and Criticism, Literature, Medieval and Renaissance Studies, Music, Philosophy, Poetry, Religion studies, Theatre, Physical Education and Sports Science, Textiles and Apparel Designing and any other allied Subjects of Arts and Humanities.

Biological Sciences

Biodiversity Conservation, Biology, Miscellaneous Biology, Ecology, Evolutionary Biology, Botany, Developmental Biology, Entomology, Limnology, Marine & Freshwater Biology, Mycology, Ornithology, Reproductive Biology, Zoology and any Other Allied Subjects of Biological Sciences.

Chemical Sciences

Applied Chemistry, Multidisciplinary Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic & Nuclear Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Crystallography, Electrochemistry, Polymer Science, Spectroscopy, Biochemistry & Microbiology and any other allied Subjects of Chemical Sciences.

Commerce and Management

Management Accounting, Business Planning, Advertising, Banking & Insurance, Accounting System, Financial Markets, Institutions & Financial Services, Industrial Laws, Organizational Behaviour, Human Resource Management, Cost Accounting, Business Mathematics, Management Applications, Computer Applications, Auditing & Corporate Governance, Financial Management, Entrepreneurship, Collective Bargaining, Negotiation Skills, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, E-Commerce, Training & Development, Marketing & E-Marketing, Personal Tax Planning, Environmental Studies, Business Communication, Financial Accounting, Corporate Accounting, Business Laws, Corporate Laws, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, Taxation, Tax Law & Practice, Management like Strategic, Sales, Marketing, Public Relations, Operations, Supply Chain, Procurement, Financial & Accounting, Human Resources, Information Technology, Research & Development, Engineering, Programme, Project, Risk, Quality, Innovation, Design, Facility, Knowledge and any other allied Subjects of Commerce and Management.

Engineering and Technology

Automation & Control Systems, Aerospace Engineering, Computer Science, Artificial Intelligence, Cybernetics, Hardware & Architecture, Information Systems, Interdisciplinary SCI, Software Engineering, Construction & Building Technology, Energy & Fuels, Multidisciplinary Engineering, Biomedical Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Ocean Engineering, Petroleum Engineering,

Electrical & Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Geological Engineering, Ergonomics, Nanoscience & Nanotechnology, Instruments & Instrumentation, Operations Research & Management Science, Materials Science, Paper & Wood, Ceramics, Biomaterials, Characterization, Testing, Coatings & Films, Composites, Textiles, Multidisciplinary Materials Science, Metallurgy & Mining, Robotics, Remote Sensing, Imaging Science & Photographic Technology, Telecommunications, Transportation, Transportation Science & Technology, Mining & Mineral Processing, Architecture, Industrial Design and any other allied Subjects of Engineering and Technology.

Medical and Health Sciences

Anatomy &Morphology, Biochemical Research Methods, Biochemistry & Molecular Biology, Cell & Tissue Engineering, Biophysics, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell Biology, Medicinal Chemistry, Cytology & Histology, Genetics & Heredity, Mathematical & Computational Biology, Immunology, Microbiology, Microscopy, Neurosciences, Parasitology, Pharmacology & Pharmacy, Physiology, Allergy, Andrology, Anesthesiology, Biological Psychology, Oncology, Cardiac & Cardiovascular System, Critical Care Medicine, Clinical Psychology, Emergency Medicine, Dentistry Oral, Surgery & Medicine, Dermatology, Substance Abuse, Psychology Educational, Health Care Sciences & Services, Endocrinology & Metabolism, Gastroenterology & Hepatology, Geriatrics & Gerontology, Gerontology, Haematology, Psychology Developmental, Infectious Diseases, Psychology Applied, Integrative & Complementary Medicine, Medical Ethics, Medicine Legal, Medical Informatics, Medical Laboratory Technology, Medicine General & Internal, Medicine Research & Experimental, Clinical Neurology, Neuroimaging, Nursing, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Pathology, Paediatrics, Rehabilitation, Psychiatry, Respiratory System, Rheumatology, Radiology Nuclear Medicine & Medical Imaging, Sport Sciences, Surgery, Toxicology, Transplantation, Tropical Medicine, Urology & Nephrology, Peripheral Vascular Disease, Virology, Ayurveda, Home Science, Homoeopathy, Physiotherapy, Audiology & Speech-Language Pathology, SIDDHA, Unani, Public Health, Hospital Administrations, Forensic Science, Yoga, Optometry.

Physical Sciences

Geochemistry & Geophysics, Physical Geography, Geology, Multidisciplinary Geosciences, Meteorology & Atmospheric Sciences, Mineralogy, Oceanography, Paleontology, Acoustics, Astronomy & Astrophysics, Thermodynamics, Applied Mathematics, Mathematics, Nuclear Science & Technology, Optics, Applied Physics, Fluids & Plasmas Physics, Atomic, Molecular & Chemical, Atomic, Molecular & Chemical, Multidisciplinary Physics, Condensed Matter Physics, Nuclear Physics, Particles & Fields Physics, Mathematical Physics, Statistics & Probability, Theoretical High Energy Physics, Interdisciplinary Applications Mathematics and any other allied Subjects of Physical Sciences.

Social Sciences

Anthropology, Business, Cultural Studies, Communication, Criminology and Penology, Demography, Economics, Education and Research, Environmental Studies, Ergonomics, Ethics, Ethnic Studies, Family Studies, Finance, Geography, Gerontology, Health Policy and Services, History, Hospitality, Sport & Tourism, Industrial Relations and Labour, Library and Information Science, International Relations, Law, Linguistics, Management, Nursing, Planning and Development, Political Science, Psychiatry, Psychology & Applied Psychology, Public Administration, Public, Environmental and Occupational Health Rehabilitation, Social Issues, Biomedical Social Sciences, Interdisciplinary Social Sciences, Mathematical Social Sciences, Social Work, Sociology, Transportation, Urban Studies, Feminist Studies, and any other allied Subjects of Social Sciences.

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

लेखकों द्वारा आलेख प्रेषण हेतु दिशानिर्देश

प्रस्तुतीकरण दिशानिर्देश (Submission Guidelines)

बीजेएआर उन मौलिक योगदानों का स्वागत करता है जो कहीं अन्यत्र प्रस्तुत, प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत नहीं हुए हैं। योगदानकर्ताओं को लेख प्रस्तुत करने वाले ईमेल में इसकी जानकारी देनी होगी। योगदानकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बीजेएआर की स्टाइल शीट का पालन करें। सभी योगदानों के साथ निम्नलिखित अनुपालन होने चाहिए:

आलेख सारांश 150-200 शब्द

मुख्य शब्द 5 से 6

लेखक का नाम, ईमेल पता और पत्राचार के लिए संपर्क नंबर, प्रत्येक लेखक के लिए वर्तमान पदनाम और संबद्धता का विवरण देते हुए एक-पंक्ति का लेखक नोट। हम लेखक नोट में प्रदत्त ईमेल पता शामिल करते हैं। योगदानकर्ताओं को साहित्यिक चोरी और अत्यधिक आत्म-संदर्भों से सावधान किया जाता है। सामग्री की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंकड़े, ग्राफ़ और तालिकाओं का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। सभी पूरक फ़ाइलें जैसे आंकड़े, तालिकाएँ, मानचित्र आदि, जहाँ तक संभव हो, MS Office (Word/Excel) या अन्य संपादन योग्य प्रारूपों में प्रदान की जानी चाहिए।

बीजेएआर संपादकीय टीम किसी आलेख को किसी विशिष्ट अनुभाग में, जैसा उचित समझे, स्थान देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

लेखों की प्राप्ति की सूचना ईमेल द्वारा एक संदर्भ संख्या के साथ दी जाती है जिसका उपयोग वेबसाइट पर आपके योगदान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यदि योगदानकर्ताओं को योगदान के एक सप्ताह के भीतर पावती प्राप्त नहीं होती है, तो उनसे अनुरोध है कि वे हमें gayatripublication2025@gmail.com पर लिखें।

हमें प्राप्त होने वाले लेखों की शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मासिक रूप से प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या को देखते हुए, किसी लेख को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने में दो महीने तक का समय लग सकता है। प्रकाशन के लिए स्वीकृत लेखों को स्वीकृति की तिथि से मुद्रित रूप में प्रकाशित होने में एक महीने तक का समय लग सकता है।

शोध समीक्षाएँ (शब्द: 2000-2500): बीजेएआर द्वारा पुस्तक और समीक्षाओं को भी प्रकाशन के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतर्दृष्टि आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में शैक्षणिक परिघटनाओं के नवीन और केंद्रित विश्लेषण पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिप्रेक्ष्य आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में मौजूदा विद्वत्ता और समकालीन घटनाओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले आलेखों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष आलेख (शब्द: 7000 तक): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी

भी क्षेत्र में मूल, अप्रकाशित शोध पत्र स्वीकार किए जाएँगे, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

शोध आलेख (शब्द: 6000-7000): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक शोध को कवर करने वाले मौलिक लेखों पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

कॉपीराइट

1. बीजेएआर में प्रकाशित सभी आलेखों का कॉपीराइट बीजेएआर या उस संगठन का होगा जहाँ लेखक कार्यरत है, जैसा कि लेखक की रोजगार शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. बीजेएआर को लेखकों द्वारा अपने आलेखों को अन्य प्रकाशनों के लिए पुनः प्रकाशित या संशोधित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, पुनः प्रकाशित आलेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि लेख का एक संस्करण सबसे पहले बीजेएआर में प्रकाशित हुआ था। इसमें मूल बीजेएआर आलेखों के URL के साथ प्रकाशन विवरण भी शामिल होना चाहिए।
3. लेखक/लेखकों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकाशित आलेखों या उसके किसी भाग का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। लेखक/लेखकों की स्वीकृति की एक सॉफ्ट कॉपी बीजेएआर को भेजी जानी चाहिए।

सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. बीजेएआर में प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जाने वाला शोध पत्र मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। शोध पत्र ई-मेल द्वारा द्वारा प्रेषित करना चाहिए।
2. लेखक को शोध पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य संलग्न करना होगा कि यूजीसी/एमएचआरडी के मानकानुरूप यह शोध पत्र उसका मौलिक, अप्रकाशित शोध पत्र है, एवं इसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है।
3. यदि शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता के साथ अन्य नाम भी हैं, तो उन्हें भी मौलिकता और साहित्यक चोरी का प्रमाण पत्र देना होगा। शोध पत्र के साथ प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए।
4. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित शोधार्थी के पास ई-मेल द्वारा शोध पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाएगी।
5. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संपादक मण्डल द्वारा उसे संबंधित विषय के विशेषज्ञ (रीव्यूवर) के पास ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसका विषय विशेषज्ञ द्वारा विधिवत् मूल्यांकन, परीक्षण और संशोधन किया जाएगा, तदुपरांत संपादक मण्डल के पास प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाएगा।
6. विषय विशेषज्ञ / संपादक मण्डल के पास शोध पत्र के प्रकाशन और संशोधन का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी शोध पत्र संपादक मण्डल / रीव्यू पैनल द्वारा पूर्णतः मूल्यांकन के उपरांत ही प्रकाशनार्थ स्वीकृति किया जायेगा।
7. पूर्णतः स्वीकृति के उपरांत ही शोधार्थी को संबंधित शोध आलेख का स्वीकृति संदेश निर्दिष्ट ई-मेल पर प्रेषित किया जायेगा। हालांकि, शोध पत्र के प्रकाशन, कापी राइट एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों में प्रधान संपादक एवं संपादक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. शोध पत्र में व्यक्त विचार, शोध बिंदु, संदर्भ हेतु पूर्णतः शोधार्थी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार से संपादक मण्डल का उसमें कोई सरोकार नहीं होगा। शोध-पत्र भेजने के बाद उसे प्रकाशित करने हेतु किसी भी तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं होगा।

9. शोध पत्र को निम्नलिखित रूप में ई-मेल द्वारा प्रेषित करें:

i. टंकण विधि A4 साईज में 1 इंच चारो तरफ छोड़कर ऑटो लीडिंग, पेज नंबरिंग सहित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी वर्जन में टाइप करके भेजें एवं आवास का पता, संस्था का पता, दूरभाष एवं ईमेल आईडी अवश्य लिखें।

ii. हिंदी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Kruti Dev 010 के फांट साइज 14 और मुख्य हेडिंग 16 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Times New Roman के फांट साइज 12 और मुख्य हेडिंग 14 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए।

iii. कीवर्डस, स्रोत एवं संदर्भ, शोध सारांश आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

iv. स्रोत एवं संदर्भ विधिवत निर्दिष्ट उद्धरण स्टाईल में रख कर उनका स्पष्ट उल्लेख करें। शोध पत्र में स्रोत एवं संदर्भ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। स्रोत एवं संदर्भों की स्पष्टता के अभाव में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

10. आप शोध पत्र प्रेषित करें : gayatripublication2025@gmail.com

शोध पत्रों के प्रकाशन एवं प्रेषण की आवृत्ति

बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर) त्रैमासिक शोध जर्नल है, जिसका प्रकाशन वर्ष में चार बार होता है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंक प्रकाशन एवं आलेख संग्रहण का विवरण निम्न प्रकार है:

बीजेएआर के अंक	प्रेषण की तिथि	प्रकाशन
जनवरी-मार्च	10 मार्च तक	अप्रैल के अंत में
अप्रैल-जून	10 जून तक	जुलाई के अंत में
जुलाई-सितंबर	10 सितंबर तक	अक्टूबर के अंत में
अक्टूबर-दिसंबर	10 दिसंबर तक	जनवरी के अंत में

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

एक सामान्य शोध पत्र का मॉडल प्रारूप
(A Model Format for a normal Research Paper)

शोध पत्र का शीर्षक
(Title of the Research Paper)

प्रथम लेखक^1, द्वितीय लेखक^2, और तृतीय लेखक^3

^1 पहले संस्थान का नाम (Name of First Institution) Email Id

^2 दूसरे संस्थान का नाम (Name of Second Institution) Email Id

^3 तीसरे संस्थान का नाम (Name of Third Institution) Email Id

सारांश (Abstract)

यहां 150-200 शब्दों में अपने शोध का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

मुख्य शब्द (Keywords): 5 से 6 मुख्य शब्द दिए जाने चाहिए जो शोध विषय की केंद्रीय अवधारणाओं को दर्शाते हों। ये पहचान, खोज और सूचकांकन योग्य होने चाहिए ताकि पाठक और शोधार्थी प्रासंगिक शोध को खोजने और अनुक्रमित (index) करने के लिए इनका उपयोग कर सकें। मुख्य शब्द के रूप में संज्ञा शब्द होने चाहिए, उपपद और क्रिया शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction and Background)

1.1. उप-शीर्षक (Subheading)

1.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

1.1.2.

- यहां शीर्षक एवं विषय से संबंधित आवश्यक आधारभूत ज्ञान का परिचय दें।
- विषय का परिचय और इसका महत्व बताएं।
- समीक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करें।
- पृष्ठभूमि जानकारी और संदर्भ प्रदान करें।
- साहित्य समीक्षा में वर्तमान शोध और उपलब्ध शोध अंतराल को भी रेखांकित किया जा सकता है।

2. सामग्री एवं विधि (Materials and Methods)

यहां आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना है।

(Here is to analyse and interpret the data)

2.1. उप-शीर्षक (Subheading)

2.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- यहां सामग्री और विधि का विवरण दें।
- शोध की सम्पूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें ।
- ध्यान रहे यह लेखन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी शोधकर्ता इस विधि को पढ़ कर सरलता पूर्वक इस शोध-क्रियाविधि को स्वयं भी दोहरा सके।

सारणी-1: सारणी का शीर्षक या नाम (Table 1: Title or Name of Table)		
उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**
तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)

3. परिणाम एवं प्राप्तियां (Results and Findings)

3.1. उप-शीर्षक (Subheading)

3.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- शोध-पत्र के इस भाग को प्रयास पूर्वक एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों के विश्लेषण और निर्वचन से क्या प्राप्त हुआ है, इसका संक्षेप में प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए।

4. चर्चा एवं बहस (Discussion and Debate)

4.1. उप-शीर्षक (Subheading)

4.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग में वर्णित परिणामों के बारे में गूढ विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों की चर्चा की जानी चाहिए।
- इस भाग में भी तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए ।
- मुख्यतः साहित्य की समीक्षा में चिन्हित खोजों और वर्तमान लिखित साहित्य में छोड़े गए विषयों/रिक्तियों की पहचान को भी रेखांकित किया जा सकता है।

5. सुझाव एवं अनुशंसाएं (Suggestions and Recommendations)

5.1. उप-शीर्षक (Subheading)

5.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग 4 और 5 में वर्णित परिणाम, प्राप्तियों एवं चर्चा के सापेक्ष आगे बढ़ने का उचित रास्ता (The way forward) क्या है, पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों के औचित्यपूर्ण समाधान की चर्चा की जानी चाहिए।
- भावी शोध के विषयों और उप-विषयों का सुझाव दिया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- आपके द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में किए गए प्रमुख खोजों और उनकी प्रासंगिकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- विषय के महत्व एवं औचित्य को पुनः प्रस्तुत कीजिए।
- 4 से 6 वाक्यों में अपने प्रस्तुत शोध के परिणाम एवं निष्कर्षों की महत्ता को विषय के संदर्भ में बताइए।

स्रोत एवं संदर्भ (Sources and References)

- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त सभी मुख्य कार्यों की स्रोत एवं संदर्भ सूची प्रदान कीजिए।
- यह संदर्भ शोध-आलेख में उचित स्थानों पर पाठ्य के रूप (इन-टेक्स्ट) में भी लिखे जाने चाहिए।
- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण में देखा जा सकता है:

परिशिष्ट (Appendices)

- परिशिष्ट A (Appendix A)
- परिशिष्ट B (Appendix B)

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण

(Bibliographic, Citation and Referencing Styles Examples)

स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए:

लेखक का नाम एवं उपनाम

(Name and Surname of the Author)

लेखक	नाम एवं उपनाम
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, <नाम का आरंभिक अक्षर>. <मध्य नाम का अक्षर>. **उदाहरण: मधुसूदन, जी. एस.**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>. एवं <उपनाम2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>. **उदाहरण: पाल, आर. के. एवं सिंह, ए. के.**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>., <उपनाम 2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>., . . . , एवं <उपनाम n>, <n का आरंभिक नाम n>. < n का मध्य नाम n>. **उदाहरण: कुशवाहा, ए. के., मौर्य, के. बी.,..., एवं सिंह, ए. के.**

खंड, अंक एवं पृष्ठ संख्या

(Volume, Issue and Page Numbers)

दस्तावेज़	वॉल्यूम, अंक एवं पृष्ठ संख्या
एकल पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-02, पृष्ठ -15।**
कई पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-04, पृष्ठ 75-81।**
जर्नल / पत्रिका या इसी तरह के पीरियडिकल्स	<वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू संख्या >): < प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> – <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: 12(6): 103–120।** **अथवा** वॉल्यूम <खंड संख्या> अंक (<अंक संख्या>), <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-12, अंक-6, पृष्ठ 103–120।**

कुछ दस्तावेजों की ग्रंथसूची एवं उद्धरण शैलियाँ
(Bibliographic and citation styles of some documents)

Document		लेखक-वर्ष आधारित उद्धरण शैलियाँ
Book	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <पुस्तक का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, आईएसबीएन : <आईएसबीएन संख्या>।**
	Example	1. झिंगन, एम. एल. (2008)। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। वृंदा पब्लिकेशन्स, मयूर विहार नई दिल्ली, पांचवां पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008, पृष्ठ 1-670, आईएसबीएन: 8187125640। 2. पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के. एवं गर्ग, भारत (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था। हिमालया पब्लिशिंग हाउस, गिरगांव मुम्बई, चौंतीसवाँ संस्करण, 2022, पृष्ठ 1-700, आईएसबीएन: 9789355964274।
Book chapter	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <अध्याय का शीर्षक> । <संपादक> में, संपादक (संपादकों), <पुस्तक का शीर्षक>, <प्रकाशन श्रृंखला> का खंड <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <आईएसबीएन> । <प्रकाशक>, <पता> ।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस एवं बघेल, एच. के. (2022)। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फायदे और चुनौतियां: एक अवलोकन। गुप्ता, दिनेश कुमार (संपादक), ट्रांसफार्मिंग इंडिया: विजन एवं चैलेंजेज़, मार्च, 2022, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन: 9789391550592। एन. बी. पब्लिकेशन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी.एस. एवं सिंह, एस. नाथ (2024)। भारत में फसल बीमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभवों का एक अध्ययन। सिंह, सी.बी., सिंह, एस.एन., लाल, अंकिता जे., फुरकान, मो., सोनी, शिखा (संपादक), सामाजिक विज्ञान एवं सतत भविष्य: 2023 और उसके बाद के लिए अंतर्दृष्टि एवं परिप्रेक्ष्य, पहला प्रकाशन, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन:9789363895065, कुणाल बुक्स पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
Seminar/Conference proceedings	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <सम्मेलन का शीर्षक> में, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <सम्मेलन का स्थान> । <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस (2023)। भारत में डिजिटल तकनीक से शिक्षा के बढ़ते अवसर और चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षण और उच्च शिक्षा में, वॉल्यूम-2, पृष्ठ 07–15, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आइडियलिस्टिक जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रम्स (आईजेएआरपीएस)। आईजेएआरएमएस पब्लिकेशन, 221 एमआईजी फेज-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी. एस एवं सिंह, अमित के. (2025)। आत्मनिर्भर भारत के सपने के रूप में ग्रामीण पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति का मूल्यांकन। ग्रामीण पर्यटन: विकास, रोजगार और संभावनाएं में, विशेषांक वॉल्यूम: जनवरी–मार्च 2025, पृष्ठ 247-254, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। त्रैमासिक पत्रिका शोध धारा। शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान प्रकाशक, उरई (जालौन) उत्तर प्रदेश।
Dictionary and Thesaurus	Format	**<लेखक> (<दिनांक>)। <दस्तावेज का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>।**
	Example	1. सीएएलडी (2009)। कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी (सीएएलडी)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया प्रा. लि., तीसरा संस्करण, पृष्ठ 101–102। 2. सहाय, आर. एन. एवं कुमार, एस. (2018)। ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, वॉल्यूम-1, पृष्ठ-73।

Encyclopaedia	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक >) । <टॉपिक का शीर्षक >। <संपादक> संपादक (कों) में, <एनसाइक्लोपीडिया का शीर्षक>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. लिंडग्रेन, एच. सी. (2001)। स्टीरियोटाइपिंग। द कोर्सिनी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, वॉल्यूम-4 में पृष्ठ 617–618 । विली, न्यूयॉर्क। 2. पेटिंगिल, जूनियर, ओ. एस. (1980)। फाल्कन और फाल्कनरी। वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया में पृष्ठ 150–155। वर्ल्ड बुक, शिकागो।
Journal/ Magazine/ Newspaper	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <पत्रिका का शीर्षक>, <वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू नंबर>), <पृष्ठ संख्या>, आईएसएसएन: <आईएसएसएन नंबर>। डीओआई:< डीओआई >**
	Example	1. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। संक्रमणशील समाज की पीड़ा: सहजीवन। शोध धारा, अक्तूबर–दिसंबर, 2023, पृष्ठ 173-184, आईएसएसएन: 09753664। DOI:10.5281/zenodo.16640430 2. मधुसूदन, जी. एस. एवं सिंह, एस. एन. (2024)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और प्रदर्शन का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च (आईजेएसडीआर), वॉल्यूम-9, अंक-11, नवंबर-2024, पृष्ठ 487- 497, आईएसएसएन: 24552631। DOI:10.5281/zenodo.16642460
Technical report	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक>। तकनीकी रिपोर्ट <रिपोर्ट संख्या>, <विभाग>, <संस्थान>, <पता>।**
	Example	1. नाबार्ड (2022)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में सतत खारे पानी की एक्वाकल्चर के लिए कोस्टल वाटरशेड बेस्ड सरफेस और सबसरफेस सैलिनिटी मैपिंग और मॉडलिंग। टेक्निकल रिपोर्ट एनआरएस-27, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई। 2. घोष, डी. एवं कोठारी, आर. (2012)। पॉपुलेशन ह्यूरिस्टिक्स फॉर द कॉरिडोर एलोकेशन प्रॉब्लम। टेक्निकल रिपोर्ट W.P. नंबर 2012-09-02, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, भारत।
Thesis (Master)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <थीसिस का शीर्षक> । मास्टर थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	1. कुमार, प्रतीक (2024) । किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का एक अध्ययन: चित्रकूट जिले के विशेष सन्दर्भ में। मास्टर थीसिस, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट। 2. कुमार, रवि (2020)। इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एम.एससी. (एजी) थीसिस, एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।
Thesis (PhD)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <थीसिस का शीर्षक>। पीएचडी थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	सिंह, गजेन्द्र (2025)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों पर प्रभाव बांदा जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन। पीएचडी थीसिस, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश।
Website/	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <डॉक्यूमेंट का शीर्षक> । <यूआरएल> से <दिनांक> को लिया गया** *अगर पब्लिकेशन की तारीख मौजूद नहीं है, तब 'कोई तारीख नहीं' लिखा जा सकता है।

	Example	1. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (30 सितंबर 2025)। भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ, 2023। 20 अक्टूबर 2025 को https://www.ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-adsi.html से लिया गया 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (30 जून, 2025)। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 23 अक्टूबर, 2025 को https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/FSReports.aspx से लिया गया

पाठ में संदर्भ

(In-text reference)

लेखक	पाठ में संदर्भ
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, < वर्ष > **उदाहरण: (मधुसूदन, 2024)**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> और <उपनाम2>, < वर्ष > **उदाहरण: (पाल एवं सिंह, 2023)**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,….., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> आदि, < वर्ष > **उदाहरण: (कुशवाहा एवं अन्य, 2025)**

Bundelkhand Journal of Academic Research

Aims of the BJAR

The primary aim of the BJAR journal is to facilitate the dissemination of high-quality, peer-reviewed research findings, fostering the advancement of knowledge across various academic disciplines. BJAR journal provide a trusted platform for scholars to publish original research, review articles, and scholarly insights. BJAR journal serve as a platform for disseminating research, encouraging interdisciplinary dialogue, and validating scholarly work through rigorous, transparent review processes. Key aims and objectives typically include:

Dissemination of Knowledge: Sharing empirical, theoretical, and applied research findings with a global community.

Quality Assurance: Maintaining credibility through strict peer-review processes, often double-blind, to ensure academic merit.

Promoting Innovation: Encouraging novel ideas, methodologies, and critical perspectives in academic research.

Creating Research Forums: Building a dedicated space for scholars to engage with specific topics, facilitating expert discussion and debate.

Archiving Advancements: Documenting the progress of a specific field over time to support future research.

Platform for Scholarly Discussion: provide a venue for scholarly debate, enabling researchers to build upon, critique, and validate previous studies.

Peer Review and Quality Control: By employing a rigorous peer-review process, journals ensure the credibility, accuracy, and validity of the published research, preventing the spread of false information.

Bundelkhand Journal of Academic Research

About BJAR

BJAR a Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research. BJAR follows the UGC's Suggestive Parameters for selecting peer-reviewed journals. Key Parameters for the BJAR are as under:

Suggestive Parameters	Policy and Guidelines
Frequency of publication	The Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR) is a quarterly research journal published four times a year. The March, June, September, and December issues are published. BJAR Issues: **January-March, April-June, July-September, October-December**
Language	Bilingual (Hindi and English)
Starting year	2025 **(First Issue: July-September, 2025)**
Subject	Multidisciplinary Subjects
Format of publication	Print Version
Publisher details (Name and Complete address)	Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), 226, Krishna Nagar, Atarra, District-Banda, Uttar Pradesh: 210201 E-mail: gayatripublication2025@gmail.com Mobile: 8750184716
Transparent Review Policy	Transparent review policy and publication process.
Website Certified Domain	https://bjar.in/index.php/BJAR/en
Open Access or Subscription-Based Policy	It is an open-access, peer- reviewed journal. All articles are freely accessible online.
Archival Policy	All the previous issues are maintained/made available.
Editorial Board Composition	Provided Subject expertise, with eminent academician's /scientists/ researchers.
Efficient Editorial/ Review Process	Efficient Editorial board members available and mentioned Rigorous peer review, compliance with reviewers' recommendations, and clear timelines.
Aims, Objectives, and Scope	BJAR's aims is to publish and synthesize, communicate and interpret the results of recent research study in the academic field, in order to advance the dissemination of valid knowledge and to foster innovation and development. The focus area and Scope of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines.
Subject Areas	The focus area of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines (such Agricultural Sciences, Arts and Humanities, Biological Sciences, Chemical Sciences, Commerce and Management, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences and other academic fields). The journal that encourages Interdisciplinary and Transdisciplinary dialogue on emerging knowledge.
Article Processing Charges (APC)	Transparent fee structure such as: The Journal is a free, open-access journal dedicated to global knowledge sharing. All articles are freely accessible worldwide. To maintain high-quality publishing, a modest Article Processing Charge (APC) of Rs.1000 applies only to accepted articles. There are no

	submission fees. In line with open-access principles, APCs are usually covered by research grants or supporting institutions. This fee supports essential services such as manuscript processing, online hosting, archiving and DOI charge. The APC includes expert peer review, professional formatting, publication, plagiarism screening and an official publication, ensuring high-quality and credible research dissemination.
Publishing Timeline	Two Months average Time from Submission to Publication such as: Submission to First Decision: 7 Days Submission to Acceptance: 45 Days Acceptance to Publication: 15 Days
Acceptance Rate	Estimation of the acceptance rate will be published in the future.
Academic Contribution	Published Articles are demonstrate motivation, advancement of existing knowledge, and applicability for policymaking.
Conformity to Journal Scope	Published Articles are align with the journal's stated aims and objectives.
Bibliographic Data & Literature Citation	Accurate and standardized referencing
Font & Design	Professional layout and readability
Infographics & Exhibits	High-quality visuals and supplementary materials
Citation Record	Journal articles cited in reputable databases
Print Continuum (if applicable)	The Journal is published in both print and online versions. Its continuity is maintained through regular quarterly online issues.
Online Availability	Full-text articles available online
Quality of Website	Well-maintained, regularly updated, and user-friendly.
Multilingual Availability	Multilingual Availability: Relevant for the Indian context, with content available in Indian languages. Most of the published articles are available in multiple languages.
Ethical Guidelines for Authors	Clear guide lines for ethical publishing practices
Plagiarism Prevention	The journal not accept more than standard limits 10% similarity score except for literature review.
Conflict of Interest Disclosure	No conflicts between governance, Editorial Board Members, Reviewers, And Authors; any potential conflicts must be disclosed.

ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | July-September | 2026 | Volume-2 | Issue-3

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च